(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] अष्टम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या 10



सोमवार

दिनांक 15 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न।

### दूदू क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु नवयुवकों को ऋण

270. **श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** (दूदू) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दूदू विधान सभा क्षेत्र में कितने-कितने स्नातक तथा तकनीकी युवकों को स्वरोजगार उद्योग खोलने के लिये कितना-कितना ऋण उपलब्ध कराया गया ? कृपया सूची मय नाम, गांव तथा ऋण स्वीकृति की राशि के सदन पटल पर रखें।

(2) इस क्षेत्र के स्नातक एवं तकनीकी बेरोजगार नवयुवकों के ऋण प्राप्ति के लिये कितने-कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं तथा उनको कब तक ऋण स्वीकृत कर दिया जायगा ? कृपया सूची सदन पटल पर रखें।

**उद्योग मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)** : (1) दूदू विधान सभा क्षेत्र में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग खोलने एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 12 स्नातकों को ऋण उपलब्ध कराया गया है जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। तकनीकी योग्यता वाले किसी भी अभ्यर्थी को ऋण नहीं दिया गया।

(2) इस क्षेत्र के 19 स्नातकों के आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र में विचाराधीन हैं। तकनीकी बेरोजगार युवकों के कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं हैं। इन विचाराधीन आवेदन पत्रों पर ऋण स्वीकृति की कार्यवाही भारत सरकार से योजना को वर्ष 1985-86 के लिये जारी रहने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त किया जाना सम्भव हो सकेगा। विचाराधीन स्नातक आवेदकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने बताया, तकनीकी छात्रों को हमने किसी प्रकार की राशि नहीं दी है। इसका क्या कारण है ? एक-एक का बता दें साहब।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, टेक्नीकल एप्लीकेंट थे ही नहीं तो उनको राशि देने का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री अध्यक्ष** : एप्लाई नहीं किया।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है, 12 शिक्षित युवकों को ऋण दिया गया है, जो सूची दी गई है उसके अनुसार किसी को 12 हजार मन्जूर किया है, किसी को 6 हजार मन्जूर किया है, किसी को 25 हजार मन्जूर किया है। उस 25 हजार में से भी किसी को 15 हजार दिया है, किसी को 20 हजार दिया है, इसका क्या कारण है ?

**श्री अध्यक्ष** : जवाब दीजिये।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही सिम्पल है। जैसा जिसका प्रोजेक्ट था और जैसी स्वीकृति मिली उस हिसाब से जितना लोन डिस्ट्रिब्यूट करना था, एज पर प्रोमेस, वह किया गया है। जो बाकी है किसी का, वह आगे जैसे ही फार्मेलिटीज कम्प्लीट कर लेगा तो उसको और मिल जायगा।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्ट किस आधार पर थे, मैं समझ नहीं पाया कि प्रोजेक्ट किसको मान कर चल रहे हैं। किस आधार का प्रोजेक्ट मान कर इस प्रकार की राशि में कमी बेसी की गई है ?

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, एप्लीकेंट एप्लाई करता है, उसका इन्टरव्यू होता है। इन्टरव्यू के बाद बोर्ड यह टास्क फोर्स तय करता है कि उसको उस पर्टीकूलर प्रोजेक्ट के लिये कितना पैसा चाहिये। उस पर्टीकूलर सेंक्शन के बाद इंस्टालमेंट्स की रीति है उस हिसाब से....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, प्रोजेक्ट का मतलब नहीं समझ पाये उसको आप क्लियर कर दो।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : जिस काम के लिये जिस आदमी ने या जिस एप्लीकेंट ने....

**श्री अध्यक्ष** : यह क्लियर कर दो, वह समझ नहीं पाये।

श्री पंकज पंचोली।

**श्री पंकज पंचोली** (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, जैसा उन्होंने अभी बताया, आने वाले 85-86 में ऊपर से मन्जूरी आने पर दिया जायगा, तो यह रकम कहां से प्राप्त होती है ? प्रार्थना पत्र आप कब आमन्त्रित करेंगे ? क्या इसका डेफिनेट टाइम आप देंगे ? हर जगह एक ही तरफ का देंगे राजस्थान में या अलग-अलग करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अलग प्रश्न है।

**श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : दूदू विधान सभा क्षेत्र में कितने बेरोजगार नवयुवकों ने एप्लाई किया था और उसके अगेंस्ट में कितने आदमियों को ऋण मिला ?

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, दूदू में 541 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। टास्क फोर्स ने इन्टरव्यू के लिये 383 एप्लीकेंट को बुलाया। 383 में से 258 हाजिर हुए इन्टरव्यू के लिये। 258 में से

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

टास्क फोर्स ने प्रस्ताव करके 123 आगे भेजे जिनमें से 114 को ऋण स्वीकृत हुआ। 114 में से 72 को ऋण वितरित हो गया।

(व्यवधान)

**श्री रामसिंह विश्नोई** : 72 आदमियों को पहली किश्त दी है या दूसरी दी है? आपने 500-600 में दूसरों को नहीं दिया है....

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर प्रश्न देखें तो टूटू से जो सदस्य पधारे हैं उन्होंने ग्रेज्यूएट्स की बात की है। ग्रेजुएट्स की सूचना तो मेरे पास है। 72 में से जो 12 ग्रेजुएट्स थे उनको तो दे दिया गया। 17 ग्रेजुएट्स टोटल थे 5 बाकी हैं जिनको और आगे मिल जायगा।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : ग्रेजुएट्स ही क्यों, सारों को देते।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न ग्रेजुएट का पूछा है।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : बैंकों ने इस तरह की मोनोपोली बना रखी है, प्रधानमन्त्री राजीव गांधी का जो प्रोग्राम है उसको फेल करने के अन्दर बैंकों ने जो भूमिका अदा की है उसका मुकाबला नहीं है। बेरोजगार लोग 12-12 महीने तक चक्कर काटते हैं, उनको ऋण देते नहीं। क्या इनका टार्गेट है, क्या इनका प्रोग्राम है? लोग घूमते फिरते हैं। जो पैसा दे देते हैं उनको तो 25 हजार मिलता है, जो पैसा नहीं देते हैं उनको 5-6 हजार देकर राजी कर लेते हैं। इस तरह की अव्यवस्था गांवों में फैली हुई है। इसमें जहां पार्टी की या सरकार की इमेज बननी चाहिये वह नहीं बन रही है। बैंकों ने अपनी मोनोपोली कर रखी है। इससे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों को ज्यादा परेशानी हुई है।

**श्री अध्यक्ष** : सी. पी. जोशी।

**श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मेन मुद्दा यह है, जितने आदमियों को लोन देना है जैसे 72 को देना है तो 114 का सलेक्शन क्यों किया? बैंक का आदमी 114 में से 72 को लोन देने में बेइमानी करता है। जब आपको 72 को ही लोन देना था 114 को लोन की सैंक्शन क्यों दी? इसलिये मन्त्री महोदय यह बतायें, क्या भविष्य में जितने आदमियों को लोन देना है उतने आदमियों की सैंक्शन देंगे?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। बैठें। प्रश्नकर्ता।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : मेरा निवेदन यह है, जो भी बेरोजगार नवयुवक है, अपना रोजगार चलाने के लिये फार्म भरता है। उसके आधार पर वह यह सोचता है कि मुझे मेरे जीवन-यापन का साधन मिलेगा। मेरा निवेदन, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि बेरोजगारों की स्थिति हमारे सामने आने के बावजूद उस लिस्ट में बेरोजगार की छंटनी करने का क्या क्राइटेरिया है? उनको छंटनी करके छोड़ दिया जाता है तो क्यों छोड़ा जाता है? क्यों न उस सारी लिस्ट को मन्जूर किया जाता है? 20 सूत्री प्रोग्राम के अन्दर

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

तत्कालीन प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह घोषणा की थी कि हिन्दुस्तान के जितने बेरोजगार युवक हैं उनको किसी न किसी प्रकार....

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न पूछ लीजिये आप।

(व्यवधान)

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आप टाइम क्यों खराब कर रहे हैं।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : रोजगार देंगे या उसको ऋण देंगे बैंकों से ? उसके अन्दर इस प्रकार का क्राइटेरिया क्यों घोषित किया गया है ?

**श्री अध्यक्ष** : आप भाषण दे रहे हैं। बैठें, प्रश्न पूछ लिया आपने। आर्डर प्लीज।

**श्री भूदरमल वर्मा** (दौसा) : माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं, स्वरोजगार की स्कीम के तहत जो ऋण वितरित हुआ है इसमें अनियमितता की हद है....

**श्री अध्यक्ष** : इन्हू के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो करें।

**श्री भूदरमल वर्मा** : जैसा आपने बताया, प्रोजेक्ट है। जो वास्तव में बेरोजगार है वह प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनका प्रोजेक्ट तब पूरा होगा जब उनके पास पैसा आयेगा। पैसे के लिये इतनी कड़ियां बीच में लगा दी है, एक स्टेप पर जाकर वह ब्लाक हो जाता है। जो लोग इसमें मैनुपुलेशन करना चाहते हैं, मोस्टली व्यापारियों के लड़के, वह यह करते हैं कि उनके पास ग्रालरेडी प्लान तैयार रहता है उस प्लान को प्रोजेक्ट के रूप में बदल कर पूरा पैसा उठा लेते हैं। तो 90 प्रतिशत वह लोग लाभान्वित होते हैं। इसके लिये सरकार क्या कारगार कदम उठायेगी ? भविष्य में इसको किस तरह से रोका जायगा ? बैंक वाले और जो इस प्रकार से मैनुपुलेशन करने वाले हैं उनको रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों को मिसकंसेप्शन है, यह स्कीम उन्हीं बेरोगारों के लिए हैं जिनके पास न तो कोई वैल्युएबल असेट न है, इनहेरिटेड साधन है और न और कोई साधन है। जो गाइड लाइन दी गई है उसके अनुसार जब एप्लीकेंट एप्लाई करते हैं तो उनको कुछ फार्मेलिटीज कम्पलीट करनी पड़ती हैं जिसमें उनके पास कोई और साधन हो तो वह ऑटोमेटिकली रूल आउट हो जाते हैं। तो ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसको उन मापदण्डों को ध्यान में रखना पड़ता है।

माननीय रामसिंहजी का प्रश्न था इसमें अनियमितताओं के बारे में। इसकी मेरे पास शिकायत आये तो मैं इन्क्वायरी करवा दूंगा लेकिन जो डिस्ट्रिब्यूशन है पर ईयर सरटेन, जैसे 15 हजार प्रपोज्ड फिगर है ओवर हो जाता है तो जो उसमें लाभान्वित हो जाते हैं उसके बाद बाकी जो रह जाते है वे अगले साल में प्रायोरिटी के बेसिस पर ले लिये जाते हैं। इसमें लिमिटेड कोटा है।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

सन् 83 में यह स्कीम शुरू हुई थी, गवर्नमेंट ग्राफ इण्डिया से टोटली फण्डेड है और करीब ढाई तीन लाख बेरोजगारों को इससे लाभान्वित करने का टार्गेट है ।

**श्री सी.पी. जोशी** : जब ग्रमाउन्ट फिक्स है, जितने ग्रादमियों को फिक्स ग्रमाउन्ट डिस्ट्रिब्यूट करना है उससे ज्यादा को ग्राप सलेक्ट कर लेते हैं और वे जब बैंक मैनेजर के पास जाते हैं तो बैंक मैनेजर उनस पैसे खाए बगैर लोन स्वीकृत नहीं करते, यह सबसे बड़ी कमी है । जैसे 114 में से 72 का सलेक्शन करना है तो 72 की चोइस में बैंक मैनेजर डिस्क्रिशन यूज करते हैं।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : ग्रध्यक्ष महोदय, कभी कभी ऐसा होता है, जो एक्सपेरीयेन्स हुग्रा है सपोज 100 जनों को सलेक्ट कर लिया और उनको कह दिया कि बैंक के पास चले जाइए तो उन 100 में से टास्क फोर्स और बैंक के बीच में कुछ फार्मेलिटीज होती हैं जैसे बिजली के कनेक्शन का है ग्रौर प्लस जो सब्सिडाइज ग्रमाउंट है, कुछ उसमें से बाहर हो जाते हैं । 100 स्वीकृत करते हैं, 100 का टार्गेट है तो उसमे 10-15 का गैप रखा जाता है तब जाकर कम्पलीट होंगे । उसमें भी बैंक वाले प्रायोरिटी तय कर लेते हैं ऐसी कोई बात ग्रापके सामने ग्राई हो तो मुझे बता दीजिये ।

**श्री सी. पी. जोशी** : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हर जिले में बैंक मैनेजर ने दो ढाई हजार लिए बगैर किसी ग्रादमी को लोन स्वीकृत नहीं किया यह बात मंत्री महोदय की जानकारी में होगी । ग्राप थ्योरिटिकली कह रहे थे वह यह है लेकिन जो डिस्क्रिशन करने का है बैंक मैनेजर को, इसमें ग्रगर फार्मेलिटी नहीं है, उस ग्रादमी को इतना हार्स करेंगे जो ग्रप्रोज कर लेता है उसका होता है ग्रौर जो नहीं करता उसका नहीं होता । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं उदयपुर जिले में पर्टीकूलरली जितने भी ट्राइबल हैं उन्होंने एप्लाई किया उनमें से एक भी ट्राइबल को सैंक्शन नहीं दी है ।

(व्यवधान)

**श्री ग्रध्यक्ष** : ग्राप यह मंत्री महोदय को बता देना ।

**श्री हरिकुमार ग्रौदिच्य** (रामगंजमण्डी) : ग्रध्यक्ष महोदय, यह समस्या जनरल है । मेरा निवेदन करना है कि राज्य सरकार का केवल मात्र बैंक को लिस्ट देना ही पर्याप्त नहीं है, जो लिस्ट भेजी उनको लोन मिला या नहीं इसको भी देखना चाहिए ।

**श्री मानिकचन्द सुराना** (लूणकरणसर) : ग्रध्यक्ष महोदय, जितने लोगों को ऋण देते हैं उसमें जो सूची बच गई, क्या मंत्री महोदय इस बात की व्यवस्था करेंगे कि ग्रगले साल में ऋण उन्हीं लोगों को प्राथमिकता से दिया जाय ? क्या इसकी भी टैस्ट चैक के ग्राधार पर 5-6 जिलों की लिस्ट मंगा कर देखेंगे कि उनको ऋण दिया या नहीं ?

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : यह तो मैंने पहले ही कह दिया ।

(व्यवधान)

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : मेरा एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बैठें, अगला प्रश्न श्री दाऊदयाल जोशी।

(व्यवधान)

दूसरा प्रश्न पुकार लिया। माननीय सदस्य, श्री दाऊदयाल जी पूछते क्यों नहीं।

## कोटा स्थित उद्योगों से बिक्री कर वसूली हेतु मुकदमे

271. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) एव **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा स्थित किन किन उद्योगों पर कितना कितना बिक्री कर कब कब से बकाया चल रहा है तथा उसे वसूल न करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या उन उद्योगों के विरुद्ध कोई मुकदमें आदि की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किन किन पर ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

(3) क्या कुछ उद्योगों ने बिक्री कर वसूली के विरुद्ध मुकदमें किए हुऐ हैं ? यदि हां, तो किन किन ने कहां कहां, कितनी कितनी राशि के, तथा उन मुकदमों में विभाग की तरफ से कौन कौन व्यक्ति पैरवी कर रहे हैं ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

**राजस्व मंत्री** (श्रीमती कमला) : (1) कोटा स्थित उद्योगों में बिक्री कर की बकाया एवं उसके कारणों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची एवं विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

**श्री रामसिंह विश्नोई** : सूची तो पढ़ने की थी, यह रखने की थी ही नहीं साहब।

**श्रीमती कमला** : इतनी लम्बी सूची है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बड़ी सूची है, इसको पढ़ना मुश्किल है यहां पर।

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, हाउस को टोटल तो बता दें।

(व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** : टोटल राशि तो बता देनी चाहिए। जो बकाया है वह तो बतावें, कुल कितनी राशि बकाया है ?

**श्री अध्यक्ष** : कुल 52 नेम्स हैं वे कब खतम होंगे पढ़ेंगे तो।

(व्यवधान)

**श्रीमती कमला** : कुल बकाया 2.65 करोड़ है इसमें जे. के. सिन्थेटिक्स कोटा, 2.36 करोड़, डी. सी. एम. 12 लाख, कोटा वाक्स 2 83 लाख है। बाकी छुटपुट है।

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : यह जे.के. की बकाया राशि कब से चली आ रही है ?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : मंत्री महोदय, आपने हमें जो लिस्ट दी है उसमें डी.सी.एम. का कहीं भी नाम नहीं है। लास्ट ही लास्ट में जब डिपार्टमेंट को ध्यान आया तो बता रहे हैं 12 लाख। इसमें जानकारी दी है 11.19 लाख। मैंने प्रश्न में पूछा कि डी.सी.एम. पर कब से बकाया है ? इस सूची में कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया कि डी.सी.एम. पर कब से बकाया है।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि 80 से 85 तक जो जे.के. पर बकाया चल रही है उसका हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें 80 से अब तक क्या कार्यवाही हुई ? दूसरा, 78 से लेकर 81 तक कोटा इण्डो इन्जीनियरिंग लि. पर मुकदमा चला था 88532/- का रेवेन्यू बोर्ड में, 81 के बाद उस पर क्या कार्यवाही हुई, यह भी बताने की कृपा करें ?

तीसरा मेरा प्रश्न है कि आपने यह सूची जो पेश की है इसमें फर्म बन्द हो गई और कार्यवाही चल रही है और कई जगह लिखा है कि लापता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि फर्म बन्द हो जाने के बाद क्या कार्यवाही चल रही है और जब लापता है तो उनका पता कैसे लगायेंगे ? किसी ने उनकी गारण्टी दी होगी कहीं न कहीं एग्रीमेंट हुआ होगा। उसकी वसूली क्यों नहीं की गई ?

चौथा, कुर्की वारण्ट आपने जो जारी किये, 33,497/- के दो कुर्की वारण्ट जारी किये गये बाकी सारे लोगों पर जारी नहीं हुए इसका क्या कारण है ?

मेरा पांचवा प्रश्न है कि यह जो प्रश्न है इसके भाग (2) में उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की उन्होंने जब हम पर कार्यवाही की प्रत्येक उद्योग ने, तो हमने उनके खिलाफ अपनी रकम वसूल करने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की ? इसका आपने जवाब दिया है, जी हां, हमने कोई कार्यवाही नहीं की। तो इसका क्या कारण है ?

**श्रीमती कमला** : आपने पूछा कि आपने कितने मुकदमें किये उसका जिक्र है, यह थोडे ही लिखा है कि हमने कार्यवाही नहीं की।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : हां, मुकदमे क्यों नहीं किये ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री हीरालाल आर्य, प्रश्नकर्ता वह भी है, पूछलें आप भी।

**श्री हीरालाल आर्य** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, जब एक फैक्ट्री पर करोड़ों रुपये सरकार के बकाया है तो सरकार न वसूली करने के लिए उसके विरुद्ध क्या किया ? वह तो जाते हैं और स्थगन आदेश लेकर आ जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि करोड़ों रुपये जो सरकार के बकाया हैं क्या सख्ती से उनको वसूल करने की कार्यवाही करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय।

**श्रीमती कमला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यह सूची में कारण उल्लेखित है, इसमें ज्यादातर स्थगन आदेशों के कारण रूके हुए हैं या फिर हमने कार्यवाही वसूली की जारी कर रखी है या कुर्की कर रखी है, ज्यादातर इसी तरह के मामले हैं जहां तक जे. के. सिन्थैटिक्स का सवाल है जिनके यहां पर ज्यादा से ज्यादा बकाया है उसके बारे में राज्य सरकार की तरफ से बार बार कार्यवाही की गयी है लेकिन उस कार्यवाही के विपरीत बार बार वे कोर्ट में चले जाते हैं। फिर हम दूसरे प्रावधान के तहत उनके ऊपर बकाया निकालते हैं और उसके ऊपर वे स्टे लाते हैं। इनका जो मोटा काम है फेब्रिक्स का है या नहीं या कार्मशियल कमोडिटी है इसके बाबत ये बराबर इतने अर्से से कोर्ट में बहस चल रही है, सुप्रिम कोर्ट ने इनके हक में फैसला दे दिया कि नहीं वे तो फेब्रिक्स हैं इसलिए आप इतना टैक्स कायम नहीं कर सकते है। उसके बाद गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने उसके ऊपर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगायी उसको हमने असेस करके उनके खिलाफ जारी किया। गवर्नमेंट आफ राजस्थान ने उसका एग्जेम्प्ट किया, टैक्स के ऊपर कायम किया। गवर्नमेन्ट की तरफ से जिस रेवेन्यू से भी हो जिस धारा से भी हो, हम अपना बिक्री कर वसूल करने की कार्यवाही बराबर कर रहे है। उसके विपरीत वे भी अपना कोर्ट केस करते हैं इसलिए यह बराबर मामला चल रहा है।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हू....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) समय समय पर यह संस्थान राज्य सरकार से विभिन्न प्रकार के सहयोग की मांग करती रही है. जैसे बिजली की मात्रा बढ़ाना, रा-मैट्रीरियल की मात्रा बढ़ाना। माननीय मत्री महोदया से पूछना चाहता हू कि राज्य सरकार नयी सुविधाए देने के बाद संस्थान को बिक्री कर चुकाने के लिए बाध्य करती है या नहीं करती है, जैसे कई जगह प्रावधान है ?

**श्री मानिक चन्द सुराना** : माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 करोड़ 36 लाख की जे. के. सिन्थैटिक्स अकेले में है। मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हू कि इस संबध में हाई कोर्ट से स्थगन आदेश किस तारीख को हुए ? क्यों कि 80-81 को हुए बताते हैं, उस स्थगन आदेश के बाद पिछले चार सालों में आपने हाई कोर्ट में उस स्थगन आदेश को निरस्त करवाने के लिये और रिट की मेरिट्स हियरिंग करने के लिए कब कब दरख्वास्तें दीं, इसकी जानकारी बता दें ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सूची दी है, कल मैंने एक प्रश्न पूछा था अतारांकित उसका जवाब आया था कि राजस्थान में 66 करोड़ रुपये ऐसे बड़े-बड़े उद्योगों पर बकाया है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह स्थगन आदेश दिये हैं यह बिक्री कर फर्म के नहीं लगे हुए हैं, बिक्री कर तो जब इन्होंने माल दिया उस समय लिया। बिक्री कर प्राप्त

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर लिया तो यह स्थगन आदेश लिया कि हमने जो माल पर्चेज किया है उनसे वसूल नहीं किया। बिक्री कर से वे स्थगन आदेश चाहते हैं उस कारण से स्थगन आदेश लिया या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदया।

**श्रीमती कमला** : आदेश जिस कारण से दिये वह तो मैंने अभी बताये हैं। किन किन तारीखों में स्टे आर्डर दिये गये हैं उनका विवरण इस प्रकार है....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : कारण क्या दिये इसमें ?

**श्रीमती कमला** : आप सुनिये। जो 7 लाख 5 हजार 38 रुपये हैं उस पर स्टे आर्डर दिया गया है 8-12-1981 को, 20 लाख 13 हजार 875 रुपये का जो केस था उसमें स्टे आर्डर दिया गया 8-12-1981 को, फिर उसके बाद 257525 के पेटे स्टे आर्डर 30-9-82 को, फिर उसके बाद 2617000 का था स्टे आर्डर दिया 30-4-82 को, फिर उसके बाद 816000 का दिया 21-3-85 को, उसके बाद 134000 के पेटे दिया 8-12-81 को, 117699 का दिया 27-7-82 को, 1214123 का दिया 26-5-82 को, 127890 का दिया 8-1-85 को। इस तरह ये स्थगन आदेश जारी किये गये।

जहां तक माननीय सदस्यों ने यह पूछा कि जब आप उनको कुछ नयी फेसिलिटी अलाट करते हैं, चाहे रा-मेटीरियल हो, चाहे अन्य सुविधा हो उस वक्त इनके बिक्री कर का ध्यान रखते हैं या नहीं। उस वक्त आपने क्या कार्यवाही की। मेरे पास इस वक्त यह विवरण उपलब्ध नहीं है। जब इनको हमने सुविधाएं अलाट की उस वक्त उनके बारे में क्या किया, क्या रोका गया, नहीं रोका गया, क्या उनसे जवाब तलब किया, क्या मांग की, इसका विवरण मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : मेरा आरोप है इस जे. के. सिन्थेटिक्स में....

**श्री देवीसिंह भाटी** : स्टे वेकेट कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या प्रयास किये हैं इसका स्पष्ट जवाब आया नहीं है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : राजस्थान सरकार जिस जिस फेक्ट्रिस को बिजली बढ़ाती है या नयी जगहों पर बिजली देती है जब तक पुराना पेमेन्ट नहीं होता है तब तक नहीं देती है, उसको किसी भी कीमत पर। मैं 50 केस कोट कर सकता हूं। इस जे.के. को चार बार बिजली की मात्रा बढ़ायी। मैं आरोप लगाना चाहता हूं, जे. के. को मजबूर नहीं किया गया अन्यथा बिक्री कर दे देता, बिजली लेता। यह आरोप लगाना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : अध्यक्ष महोदय मेरा सप्लीमेंट्री था स्टे आर्डर वेकेट करवाने के लिये....

**श्री हीरालाल आर्य** : जो स्टे आर्डर लिया गया है, मैंने प्रश्न पूछा था कि राज्य सरकार द्वारा स्टे आर्डर को वैकेट करवाने के लिये कब-कब, क्या क्या कार्यवाही की गयी है। यह जवाब नहीं आया। मैं यह चाहता हूं जवाब दिलायें।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। श्री रामसिंह विश्नोई।

**श्री देवीसिंह भाटी** : मैं यह पूछना चाहता हूं, मेरा यही प्रश्न था कि राज्य सरकार द्वारा स्टे वैकेट करवाने लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

**श्री अध्यक्ष** : मैंने रामसिंह जी को पुकारा है, आपका प्रश्न सुन लिया है मैंने।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े उद्योगों में दो करोड़ से ज्यादा पैसे बकाया हैं। एक तरफ राज्य सरकार ने किसानों के ऊपर बिजली और पानी का करोड़ों रुपयों का टैक्स लगा दिया, दूसरी तरफ करोड़ों रुपया इन बड़े बड़े उद्योगों पर बकाया है। जो गवर्नमेंट के वकील हैं वे पैरवी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है क्या ? जो गवर्नमेंट की ओर से पैरवी कर रहे हैं, स्टे आर्डर होने के बावजूद उन्होंने 4-4 साल में स्टे आर्डर वैकेट करवाने के क्या क्या प्रयत्न किये हैं ? उन वकीलों को हटाने के लिये आपने क्या प्रयत्न किये ?

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ) : मैं अध्यक्ष महोदय, छोटी सी बात कह रहा हूं। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि इस सारी बात को सुनने से यह लगता है कि जैसे सरकार दयनीय स्थिति में हो। तो, मैं, सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : मैं मंत्री जी यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकारी अफसरों की और वकीलों की मिली भगत है या फिर सरकार उसकी अनदेखी कर रही है। यह कब तक अनदेखा किया जायेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय। आर्डर प्लीज, आर्डर माननीय सदस्य।

**श्रीमती कमला** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि जे. के. सिन्थेटिक्स के प्रति सरकार बहुत लिनियेन्ट व्यू रख रही है इसलिए उनको जहां कहीं से भी पाबंद करके रॉ मैटिरियल न दे और फेसिलिटिज नहीं दे। सभी तरह से तकाजा करके उनकी वसूली की कोशिश की जानी चाहिए वह नहीं की गयी। मैं इस मामले में यह नहीं कहना चाहती हूं कि इसमें सब कुछ कार्यवाही की गई है, ऐसी ढील इसमें बरती गई हो ऐसी स्थिति भी हो सकती है लेकिन इस मामले में जो मैंने विवरण शुरू में दिया, मुद्दा इस मामले में यह चल रहा था कि ये जो वर्क्स हैं इनको फेब्रिक्स में माना जाये या कामार्शियल कामोडिटीज में माना जाये। यह केस हाई कोर्ट तक चला गया इसलिए इस केस को निर्णित होने में इतना समय लगा। निर्णित

(श्रीमती कमला)

होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने हमको सहूलियत दी उसके मुताबिक हाई कोर्ट के उस फैसले के बावजूद हमने अपनी बकाया निकाली और बकाया निकालने के बाद हमने वसूली का तकाजा किया। लेकिन उन्होंने वापस स्टे आर्डर ले लिया।

गवर्नमेन्ट मुकदमों का जहां तक मामला है स्टे पर इस बात के लिए प्रयत्न में है जहां कि हमारे पर केस बनते हैं हम उसको वैकेट करायें। किस किस केस में किस किस पाइंट में कहां कहां कोर्ट्स में किस तरह स्टे मिला और उसको वैकेट करवाने के लिए किस किस अलग अलग मामले में कितनी कितनी पैरवी की गयी, उसका नतीजा क्या हुआ वह अभी मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। इस अकेले जे. के. के खिलाफ जितने बकाया है और जितने भी आइटम्स हैं, कम से कम 10–15 हैं उनके हर केस के लिए इस वक्त न तो डिटेल मालूम है कि किस किस केस में क्या क्या किया गया, अकेले इस केस के लिए पूछा नहीं कि इस केस के बारे में कब कब क्या क्या वैकेट करवाने के लिए कार्यवाही की गयी, अगर पूछते तो फिर मैं डिटेल दे सकती थी लेकिन मेरे पास अभी इनकी डिटेल नहीं है। मैंने भी विभाग से जो माननीय सदस्य मांग रहे हैं यही डिटेल मांगी थी। उन्होंने यह कहा कि हर एक केस में अलग अलग मुददे पर अलग अलग कारणों से स्टे आर्डर लगा हुआ है। वह मेरे पास अभी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है। अगर कोई जानकारी लेनी हो तो आप स्पेसिफिक पूछ लीजिये। इसमें स्पेसिफिक प्रश्न नहीं किया है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : 74 में स्टे लिया था और आज 11 साल हो गये उसको वैकेट क्यों नहीं कराया गया। मेरा स्पष्ट आरोप है कि डी. सी. एम. पर 12 लाख बकाया है और जे. के. पर 2 करोड़ रुपया बकाया है, इस चुनाव में डी. सी एम. ने 2 लाख रुपये का चन्दा दिया और जे. के. वालों ने पैट्रोल के लिए 2 लाख 40 हजार रुपये दिये इसलिए यह बकाया नहीं वसूल की जा रही है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। नैक्स्ट। आर्डर प्लीज।

**श्री रामकिशन वर्मा** : वहां से मैं चुनाव लड़ता हूं इसलिए मुझे कोई चन्दा नहीं दिया गया। भाजपा के कन्डीडेट वहां से लड़े थे उनको उन्होंने खर्चा दिया है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : मैं निवेदन करूं मंत्री महोदय ने यह बताया कि सरकार की पैरवी करने लिए जहां एडवोकेट जनरल गये हैं वहां पर जे. के. की तरफ से उनका छोटा भाई पैरवी कर रहा था। क्या राज्य सरकार इस बात की जांच करेगी कि इस स्टे को लगातार कन्टीन्यू करने में दोनों की मिली भगत थी?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार अब जिनमें इतना रुपया रिकवरी का बाकी है

(व्यवधान)

(श्री मानिक चन्द सुराना):

इन सब को क्लब करके अर्लिएस्ट हियरिंग हाई कोर्ट में करने की कार्यवाही करेगी और नजदीक से नजदीक तारीख में इन पर बहस करवायेगी ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। बैठें आप।

**श्री भैरूलाल भारद्वाज** : ये विपक्ष वाले इसी तरह से विधान सभा का उपयोग करके लाखों का चन्दा लेते हैं।

(व्यवधान)

इसका पता लगायें।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। बैठें आप।

**श्री भैरूलाल भारद्वाज** : इस तरह के गम्भीर मामलों को केवल चन्दे के नाम पर अगम्भीर बनाया जा रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य आप बैठें।

**श्री भैरूलाल भारद्वाज** : ताकि हरिजनों पर दबाव डालकर ये लोग चन्दा ले सकें। इन पर कार्यवाही होनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : 45 हजार लीटर पैट्रोल लिया है और जे. के. वालों से 2 लाख रुपये लिये हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज।

**श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : 1978-79 और 80 में भा. ज. पा. के लोगों ने जे. के. से चन्दा लिया है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : उन लोगों के चन्दा देने पर मना करने पर यह मामला उठाया है।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। मंत्री महोदया को जबाब देने दें। मंत्री महोदया।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) : अपनी सारी असफलताओं को हमारे ऊपर मढ रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठें। नीचे बैठें आप।

(व्यवधान)

**श्रीमती कमला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि आज मेरे पास चाहे विवरण पूर्ण नहीं हों लेकिन मैं इस सारे मुद्दे को एक एक चीज के बाबत में देख कर के कोई कानून और प्रशासनिक कमियां रही हैं और जिस प्रकार भी इसको....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज, बैठें आप। कोई बाकी नहीं रहा। बैठें आप।

**श्रीमती कमला** : आप सुनना नहीं चाहते हैं। जवाब नहीं ले पायें, आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है। मेरा फर्ज है कि आप नहीं पूछते हैं तो भी मुझे बाबत कार्यवाही करने पर जोर देना है। जहां जहां ढिलाई बरती गई उसको ठीक करना है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : × × ×

**श्री नाथूसिंह** : × × ×

**श्री हरीश शर्मा** : × × ×

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

**श्री नाथूसिंह** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज। आप आसन की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं इसलिए। कृपया बैठें।

(व्यवधान)

आप बैठें, माननीय सदस्य आॅर्डर प्लीज। इस प्रश्न का कोई ताल्लुक नहीं है।

नैक्स्ट क्वेशचन। श्री मांगीलाल मेघवाल

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। बैठें माननीय सदस्य। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

**श्री हरीश शर्मा** : यह बहुत बड़ा सवाल है।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप क्या चाहते हैं? सब जवाब दे दिया। इन्क्वायरी की बात कर ली। जांच करने की बात कर ली। आगे केसेज के ट्रायल की बात कर ली। परश्यू करने की बात कर ली। तो क्या रह गया?

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से पूरे फैक्ट्स नहीं आये हैं इसलिए इसको स्थगित कर दें।

**श्री अध्यक्ष** : मैं स्थगित नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। कृपया माननीय सदस्य बैठें।

(व्यवधान)

**श्री हरीश शर्मा** : बिजली के पैसे बाकी हैं, पानी के पैसे बाकी हैं, चुंगी के पैसे बाकी हैं। फिर उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है। लोगों को डण्ड मारकर मुर्गा बनाया जाता है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठें।

**श्री हीरालाल आर्य** : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार पूंजीपतियों को संरक्षण देती है।

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठें। पुष्पा जी।

**सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि कोर्ट के स्टे को वैकेट कराने की कार्यवाही सरकार इसलिए नहीं कर पायी क्योंकि सरकार जान बूझकर कोताही बरत रही है ? क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री के सुपुत्र कमलाकर एडवोकेट इसमें वकील बनाये गये हैं और जान बूझकर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है स्टे वैकेट करवाने के लिए ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्या, बैठें।

**सुश्री पुष्पा जैन** : क्या यह सही है कि डी. सी. एम. के केसेज के अन्दर बृजसुन्दर शर्मा के लड़के कमलाकर शर्मा को इसमें एडवोकेट बनाया गया था ?

**श्रीमती कमला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन जिन वकीलों को बनाया गया है उनकी लिस्ट सदन के पटल पर रखी गयी है। इनको किया गया है तो इनका नाम उसमें होगा।

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न। 272

**श्री मांगीलाल मेघवाल** : 272

**श्री जयकृष्ण तोसावाड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि किसी को भी वकील नियुक्त किया जा सकता है।

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, बृजसुन्दर शर्मा भूतपूर्व वित्त मंत्री का लड़का सुधाकर शर्मा जे. के. में सर्विस करता है....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

**श्री हीरालाल आर्य** : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि बृजसुन्दर जी का लड़का सुधाकर शर्मा जे. के. में सर्विस करता है इसलिए वसूली नहीं हो रही है ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया नीचे बैठें। आप बैठें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : 5 करोड़ रुपया जे. के. में बाकी है। पानी, बिजली, चुंगी बाकी हैं। सैल्स टैक्स के बाकी हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मांगीलाल मेघवाल। 272

### शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन

272. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (टोपलदा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दुकानें

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

बना कर देने की योजना थी ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष कितनी-कितनी तथा कहां-कहां दुकानें बनायी गयी थीं और कुल कितनी दुकानों का कहां-कहां निर्माण करा कर उन्हें किन-किन को आवंटित किया गया है ? कृपया वर्षवार सूची मय आवंटी के नाम, उसके पिता के नाम, जाति व पता सदन के पटल पर रखें।

**राज्य मन्त्री, समाज कल्याण** (श्री छोगाराम बकोलिया) : यह सही है कि निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्थानीय निकायों के माध्यम से दुकानें बनवाकर उपलब्ध कराने की योजना है।

वर्ष 83-84 की 3000 दुकानों के निर्माण की जिलेवार स्थिति का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-1) जिसके अनुसार 1261 दुकानों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 640 दुकानों में से 313 दुकानों का आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है। जिसकी सूची (परिशिष्ट 2) में दी गयी है। वर्ष 84-85 की 3000 दुकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ होना है।

निर्मित दुकानें जिन 313 चयनित व्यक्तियों को आवंटित की गयी हैं उनकी सूची मय नाम, पिता का नाम, जाति एवं पता के विवरण सहित परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

**श्री मांगीलाल मेघवाल :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब 1261 दुकानें बनकर तैयार हो चुकी हैं तो कौनसी ऐसा प्रशासनिक रूकावटें आ रही हैं कि 313 दूकानें ही आवंटित की गयी हैं ?

दूसरा, लाखेरी में जब दुकानें आवंटित नहीं की गयी हैं तो जो वहां पर दुकानें लग रही हैं वह क्या नाजायज रूप से लग रही हैं ? यदि कुल 46 दुकानें बन कर तैयार हैं तो मात्र 4 दुकानों का ही अलाटमेंट क्यों हुआ है ? यह तो 10 प्रतिशत भी नहीं है। इस तरह से जो सरकार ने पैसा खर्च किया है उसका ब्याज भी नहीं आ रहा है। क्या यह पैसे का दुरुपयोग नहीं है ?

**श्री हीरालाल आर्य :** मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि नगरीय क्षेत्र में 3000 दुकानें बनाने का लक्ष्य था उसमें से केवल इन्होंने 1261 दुकानें बनायीं और 640 निर्माणाधीन हैं। बाकी के बारे में मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं कहा। 1983-84 का यह है और 1984-85 के बारे में क्या है ? कौन व्यक्ति इसके लिये जिम्मेदार है ? क्या आपकी यही संवेदनशीलता है उन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के प्रति।

**श्री अध्यक्ष :** मन्त्री महोदय। मन्त्री महोदय को बोलने दीजिये।

**श्री छोगाराम बकोलिया :** माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बून्दी के चयनित व्यक्तियों का प्रश्न है हम 100 आदमियों का चयन कर चुके हैं बैंकों के ऋण नहीं देने के कारण से आवंटियों को दुकानें आवंटित नहीं की गयी है। दूसरा, लाभान्वितों की पात्रता के सत्यापन के लिये भी हमने वापस भिजवा रखा है। इस अलावा वहां जो जो लोकल बाडीज हैं, चेयरमैन आदि म्युनिसिपैलिटी के हैं उनके द्वारा इसका

(श्री छोगाराम बकोलिया)

आखिरी चयन किया जाता है। म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन आदि के द्वारा दुकानें उनको आवंटित नहीं हो पायी हैं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर मे जो उत्तर आया कि वहां म्युनिसिपैलिटी...

(व्यवधान)

आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसा मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया कि नगरपालिका या नगर परिषद् के प्रशासक या अध्यक्ष द्वारा ढिलाई बरती गयी है, मैं इसके बारे में पक्का आश्वासन चाहता हूं कि उनकी तरफ से जान-बूझकर ढिलाई की गयी है, यह सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है अगर वे दोषी है ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। आप जो कहना चाहते हैं....

**श्री देवीसिंह भाटी** : प्रश्न के अन्दर साफ पूछा गया है, आवंटी का नाम, पिता का नाम, पता, जाति सूची के अन्दर जान-बूझकर क्यों नहीं दिया गया ?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक-एक करके पूछ लें। मैं कहूंगा, मेरे ध्यान में है क्यों बार-बार खड़े हो रहे हैं ?

**श्री देवीसिंह भाटी** : इस प्रश्न के माध्यम से पूछा गया था कि आवंटी का नाम, पिता का नाम, पता, जाति क्या है। जान-बूझकर विभाग से नहीं दिया गया है क्योंकि पूरा पता लगने पर हम स्वयं जाकर जानकारी करते। सिर्फ नाम दिया गया जिससे हम तो जानकारी कर ही नहीं सकते। जो बीकानेर में 48 दुकानों का नाम दिया है उनके अन्दर सिर्फ 17 आवंटी हैं, पूरा पता रहता तो हम स्वयं जानकारी करते जाकर।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आप बैठें। आप पूछिये।

**श्री लक्ष्मीनारायण किसान**(फुलेरा): मेरा एक निवेदन है, एक क्वेश्चन है अनुसूचित जाति को जो दुकानें बनाकर देते हैं तो उन लोगों में से चयन करने का क्या मापदण्ड है और जो चयन किया जाता है वह किन अधिकारियों के द्वारा किया जाता है ? दूसरा, मेरा यह है कि कोई अधिकारी या कोई संस्था उनका चयन करती है तो क्या वह सार्वजनिक स्थल पर या आम जनता के बीच में चयन करती है ?

**श्री दामोदरदास आचार्य** : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि अध्यक्ष लोग नगरपालिकाओं के उस चयन में शामिल हैं। मेरा स्वय का अनुभव है कि कभी भी अध्यक्षों को चयन में शामिल नहीं किया गया है बल्कि यहां के मन्त्री, जो समाज कल्याण के हैं, ही ने सूची बनाकर यहां से भेजी और जिनको आवंटन किया गया था उनको नहीं दी गई। मन्त्री महोदय बतायें कि कहां के चेयरमैन को शामिल नहीं किया गया है और कहां के चेयरमैन शामिल हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती हमीदा बेगम। आर्डर प्लीज, कृपया बैठें। माननीय सदस्य, बैठें आप।

**श्रीमती हमीदा बेगम** (चूरू) : मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से दो क्वेश्चन पूछना चाह रही हूं कि चूरू शहरी क्षेत्र के अन्दर अनुसूचित जाति को आवंटित की गयी दुकानें अब भी नहीं दी गई हैं ? दूसरा, हरिजनों को दे दुकानें कितनी राशि पर आधे ब्याज के अन्दर और कितनी राशि पूरे ब्याज के साथ में रखने का प्रावधान दे करके आवंटित की गई हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री हीरालाल आर्य।

**श्री हीरालाल आर्य** : इसमें विलम्ब का क्या कारण है इसका जवाब दिलाइये। दूसरा, मेरा निवेदन है कि जो 313 दुकानें अलाट की गई हैं क्या उनके आवंटियों का अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निगम के पास है ? मेरी जानकारी में....

**श्री अध्यक्ष** : आप जानकारी मत दीजिये। श्री भंवरलाल शर्मा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या मन्त्री महोदय ये बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में आपने आवंटन के लिये कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो इनका पालन किया गया है या नहीं ?

**अध्यक्ष** : ये तो पूछ लिया गया है। श्री हरिमोहन।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (बून्दी) : यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार के पैसे से दुकानों का निर्माण करने के बाद उन गरीब लोगों का चयन करने के बाद यदि नगरपालिका उन चयनित व्यक्तियों को कब्जा नहीं दे तो क्या राज्य सरकार के पास इसका तरीका है कि वह नगरपालिका क्षेत्र में उनको कब्जा दिलवा देगी ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री विजय सिंह।

**श्री विजय सिंह** (रूपवास) : क्या ये दुकानें अनुसूचित जाति के लोगों के लिये ही हैं या जनरल लोगों के लिये भी हैं ? दूसरा क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दुकानों का कितना पर्सेंट दिया जाता है ? तीसरा क्वेश्चन है, दुकानों की कीमत कितनी होती है तथा अनुसूचित जाति के लोगों से कितनी कीमत ली जाती है ?

**श्री अध्यक्ष** : ये सब पूछे जा चुके हैं।

**श्री विजयसिंह** : चौथा क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए दुकानों जितने प्रतिशत में है उसकी पूर्ति होती है या नहीं होती है ? उदयपुर जिले में कितने लोगों को दुकानें मिल गयी हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री दिग्विजय सिंह।

**श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : जो लिस्ट नगरपालिका से भेजी गई और जो राज्य सरकार की सूची भेजी उन, दोनों में भिन्नता है। नगरपालिका ने जो भेजी है वह, राज्य सरकार ने जो सूची भेजी उससे अलग है और यहीं से उसका आवंटन कर दिया गया। यदि दोनों में भिन्नता है तो उसकी जांच करिये। जो राज्य सरकार ने भेजी है और जो नगरपालिका द्वारा चयनित करके भेजे गये हैं उनको चैक करें।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय। आप बैठें, बहुत हो गया।

**श्री छोगाराम बकोलिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक चयन' का प्रश्न है चयन डी. ग्रार. डी. ए. के द्वारा 6 हजार से कम इनकम जिनकी रहती है उनमें से करके लिस्ट बनाई जाती है । वहां पर म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जानकारी ले करके डी. ग्रार. डी. ए. के माध्यम से....

**एक माननीय सदस्य** : क्या जानकारी लेते हैं ?

**श्री छोगाराम बकोलिया** : जो क्राइटेरिया है 6 हजार से कम इनकम हाना, शिड्यूल्ड कास्ट का होना ग्रादि ग्रादि, देखकर उसके अनुसार लिस्ट बना करके भेजते हैं । लिस्ट में से यहां से स्वीकृति भेजी जाती है । जो कैंडिडेट सलेक्ट हो जाते हैं, म्यूनिसपैलिटी के अन्दर उनके नाम से दुकानें बनती हैं । दुकानें बनने से पहले उनकी सब्सिडी पी. डी. ग्रकाउंट में हमारे यहां जमा हो जाती है । लेकिन बैंकों के द्वारा जो ऋण प्रदान किये जाते हैं, कइयों की एप्लीकेशन तैयार नहीं हो पाती हैं, कइयों को ऋण समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, कई बार साइट सलेक्शन जो म्यूनिसिपैलिटी करती है उसके ग्रन्दर भी देरी हो जाती है उसके कारण से दुकानें बनने के ग्रन्दर टाइम लग जाता है । टेंडर इन्वाइट करने पर, सब फार्मेलिटीज पूरी करके दुकानें बनती हैं । दुकानें बनने के बाद में जब फाइनल बैंक द्वारा ऋण उसको उपलब्ध करा दिया जाता है तो उसका पैसा जमा होने के बाद जिस जिस केण्डीडेट के नाम से दुकानें होती हैं, जितनी दुकानें हैं उनमें से लाटरी सिस्टम से नम्बर एक, नम्बर दो जिसके नाम से दुकान आती है उसके नाम से एलाट कर दी जाती है । जहां तक हमारी चूरू से पधारने वाली माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है कि कितनी दुकानें पूर्ण हो चुकी हैं, वहां पर 33 दुकानें तो पूर्ण हो चुकी है और 10 ग्रभी तक पूर्ण होना बाकी है । जहां तक उनका प्रश्न है किन किन को ग्रलाट हुई है, इस प्रकार की जो उन्होंने बात पूछी है अगर माननीय सदस्य संख्या जानना चाहें तो जो हमने सलेक्शन किया है, लिस्ट से नाम बता देता हूं क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने तरीके से पूछा है, चूरू के अन्दर बजरंग लाल पुत्र श्री जोधाराम खटीक....

**श्री अध्यक्ष** : ग्रार्डर, मन्त्री महोदय, ग्राप संख्या दे दें ।

**श्रीमती हमीदा बेगम** : मैं देख लूंगी पर्सनली जा कर के लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं....

**श्री छोगाराम बकोलिया** : ग्रोम प्रकाश पुत्र श्री तुलसीराम रैगर....

**श्री अध्यक्ष** : मन्त्री महोदय इसमें समय न लें । यह तो ग्रन्दर बता दें और ग्रागे के सवालों का जवाब दे दें ।

(व्यवधान)

**श्री हीरालाल ग्रार्य** : ग्रध्यक्ष महोदय डी. ग्रार. डी. ए. और चेयरमैन के जो चयनित हैं उनके नाम....

(व्यवधान)

ग्रपने पक्ष के लोगों का नियमन किया है केवल डी. ग्रार. डी. ए. और चेयरमैन के मार्फत गये हैं यह नाम । हमारे मांगरोल में गरीब लोग तो बैठे रहे और दूसरे लोगों को ग्रलाट कर दी ।

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठिये, अभी जवाब दे रहे हैं मन्त्री महोदय।

**श्री हीरालाल आर्य** : अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट नहीं है, आय का सर्टिफिकेट नहीं है...

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, माननीय सदस्य अभी जवाब दे रहे हैं, आप बैठें।

**श्री छोगाराम बकोलिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से चूंकि अपोजीशन के माननीय सदस्य पधारे हैं उन्होंने अपनी लिस्ट मांगी है, अपनी ट्रेजरी बैन्चेज वालों को तो मैं कन्विन्स कर दूंगा लेकिन उनको लिस्ट बता देना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप लिस्ट उनको देना चाहें तो वह पढ़ लेंगे। आप दूसरे सवालों का जवाब दे दी दीजिए। आपने पूछा है, पिता का नाम और उनका दर्ज नहीं किया है।

**श्री छोगाराम बकोलिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं बता देता हूं। श्री चेतनदास पुत्र श्री मोडाराम मेघवाल। मोडाराम पुत्र श्री ...

**श्री देवीसिंह भाटी** : पता नहीं है इसके अन्दर, अध्यक्ष महोदय, हम कैसे ढूंढेंगे बीकानेर में कहां है? सैक्रेटेरियेट के द्वारा यह जो उत्तर भेजे गये हैं यह एक्सेप्ट कर लिया गया.......

**श्री मानिक चन्द सुराना** : मय पूरे पते के आप सूची भिजवा दें।

**श्री अध्यक्ष** : आप सदस्यों को भिजवा देना। पता सहित भिजवा देंगे सूची आपको।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार जान बूझकर किया जाता है। आपके सचिवालय से राज्य सरकार को लिखा जाता है यह तथ्य जान बूझकर छिपाये जाते हैं। अब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जान बूझकर तथ्य छिपाते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम आप से सुरक्षा चाहते हैं कि जो भी हम प्रश्न पूछें उनका सही उत्तर आना चाहिए।

**श्री हीरालाल आर्य** : अध्यक्ष महोदय, मैंने मांगारोल के बारे में पूछा। मन्त्री महोदय ने बताया है.......

**श्री अध्यक्ष** : आप सब साथ बोलते हैं।

**श्री हीरालाल आर्य** : अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, माननीय सदस्य कृपया बैठ जाये। आसन पैरों पर है।

**श्री हीरालाल आर्य** : मन्त्री महोदय ने अपने चहेते लोगों को लिया और वे लोग बेचारे इन्तजार करते रहते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठें। आर्डर प्लीज। आप लोगों ने इस प्रश्न पर सब तरह से चार्जेज लगा दिये हैं, सब तरह की बातें कह दीं। मन्त्री महोदय ने सब जवाब दे दिये। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने हिसाब पूछा नहीं है इसलिए हर एक की लिस्ट भिजवाऊंगा नहीं। जिस किसी माननीय सदस्य को डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट चाहिए मन्त्री महोदय से सम्पर्क कर लें, उनको वह लिस्ट मिल जायेगी। आर्डर प्लीज।

(श्री अध्यक्ष)

नैक्स्ट। श्री मोतीलाल मीणा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

मन्त्री महोदय आपको लिस्ट दे देंगे। आप बैठें, माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

माननीय श्री दाऊदयाल, कृपया बैठें। ऑर्डर प्लीज, कृपया बैठें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात है.......

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट। श्री मोतीलाल मीणा।

**श्री हीरालाल आर्य** : चार हजार दुकानें नहीं बनी हैं। इसका क्या कारण है? अनुसूचित जाति के प्रति कितने........

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मैं दूसरा प्रश्न पुकार रहा हूं।

**श्री हीरालाल आर्य** : कितनी संवेदनशील है जबकि एक हजार दुकानें.......

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बैठें। ऑर्डर प्लीज। माननीय श्री हीरालाल आर्य, कृपया बैठें।

**श्री डूंगरराम पंवार** (टीबी) : अनुसूचित जाति की सरकार को सूचना नहीं है...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री डूंगरराम।

**प्रश्न संख्या 273**

नैक्स्ट। श्री मोती लाल मीणा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

**प्रश्न संख्या 274**

**श्री दीनबन्धु वर्मा।**

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

**प्रश्न संख्या 275**

**श्री खंगार सिंह चौधरी।**

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

**प्रश्न संख्या 276**

**श्री परसादी लाल।**

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

**श्रीमती विद्या पाठक।**

## विद्युत करण्ट से मृत व्यक्तियों को राहत

277. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) **व श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारी गत पांच वर्षों में बिजली पर काम करते हुए किस-किस स्तर के कितने चिपक कर मर गये या अपंग हो गये? कृपया वर्षवार, जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ये दुर्घटनायें क्यों हुई? उनकी जांच व खोजबीन किस प्रकार की गयी? और क्या परिणाम सामने आये?

(श्री शोपत सिंह)

(3) सबसे अधिक दुर्घटनाएं कौन से इकाई क्षेत्र में हुई ? वहां के पर्यवेक्षण अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(4) उपर्युक्त सन्दर्भ में कृपया तहसील सांगानेर व चाकसू का विवरण अलग से सदन पटल पर रखें।

(5) इसी अवधि में बिजली का करण्ट लगने से अन्य कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? दोनों श्रेणी के व्यक्तियों को क्या राहत प्रदान की गयी ?

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** (ऊर्जा मंत्री) : (1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में पिछले 5 वर्षों में बिजली के करण्ट लगने से मृत्यु हुई या अपंग हुए कर्मचारी एवं अधिकारियों की सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) दुर्घटनायें होने के जो कारण जानकारी में आये हैं वे श्रमिक द्वारा सुरक्षा नियमों की अवहेलना करना, श्रमिक द्वारा लापरवाही से काम करना, श्रमिकों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का सही रूप से इस्तेमाल नहीं करना, सक्षम अधिकारियों की आज्ञा के बिना कार्य करना एवं कुछ केसेज में सुपरवाइजरी स्टाफ की असावधानी है। मण्डल में प्रचलित नियमों के आधार पर दुर्घटनाओं की जांच की गयी है। गम्भीर दुर्घटना में एक खण्ड में हुई दुर्घटना की जांच दूसरे खण्ड के अधिकारी से कराई जाती है।

(3) उपरोक्त वर्षों में सबसे अधिक दुर्घटनाएं पाली वृत में हुई। जांच के परिणामों से पाया गया कि अधिकांश दुर्घटनायें सुपरवाइजरी अधिकारी की गलती से नहीं हुई। कुछ केसेज में प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सुपरवाइजरी अधिकारियों को दोषी पाया गया उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।

(4) तहसील सांगानेर व चाकसू का विवरण अलग से सदन के पटल पर सूची "ब" में रख दिया गया है।

(5) मण्डल के कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के बिजली के करण्ट लगने से मृत्यु होने की सूचना उपलब्ध नहीं है। नियमों में इन्हें किसी प्रकार की राहत देने का कोई प्रावधान नहीं है। मण्डल के कर्मचारियों को दिये गये मुआवजे की राशि उपरोक्त सूची "अ" में दर्शायी गयी है। राज्य बीमा कर्मचारी योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी की क्षतिपूर्ति राज्य बीमा योजना के द्वारा की जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

**श्रीमती विद्या पाठक** : मन्त्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप मेहरबानी से नोट करलें जो प्रश्न मैं आप से पूछ रही हूं और एक-एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 16 प्रश्नों का एक साथ उत्तर देना है। पहला प्रश्न तो पांचवें के रेफरेन्स में मैं आप से यह पूछना चाहती हूं, आपने कहा कि अन्य जो व्यक्ति मरे उनकी सूचना आपके पास नहीं है। अन्य जो व्यक्ति मरे है वह आपके बिजली के तार टूटे होने से या आपके बिजली के तार ढीले होने से, लटके होने से या कि आपके यहां से जो गलत सर्टिफिकेट लाइनमैन और कान्ट्रेक्टर और आपके विभाग की साजिश से दे दिये जाते हैं उनकी वजह से मरे हैं इसलिए

(श्रीमती विद्या पाठक)

इन्डायरेक्ट जिम्मेदारी आपकी होती है। एक तो यह नोट करिये इसकी संख्या आपके पास क्यों नहीं है जबकि काजल फैक्टर आपका डिपार्टमेण्ट है।

दूसरी बात बड़ी सफाई से बड़ी लम्बी लिस्ट दी है पहले प्रश्न के कन्टेक्स्ट में कि जितने लोग मरे हैं उनकी सूचना दे दी गयी है, या कि जो अपंग हुए हैं विद्युत मण्डल में। मगर आपने इसका ग्रान्ड टोटल देने की कोशिश नहीं की क्योंकि बड़ी भारी संख्या है। माननीय मन्त्री महोदय, मैंने अभी नोट किया है, आप भी नोट करलें कि तीन सौ लोग 1981 मे 1985 तक मरे हैं या अपंग हुए हैं बिजली पर कार्य करते हुए आपके विद्युत विभाग या विद्युत बोर्ड के कर्मचारी। इसमें इन्डिपेन्डेंट लोग शामिल नहीं हैं और उनमें से 34 लोग बिलकुल अपंग हो गये। आपने यह सफाई तो बड़ी अच्छी करी है कि इसमें आपने ग्रान्ड टोटल दिया नहीं। दूसरा प्रश्न यह है, आप इसमें यह देखें कि इनमें से अधिकतर सिर्फ हैल्पर्स हैं जिनको कि लाइन पर काम करने का अधिकार नहीं है। वह सिर्फ लाइनमैन को जे ई एन. को हैल्प करने के लिये होते हैं। जितने मरे हैं उनमें से 98 पर्सेन्ट सिर्फ हैल्पर्स हैं। आप यह भी बतायें कि उन हैल्पर्स में से कितने डेलीवेजेज पर थे। ये हैल्पर्स ट्रेन्ड नहीं होते हैं इनको बिजली के खम्भों पर आपके ऑफीसर्स लोग चढ़ा देते हैं। इनमें से जितनों को आपने कम्पनसेशन दिया होगा फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत दिया होगा बाकी डेलीवेजेज पर थे उनका आपने क्या किया ? यह बतायें।

तीसरी बात यह है कि आपने यह नहीं बताया है इनमें से डेलीवेजेज वाले कितने हैं, परमानेन्ट कितने हैं ? फिर आप यह बताइये कि लाइनमैन ही क्यों मरे हैं, हैल्पर ही क्यों मरे हैं, उनको तो बिजली के खम्भों पर काम ही नहीं करना है।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : चेयरमैन क्यों नहीं मरा ?

**श्रीमती विद्या पाठक** : माननीय अध्यक्ष महोदय. दूसरे प्रश्न के कन्टेक्स्ट में पूछना चाहती हूं, आपने कहा कि एक सर्किल की जाच दूसरे सर्किल से करवाई जाती है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि यह जो एक सर्किल की जांच दूसरे सर्किल से करवाई जाती है आपका विभाग कोई इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी से क्यों नहीं रखता ? विभाग वाले एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की टेन्डेन्सी में होते हैं, हमेशा करते हैं इसलिये गलती आपको किसी कि नहीं बताई गई। जहां गलती होने का उत्तर दिया नम्बर 2 में यह दुर्घटनायें क्यों हुई ? मंत्री महोदय, इस प्रकार का उत्तर देने से पहले आपने कुछ सकोच तो किया होता। आपने उत्तर दिया कि श्रमिकों द्वारा नियमों की अवहेलना। अवहेलना तो आपका विभाग करता है जो हैल्पर को खम्भे पर चढ़ा देता है। दूसरी बात कही कि उनकी अपनी लापरवाही है। यानि मरने वाले की लापरवाही है। फिर आपने कहा कि सस्ते उपकरण। सस्ते उपकरण खरीदने के लिये आपको लाइनमैन या इंजीनियर तो नहीं कहते कि आप सस्ते उपकरण खरीदिये। आखिर किसी की जान का सवाल है। फिर आपने जवाब दिया कि अपनी साज-सभाल ठीक से नहीं रखते, सक्षम

(श्रीमती विद्या पाठक)

अधिकारियों की आज्ञा के बिना काम करते हैं। यानि सारी जिम्मेदारी तो मरने वालों की हो गई। पर लाइनमैन को भेजने की जिम्मेदारी, हैल्पर को भेजने की जिम्मेदारी या लाइनमैन और जे.ई.एन. के द्वारा काम नहीं करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये आदेश कौन अधिकारी देता है? फिर आपने कारणों में यह नहीं बताया है, अधिकांशतः जिन लोगों की मृत्यु हुई है, वह पुअर अर्थिंग की वजह मे हुई है, जो मरने वालों की जिम्मेदारी नहीं है। बिजली के खम्भों की अर्थिंग बहुत पुअर होती है, प्रापर टेप नहीं होता है। इसके अलावा हाई टेन्शन, लो टेन्शन की लाइनों के बीच इतनी कम जगह होती है, लोग मर जाते हैं उसकी वजह से। सिक्योरिटी के लिये इन्सुलेशन्स, टूल्स आप नहीं देते हैं और यदि देते हैं तो सब स्टेण्डर्ड देते हैं। आपके यहां जितने एपेरेट्स यूज होते हैं वह बहुत जल्दी गर्म होने वाले और बहुत जल्दी आग पकड़ने वाले होते हैं। फिर, सबसे बड़ा कारण यह भी है कि न आपके यहां से जूते दिये जाते हैं रबर के, न ग्लोव्ज दिये जाते हैं, यह जिम्मेदारी आपके विभाग की है। सबसे बड़ी बात आपके विभाग में बड़ी चोरी हो रही है, जितने भी आपके बिजली के इन्स्टालेशन्स हैं उनमें से कॉपर की चीजें सिस्टेमेटिकली गायब हो रही हैं, उनको एल्युमिनियम या दूसरी चीजों से सब्स्टीट्यूट किया जा रहा है और आप जिम्मेदारी मरने वालों की बता रहे हैं। यह अजब बात मरने वालों के साथ है। मरने वाले व्यक्तियों के साथ और जनता के साथ मसखरापन है माननीय मन्त्री महोदय, मेरे इतने प्रश्नों का आप उत्तर दें।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : प्रश्न के भाग 5 में जो सूचना आपने चाही है उसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि करन्ट से मरने वाले व्यक्तियों की सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मैंने स्पष्ट निवेदन किया है।

**श्रीमती विद्या पाठक** : पर होनी चाहिये ना? क्योंकि आपके तारों से चिपक कर मरे हैं, आपके तार ढीले और टूटे पड़े रहते हैं रास्ते में एक घोड़ा अभी कल ही मरा है। व्यक्तियों की संख्या तो आप रखते नहीं हैं।

(व्यवधान)

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : ऐसी सूचना किसी व्यक्ति द्वारा अवगत कराने पर ही रखी जा सकती है।

(व्यवधान)

**श्रीमती विद्या पाठक** : रोज अवगत करवाई जा रही है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : आपका डिपार्टमेन्ट क्यों नहीं करता?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो कह रहे हैं उसके सम्बन्ध में सप्लीमेन्ट करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि सूचना हो मेरे क्षेत्र में गत

(श्री नत्थीसिंह)

वर्ष दो व्यक्ति मरे हैं जिनके सम्बन्ध में नोटिस दिया गया, दफा 80 का विद्युत बोर्ड के चेयरमैन को। सरकार के सैक्रेटरी को दिया। मुकदमे चल रहे हैं अदालत में, इनकी पैरवी कर रहे हैं. विद्युत मण्डल की तरफ से। इत्तला कैसे नहीं है? जान-बूझकर मंत्रीजी को गलत सूचना दी गई है। गत वर्ष भरतपुर में दो व्यक्ति मरे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, एक है मोहरसिंह लोधा। इनको नोटिस मिले हैं और कह रहे हैं कि सूचना नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री नाथूसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, समुचित साधन उपलब्ध नहीं करवाये जाते, खम्भों पर चढ़ जाते हैं और चिपक कर मर जाते हैं....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

**श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, विद्युत विभाग के कर्मचारियों के अलावा हजारों पशु और आदमी हर साल लाइनिंग डिफेक्टिव होने की वजह से मर रहे हैं। खेतों में खम्भों से करन्ट आ जाता है। दुर्घटनायें रोकने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री देवीसिंह भाटी** : मंत्री महोदय, विभाग ने जो आपको जानकारी उपलब्ध कराई है, आपको बिलकुल गुमराह किया गया है। बीकानेर के अन्दर 4 लोग मरे हैं, एफ.आई.आर. लॉज की गई है....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, राजस्थान में ऐसा कई जगह हो सकता है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, दुर्घटनायें हुई हैं। मंत्री महोदय ने कहां कहा है कि नहीं हुई। आर्डर प्लीज।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि घटनायें तो हुई हैं। लेकिन सूची विभाग में नहीं रखी जाती। हमारे पास सूची उपलब्ध नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री शोपत सिंह** : आप रोकने की क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

**श्री अध्यक्ष** : आप सुन तो लीजिये, उनको बोलने तो दीजिये।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : आगे घटनायें नहीं हों उसके लिये सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिये....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप बोलने तो दीजिये। आर्डर प्लीज, आर्डर

(व्यवधान)

आप उन्हें बोलने तो दें।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : हमारे टैक्निकल स्टाफ को हम निर्देश दे रहे हैं

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

कि समय समय पर लाइनों की चैकिंग की जाय।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अभी तक नहीं है आपके आदेश ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । कृपया बैठें।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर और जूनियर इन्जीनियरर्स को कहा गया और कहा जा रहा है कि वह अपने अपने अधीन क्षेत्र की लाइनों का समय समय पर निरीक्षण करें। अगर उन्हें किसी प्रकार की फाल्ट नजर आये तो समय पर उनका सुधार करें। ठीक ढंग से काम करने के लिये, उसमें अधिक सुधार लाने की कार्यवाही हम कर रहे हैं जिससे कि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

**श्री दिग्विजय सिंह** : मुआवजा देने का प्रावधान है या नहीं? कर्मचारियों को नहीं पब्लिक वालों को ?

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : जहां तक मुआवजा देने का सवाल है.....

**श्री शोपत सिंह** : लोगों के पशु मरते हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : सभी शान्त रहेंगे तो जवाब आयेगा ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : वर्तमान नियमों के तहत अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि बिजली के करन्ट से मृत्यु हो जाने पर उनको मुआवजा दिया जाय। लेकिन यदि यह पाया जाता है कि बिजली विभाग की लापरवाही से किसी कर्मचारी की या मवेशी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामलों पर कार्यवाही जरूर की जाती है....

**श्री शोपत सिंह** : आपकी डिफेक्टिव लाइनिंग होने की वजह से किसान या दूसरे आदमी मर जाते हैं यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको मुआवजा दें।

(व्यवधान)

**श्री लक्ष्मीनारायण किसान** : जो व्यक्ति मरते हैं उनकी सूची आपके पास क्यों नहीं है ? मस्टर रोल पर रखे हुये व्यक्ति मरे हैं उनकी सूची क्यों नहीं हैं ? सूची आपके पास होनी चाहिये।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : बिजली बोर्ड के 90 पर्सेन्ट हैल्पर कर्मचारी मरे हैं क्या राज्य सरकार उनके मरने की सुपरवाइजरी ड्यूटी नहीं समझती है ? उनको किसी कीमत पर चढ़ने का अधिकार नहीं है, वह अपने आप कैसे चढ़ गये ? जो 90 पर्सेन्ट मरे हैं, उनकी सुपरवाइजरी ड्यूटी किसी पर नहीं, कहीं जिम्मेदारी नहीं मानी है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो हैल्पर मरे हैं जिनको ऊपर चढ़ने

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

का अधिकार नहीं है उसमें क्या सुपरवाइजरी ड्यूटी इन्वालव नहीं हो जाती ? उनके ऊपर एक्शन लिया गया ?

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : यदि सुपरवाइजर अधिकारी की देख-रेख में मृत्यु होती है, ऐसे वक्त पर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। उदाहरण के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि सहायक अभियन्ता, एम. एल. गुप्ता, सहायक अभियन्ता श्री जौहरी, अधिशासी अभियन्ता आर. के. दीक्षित, सहायक अभियन्ता आर. के. सिंघल के खिलाफ एक्शन लिया गया है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के दो पहलू हैं, एक तो जो विभाग में काम करने वाले लोग हैं, जो बिजली का काम करते हुए किसी एक्सीडेन्ट से मर जाते हैं और दूसरे वह हैं कि बिजली के तार टूटने से या कुछ ऐसी घटनायें होती हैं जिससे पब्लिक के लोग व पब्लिक के मवेशी मर जाते हैं। जहां तक विभाग के लोगों का प्रश्न है उसके लिए तो सरकार कुछ न कुछ उनके खिलाफ लापरवाही का एक्शन ले या कम्पेनसेट करे इन लोगों को नुकसान हुआ है जो। जहां तक पब्लिक का सवाल है, पुराने एश्योरेन्सेज में भी आया है, विभाग का जवाब आता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है हमारे कोई नियम नहीं है, इसको देखभाल के लिए। तीसरा यह है कि उनकी कोई सूची भी नहीं रखी जाती जबकि यह जानकारी अखबारों के मार्फत सब लोगों को हर किसी घटना की हो जाती है। तो यह केयरलेसनेस है कि उन लोगों की लिस्ट भी नहीं रखें। कि कितने आदमी मर गये और कितने जानवर मर गये। यह भी अन्दाज रखना बहुत जरूरी है। इसलिए सूची रखी जाय और यह नियमों में प्रावधान किया जाय कि कम से कम इस प्रकार के एक्सीडेन्ट होने पर उन लोगों को भी कुछ मुआवजा या कम्पेनसेशन देकर, लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति की जाय। इसको गम्भीरता से लिया जाय। इस मामले में जिनकी ड्यूटी नहीं है और इन कामों को करे और वह मर जाय, एक तो विभाग के लोग और दूसरे पब्लिक के लोगों को, जो आगे हुआ उसके बारे में तो आगे क्या सोचें यह अलग प्रश्न है, पर भविष्य में इन चीजों के बारे में नियमों में प्रावधान नहीं है तो पब्लिक को होने वाला नुकसान आंका जाना चाहिये लिस्ट रहनी चाहिये और उन मामलों की पूरी जानकारी करके उनके भी आंसू पोंछने के लिए उनकी मदद करनी चाहिये ऐसा नियमों में प्रावधान होना जरूरी है ऐसा मैं सोचता हूं और सदन की भी शायद यह राय होगी ऐसा मेरा ख्याल है।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : हजारों आदमी मरते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भंवरलाल शर्मा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि जितने श्रमिक मरे हैं वह अपनी गलती से मरे हैं और फिर कहा है कि कुछ सुपरवाइजरी, स्टाफ की नेग्लीजेन्स से मरे हैं। तो वह नेग्लीजेन्स किस प्रकार की रही वह कौन कौनसे कारण हैं जिस पर उनको ध्यान रखना चाहिये और ध्यान दिया जिससे यह घटनाएं हुई, सुपर-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

वाइजरी स्टाफ की नेग्लीजेन्स की वजह से ? यह बता दें।

(व्यवधान)

**श्री भैरूलाल भारद्वाज** : एक प्रश्न।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : ये किसान नेता हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। मुझे मालूम है कि कौन किसान नेता हैं। कृपया बैठें। जरूरी नहीं है कि भारद्वाजजी सप्लीमेण्ट्री पूछें ही पूछें हर प्रश्न पर।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : जहां तक निगम के कर्मचारियों के अलावा दूसरे व्यक्तियों का सवाल है इस प्रकार से मृत्यु होने या अपंग होने या मवेशियों के अपंग होने या मृत्यु होने के लिए मुआवजा देने का प्रश्न है, मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि बिजली विभाग की लापरवाही से या बिजली विभाग की गलती से यह घटना घटी तो उस पर विचार किया जाता है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : नियम नहीं है और अब वह कह रहे हैं कि विचार किया जाता है।

**श्री दिग्विजय सिंह** : प्रमाणित करने की बात तो नियमों में है।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : पशुओं की क्या गलती हो सकती है ? यह बता दीजिये। यह स्पष्ट है कि खम्भे में कहीं करन्ट आ रहा है।

(व्यवधान)

**श्री नत्थी सिंह** : आप विचार करेंगे कि नहीं ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज, बैठें कृपया।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : वर्तमान नियमों में अभी ऐसा कोई नियम नहीं है, आप सबका सुझाव है कि इस प्रकार नियमों में संशोधन की आवश्यकता है, इस पर मैं बिजली विभाग को निर्देश दूंगा कि वह विचार करे और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करे।

(व्यवधान)

**श्री नाथूराम मिर्धा** : और आगे का रिकार्ड रखें।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : नियम तो निगम ही बनायेगा, नियम सरकार नहीं नहीं बना सकती।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : डायरेक्शन देने की बात है, डायरेक्शन देंगे, कह दिया।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

**श्री शोपत सिंह** : Have a decision of the Government.

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : जहां तक सुपरवाइजरी नैग्लीन्स से जो लोग मरे उसके बारे में जांच की है और जांच का जो परिणाम सामने आया है। अगर ओवरसीयर, असिस्टेंट इन्जीनियर अपनी देखरेख में लाइन का काम करवा रहा था और लाइन बन्द नहीं हुई, लाइन चालू रही तो इसको सुपरवाइजरी नैग्लीजेन्स मानते हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ की जायगी और अगर गलती हुई है तो निश्चित रूप से मण्डल सजा देगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (नेता, प्रतिपक्ष) : क्या यह सही है कि इन एक्सीडेन्टल डेथ के बारे में आर. एस. ई. बी. द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई ? दूसरा प्रश्न, क्या यह सही है कि इन एक्सीडेन्टल डेथ के बारे में जो लेबर सेफ्टी के रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स के अन्तर्गत इस प्रकार की जांच होनी चाहिये, उन रूल्स के अन्तर्गत एक भी जांच नहीं हुई ?

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : यह यह अलग से सूचना है जो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। एक्सीडेन्ट की सूचना दी या नहीं दी, इसकी डिटेल्ड जानकारी मेरे पास नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री नाथूराम मिर्धा** : एक सवाल, माननीय अध्यक्षजी, क्या यह सदन अब यह मानकर चले कि आगे जो हुआ सो हुआ, अब आगे पब्लिक के साथ बिजली के तारों के करन्ट से जो घटनाक्रम घटेगा उसका रिकार्ड रखा जायगा, विभाग को जानकारी रहेगी और फिर नियमों में कुछ उनकी मदद करने का प्रावधान की बात जो मन्त्रीजी ने कही, वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बात करके कुछ ऐसा करेंगे ? दो एश्योरेंस क्लियरली मन्त्री महोदय सदन को देने को तैयार हैं ?

(व्यवधान)

**श्री मानिकचन्द सुराना** : माननीय मन्त्रीजी ने कहा....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मण्डल का सवाल है एक आटोनॉमस बॉडी है वह अपने नियम और कानून बनाता है। सरकार उसे एक्ट के तहत जिस तरह से डाइरेक्शन दे सकती है उसे डायरेक्शन देगी। मैंने पहले ही कहा है, नियमों में क्या संशोधन होना है क्या प्रावधान करना है इस पर विचार तो निगम ही कर सकता है।

(व्यवधान)

**श्रीमती विद्या पाठक** : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा है।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री नत्थी सिंह** : माननीय मन्त्री महोदय, जनता को राहत देने वाली बात है। मन्त्रीजी भी जानते हैं कि 96 करोड़ का टैक्स लगाया है और राहत देने के लिए इश्योरेन्स नहीं दें, यह दो बातें साथ-साथ नहीं चलनी चाहिए।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : डारेक्शन देने की बात है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर-आर्डर। आर्डर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

इस प्रश्न पर-कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे और उसका मन्त्रीजी ने माननीय सदस्यों को जबाब दिया। आपने प्रश्न पूछे पर मेरा यह निवेदन है कि इसको यहीं समाप्त किया जाय क्योंकि आगे भी आपको मौका मिलेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर चर्चा होगी तब भी आपको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

**श्री नत्थी सिंह** : इसको लागू करवाना सरकार का काम है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। प्रश्न-काल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

**श्री लालचन्द डूडी** (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, बिजली महकमे की लापरवाही की वजह से आदमी मर जाते हैं। कई बार तार टूट जाने से भी आदमी मर जाते हैं तो उसके लिये....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। मैं मन्जूरी नहीं दूंगा। अंकित नहीं हो।

**श्री लालचन्द** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

### सवाई-माधोपुर जयपुर मार्ग पर बनास नदी पर पुल निर्माण

273. **श्री मोती लाल मीना** (सवाई-माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मोती लाल मीना)

(1) सवाई-माधोपुर जयपुर मार्ग पर बनास नदी पर पुल निर्माण कब से आरम्भ हुआ है, तथा कितना कार्य अब तक पूरा किया जा चुका है? इस पर कितनी राशि व्यय हुयी है?

(2) क्या इस पुल का निर्माण मूल प्रस्ताव के अनुसार पूरा हो जाना चाहिए था? निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण रहे हैं, और कब तक कार्य पूरा करा दिया जावेगा?

**उत्तर**

(1) सवाई-माधोपुर जयपुर मार्ग पर बनास नदी पर पुल निर्माण दिनांक 10-5-1976 से प्रारम्भ हुआ था एवं करीब 75 प्रतिशत कार्य हो चुका है और शेष कार्य प्रगति में है। इस निर्माण पर अब तक 73.64 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है।

(2) निर्माण में विलम्ब होने के मुख्य कारण निम्नलिखित है :—

1—पुल के खम्भों की नींव में कमजोर भूगर्भीय पर्तों, व उनमें चिकनी मिट्टी एव खोखलापन पाया गया, जिसकी वजह से नींव की गहराई बढ़ानी पड़ी।

2—तीन खम्भों के नीचे जिस प्रकार की चट्टाने पाई गई उनमें मूल प्रस्तावीत पाइल्स का काम असम्भव होने की वजह से डिजाईन बदलना पड़ा। उपरोक्त कारणों से पुल का निर्माण मूल डिजाईन के अनुसार पूरा किया जाना सम्भव नहीं था अब यह कार्य जून, 1986 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

**कपासन क्षेत्र में हाथ कर्घाओं का आधुनिकीकरण**

274. **श्री दीनबन्धु वर्मा** (कपासन): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में हाथ कर्घाओं की कितनी सख्या है, और उन पर कितने व्यक्ति निर्भर है?

(2) सहकारिता के माध्यम से हाथ कर्घाओं की कितनी सहकारी संस्थायें कार्य कर रही हैं? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

(3) हाथ कर्घाओं के आधुनिकीकरण के बारे में सरकार के उक्त क्षेत्र में क्या प्रयास हैं?

(4) हाथ कर्घाओं द्वारा उत्पादित मालों के क्रय-विक्रय सम्बन्धी कितने केन्द्र उक्त क्षेत्र में हैं? यदि नहीं, तो कब तक केन्द्र खोले जायेंगे?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में लगभग 126 हाथकरघों की संख्या है जिन पर लगभग 250 व्यक्ति निर्भर है।

(2) कोई नहीं। क्योंकि सदस्य बुनकरों की समिति में कार्य करने की रूचि नहीं हैं।

(3) हाथकर्घाओं के आधुनिकरण हेतु उद्योग विभाग द्वारा बुनकरों की सहकारी समितियों को ऋण व अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत बुनकरों को बैंक से ऋण व राजस्थान हाथकरघा

(श्री दीनबन्धु वर्मा)

विकास निगम द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अब तक 22 व्यक्तिगत बुनकरों को आधुनिकरण के लिए 20775 रुपये ऋण बैंक द्वारा एवं 24075 रुपये का अनुदान राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा स्वीकृत किया गया है।

(4) वर्तमान में हाथकरघों द्वारा उत्पादित कपड़े की बिक्री के लिए कपासन क्षेत्र में कोई क्रय-विक्रय केन्द्र नहीं है। अभी उस क्षेत्र में विक्रय केन्द्र खोलने की कोई योजना नहीं है।

## खारची क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

275. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खारची के किन-किन विद्यालयों में कितने-कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं? उनमें कितने-कितने पद रिक्त पड़े हैं, और उन्हें कब तक भर दिया जायेगा?

(2) राज्य सरकार का इस वर्ष कितने नये उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, व उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें। विद्यालय खोलने का क्या मापदण्ड रखा जायेगा?

### उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खारची के विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई हैं। रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे है।

(2) वर्ष, 1985-86 में राज्य में कोई भी उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार नहीं है। अतः मापदण्ड का प्रश्न नहीं उठता।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

## आदिवासी छात्रावास लालसोट

276. **श्री परसादीलाल** (लालसोट): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लालसोट आदिवासी छात्रावास के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा प्रति-वर्ष कितनी राशि दी जाती है? क्या इस राशि का उपयोग समय समय पर किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) क्या सरकार आदिवासी छात्रावास के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन की अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाती है? यदि हां, तो किस प्रकार?

(3) लालसोट आदिवासी छात्रावास में एक कमरे में कितने छात्र रहते है? क्या इतनी संख्या के विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़ सकते है?

### उत्तर

(1) लालसोट आदिवासी छात्रावास के छात्रों के रख-रखाव के लिये सरकार द्वारा निम्न प्रकार राशि दी गयी :—

(समाज कल्याण मन्त्री)

| छात्र संख्या | दी गयी राशि | वर्ष |
|---|---|---|
| 25 | 27370 | 82–83 |
| 30 | 35024 | 83–84 |
| 26 | 33000 | 84–85 |

इस राशि का उपयोग छात्रों के भोजन वस्त्र, पुस्तक, स्टेशनरी, जूते, तेल साबुन आदि समय पर किया गया।

(2) जी हां, छात्रों के लिए आवास हेतु भवन, भोजन, वस्त्र, पुस्तकें, स्टेशनरी, आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराती है एवं कठिन विषयों के लिये अंशकालीन अध्यापकों की नियुक्ति करती है।

(3) छात्रावास के भवन के एक कमरे में 7 विद्यार्थी रहते है। छात्रावास भवन में छात्रों के उपयोग हेतु 4 कमरे है तथा सत्र 84-85 में 26 छात्र थे जिनके लिये कमरों की पर्याप्त व्यवस्था थी।

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### लघु उद्योग निगम का ट्रेड सेंन्टर

326. **श्री मोहन छंगाणी** (फलोदी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम का ट्रेड सेंन्टर बन्द कर दिया गया था? यदि हां, तो कब और किन कारणों से?

(2) ट्रेड सेन्टर को बन्द करने से पूर्व इसके कार्य-कलाप और गतिविधियों तथा इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे और उन उद्देश्यों की पूर्ति इस केन्द्र ने किस सीमा तक की थी?

(3) क्या यह सही है कि निगम ने ट्रेड सेन्टर के स्थापन पर अब एक मार्केटिंग डिविजन की स्थापना की है? यदि हां, तो कब और क्यों तथा डिविजन के उद्देश्य एवं कृत्य क्या-क्या निर्धारित किये गये हैं? इसके कार्य-कलाप, इसकी गतिविधियां पूर्व में स्थापित किये गये ट्रेड सेन्टर के क्रिया-कलाप से किस प्रकार और किस सीमा तक भिन्न है?

(4) मार्केटिंग डिविजन में वर्तमान में कितना स्टाफ नियुक्त है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें। उसमें कब-कब किन किन कारणों से और किन-किन पदों में वृद्धि की गई है?

(5) मार्केटिंग की स्थापना से अब तक माहवार टर्न ओवर क्या रहा? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) मार्केटिंग डिविजन में नियुक्त अधिकारियों के लिये निगम ने क्या कोई योग्यतायें अथवा अनुभव निर्धारित कर रखा है? यदि हां, तो क्या वर्तमान अधिकारी उन निर्धारित योग्यताओं के अनुसार ही है? यदि नहीं, तो क्यों?

#### उत्तर

(1) जी, नहीं केवल व्यवसायिक गतिविधियां अपरिहार्य कारणों से माह अप्रेल, 81 से मार्च, 84 तक स्थगित रहीं।

(2) ट्रेड सेन्टर की स्थापना मई, 1974 में की गई थी जिसमें मुख्यरूप से निम्न

(उद्योग मन्त्री)

सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान था।

1. अखबारों, भारतीय व्यापार समाचार पत्रों डी. जी. एस. एण्ड डी. के. गजटी पत्रों तथा अन्य सरकार टेण्डर नोटिस की जानकारी एकत्रित करके लघु उद्योग इकाईयों को भेजा जाना ;

2. केन्द्र के पुस्तकालय में उद्योगों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराया जाना।

3. केन्द्र में लघु उद्योगों के लिये टेलेक्स मशीन की स्थापना किया जाना।

4. लघु उद्योग इकाइयों द्वारा निर्मित माल विभिन्न प्रदर्शनियों एवं ट्रेड सेन्टर में प्रदर्शित किया जाना।

5. पंजीकृत इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पाद की सहकारी विभागों को सप्लाई किया जाना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति आंशिक रूप से हो सकी क्योंकि लघु उद्योग इकाईयों ने इन सुविधाओं का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं उठाया।

(3) राज्य की लघु उद्योग इकाइयों के हित में ट्रेड सेन्टर का पुर्नगठन कर मार्केटिंग डिविजन की स्थापना दिनांक 1-4-1984 को की गई है। लघु उद्योग इकाईयों के प्रतिनिधियों एवं प्रमोशनल ऐजेन्सिज से विपणन योजना के सम्बन्ध में काफी विचार विमर्श किया गया। देश के विभिन्न लघु उद्योग निगमों से विपणन योजना का सारांश मंगाकर अध्ययन किया गया। विपणन योजना का अनुमोदन निगम की संचालक मण्डल की 184 वीं बैठक दिनांक 30-10 84 में किया गया। इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोग व सुझाव हेतु सलाहकार समिति का गठन किया गया जिसमें भारत सरकार व राज्य सरकार तथा लघु उद्योग इकाइयों के प्रतिनिधीगण सम्मलित हैं। मार्केटिंग डिविजन के उद्देश्य एवं कृत्य मुख्यरूप से निम्न प्रकार निर्धारित किये गये हैं :—

1. राज्य की पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादों का विपणन किया जाना।

2. लघु उद्योग इकाइयों को सप्लाई किये जाने पर स्वीकृत उत्पाद का 85% तक मूल्य अग्रिम रूप से सुलभ कराया जाना।

3. ग्रामीण क्षेत्र की लघु उद्योग इकाइयों के उत्पाद के विपणन में सहयोग किया जाना।

4. नये उद्यमियों को विपणन से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराया जाना।

5. राज्य व देश में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित किया जाना।

6. उद्योग भवन में स्थाई रूप से लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादों को प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था करना।

7. समय समय पर क्रेता-विक्रेता मिलन सेमिनार, ट्रेनिंग कोर्स, व्यवसायिक भ्रमण आदि सहयोगी संस्थाओं के साथ आयोजित किया जाना।

(उद्योग मन्त्री)

8. विपणन से सम्बन्धित साहित्य, पुस्तकालय, डेटा बैंक स्थापित किये जाना। मार्केटिंग डिविजन के कार्य कलाप ट्रेड सेन्टर से निम्न रूप से भिन्न कहे जा सकते हैं :—

1. मार्केटिंग डिविजन का कार्य क्षेत्र काफी व्यापक रखा गया है। राज्य से बाहर स्थित संस्थानों में जैसे भारतीय रेल, तेल निगम, विद्युत मण्डल, डी. जी. एस. एण्ड डी. के उत्पादों की विपणन व्यवस्था किया जाना है।

2. विपणन योजना में आई.एस.आई. मार्क उत्पादों को वरियता दी गई है।

3. निगम का भुगतान राजकीय विभागों से प्राप्त किये जाने का सुनिश्चित प्रबन्ध किया गया है। राजकीय विभाग एवं उपक्रमों को माल प्राप्त किये जाने पर एक अलग से भुगतान के सम्बन्ध में आश्वासन पत्र देना होता है। लघु उद्योग इकाइयों को अग्रिम भुगतान उक्त आश्वासन पत्र के प्राप्त होने पर ही किया जाता है जैसा कि पूर्व में ट्रेड सेन्टर के सचालन के समय में नहीं था।

4. मार्केटिंग डिविजन में कार्यरत अधिकारियों को इस बात के स्पष्ट निर्देश हैं कि वे लघु उद्योग इकाइयों एवं राजकीय विभागों से बराबर सम्पर्क बनाये रखें।

5. पूर्व में ट्रेड सेन्टर द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां स्थगित कर दी गई थीं जो कि वर्तमान में लघु उद्योग इकाइयों के आकार व संख्या को देखते हुये वर्तमान में आवश्यक हो गई थीं। लघु उद्योग इकाइयों को रूग्ण एवं बन्द होने की स्थिति से बचाने के लिए व्यवसायिक गतिविधियां चालू किया जाना एक आवश्यक कदम है।

6. विपणन योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि लघु उद्योग इकाइयों के अतिरिक्त अन्य व्यवसाइयों के माल की बिक्री नहीं की जावे। पूर्व में ट्रेड सेन्टर द्वारा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से व्यवसाहियों के माल के की बिक्री की गई जिससे लघु उद्योग इकाइयों में असंतोष था।

(4) वर्तमान में नियुक्त स्टाफ का विवरण निम्न प्रकार से है :—

| | वर्तमान पद |
|---|---|
| 1. महा प्रबन्धक | 1 अतिरिक्त चार्ज |
| 2. वरिष्ठ अधिशाषी (मार्केटिंग) | |
| 3. मैनेजर (मार्केटिंग) | |
| 4. मैनेजर (बैंकिंग एण्ड इण्डस्ट्रीयल म्यूजियम) | 1 |
| 5. सहायक लेखाधिकारी (वित्त) | 1 अतिरिक्त चार्ज |
| 6. फिल्ड आफिसर | 3 |
| 7. वरिष्ठ लिपिक | 2 |
| 8. कनिष्ठ लिपिक | 5 |
| 9. चतुर्थ श्रेणी/हेल्पर कर्मचारी | 5 |

निगम की संगोष्ठी दिनांक 30.10.84 के निर्णयानुसार सृजित पदों में किसी प्रकार भी वृद्धि नहीं की गई है।

मार्केटिंग डिविजन की स्थापना के पश्चात् की गई बिक्री का विवरण निम्न प्रकार से है:—

(उद्योग मंत्री)

| माह का नाम | राशि रुपयों में |
|---|---|
| 1. अगस्त, 84 | 51,000.00 |
| 2. सितम्बर, 84 | 78,045.00 |
| 3. अक्टूबर, 84 | 32,515.00 |
| 4. जनवरी, 85 | 34,621.47 |
| 5. फरवरी, 85 | 49,744.75 |
| 6. मार्च, 85 | 53,875.00 |
| 7. अप्रेल, 85 | 1,32,690.00 |
| 8. मई, 85 | 2,85,088.00 |
| 9. जून, 85 | 2,29,057.81 |
| 10. जुलाई, (9.7.85) | 38,277.25 |
| | 9,84,914.28 |

उक्त बिक्री के अलावा वर्तमान में लगभग 20 लाख रु. मूल्य के आदेश निगम के पास उपलब्ध हैं जिनकी पूर्ति की जा रही है।

(6) जी हां, वर्तमान अधिकारी निर्धारित योग्यताओं के अनुसार है।

## धौलपुर जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग

326. **श्री मोहन प्रकाश** (राजाखेड़ा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान धौलपुर जिले के क्षेत्र में सन् 1957 से 1977 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उद्योगों की स्थापना की गई?

(2) क्या धौलपुर जिले में सन् 1985-86 में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई उद्योग खोलने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कहां? यदि नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) वर्तमान में धौलपुर जिले के क्षेत्र में सन् 1957 से 1977 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र में एक उद्योग मैसर्स हाईटेक प्रिसीसन ग्लास लि. धौलपुर की स्थापना की गई है।

(2) सन् 1985-86 में धौलपुर जिले में कोई उद्योग स्थापित करने सार्वजनिक क्षेत्र में का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की अपेक्षा निजी एवं संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता देती है।

## सीमेंट पोल प्रकरण

327. **श्री ग्यारसीलाल** (निवाई): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिले में बानसुर तथा अन्य स्थानों पर सन् 1981 में सीमेंट पोल के चर्चित मामलों में क्या कोई जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) इस जांच के परिणामस्वरूप किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां, अलवर जिले के बानसूर में वर्ष 1981 में सीमेंट पोल के चर्चित मा-

(ऊर्जा मंत्री)

मले में प्राथमिक तौर पर जांच कराई गई थी जिसके आधार पर विभागीय जांच की जा रही है। चूंकि विभागीय जांच पूर्ण नहीं हुई है अतः जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(2) इस प्रकरण में प्राथमिक जांच के आधार पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध ता. हि. की धारा 409, 467, 420, 468 एव 120 बी के तहत थाना अधिकारी थाना पुलिस बानसूर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 31.5.1981 को दर्ज कराई गई थी। श्री जी. बी. उपाध्याय, सहायक अभियन्ता को दिनांक 26.5.1981 को निलम्बित कर दिया गया था (जिन्हें बाद में दिनांक 6 9.1984 को लम्बित जांच बहाल कर दिया गया)। इस मामले में मुख्य दोषी श्री जी. बी. उपाध्याय, सहायक अभियन्ता एवं श्री भगवान सहाय खण्डेलवाल, स्टोर कीपर को रा. रा. वि. म. कर्मचारी (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) विनियमन 1962 के नियम 7 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिये जा चुके हैं।

श्री जी. बी. उपाध्याय ने अपने आरोप-पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। श्री बी. एस. खण्डेलवाल का उत्तर प्रतीक्षित है जिसके उपरान्त आगामी कार्यवाही की जायेगी।

## गंगानगर जिले में ट्रान्सफार्मर्स

328. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करें।

गंगानगर जिले में वर्तमान में कुल कितने ट्रान्सफार्मर जले हुये है और उनके बदलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

### उत्तर

गंगानगर जिले में वर्तमान में 33/11 के.वी. का एक ट्रान्सफार्मर व 11/0.4 के.वी. के 21 ट्रान्सफार्मर जले हुये हैं। इन ट्रान्सफार्मरों को नये/मरम्मत किये हुये ट्रान्सफार्मरों की व्यवस्था कर शीघ्र ही बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

## कोटा जिले में देशी सुरा के लाइसेन्स

329. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आबकारी विभाग वर्ष 1984-85 से मई 1985 तक जिला कोटा में देशी शराब के लाइसेन्सियों को उनकी देय मासिक लाइसेंस फीस की शर्त के किस प्रतिशत तक मदिरा प्रदायगी कर सका है?

(2) कितनी राशि के अमानता राशि जमा के बावजूद भी चालान पड़े रहने पर भी मदिरा प्रदायगी नहीं की जा सकी?

(3) मदिरा प्रदायगी की इस कमी से आबकारी जिला कोटा में राज्य सरकार को धौलपुर ग्लास फैक्ट्री की बोतलों की राशि व चुंगी की कितने राजस्व की हानि हुई? इसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी हैं?

(4) क्या गंगानगर शुगर मिल्स स्प्रिट की सप्लाई उचित प्रकार से करने में सक्षम है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी व्यवस्था टेण्डर आमन्त्रित कर प्राइवेट फर्मो

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

से करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) मदिरा की कमी से न्यायालयों में लाइसेन्स फीस पूर्ति बाबत कितने विवाद कोटा कार्यालय में प्राप्त हुए व आबकारी विभाग को कितने नोटिस मिले ?

उत्तर

(1) आबकारी जिला कोटा में वर्ष 84-85 में देशी शराब अनुज्ञाधारियों द्वारा रु. 4,22,50,924.85 की एकांकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति करनी थी जिसके पेटे उनके द्वारा रु. 3,08,65,921.28 की लाइसेंस फिस पूर्ति मदिरा उठाकर की जो लगभग 75.05 प्रतिशत है। शेष राशि के प्रति 1,06,35,581.96 उनके द्वारा शराब न उठाकर नकद में पूर्ति की है। इसी प्रकार माह अप्रेल एव 85 में 77,75,195/- की एकांकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति करनी थी जिसके पेटे 53,38,114/- की मदिरा उठाकर पूर्ति की है जो लगभग 68 65 प्रतिशत है।

(2) माह मई, 85 के अन्त तक इस आबकारी जिले में सिर्फ 9,16,833/- रु. 27 पैसे के चालान अवशेष थे जिनकी मदिरा माह जून में दे दी गई है ?

(3) मदिरा अदायगी की इस कमी से राज्य सरकार की किसी प्रकार की राजस्व की हानि नहीं रही क्योंकि इस कमी की पूर्ति अनुज्ञाधारियों को अगले माह में अतिरिक्त मदिरा प्रदायगी से एव नकद से कराई जाती है।

(4) दी गंगानगर शुगर मिल्स लि. मदिरा सप्लाई करने में सक्षम है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्याप्त आवंटन प्राप्त नहीं होने तथा आवंटित मात्रा संबंधित राज्यों द्वारा पर्याप्त मात्रा में आसव रिलीज नहीं करने के कारण मदिरा सप्लाई में कमी आई है। जिसके लिये विभाग/राज्य-सरकार तथा गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा बराबर प्रयास जारी हैं।

(5) मदिरा की कमी के बारे में अनुज्ञाधारियों के द्वारा 7 वाद न्यायालयों में विचाराधीन हैं। तथा 7 नोटिस प्राप्त हुए हैं जिसकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

## शाहजहांपुर हुलमाना कलां सड़क निर्माण

330. **श्री सम्पत सिंह** (नगर) :

**श्री प्रभूलाल** (नैनवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ढाणी गुमाई, बावड़ी, ग्राम भोजपुरी, हुलमाना खुर्द, हुलमाना कलां इत्यादि में किसी प्रकार की यातायात व्यवस्था नहीं है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार कस्बा शाहजहांपुर से ढाणी गुमाई, बावड़ी होकर भोजपुरी, हुलमान खुर्द हुलमाना कलां तक सड़क बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां इन ढाणियों व गांवों हेतु कोई सड़क मार्ग स्वीकृत नहीं है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं, क्योंकि वर्तमान में किसी भी मद में प्रासंगिक गांवों को जोड़ने के लिये सड़क हेतु योजना में धनराशि उपलब्ध नहीं है।

## बीकानेर नगर में गति अवरोधक

331. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग ने बीकानेर शहर में कुल कितने अवरोधक बनाये हैं? क्या यह अलग-अलग डिजाइन व तकनीक से भिन्न-भिन्न प्रकार से बनाये गये हैं? इसका अलग अलग तकनीकी दृष्टिकोण क्या है?

(2) क्या यह सही है कि सुरक्षा की दृष्टि से गति अवरोधकों पर जेबरा पट्टी लगाना अति आवश्यक है? यदि हां, तो किसी भी गति अवरोधक पर जेबरा पट्टी नहीं लगाने के क्या कारण हैं?

(3) गति अवरोधक बीकानेर में किस-किस मार्ग पर बनाये गये हैं व इसका आधार क्या रहा है? क्या अब तक बनाये गये गति अवरोधक वर्तमान में सही स्थिति में हैं? यदि हां तो सही स्थिति किस-किस मार्ग पर है?

### उत्तर

(1) विभाग ने बीकानेर शहर में कुल 13 गति अवरोधक बनाये हैं ये अवरोधक "हम्प" डिजाइन के अनुरूप हैं? गति अवरोधक वाहनों के वेग एवं गति पर अवरोध प्रस्तुत कर उनकी गति को धीमी करने के लिये बनाये जाते हैं। इन अवरोधकों की एक और डिजाइन भी होती है जिसे "रम्बलर स्ट्रिप" कहते हैं इस डिजाइन द्वारा भी गति पर नियंत्रण एवं आवाज द्वारा वाहन चालक पर नियंत्रण किया जाता है।

(2) जी नहीं। जेबरा पट्टी पैदल क्रासिंग पर लगाई जाती है। गति अवरोधकों पर दूर से पहचान हेतु सफेद रंग का पेंट समय समय पर करवाया जाता है।

(3) गति अवरोधक रा.उ. मार्ग नम्बर 11 व 15 को लिंक रोड व स्टेट हाइवे नम्बर 3 पर बनाये गये हैं। जो निम्न प्रकार है :—

| क्र.सं. | सड़क का नाम | संख्या | स्थान | कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बीकानेर जयपुर मार्ग | 2 | डूंगर कालेज के पास | कालेज के पास होने के कारण |
| 2. | बीकानेर देशनोक मार्ग | 2 | जैन कालेज के पास | कालेज के पास होने के कारण |
| 3. | गोगागेट बस स्टेण्ड के पास | 1 | जैन कालेज के पास | एक ओर स्कूल तथा भारी ढलान होने के कारण तथा दूसरी ओर चौराहा होने के कारण। |
| 4. | गोगागेट से मेजर पूर्णसिंह सर्किल वाया रानी बाजार स्टेट हाइवे नं. 3 | 6 | अस्पताल, जानवरों का अस्पताल तथा रानी बाजार चौराहे पर। | अस्पताल तथा रानी बाजार चौराहे पर साइट डिस्टेन्ट कम होने के कारण। |
| 5. | रा. मार्ग 15 व 11 के बीच। | 2 | कोठी नं. 8 एवं कार्यालयों के पास। | कार्यालयों के समूह के कारण। |

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इसका आधार व्यस्त मार्गों पर सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल, कालेज, अस्पताल आदि के पास भारी वाहनों की गति को कम करना है। सभी गति अवरोधक सही स्थिति में हैं। बीकानेर नगर की सड़कों पर कुछ गति अवरोधक नगर परिषद/नगर विकास न्यास द्वारा भी बनाये गये हैं।

## डब्बर डिस्ट्रीब्यूटरी का कमाण्ड एरिया

332. **श्री हंसराज** (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डब्बर डिस्ट्रीब्यूटरी तहसील अनूपगढ़ में सी. ए. डी बनने से पूर्व कितना रकबा कमाण्ड था एवं सी. ए. डी. के पश्चात् कितना रकबा कमाण्ड है ?

(2) क्या यह कमाण्ड रकबा कम हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) सी. ए. डी. के तहत खाले बनने से पूर्व डब्बर डिस्ट्रीब्यूटरी का 10095 एकड़ रकबा कमाण्ड था। सी. ए. डी. के तहत खाले बनने के पश्चात् 10427,46 एकड़ रकबा कमाण्ड है।

(2) जी, नहीं।

## आनन्दपुर (अलवर) का क्षतिग्रस्त बांध

333. **श्री सुजान सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्राम आनन्दपुर तहसील बहरोड़, जिला अलवर के क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) मरम्मत हेतु सर्वेक्षण किया गया है और प्राक्कलन बनाया जा रहा है। प्राक्कलन की स्वीकृति व वांछित धनराशि की उपलब्धि होने पर कार्य शुरू किया जायेगा।

## गलीफा (सांचोर) का लघु सिंचाई बांध

334. **श्री रघनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि गांव गलीफा तहसील सांचोर में एक लघु सिंचाई बांध बांधा गया था ? यदि हां, तो कब एवं कितनी लागत का ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त बांध अभी तक अधूरा पड़ा है एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त भी हो चुका है ? यदि हां, तो कब, एवं उसकी मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी ?

(3) उक्त बांध को कब तक पूरा करवा दिया जावेगा ?

## उत्तर

(1) लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई बांध नहीं बनाया गया। बाढ़ बचाव के तहत कास बाध 1971-72 में रु. 1.25 लाख की लागत से बनाया गया।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

## बनास नदी पर टांटोल बांध

335. **श्री मदन लाल** (राजसमन्द) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बनास नदी पर नाथद्वारा तहसील में टांटोल बांध बन जाने से वर्षा के दिनों में बनास नदी में टांटोल बांध के नीचे के हिस्से में पानी के बहाव में कमी आयी है जिससे रेलमगरा तहसील के गांवों के कुओं में पानी की आवक कम होने से कुए सूख गये हैं और वहां का सैंजा सूख पड़ा है।

(2) क्या सरकार रेलमगरा तहसील के किसानों को राहत दिलाने की दृष्टि से भूखाड़ा व अन्य स्थानों पर एनीकट बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

## उत्तर

(1) जी हां। परन्तु इसमे रेलमगरा तहसील के कुओं में सैंजा कम होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती।

(2) राज्य में उपयुक्त स्थानों पर एनिकटें बनाने का सरकार का विचार है परन्तु इनके पूर्ण होने का समय बताना सम्भव नहीं है।

## पुलिस थाना टिबी में दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही

336. **श्री डूंगरराम पंवार** (टीबी): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 3-5-1985 को पुलिस थाना टिबी जिला श्री गंगानगर में 1. श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, 2. श्री हरबैल सिंह पुत्र श्री मंगला सिंह, 3. श्री जगदेव सिंह पुत्र श्री गुरुदयाल सिंह जट सिख साकिन मसानी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री बसंत सिंह पुत्र श्री शेर सिंह जाति रामदासिया साकिन मसाणी तहसील टिबो ने दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या उक्त श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री करतार सिंह के पास राइफल का लाइसेन्स है ? यदि हां, तो कौनसी रायफल है, नम्बर क्या हैं तथा लाइसेन्स कब जारी किया गया ? क्या उक्त लाइसेन्स सम्बन्धित थाना पुलिस में दर्ज है ?

## उत्तर

(1) जी हां, अनुसंधान से मामला झूठा पाये जाने के कारण नतीजा एफ. आर. अदम वकू में दिया गया।

(2) जी हां। बलदेवसिंह के पास तीन हथियार लाइसेन्स हैं।

(1) एन. पी. बोर राइफल नम्बर 7554 लाइसेंस नम्बर 447 एनओबी/टी-टीडीएम गंगानगर एरिया समस्त भारत जो तरनतारन (पंजाब) का बना हुआ है,

(गृह मंत्री)

(II) एक बन्दूक 12 बोर डीबीबीएल (दो नाल) नं. एबो. 5303\99 90 एफ लाइसेंस नम्बर 732/एफडीडी, एरिया समस्त भारत जो 9.1.85 को जारी हुआ है,

(III) एक राइफल 30.06 बोर नं. 1346829 लाइसेन्स नम्बर 26/71 एरिया समस्त भारत जो दिनांक 31.12.85 तक रिन्यूड है। लाइसेंसधारी ने उसको उपरोक्त गन श्री अरविन्दजीतसिंह ला. नं. 5/77 पी.एस पदमपुर को विक्रय करदी है।

## थाना सारोला एवं खानपुर के थानेदार

337. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : **श्री प्रताप सिंह छबड़ा** (छबड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले के थाना सारोला एवं खानपुर के वर्तमान थानेदार कब से उक्त थाने में कार्यरत हैं?

(2) क्या अब तक उक्त थानेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उन शिकायतों पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

### उत्तर

(1) थाना खानपुर में उप निरीक्षक की नियुक्ति 25.10.83 से तथा थाना सारोला में उ. नि. की नियुक्ति 23.1.85 से है।

(2) जी हां, एस. एच. ओ. खानपुर के विरूद्ध कुल 11 शिकायतें उनकी नियुक्ति से अब तक प्राप्त हुईं। उच्च अधिकारियों से जांच कराई गयी, 9 झूठी पायी गई। 2 की जांच जारी है। थाना सारोला के एस. एच. ओ. के विरुद्ध 2 शिकायतें प्राप्त हुई। सत्य पायी जाने पर 17 आर. सी. सी. ए. नियमों के तहत कार्यवाही की व दूसरी शिकायत की जांच जारी है।

## सोर्स रिपोर्ट-ट्रेप एवं विभागों द्वारा प्रेषित मामले

338. **श्री फूलचन्द** (नीमकाथाना) **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पिछले तीन वर्षों से सोर्स रिपोर्ट ट्रेप एवं विभागों द्वारा प्रेषित कितने मामले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जमा हुए?

(2) उक्त मामलों में कितने मामलों में जांच पूरी हो चुकी है तथा कितने मामले विचाराधीन हैं?

(3) उक्त मामलों में कितने मामलों में एफ. आर. दी जा चुकी है और कितने मामलों में चालान किया जा चुका है? कितने मामले अभी कार्मिक विभाग के पास स्वीकृति हेतु कितनी अवधि से पड़े हैं?

(4) उक्त अवधि में ट्रेप के कितने मामलों में कार्मिक विभाग ने चालान की स्वीकृति नहीं दी? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं दिए गए मामलों में कितनी राशि अन्तर्विष्ट है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) पिछले तीन वर्षों (वर्ष 1982, 1983, 1984) में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कुल 902 मामले दर्ज हुए।

(2) उक्त मामलों में से 663 मामले निस्तारित किये जा चुके हैं तथा 239 मामले विचाराधीन हैं।

(3) उपर्युक्त मामलों में से दर्ज शुदा 227 अपराधों में से 67 अपराधों में चालान एफ. आर. दी जा चुकी है और 78 अपराधों में चालान किया जा चुका है। कार्मिक विभाग के पास तीन मामले एक साल से पुराने, एक मामला पांच माह से पुराना, दो मामले एक माह से पुराने एवं एक मामला एक माह से कम अवधि से अभियोजन स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

(4 व 5) सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

## नागौर जिले की सड़कें

339. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में डामर की सडकों की लम्बाई कितनी है तथा उदयपुर व भीलवाड़ा में कितनी है ?

(2) सड़क निर्माण में क्षेत्रीय असन्तुलन को राज्य सरकार किस प्रकार दूर करने का विचार रखती है ?

## उत्तर

(1) डामर की सड़कों की जिलेवार लम्बाई निम्न प्रकार है :—

1. नागौर जिला 12 3 कि.मी.
2. उदयपुर जिला 2143 कि.मी.
3. भीलवाड़ा जिला 1258 कि.मी.

(2) राज्य में विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति कार्य की आवश्यकता को देखते हुए योजना के मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए एवं न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के मापदण्डों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती हैं एवं यथा संभव क्षेत्रीय विकास एवं संतुलन को भी ध्यान में रखने का प्रयास किया जाता है।

## राजस्थान दिवस का आयोजन

341. **श्री नारायण राम बेड़ा** (भोपालगढ़) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 30 मार्च, 1985 को किन-किन जिला मुख्यालयों पर राजस्थान दिवस मनाया गया और किन पर नहीं तथा नहीं मनाये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राजस्थान दिवस मनाने के लिये जिला मुख्यालयों पर किसी तरह का खर्च करने के लिये धन का प्रावधान रखा गया है ?

(3) क्या राजस्थान दिवस पर किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसे कार्यक्रमों के लिये व्यावसायिक नर्तकियों को भुगतान कर नाच गान करवाये जाने की भी छूट है ?

(4) क्या किसी जिला मुख्यालय पर वर्ष 1985 के राजस्थान दिवस पर किन्हीं व्यावसायिक कलाकारों को आमन्त्रित किया

(श्री नारायण राम बेड़ा)

गया तथा उनको बड़ी राशि का भुगतान किया गया ? अगर हां, तो किस मद से उनको भुगतान किया गया ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान दिवस 30 मार्च, 1985 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा समस्त जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया गया।

(2) जी हां, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शनी आयोजन हेतु प्रत्येक जिला जन सम्पर्क कार्यालय को एक हजार रुपये की राशि आवंटित की गई थी। जयपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी रंगमंच पर आयोजित की गई जिस पर कुल रुपये 9184.82 व्यय हुए।

(3) सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर आयोजित किये जाते हैं। राजस्थान दिवस पर केन्द्रीय सरकार के गीत व नाटक विभाग, राज्य के कला एवं संस्कृति विभाग, तथा पर्यटन विभाग को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने हेतु भी अनुरोध किया जाता है। 30 मार्च, 1985 के अवसर पर जन सम्पर्क विभाग ने कोई भुगतान नहीं किया।

(4) विभाग द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया।

## मारवाड़ जंक्शन तहसील का विद्युतीकरण

342. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला पाली की मारवाड़ जंक्शन तहसील में सन् 1974 में विद्युतीकरण शुरू हो गया था ?

(2) क्या सन् 1974 से 1975 तक कृषि कार्य हेतु कनेक्शन्स दिये गये ? यदि हां, तो उक्त समय में किस-किस गांव में कितने व्यक्तियों को कनेक्शन दिये गये ? कृपया सूची सदन पटल पर रखें।

(3) प्रश्न के भाग 2 में बताई सूची में ग्राम देवली आउवा में उक्त समय में दिये गये कनेक्शन किस-किस अधिकारी ने दिये ? कनेक्शन किसके द्वारा किया गया व किस जे. ई. एन. या ए. ई. एन. ने किस-किस तारीख को उसका वेरिफिकेशन किया ?

(4) क्या यह भी सच है कि वेरिफिकेशन का सत्यापन करने के बाद उसे सील किया जाना जरूरी है ? यदि हां, तो प्रश्न के भाग 3 में बताये गये कनेक्शन का किस-किस नम्बर की सील से किस-किस तारीख को किस-किस अधिकारी ने सील किया ? कृपया नम्बर व सूची सदन पटल पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला पाली के मारवाड़ जंक्शन तहसील में विद्युतिकरण का कार्य 1974 के पहले ही शुरू हो गया था।

(2) जी हां। उक्त समय में जिन-जिन गांवों में जितने विद्युत कनेक्शन दिये गये थे उनकी ग्रामवार सूची "अ" संलग्न है।

(3) ग्राम आऊवा व देवली आऊवा में कनेक्शन श्री एच. डी. चारण सहायक

(विद्युत मन्त्री):

अभियन्ता के कार्यकाल में दिये गये। कनेक्शन देने वाले वेरीफिकेशन करने वाले कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता का नाम बताते हुये वांछित सूचना सूची "ब" में संलग्न है।

(4) जी हां। उपलब्ध रिकार्ड बरसात के पानी से खराब हो गया है इसलिये सीलिंग रिकार्ड विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है। केवल ग्राम देवली के एक उपभोक्ता श्री खंगार सिंह का सील नम्बर उपलब्ध है जो 12,973 है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

## ग्राम पंचायतों की आय के स्रोत

343. **श्री हरिश चन्द्र** (नावां), **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ाने वाले स्रोतों का सर्वेक्षण कराया है?

(2) यदि हां, तो ग्राम पंचायतें उन स्रोतों का पूरा लाभ उठा रही हैं या नहीं, क्या इसकी निगरानी की राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था की है?

(3) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस विषय में कोई कारगर कदम उठावेगी?

### उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) पंचायतों की आमदनी के स्रोत स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होते है। पचायत द्वारा चुंगी के अलावा अन्य कर आय को बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने बढ़ी हुई आय का 50 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है।

## छीपा बड़ौद के निर्माण कार्य

344. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा) एवं **श्री प्रभूलाल** (नैनवा): क्या पचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, छीपा बड़ौद की कौन-कौनसी पंचायतों में कमेटी बनाकर निर्माण कार्य करवाये गये?

(2) क्या कमेटी बनाने वाला कमेटी बनाने के लिए सक्षम था? यदि नहीं, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुयी?

### उत्तर

(1) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छीपाबड़ौद से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्न ग्राम पचायतों की कमेटी का गठन कर निर्माण कार्य करवाया गया:—

1—ग्राम पंचायत, कचनारियाकलां।
2—ग्राम पचायत, टोलम।
3—ग्राम पंचायत, देवरीजोध।

(2) जी नहीं। सम्बन्धित विकास अधिकारी श्री उस्मान गनी को निलम्बित किया जाकर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

## हुडको योजना के अन्तर्गत ऋण

345. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्रीमती विद्या पाठक)

(1) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि सांगानेर तहसील के ग्राम रामपुरा ऊंती में गत 3 वर्षों में चन्द्र भवानीसिंह और रमेश चन्द्र को फर्जी तरीके से हुडको योजना के अन्तर्गत गृह निर्माण हेतु ऋण दिलवा दिया गया ? यदि हां, तो किसके द्वारा ?

(2) क्या यह भी सही है कि गांव में चन्द्र भवानी सिंह नामक व्यक्ति कभी था ही नहीं और रमेश चन्द्र निवासी जयपुर के 30 वर्ष पुराने मकान की कभी मरम्मत तक नहीं हुई ?

(3) क्या उक्त गांव में ही तलाई हेतु उठाये गये एक लाख रुपये और जन सहयोग से प्राप्त बीस हजार रुपये की राशि में फर्जी मस्टर रोल बनाकर गबन किये जाने की शिकायत भी राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ?

(4) यदि हां, तो क्या उक्त केसों की राज्य सरकार ने जांच कराई है ? प्रथम दृष्टया इसमें किसको दोषी पाया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

## उत्तर

(1) हुडको योजना के अन्तर्गत श्री चन्द्र भवानी सिंह को कोई ऋण नहीं दिया गया है। श्री रमेश चन्द्र को विकास अधिकारी द्वारा सरपंच की सिफारिश पर उक्त योजना के तहत ऋण स्वीकृत किया गया है।

(2) जी नहीं। श्री चन्द्र भवानी सिंह नामक व्यक्ति ग्राम रामपुरा ऊंती का निवासी है। श्री रमेश चन्द्र निवासी जयपुर को हुडको योजना में कोई ऋण नहीं दिया गया है अलबत्ता श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री नाथूराम दर्जी निवासी रामपुरा ऊंती को ऋण दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

## बुनकरों को अनुदान

346. **श्री मांगीलाल** (पाटन) एवं **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य हाथ करघा विकास निगम लि. द्वारा बुनकरों को हाथ करघा घर बनाने हेतु अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो कितने बुनकरों ने आवेदन किया और कितनों को अनुदान स्वीकृत किया गया ?

(2) स्वीकृतियों के अनुसार कितने बुनकरों द्वारा हाथ करघा घर बनवा लिये गये हैं ? क्या उन्हें समय पर अनुदान का भुगतान हो गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि निमाज आगार अन्तर्गत कार्य करने वाले बुनकरों ने हाथ करघा घर बनाने की सूचना निगम को दे दी ? क्या निगम के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो उनको अनुदान राशि देने में विलम्ब करने का क्या कारण रहा ?

(4) निगम द्वारा कितने बुनकरों को प्रशिक्षण दिया गया तथा कितनों को निगम ने रोजगार उपलब्ध कराया ?

(श्री मांगीलाल)

(5) क्या राजस्थान राज्य हाथ करघा विकास निगम के संचालक मण्डल में बुनकर प्रतिनिधि हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन हैं तथा किस-किस क्षेत्रों से हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं हैं, तो सरकार कब तक बुनकरों के प्रतिनिधि मनोनीत करेगी ?

(6) उक्त कारपोरेशन में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के कितने-कितने पद हैं और क्या प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जाति/जन जाति का कोटा पूरा है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि कई स्थानों पर हाथ करघा व्यर्थ पड़े हैं ? यदि हां, तो उनके बारे में निगम क्या विचार रखता है ?

(8) क्या हाथ करघा ऋण का ब्याज अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर उक्त राशि दी गई है ? क्या निमाज आगार अन्तर्गत आने वाले बुनकरों को उक्त राशि सम्बन्धित बैंकों में भेजी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

## उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम की योजनानुसार 31 मार्च, 85 तक कुल 490 बुनकरों ने आवेदन प्रस्तुत किये जो स्वीकृति हेतु राज. अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम को भिजवाये गये। जिनमें से 109 की स्वीकृतियां प्राप्त हुई।

(2) प्राप्त स्वीकृतियों के अनुसार मार्च, 85 तक 36 हाथकर्घा घर पूर्ण रूप से एवं 8 आंशिक रूप से तैयार हुये थे जिनके अनुदान की राशि का भुगतान मार्च, 85, में किया जा चुका है।

(3) जी हां, निरीक्षण निगम के क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा किया जा चुका है। परन्तु राज. अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना अभी शेष है। नियमानुसार अनुसूचित जाति विकास निगम के निरीक्षण के पश्चात् ही अनुदान भुगतान किया जाता है। अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के संतोषप्रद निरीक्षण के बाद अनुदान का भुगतान सम्भव होगा।

(4) निगम ने वर्ष 1984-85 में 422 बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। एवं 4339 बुनकर परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(5) जी नहीं, निगम के विधान के अन्तर्गत सरकार कार्यवाही कर सकती है।

(6) इस निगम में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 185 है (सूची संलग्न है) जिसमें 35 अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कर्मचारी हैं।

(7) जी हां, निगम बन्द पड़े हाथकर्घों को सक्रीयकरण योजना द्वारा चालू करने का प्रयास कर रहा है।

(8) जी नहीं, निगम के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

## पंचायतों के विकास अधिकारी एवं अन्य अधीनस्थ पद

347. **श्री हीरा सिंह चौहान** (रायपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत विकास अधिकारी एवं अन्य अधीनस्थ पदों पर विभिन्न विभागों से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिये जाकर पद स्थापित किये जाते हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में किस-किस विभाग के किस-किस केडर के कितने-कितने अधिकारी पंचायत राज्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर पद स्थापित हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार पंचायत राज्य व्यवस्था के सुदृढ़ एवं सुसंचालन के लिये पंचायत राज्य सेवाओं को अलग से स्थाई व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों नहीं ?

### उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार का कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

## प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक

348. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में बी. एस. टी. सी. एवं बी. एड प्रशिक्षण प्राप्त कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं ?

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति नौकरी पाने की प्रतीक्षा में नियुक्ति की अधिकतम आयु पार कर चुके हैं ? यदि हां तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं ?

(3) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के नियोजन के संबंध में कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या।

(4) बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त कुल कितने व्यक्ति नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत हैं तथा सरकार उनको कब तक नियोजित करने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) राज्य में 31 दिसम्बर, 1984 को 8436 बी. एस. टी. सी. 15320 बी. एड. प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति बेरोजगार हैं।

(2) जी हां, नियोजन कार्यालय की जीवित पंजीका पर 454 प्रशिक्षण प्राप्त आशार्थी नौकरी पाने की प्रतिक्षा में नियुक्ति की अधिकतम आयु पार कर चुके हैं। इनमें 156 बी. एस. टी. सी., 252 बी. एड. एवं 46 बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त आशार्थी हैं।

(3) जी हां, प्रसार व प्रचार के माध्यम से।

(4) बेसिक प्रशिक्षण (हैण्डी क्राफ्ट) प्राप्त 233 व्यक्ति नियोजन कार्यालयों की

(नियोजन मंत्री)

की जीवित पंजिका पर दिनांक 31-12-84 को पंजीकृत थे। इस संबंध में निश्चित अवधारणा करना संभव नहीं हैं। यह सूचनायें वर्ष में 30 जून व 30 दिसम्बर को सकलित की जाती है। ताजा सकलन दिनांक 31-12-84 तक किया गया है।

## अतिथि नियन्त्रण कानून

349. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : क्या खाद्य एव रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अतिथि नियंत्रण कानून के अन्तर्गत विभिन्न अवसरों पर भोज आदि के लिये आमत्रित अतिथियों की सख्या की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित हुई है? यदि हां, तो किस-किस अवसर पर कितने कितने अतिथियों को आमंत्रित किया जा सकता है।

(2) क्या नियमों का उल्लघन करने वालों के लिये कानून में किसी प्रकार की सजा का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या अतिथियों की अधिकतम सीमा में छूट दी जा सकती है? यदि हां, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है?

(4) माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 1984 में इस प्रकार की कितनी छूट किन-किन व्यक्तियों को दी गई? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) अतिथि नियन्त्रण आदेश के अनुसार विवाह या मृत्यु भोज के समय 100 व्यक्तियों तक तथा अन्य पार्टी और उत्सवों के लिए 50 व्यक्तियों तक बिना विशेष स्वीकृति के आमन्त्रित किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। राजस्थान-अतिथि नियन्त्रण आदेश 1978 के प्रावधानों का उल्लघंन आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 का उल्लघन है और इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत तीन माह से सात वर्ष तक का कारावास एवं आर्थिक दण्ड भी दिये जाने का प्रावधान है।

(3) जी हां। राजस्थान अतिथि नियन्त्रण आदेश, 1978 में राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत (जिलाधीशों) अधिकारी द्वारा आदेश प्रसारित कर किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस आदेश के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दिये जाने की व्यवस्था है।

(4) माह अक्टूबर, नवम्बर, व दिसम्बर 1984 में जिन-जिन व्यक्तियों को छूट दी गई है उसकाविवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

## छात्रावास गोविन्दगढ़

350. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या शिक्षा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गोविन्दगढ गांव में करीबन 3 लाख रुपये खर्च करके एक छात्रावास बनाया है?

(श्री रमजान खां)

(2) क्या यह भी सही है कि गोविन्दगढ़ की आबादी 5 हजार से अधिक है ?

(3) क्या यह भी सही है कि गोविन्दगढ़ में उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण सरकार द्वारा बनाया गया छात्रावास प्रायः खाली पड़ा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार गोविन्दगढ़ में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ताकि छात्रावास का भवन बाहर से आने वाले गरीब छात्रों के काम आ सके ?

## उत्तर

(1) जी हां। बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत यह छात्रावास बनाया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। वर्ष 1985-86 में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु कोई बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

## कोटा नगर के राशन कार्डधारी

351. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या नागरिक आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा नगर में कुल कितने परिवारों को राशन कार्ड दिये हुए हैं व उनमे कुल कितने उपभोक्ता लाभान्वित होते है ?

(2) क्या यह सही है कि राशन कार्डों का नवीनीकरण कोटा नगर में नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि नगर में बोगस राशन कार्ड बहुलता में हैं व उन पर अंकुश लगाने में विभाग असमर्थ रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो विभाग ने उनकी रोकथाम हेतु कब-कब क्या प्रयत्न किए ?

## उत्तर

(1) कोटा नगर में कुल 1,01,832 परिवारों को राशन कार्ड दिये हैं। और इनसे 5,55,407 उपभोक्ता लाभान्वित होते हैं।

(2) जी, नहीं। कोटा नगर में दिनांक 20-9-83 से 10-12-83 की अवधि में जनता द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्रों के अनुसार राशन कार्डों का नवीनीकरण किया गया था।

(3) कोटा नगर के राशन कार्डों का नवीनीकरण कार्य का उल्लेख भाग–2 में किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत कोटा शहर में 3,512 यूनिट कम किये गये थे।

## भिक्षावृत्ति का सर्वेक्षण

352. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति के सहारे जीवनयापन करने वाले राज्य के शहर तथा तीर्थस्थल के लोगों का सर्वेक्षण करवाया गया है ? यदि हां, तो कब? सर्वेक्षण के अनुसार इनकी संख्या कितनी है ?

(2) भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिये प्रदेश में अब तक क्या कदम उठाये गये है ?

(श्री चम्पालाल बांठिया)

क्या सरकार द्वारा उठाए गये कदमों से भिक्षुकों की संख्या में कमी आई है ?

(3) भिक्षावृत्ति करने वालों के पुनर्वास तथा जीवनयापन हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) इन भिक्षुकों में कितने ऐसे हैं जो काम करने मे सक्षम हैं, लेकिन आदतन भिक्षावृत्ति करते है ? कितने विकलांग कुष्ठ-रोग से पीड़ित एवं मानसिक रोग से विक्षिप्त तथा वृद्धावस्था के कारण भिक्षावृत्ति कर रहे हैं ? उन्हें किस प्रकार इस सामाजिक रोग से मुक्त किया जायेगा ?

(5) क्या सरकार ने प्रदेश में इस समस्या के निराकरण के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नही उठाये हैं ? यदि हां, तो किन कारण से ? यदि नहीं, तो जो प्रयत्न किये हैं उनका विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति के सहारे जीवनयापन करने वाले राज्य के शहरों तथा तीर्थ-स्थलों सयानों के लोगों का कोई सर्वेक्षण गत दस वर्षों में नहीं करवाया है।

(2) भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिये राज्य में 3 सदन संचालित किये जा रहे हैं जहां स्वेच्छा से प्रवेश लेने वाले भिक्षुकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर पुर्नस्थापित किया जाता है। इसके द्वारा कई भिक्षुकों ने भिक्षा-वृत्ति छोड़ कर रोजी-रोटी कमाना, प्रारम्भ कर दिया है।

(3) भिक्षावृत्ति करने वालों के पुर्नवास एवं जीवनयापन हेतु उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है और बैंकों आदि से व्यवसाय हेतु ऋण दिलवाया जाता है।

(4) सर्वेक्षण ही नहीं हुआ ऐसी स्थिति में चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं है। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिये विभाग द्वारा एक सदन संचालित किया जा रहा है जिसके द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें पुर्नस्थापित करने का कार्य किया जा रहा है।

(5) विभाग द्वारा भिक्षावृत्ति की समस्या के निराकरण के लिये भिक्षावृत्ति उन्मूलन अधिनियम का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार के विचाराधीन प्रस्तुत किया गया है।

## पचायत समिति नवलगढ़ की बाल विकास परियोजना

358. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पंचायत समिति नवलगढ़ को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत लेने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों को कार्यान्वित कर सरकार इस पचायत समिति को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत लेने का निर्णय कर चुकी है ? यदि नहीं, तो कब तक निर्णय होने की सम्भावना है ?

## उत्तर

जी हां इस वर्ष प्रस्ताव देरी से प्राप्त होने के कारण पंचायत समिति नवलगढ़ के

(समाज कल्याण मंत्री)

प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किये जा सके। इन प्रस्तावों को अगली वार्षिक योजना पर विचार के समय ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा ही लिया जाता है।

## नसीराबाद में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दुकानों का आवण्टन

354. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपया करेंगे :—

(1) नसीराबाद में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दुकानें देने की योजना के अन्तर्गत क्या कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

(2) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(3) यहां पर दुकानें कब तक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जावेंगी?

### उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1983-84 से।

(2) दुकानों के निर्माण हेतु मिलिट्री कैन्टूनमेन्ट बोर्ड, नसीराबाद को दिनांक 20-12-83 को जमीन उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया था। मिलिट्री कैन्टूमेंन्ट बोर्ड के अधिशासी अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 18-1-84 से अवगत कराया कि छावनी क्षेत्र में जमीन न तो क्रय की जा सकती है और न पट्टे पर किसी व्यक्ति को अथवा संस्थान को दी जा सकती है।

(3) जब तक दुकानों हेतु भूमि पट्टे पर उपलब्ध न हो तब तक दुकानों हेतु कोई अनुदान एवं ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

## पावरलूम की बन्द फैक्ट्रीज

355. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में पावरलूम की कितनी फैक्ट्रीज बन्द हैं तथा क्यों? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें?

### उत्तर

राज्य में पावरलूम की 44 फैक्ट्रीयां बन्द हैं। इनके बन्द होने का कारण मजदूरों का झगड़ा, वित्तीय समस्या, भागीदारी का विघटन, मशीनें पुरानी हो जाना, बिजली की कमी, कच्चा माल मंहगा होना तकनीकी सलाहकार उपलब्ध न होना, स्थान परिवर्तन एवं सहकारी अधिनियमों के उल्घंन एवं वित्तीय दायित्व बढ़ना है।

## खानिया बस्ती (जयपुर) की स्टोन क्रेशिग मशीन

356. **श्री कालीचरण सराफ** (जोहरी बाजार): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खानिया बस्ती आगरा रोड, जयपुर में स्थित स्टोन क्रेशिग मशीन के कारण वहां के निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और बुरादा उड़ने के कारण बस्ती में कई लोगों को टी. बी. की बीमारी हो गई है?

(52)



(श्री कालीचरण सराफ)

(?) क्या सरकार इस क्रशिंग मशीन को वहां से हटाकर कहीं अन्यत्र लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

(2) वर्तमान में ऐसा विचार नहीं है ।

**केन्द्रीय कर से आय**

357. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य को कौन-कौन से केन्द्रीय करों के हिस्से के रूप में कितनी कितनी आय प्रति वर्ष होती है ? कृपया गत पांच वर्ष की सूचना सदन पटल पर रखें ।

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त करों की जो वसूली होती है उक्त वसूल की गई राशि में से प्रतिशत के हिसाब से मिलती है, और उस राशि में से नहीं मिलती जो कि बकाया के रूप में वसूल की जाती है ?

(3) क्या उनमें ऐसे कर की राशि भी है, जिनकी वसूली राज्य सरकार करती है और क्या वसूली का खर्चा काटकर इसका बंटवारा किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से कर हैं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) यह सही है कि उक्त करों की वसूली की गई राशि में से राज्य को प्रतिशत के आधार पर हिस्से की राशि प्राप्त होती है ।

(3) उक्त करों की वसूली राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाती है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

**बीकानेर में बजरी पर सेल्स टैक्स की वसूली**

358. **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर से ट्रकों पर जाने वाली बजरी पर सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि सेल्स टैक्स देने के बाद भी दुबारा हर ट्रक पर 80 रुपये सेल्स टैक्स के नाम से वसूल किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि इससे बजरी के रेट बाजार में दुगने हो गये ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**दिसम्बर, 1983 में नियुक्त सिंचाई पटवारी**

359. **चुन्नी लाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :— 1

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(1) दिसम्बर, 1983 में कितने सिंचाई पटवारियों की नियुक्ति की गई ? कृपया पटवारियों के नाम, पिता का नाम, जाति व पता दर्शाते हुए कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन पटवारियों की उपस्थिति रिपोर्ट किस दिनांक से शुरू की है ? क्या इनका एक महीने तक का वेतन भुगतान रोक रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार बकाया वेतन भुगतान देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1983 के दिसम्बर माह में सिंचाई विभाग में कुल 24 पटवारियों की नियुक्ति की गई। नियुक्त किये गये पटवारियों के नाम/पिता का नाम, जाति व पता संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(2) इन पटवारियों का उपस्थिति दिनांक भी संलग्न सूची के कॉलम नं. 5 में दर्शायी गयी है। सभी पटवारियों को उनकी उपस्थिति दिनांक से वेतन दिया गया। इनका कोई भुगतान नहीं रोका गया है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

## ग्राम जुलमी (रामगंज मण्डी) के सरपंच के विरुद्ध मामला

360. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मण्डी थानान्तर्गत जुलमी गांव के सरपंच के विरुद्ध बलात्कार की एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? यदि हां तो कृपया एफ.आई.आर. की प्रति सदन के पटल पर रखें ?

(2) उक्त रिपोर्ट पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस मामले को जानबूझकर दबाना चाहती है ? यदि नहीं, तो उक्त मामले में अनावश्यक विलम्ब किये जाने का क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान करेगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां। एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) रिपोर्ट पर दिनांक 10/4/85 को मुकदमा नं. 77/85 धारा 354/376 भा.द.स. विरुद्ध रामचन्द्र सरपंच पंचायत जुलमी ग्राम थाना रामगंज मण्डी दर्ज किया जाकर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगंज मण्डी के न्यायालय में दिनांक 10/6/85 को चालान पेश किया जा चुका है।

(3) जी नहीं, चालान में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(प्रतिलिपि के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)।

### महुआ में औद्योगिक क्षेत्र

361. **श्री किरोड़ी लाल** (महुआ): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महुआ (सवाई माधोपुर) में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के लिए उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वे किया गया था ? यदि हां, तो कब व क्या इसके लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कर ली गयी है ?

(2) 27 जिलों के अतिरिक्त अन्य जिला उद्योग अधिकारी कार्यालय कितने व कहां-कहां हैं ? क्या हिण्डोन (सवाई-माधोपुर) में जिला उद्योग अधिकारी कार्यालय खोलने का विषय विचाराधीन है ?

### उत्तर

(1) जी हां । महुआ (सवाई-माधोपुर) में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के लिए सर्वे किया गया था। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. जयपुर (रीको) की भूमि चयन समिति एवं राजस्व अधिकारियों के साथ वर्ष 1984 में भूमि का पुनः निरीक्षण करने के पश्चात ग्राम समलेटी की 100 बीघा राजकीय भूमि का चयन करके औद्योगिक प्रयोजनार्थ सुरक्षित करने के प्रस्ताव रीको द्वारा कलेक्टर, सवाई माधोपुर को दिनांक 29/11/1984 को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं।

(2) जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त निम्न स्थानों पर जिला उद्योग अधिकारी कार्यरत है :—

1–बालोतरा (बाड़मेर)
2–ब्यावर (अजमेर)
3–मकराना (नागौर)
4–आबूरोड (सिरोही)
5–फालना (पाली)
6–भिवाडी (अलवर)
7–हनुमानगढ़ (श्री गंगानगर)

हिण्डोन (सवाई माधोपुर) में जिला उद्योग अधिकारी कार्यालय खोले जाने का विषय विचाराधीन नहीं है।

### जयपुर नगर के पर्यटन व दर्शनीय स्थल

362. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में कौन-कौन से नए व पुराने पर्यटन एवं दर्शनीय स्थल हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या पर्यटन विभाग द्वारा दिल्ली मार्ग स्थित जल महल लेक का विकास करके वहां फाइव स्टार होटल व पर्यटकों की सुविधा के लिए अन्य सुविधाएं दी जाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होगा और इस सम्बन्ध में अभी तक कितना व्यय और कार्य किया जा चुका है ?

(3) क्या पर्यटन विभाग द्वारा शहर के गुलाबी रंग को बनाये रखने व नगर के पुराने दर्शनीय स्थलों को सुन्दर बनाये जाने की योजना है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या पर्यटन विभाग द्वारा गलता तीर्थ-स्थल पर क्यारे के निर्माण कार्य को पूरा करके उसे दर्शनीय पर्यटक स्थल बनाये जाने का कार्य पूरा किया जा चुका है ?

### उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। विभाग की जयपुर शहर के प्रमुख पर्यटक स्थलों एवं मुख्य दरवाजों के गुलाबीकरण तथा मुख्य इमारतों पर की गई फ्लैड लाइटिंग को सुव्यवस्थित रखने की योजना है।

(4) जी नहीं। यह कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

## बाग गंगा नदी पर पथैना ग्राम का निर्माणाधीन पुल

363. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) बाण गंगा नदी पर पथैना गांव के निकट बनाये जा रहे पुल का निर्माण कार्य किस विभाग द्वारा किया जा रहा है ?

(2) यह पुल अनुमानतः कितने दिनों में बनकर तैयार हो जायेगा ?

(3) पुल निर्माण हो जाने पर क्या इस पर टोल टैक्स लगाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना और कितने समय तक ?

### उत्तर

(1) बाण गंगा नदी पर पथैना गांव के निकट पुल का निर्माण कार्य राजस्थान स्टेट ब्रिज कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है।

(2) यदि पर्याप्त धनराशि समय-समय पर उपलब्ध होती रही तो यह पुल करीबन 2 वर्ष में बनकर पूरा हो जाने की आशा है।

(3) जी हां। राजस्थान सरकार के निर्णय के अनुसार जिस पुल की लागत 50 लाख से अधिक होती है उस पर टोल टैक्स वसूल होता है। अतः इस पुल पर भी नियमानुसार टोल टैक्स वसूल होगा--टोल टैक्स राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-8 [58। सानि/77 दिनांक 11-4-85 द्वारा निर्धारित दरों पर वसूल होगा और पुल की लागत राशि प्राप्त हो जाने तक वसूल होता रहेगा।

## नीमराना घाटी से बीजवाड़ा चौहान तक सड़क का निर्माण

364. **श्री प्रभू लाल** (नैनवा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या राज्य सरकार नीमराना घाटी से ग्राम काली पहाड़ी, इसरीपुरा (नयागांव) मोलावास, जालावास, मनेठी, भोजपुरी हुलनामा खुर्द, हुलमाना कलां होकर कस्बा बीजवाड़ चौहान तक वहां की परिस्थितियों को देखते हुए सड़क बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

नीमराना घाटी से ग्राम काली पहाड़ी, इसरीपुरा, पुनावास तक सड़क निर्माण की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष भाग भोलावास, झालावास मनेठी, भोजपुरी हुलमाना खुर्द, हुलमाना कलां, नयागांव एवं बीजवाड़ा चौहान की सड़क अलवर जिला मास्टर प्लान में क्रम संख्या ए-126 में प्रस्तावित है। इसके लिये अभी योजना राशि उपलब्ध नहीं है इसका निर्माण योजना राशि उपलब्ध होने पर ही निर्भर करता है।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

**श्री अध्यक्ष :** स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था है।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हरि कुमार औदिच्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्व-विद्यालय की परीक्षाओं के पुनंमूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध न होने के संबंध में।

(2) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से चान्दपोल जनाना अस्पताल में चिकित्सा एवं सफाई की व्यवस्था न होने के संबंध में।

(3) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से बून्दी जिले के बलपन गांव में पेयजल का भारी संकट होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से दीवावास बान्ध से लवाया गांव की ओर बने नाले को रोके जाने के संबंध में।

(5) श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य विधान सभा की ओर से टी. बी. क्षेत्रों के ग्राम भैरूंसरी के क्रमोन्नत मिडिल स्कूलों को कन्या विद्यालय बना देने के संबंध में।

(6) श्री जगत सिंह दायमा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बानसूर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नीमदूचाणा में प्राइमरी स्कूल न खोले जाने के संबंध में।

(7) श्री नाथूसिंह और सुश्री पुष्पा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपुतली, गोली काण्ड की जांच हेतु आवश्यक सुविधायें न देने के संबंध में।

(8) श्री लक्ष्मीनारायण किसान, सदस्य, विधान सभा की ओर से किशनगढ़ रेनवाल व फुलेरा में औद्योगिक क्षेत्र की सुविधायें न देने के संबंध में।

(9) श्री यदुनाथ सिंह सदस्य, विधान सभा की ओर से राजा मानसिंह हत्या काण्ड के मामले में चालान की अनुमति न देने से जनता में आक्रोश के संबंध में।

(10) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत फागी को गिरफ्तारी के संबंध में।

(11) श्री भंवरलाल शर्मा, (हवामहल) सदस्य, विधान सभा की ओर से मैसर्स बजरंग कोल कम्पनी, जयपुर को प्राप्त रेलवे वेगन को ब्लैक में बेचे जाने के संबंध में।

(12) श्रीमती विद्या पाठक सदस्य, विधान सभा की ओर से सांभर सिटी में 11

(श्री अध्यक्ष)

लड़की के साथ बलत्कार व गला घोंटकर हत्या के संबंध में।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा): धिक्कार।

(13) श्री देवी सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर अस्पताल में प्लास्सीजम की अनुपलब्धि के कारण एक हार्ट पेशेन्ट की मृत्यु के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होवे पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से साहबी नदी और मसीत की नदी की बाढ़ से ग्रामों को बचाने के लिए बांध बंधवाने के संबंध में।

(2) श्री ग्यारसीलाल सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई कस्बे के पहाड़ से ह पेड़ काटे जाने के संबंध में।

(3) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से केशोराय पाटन क्षेत्र के विद्युतिकृत गांवों में खम्बे न होने व कनेक्शन नहीं जाने के संबंध में।

(4) श्री चुन्नीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुजानगढ़ शहर में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक न होने के संबंध में।

(5) श्री फूलचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से एस. एच. ओ. थाना प्रभारी चौमूं थाना द्वारा भ्रष्टाचार व मनमानी से जनता में आक्रोश के संबंध में।

(6) श्री हरीश चन्द्र कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम घटवा एवं कुड़दी तहसील नावा में स्वीकृत ट्यूबवैल्स के निर्माण न करने के संबंध में।

(7) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में यातायात की व्यवस्था खराब होने के संबंध में।

(8) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से हाड़ौती क्षेत्र में अपराधों में वृद्धि व पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री शिवचरण सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से खनिज सम्पदा की लीज देने में अनियमितता के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य विधान सभा की ओर से रेगिस्तानी इलाकों में पानी में फ्लोराइड तत्व के कारण अपंगता के प्रश्न के उत्तर में गलत बयानी के संबंध में। उत्तर का अध्ययन करने से कोई गलत बयानी नहीं पाई गई।

(2) श्री नवरंग सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से नवलगढ़ में राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धि के संबंध में। इस विषय पर आज वक्तव्य दिया जायेगा।

# Page No. 58

(58)



(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य को वक्तव्य के समक्ष प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

उपरोक्त दोनों प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अत: मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार कर दिये हैं उन सदस्यों के नाम क्रमश: मैं पुकारूंगा और वह अपनी बात संक्षेप में पूरी कर दें।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव 11 तारीख को एक अध्यापिका के संबंध में दिया था।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : सभी माननीय सदस्य बोलने खड़े हो गये हैं मैं क्या करूं। आर्डर आर्डर। आर्डर, माननीय सदस्य।

**श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव कोटपूतली में गोलीकाण्डके बारे में दिया था जिसमें जस्टिस जी. के. शर्मा द्वारा जाच किये जाने के संबंध में....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। मैंने जानकारी के लिए भेजा है।

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, कितने दिन में जानकारी आती है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, आपने खुद अपने स्थगन प्रस्ताव में लिखा है कि जानकारी मांगी जाय।

**श्री नाथूसिंह** : आखिर कितने दिन में जानकारी आती है?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप बैठें। कृपया बैठें।

**श्री नत्थीसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था एक अध्यापिका की तनख्वाह रुक जाने के संबध में उसको वेतन नहीं दिया गया है। उसकी तनख्वाह रोक ली गई है। आज तीन दिन से ज्यादा समय हो गया।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, जिन स्थगन प्रस्तावों को जानकारी के लिये भेजा जाता है उनकी जानकारी तीन दिन में आ जानी चाहिए। नहीं आई तो मैं उस पर व्यवस्था दूंगा कि वह जल्दी भेजें।

**एक माननीय सदस्य** : जानकारी आ गयी है।

**श्री मोहन प्रकाश** (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था आपने उसको जानकारी के लिये भेजा था शुक्रवार को।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा कि वह जानकारी क्यों नहीं आई है।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, नवरंगसिंह जी आप बीच में व्यवधान नहीं डालें।

**श्री नवरंगसिंह** (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू शुरू में ही स्थगन प्रस्ताव दिये थे पर कोई जवाब नहीं आया।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, जिन स्थगन प्रस्तावों की जानकारी नहीं आती है या उत्तर नहीं मिलता है माननीय सदस्य उनकी विशेष जानकारी के लिये मेरे कक्ष में आयें आप, माननीय सदस्य, कृपया मेरे कक्ष में आकर मिलें। मैं देखूंगा कि उनमें क्यों देर हुई।

**श्री नवरंग सिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस में सभी माननीय सदस्य चिल्ला रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसके बारे में आपने यहां पढ़ा एक लड़की, जो कि 11 साल की थी के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद में उसका गला घोंट कर हत्या करदी गयी। उसके बाद में भी पुलिस ने तीन दिन तक उसकी लाश को नहीं दिया।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्या, उसको जानकारी के लिये भेजा है।

**श्रीमती विद्या पाठक** : उसको आप केन्सल कर दीजिये क्योंकि जो जानकारी आयेगी हम उसको जानते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्या, आपने जो प्रस्ताव दिया उसको तथ्यों की जानकारी के लिए भेजा है, सरकार की तरफ से जवाब आयेगा।

**श्रीमती विद्या पाठक** : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वहां गयी थी।

**श्री अध्यक्ष** : सरकार से जवाब आ जाय तो उससे लाभ ही है। इससे आपको लाभ होगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, जानकारी आने से लाभ ही मिलेगा। आपको उसकी कार्यवाही होने में लाभ ही मिलेगा।

**श्री लक्ष्मीनारायण किसान** (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, वहां पर पुलिस की निष्क्रियता के कारण उस लड़की का दाह संस्कार तीन दिन तक नहीं हो सका। साम्भर में करीब 20 हजार लोग इकट्ठे हो गये थे पुलिस ने तीन दिन तक लाश नहीं दी।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री यदुनाथ सिंह :

(अनुपस्थित)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था पानी

(श्री दाऊदयाल जोशी)

में फ्लोराइड डालने से जो अपंगता आ जाती है....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आप नीचे बैठिये। माननीय सदस्य आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह स्थगन प्रस्ताव की सीमा में ही नहीं आता है। आपने एक प्रश्न पूछा उसमें मन्त्री जी ने जवाब दे दिया। आपने कहा कि मन्त्री जी ने जवाब गलत दिया है, तो उसके लिये माननीय सदस्य दूसरी प्रक्रिया है आप वह अपनाइये। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिये सवाल उठाकर देख लिया। मैंने उसको देख लिया है वह कांट्राडिक्शन में नहीं आता है। आपका यह स्थगन प्रस्ताव ही नहीं बनता है। मैं आपको इस पर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। आर्डर सुश्री पुष्पा जैन।

**सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : अध्यक्ष महोदय, जब से यह विधान सभा शुरू हुई है तब से मैं लगातार स्थगन प्रस्ताव देती आ रही हूं।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने जानकारी चाही है।

**सुश्री पुष्पा जैन** : वह तो आपकी अनुकम्पा है कि आपने सरकार से जानकारी चाही है पर आज इतने दिन हो गये हैं। सरकार से कोई जानकारी नहीं आई है।

**श्री अध्यक्ष** : आज भी कुछ आये हैं। पर आज तक जो दिये गये है उनकी जानकारी नहीं आई है उसके लिये मैं व्यवस्था दूंगा।

**सुश्री पुष्पा जैन** : एक भी नहीं आया है अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : जो भी है उसकी जानकारी करूंगा कि इतना लम्बा समय हो गया है, उसके लिये व्यवस्था दूंगा।

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, आठवीं विधान सभा में चेअर के द्वारा एक नयी व्यवस्था दी गयी थी। इसमें जिन माननीय सदस्यों ने अपने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं जो बहुत ही महत्व वाले हैं उनको राज्य सरकार के पास जानकारी के लिये भेजते हैं, कई प्रस्तावों को आप रिजेक्ट कर देते हैं, उन पर आप बोलने के लिये अनुमति देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन, प्रस्ताव दिया है वह काफी महत्वपूर्ण है। बीकानेर के अस्पताल के अन्दर....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आप एक मिनट मेरी अर्ज सुनिये। वहां 11 तारीख से हड़ताल चल रही है। वहां पर मरीज ...

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बैठें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : मरीज अस्पताल खाली करके जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप राज्य सरकार को कहें, वह आज ही अपना इस पर वक्तव्य दे। यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य कृपया बैठें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, वहां पर न आक्सीजन की व्यवस्था है, मरीज

(श्री देवीसिंह भाटी)

ग्रस्पताल खाली करके जा रहे हैं। वहां पर मेडिकल स्टूडेन्ट्स ग्रौर डाक्टरों की हड़ताल चल रही है।

**श्री ग्रध्यक्ष** : राज्य सरकार को भेजा है जानकारी के लिए। कोई कार्यवाही होती है तो ग्रच्छी बात है, ग्रापका परपज पूरा होगा ग्राप जो चाहते हैं वह बात पूरी होगी ग्रौर जवाब नहीं ग्रायेगा तो मैं व्यवस्था दूंगा, ग्रापको बोलने का मौका मिलेगा।

**श्री देवीसिंह भाटी** : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कह दूंगा तो चेयर पर ग्राक्षेप होगा। दो-चार स्थगन प्रस्ताव जो राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए भेजे गये हैं, उनका ग्राज तक उत्तर नहीं ग्राया है।

**श्री ग्रध्यक्ष** : माननीय सदस्य को इजाजत नहीं है, कृपया बैठें। कई स्थगन प्रस्तावों का जवाब ग्रा चुका है ग्रौर बहुत से स्थगन प्रस्ताव पुलिस के ऊपर थे, पेयजल के ऊपर थे. उन सभी स्थगन प्रस्तावों ग्रौर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं, उन पर सभी को जब उनकी डिमाण्ड ग्राई मैंने सबको बोलने का मौका दिया है। उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी जानकारी ग्रा चुकी थी ग्रौर कई ऐसे हैं जिनकी जानकारी नहीं ग्राई थी। लेकिन कई माननीय सदस्यों को डिमाण्ड थी इसलिये मैंने बोलने का मौका दिया। इसलिये यह कहना कि जानकारी नहीं ग्राई है, सही नहीं। क्योंकि कई स्थगन प्रस्ताव हैं उन पर तत्काल व्यवस्था नहीं दी जा सकती जैसा ग्रामतौर पर दी जाती है इसलिए ग्रापको भ्रम हो गया है कि राज्य सरकार से जानकारी नहीं ग्राई है। मैंने जो ग्रापके स्थगन प्रस्ताव थे, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे काफी पुलिस ग्रौर पेयजल के ऊपर थे उनमें से काफी पर जानकारी ग्रा गई थी, कुछ पर जानकारी नहीं ग्राई थी लेकिन मैंने सबको मौका दे दिया था। इसलिये माननीय सदस्य यह ख्याल कर रहे हों जानकारी नहीं ग्राई, ऐसी बात नहीं है। जानकारी ग्राना बाकी है। मैं यह नहीं कहता इसीलिये मैंने माननीय सदस्यों से कहा है कि उनको देखकर, काफी लम्बा समय हो गया है राज्य सरकार को ग्राज पुन: तत्काल जवाब देने के लिए कहूंगा, जवाब नहीं ग्राया तो कल इस पर ग्रपनी व्यवस्था दूंगा।

**सुश्री पुष्पा जैन** : कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें राज्य सरकार की जानकारी नहीं ग्राई लेकिन ग्रखबारों के माध्यम से छपा है। मैंने तीन-चार दिन पहले मुख्य सचिव ने हाउसिंग बोर्ड से प्लाटों का ग्रावटन कराया इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया था....

**श्री ग्रध्यक्ष** : ग्रखबारों के माध्यम से कहना काम्प्लेजेन्ट नहीं है, ग्राप जानती हैं ग्रखबारों के माध्यम से कैसे यहां पर काम्प्लेजेंट हो सकता है। ग्राप बैठें। ग्रापने स्थगन प्रस्ताव दे दिय है, उस पर बोलने का मौका मिलेगा। उस पर ग्राप सदन में बोल सकती हैं। ग्रापने स्थगन प्रस्ताव दे दिया है यह काम्प्लेजेंट हो गया है। ग्रखबारों के माध्यम से बोलेंगी तो मैं उस पर ग्रनुमति नहीं दे सकता। माननीय सदस्या, कृपया बैठें। श्री जगमाल सिंह।

**सुश्री पुष्पा जैन** : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप व्यवस्था दे दें कि एक-दो दिन में सरकार जानकारी नहीं देती है तो ग्राप रिजेक्ट कर दें।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्या, कृपया बैठें। श्री जगमाल सिंह।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : आप अपनी व्यवस्था पर कायम रहते है। आप हमसे कहते हैं कि नियमों की अवहेलना करते हैं चैलेंज करते हैं। यहां पर हम सदस्य के नाते बैठें हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ हमारे भी प्रिविलेजेज हैं। आपने स्वयं व्यवस्था दी थी....

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बैठें।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : आप मेरी बात सुनिये। आपने कहा था तीन दिन में राज्य सरकार से जानकारी नहीं आयेगी तो आप स्वयं अपनी डिस्क्रिशन लूज करके आदेश देंगे। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं....

**श्री अध्यक्ष** : यह मेरी व्यवस्था नहीं थी। मैंने कब कहा कि राज्य सरकार का जवाब नहीं....

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : आप प्रोसिडिंग उठाकर देख लीजिये। मैंने पुष्कर के मामले में स्थगन प्रस्ताव दिया था, आपने कहा था कि तीन दिन का समय....

**श्री अध्यक्ष** : यह ठीक है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : उसको आज एक हफ्ता हो गया है लेकिन उसमें राज्य सरकार क्या जानकारी देगी जब कि सवाल उसमें दूसरा है। प्रश्न यह है कि सरकार जान बूझ कर इस मामले में देरी कर रही है।

**श्री अध्यक्ष** : मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं....

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : यदि राज्य सरकार जवाब नहीं दे तो आप ही व्यवस्था करें। आप भी व्यवस्था नहीं दें तो हम क्या करेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : मैं एक बात जानना चाहता हूं, स्थगन प्रस्ताव देते हैं यह महत्व समझकर कि इस पर राज्य सरकार कार्यवाही करेगी। खास महत्व स्थगन प्रस्ताव का यह होता है कि राज्य सरकार उस पर कार्यवाही करे। अगर राज्य सरकार के पास जाता है कार्यवाही हो जाती है तो अच्छा है, नहीं तो आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन बोलने मात्र से ही पूरा नहीं होता। बोलने का अधिकार नहीं जाता है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : मैं बोलने की बात नहीं कर रहा, मैं तो यह कहता हूं जो हम विषय के महत्व की जिम्मेदारी समझकर देते हैं और केवल राज्य सरकार की जानकारी के लिए नहीं देते हैं, सारे राजस्थान की जनता की जानकारी के लिए देते हैं। राज्य सरकार बैठी है, हमारी व्यवस्था है, हम किस तरीके के काम करते हैं। आप भी कभी-कभी अपने डिस्क्रिशन लूज करें। आज सात दिन हो गये....

**श्री अध्यक्ष** : मैंने आपको यह कब कहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : अमूमन मैं उत्तेजित नहीं होता लेकिन मैं अपने प्रिविलेज का किस तरह उपयोग करूं इसका मुझे भी ध्यान है, मैं इस बात को अन्त तक जानने के लिए तैयार हूं आपसे। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप डिस्क्रिशन लूज नहीं करें और राज्य सरकार जवाब नहीं दे और हम रोज-रोज खड़े होकर गरीब की तरह

# Page No. 63

(63)



(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

आपके सामने सवाल करें। चेम्बर में आते हैं आपके, आप सीधी सी बात को कहकर हमें टाल देते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : जब व्यक्तिगत बात करते हैं, हम भी आपका रिगार्ड करते हैं लेकिन हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, हमारे कुछ अधिकार हैं।

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना डिस्किशन लूज करें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में आपने फरमाया राज्य सरकार से कार्यवाही करने के लिए मूव करते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आपने गलत समझा, मैंने यह नहीं कहा।

आपके स्थगन प्रस्तावों पर कोई एक्शन हो, राज्य सरकार कार्यवाही करे, राज्य सरकार ने कार्यवाही की हो, ऐसा मैंने नहीं कहा। एक्शन हो, आपकी जानकारी से अगर कार्यवाही हो जाती है तो अच्छा है। आपको केवल बोलने का ही मात्र अधिकार नहीं है, आपको बोलने का मौका मिलेगा ही।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : केवल इसलिये स्थगन प्रस्ताव मूव नहीं किये जाते, मूव इसलिये किये जाते हैं कि सरकार फेल हुई है उस चीज को रोकने के लिए। एक्शन के लिए तो सरकार के पास अवसर है। सरकार ने एक्शन नहीं लिया इसलिये स्थगन प्रस्ताव मूव किया जाता है। जानकारी लेना या निर्णय लेना, यह कोई आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो अस्वीकार कर दें इसमें मुझे आपत्ति नहीं होगी। आप इस पर बोलने का मौका नहीं देंगे यह मेरी समझ में आ सकता है लेकिन महत्वपूर्ण मामले इस सारे जजाल में फंसकर नहीं रह जायें जो सरकार की जानकारी है, सरकार अवोइड करना चाहेगी....

**श्री अध्यक्ष** : अवोइड कैसे कर सकती है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : इसलिये इसकी कोई सीमा निश्चित करें, सरकार एक दिन के अन्दर सूचना दे आप उसको एडमिट करें या हाउस में रखने लायक समझें या नहीं, इस पर एक-दो मिनट बोलने का मौका देने की स्वीकृति आप पर निर्भर करती है। लेकिन आपकी जो पावर्स हैं, सदन की जो पावर्स हैं वह सरकार के सामने सरंडर नहीं कीजिए।

**श्री अध्यक्ष** : कोई प्रश्न नहीं उठता।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह एक तरह से सरंडर ही है।

**श्री अध्यक्ष** : कोई प्रश्न नहीं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं समझता हूं कि कल से आपकी अथारिटी और सदन की अथारिटी को सरकार के सामने सरन्डर करने की प्रक्रिया है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न नहीं है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, टोटल सरन्डर है। आप मुझे बता दीजिए कहां रूल्स में इस प्रकार की व्यवस्था है कि सरकार जानकारी देगी तभी स्थगन प्रस्ताव मूव होगा।

**श्री अध्यक्ष** : परम्परा रही है अपने यहां।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : इस परम्परा को हमने हमेशा भोगा है, सरकार इसका लाभ उठा रही है।

**श्री अध्यक्ष** : कोई लाभ नहीं उठाने दिया जायेगा। सदन की परम्परा है, कोई रूल्स में नहीं है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : इसलिए मै चाहूंगा कि जो परम्परा है सरकार उसका फायदा उठाती है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : हम सरकार को बाध्य कैसे करेंगे ? आखिर लोकतन्त्र है, चुनाव होता है, वोट मिलते हैं, जनता को बताना पड़ता है।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने कहा कि आपकी भावना को समझ लिया है, कृपया बैठें। श्री जगमाल सिंह।

**श्री जगमाल सिह यादव** (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव तिजारा विधान सभा क्षेत्र में जो पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी बरसाती नदी में बाढ़ की विनाश लीला पैदा करती है इस सम्बन्ध में है। उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक बात तो बड़ी विचित्र देखी कि पश्चिमी राजस्थान में जब सूखा पड़ता है तो मात्र रोजगार देने के लिए सरकार अरबों करोड़ों रुपये पश्चिमी राजस्थान में खर्च करती है। पूर्वी राजस्थान की समस्या मात्र इतनी है कि अलवर और भरतपुर दोनों जिले ऐसे हैं जिनमें दो-तीन साल के बाद यह प्रलय होती है। बाढ़ नदियों से आती है जिससे विनाश लीला होती है। इस बारे में राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों और सिंचाई विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया है। जो छोटे-छोटे कार्य हैं, अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार उनकी तरफ भी तवज्जोह करना चाहेगी तो हर साल जो विनाश लीला होती है उससे हमें बचाया जा सकता है। महोदय, याद होगा सदन को और सरकार को भी कि जिस दिन श्री शिवचरण जी माथुर मुख्य मन्त्री पद की शपथ ले रहे थे 1981 में, यही गांव जिनका मैंने जिक्र इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से किया है इन गांवों में सैकड़ों आदमी इस बाढ़ से मारे गऐ, सैकड़ों पशु मारे गये। साबी का पानी अपनी दिशा बदलकर इन गांवों में घुस गया था। सैकड़ों आदमी मारे गये, सैकड़ों पशुधन की हानि हुई। उसके बावजूद भी इस राजस्थान की सरकार ने साबी से इन गांवों को बचाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। इससे पहले भी बाढ़ ने कुछ नुकसान किया है अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के राज में इस बाढ़ को रोकने के लिए कानहड़का और सिलमटा के बीच में नाका बनाया गया। वह नाका बमुश्किल एक किलोमीटर और बढ़ा दिया जाये। इस तिजारा विधान सभा क्षेत्र में क्या बल्कि अलवर में भी यह साबी नदी बाढ़ की विनाश लीला पैदा करती है। केवल तिजारा

(श्री जगमालसिंह यादव)

विधान सभा क्षेत्र ही नहीं है जहां यह बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, यदि उस दाके को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाये तो यह हमेशा की समस्या सुलझ सकती है।

इसी तरह से मसीद नदी जो अलवर जिले की बहुत बड़ी नदी है नौगांव बांध में जाकर गिरती है लेकिन जो मसीद नदी है इस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और यह नदी नौगांव बांध में न गिरकर उस बंध के सहारे से होकर गुजर जाती है जिससे मखीदा, नसोपुर, हीरयावास, कलोपुर, और माजरी गांवों की सारी फसलें नष्ट कर देती है और इसी तरह यहां यह विनाश लोला पैदा करती है। कच्चे और पक्के मकान हर बरसात में गिर जाते हैं। महोदय, आज भी अलवर जिले में भारी बरसात हुई है। शायद दो तीन साल की सबसे जबरदस्त बरसात हुई है क्योंकि मैं वहीं से आ रहा हूं। हालात यह है कि समय रहते मैंने सरकार को आगाह कराया है, सरकार को पत्र लिखा है और यहां तक की मैंने सिंचाई विभाग को व्यक्तिगत मिलकर यह निवेदन किया है, पत्र की मार्फत किया है. जिलाधीश अलवर को भी लिखा है कि अगर इन गांवों में बाढ़ की विनाश लीला हुई तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी। जरा सा खर्चा है आप इसके लिए तत्काल कार्यवाही कीजिये। लेकिन आज, महोदय, उसमें एक टाकरी मिट्टी नहीं डाली गयी। साबी नदी में इस बार पानी आया तो सैकड़ों आदमी इस बार तिजारा विधान सभा क्षेत्र में मरेंगे और वह सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। अतः आपकी मार्फत थोड़े से समय में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इन 15-20 गावों को इन्सानियत के नाते यह सरकार बचाना चाहती है तो बमुश्किल दोनों जगह बचाने के लिए दो लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं है जिनमें 15 और 20 गांवों को बाढ़ से बचाया जा सकता है। इसलिए महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं समय रहते हुए, यह साबी नदी कहीं विनाश लीला बाढ़ की पैदा नहीं कर दे। इसलिए मेरा आपकी मार्फत यह सरकार से निवेदन है कि तुरन्त सिंचाई विभाग को निर्देश जारी करें। कोटकासिम में कानहडका, अनाका, सिलमटा, जमालपुर, चौको और दाइका यह जो गांव लगते हैं और बाढ़ की चपेट में हमेशा आते हैं अगर अतिवृष्टि हो गयी तो इन गांवों का नेस्तनाबूद नहीं रहेगा, यह गांव अस्तित्व में नहीं रह पायेंगे।

इसी तरह, महोदय, जमालपुर का मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपको। एक शिव मन्दिर है बहुत बड़ा जो कि साबी के बिलकुल किनारे पर है। अगर इस बार जरा सा भी पानी आ गया तो शिव मन्दिर, जो मेरे ख्याल में कई लाखों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और कई लाखों की लागत से बना हुआ है, इस बार जरा सा भी पानी यदि साबी नदी में आया तो यह शिव मन्दिर भी बह जायेगा। इसलिए मेरा यह सरकार से निवेदन है कि क्योंकि अभी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई नहीं है अगर अतिवृष्टि हुई तो बाढ़ वहां आयेगी। और मेरा यह विश्वास भी है कि इस बार बरसात होगी इसलिए सरकार से मेरा यह निवेदन है कि समय रहते हुए इन दोनों जगह को, इन दोनों गांवों को बाढ़ से बचाया जाये।

धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री ग्यारसीलाल ।

**श्री महेन्द्र शास्त्री** (मुण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, अलवर में एक बाढ़ नियन्त्रण केन्द्र स्थापित किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि साबी नदी जहां-जहां से निकलती है अलवर के क्षेत्र में भी और जयपुर के क्षेत्र में भी....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

**श्री महेन्द्र शास्त्री** : ....समय रहते हुए साबी की इस विनाश लीला से वहां के क्षेत्र को बचाने की सरकार कृपा करे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री ग्यारसीलाल।

**श्री ग्यारसीलाल परिडवाल** (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि एक तरफ हमारी सरकार इस बात का नारा देती है कि पेड़ लगाओ बारिश लाओ, पेड़ बचाओ और दूसरी तरफ किस तरीके से पेड़ मेरे क्षेत्र में काटे जा रहे हैं, मैं आपको मेरे क्षेत्र निवाई की बात कहता हूं। मेरे यहां एक बहुत विशाल पहाड़ है। आज के कुछ समय पहले वहां बहुत ही अच्छी हरियाली थी और काफी बड़े-बड़े आगे और पीछे वृक्ष थे। वहां फारेस्ट के द्वारा वहीं के लोगों को परमिट बनाये जाते हैं। बाकायदा फारेस्ट के आफिस से वहां के नागरिकों को सवा रुपये के हिसाब से एक परमिट बनाकर देते हैं परमिट इसलिए देते हैं कि आप इतने घंटे में लकड़ियां जो छोटी हों और पेड़ नहीं हों, छोटी लकड़ियां हों वह काट कर ले आओ जिनको हम कहते हैं मोली। तो काफी संख्या में औरतें और आदमी वहां से मोलियें बांध बांध कर लाते हैं। जो अब वह छोटी लकड़ियां न काटने के बजाय बड़े बड़े वृक्ष के तने काट कर लाते हैं जो भारी पेड़ होते हैं वह दिन में वहीं डाल आते हैं और रात को किसी साधन से बैलगाड़ी से लाद कर ले आते हैं। इस तरीके से वहां यह खुले में हो रहा है। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं, खुले में हो रहा है वहां और फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के द्वारा इस तरीके से वहां हो रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा पांच सात दिन पहले राजस्थान पत्रिका में यह न्यूज आई और मेरे ही क्षेत्र की न्यूज थी कि टोंक जिले में निवाई विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा लकड़ियां और पेड़ों को इस तरीके से काटा जा रहा है, वहां से ट्रक, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रालियां भर भर कर इस तरह से जा रही हैं जिसका मैं आज प्रमाण दे सकता हूं कि वहां जितनी भी आरा मशीनें और जितनी भी टाल हैं वहां भारी मात्रा में लकड़ियां और पेड़ के पेड़ कटे हुए पड़े हैं। वहां देखकर अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह पेड़ कहा से आये। मैंने उनको जाकर पूछा कि भाई, यह पेड़ आप लोग कहां से लाते हैं तो उन्होंने कहा कि हम तो पेड़ बाहर से लाते हैं। वह लकड़ी इस कदर है।

( 2.48 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वहां कि जाओ तो वह बता भी नहीं सकते कि पेड़ कहां से लाये। सारी टालों पर भारी मात्रा में पेड़ पड़ हुए हैं।

(श्री ग्यारसीलाल परिडवाल)

दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहाड़ के पीछे जो जमीन थी जहां वन विभाग के पौदे उगाये जाते थे, काफी पहले से वायर लगाकर उस जमीन को सुरक्षित रखा हुआ था। उस जमीन पर भी कुछ लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिए। उन तार वगैरह को उखाड़ कर फेंक दिया गया। वहां जो पेड़ बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं या लगे हुए हैं उनको आज भी काटा जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन तो यह है सरकार से कि वहां पर फौरन-इसके लिए कार्यवाही की जाये और उन लोगों को पकड़ा जाये, उन फारेस्ट अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाये। जितनी भी आरा मशीनें और टालें हैं जिनके ऊपर यह लकड़ी पड़ी हुई हैं उनको चैक किया जाये। जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। फौरन उनको अरेस्ट किया जाये या उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये, मेरा यही निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मांगीलाल मेघवाल।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान केशोरायपाटन क्षेत्र, मेरे क्षेत्र की जो बिजली की व्यवस्था है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने अधिकारियों से लिखित में जब यह चाहा कि केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तो वहां से जो सूची मिली करीब 8 गांव जो मैंने उसमें बताये हैं चलकासर, श्रीपुरा, रंगराजपुरा, जलोदा, बुदिया, कमोलर, कानेड़ा में 31/3/85 तक विद्युतीकरण होना बताया गया है। जबकि उन गांवों में मैं स्वयं घूम फिर कर देख कर यह जानकारी लेकर आया हूं कि उन गांवों में कहीं मात्र खम्भे लगे हैं और कहीं तो खम्भे भी नहीं हैं। कई खम्भे देखने के बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है। उन लोगों ने पैसे जमा करके लिये। किसानों और ग्राम जनता ने अपने पैसे का उपयोग करने के निमित पैसा खर्च किया है और आज उनको पैसा खर्च किये जाने के बाद भी बिजली कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। इस तरह से इन अधिकारियों का जन प्रतिनिधि को गुमराह करना, जनता के पैसे का दुरुपयोग करना, उनको विद्युत कनेक्शन समय पर नहीं देना मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करे और जनता की समस्या का उचित समाधान करने की कृपा करे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री चुन्नीलाल मेघवाल।

**श्री चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव सुजानगढ़ में ट्रेफिक व्यवस्था से सम्बन्धित है। सुजानगढ़ शहर की आबादी करीब 60 हजार है वहां ट्रेफिक व्यवस्था बिलकुल भी नहीं है। एक दो सिपाही को कभी-कभी ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। मैंने स्थानीय थानेदार साहब से यह पूछा तो कहा यहां तो कोई ट्रेफिक का अलग से कान्सटेबल नहीं है। एस.पी. साहब से भी पूछा तो वह यह कहते हैं वहां हमने स्टाफ दिया हुआ है। ऐसी दोहरी बातें हैं। 60 हजार की आबादी है वहां पर बस स्टेण्ड है निगम का, वहां इतनी भारी भीड़ रहती है जिससे टेम्पो वगैरह से आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। आगे जब

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

चलते हैं शहर में घण्टाघर है वहां इतनी भीड़ रहती है कि एक आदमी का आना-जाना, बाजार से चीज लाना दुभर हो जाता है। बड़ा ऐसा लगता है कि कोई व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं। सब्जी मण्डी पर इतना हिसाब-किताब होता है कि सब जगह जो व्यक्ति हैं वह देखते हैं कि प्रशासन की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो मेरा सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना है कि सुजानगढ़ शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का कारगर प्रबन्ध किया गया तो जानवरों और आदमियों के साथ जो दुर्घटनायें होती रहती हैं उस क्षेत्र में उनको बचाया जा सकता है। अगर व्यवस्था की जाये। यह मेरा निवेदन था।

सरकार से पुन: निवेदन करता हूं कि सुजानगढ़ शहर में ट्रैफिक व्यवस्था की जाये जिससे जनता को लाभ मिले।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री फूल चन्द।

**श्री फूल चन्द गुर्जर** (नीमकाथाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था कि नीमकाथाना के प्रभारी, जो पूर्व में पाटन में थानेदार थे, ने इस क्षेत्र में इस प्रकार की अशांति और भ्रष्टाचार का वातावरण पैदा किया है जिससे वहां की जनता बड़े कष्ट के दिन झेल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता के द्वारा बार-बार उसकी किशायतें की गई, सबूत सहित, प्रमाण सहित शिकायतें की गई लेकिन आज तक सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। वह काफी लम्बे समय तक पाटन रहा। पाटन में उसने भ्रष्टाचार की इतनी सीमा लांघ दी, मैं उदाहरण देकर बताता हूं कि उस थानेदार ने वहां के काश्तकारों, गरीबों, मजदूरों पर इतने अन्याय ढाये जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। एक बार एक काश्तकार अपना ट्रैक्टर लेकर पाटन में ठीक करवाने के लिये जा रहा था। उसको वहां पर रोड साइड पर खड़ा किया। थानेदार सिविल ड्रेस में था, वह ट्रैक्टर मालिक से बोला, लाइये इसके कागज कहां हैं। मालिक ने कहा, साहब आज तक किसी थानेदार ने किसी ट्रैक्टर के कागज नहीं देखे। उसने कहा, आज तक तूने कोई थानेदार नहीं देखा। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि थानेदार ने उसको इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। उसको दो सिपाही थाने में ले गये और उस पर झूठा मुकदमा लगाया गया। इस प्रकार पाटन क्षेत्र में कम से कम 20 इस तरह के उस थानेदार ने लोगों के खिलाफ केस किये। उस थानेदार की काफी शिकायतें की गई। चुनाव से कुछ दिन पूर्व उस थानेदार को पाटन से हटाकर नीमकाथाना में रखा। आज नीमकाथाना में भी उसने ऐसा वातावरण बना रखा है।

मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूं, कुछ ही समय पहले एक हरिजन जो माल लाता था वह अपने बच्चों के कपड़े देने के लिये मण्डी में आया। उसने साइड में गाड़ी को खडा किया। थानेदार महोदय वहां सिविल ड्रेस में आ पहुंचे और उन्होंने उससे कागज मांगे। मालिक समझ नहीं सका, वह हरिजन था। उसने कहा कागज आप किस बदौलत मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें होश नहीं मैं कागज देख सकता हूं। उस हरिजन को इतना मारा कि उसके

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

बच्चे चिल्लाने लगे। छोटे-छोटे उन बच्चों को भी उसने बेरहमी से मारा। सारा बाजार इकट्ठा हो गया। बाजार दो रोज तक बन्द रहा। सारे लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। उसके खिलाफ शिकायतें कीं लेकिन आज तक उस थानेदार के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई।

मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं कि उस थानेदार ने न्याय पालिका को भी नहीं छोड़ा। न्याय पालिका में बाबूओं के ऊपर रोब गांठा और बाबूओं के साथ डांट झांप करके उनके कागज फेंक दिये और कहा कि जब तक मेरा यहां झण्डा रहेगा तब तक कोई कानून मेरे सामने झुकेगा और मेरी यहां चलेगी, बाबू क्या होता है। महोदय, उनके खिलाफ झूठे केस बनाये गये। उसकी जांच की गई और वह झूठे साबित हुए फिर उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा।

इतना ही नहीं, हमारे यहां एक गणेश टाकीज है उसके मालिक को कुछ तत्वों ने मारा-पीटा, जब वह थाने में रिपोर्ट लिखाने गया उसकी रिपोर्ट को फाड़ दिया और उसको दबाया गया कि जब तक उन चार बाबूओं के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखायेगे तब तक मैं तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। उसके कोरे कागज पर साइन कराये। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। सुबह जब उसको होश आया और मालूम हुआ उसके हाथ से चार आदमियों के झूठे नाम लिखवा दिये तो वह मजिस्ट्रेट के सामने गया और बयान दिया कि चार आदमियों के खिलाफ झूठे केस किये हैं, यह निर्दोष हैं मुझ को दबाकर मुझ से साइन करया लिये। इस प्रकार ऐसा वातावरण उस थानेदार ने नीमकाथाना में पैदा कर रखा है। इतना सरकार से निवेदन किया, मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन किया उस थानेदार के खिलाफ जो शिकायतें की गई हैं उसकी जांच करवाइये, इस बात को भी दो तीन माह हो चुके हैं उसके बाद भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। नीमकाथाना के वकीलों की बार एसोसियेशन ने उसके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पास किया कि इस थानेदार ने जनता को तबाह कर रखा है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं आपकी मार्फत सरकार से पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे थानेदार के खिलाफ जांच करायें। जितने जनता ने केस किये हैं उनकी जांच करवायें। यह नहीं हो कि उसका ट्रांसफर किया जाये। उसको सस्पेण्ड करके सबक दिया जाये। जो जनता के रक्षक हैं वे भक्षक बनकर कार्यवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। मैं आपको उदाहरण कितने ही बताऊं, उसने छोटे आदमियों के ऊपर बलात्कार के केसेज लगाये, दुनिया भर के झूठे चोरी के केसेज लगाये। जनता ने माल सहित चोरों को थाने में पेश किया, दो घण्टे बाद पैसे लेकर उन चोरों को छोड़ दिया और जनता के विरोध करने पर जनता के ऊपर लाठी चार्ज कराया। थानेदार ने वहां पर ऐसा वातावरण पैदा कर रखा है।

इसलिये महोदय, मैं पुन: राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि उस थानेदार के खिलाफ कार्यवाही करें। उसकी जांच करें, अन्यथा जनता मजबूर होकर जिस प्रकार थानेदार कानून तोड़ रहा है, कानून तोड़ेगी और सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। यही मेरा निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरिश्चन्द्र कुमावत ।

(अनुपस्थित)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा आन्दोलन हो गया, बाजार बन्द रह गया, बार ने प्रस्ताव पास किया, आफिसर्स ने प्रस्ताव पास किया, उसके खिलाफ 25 कोर्ट में मुकदमे पेंडिंग हैं, छुआछूत के 12 मुकदमें उसके खिलाफ चल रहे हैं, उसके खिलाफ सदस्य ने शिकायत की है, सरकार उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है । मुख्य मन्त्री को ज्ञापन दिया गया। क्या करना चाहती है वहां पर सरकार ?

**श्री डूंगरराम पंवार** (टीबी) : मेरा यह कहना है कि यह सरकार का राज है या थानेदार का राज है । एक अदना थानेदार है, इतने मुकदमे उसके ऊपर होने के बावजूद, सरकार को लिखित में बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है । सरकार है कहां पर ? किस जगह है ? क्या नाम है इस सरकार का ? क्या लोगों की कटपुतली है यह ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य ।

**श्री डूंगरराम पंवार** : उसको सस्पेण्ड करके उस जगह से हटाकर सरकार जवाब क्यों नहीं देती ? उसको टर्मिनेट किया जाये । ऐसे थानेदार की क्या जरूरत है । इस तरह का थानेदार है....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य ।

श्री हरिश्चन्द्र कुमावत ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उज्ला अरोड़ा ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया और यह बड़ी मजबूरी में दिया था । बरसों से जयपुर शहर एक्सपेरिमेंट का शहर हो गया । यहां पर भंवर गोविन्दसिंह जी आये और यहां पर यातायात को सुधारने के लिये बाजार में खम्बे लगाकर उसमें रस्सियां लगा दीं जिससे लोग टकरा टकरा कर, यातायात में सुधार तो नहीं हुआ, अनेक लोगों को चोटें आईं । वह मामला गया । लेकिन आज यहां पर जिस बाजार में देखो छोटे-छोटे रास्तों में देखो, वन वे ट्रेफिक लगाया गया है । वन वे ट्रेफिक रास्तों पर हो गया । एम आई. रोड पर वन वे ट्रेफिक है । आप देखेंगे, सरदार पटेल मार्ग वन वे ट्रेफिक है । वनस्थली मार्ग वन वे ट्रेफिक है । सांगानेरी मार्ग पर रास्ता नहीं निकलने से आये दिन दुर्घनायें होती हैं । पुलिस यातायात के अधिकारियों को सुझाई नहीं देता क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं कराना चाहते हैं । चांदपोल बाजार में ट्रेफिक की व्यवस्था के लिये डामर के ढोल लगा दिये गये । यह टामर के ढ़ोल हैं । बिना भरे खाली ढोल बीच बीच में लगा दिये । आये दिन टकराते हैं । आवश्यकता है तो बीच में पटरी बनाते, उस पर बिजली लगाई जा सकती थी लेकिन वह नहीं किया । इस शहर को नीचा दिखाने के लिये, इस शहर की सुन्दरता में दाग लगाने के लिये उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किये हैं आप देखेंगे कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं जिस तरह के एक्सपेरिमेन्ट वे इस शहर में कर रहे हैं । दीवाली

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पर पहले हम वन वे ट्रैफिक किया करते थे, ज्यादा भीड़ होती थी, बाजार में निकलना मुश्किल होता था, पर आजकल तो हर रोज दीवाली है। केवल दीवाली यातायात के लिये है और किसी काम के लिये नहीं है, रोशनी के लिये दीवाली नहीं है। आप जरा ध्यान से देखें, आप यह देखेंगे कि जहां पर वन वे ट्रैफिक लगाया गया है, बहुत अच्छी तरह से पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। खाली का इलाज बिक्स और सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वन वे, दूसरी तरफ आऊन रेडियो, आऊन टी. वी., वन वे ट्रैफिक 9 बजे से 11 बजे तक। इस शहर में देशी और विदेशी नागरिक आते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं कि गुलाबी नगर तो है. पर गुलाबी नगर की सुन्दरता को यातायात दाग लगा रहा है। मैं नहीं समझ पा रही हूं कि इनकी समझ में कुछ आता है या नहीं आता है। कहीं पर इन्होंने सड़क पर गति अवरोधक बना दिये है लेकिन उनमें जेब्रा लाइन नहीं है। जहां आवश्यकता नहीं है वहां इतने ऊंचे ऊंचे ब्रेकर टीलों के मुताबिक बना दिये हैं इनमें अगर ट्रक चढ़े तो भी धक्का खाये और स्कूटर तो पलट कर धक्का खाकर गिरे और एक्सीडेन्ट का सीधा सादा केस सामने नजर आ जाय, लेकिन ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई सुधार नहीं है। एक ट्रैफिक का नमूना इन्होंने लगाया है कि डीलक्स बस जो यहां से दिल्ली जाती है, उसको पूरे शहर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है और आधा घंटा या पौन घण्टा तो जयपुर नगर में ही लग जाता है। जहां पुलिया बन रही है जमुवा रामगढ़ रोड पर जो नेशनल हाई वे का बाई पास है, 25 मिनट तो वही पर खड़े रहना पड़ता है। उधर से बसों को गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं नहीं समझ पाती हूं कि यातायात के कैसे अधिकारी हैं इनको दिखाई नहीं देता कि जयपुर नगर कर में क्या रहे हैं। इस तरह जयपुर की व्यवस्था को बिगाड़ा गया है कि जो बस चार घण्टे में दिल्ली पहुंचती थी वह अब साढ़े 5 घन्टे में पहुंचती है और उसका माइलेज कम था, अब 7 किलोमीटर हो गया है इसका खर्चा कौन वहन कर रहा है? सरकार, लेकिन सरकार है कहां? मेरी समझ में नहीं आता है इस शहर पर ही एक्सपेरिमेंट करने की ऐसी दया क्यों की गई है। किस तरह यातायात को बिगाड़ कर रखा हुआ है। जिन बाजारों में कोई जरूरत नहीं थी, वन वे ट्रैफिक किया। जयन्ति बाजार, सबसे छोटा रास्ता जब सेक्रेटेरियेट से लोग निकलते हैं तो आधी रोड चान्दपोल बाजार की होती और फिर जयन्ति मार्केट में, कोई इन्दिरा मार्केट में होकर जाना चाहता है, लेकिन दोनों ओर बोर्ड लगे हुए हैं। मैं एक रोज उधर से आ रही थी तो जयन्ति मार्केट से मुझे न्यू कालोनी में उतार दिया। बोले, इधर मुड कर जावो, वह सड़क टूटी हुई है। अर्थात् यह प्रतिज्ञा की गई है कि जयपुर के नागरिकों के चोट लगे तो इनको खुशी, जयपुर के नागरिकों को असुविधा हो तो इनको खुशी होगी। एम. आई. रोड पर जब ट्रैफिक बन्द कर दिया तो वहां के व्यापारी इनसे मिलने आये। बोले, कुछ ढील दे देंगे लेकिन रखेंगे जरूर, शायद ठेली कम पड़ेगी। वनस्थली मार्ग पर वन वे ट्रैफिक वहां परमानेन्ट करने की क्या आवश्यकता थी? हम जहां एम. एल. एज. क्वार्टर में रहते हैं, वहां तो निकल नहीं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सकते इतनी भारी भीड़ है। वहां पर पहले ट्रैफिक बन्द था लेकिन अब खोल दिया गया। जहां पर ट्रैफिक बन्द रखना चाहिये वहां खुला है। जहां परमानेन्ट ट्रैफिक बन्दी की आवश्यता ही नहीं है, वहां बन्द किया गया है। पर बीच में रास्ते दो करने चाहिये थे, आने और जाने के, जिस तरह जौहरी बाजार में है और एम. आई. रोड पर है। काफी पोर्सन में है। लेकिन वहां न करके डामर के ढोल रख दिये गये हैं। मैं नहीं समझती हूं कि यह सरकार की अनभिज्ञता का नमूना है। इनको चाहिये तो यह था कि ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार, लेकिन वह तो करते नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि इन लोगों को दिल्ली भेज दें, बम्बई भेज दें, कलकत्ता भेज दें, अहमदाबाद भेज दें। अहमदाबाद में छोटे-छोटे बच्चे ट्रैफिक की व्यवस्था में खड़े हो जाते हैं स्कूलों के, वे चला लेते हैं। ये भिज्ञ आदमी जो यहां हैं न व्यवस्था करते है और न कुछ सुधार करते हैं। इन्होंने अव्यवस्था फैला रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इस शहर को बिगाड़ने के बजाय इन ट्रैफिक के अधिकारियों को कहीं बाहर भेज दें और डम्पर के ढोल तो तत्काल हटा दिये जायं....

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : ये डम्पर क्या होते हैं ?

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : डामर के ढोल को हम डम्पर कहते है। 25 लाख रुपये जे. डी. ए. ने इन्हें दिये थे गये साल और 10 लाख रुपया इस साल दिया है यातायात के सुधार के लिये। तो क्या खाली डामर के ढोल ही इनको रखने के लिये दिये थे? मेरी समझ में नहीं आता है। आप यादगार के सामने देखें जो शहर की हालत है। जहां पीले पीले डब्बे आधे कटे हुए, जो स्कूटर के भी लगे तो चोट लग जाय, इन्होंने रास्ते में लगा दिये हैं और काले-काले आटोलाइट के ढोल लगा दिये हैं, आधे से अधिक ट्रैफिक को रोक लगाने के लिये लगाये हैं। यह नमूना लगाया है उनमें तम्बाकू का विज्ञापन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या, आपके सभी पाइन्ट आ गये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : इस तरह से ये लोग, यहां कहना चाहिये, नशे वाली चीजों का विज्ञापन करते हैं। एक और लगा दिया जिस पर गुटका लिखा हुआ है। न मालूम कहां कहां से लाकर ये चीजें लगाई गई है। बापू बाजार में बीचोंबीच 7-8 ढोल रख दिये, जहां से जाने आने की जगह नहीं है और जिस तरह से न्यू कालोनी का मार्ग अवरोध किया है, मैं समझती हूं इनको शिक्षा देने के लिये कहीं भेज देना चाहिये। इस तरह से एक्सपेरिमेंट के लिये इस शहर को बरबाद न करें जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसको कार्यवाही के लिये भेज दें, ऐसी मुझे आशा है।

(व्यवधान)

**श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इन पुलिस को सुधारने के लिये आर. बी. पुलिस बुलाकर दनाई जाय, उसी दिन ठीक होंगे ये।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अलग से सुझाव दे देना।

**श्री बहादुर सिंह** : यह मेरा सुझाव ही है। यह तभी ठीक होंगे। जो बिगड़े हुए हैं पुलिस के आफिसर, उनकी थानों में ले जाकर ऐसी पिटाई की जाय आर. ओ. द्वारा कि जब तक हिले तब तक मारे। उनके बाल भी हवा में हिले तब तक मारे। तब ठीक होंगे ये। आर. ओ. पुलिस से जो मिलट्री की है, कुटाई करानी होगी, उसी दिन यह पुलिस ठीक होगी, या इनको सगलों को, सारों को छुट्टी देकर न वई भर्ती खोल दो।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : यातायात की असुविधा के बारे में माननीय सदस्या ने जो निवेदन किया, उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। आज पता नहीं उसकी तरफ सरकार की तरफ से कोई नोटिस दे रहा है या नहीं। यह जो बाई पास है दिल्ली को जाने वाला। यह जमुवा रामगढ़ से रोड से जाने पर जो चुंगी है, वहां मिलता है। आजकल वहां जो पुलिया बन रही है, वह रेज हो रही है और परिणाम स्वरूप जो डबल रोड थी वह सिंगल रोड हो गई। वहीं तो चुंगी का नाका। तो जितने भी दिल्ली को ट्रक आते हैं और जाते हैं, वहां चुंगी चुकाने के लिये रूक जाते हैं। तो उनके रुक जाने के कारण बाई-पास से जो सवारियां जाती हैं, उसके कारण वहां जगह तंग रहने के कारण कभी-कभी तो एक एक गाड़ी को निकलने में घंटा भर लग जाता है।

कल की बात बताता हूं। कल रात जब मैं रामगढ़ से आ रहा था तो एक ट्रक का पेट्रोल खतम हो गया, डीजल खतम हो गया और उस जगह खतम हो गया जहां से केवल एक ही ट्रक पास हो सकता है। ऐसी जगह आती है जब एक बार में एक ही ट्रक निकल सकता है। वहीं जाकर उसका डीजल खतम हो गया और परिणाम यह हुआ कि इधर-उधर सैंकड़ों गाड़ियां खड़ी हो गई और कहीं जाने-आने की गुंजाइश नही रही। मैंने विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया है कि वहां ऐसी कोई व्यवस्था करें या पुलिस के सिपाही को लगातार खड़ा रखें ताकि गाड़ी खड़ी करने वाले लोग व्यवस्थित ढंग से खड़ी कर सकें। गाड़ियों को निकलने में असुविधा न हो और विशेषकर अब जब जमुवारामगढ़ में बरसात के दिनों में ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाता है। जो साधारण सैलानी लोग हैं, ये खूब इधर उधर आते हैं और उनके लिये यही एक मात्र सड़क है जिस पर होकर वे गुजरते हैं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यहां कोई नोट कर रहे हैं तो इस पर विशेष ध्यान दें और सड़क की मरम्मत करवायें ताकि वहां से गाड़ियां भी निकल सकें। यह जयपुर का ट्रैफिक है, आपने भी देखा होगा, जब चौड़ा रास्ते से विधान सभा में आते हैं तो कभी तो कहें, इधर चक्कर लगा कर आवो, कभी कहते है कि इधर नहीं, उधर चक्कर लगा कर आवो। कभी यहां रोका जाय तो कभी वहां रोका जाय। तो माननीय सदस्या ने जो कहा है कि ट्रेनिंग सेन्टर बना करके जो असुविधा पैदा कर रहे हैं, या तो जन प्रतिनिधि के साथ बैठकर इसकी व्यवस्था करिये। जन प्रतिनिधि भी आपको ट्रैफिक सुधार के लिये अच्छे सुझाव दे सकते हैं। परन्तु उनसे बात करना पसन्द नहीं करते।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उसका कारण यह भी है कि जयपुर शहर से इस बार 4 जो आये हैं, वह इनकी पार्टी के विरोध में हैं। तो विरोध में सही....

**श्री उपाध्यक्ष** : तो आपस में बैठ करके सलाह मशविरा कर लें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : करते ही नहीं हैं, साहब। करें किससे ? आप तो फरमा रहे हैं, लेकिन ये करते ही नहीं हैं। चांदपोल बाजार में आप पधारते नहीं हैं। आप जाकर देखें, जयपुर जिसको पिंक सिटी कहते हैं, वह ब्लेक सिटी हो रही है। कूड़ा करकट के ड्रम वहां खड़े कर दिये। जयपुर में कोई पर्यटक आता है और चांदपोल के दरवाजे से घुसते ही उसको पता लगे कि जयपुर यही है तो शायद वापस ही लौट जाय। स्टेशन से आने वाले आदमी उधर से ही आते हैं तो उसको तो रोकना चाहिए, उसको व्यवस्थित सुन्दर ढंग से करना चाहिए। मेरा तो विश्वास है कि इस प्रकार शायद नोट करने वाला यहां जिम्मेदार मंत्री भी नहीं है....

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, गुलाब चन्द जी हैं। ऐसी बात नहीं है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : गुलाब चन्द जी तो क्या कर पायेंगे। इनको तो कोई इन्ट्रेस्ट, कोई दखल ही नहीं है। यह तो बिजली के मामले में ही इनको पता नहीं है कि कौन करता है, कौन नहीं करता है, क्या चोरी होती है। इसका ही पता नहीं है। कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से स्थानापन्न गृह मंत्री महोदय का हाड़ौती संभाग की लॉ एण्ड आर्डर की खराब हो रही सिचुएशन की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक महीने में हालत इस प्रकार की हो गई है, जो अपराधों का दौर दौरा शुरू हो गया है उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कोटा, बूंदी और झालावाड़ की कि मुझे लगता है कि कोई विशेष प्रयत्न गृह मंत्रालय को इस बारे में करना पड़ेंगे तभी यह बात सम्भव हो सकेगी। हत्यायें नित्य प्रति की बात हो गई है। गुट संघर्ष, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा अदालत में 15 तारीख के दिन, 15 जून को दो गुटों में ऐसा भीषण संघर्ष हुआ, दो की जानें चली गयीं। यह अदालत का किस्सा है जिसके एक तरफ जिलाधीश का कार्यालय है और दूसरी तरफ डी. आई. जी. रेंज का कार्यालय है। दो की मृत्यु हो गयी। बलात्कार, चोरी, लूट और चाकूबाजी तो रोजमर्रा का काम हो गया है। इतनी रिपोर्टस आती हैं, वैसे तो पुलिस वाले बड़े कुशल हैं, रिपोर्ट लिखना ही नहीं चाहते किन्तु इस प्रकार की स्थिति हो गयी है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं इस पर विचार करें। एक नई बात और जुड़ गयी है इस सारे अपराध जगत के संभाग में, तेजाब की संस्कृति। चाकू तो चलते ही थे, चाकू चलने के साथ साथ पिछले एक महीने में 5 घटनाएं तेजाब डालकर जला देने की हो गयी हैं। कहां से तेजाब आता है ? उस पर रोक है कि नही है? क्या उस पर किसी प्रकार की प्रक्रिया है ?

कोटा की पुलिस में मैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजनैतिक हस्तक्षेप इतना

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

भयंकर है कि पुलिस संगठन अगर कुछ एक्शन लेना भी चाहता है, तो एक्शन नहीं ले सकता। जो अपराधी हैं, वे नेताओं के कृपा पात्र बने हुए हैं। वारण्ट निकला हुआ है वारण्ट निकलने के बाद स्वयं रामपुरा बाजार, कोटा में कोतवाली में जाते हैं और एक रिपोर्ट लिखाते हैं। हम फोन करते हैं कि, देखिये, इनका वारण्ट निकला हुआ है, 3 केसेज में वारण्ट है और यह रिपोर्ट लिखाने आया है मौका है, इनको पकड़ लीजिए। कैसे पकड़ेंगे ? राजनितिज्ञों का बड़े-बड़ों को संरक्षण है। अभी है नहीं, वरना मैं चर्चा कर देता। मैं इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पोलिटिकल इन्टरफियरेंस, जो चल रहा है, पुलिस तो वैसे ही नाकामयाब उस पर राजनैतिक हस्तक्षेप और हो गया जिसके कारण स्थिति इस प्रकार की पैदा हो गयी है। मैं चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, यह जो राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है अपराधियों को और पुलिस की एक्टिविटी में जो पोलिटिकल इन्टरफियरेंस हो रहा है, इन दोनों को अविलम्ब बन्द करें वरना कोटा संभाग तो जलने की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कुछ दिन पूर्व शिवपुरा वार्ड में सरे आम, एक फजलू नाम के अल्पसंख्यक पर हमला किया घायल हो गये, मर गये। चारों तरफ की स्थिति देखें। कोटा के कैथून एक तरफ, झाबुआ में दो भील पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए आये। तैरती हुई लाशें मिलीं उनकी पानी में। पुलिस तफतीश करने गयी और तफतीश कहां तक सीमित हो गयी, एफ. आर. दे दी कि वह तो बेहोश हो गये थे। नदी में तैरते समय बेहोश हो गये और मर गये इसलिए लाशें उनकी तैरती हुई मिल गयीं। एफ. आर. लग गई उसमें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं दूसरी तरफ घटना है, हमारे यहां के माननीय विधायक विराजमान हैं, अरविन्द जैन आ रहे थे। सरे आम सड़क पर, अब तो नेशनल हाइवे हो गया है जयपुर से जो जबलपुर को जाता है, अरविन्द जैन के लड़के को पीटा, मोटर साइकिल छीन ली।

जुलाई का अगर किस्सा कहूं आपको, शुरूआत जबसे हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं, एक तरफ विधान सभा चल रही है, हमारे दूसरी तरफ रामपुरा बाजार मुख्य बाजार है कोटा का वहां सुन्दर व रामकुमार दो लोगों को छुरा भोंक दिया सरे आम बिल्कुल कोतवाली के सामने। कोई पकड़ा नहीं गया। कसुआ बस्ती है पास में, वहां गोपाल को इतना आहत कर दिया कि वह शायद मरने की स्थिति में है। आश्चर्य करेंगे आप जंगल से तस्करी करके लोग ट्रकों में लकड़ी भर कर लाते हैं। इस जून के अंतिम सप्ताह में 30 तारीख को, 29 तारीख को तस्करी करके ट्रक में भरकर ला रहे थे। रोकने की कोशिश की एक वन अधिकारी ने तो कर्मचारी को टक्कर मारने का प्रयत्न किया। वह तो बच गये, खम्बे से टकराये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं स्थिति ऐसी पैदा हो गयी है कि एक के बाद एक, एक जुलाई को मकबरा स्थान है, मैं रहता हूं। शहर में पुलिस

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

थाना है, बड़ा इम्पोर्टेंट। गोली चली, तीन लोगों ने गोलियां चलाई और एक 9 वर्ष का लड़का घायल हो गया। दो तारीख को कोतवाली के सामने गुड्डू नाम के एक व्यक्ति पर तेजाब डाल दिया। एक देश की की धरती अखबार निकलता है उसके सम्पादक हैं, आजकल पुलिस वाले एक और रुचि रखते हैं कि अखबार वाले थोड़ा परेशान करते हैं इसलिए प्रेस पर हमले की घटनाएं पिछले एक महीने में इतनी हुई हैं डायरेक्टली इन्डायरेक्टली, इन बातों को तो पकड़ नहीं सकती पुलिस कोटा की। सभाम में सिचुएशन बिगड़ रही है।

अन्त की बात कहकर बात समाप्त करूंगा। कोशिश यह रहती है खुद तो कुछ करना नहीं पड़े कोटा की पुलिस को, किन्तु अगर कोई आकर अपराधी पकड़ ले उसका श्रेय अपने माथे पर बन जाय इस बात का प्रयास चल रहा है। अभी कोटा से आ रहे हैं हम, बहुत बड़ी घटना हुई है, आपने भी सुना होगा। महाराष्ट्र से पुलिस आयी। 17 लोग 5 जुलाई के दिन आये। 5 जुलाई से 9 जुलाई तक रेल्वे स्टेशन पर मजदूरों के रूप में काम करते रहे, तलाश करते रहे। एक व्यक्ति की तलाश थी गोविन्द कालिया, गोविन्द भी नाम है, कालिया भी नाम है जो 37 हत्यायें कर चुका है, 50 से अधिक डकैतियां कर चुका है। जेल से भागा है, महाराष्ट्र की जेल से। 5 साथियों के साथ 20 मार्च को वहां के सिपाहियों की आंखों में, मिर्ची झोंक दी। जेल से भागा है। उसकी तलाश करने के लिए महाराष्ट्र की पुलिस यी 17 लोगों को लेकर ढूंढती रही। ढूंढकर पता चला लिया कि केशवपुरा नाम की बस्ती है कोटा शहर के तुरन्त बाहर, उस बस्ती की झोपड़ी में वह रहता है। गिरफ्तार करने का सवाल आ गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, तलाश तो कर लिया उन्होंने, खोज तो कर ली उसकी, खोज तो कर ली उसकी, झोंपड़ी की तलाश भी कर ली, पकड़ने में सहायता लेने की आवश्यकता हुई। दादाबाड़ी के थानेदार को 9 की रात्रि को कहा कि हम पकड़ना चाहते हैं, हमने लोकेट कर दिया वह स्थान है, इस समय मिलेगा, चलिये हमारे साथ। लवाजमा तो वहां से जायेगा, इतनी पुलिस तो नहीं थी उनके साथ। कोटा की पुलिस को, राजस्थान की पुलिस को उनको सहयोग करना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पुलिस तो दी, दोनों पुलिस मिलकर चली गयी, आपको आश्चर्य होगा वह तो 17 लोग थे, यहां के 4-5 पुलिस के जवान गये। चार तो अपराधी फरार हो गए। गोविन्द पकड़ा गया, कालिया पकड़ लिया गया। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मंत्री महोदय, स्थानापन्न गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि तलाश किया उन्होंने ? यह काम उनका था। उनके लिए भी अपराधी था। हम के लिए भी अपराधी था। दो बहुत बड़े काण्ड किये थे कोटा में। धनवाडी में काण्ड किया, बोरखला में कांड किया है। राजस्थान की सरकार ने साठ हजार रुपये का ईनाम उसको गिरफ्तार करने के लिए लगाया हुआ है। 17 लोग वे और 5 लोग यहां के मिलकर जाते हैं। उसके साथी चार अपराधी भाग गए, अकेला पकड़ में आगया। पकड़ में आ गया तो उन्होंने कहा कि गुमानपुरा थाने में रख लो, सुबह ले जायेंगे गुमानपुरा थाने में रखते ही साठ हजार

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

रुपयें ईनाम मिलने का मसला। महाराष्ट्र को पुलिस कैसे ले जाय। और कुछ काम तो होता नहीं कि वह वहां की सब प्रकार की बातें कर सके, लूट का, चोरी का, डाके का, नकबजनी का पता लगा सके, किन्तु साठ हजार का मामला आकर खड़ा हो गया। कहने लगे कि हमको भी इस व्यक्ति की तलाश थी। जल्दी से थानेदार बुलाया, जल्दि से मजिस्ट्रेट बुलाया और पांच दिन के लिए कोटा में रिमाण्ड ले लिया। मुझे सूचना मिली है मेरे मित्रों के द्वारा, कार्यकर्त्ताओं के द्वारा कि उस दिन गुमानपुरा थाने के बाहर पांच सौ लोग इकट्ठा हो गए। झगड़ा हो रहा है महाराष्ट्र की पुलिस में और राजस्थान की कोटा पुलिस में। वह कह रहे है कि गिरफ्तार हमने किया है, हमको इसकी आवश्यकता है? । 37 हत्यायें कर चुका है जिसमें एक महाराष्ट्र की विधायिका आयशा बेगम की हत्या भी उसने की है। हमारे यहां जेल में था, भागकर आया है, हम लेने आये हैं। निकम्मी शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता हूं, गृह मंत्री महोदय बैठे हैं, किन्तु मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पकड़ने का काम कोटा की राजस्थान पुलिस को करना चाहिए था। चार व्यक्ति जो फरार हो गए उसके साथ के, कौन जिम्मेदार है उस बात के लिए? किन्तु पांचवां पकड़ लिया गया, उसका सेहरा राजस्थान कोटा पुलिस अपने माथे पर बांधने के लिए तैयार है।

मैं कहना चाहता हूं, हालत यह हो गई है। साम्प्रदायिक दृष्टि से दाऊदयाल बतायेंगे अभी आपके सामने कि कल ही बस को लूट कर एक व्यक्ति को मार दिया गया है। बारां में तनाव है, मांगरोल के पास का क्षेत्र है। साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति यह हो गई है कि कोटा, बूंदी और झालावाड़ में पता नहीं कैसी सरकार आई है, क्या स्थिति बनाई है सरकार ने, कौन से एलीमेंट हैं। एक कारण है जिस प्रकार का राजनैतिक हस्तक्षेप है, इसका केवल एक मात्र कारण है। मैं आपसे हाथ जोड़-कर अपील करना चाहता हूं, स्थानापन्न मंत्री महोदय, इस बात का कोग्नीजेन्स लीजिए। तनाव हो रहा है बारां में, कल खबर सुनने को नहीं मिलें, मैं जो समाचार मिले हैं उसके आधार पर कहना चाहता हूं घुलेट में झगड़ा हुआ। आरोप लगा रहे थे बूंदी से आने वाले माननीय विधायक अगर एक्शन नहीं लोगे, पहला ही कदम होने के पश्चात् राजनैतिक आधार पर डर जाओगे, फोन आ गया साहब, किनका फोन आ गया यह मैं चर्चा नहीं करना चाहता नामों की क्योंकि मैंने पहले लिखकर आपको नहीं दिया है, उसके कारण एक्शन न हो। उसके बाद एक के बाद एक घुलेट में घटनाएं हुई, सांगोद में हो गई, मांगरोल में हो गई। दो दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। बारां में तनाव पैदा हो रहा है और तनाव पैदा हो रहा है साम्प्रदायिक दृष्टि से। कोटा में कभी इस प्रकार की स्थिति नहीं रही किन्तु पता नहीं एक महीने में, दो महीने में क्या स्थिति बनी है।

मैं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेष निवेदन करना चाहता हूं, आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इस बात की जानकारी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कीजिए। इन्टेलीजेन्स से पूछिये कि यह लूट, नकबजनी, इस प्रकार की स्थिति बनी है और महाराष्ट्र के केस में तो जो आपने अपनी स्थिति बनाई है, ऐसी लज्जास्पद स्थिति बनाई है। महाराष्ट्र में वहां के मामले हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है कि राजस्थान की पुलिस ने हमको सपोर्ट तो नहीं किया, हमारे साथ धोखाधड़ी की है। ये शब्द प्रयोग किये हैं कि वहां के इन्सपेक्टर आफ पुलिस ने और उन्होंने कहा कि मैंने इसकी सूचना अपने महानिरीक्षक महाराष्ट्र को दे दी है। एक मात्र कारण है राजनैतिक हस्तक्षेप, पोलिटिकल इण्टर-फियरेंस पहले ही पुलिस नाकामयाब है फिर आपके राजनैतिक पक्षपात और हस्तक्षेप से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

इसलिए, मैं अन्त में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कहना चाहता हूं कि तनाव की मैंने आपको चर्चा की है, साम्प्रदायिक तनाव की। पहले कुछ लोगों की जान चली गई है। मांगरोल में लोग मारे गये हैं, घुलेट में स्थिति बनी है, सांगोद मे स्थिति बनी है। इसकी पुनरावृत्ति न हो, जागृत रहिये। वहां की इण्टेलीजेंस को जागृत करिये, पुलिस को जागृत करिये। एक्शन लेने दीजिए। जो राजनीतिज्ञ बीच में बाधा बनकर खड़ा होता है, रूलिंग पार्टी के होने के नाते उसको कहिये हमारे जन-जीवन के साथ खेलने का प्रयत्न न करें। हाड़ौती की कानून की व्यवस्था में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करें। यही मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूं।

**श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले की ला एण्ड आर्डर की स्थिति के बारे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य आपको जानकारी दे रहे थे। इस विषय में मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन कोटा जिले से सम्बन्धित एक प्रस्ताव आ चुका था इसलिए एक दो बातें जो रह गई हैं, वह मैं आपके सामने निवेदन कर देना चाहता हूं।

जैसा कि अभी कोटा से आने वाले सदस्य माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी कोटा की पुलिस और कोटा सम्भाग की पुलिस के साथ जो वारदातें हुई हैं, उसकी दास्तान आपके सामने रख रहे थे। मेरी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मान्यता यह है कि आज कोटा जिले में चाहे वह कोटा सिटी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वह रूरल का एरिया हो, इस प्रकार की, मैं निकम्मे तो नहीं कहूंगा लेकिन अनुभवहीन अगर अधिकारी बैठे रहे तो ये वारदातें आये दिन होती रहेंगी। आपके सामने मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष के आप राजस्थान में हत्यायें, डकैती आदि इस प्रकार के कैसेज का डेटाज इकट्ठा कर लीजिए, अगर कोटा जिले में सबसे ज्यादा हत्यायें नहीं हुई हों तो आप बता दीजिएगा। जितनी हत्यायें हुई पिछले वर्ष में वह केवल मात्र कोटा जिले में हुई हैं।

मैं आपको कोटा की मिसाल देना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे रामगंज मण्डी क्षेत्र के अन्दर साथलखेड़ी गांव है श्रमिकों की बस्ती है। कोटा स्टोन जो पत्थर निकलता है, वे वहां की खानों में काम करते हैं। एक वर्ष के अन्दर इस साथल-खेड़ी गांव के अन्दर चार लोगों की हत्यायें

(श्री हरिकुमार ग्रौदिच्य)

हुई हैं। अभी ताजा तीजा ग्राज से दो महीने पहले श्रीराम बैरवा श्रमिक की हत्या कर दी गई ग्रौर उनमें से केवल एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। ग्रगर कोई किसी ग्रादमी की शिकायत करने के लिए जाता है, पुलिस बुला कर पूछती है कि बताग्रो तुमको किस पर संदेह है ग्रौर उल्टा उसको डांटने लगती है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री हरिकुमार ग्रौदिच्य** : ग्राज कोटा जिले के ग्रन्दर पुलिस की स्थिति, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बन गई है कि लॉ एण्ड ग्रार्डर नाम की चीज ऐसी बन गई है कि छोटे गांव के ग्रन्दर तो थानेदार ही राणाजी बन कर बैठे हुए हैं। उसके ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री हरिकुमार ग्रौदिच्य** : ....ग्रौर गांवों के ग्रन्दर रहने वाले नागरिक काफी परेशान हो चुके हैं कोटा पुलिस प्रशासन से।

एक ग्रौर उदाहरण मैं ग्रापको दूंगा। दिन में लूटमार की बात माननीय ललितजी कर रहे थे। कोटा से बोरावास जाने वाला मार्ग है, इस मार्ग के ग्रन्दर पिछले एक साल के ग्रन्दर कम से कम पच्चीस वारदातें दिन में लूटपाट की हुई हैं। ग्रभी मैं ग्रापको 27 या 28 जून का एक किस्सा बताता हूं। एक ठेकेदार उसी मार्ग पर जा रहे थे, उनको बीच में गुण्डों ने रोकने का प्रयास किया। जैसा कोटा से ग्राने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे वहां लकड़ी की चोरी करने वाले बड़े सक्रिय हैं। फोरेस्ट के ग्रधिकारियों को मारने पर ग्रामादा रहते हैं ग्रौर बीच में ग्रौर लोग मिलते हैं तो उसके साथ में भी ऐसी वारदातें कर लेते हैं। उस ठेकेदार को रोकने का गुण्डों ने प्रयास किया, लेकिन जैसे तैसे निकल करके बोरावास चला गया। वहां पुलिस में जा कर उसने वायरलेस कराया। वायरलेस करने के बाद पुलिस दूसरे दिन सुबह ग्राती है ग्रौर ग्राने के बाद जिस स्पोट को उसने बताया, उस स्पोट के पास के एक कन्हैया भील नाम के व्यक्ति की, जो फोरेस्ट में काम करता था, लाश मिलती है ग्रौर लाश के समीप एक स्कूटर, बिना नम्बर का स्कूटर मिलता है। कोटा की पुलिस ग्राज तक इस बात का पता नहीं कर पाई कि वह बिना नम्बर का स्कूटर किस व्यक्ति का था ग्रौर वह कौन लोग थे जिन्होंने कन्हैया भील की हत्या की। इस प्रकार कोटा-बोरावास रोड पर ग्राए दिन हत्या हुई है। इसके बारे में पुलिस ग्रधिकारियों को किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**श्री हरिकुमार ग्रौदिच्य** : तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ग्राज कोटा नगर ही नहीं, जैसा कोटा से ग्राने वाले विधायक बता रहे थे कोटा जिला सारा ला एण्ड ग्रार्डर की दृष्टि से जल रहा है, धधक रहा है। ग्रगर इस तरह से....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, ग्रापका समर्थन हो गया, काफी हो गया;

**श्री हरिकुमार ग्रौदिच्य** : इस प्रकार का पुलिस प्रशासन रहा तो कोटा के सामान्य व्यक्ति का जनजीवन सुरक्षित नहीं रहेगा वहां की साम्प्रदायिक स्थिति है उसके बारे में भी मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रभी एक कट मोशन देने गया। उस समय मुझे पता लगा कि कल शाम को दिन दहाड़े सांगोद नगर में जाति विशेष के व्यक्तियों ने एक बस को लूट लिया ग्रौर उसके पीछे मोटर साइकिलें ग्रा रही थीं, उन मोटर साइकल वालों पर हमला किया। मुझे पता लगा है कि इन मोटर साइकिल वालों में से एक व्यक्ति को लूट पाट करने करने के बाद जान से मार डाला। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि डेढ़ महीने पहले इस सांगोद नगर में एक घटना घटी। एक व्यक्ति मोटर साइकिल पर जा रहा था....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, देखिये, जनरल चीज ग्रापकी ग्रा गई है, इस्टांसेज भी ग्रा गई हैं।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : मेरा निवेदन करना यह है कि सांगोद नगर में जो मोटर साइकिल जा रही थी, उसके ऊपर पिस्तौल से हमला किया। वह ग्रपने प्राण बचा कर कनवास थाने में रिपोर्ट करने गया। कनवास में जिन लोगों ने पिस्तौलें चलाई थी उन व्यक्तियों ने थाने में रिपोर्ट की कि ग्रोम प्रकाश नाम के व्यक्ति ने हमारे बच्चों पर पत्थरों से वर्षा की। सौभाग्य यह था उस ग्रोमप्रकाश का कि उसके पीछे एक जाति विशेष का, जिन व्यक्तियों ने हमला किया था, व्यक्ति बैठा था। उस ग्रोम प्रकाश को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस कनवास गई। कनवास से सांगोद गई। सांगोद में ग्रान्दोलन हुग्रा। उसके बाद उस व्यक्ति को रात को तीन बजे छोड़ दिया गया। साथ ही, जिन लोगों ने पिस्तौल से हमला किया था उनको भी छोड़ दिया। उसके चार दिन बाद चार पिस्तौल लेकर बसों के ग्रन्दर गुण्डे चढ़े। एक एक से पूछा, क्या है तेरे पास, कहां जा रहा है....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, काफी हो गया। पुलिस की डिमाण्ड पर काफी हो चुका।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : दुर्भाग्य यह है, नामजद रिपोर्ट होते हुए ग्रपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। खुला संरक्षण उन लोगों को मिल रहा है। कोटा में यह जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, पुलिस ने मारा, पुलिस के मुंह से निवाला छीन लिया। मेरा निवेदन यह है, यह निवाला छीनने का एक मात्र कारण है, पिछले विधान सभा सत्र में बोरखेड़ा कांड उठा तब तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की थी 60 हजार रुपये इनाम की। यह एक प्रमोशन है, यह झगड़ा यह है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बहुत हो गया।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : मेरा निवेदन यह है, कि शिवराजसिंह नाम के डीवाई एस. पी....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपका एडजोर्नमेंट मोशन नहीं है। एक एट तीन बोल लिये। अब आप बोल लिये।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : शिवराजसिंह ने 6 महीने पहले, जिन अपराधियों के नाम पुलिस लेकर आयी थी, उनकी रिपोर्ट दर्ज करायी कि इस नाम के व्यक्ति कोटा नगर के आसपास अपराध कर रहे हैं, इनको पकड़ो दुर्भाग्य है, शिवराजसिंह की रिपोर्ट के बाद, जिसने बाकायदा नाम दिये थे जो कि महाराष्ट्र पुलिस के लिये वांटेड है...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, पुलिस की डिमाण्ड पर चर्चा हो गयी। यह सब प्राब्लम बता चुके।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : यह तो परसों की घटना है। शंकर आत्मज मंगलाल, मंसा वल्द कल्ला, ताराचन्द वल्द जयसिंह, भीमा वल्द सीताराम, दुर्गा पुत्र उनमप। इन लोगों के नाम शिवराजसिंह ने 6 महीने पहले कोटा पुलिस को बता दिये थे। जिनके नाम हिन्दुस्तान की मानी हुई सी.आई.डी. ब्रांच के अधिकारी कामले लेकर आये थे, कामले के सारे के सारे अपराधी पकड़े गये लेकिन शिवराजसिंह की रिपोर्ट पर कोटा पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आर्डर प्लीज।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : तो केवल मात्र कारण यह है शिवराजसिंह....

(व्यवधान)

बाकी सारे बोगस हैं जिनके कारण कोटा की सारी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शिवचरण सिंह।

(अनुपस्थित)

ऊर्जा मन्त्री, श्री गुलाबसिंह जी राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रक्खेंगे।

**सदन पटल पर रखे गये पत्र**

**प्रतिवेदन**

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** (ऊर्जा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1983–84 सदन की मेज पर रखता हूँ।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : गृह मन्त्री जी सांगोद के अन्तर्गत जो घटना घटी है उसकी जानकारी तो ले लें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं कि सांगोद के अन्दर जो घटना घटी है इसकी वायरलैस से सूचना लेकर मुझे देने की कृपा करें। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कृपा करके इतना तो बताइये। मैं चिंतित हूं, मेरे यहां बाकायदा लोग मरे हैं। लोग मरे हैं, वहां तनाव बढ़ रहा है। कल मैं कलेक्टर कोटा से बात करके आया हूं। उसने बताया है....

(व्यवधान)

बारां में तनाव है, सांगोद में तनाव है, पूरा कोटा जल रहा है। माननीय गृह मन्त्री जी बतायें तो सही, क्या हो रहा है वहां। जवाब तो दिलायें, साहब, जानकारी दिलायें।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय शिक्षामन्त्री राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक मण्डल एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अभाव के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगी।

## शासकीय वक्तव्य

## राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का अभाव

**श्रीमति कमला** (शिक्षा मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी द्वारा उठाये गये स्थगन प्रस्ताव के सिलसिले में स्थिति सदन की जानकारी हेतु निम्न प्रकार है-

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करवायी जाती है एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 9 से 11 तक की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करवायी जाती हैं। इन संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करने पर जो अन्तिम स्थिति है वह इस प्रकार है-

राजस्थान राज्य में सत्र 1984-85 की समाप्ति के बाद 6 मई, 1985 से 18 मई, 1985 तक विद्यालयों में प्रवेश का कार्य किया गया। तत्पश्चात् विद्यालयों में 30 जून, 1985 तक ग्रीष्मावकाश रखा गया। इस प्रकार विद्यालयें 1 जुलाई, 1985 को पुन: खुले। माह अप्रेल, मई और जून में पुस्तक विक्रेता ही पुस्तकें आम तौर खरीदते है छात्र समुदाय आय पर माह जुलाई में ही पुस्तकें क्रय करता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा वर्ष 1985-86 के लिये कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता का निर्धारण निर्धारित फार्मूले के अनुसार अगस्त, 1984 में कर लिया गया था और छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उचित मात्रा में पुस्तकें छपवाने के लिये लगभग सभी पुस्तकों के लिये अक्टूबर से दिसम्बर, 1984 में अनुबन्ध करा लिये गये। वर्ष 1985-86 में जिन पुस्तकों का प्रकाशन कार्य हाथ में लिया गया था उनकी संख्या 70 है। शेष 78 पुस्तकों के पर्याप्त स्टाक उपलब्ध थे। इन 148 पुस्तकों में से 141 पुस्तकें 30. 6. 85 तक उपलब्ध थीं एवं शेष 6 पुस्तकें 6. 7. 85 से उपलब्ध होकर उनका वितरण चालू है। सिर्फ एक संस्कृत की कक्षा 8 की पुस्तक की सप्लाई कम है जो चार-पांच दिन में उपलब्ध हो जावेगी।

जहां तक पुस्तकों की बिक्री का प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक मण्डल राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर स्थित 44 वितरण केन्द्रों के माध्यम से पुस्तक विक्रेताओं, विद्यालयों, सहकारी भण्डारों आदि को निर्धारित शर्तों पर पुस्तकों की बिक्री करता है। इस बार दिनांक 14.7.85 तक मण्डल के वितरण केन्द्रों से अनुमानत: 190 लाख रुपये मूल्य की पुस्तकें बिक्री की जा चुकी हैं, जो पिछले वर्ष की कुल साल भर की बिक्री का लगभग 76 प्रतिशत है। इस प्रकार पुस्तकें सभी खुले बाजार में उपलब्ध है और उनकी बिना किसी रुकावट के सुचारु रूप से बिक्री हो रही है।

वर्तमान में पुस्तक व्यवसायियों द्वारा पुस्तके प्राप्त की जाकर बेची जा रही हैं। साथ ही समस्त विद्यालयो को भी राज्य सरकार की ओर से यह निर्देश दिये गये है कि वे अपनी आवश्यकतानुसार जिले में

(श्रीमती कमला)

स्थित निकटतम वितरण केन्द्र से पुस्तकें प्राप्त करलें और छात्रों को उपलब्ध करवें। इसके अलावा सहकारी उपभोक्ता भण्डारों द्वारा भी इस वर्ष विशेष बिक्री केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

वर्तमान शिक्षा सत्र केवल 15 दिन पूर्व ही प्रारम्भ हुआ है और प्राय: सभी पुस्तकें बाजार में मिल रही हैं। मण्डल की पुस्तकें निर्धारित मूल्य पर सभी स्थानों पर उपलब्ध हैं।

स्थगन प्रस्ताव में पुस्तकों में त्रुटियों के सम्बन्ध में भी बात कही गई है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का प्रूफ रीडिंग बराबर कराया जाता है। यदि कोई महत्वपूर्ण त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए शुद्धि पत्र साथ लगाया जाता है-साथ ही मुद्रक एवं प्रूफ रीडर जिनसे अशुद्धियां रह जाती हैं उन पर नियमानुसार शास्ती लगायी जाती है। इस वर्ष सामाजिक ज्ञान-3 के टाइटल कवर के पीछे मुद्रित राष्ट्रगान की एक पंक्ति में पुस्तक के छपने के बाद त्रुटि रह दी गई थी जिसे शुद्ध रूप से नये सिरे से छपवा कर लगवाया गया है और उसके बाद पुस्तक को विक्रय करवाया गया है। क्योंकि मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की संख्या लाखों में होती है अत: मुद्रण तकनीक की दृष्टि से कुछ प्रतियों में कमी रह सकती है परन्तु इन प्रतियों की संख्या नाम मात्र की होती है। ऐसी दोषपूर्ण प्रतियों को बिक्री से रोक कर संख्या की सूचना वितरण केन्द्रों द्वारा मुख्यालय को भेजी जाती है और मुख्यालय द्वारा ऐसे मामले में उन दोषपूर्ण पुस्तकों की कीमत या शास्ती मुद्रक से वसूल की जाती है। मण्डल का सदैव यह प्रयत्न रहा है कि छात्रों के हाथों में अच्छी, सस्ती व त्रुटि रहित पुस्तकें पहुंचाई जावें।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा कक्षा 9, 10, व 11 के लिये 193 पुस्तकें प्रस्तावित हैं। इनमें से 86 राष्ट्रीयकृत पुस्तक बोर्ड द्वारा लिखवाई हुई व 107 प्रकाशक पुस्तकें हैं।

86 राष्ट्रीयकृत पुस्तकों में से 14 पुस्तकें बोर्ड द्वारा स्वयं प्रेस के माध्यम से छपवाई गई और 72 अन्य पुस्तकों में से 18 पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में प्रकाशकों के पास उपलब्ध होने के कारण नहीं छपाई गई। 54 पुस्तकें निविदा के आधार पर प्राप्त न्यूनतम दर के अनुसार प्रकाशकों के माध्यम से प्रकाशित करवाई गई हैं जिनमें 50 पुस्तकों के वितरण आदेश दिये जा चुके हैं। शेष चार का मूल्य निर्धारण किया जा चुका है।

इस वर्ष बोर्ड द्वारा प्रेसों के माध्यम से छापी गई सभी 14 पुस्तकें राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के 10 डिपो पर वितरित की जा रही हैं, 107 में से 74 पुस्तकें गत वर्ष के स्टाक में से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, केवल 33 पुस्तकें ही इस वर्ष प्रकाशकों द्वारा छापी गई, किन्तु उनमें 32 पुस्तकों के वितरण के आदेश दिए जा चुके हैं और एक का मूल्य निर्धारण किया जाना बाकी है, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होगा कि 34 में से केवल 5 पुस्तकें, आनी शेष हैं, जो मूल्य निर्धारण के बाद बाइंडिंग स्टेज पर चल रही है। आशा है कि ये पुस्तकें 20.7.85 तक बाजार में आ जाएगी, इस प्रकार कुल 193 में से 88 पुस्तकें उपलब्ध हैं, यह उल्लेखनीय है कि मुद्रकों से पुस्तकें प्राप्त करने के बाद मण्डल स्तर पर नियमित मोनीटरिंग

(श्रीमती कमला)

किया जाता है और समय समय पर पुस्तकें प्राप्त करने हेतु पूरे प्रयास किये जाते हैं, किन्तु कई बार अपरिहार्य कारणों से जैसे विद्युत की कटौती, नियंत्रित मूल्य के कागजों की समय पर उपलब्धि नहीं होना, किसी प्रेस में तकनीकी खराबी के कारण इसके डिलीवरी शेड्यूल में प्राय: देरी होती है। परन्तु मण्डल द्वारा प्रत्येक पुस्तक के मुद्रण कार्य पर लगातार निगरानी रखी जाती है और हर संभव प्रयत्न किया जाता है कि सभी पुस्तकें शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने तक समय पर पहुंच जाय,

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के वक्तव्य की इस बात से तो मैं सहमत हूं कि राजस्थान बोर्ड आफ सेकण्डरी एजुकेशन ने जो 14 पुस्तकें प्रकाशित करवाई हैं, उनमें से 5 उपलब्ध नहीं है। यह तो स्वीकार किया है। बाकी बाजार में उपलब्ध हैं। यहां तक तो वक्तव्य से सहमत हूं। लेकिन, मंत्री महोदया, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान राज्य पुस्तक मण्डल द्वारा लिस्ट आपने दी है, मैं भी आपको लिस्ट दे रहा हूं सदन में अगर मेरी लिस्ट गलत हो या यहां माननीय सदस्य कोई भी खड़ा हो कर कहे कि ये पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, तब तो मण्डल के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करें। मेरे साथ बाजार में चल कर आप पुस्तकें देख लें, अगर उपलब्ध नहीं हो तो मण्डल के अधिकारियों को जिन्होंने आपको बताया है, आप एक मिनट में कान पकड़ कर मण्डल से बाहर निकाल दें।

कक्षा एक में एक पुस्तक है हिन्दी की, वह कहीं भी उपलब्ध नहीं है वह पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित हुई है। कक्षा दो में एक पुस्तक है हिन्दी की। वह पूरी उपलब्ध है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय,....

**श्रीमती कमला** : एक ही कौनसी पुस्तक है ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : हिन्दी की। वह उपलब्ध नहीं है। कक्षा दो की एक ही पुस्तक है हिन्दी की। वह सब जगह उपलब्ध है। उसमें मीनमेख नहीं है, लेकिन इस पुस्तक के पीछे कवर है, उस पर लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय, अखबारों में छपा है, लिखना तो चाहिए था-अस्पृश्यता पाप है, अपराध है, अमानवीय है, अवैधानिक है, विवेकरहित है, राष्ट्र विरोधी है लेकिन इस पुस्तक पर लिखा है-राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल पाप है, अपराध है, अमानवीय है, अवैधानिक है, विवेकरहित है और राष्ट्र विरोधी है, यह इस पुस्तक पर लिखा है। क्योंकि अस्पृश्यता तो गायब है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल...

**श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष)** : यह किसने किया है ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : यह राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल ने किया है।

आगे मैं और बताता हूं। कक्षा तीन में 4 किताबें हैं। उनमें से एक हिन्दी की उपलब्ध नहीं है, बाकी तीन उपलब्ध है, कक्षा चार में 4 पुस्तके हैं। जिनमें एक गणित की पुस्तक आई है, हिन्दी, सामाजिक ज्ञान, और सामान्य विज्ञान, ये तीन कहीं भी उपलब्ध नहीं है, कक्षा पांच में चार पुस्तकें हैं। उनमें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तीन उपलब्ध है और सामाजिक ज्ञान की पुस्तक कहीं उपलब्ध नहीं है, कक्षा 6 में 8 पुस्तकें हैं। उनमें से 6 पुस्तकें उपलब्ध है, संस्कृत और विज्ञान की कहीं उपलब्ध नहीं है और वाणिज्य ज्ञान की पुस्तक है, उसकी बदली नहीं की गई थी, वह किताब स्टाक में गायब है। पिछले साल भी राजस्थान भर में कहीं नहीं मिली और इस साल भी राजस्थान भर में कहीं प्राप्त नहीं हुई।

इस प्रकार कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जो मैंने आपको सूची दी है वह सूची 100% सही है और आपके मण्डल ने जो सूची दी है वह 100% गलत है। आपके मुख में रख कर उन्होंने अपनी गलत बात आपके द्वारा कही है इस बात को कहीं भी मैं प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैंने 2-3 और मुद्दे उठाए हैं। स्थगन प्रस्ताव में, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं मई के महीने में मण्डल ने आश्वासन दिया था कि मई के महीने में स्कूलों में जब दाखिला होगा उस समय विद्यार्थियों को सभी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी जो आपके द्वारा वक्तव्य दिला कर यह कहलाने की कोशिश की कि 6 मई से 18 मई तक प्रवेश कार्य है, 30 जून तक छुट्टी है और एक जुलाई से, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस समय स्कूलें बन्द हुई थीं एडमीशन के बाद में, तब विद्यार्थियों को होम वर्क दिया गया था, घर का काम दिया गया था। स्कूलें खुलते ही उनके टेस्ट होने थे। उस समय मण्डल ने सिर्फ 5 पुस्तकें उपलब्ध करने के अलावा पहली से लेकर आठवीं तक कोई भी पुस्तक बाजार में उपलब्ध नहीं कराई। यह मण्डल की स्थिति है।

मैं कहना चाहता हूं कि मण्डल ने जिस प्रेस वालों से किताबों की छपवाई के सौदे किए, टेण्डर किये थे या समझौता किया था, उनका समझौता हुआ था कि 18 तारीख को परीक्षा खत्म हो जाय और एडमिशन हो जाय, बच्चे स्कूलों में पहुंच जाय, उस समय सारी पुस्तकें उपलब्ध हो जानी चाहिए थीं। वह पुस्तकें उपलब्ध नहीं हुई। वाराणसी में पुस्तकें छपवाई। मैं कहना चाहूंगा इस बात को कि वाराणसी में किससे छपवाई, कौन-कौन वहां पर प्रूफ देखने के लिए गये और किन बड़े-बड़े अधिकारियों ने हवाई यात्रा करके वाराणसी जाकर प्रूफ देखा और हजारों रुपए का चूना मण्डल को लगाया? यह बैठे हैं, जवाब दें। कौन गया वाराणसी की पुस्तकें देखने के लिए? पिछले दो वर्षों में कौन-कौन अधिकारी गए और कितने रुपये खर्च किए? मण्डल को कितने लाख का, हजार का चूना लगाया? मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं टेण्डर में शर्तें थीं। शर्त यह थी कि अगर 20 तारीख तक या अन्य किसी तारीख तक कोई शर्त थी आपकी उस तारीख तक सारा माल सप्लाई नहीं किया। उस तारीख तक सप्लाई न करने का कितना क्या चार्ज होगा? क्या उनका जब्त होगा? क्या उन पर कार्यवाही की जाएगी? इस बारे में जवाब दें।

अब इन्होंने एक आंकड़ा दे दिया कि 1.90 करोड़ की पुस्तकें हमने बेच दीं। लेकिन आपको ध्यान होगा कि एक-एक पुस्तक की कीमत 4-4 रुपये है, राजस्थान में 30 लाख से अधिक पहली से लेकर आठवीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी के औसत चार पुस्तकें आती हैं और एक पुस्तक की औसत 3/- है, तो यह तो 25% विद्यार्थियों को ही 1.90 करोड़

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुझे यह भी बताएं कि किस-किस डिपो पर कितनी-कितनी 30 जून तक पहुंचा दी।

आगे मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि मण्डल ने अपना पाप छिपाने के लिए....

**श्री उपाध्यक्ष** : वो शंका कर लीजिए।

**श्री घनश्याम तिवाडी** : हां, मैं कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय, अपना पाप छिपाने के लिए अखबारों में लाखों रुपये के विज्ञापन दिए पूरे के पूरे पृष्ठ पर राजस्थान राज्य पुस्तक मण्डल, राज. राज्य पुस्तक मण्डल की पुस्तकें सब जगह उपलब्ध है, जहां चाहो और जितनी चाहो पुस्तकें उपलब्ध हैं। राजस्थान में 44 स्थानों पर मण्डल के डिपो खोल कर यह घोषणा करना चाहते हैं कि गांवों की ढाणी के अन्दर पढ़ने वाले बच्चों को पुस्तकें मिल जाएंगी? विद्यार्थियों के पास स्कूलों के द्वारा पहुंच जाएगी? स्कूलों के अध्यापकों को पैसा नहीं मिलता, विद्यार्थियों से वे पैसा इकठा करेंगे। विद्यार्थियों से पैसा लेकर गांवों से चलकर शहरों में आएंगे, उनको आधी पुस्तकें मिलेंगी आधी नहीं मिलेंगी। फिर वो वापस आएंगे, फिर वहां रोते रहेंगे विद्यार्थी। यह क्या व्यवस्था है? सीधी सादी व्यवस्था चल रही थी पुस्तक विक्रेताओं के द्वारा। मैं आरोप लगाना चाहता हूं मण्डल ने 400 से अधिक फर्जी रजिस्टर दर्ज किए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्लैक बढ़ाने के लिए। ब्लैक बढ़ाने के लिए। जिम्मेदारी न पुस्तक विक्रेता की है, न राज्य सरकार की है, यह मण्डल के पदाधिकारियों की है। यह सारे के सारे उच्चाधिकारी कार्यक्रम बना रहे हैं ताकि ब्लैक हो, ताकि चोरी हो पुस्तकों की, पुस्तकों में चोरी कराने का, ब्लैक कराने का, कमी पैदा करने का काम मण्डल का है मैं पूछना चाहूंगा कौनसे सिद्धान्त हैं कि पुस्तकों के ज्ञान का एकाधिकार अपने पास ले लिया जाय? एक एकाधिकारी वृत्ति में जितने दुर्गुण आने चाहिए, वह सारे के सारे दुर्गुण इस मण्डल में भरे पड़े हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं यह कह रहे हैं कि त्रुटियां ठीक कर दी गई। आपको आश्चर्य होगा और हमारे लिए, इस सदन के लिए, सरकार के लिए और मण्डल के लिए सबसे अधिक शर्मनाक बात है कि राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय झण्डे का अपमान किया है मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का अपमान करने वाले इस मण्डल के खिलाफ, मण्डल के सचिव मि. सुप्रियवालजी के खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए, कोर्ट में चालान होना चाहिए, हमारा झण्डा सफेद नहीं, तिरंगा झण्डा है। मण्डल की पुस्तकों में सफेद किया है। यह एक ही नहीं, दूसरा मैं कहना चाहता हूं मण्डल ने राष्ट्रीय गान लिखा

जन गन मन अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता ॥
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा।
द्राविड उत्कल बंगा ॥
विन्ध्य हिमालय यमुना गंगा।
उच्छल जलधि तरंगा ॥

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सब शुभ नामे जागे,

तब आशीष मांगे,

यह "शुभ आशिष मांगे" की जगह है। और भी इसमें गलतियां हैं। "तब शुभ आशीष मांगे" पंक्ति गायब और "फिर" वहां से गायब। राष्ट्रगान को गलत ढंग से लिखकर, राष्ट्र झण्डे का अपमान कराकर मण्डल क्या चाहता है ? इसके अलावा और क्या उदाहरण दूं ?

ये पुस्तक ऊपर से देखेंगे सामाजिक ज्ञान कक्षा सात। यह खरीदा है। मेरा बच्चा पढ़ता है. ऊपर से सामाजिक ज्ञान कक्षा सात और अन्दर लिखा है हिन्दी पाठमाला कक्षा छः। ये पुस्तकें बेची हैं। सामाजिक ज्ञान की पुस्तक खरीदकर लाये, सामाजिक ज्ञान कक्षा सात और अन्दर हिन्दी पाठमाला कक्षा छः। ये पुस्तकें बेची हैं। अन्दर फिर सामान्य ज्ञान होगा। इसका मुझे पता नहीं क्योंकि इनका सामान्य ज्ञान इसी प्रकार का है मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब क्या करें....

**एक माननीय सदस्य** : कवर गलत तो नहीं लग गया कहीं ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : खुद ही जवाब देंगे। हजारों पुस्तकें बिकी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, अब इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत इन पुस्तकों की कालाबाजारी कैसे शुरू की। पुस्तकों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया। आवश्यक वस्तु अधिनियम राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल पर लागू नहीं, आवश्यक वस्तु अधिनियम राजस्थान के स्कूलों पर लागू नहीं, आवश्यक वस्तु अधिनियम इनकी डिपोज, जहां पर ये बिक्री करें, पर लागू नहीं। ये छोटे-छोटे व्यापारी की लिमिट कर दी कि चार-चार हजार, दो दो हजार रुपये की किताबें खरीदेंगे। उन व्यापारियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया। चार सौ किताबों की प्राइस लिस्ट बाहर टांगो, उनकी मूल्य सूची लगाओ। व्यापारियों ने कह दिया, हम नहीं खरीदेंगे। उन्होंने हड़ताल कर दी। इनको मौका मिल गया कि अब ब्लैक की जाय। मैं कहना चाहता हूं कि सारी की सारी पुस्तकों का ब्लैक यहां पर जयपुर डिपो पर हुआ है। प्रेसों पर से डायरेक्ट पुस्तकें दिलायी गयी हैं। छपी-छपायी पहुंची हैं। सारी की सारी जिम्मेदारी इस मण्डल के सचिव की है। सारा काम बिगाड़ दिया। एक के बाद एक की कम छपाई वाराणसी में की है छपाई, क्योंकि वाराणसी में छापने वाले भार्गव हैं आपके। इन पुस्तकों में राष्ट्रीय गान गलत, पुस्तकों में कवर गलत और वहां पर प्रूफ रीडिंग देखने जाने के लिये हजारों रुपये का खर्च इनको करना पड़ा। ये हालात इनकी है। प्रूफ रीडिंग के लिए हवाई जहाज में जा रहे हैं। राजस्थान में नहीं थे छपाई करने वाले ? इस प्रकार की अनियमिततायें हैं

मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इनके साथ-साथ इन्होंने क्या-क्या किया।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, और भी कई बोलने वाले है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैं अपना निवेदन करूंगा पहले।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : बहुत इम्पोर्टेंट है।

**श्री उपाध्यक्ष** : और भी कई इम्पोर्टेन्ट ही बोलेंगे। और अनइम्पोर्टेन्ट रहेंगे क्या ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : उपाध्यक्ष महोदय,....

**श्री उपाध्यक्ष** : शंका का समाधान कर लीजिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मण्डल मुनाफाखोर होता जा रहा है जब से मण्डल के पास पुस्तकें आयी हैं। पहले पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को जो पुस्तकें मिलती थीं, उनकी कीमत कम थी और राष्ट्रीयकृत करने के बाद इनको सस्ता कागज मिलता है, कंट्रोल रेट पर सारी पुस्तकों का एकाधिकार इनको प्राप्त है। इसके बाद मंडल की पुस्तकें पहले से अधिक महगी हो गयी हैं और मजबूरी में विद्यार्थी को भी खरीदनी पड़ती है। अगर इनको कंट्रोल ही करना था, आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करना था, तो गरीब और गांव के विद्यार्थियों पर लागू क्यों किया ? ये जयपुर शहर के अन्दर इंग्लिश स्कूल बैठे हैं, जो सरेआम लूट रहे हैं लोगों को। एक-एक किताब में एक-एक स्कूल अपना लेबल लगाकर चार-चार रुपये में बेच रहा है, एक-एक कापी को चार-चार रुपये में बेच रहा है। हजारों रुपये की फीस हड़प रहे हैं लोगों से। इनके खिलाफ तो कोई कार्यवाही करने की नहीं और....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

गांव के आदमी को, शहर के आदमी को, सुनिये उपाध्यक्ष महोदय, पुस्तकें प्राप्त न हो जांय, इसके लिये जो कुछ व्यवस्था कर सकते थे, इन्होंने की। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : एक मिनट।

**श्री उपाध्यक्ष** : बहुत मैटर आ गया आपका।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैटर बहुत नहीं आया, बहुत बाकी है। काम इनको एक करना चाहिये था कि....

**श्री उपाध्यक्ष** : औरों के लिये भी छोड़िये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : दूसरा प्रश्न पूछता हूं। ये बार-बार पुस्तकें क्यों बदलते हैं ? पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चों की पुस्तकें बार-बार बदलने का क्या हक है इनको ? एक पुस्तक मैं पढ़ता था, उसके बाद मेरा छोटा भाई पढ़ा, उसके बाद वो पढ़ा। आज वे हर एक साल बाद, दो साल बाद पुस्तकें बदल देते हैं। लूटने का ठेका इन्होंने ले रखा है। किस बात पर पुस्तकें बदलते हैं। तीसरी चौथी के बच्चों पर इतना सारा बोझ लाद देते हैं जो उसके नाप से भी नहीं चलता, उस बच्चे से कैसे चलेगा ? यह मंडल ने काम कर रखा है। यूनिसेफ की योजना है। हम तो किताबें हाफ रेट पर खरीदते थे किसी से, पढ़-पढ़कर आ गये। मुझे पता नहीं यहां पर जो बैठे हुए हैं, इनमें कोई सा भी व्यक्ति यूनिसेफ योजना के अन्तर्गत पढ़ा है। थैले बांध-बांध कर नहीं पढ़े हैं। इस मंडल ने इस प्रकार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के सारे काम कर दिये। मंडल को एक मोडल पुस्तक प्रकाशित करनी चाहिये थी। एक मोडल पुस्तक कि तीसरी की एक क्लास है, यह मोडल चलेगा। उसके हिसाब से कोई छापता, कोई बेचता. सबको पुस्तक प्राप्त होती। इन्होंने एकाधिकार ठेका ले रखा है।

संक्षेप में मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह मामला साधारण नहीं है। मंडल के पदाधिकारियों ने जिस प्रकार राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय झंडे का अपमान कराया है, वह सारे हिन्दुस्तान का अपमान है। यह कानून बना हुआ है कि जो राष्ट्रीय झण्डे को गलत लिखता है, उसको फाड़ता है, उसका गलत चित्रण करता है, राष्ट्रगान को गलत छपवाता है, बंटवाता है, उसके खिलाफ केस एडजुडिकेट होता है। राष्ट्रगान का हाउस में, राजस्थान की सरकार के नीचे राजस्थान राज्य पुस्तक मण्डल ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया है, सुपरवाइजरी ड्यूटी के लिये श्रीमती विमला भार्गव, जो सेक्रेटरी हैं, के खिलाफ राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रगान का अपमान करने का केस एडजुडिकेट होना चाहिये। इन्होंने पुस्तकों का ब्लैक कराया व्यापारियों से झूठी लड़ाई पैसे के लिये मोल लेकर और जिस प्रकार से पुस्तकों की कमी की है, आज अभी तक पुस्तकें पहुंची नहीं हैं, और लोगों के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सारे मण्डल के कार्यकलाप पर चार्ज होने के लिये, किस-किस को छपाई के टेंडर दिये गये, क्यों दिये गये, दूसरे की रेट क्या थी, राजस्थान से बाहर क्यों छपाया गया, बार बार, क्यों बदली गयीं पुस्तकें और बार-बार पुस्तकें बेचने की व्यवस्था क्यों बदली गयी और कापियों का यह सिस्टम, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्यों बदला गया, इन सब के बारे में जांच करके मण्डल के पदाधिकारी, जो इसके लिये रेसपांसिबल हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और जल्दी से जल्दी राजस्थान के बच्चों को पुस्तकें पहुंचाने की व्यवस्था की जाय। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भंवरलाल शर्मा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने गम्भीर आरोप और जो तथ्य सदन के सामने आये हैं, उनसे मुझे लगता है कि सारे सदस्य बड़े चिन्तित होंगे, वह एक अलग विषय है। पर प्रश्न इस समय यह खड़ा हुआ है कि विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, उनको पुस्तक नहीं। अभी आपने, मंत्री महोदय ने कहा अभी तो 15 जुलाई हुई है, स्कूल खुले ही हैं जल्दी क्या है। यह अत्यन्त ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट है और इसके पीछे जो मन्शा है, उससे आपकी इसके प्रति कितनी लापरवाही है, कितनी उपेक्षा बरती है यही प्रकट होता है।

अब इन्होंने कोई प्रश्न कर लिया, आपने वक्तव्य दे दिया, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। ईमानदारी से आप यह जानती हैं कि जिन पुस्तकों के लिये आपने कहा है ये बाजार में उपलब्ध हैं, ये वास्तव में नहीं हैं और जहां उपलब्ध भी हैं तो आपने एक तरीका निकाला हुआ है कि जो व्यापारी ये पुस्तक बेचते हैं, आपने

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यह तय किया है कि हम आपको 150 पुस्तकें देंगे। 150 पुस्तकें। वह एक महीने तक 150 पुस्तक बेचेगा तो अगले महीने फिर उसको 150 पुस्तक देंगे। तो अगर व्यापारियों के पास आपने 150 पुस्तकें, जो दो हजार किताबें बेचता है, दे दीं और एक महीने तक उसको देने वाले नहीं हैं तो ब्लैक नहीं करेगा तो क्या करेगा? अगर वह ब्लैक नहीं करेगा तो क्या करेगा? वह जानता है कि 150 पुस्तकें हैं, मांग ज्यादा है तो स्वाभाविक रूप से वह यह स्थिति पैदा कर देगा कि बच्चे को उसके साथ कुंजी लेनी पड़ेगी या उसे ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। इसके पीछे आपका क्या हित है, ये समझायें।

आपकी सबसे बड़ी जो कमी रही है, वह यह रही है, खासकर माध्यमिक की कक्षा है, 10वीं क्लास, उसमें आप जो संख्या निर्धारित करती हैं, 9वीं क्लास के विद्यार्थियों के हिसाब से करती हैं। आपकी जानकारी में यह नहीं रहता कि बहुत से लोग सेकण्डरी की परीक्षा प्राइवेट भी देते हैं। जो प्राइवेट पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वे भी पुस्तक बाजार से खरीदते हैं। आपकी संख्या स्कूल के आधार पर रहती है, यह संख्या जुड़ती नहीं और मांग ज्यादा बाजार में रहती है इसलिये भी आपके लिये यह शार्टेज का प्रश्न रहता है। फिर जिन पुस्तकों को आपने छपवाने की बात कही है, आपने तो कह दिया कि वह बाजार में मिल रही हैं, मेरी जानकारी यह है कि आप इसकी जांच करें। ये पुस्तकें जिनका नाम मैं बताता हूं, छपकर ही नहीं आयी हैं, बिक कहां से रही हैं? 9वीं और 10वीं की पहले आपको बताता हूं मैं: बहीखाता, व्यापार पद्धति, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र द्वितीय भाग, नागरिक शास्त्र (द्वितीय भाग), काव्य किरण, हिन्दीकृत परिमल, और ग्यारहवीं की, बहीखाता, बैंकिंग, भौतिकी, जीवविज्ञान, इतिहास (प्रथम एवं द्वितीय), अर्थशास्त्र (प्रथम एवं द्वितीय), नागरिक शास्त्र (प्रथम एवं द्वितीय), धरती मेरा घर, नूतन गद्य संकलन। ये पुस्तकें ऐसी हैं जो आपने व्यापारियों से टेण्डर देकर छपवायी हैं। अभी ये पुस्तकें छपी नहीं तो इनके बिकने का सवाल ही खड़ा नहीं होता।

तो यह प्रश्न का और उत्तर का सवाल नहीं है। यह आम विद्यार्थी, जो राजस्थान में हैं, उनके अभिभावकों की कठिनाई का सवाल है। आप इसको कैसे सोल्व करेंगी? उत्तर देकर चली जायेंगी इससे काम चलेगा नहीं। अभी आपका सिलेबस ही तैयार नहीं है। जो सिलेबस तैयार होना चाहिये बच्चों के लिये वही तैयार नहीं है तो बाकी पुस्तकों का कहें आपको? इसलिये जब आप जवाब दें तो ये विचार कर के दें कि....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : इस समस्या का समाधान कैसे करेंगी। केवल टालने के लिये या जो सरकारी उत्तर होता है, उस उत्तर से काम नहीं चलने वाला है। इसलिये मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस समस्या के बारे में कोई रास्ता निकालिये, पुस्तकें उपलब्ध कराइये। केवल जवाब देकर टालने की बात मत करिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, सारा मैटर आ गया आपका?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

**श्री भंवरलाल शर्मा** : अब पहली से आठवीं कक्षा तक की 30-40 पुस्तकें देते हैं, एक दुकानदार को। इतनी अब विक्रेता देने पर वह ठीक है कीमत और बिना कुंजी के किताबें उपलब्ध होगी, यह समझ में नहीं आता है। अगर ऊपर से कुछ नहीं होगा, आप निर्देश दें समस्या के समाधान के बारे में।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। आपका है ?

**श्रीमती कमला** : नहीं है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा)**: माननीय सभापति महोदय, मैं तो केवल दो तीन सवाल माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि डिपोज पर एक सप्ताह में एक बार, मैं कोटा की बात आपसे कर रहा हूं आगे आप जानकारी कर लें, पुस्तकें विक्रेताओं को देते हैं। उनको केवल एक दिन किताबें दी जा रही हैं, बाकी सारे दिन एकाउन्ट्स में लगा रहे हैं। बाकी समय हिसाब-किताब में, किताबें लाने में या सप्लाई करने में लगा रहे हैं। सप्ताह में केवल मात्र एक दिन पुस्तकें विक्रेताओं को दी जायेंगी, तो दुकान पर कैसे पहुंचेगी, कैसे बिकेंगी, इस बात की जानकारी करें। यह बहुत बड़ी बाधा पुस्तकों को बेचने में हो रही है, जिसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

एक बात मैं और आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना हूं कि बराबर किताबें वितरित की जा रही हैं। एक तरफ तो वे शाप्स जो हैं रजिस्टर्ड हैं बड़ा काम कर रही हैं, एक वो हैं जो सिलाई की मशीन भी बेच रही है, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया, उनको भी पुस्तकें मिल रही हैं। ऐसी स्थिति है कि जो आटा मशीन की चक्की भी चला रहा है, उन्होंने भी पुस्तकें रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई कर दिया है। उसको भी माल दिया जा रहा है। उनको भी बराबर पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। कैसे मिलती हैं, कैसे नहीं मिलती है ? बाजार में पुरानी दुकानें हैं, जिनकी सेल ज्यादा है, उनकी पूरी जांच करके उस रेशो में पुस्तकों के वितरण का कार्य करें तो निश्चित रूप पूरी किताबें बाजार में पहुंचेंगी और विद्यार्थियों को ठीक रूप में मिल सकेंगी। इस बात की जानकारी करें।

एक और जानकारी करना चाहता हूं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। कोटा डिपो में इस बात का भेदभाव किया जा रहा है, नेशनल बोर्ड आफ टैक्स्ट बुक की यूनियन के लिये डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है। जो डोनेशन देता है उसको पुस्तकें मिल जाती हैं, दुकान पर पहुंच जाती हैं। मैं कोटा की बात बता रहा हूं, परन्तु यह यूनियन तो सारे राजस्थान की है। अगर यह डोनेशन इकट्ठा करने की प्रक्रिया चल रही है और इस तरह से पुस्तकें देने के समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो डोनेशन दे, उसको तो पुस्तकें दे दो और विद्यार्थियों तक पहुंच जायेंगी, और जो डोनेशन नहीं देते हैं उनको मत दो। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की जानकारी करें, इस व्यवस्था को देखें। यह जो चन्दा देने की बात है। डिपो द्वारा पुस्तकें पुस्तक विक्रेताओं को देने की बात है तो उन दुकानों पर पुस्तकें नहीं पहुंचेंगी जो डोनेशन नहीं देंगे।

**श्रीमती कमला** : कौन ले रहा है चन्दा ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : वहीं जो डिपो के जो लोग हैं, जो पुस्तकों को आने के पश्चात् विक्रेताओं को दे रहे हैं। वे डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। जो नेशनल बोर्ड आफ टैक्ट बुक की यूनियन के लिए जो नहीं देते हैं, उनको पुस्तकें देने में आना-कानी करते हैं, नम्बर पीछे लगा देते हैं। क्यू में खड़े रहो, रात तक न आयें, कि नहीं आगे पता नहीं है, पुस्तकें मिलें को नहीं मिलें। इस प्रकार की स्थिति हो रही है। एक अन्तिम बात, जो सीकर से आने वाले माननीय विधायक ने कही, उसको कहना चाहता हूं कि पाठ्य पुस्तक मण्डल में बोगस रजिस्ट्रेशन बड़े परिणाम में हैं। वे पुस्तकें ले जाते हैं, काला बाजारी करते हैं, और रोके रखते हैं। जहां इस प्रकार की कमी देखते हैं, वहां काला बाजारी करके पुस्तकें देकर बिकवाने की व्यवस्था करते हैं। इस बात को भी रोकें। विद्यार्थियों तक पुस्तकें पहुंचने में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए मैंने आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : विधान सभा में एक केन्द्र खोल दिया जाय। जिनको बाजार में पुस्तकें नहीं मिलती हैं, उनको यहां आसानी से उपलब्ध करायी जायेंगी। तब आपको पता चलेगा। रेलवे का है। इस प्रकार से पुस्तकों का भी खोल दें।

**श्री पंकज पंचोली** (बैगूं) : इसमें लाभ तो एम. एल. एज. को ही मिलेगा।

## सूचना

### विधान सभा भवन के बाहर युवा लोकदल का प्रदर्शन

**श्री नाथूराम मिर्धा** (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल नोटिस में लाना चाहता हूं आपके और सदन के। युवा लोकदल के लोग प्रदर्शन करने यहां आये हैं और एक मेमोरेण्डम तैयार करके लाये हैं, जिसे सरकार को या स्पीकर को, जो भी लेना चाहते हैं ले लेंगे वह। कुछ मसलों को लेकर आये हैं। एक तो मानसिंह हत्याकांड में चलान नहीं होने की बात को लेकर, कुछ दरें बढ़ायी हैं पानी की, बिजली की, उन बातों को लेकर वो प्रदर्शन करने वाले नीचे खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि यहां से सरकार का कोई प्रतिनिधि, मंत्री उनसे मेमोरेण्डम ले या दो चार को आने की इजाजत दी जाये ताकि वे अपना मेमोरेण्डम स्पीकर को या मुख्य मन्त्री को पेश कर सकें।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं अभी स्पीकर साहब को निवेदन कर देता हूं।

**श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : इसकी व्यवस्था पहले करनी चाहिए।

**श्री डूंगरराम पंवार** (टीबी) : जनता का आदर करते हुए सरकार के मन्त्री वहां जाकर ज्ञापन लें। सही बात तो यह है। यहां आये हैं और उनका ज्ञापन नहीं लें, तो यह जनता का अपमान है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं सरकार से कहूंगा कि इस के सम्बन्ध में जो प्रथा है ज्ञापन लेने की, उस प्रकार की कार्यवाही करें।

**श्री डूंगरराम पंवार** : जनता शासन में ज्ञापन आते थे तो मन्त्री महोदय ज्ञापन लेने जाते थे।

**श्री उपाध्यक्ष** : ज्ञापन लेने का जो तरीका है उसके अनुसार सरकार कार्यवाही करे। श्री नवरंग सिंह।

### शासकीय वक्तव्य

## राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मन्डल एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का अभाव

**श्री नवरंगसिंह** (नवलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने, मन्त्री महोदय ने अभी जो वक्तव्य दिया है, मैं आपके माध्यम से मन्त्री-महोदय को कहना चाहता हूं कि मैं दो दिनों से मेरे विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़, सीकर, झुंझुनू और दूसरे इलाकों में था। मन्त्री जी ने यहां पर पुस्तकें उपलब्ध कराने की और दो करोड़ की कीमत की पुस्तकें बेचने की बात कही। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप अपने शिक्षा अधिकारी को भेजकर यदि आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो जांच कर लें। मन्त्री महोदया, एक भी स्कूल के विद्यार्थी के पास कक्षा 1 से लेकर 11वीं तक कोई किताब वहां नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, जैसा सीकर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे मेरी बगल में लगने वाला उनका स्कूल, शायद वह उनके ध्यान में नहीं है, वहां एक भी बच्चे के पास किताब नहीं है। कल मैंने सारे हैड मास्टर, टीचर्स और विक्रेताओं से बात की। उन लोगों का जवाब था कि हम को साढ़े सात प्रतिशत कमीशन सरकार देती है और उसके बाद भी जब जाते हैं तो 10 किताबें, 20 किताबें पकड़ाते हैं। उपलब्ध नहीं है किताबें। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने फैसला कर लिया कि किताबें नहीं लायेंगे। हैड मास्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस तरह का हमारे पास कोई आदेश नहीं है कि हम स्कूल में लाकर के किताबों की बिक्री कर सकें। केवल मात्र सहकारी भण्डार पर ही, माननीय मन्त्री महोदया कह रही थी, बिक रही है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि नवलगढ़ में एक पुस्तक नहीं है सहकारी भण्डार पर। वहां पर तो सहकारी भण्डार तो पुस्तकें बेचने का काम ही नहीं करता है और यह जो कापी मिलती है, यह भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए सारे के सारे बच्चे शनिवार को मेरे पास जुलूस बनाकर आये और कहा कि किताबें नहीं मिलती हैं। किताबें होते हुए भी वहां के कुछ लोग ब्लैक के आधार पर ले जाते हैं और बच्चों को 5 रुपये की जगह 10 रुपये और 10 रुपये की जगह 20 रुपये देने होते हैं। इस प्रकार कापियां, किताबों का ब्लैक कर रहे हैं। इसमें मण्डल पदाधिकारी खुद भी शामिल हैं, क्योंकि नीचे से कमीशन ऊपर तक चल रहा है।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उनकी अहम जिम्मेदारी है। शिक्षा राज्य सरकार का विषय है, जैसा संविधान में भी स्वीकार किया है और राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया है। एक से ग्यारह तक शिक्षा अनिवार्य है। इसलिए इसकी उपलब्धि नहीं हो, किताबें नहीं मिले और कापी, किताबों के ऊपर ब्लैक हो, बच्चे जो हैं दर-दर पुस्तकों के कारण से मारे-मारे फिरें। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने 6 मई से 18 मई तक

(श्री नवरंग सिंह)

एडमिशन कर लिया। मैं तो शिक्षा विभाग में काम करने वाला आदमी हूं, रहा भी हूं पहले। मैं कहना चाहता हूं आपके पास सारी समस्या आ गयी और माननीय मन्त्री महोदया आप खुद शिक्षा से सम्बन्धित, शिक्षा विभाग में काम भी कर चुकी हैं। आपके पास जो संख्या आती है। अगर कहीं प्रशासक, कहीं शिक्षक काम नहीं करते, तो स्कूल में उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गयी? स्कूल के हैड मास्टर या स्कूल में अन्य स्थिति के माध्यम से किताबों की व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया से कहना चाहता हूं कि आपका यह राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मण्डल यह करना नहीं चाहता क्योंकि वह अगर स्कूल में पुस्तकें दे दें, स्कूल में कापी दे दें, विक्रेता के पास पुस्तक और कापी उपलब्ध करवा दें, तो उसको जो पैसा मिलता है, जो कमीशन मिलता है जिनके पेटे उसने लाखों-करोड़ों रुपये कमा लिये हैं, वे मालामाल भी बन सकते हैं। इसलिये इस कारण से सारी अनियमितताएं चल रही हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए खास तौर से जोर देकर मैं शिक्षा मन्त्री महोदया से कहना चाहता हूं कि हर चीज का जवाब देने के लिए आप खड़ी हो जाती हैं। जब जाते है तो कहती हैं कि महकमा मेरे पास नहीं, किसी दूसरे के पास है। पानी का पिछली बार सवाल आया तो आपने कहा कि नवरंग सिंह जी, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी और बात करें तो कहा मुख्य मन्त्रीजी के पास मकहमा है। आज आपसे कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी के साथ जवाब दें, जिम्मेदारी के साथ। मेरा विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ है और मेरे बगल में सैकण्डरी स्कूल, जो सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया, आप जांच करायें तो आप पायेंगे, वहां चाहें किसी अधिकारी को भेज दें, जिला शिक्षा अधिकारी से जांच करायें, झुन्झुनू में एक किताब नहीं गयी, एक पुस्तक डिपो से नहीं गयी, वहां के विक्रेताओं ने एक किताब भी नहीं ली और जो कुछ किताबें मिल रही हैं वे ब्लैक में मिल रही हैं। एक तारीख से आज 15 तारीख हो गयी है और वह स्कूल इसलिए नहीं लग रहा है कि मास्टर कहता है कि किताब नहीं। बच्चे सुबह जाते हैं, दोपहर को मैंने शनिवार को 2–3 से पूछा कि जल्दी कैसे छुट्टी हो गयी तो कहा कि किताब ही नहीं है, पढ़ायेंगे कहां से। हैड मास्टर से बात की तो कहा यह बात तो सच है। सारे के सारे राजस्थान में, आप कहते हैं, एक जुलाई से हमने पढ़ाई शुरू कर दी। कोई पढ़ाई आपके राजस्थान में किसी भी स्कूल में इसलिए नहीं हो रही है कि पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, आप जो सस्ती दर पर कापियां देते हैं, वह उपलब्ध नहीं है।

इसलिए माननीय शिक्षा मन्त्री महोदया, आपसे साफ तौर पर यह मांग करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र सीकर, झुन्झुनू और नवलगढ़ का जो इलाका है, उसमें तत्काल इसकी व्यवस्था करायी जाये और जो-जो चार्ज मैंने इस सदन में आपके राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मण्डल के सचिव और दूसरे कार्यकर्ता धर्ता बने हुए हैं, जो हवाई जहाजों में यात्रा करते हैं, जिनको मेरी समझ में मोटर गाड़ी का दर्शन नहीं होता वे हवाई जहाज मे घूम कर पैसे कमाने लग गये हैं। के

(श्री नवरंग सिंह)

खिलाफ लगाये हैं कि जांच कराये इसलिये शिक्षा राजस्थान में एक उद्देश्य के रूप में नहीं रह कर माननीय मन्त्री महोदय, एक व्यवसाय के रूप में, एक धन्धे के रूप में चढ़ गया है। मार्केटिंग में इसका भी पैसा लगने लग गया है। इसलिए वहां बच्चों की कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज ही व्यवस्था की जाये और जो मैंने बात की है, अपने विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में पहली क्लास से लेकर 11 क्लास तक जहां-जहां स्कूलें हैं, वहां तत्काल व्यवस्था का इन्तजाम करें।

धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मन्त्रीजी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : पहले एक सवाल यह है कि सैकण्डरी बोर्ड की पूरक परीक्षाओं की तारीख आज है फार्म भरने की लेकिन आज फार्म अवेलेबल नहीं है। इस बारे में बतायें कि क्या करेंगे आप? सैकण्डरी की परीक्षाओं के लिए आज अन्तिम तारीख है फार्म भरने की, पूरक परीक्षाओं के लिए सप्लीमेन्ट्री की, वह फार्म उपलब्ध नहीं है। इनका क्या करेंगे?

**श्रीमती कमला** : क्या उपलब्ध नहीं है?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : फार्म नहीं है। तारीख बढ़ायेंगी या कैसे करेंगी आप?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मन्त्रीजी।

**श्रीमती कमला** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वक्तव्य के सिलसिले में कई सवाल माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं। उसमें मुख्य सवाल यह है कि इस वक्तव्य के दौरान जिन पुस्तकों का बाजार में उपलब्ध होना बताया गया है, उनमें बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं।

मैं माननीय सदस्यों की बात को सही मानते हुए इस बात की घण्टे दो घण्टे के अन्दर ही स्वयं जाकर जांच करने की कोशिश करूंगी कि जहां-जहां इन्होंने बिक्री होते हुए बताया है, वहां पर मिल रही है या नहीं।

**एक माननीय सदस्य** : जयपुर के बाहर?

**श्रीमती कमला** : बाहर क्यों? जयपुर में भी है। जयपुर के बाहर तो असेम्बली के दौरान मैं क्यों जाऊंगी? माननीय तिवारीजी ने तो जयपुर का भी कहा है कि जयपुर में उपलब्ध नहीं है। जयपुर में भी उपलब्ध नहीं है फिर भी विभाग यह बता रहा है कि उपलब्ध है, तो इससे गम्भीर कोई बात नहीं हो सकती।

**श्री नाथूसिंह** : ये फोन कर देंगे।

**श्रीमती कमला** : ये यहीं पर बैठे हैं, कहीं नहीं जायेंगे जब तक कि मैं वहां नहीं जाऊं। इसलिए आपने जो सूचना दी है यदि वह दरअसल में इतनी सारी पुस्तकें उपलब्ध नहीं है तो गम्भीर मामला है, जबकि मैंने बहुत ही खुले ढंग से अधिकारियों से यह कहा है कि आप गलत सूचना मत देना। अगर कोई कमी होगी तो मैं उसका जवाब दे सकती हूं, लेकिन गलत सूचना देंगे तो उसका कोई इलाज नहीं होगा, फिर आपको भुगतना पड़ेगा। यह

(श्रीमती कमला)

स्टेटमेंट, यह सारी डिटेल, इतना कहने के बाद अगर कोई गलत सूचना दी है तो मैं इतना ही कर सकती हूं, तुरन्त जयपुर शहर में एक दो जगह जाकर जांच कर सकती हूं। उसकी जांच करने के बाद अगर यह स्टेटमेंट गलत पाया जाता है तो जिस किसी भी अधिकारी ने यह चीज दी है उसको मैं निलम्बित करने का काम करूंगी।

दूसरी बात जो माननीय सदस्यों ने बहुत सही ढंग से बताई और मैंने भी इस बारे में तकाजा किया था कि जब आपने एक व्यवस्था बदली कि हम छुट्टियों बाद में करेंगे पहले नयी क्लास में बच्चों को भर्ती करेंगे, तो परीक्षा खत्म होते ही रीजल्ट निकलने के तुरन्त बाद में अगली कक्षा में बच्चों को भर्ती करके कुछ दिन उसमें पढ़ाई करा कर फिर छुट्टियां की जाय। तो स्वाभाविक तौर पर जब सत्र प्रारम्भ हो गया और बच्चें नई कक्षा में आ गये, उस वक्त पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए थीं। यह मैंने भी वह ही सवाल किया है जो आपने किया था। मैंने जब यह पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से उस वक्त सारी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो सकती। जितनी उपलब्ध थीं, वह तो मई, जून के महीने में मैंने जैसा स्टेटमेंट में कहा है, वे बिक रही हैं, लेकिन कुछ पुस्तकें जो नहीं हो सकती उनको छिपाने से कोई मतलब नहीं था, हम गलत स्टेटमेंट दें कि यह भी मिल रही थीं। कुछ पुस्तकें अभी जुलाई के महीने में आयीं और कुछ एक दो पुस्तकें अभी आनी बाकी है। इसलिए यह बात सही है आने वाले वक्त में जितने भी कार्यक्रम बनाये जाने हैं वे इस हिसाब से बनाये जाने हैं कि मई के महीने में जब बच्चों की नई कक्षा में भर्ती होने के बाद समर वेकेशन हो उस वक्त सारी पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। यानी एक महीने एडवान्स में। आर. एस. टी. बी. सी. को अपना प्रोग्राम तैयार करने का एक कार्यक्रम बनाना चाहिए जैसा कि शिक्षा विभाग ने अपनी शैक्षणिक पद्धति को बदला है।

एक बात जो बहुत सोचने लायक है, बताया है कि प्रूफ रीडिंग के लिए अधिकारीगण हवाई जहाज में यात्रा करके गये। यह अगर ऐसी स्थिति है तो बहुत ही सोचनीय है। क्योंकि प्रूफ रीडर को ही उसमें यात्रा पर जाना था, अधिकारी कोई प्रूफ रीडर होता नहीं। इसलिए उस प्रूफ रीडिंग के हिसाब से यात्रा की है तो उस यात्रा के पैसे उनसे वसूली किये जायेंगे और उनसे जवाब तलब किया जायेगा, लेकिन अगर कोई बैठक वगैरह के सिलसिले में गये तो इस पर उनका इनटाइटलमेंट होता है।

पुस्तकों की कीमत के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि कीमतें आम तौर पर बहुत ही सख्ती से जिन-जिन मुद्दों का खर्चा होता है सिर्फ उन खर्चों के हिसाब से लगायी जानी चाहिये। कागज की कीमत, मुद्रण की कीमत हैं, प्रूफ रीडिंग की है, ट्रान्सपोर्टेशन की है, 5-7 ऐसे उसमें लगाये हुए हैं, जो जरूरी भी है, उनके खर्चे लगा कर के पुस्तक की कीमत बनायी जाती है

माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि कुछ पुस्तकों के अन्दर जो भी गलतियां

(श्रीमती कमला)

इंगित की है, आपने कहा, यह बात सही है बहुत सी गलतियां उन पुस्तकों में रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पुस्तकें चाहें, बोर्ड की हों, चाहें पाठ्य मण्डल की पुस्तकें हों। और जो पुस्तकें आज भी एन.सी.ई.आर.टी. और सेण्ट्रल बोर्ड की पुस्तकें हैं, उन मुकाबले में अच्छी हैं, सस्ती हैं। हमारे पेज भी ज्यादा हैं, हमारा गेट-अप भी अच्छा है, प्रिन्टिंग भी अच्छी है और कीमत भी सस्ती है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : एक मिनट, इन्टरफेस करना चाहता हूं।

**श्रीमती कमला** : बीच में मत बोलिये। बाद में पूछ लीजिए।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : मंत्री महोदया, एक मिनट सुनलें।

**श्रीमती कमला** : यह तरीका सही नहीं है। आप बिराज जाइये। बिराजें आप।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : यह पुस्तकें भेंट कर रहा हूं गेट-अप के लिए....

**श्रीमती कमला** : मैं कह रही हूं कुछ पुस्तकों का गेट-अप भी खराब हो सकता है, लेकिन वह बहुत कम परसेंट है। मैं अभी आपको, बाईंडिंग भी खराब हो सकती है, प्रिन्टिंग भी खराब हो सकती है, मैंने एन. सी. ई. आर. टी. कीताबें भी मंगायी हैं, सैण्ट्रल बोर्ड की भी मंगाई हैं और अपनी भी मंगाई हैं। अभी आपको सचिव महोदय के कक्ष में बैठाकर दिखा सकती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप देख लीजिए, यह आ गयीं सारी।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : मैं चाहता तो नहीं था बताना सात पुस्तकें, जिनका गेट-अप, छपाई, प्रिन्टिंग...

**श्रीमती कमला** : मण्डल की 148 पुस्तकें और बोर्ड की 193 पुस्तकें-इनमें से सात पुस्तकों का स्टेण्डर्ड कम है। तो कितना पर्सेण्टेज...

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : इतने का ही पता है और होतीं तो और भी ले आता।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदया ने कहा है, यहां बैठकर दिखा देंगी। इस से ज्यादा और क्या हो सकता है!

**श्रीमती कमला** : विक्रय केन्द्रों से बेचने के लिए जो पुस्तकें दी जा रही हैं उनकी व्यवस्था सही नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा उससे मुझे यह एहसास हुआ कि पुस्तकें बहुत कम मात्रा में दी जाती हैं, सप्ताह में एक बार दी जाती हैं, एक सप्ताह में दो बार उन से हिसाब की व्यवस्था रखी जाती है। नतीजा यह है कि लेने वाला और देने वाला दोनों दुखी हैं। यह आपने इंगित किया है। इसका विभाग की तरफ से भी कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं है। इसलिए मैं इस बात को सही मानते हुए कि मौजूदा जो व्यवस्था है, इतनी अधिक कीमत पर दे रहे हैं और बहुत कम समय तक देते हैं, इसको भी बदलना बहुत आवश्यक है जिससे कि लोग सहूलियत से ले सकें। एक साथ सत्र के अन्दर अगर दो बार भी रखेंगे और दो महीने के अन्दर दो बार पुस्तकें ले जायं।

(श्रीमती कमला)

तो लेने वाले और देने वाले दोनों को सहूलियत रहती है। इस व्यवस्था को हम बदलने की कार्यवाही करेंगे।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : अध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

**श्रीमती कमला** : क्या हो गया बीच में, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ?

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि विधान सभा के अन्दर सरकार का मन्त्री जब जवाब देता है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब देता है कि वह सरकार चला रहा है। और यदि विधान सभा में कोई मन्त्री अपनी सारी बातें या अपने विभाग की गलती स्वीकार करे तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो उस विभाग का जिम्मेदार अधिकारी स्तीफा दे या वह मन्त्री अपने आपको अयोग्य मानकर स्वयं इस्तीफा दे। अन्यथा यह कहकर कि मैं मान लेती हूं कि यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है यह जवाब विधान सभा के अन्दर दिया जाना विधान सभा के लिए अपमान है। या तो मंत्री महोदया यह कहें कि यह सब गलतियां हैं, मैं सारे विभाग को बदल दूंगी, सारे विभाग के जो प्रमुख है उनको हम हटा देंगे या फिर उनको सम्भाल नहीं सकती इसलिए स्वयं अपना स्तीफा दे दें। यह बात समझ में आती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा काम यह है कि हम सरकार की गलतियों और सरकार के विभाग की गलतियों को विधान सभा के सामने रखते हैं। जब उस बात को सरकार मंजूर कर लेती है तो मंजूर करने के बाद तत्काल विधान सभा में ही उनको घोषणा करनी चाहिए कि अब तक जो गलतियां हो गई हैं उसकी हम जांच करावेंगे। यह कह कर बचना नहीं चाहिए। तो जो गलतियां मंजूर कर ली हैं कि मैं भी मानता हूं कि यह बात तो गड़बड़ है, इसलिए इनको घोषणा अभी करनी चाहिए।

**श्रीमती कमला** माननीय सदस्य, आप कहां गलत-सलत इन्टरप्रेट कर रहे हैं। मेहरबानी करके तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर मत रखिये। सुनिये आप। अब आप बैठ जाइये।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : I am not yielding.

**श्रीमती कमला** : अब आप विराज जाइये। मैं आपकी बात....

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश से खड़ा हुआ हूं मंत्री महोदया के आदेश से नहीं।

**श्रीमती कमला** : आप विराज जाइयें।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : और आपके कहने से मैं बैठूंगा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, ने मुझे आदेश दिया है। आप बैठिये, मैं नहीं बैठूंगा। आप बैठिये।

**श्रीमती कमला** : क्यों ?

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : पहले मेरी बात सुन लीजिए।

**श्रीमती कमला** : आप तो बैठ चुके हैं इसलिए मैं जवाब देने खड़ी हुई हूं। जब मैं जवाब देने खड़ी हुई, तब आप खड़े हैं। तब मैं कह रही हूं कि आप विराज जायं।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** आप खड़ी हुई हैं इसलिए शराफत से बैठा हूं मैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप इन्फरेन्स ड्रॉ कर रहे हैं।

**श्रीमती कमला :** आप बैठ चुके तब मैं खड़ी हुई हूं।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** मैं तो शराफत से बैठा हूं कि आप खड़ी हो रही हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** यह इन्फरेन्स ड्रा कर रहे हैं आप।

**श्रीमती कमला :** आप जब बिराज गये थे तब मैं खड़ी हुई हू। आपके खड़े समय में नहीं खड़ी हुई हू।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें और मंत्री महोदया, को कहिये, वह बिराज जायं।

**श्रीमती कमला :** आप तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर मत बताइये।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** वहआप कह देना अपने जवाब में। मंत्री जी इस कन्वेंन्शन को भी नहीं समझतीं कि जब मैं बोल हूं रहा बीच में....

**श्रीमती कमला :** आप बोल ही नहीं रहे थे।

**श्री हरिशंकर भाभडा :** मैं तो आप से बात कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बोल रहे थे तो मैं बैठ गया। यह कायदा है। उपाध्यक्ष महोदय, जब मुझे बोल रहे थे मैं बैठ गया, और आपने समझा कि मैं बैठ गया? इतनी बात तो कम से कम मंत्री महोदया को मालूम होनी चाहिए, हमेशा उपदेश देती हैं हमको यह। आपके माध्यम से बात कह रहा हूं। आप मुझे बात कह रहे थे और मैंने बात सुनने के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लिया, जो मुझे करना चाहिए था, तो वह समझी कि मैं बैठ गया।

तो मेरा निवेदन यह है कि बार बार इस सदन में जब यह सवाल आता है कि यह गलती हमने मंजूर कर ली, यह बात गड़बड़ है, यह ठीक नहीं है। अब तथ्यों को तोड़-मरोड़ करने की बात की जा रही है। जिन बातों को इन्होंने स्वीकार किया है मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं। जो बातें स्वीकार नहीं करतीं उनके लिए नहीं कहता। अब उसके लिए तत्काल विधान सभा में घोषणा की जानी चाहिए कि अमुक अधिकारी के खिलाफ, हम उसको अभी सस्पेण्ड करते हैं या तो वह इस्तीफा दे या मंत्री महोदया स्तीफा देंगी। इसके बारे में आप अपनी व्यवस्था दीजिए।

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) **:** उपाध्यक्ष महोदय, अब आप व्यवस्था दे दीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष** माननीय सदस्य, आप जैसा सोच रहे हैं वह बात नहीं है। आप इन्फरेन्स ड्रॉ कर रहे हैं। वह, जो सही बात है उसको कह रही हैं। यह नहीं कि मैं मान लेती हूं। आपके कहने के मुताबिक अगर ऐसी बात है तो देख लूंगी, यह है। इसलिए वह कोई प्रश्न नहीं होता जो आपने किया।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** मैं गलत बात के लिए नहीं कह रहा। जो सही बात

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

वह मान रही है उसी के लिए कह रहा हूं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : या तो पाइन्ट आफ आर्डर को निरस्त कीजिए पाइन्ट आफ आर्डर की क्या स्थिति रही? उपाध्यक्ष महोदय, आसन से व्यवस्था होनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने उस पर अपना निर्णय दे दिया।

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, या तो उसको निरस्त कीजिए या स्वीकार कीजिए, यह गलत परम्परा पड़ रही है।

**श्रीमती कमला** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले बिन्दु पर जो पुस्तकें आपने उपलब्ध करवायी है वह तो वहां उपलब्ध नहीं हैं उस पर मैंने यह कहा कि मैंने इसकी पूरी जांच के करने बाद ही यह बात कही है कि पुस्तकें उपलब्ध हैं। फिर भी आप कह रहे है कि नहीं, तो मैं जयपुर शहर के जो सेन्टर हैं उन पर जाकर दो घण्टे के भीतर जांच करूंगी। इसमें झूठ और सच मानने और न मानने की कोई बात पैदा नहीं होती है।

दूसरी बात जो मैंने कही मई के महीने की। मैंने उसमें यह कहा कि मई के महीने के मुताबिक शैक्षणिक सत्र में परिवर्तन हो रहा है। उसके हिसाब से मण्डल भी अपनी पुस्तकों का जो ब्यौरा है, कार्य विभाजन है उसको उस हिसाब से तय कर ले। इसका हम उसको निर्देश देंगे। अब इसमें कौनसी गलती की, हां कर ली कि सारी गलतियां हो गयीं?

तीसरी बात वाराणसी वाली कि अगर कोई अधिकारी प्रूफ रीडिंग के नाम से हवाई जहाज में गया है तो हम उसको सस्पेण्ड करेंगे। इसमें कौनसी गलत बात हो गयी?

चौथी बात यहां कही पुस्तकों की कीमत की। मैंने यह कहा कि हमारी ज्यादातर पुस्तकें इन दोनों संस्थान के मुकाबले में अच्छी है, कम कीमत की है। मैं माननीय सदस्यों को पुस्तके लाई हूं, जांच करा दूंगी। इसमें कौन सा हो गया कि लगे कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है? मिसइन्टरप्रेट करके मिसगाइड करने की आपको चेष्टा नहीं करनी चाहिए।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : यही मैं आपसे कह रहा हूं।

**श्रीमती कमला** : आप तो कह रहे हैं, लेकिन सदन सब समझ रहा है कि कौन मिसगाइड करने की चेष्टा कर रहा है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : सारा राजस्थान समझ रहा है।

**श्रीमती कमला** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नवलगढ़ क्षेत्र के माननीय सदस्य ने जो बात कही, उसके बारे में जानकारी करने पर यह पता लगा है कि विभाग के पास इसका विवरण नहीं है कि दरअसल किसी भी क्लास की कोई भी पुस्तक पूरे क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। अगर यह स्थिति है तो दरअसल बहुत गम्भीर है। मैं अभी इस वक्तव्य के बाद तुरन्त सीकर के डी. ओ. से बात करके आप को अवगत कराऊंगी। इसकी तुरन्त तीन दिन के अन्दर व्यवस्था करूंगी कि पुस्तकें बच्चों को उपलब्ध हो जायं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सैकण्डरी के फार्म का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : कई ऐसे दुकानदार हैं नेशनलाइजेशन बुक्स के लिए चन्दा लेने की बात की।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या बाकी रह जाता है ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : नाराजी लगती है मंत्री महोदया।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपने जो कहा उसमें जांच करायेंगी, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है ?

**श्रीमती कमला** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चतुर्वेदीजी ने दो-तीन मुद्दे उठाये। एक तो यह है कि आटे की चक्की वालों को, सिलाई की मशीन वालों को और दूसरे ऐसे लोगों को पुस्तकें वितरित करने के लिये दे रखी हैं उनको किस हिसाब से दे रखी है जबकि उनका यह काम नहीं है, तो मैं इसकी जांच करवा कर आपको बता सकती हूं।

दूसरा चन्दा इकट्ठा करने वाला मसला है। विभाग के पास या मण्डल के पास इस तरह की चन्दा इकट्ठे करने की सूचना नहीं है लेकिन आप दे रहे हैं। स्थानीय क्षेत्रों के अन्दर इसकी चर्चा होगी या किन्हीं से लिये गये होंगे। उसको यहां से किसी विशेषाधिकारी को भेजकर जांच करायेंगे। यदि इस तरह की कोई गड़बड़ी की गई है, तो इसके बारे में कार्यवाही की जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार हमने यह कोशिश की थी कि सीधे विद्यालयों की मार्फत यह सारा इन्तजाम हम करेंगे और विद्यालयों का एक केन्द्र स्थानीय बना दें जैसा हमारे विद्यालय संगम क्षेत्र बने हुये हैं, तो संगम क्षेत्र जो केन्द्र स्थानीय विद्यालय है, उस विद्यालय के पास एक बार तो पैसे भी कम हैं तो उस विद्यालय से जितने विद्यालय फीडर हैं उनके स्टूडेण्ट्स फण्ड में से कुछ पैसा लेकर वह सारी पुस्तकें विद्यालय के माध्यम से, चैतक कापियां भी हम विद्यालय के माध्यम से बेचें जिससे कि जितनी शिकायतें होती हैं कालाबाजारी की या बीच में खाने-पीने की सारी शिकायतें मिट जायेंगी। मैंने कुछ प्रमुख प्रमुख स्थानों के प्रधानाध्यापकों को भी बुलाया था, जितने हमारे डी.ओ.ज. थे उनको भी बुलाया था, रेंज आफिसर थे उनको भी बुलाया था और विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस सम्बन्ध में काफी देर तक चर्चा करके यह कोशिश की थी कि हम सारा सिस्टम इस ढंग से लागू करने की कोशिश में हैं लेकिन उस वक्त कुछ प्रधानाध्यापकों ने हाथ ऊंचे कर दिये। साहिब, हमारे पास इतनी राशि नहीं है, कल को गड़बड़ी हो जायेगी तो आप हमको दोष देंगे और कुछ अधिकारियों ने भी कहा कि साहिब, अगले वर्ष तक तो ऐसे ही रहने दीजिये उसके बाद में इस बात पर हम चेष्टा करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो प्रस्तावित व्यवस्था थी उसको हम किस प्रकार से प्रभावी ढंग से हाथ में लेकर लागू करें जिससे कि सारी शिकायतें हमारी मिट सकें इस बारे में फिर विचार करने की कोशिश की जायेगी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदया, सैकण्डरी की पूरक परीक्षा के फार्म....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अब क्या चीज बाकी रह जाती है ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सैकण्डरी की पूरक परीक्षा के फार्म नहीं मिल रहे हैं, आज अन्तिम तिथि है....

**श्री उपाध्यक्ष** : बहुत क्लियर हो गया।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : नहीं, नहीं साहब उत्तर दीजिये, साहब।

**श्री उपाध्यक्ष** : और कुछ क्या करना है, इनकी कुछ शंका रह गई है तो....

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, शंका नहीं है।

**श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : सैकण्डरी की पूरक परीक्षा के फार्म नहीं मिल रहे हैं, उसका जवाब नहीं दिया गया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : सब ठीक है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मंत्री महोदया, पूरक परीक्षा के फार्म उपलब्ध नहीं हैं, इस वजह से जो विद्यार्थी फार्म भरने से रह गये हैं उनके लिये क्या व्यवस्था करेंगे ?

(व्यवधान)

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : आज शिक्षा विभाग आया नहीं है, पाठ्य पुस्तक मण्डल आया है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मेरी बात समझ गईं ना आप ?

**श्रीमती कमला** : चार-चार जने तो खड़े हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : सैकण्डरी की पूरक परीक्षा के लिये जो फार्म विद्यार्थियों को भरने होते हैं, वह आज उपलब्ध नहीं हैं, आज आन्तिम तारीख है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि फार्मों की अनुलब्धता के कारण कई विद्यार्थी फार्म भरने से रह गये हैं। उनके लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : सुन लिया, उसका जवाब मिलेगा।

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ जानकारी करना चाहता हूं। मंत्री महोदया, आपने जयपुर की बात कह दी और आपने यह भी कह दिया कि पुस्तकों की मामूली कमी है बाकी कोई कमी नहीं है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 20 लाख विद्यार्थी हैं और उनके लिये यदि औसतन 4 पुस्तकें आप मानें तो उसके हिसाब से 2 करोड़ 40 लाख पुस्तकें कम से कम, मिनिमम से मिनिमम आपके यहां बिकनी चाहिये। 6 बुक होंगी और 8 बुक भी होंगी, लेकिन कम से कम....

**श्रीमती कमला** : आप पहले गैर हाजिर होंगे, जब मैंने पहले बोला था। उस समय....

**श्री नाथूसिंह** : नहीं, मैं यहीं पर था। आपने यह भी कहा है कि 1 करोड़ 90 लाख रुपये की पुस्तकें बेची हैं, आपने अपने

(श्री नाथूसिंह)

वक्तव्य में यह बात कही है, जबकि यह 2 करोड़ 40 लाख की पुस्तकें कम से कम, मिनिमम से मिनिमम तो बिकनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, एक तो इनकी पुस्तकें पूरी नहीं होती हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : सारी चीजें आ गई हैं। आप उस समय थे नहीं।

**श्री नाथूसिंह** : मैं भरतपुर और करौली की बात कहना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप मौजूद नहीं थे, सब जगह की, पूरे राजस्थान की उन्होंने बात कह दी।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि करौली के प्रबन्धक नये लाइसेन्स के लिये 3 सौ रुपये और नवीनीकरण के लिये 100 रुपये ले रहे हैं और गंगापुर और हिण्डौन में ट्रकों से पुस्तकें आती जाती हैं और ब्लैक होती हैं बाहर। इसके लिये आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, बाहर जाकर पुस्तकें ब्लैक हो रही हैं?

**श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी-बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय झण्डे का चित्रण गलत किया गया है, उसके बारे में माननीय मंत्री महोदया ने अपने जवाब में कुछ नहीं कहा है। इस सम्बन्ध में जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जायगा? कृपया, इसके बारे में मंत्री महोदया बतायें।

**श्रीमती कमला** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय गान का जहां तक सवाल है, इस सम्बन्ध में मैंने पहले कहा था कि जितनी पुस्तकों में गलत प्रिन्ट हो गया था, उसका वापिस प्रिन्ट करके उस पुस्तक के साथ....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : पुस्तक में राष्ट्रीय झण्डा गलत दिखाया गया है। आप टालो मत इस बात को इसके लिये जो रेस्पोन्सिबिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय झण्डे का गलत चित्रण किया है, उनको सुपरवाइजरी ड्यूटी फिक्स करें और उनको सस्पैण्ड किया जाय। यह कोई मजाक की बात नहीं है। इतने बड़े अधिकारी इस प्रकार की कार्यवाही करें....

(व्यवधान)

**श्रीमती कमला** : यह पुस्तकें अगर बाजार में निकल गई हैं तो उनको सबको चिथड़ा करके इसकी वापिस दुरुस्ती कायम...

(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को जिन पुस्तकों में गलत ढंग से दर्शाया गया है; उन पुस्तकों को मैं सदन की पटल पर रखता हूं। अपमान किया गया है।

(तीन पुस्तकें श्री घनश्याम तिवाड़ी द्वारा सदन की मेज पर रखी गई....)

**श्रीमती कमला** : यह गलत प्रिन्ट हो गया। उसका आपने अपमान करने का मन्तव्य कैसे लगा लिया?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : इनकी मंशा अपमान करने की है।

(व्यवधान)

**श्रीमती कमला** : इतने जोर से बोलने से थोड़े ही काम बनता है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : सुपरवाइजरी ड्यूटी फिक्स की जाय। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

(व्यवधान)

**श्रीमती कमला** : आप आगे की बात सुनें तो सही। मैं बताना चाहती हूं आप सुनने का तो कष्ट करें।

**एक माननीय सदस्य** : कार्यवाही करने की बात कीजिये।

**श्रीमती कमला** : तो और किस लिये खड़ी हुई हूं ? आप सुनना ही नहीं चाहते हैं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : मार्केट में आने से पहले किताबें देखी नहीं जानी चाहिये थीं ? आप इसकी जिम्मेदारी से कैसे मना कर सकती हैं ?

**श्रीमती कमला** : माननीय सदस्य महोदया, जब पहले ही कह चुकी हूं कि जितनी पुस्तकें बिक्री से बची हुई थीं उनको रोक कर, उनमें तरमीम करके फिर जारी की हैं। लेकिन जितनी पुस्तकें निकल गई हैं उनको वापस चिपड़ा करके उनको भी सही कराया जा रहा है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : जिन्होंने इन पुस्तकों को प्रकाशित किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिये थी।

**श्रीमती कमला** : आप अगली बात तो सुनना नही चाहते। इतना गर्म हो जाते हैं एकदम से कि अगला सैन्टेन्स सुनना ही नहीं चाहते। मैं कहना चाहती हूं कि जिन अधिकारियों की लापरवाही से, जिन पुस्तकों के प्रकाशकों की लापरवाही से यह कार्यवाही हुई है जिससे राष्ट्रीय गान और राष्ट्र झण्डे का विवरण सही ढंग से नहीं दिया गया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : प्रकाशक हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट----

**श्रीमती कमला** : आपके पास पुस्तकें हैं, वैसी पुस्तकें सही की हुई मेरे पास भी हैं।

(मंत्री महोदया द्वारा पुस्तकें दिखाई गई)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : प्रकाशक है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल और इसकी जिम्मेदारी है सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल की। He should be suspended immediately.

(व्यवधान)

**श्रीमती कमला** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री भवरलाल जी ने जो सवाल पूछा है कि सैकण्डरी परीक्षा के पूरक परीक्षा के फार्मस् अवेलेबल नहीं है, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि फार्मस् भरने की आवश्यकता नही है, सिर्फ फीस जमा कराकर एडमिशन कार्ड लेने की जरूरत है। फार्म की आवश्यकता नहीं है।

**श्री भवरलाल शर्मा** : फार्म नहीं भरना होगा ?

**श्रीमती कमला** : नहीं।

**श्री कालीचरण सराफ** : मंत्री महोदया आपको गलत सूचना दी है, फार्म भरने की आवश्यकता है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : पाठ्य पुस्तक मण्डल वालों ने जानकारी दी है।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : अब क्या रह जाता है ?

**श्रीमती कमला** : एक बार नहीं मैंने दो बार पूछा है फार्म नहीं भरा जाता है।

**श्री नवरंग सिंह** : माननीय मंत्री महोदया, पूरक परीक्षा के फार्म भरना जरूरी है, फार्म भरे बिना विद्यार्थी बैठ नहीं सकेंगे।

**श्रीमती कमला** : मैंने दो बार पूछा है और दोनों ही बार यह जवाब दिया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : बहुत हो चुका है।

राजस्व मंत्री, श्रीमती कमला मांग संख्या 8 राजस्व के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

**अनुदान की मांग**

**मांग संख्या 8-राजस्व की प्रस्तुति**

**श्रीमती कमला** (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती करती हूं कि मांग संख्या 8 राजस्व के सम्बन्ध में 31 मई, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 25 करोड़ 20 लाख 8 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलत है, प्रदान की जाय।

**मांग संख्या 8 पर कटौती प्रस्ताव**

मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल)

1. भूमि बन्दोबस्त उचित वैज्ञानिक तरीके से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री रेवत राम** (डूंगरपुर)

**श्री राम देव** (मूंडवा)

**श्री नारायण राम बेड़ा** (भोपालगढ़)

2. पटवारियों के एक ही स्थान पर निरन्तर रहने से जनता को तंग करने की प्रवृत्ति पर चर्चा के लिये।

3. राजस्व भूमि में से निकलने वाले ग्राम रास्ते से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

**श्री बहादुर सिंह** (दानपुर)

4. आदिवासियों की काश्त की भूमि को गैर आदिवासियों द्वारा खरीदने के 175 मामलों को नहीं पकड़ने पर चर्चा के लिये।

(श्री बहादुरसिंह)

5. जिला बांसवाड़ा में भूमिहीन कृषकों द्वारा किये गये नाजायज कब्जों का एलोटमेंट नहीं होने पर चर्चा के लिये।

6. आदिवासियों को राजस्व मामलों में सस्ता न्याय दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

**श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़)**

7. झुंझुनू जिले का भू-प्रबन्ध का कार्यालय बीकानेर की जगह सीकर में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

**श्री हरीश (खानपुर)**

9. ग्राम भेरुपुरा, तहसील खानपुर की चरागाह भूमि को परगना अधिकारी द्वारा एलोट करने की कार्यवाही से जनता में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. सन् 1984 में खानपुर तहसील जिला झालावाड़ में सिलिंग से अवाप्त भूमि को परगना अधिकारी अकलेरा द्वारा भूमिहीनों व अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं देकर अपनी ही जाति के लोगों को दे देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. झालावाड़ जिले की तहसील खानपुर के तहसीलदार को किसानों द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर भी पैमाइश नहीं करवाने पर चर्चा के लिये।

12. परगना अधिकारी अकलेरा द्वारा चरागाह भूमि को अपनी जाति के लोगों के नाम एलोट किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. बूंदी जिले के गांव रामगंज उर्फ नयागांव के किसान द्वारका शंकर को अपने खेत पर जाने का रास्ता तहसीलदार द्वारा जिलाधीश के आदेश करने पर भी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़)**

14. फसल की काश्त की गिरदावरी भूमि जोतने वाले के नाम करने बाबत चर्चा के लिये।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल)**

15. राजस्व अभियान की असफलताओं पर चर्चा के लिये।

**श्री राम सिंह (लूणी)**

16. भू-अभिलेख सुधार कार्यक्रम को वैज्ञानिक आधार पर सर्वे कराकर भू-अभिलेख (लैण्ड रिकार्ड) नया रूप देने, प्रत्येक अकाल वर्ष में बिगोड़ी माफ करने तथा प्रत्येक किसान को पासबुक देने पर चर्चा के लिये।

**श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल)**

17. मांडल क्षेत्र एस. डी. एम. द्वारा पटवारियों के नाजायज कार्यों को प्रोत्साहन व गलत स्थानान्तरण करने पर चर्चा के लिये।

18. मांडल क्षेत्र में खातेदारी व्यवस्थित न करने एवं भ्रष्टाचार फैलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री बिहारी लाल पारीक)

19. मांडल क्षेत्र में राजस्व की वसूली में बरती जा रही अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

20. लगभग 30 करोड़ रुपया लेकर भी जयपुर नगर में भूमि रूपान्तरण न किये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं)

21. कस्बा लाडनूं की राजस्व भूमि पर बन रहे फर्जी पट्टों में राजस्व कर्मचारियों की साझेदारी के कारण करोड़ों रुपये की राजस्व आय में घाटे पर चर्चा के लिये।

22. राजस्व भूमियों की बेनामी खरीद खुद तहसीलदार लाडनूं द्वारा किये जाने के कारण राजस्व विभाग को लाखों का घाटा होने पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा)

23. सीलिंग कानून में अवाप्त भूमि का मुआवजा की राशि अनुचित रूप से बढ़ाकर बड़े भूमिधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर)

24. रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों द्वारा घरेलू उपयोग के लिए ईंट निकालने, मिट्टी खोदने, रोड़ी-पत्थर निकालने में लगाई गई पाबन्दी पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा)

25. आदिवासियों के नाजायज कब्जों पर पैनेल्टी एवं एलोटमेंट के पट्टे नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री अंइक अली (फतेहपुर)

26. राज्य के कृषकों को पासबुकों का वितरण करने पर चर्चा के लिये।

27. फतेहपुर, जिला सिकर के कृषकों की बकाया वसूली को स्थगित करने पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़):

28. भू-राजस्व वसूली का कार्य पंचायत समितियों को दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के पांच सौ की आबादी वाली सभी ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने तथा उनके नाम तय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जय कृष्ण तोसावड़ा (टिब्बी):

30. राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा खुले रूप में किसानों को लूटने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. राजस्थान में चरागाहों पर हुए कब्जों को खाली नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. राजस्व विभाग में किसानों की पासबुकें सही रूप से वितरण नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री जयकृष्ण तोसवाड़ा)

33. राजस्व विभाग में पटवारियों द्वारा साधारण किसानों को तंग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

35. राजस्व विभाग द्वारा चरागाह के ऊपर अतिक्रमण रोकने में असफलता पर चर्चा के लिये।

**श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमू) :

36. चौमू तहसील कार्यालय का निर्माण होने के बावजूद भी तहसील कार्यालय परिवर्तन नहीं होने व अनावश्यक किराया देने पर चर्चा के लिये।

37. चौमू तहसील के नायक तहसीलदार व अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा द्वेषता पूर्ण तरीके से करीब 250 नामान्तरण अवैध रूप से खारिज करने से आम जनता की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

38. चौमू तहसील में भारी रिश्वतखोरी होने से आम जनता में असन्तोष पर चर्चा के लिये।

**श्री लालचन्द** (भादरा) :

39. गंगानगर जिले के किसानों द्वारा किश्तें जमा कराने के बावजूद खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

**श्री गणेश लाल** (हिण्डोली) :

40. बूंदी जिले में राजस्व विभाग की बिगड़ती हुई व्यवस्था से किसानों पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा के लिये।

**श्री परसादी लाल** (लालसोट) :

41. तहसील लालसोट में ग्राम नगरियावास के किसानों को एलाटमेंट जमीन को पुनः चरागाह में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये।

**श्री सुजान सिंह** (बहरोड़) :

42. अकाल की चपेट में आये गांवों में राजस्व वसूलियां स्थगित किये जाने पर चर्चा के लिये।

**श्री भगराज चौधरी** (आहोर) :

43. जालोर जिले की आहोर तहसील के गांव हुड़मतगढ़ पीपरला की ढ़ाणी, कालस की ढ़ाणी, हरीपाली, नया वेदाना वगैहरा करीब 20 गांवों को अलग रेवन्यू गांव घोषित करवाने पर चर्चा के लिये।

**श्री रमजान खां** (पुष्कर) :

44. ढ़ाणियों को राजस्व गांव का दर्जा देने पर चर्चा के लिये।

45. नामान्तरण करने संबंधी मामले निपटाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

46. अजमेर जिले में राजस्व अभियान चलाने पर चर्चा के लिये।

**श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) :

47. पाली जिले में राजस्व विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

**श्री सुन्दर लाल** (सूरजगढ़) :

48. झुन्झुनूं जिले में सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई पैमाइश पर चर्चा के लिये।

(श्री सुन्दरलाल)

49. राजस्व विभाग द्वारा जमीनों की रजिस्ट्रीयां करने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

**श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा):

50. राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक रियायती दरों पर राजस्थान में भूमि रूपान्तरण शुल्क के जमा कराने पर भी पट्टे जारी नहीं करने पर चर्चा के लिये।

51. राजस्थान में राज. टी. एक्ट के तहत किसान 1/50 भाग पर रिहायशी मकान बना सकता है किन्तु अभी तक ऐसे बने मकानों के सरकार द्वारा कोई पट्टे नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिये।

52. अलवर, भरतपुर जिले में बढ़ती हुई आबादी की दृष्टि से दोनों जिलों के लिए फ्रेगमेन्ट की परिभाषा बदलने पर चर्चा के लिये।

43. राजस्थान में राजस्व न्यायालय खोलने के गलत मापदण्ड के क्रम में चर्चा के लिये।

54. ग्राम पंचायतों को नगर पालिकाओं में क्रमोन्नत होने से पूर्व ग्राम पंचायत के समय बने किसानों के मकानों का भूमि रूपान्तरण शुल्क सरकार द्वारा वसूल करने पर चर्चा के लिये।

55. राजस्थान में 30 वर्षों के राजस्व विवादों के निपटारे पर चर्चा के लिये।

56. राजस्थान में सड़कों में अधिग्रहण जमीन के मुआवजे के क्रम में चर्चा के लिये।

57. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति तथा चयनित परिवारों को एलाट शुदा जमीन पर कब्जा सरकार द्वारा न दिलाए जाने पर चर्चा के लिये।

58. राजस्थान में 1955 से काबिज किसानों को आज तक भी खातेदारी अधिकार न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

59. राजस्थान में खासकर अलवर व भरतपुर में सैटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना आधार के रेवन्यू के इन्द्राजात बदले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. अलवर, भरतपुर में कस्टोडियन लैण्ड पर सन् 1955 से काबिज किसानों को खातेदारी अधिकार दिए जाने पर चर्चा के लिये।

61. राजस्थान में नजूल सम्पत्ति पर मालिकाना हकूक दिए जाने पर चर्चा के लिये।

62. अलवर जिले में भूमि रूपान्तरण तहसीलदार के रिक्त पद को भरने की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं) :

63. एस. डी. ओ. द्वारा कस्बा लाडनूं में कृषि भूमि में फर्जी रिहायशी पट्टे काट कर अनाधिकृत रूप से आबादी में परिवर्तन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. जिला नागौर, कस्बा लाडनूं में बन रहे फर्जी पट्टों के सम्बन्ध में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में दोषी कर्मचारियों पर कार्य-

(श्री हरजीराम बुरड़क)

वाही नहीं करके जिलाधीश द्वारा उनको संरक्षण देने पर चर्चा के लिये।

65. तहसीलदार लाडनूं के विरुद्ध गंभीर आरोपों की शिकायतें होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री डूंगर राम पंवार** (टीबी) :

66. अधिकारियों द्वारा अनियमितता, भ्रष्टाचार, किसानों का भारी शोषण, भूमि सम्बन्धी मामलों में मनमानी, सिलिंग के गलत फैसलों पर चर्चा के लिये।

**श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) :

67. पटवार सर्किल पलाना खुर्द, तहसील मावली, जिला उदयपुर में पटवारी तथा सरपंच व अन्य अतिक्रमणियों द्वारा लगभग 500 बीघा चरागाह व बिलानाम जमीन पर अतिक्रमण तथा ग्राम रास्तों को रोक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) :

68. सीकर जिले में चल रहे सेटलमेन्ट कार्यों से किसानों में फैल रहे असतोष पर चर्चा के लिये।

**श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) :

69. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे मण्डी डवलपमेन्ट में सुधार करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

70. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के योजनाबद्ध विकास के लिये मास्टर प्लान समय पर तैयार नहीं किये जाने से उपनिवेशन योजना असफल होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में नहर सड़क, भट्टा निर्माण व वन लगाने में किसानों की भूमि आवाप्ति के प्रतिफल स्वरूप उन्हें मुआवजा न देने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

72. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग द्वारा जोहड़ पायतान भूमि की निलामी किये जाने से भूमिहीन गरीब किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

73. उपनिवेशन क्षेत्र के अस्थाई आवंटन सबूत लेने के 4–5 वर्ष बाद भूमि निरस्त करने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

74. इन्दिरा गांधी नहर के अधीन तहसील कोलायत व जिला जैसलमेर के गैर खातेदार किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं दिए जाने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

75. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन की नीति में सुधार किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

76. लूनकरणसर लिफ्ट नहर से सिंचित होने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत आये असिंचित ग्रामों को डी–कमाण्ड घोषित करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

77. उपनिवेशन क्षेत्र में काश्तकार का जिस खसरे पर कब्जा है उसमें चक बन्दी पुनः कर उसी की निशानदेही पर कब्जा देने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

(श्री देवीसिंह भाटी)

78. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचित कृषि भूमि के स्थाई आवंटन कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

79. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर व इसकी शाखाओं पर पशुधन के पीने हेतु घाट व पानी की खेलियां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) :

80. राजस्व प्रशासन के आधुनिकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** (कोटपूतली) :

81. भू-प्रबन्धक अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सभी कार्य समयानुसार विधिवत संपादन न करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

**श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) :

82. गुलाटशुदा भूमि पर कब्जा दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) :

83. जयपुर जिले में रेगुलराइजेशन के मामलों में सरकार द्वारा त्रुटीपूर्ण रवैया अपनाने के कारणों ग्रामीण में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

84. राजस्थान में मन्दिरों की अव्यवस्था होने व पुजारियों द्वारा सम्पत्ति खुर्द बुर्द करने से हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

84. उपनिवेशन क्षेत्र में आबादी भूमि में आवासीय भूखण्ड पट्टे दिये जाने के अधिकार को पंचायतों के पास होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. जमवारामगढ़ तहसील क्षेत्र व जयपुर तहसील क्षेत्र में पशुओं की संख्या के अनुपात में नियमानुसार गोचर भूमि घोषित करने हेतु चर्चा के लिये।

87. गांवों से लिया जाने वाला सम्पूर्ण राजस्व ग्राम पंचायतों को देने पर चर्चा के लिये।

88. सड़कों बांधों तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिये किसानों की भूमि अवाप्त की जाने पर अवाप्त भूमि का पूरा उचित मुआवजा उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

89. पंचायत की मांग के अनुसार आबादी भूमि के विस्तार पर चर्चा के लिये।

90. कृषि भूमि में आबादी हो जाने व नियमन के लिये आवेदन करने पर भी जयपुर नगर के मामले निबटाने में देरी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

91. गांवों में जाने आने के रास्ते होते हुए भी राजस्व रिकार्ड में इनका इन्द्राज नहीं होने से आवागमन के मामले में होने वाले विवाद व अशान्ति पर चर्चा के लिये।

92. जयपुर जिले की जमवा रामगढ़ तहसील में गोचर तथा चरागाह की जमीन पर अतिक्रमण के विरुद्ध सरकार द्वारा ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. वितरित की गई पासबुकों की अनुपयोगिता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

94. ओला दृष्टि से प्रभावित क्षेत्र में लगान माफ किये जाने तथा वसूलियां स्थगित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. कुओं से सिंचित भूमि को लगान से मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. पटवार मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों को खातेदारी अधिकार देने में उदासीनता एवं मनमानी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. लगान वसूली में दमनकारी नीति का व्यवहारित किये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

99. कृषि गणन योजना पर विचार हेतु चर्चा के लिये।

100. जमवारामगढ़ तहसील में सेटलमेन्ट न किये जाने से उत्पन्न विवादों पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण):

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी) :

101. भू-राजस्व अभियान के अन्तर्गत नामान्तरण (म्यूटेशन) के जो अधिकार पंचायतों के हैं उन्हें उन अधिकारों से वंचित किये जाने पर चर्चा के लिये।

102. लैण्ड रेवेन्यू के सेक्शन 91 के अन्तर्गत हजारों मुकद्दमें होने से किसानों को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) :

103. भू-राजस्व की दरों में वृद्धि की जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. सूखा सम्भावित क्षेत्रों में भूमि आवंटन पर लगी रोक पर चर्चा के लिये।

105. राजस्व मण्डल में वर्षों से लम्बित मामलों पर निर्णय न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार सम्बन्धी नीति की क्रियान्विति न करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

107. पटवारियों व गिरदावरों की भर्ती में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

108. काश्तकारी कानून को सरल बनाकर भ्रष्टाचार का उन्मूलन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. भू-प्रबन्ध विभाग का अपने लक्ष्यों में असफल रहने पर चर्चा के लिये।

110. जयपुर तहसील का बगराना गांव आगरा रोड के दोनों तरफ आबाद हो चुका है को रेवेन्यू विलेज घोषित न किये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

111. राजस्व मण्डल, राजस्थान अपीलीय प्राधिकारी तथा भूमि अवाप्ति कार्यालयों का अपने अपने कार्यों में असफल रहने पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

112. भू-आवंटन नियमों का सरलीकरण कर काश्तकारों को लाभ दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. राजस्व अदालतों में कामकाज में निष्पक्षता न होने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

**श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) :**

114. किसानों की भूमि को अवाप्त करने पर उन्हें बाजार भाव पर मुआवजा नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

**श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमुवा-रामगढ़) :**

115. पटवारियों द्वारा भूमि सबंधी विवादों को बढ़ावा देने के लिये रिकार्ड का दुरूपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये।

**श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) :**

116. हरिजनों को कृषि भूमि आवंटन में प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री महेन्द्र शास्त्री (मण्डावर) :**

117. राजस्व विभाग की प्रथम इकाई पटवारी के कर्तव्यों में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. राजस्व विभाग के तहसीलदारों को गतिशील बनाने के लिए वाहन की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

119. जोहड़, गोहर, रास्ते, गोचर पर हो रहे अतिक्रमण को प्रभावी ढंग से नहीं रोक पाने से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

120. राजस्व विभाग की व्यवस्था अवैज्ञानिक एवं अप्रसांगिक है जिसमें आज की विकसित व्यवस्था के अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री भंवरा राम (डीडवाना) :**

121. सामुहिक राजस्व खातों को मांग के अनुसार अलग-अलग करने पर चर्चा के लिये।

**श्री भगराज चौधरी (आहोर) :**

122. जालोर जिले में सेटलमेंट विभाग द्वारा री-सेटलमेंट ऑपरेशन (पुनः भूमि बन्दोबस्त कार्य) के दौरान की गई गड़बड़ियों एवं धांधलेबाजी पर चर्चा के लिये।

**श्री नरपत राम बरवड (सूरसागर) :**

123. जोधपुर शहर की नगर परिषद् सीमा विस्तार के कारण गांव नगर परिषद् सीमा में आ जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

124. जोधपुर नगर परिषद् सीमा विस्तार के कारण जो गांव नगर परिषद् सीमा में आ गए उन गांवों के निवासियों के बाड़े व मकान 1977 के नियमों के तहत नियमन करवाने बाबत चर्चा के लिये।

**श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया):**

125. जिला उदयपुर तहसील सलुम्बर, धरियावद क्षेत्र के राजस्व विभाग की अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

**श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :**

126. 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों को आवंटित भूमि का कब्जा दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

127. पटवारियों की शिकायतें दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :**

128. राजस्व संबंधी सादे कानूनों का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. चारागाहों का गोचर के लिए भूमि निश्चित करते समय भेड़ों की संख्या पशुधन में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130 परम्परागत चारागाहों की जमीन के आवंटन से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

131. पिचियाक ग्राम, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में चारागाह की जमीन एलाट करने पर चर्चा के लिये।

132. ग्राम नानण, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर में नाडी के आगोर व गौचर में जाने के रास्ते पर नाजायज कब्जे पर चर्चा के लिये।

**श्री अब्दुल हादी (चौहटन) :**

133. बाड़मेर जिले में कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन बन्द किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

134. बाड़मेर जिले की तहसील चौहटन में कृषि भूमि पर भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण के नियमन पर चर्चा के लिये।

135. भू-आवंटन एवं नियमन हेतु अधिकृत भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा में संयुक्त परिवार के सदस्य का नोशनल शेयर मानने पर चर्चा के लिये।

**श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :**

136. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 91 के अन्तर्गत जिला टोंक में और विशेष तौर से तहसील उनियारा व देवली में अधिकतम पेनल्टी 50 गुना लगाये जाने व कुर्कियां कर वसूली की जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. प्रदेश में दो सिलिंग कानून के प्रचलित होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

138. राज्य में सिलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त हुए भूमियों का मुआवजा अभी तक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

139. राजस्व विभाग ग्रुप (3) द्वारा परिपत्र संख्या प 1 (246) राज/3/76, दिनांक 22-8-79 जारी कर जिलाधीश टोंक को दिये गये निर्देश पर अमल न करने के संबंध में चर्चा के लिये।

140. राज्य में सिलिंग कानून 1-4-66 से लागू होने व उसके पूर्व के बेचान व हस्तानातरण को वैधता न देने एवं ऐसे काश्तकारों को अनावश्यक रूप से बेदखल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री दिग्विजय सिंह) :

141. उप खण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा सिलिंग की भूमि का दिनांक 21-5-82 को मुख्यालय खेलनियां पर किये गये आवंटन में गड़बड़ी करने की शिकायत व उसकी जांच पर अभी तक कार्यवाही न होने पर चर्चा के लिये।

142. तहसीलदार देवली जिला टोंक द्वारा 15,985-83/- की बकाया राशि श्री रतनलाल जैन से पी.डी.आर. के अन्तर्गत वसूल न करने पर चर्चा के लिये।

**श्री किरोड़ी लाल मीणा (महुआ) :**

143. जिला सवाई माधोपुर की तहसील महुआ में 11 गांवों की सीट गायब होने से जनता में भारी असंतोष एव आक्रोष पर चर्चा के लिये।

144. जिला सवाई माधोपुर की तहसील महुवा के तहसीदार द्वारा काश्तकारों को परेशान करने एवं गलत ढंग से 91 (ए) के नोटिस देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) :**

145. पशुओं के लिये चारागाहों के अतिक्रमण के हटाने में सरकार की अक्षमता पर चर्चा के लिये।

**श्री राजेश (धानागाजी) :**

146. राजस्व अभिलेखों का समय पर पटवारियों द्वारा इन्द्राज न किया जाकर राजस्व अभियान के समय इन्द्राज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर) :**

147. ग्रामों में सरकारी भूमि जो सामूहिक उपयोग की है यथा गोचर, ओहरपायतन आदि पर नाजायज कब्जे रोकने व अवैध तरीके से पट्टे जारी न करने वाले की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री विजय सिंह (रूपवास) :**

148 पंचायत समिति आवासर (भरतपुर) में ग्राम पंचायत नगलावीजा में चारागाह जमीन को बेरोजगार व भूमिहीनों को आवंटित करने पर चर्चा के लिये।

**हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :**

149. तहसीलदार पीपल्दा द्वारा सिलिंग से प्रभावित कृषकों को नाजायज नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

150. लगान की वृद्धि छः वर्ष का एक साथ वसूल करना तथा उससे सरचार्ज के बढ़ने से किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

151. राजस्व अधिनियम की धारा 91 का अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

152. अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ में जमीन के नम्बर अभी तक नहीं बदले जाने तथा उनके विरुद्ध 91 की कार्यवाही कर परेशान किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. सीलिंग में अवाप्त भूमि के मुआवजे का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध चर्चा के लिये।

**श्री थान सिंह (सलूम्बर)**

154. उप तहसील कुशालगढ़ तहसील गिर्वा के काश्तकारों को भूमि आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)**

155. प्रत्येक पटवार मुख्यालय पर पटवार घर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. पाली जिले को रायपुर तहसील का पुनः सेटलमेन्ट यथाशीघ्र करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. पाली जिले की रायपुर तहसील के पहाड़ी क्षेत्र की लगभग 15 पंचायतों पर गलत ढंग से 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री मांगीलाल आर्य (जालोर)**

158. अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को आवंटन शुदा कृषि भूमि का कब्जा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

159. कृषि योग्य भूमि आवंटन के नियमों की अनुपालना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. पाली जिले में जवाई बांध कमांड एरिया में 1976 में आवंटित कृषि भूमि को तरमिम कर सेटलमेन्ट से पर्चे आज तक नहीं मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)**

161. मेहन्दीपुर बालाजी के महन्त के नाम अनुसूचित जन जाति के कृषक की खातेदारी की कृषि भूमि का स्थानान्तरण नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा कानून के विपरीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

162. तहसील बस्सी की जयपुर नगर विकास प्राधिकरण में आयी हजारों बीघा बेकार पड़ी कृषि भूमि गरीब भूमिहीन लोगों में आवंटित किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

163. मन्दिरों की इनाम की कृषि भूमि जो व्यक्तिगत नामों से खातेदारी में की गयी है उसकी खातेदारी पुनः मन्दिर के नाम दर्ज किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

164. जयपुर जिले की तहसील बस्सी के ग्राम बड़वा पड़ासली ग्राम फार्म बोर्ड की सीलिंग में अवाप्त हजारों बीघा सरकारी कृषि भूमि में बड़े व सम्पन्न कृषकों द्वारा की जा रही नाजायज खेती को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

165. "प्रशासन गांव की ओर" कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित राजस्व शिविरों ग्राम रास्तों के अवरोधकों हटाने, जोतों की सीमा बढ़ाने आबादी भूमि के विस्तार आदि के सदर्भ में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निपटारा नहीं होने के सदर्भ में चर्चा के लिये।

166. ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं द्वारा प्रस्तावित सिवाय चक, चारागाह भूमि को आबादी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में रहे अनावश्यक उत्पन्न विलम्ब के संदर्भ में चर्चा के लिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी )

167. जयपुर जिले की तहसील बस्सी एवं चाकसू में वर्ष 1981 में आयी भीषण बाढ़ से खेतों की सीमा नष्ट हो जाने के कारण री-सेटलमेन्ट किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

168. नहरी सिंचित क्षेत्र गंगानगर जिले के अनुपात में जयपुर जिले में कुओं से सिंचित चाही भूमि के लगान की दरों में कमी किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

169. नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र की भूमि के लगान की दरों में आवश्यक वृद्धि किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

170. जयपुर तहसील में संयुक्त कृषि सहकारी समिति को राज्य सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि को खातेदारी व्यक्तिगत नामों से दिये जाने के सदर्भ में चर्चा के लिये।

171. मेहन्दीपुर बालाजी के महन्त की जयपुर एवं सवाईमाधोपुर जिले की विभिन्न तहसीलों एवं विभिन्न ग्रामों में स्थित कृषि भूमि को सीलिंग में अधिग्रहण न करने तथा उस भूमि का अधिनियम विरुद्ध स्थानान्तरण करने के सदर्भ में चर्चा के लिये।

**श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई माधोपुर) :

172. दफा 91 के झूठे मुकदमे में काश्तकारों को फंसाये जाने एवं किसानों की जमीन नाजायज तौर पर मन्दिरों को दिलाने से उत्पन्न आक्रोष पर चर्चा के लिये।

**श्री किरोड़ीलाल मीणा** (महुआ) :

173. सवाई माधोपुर में रणथम्भोर रोड पर ग्राम रामसिंहपुरा की 60 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा होने पर चर्चा के लिये।

**श्री विजय सिंह** (रूपवास) :

174. राजस्व विभाग में अनुसूचित जाति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

**श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) :

175. 15 बीघा बारानी तथा 10 बीघा तक नहरी भूमि पर से लगान खत्म किये जाने पर चर्चा के लिये।

**श्री पोकरलाल परिहार** (देसूरी) :

176. तहसील देसूरी में सेटलमेंट के कैम्प गांव रखे जाने एवं काश्तकारों को पट्टा जारी होने से पूर्व भूमि से सबधित विवाद निपटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. सेटलमेंट आफिस जोधपुर द्वारा तहसील देसूरी के काफी काश्तकारों की उजरदारियों की मौका-रिपोर्ट अदम पैरवी में खारिज किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

178. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित भूमि के पर्चे सेटलमेंट कार्यालय जोधपुर द्वारा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) :

179. प्रदेश में लाखों एकड़ सिलिंग में भूमि अधर भूल में पड़ी रहने पर चर्चा के लिये।

180. झालावाड़ जिले की तहसील खानपुर एवं अलेरा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

181. खानपुर तहसील में चारागाह भूमि का आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) :

182. कलेक्टर द्वारा अदालतों में राजस्व मामलों में कानूनी सलाहकार एवं पैरोकार मुकर्र करने पर चर्चा के लिये।

183. नगरपालिका क्षेत्र सांचोर में राजस्व भूमि को नगरपालिका सांचोर को हस्तांतरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. गोचर जमीन पर जिला जालोर में नाजायज कब्जे हटाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

185. पिछले कई वर्षों से तहसील सलाहकार कमेटियों द्वारा सिवाय चक एवं सिलिंग कानून द्वारा प्राप्त जमीन का आवंटियों को कब्जा दिलवाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

186. पटवार व्यवस्था समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. राजस्व गांवों से अलग बसी बस्तियों एवं ढाणियों को राजस्व गांव घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. डी.पी.ए.पी. जिला जालोर में भू-आवंटन करने में राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. पटवार मण्डल जिला जालोर में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण में सरकार की उदसीनता पर चर्चा के लिये।

**श्री नत्थीसिह** (कुम्हेर) :

190. ग्राम बिचूना की 381 बीघा जमीन सिलिंग से लेने के बाद भी कब्जा बरकरार रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री उम्मेदीलाल** (हिण्डौन) :

191. हिण्डौन तहसील में कृषकों को आवंटित भूमि पर कृषि नहीं करने देने पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर)।

192. सांगानेर तहसील के गांव जयसिंहपुरा को हरिजनों की भूमि खसरा नं. 184, 180, 186 को धोखाधड़ी से किसी अन्य व्यक्ति को दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) :

193. राजस्व अधिकारियों द्वारा जयपुर जिले की तहसील बस्सी के ग्राम भटेसरी में जीवित व्यक्ति को मृत घोषित

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

कर दूसरे के नाम नामान्तरकरण खोलने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

**श्री मालाराम** (खेतड़ी) :

194. दूधवा ग्राम की खसरा नं. 448 की भूमि को राजस्व विभाग द्वारा चारागाह भूमि घोषित करने के पश्चात भी अधिकारीगणों द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

**कुमारी गिरिजा व्यास** (उदयपुर) :

195. उदयपुर शहर में प्रस्तावित "ग्रीनबैल्ट" को बनाये रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) :

196. पंचायत समितियों द्वारा लगाये गये करों की मांग कायमी एवं वसूली का दायित्व राजस्व विभाग का होते हुये भी आक्षेपित करों की वसूली भू-राजस्व की तरह नहीं करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

**श्री जगत सिंह दायमा** (बानसूर) :

197. बानसूर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जैतपुर खरवा में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा 91 आर.एल.पी.ए. की कार्यवाही करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

198. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के कई गांवों में रास्ता नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन)

199. केशवराय पाटन क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि आवंटित कर बसाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. केशवराय पाटन क्षेत्र में नोबोड़ भूमि पर सरकारी रीति-नीति तय करवाने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

201. केशवराय पाटन तहसील में वर्ष 1981 से जून, 1985 तक रहे तहसीलदारों के गलत कार्यों की जांच करवाने हेतु चर्चा के लिये।

202. केशवराय पाटन में भू-आवंटन में हुई अनियमितताओं की जांच कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

203. चम्बल क्षेत्र में केचमेंट एवं राजस्व विभाग में ताल मेल न होने से कृषकों को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

204. केशवराय पाटन क्षेत्र में कृषि भूमि पर पिछले पांच वर्षों का नाजायज तौर पर लगान वसूल किये जाने पर चर्चा के लिये।

205. केशवराय पाटन क्षेत्र में सिलिंग की भूमि जो अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों को बांटी गयी उन्हें कब्जे न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

206. लाखेरी नगरपालिका क्षेत्र के ग्रामों की खेती वाले कृषकों को जिनका सौ वर्षों से कब्जा है उन्हें ही उक्त भूमि आवंटन करवाई जाने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

(20)



(श्री मागीलाल मेघवाल)

207. केशवराय पाटन क्षेत्र की सिवाय चक कृषि भूमियों को कब्जे धारियों को ही आवंटित करवाये जाने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

208. गलत एवं चुपचाप किये भू-आवटन को रद्द कर इस परिधि में आने वाले भूमिहीनों को एवं गरीबों को आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री लाल चन्द डूडी** (भादरा)

209. गंगानगर जिले के भूमिहीनों को जिले के बाहर जमीन आवंटन करने से होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

210. एक ही गांव में अच्छी व घटिया जमीनों के होने के बावजूद भी एक जैसी पंजीकरण फीस लेने पर चर्चा के लिये।

211. भादरा तहसील के 20 गांवों को फ्लो लाइन से बाहर निकालने के बावजूद भी खातेदारी हक न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

**श्री देवीलाल** (शाहपुरा)

212. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा ग्राम छोटा पुलिया में किसानों को 12 वर्ष पूर्व दी गई भूमि जो उनके कब्जे में है पर वन विभाग द्वारा नोटिस देने पर चर्चा के लिये।

**श्री रामचन्द्र जाट** (बनेड़ा)

213. भीलवाड़ा नगर में विभिन्न जातीय संस्थाओं को अनुचित भूमि आवटन किये जाने पर चर्चा के लिये।

**श्री महेन्द्र कुमार परमार** (आसपुर) :

214. जिला डूंगरपुर में अमानवीय तरीके से की जा रही वसूली पर चर्चा के लिये।

**श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा)

215. सिंचित क्षेत्र की भूमियों को जटिल पंजिकरण प्रक्रिया से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

**श्री रामलाल सोलंकी** (सिरोही)

216. सिरोही व शिवगंज तहसील के बकाया राजस्व जो बड़े लोगों में बकाया की वसूली की जाने पर चर्चा के लिये।

217. सिरोही जिले में गोचर भूमि के नाजायज कब्जे हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. सिरोही जिले में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के मुकदमों का नियमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. सिरोही जिले में अनुसूचित जाति की कृषि भूमि पर गैर कानूनन कब्जा करने पर चर्चा के लिये।

220. पंचायत समिति सिरोही के कमाण्ड क्षेत्र सिन्दरथ में आवंटित भूमि का मालीकाना हक दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. सिरोही जिले की कृषि भूमि पर बने मकानों के नियमन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. सिरोही पंचायत समिति के ग्राम घान्ता, माकरोड़ा, सिन्दरथ के कमाण्ड ऐरिया को डी कमांड घोषित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामलाल सोलंकी)

223. सिरोही जिले में राजस्व अभियान के अवशिष्ठ मामलों को तय कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

224. सिरोही जिले में आवंटित सिलिंग की भूमि का कब्जा दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. शिवगंज तहसील के मेंव ग्राम में आवंटित सिलिंग भूमि को पुनः वापस लेने पर चर्चा के लिये।

226. सिरोही विधान सभा क्षेत्र के गांव धान्ता, माकरोड़ा, सिन्दरं, ओड़ाबारा के कमाण्ड भूमि में नहर का पानी नहीं देने से ही कमाण्ड घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. शिवगंज तहसील में सेटलमेंट पिछले 20 वर्षों से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री रघुनाथ परिहार (बाली)**

**श्री मांगीलाल आर्य (जालौर)**

228. राजस्व कृषि भूमियों पर अतिक्रमण हटाने/नियमन कार्यवाही करने हेतु चर्चा के लिये।

229. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम एवं नियमों के अधीन नामान्तकरण करने, तस्दीक करने के अधिकार पटवारियों से हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. ग्रामीण क्षेत्रों में पीजकों से संलग्न कृषि भूमियों पर पीढियों से काबिज कृषकों को खातेदारी अधिकारी दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

231. बाली तहसील (जिला पाली) में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बड़े भू-भाग पर को सरीमिम कर पट्टे जारी नहीं करने से हो रही राजस्व हानि पर चर्चा के लिये।

231 (क) मंदिरों/मूर्तियों धार्मिक स्थलों की खातेदारी कृषि भूमियों के 1978 से पूर्व हस्तातरणों की मूल्य के आधार पर चर्चा के लिये।

232. खातेदारी कृषि भूमियों को नगरपालिकाओं/आवासन मण्डल कृषि मंडियों द्वारा अवाप्त करने की कार्यवाही पर चर्चा के लिये।

**श्री रघुनाथ परिहार (बाली):**

233. बाली तहसील में 1975 से प्रारम्भ भू-प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त कर खातेदारी रेकार्ड तहसीलों में शीघ्र सौंपने हेतु चर्चा के लिये।

234. बाली नगर पालिका क्षेत्र में काश्तकारों के पशुओं की चराई हेतु गोचर भूमि घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री भेरू लाल मीणा (सराड़ा):**

235. जिला उदयपुर के काश्तकारों से लगान व्याज सहित वसूल करने से किसानों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

236. पंचायत समिति टीडी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के चरणोत की भूमि पर से प्रभावशाली व्यक्तियों के नाजायज कब्जे हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भैरूंलाल मीणा)

237. तहसील सराड़ा एवं गिर्वा में नागरिकों को काश्त भूमि का आवंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. जिला उदयपुर के पिछड़े वर्ग के लोगों को नामान्तरण में हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

239. जिला उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में चरणोत की भूमि के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

240. जिला उदयपुर के किसानों को भूमि के पट्टे दिये जाने के बाद भी कब्जे नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

241. जिला उदयपुर के तहसील सराड़ा एवं गिर्वा में आवंटित भूमि के पट्टे न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

242. तहसील गिर्वा एवं सराड़ा मे आवंटित भूमि का लगान जमा कराये जाने के उपरान्त भी किसानों को नक्शा ट्रेस नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

243. जिला उदयपुर के किसानों को बस लगाने हेतु आवंटित भूमि पर पूरा अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़) :

244. सूरतगढ़ श्मशान भूमि का आवंटन एवं लगाये गये लगान को माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. श्री विजय नगर मण्डी में जमींदारों को फसल लाने के लिये हर चक से सड़कों तक रास्ते दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246. धारा 15 ए.ए.ए. में सन् 1955 से पूर्व के काश्तकारों से बढ़ी हुयी रकम जमा न कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. रकबा बेचान की मन्जूरी पर प्रतिबन्ध हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. जो काश्तकार अपनी अलाट शुदा भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार हैं उन्हें भी खातेदारी अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. गांव बीरबारमस व हरडासबाली के काश्तकारों की सड़कों में आयी जमीन का मुआवजा देने हेतु चर्चा के लिये।

250. सिलिंग केस जो काफी सालों से अदालतों में विचाराधीन है उनके शीघ्र निपटारे की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. जो लगातार 1 साल से आरजी काश्त कर रहे हैं, को पुख्ता तौर से भूमि का आवंटन करने पर चर्चा के लिये।

252. पिता की खारिज शुदा भूमि को उसके पुत्र के नाम अलाट करने हेतु चर्चा के लिये।

**श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) :

253. दीगोद तहसील में गत माहों में 9-10 वर्षों से काबीज कास्तकारों को नाजायज रूप से धारा 91 के तहत सजा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

254. कोटा जिले में चरागोत की भूमि को बचाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये।

255. कोटा जिले में प्रभावी व्यक्तियों द्वारा काश्त की भूमि पर अवैध कब्जे रखने बाबत चर्चा के लिये।

256. कोटा जिले में सिलिंग कानून के तहत घोषित भूमि का पेचों से सुपुर्दगी नहीं दिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

257. कोटा की दीगोद तहसील में विभाग द्वारा नाजायज तरीकों से किसानों को परेशान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

258. कोटा जिले में आवंटित की गई अधिकांश भूमि का कब्जा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :**

259. जिला बाड़मेर में कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

260. राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमिशन 1966 की राय के अनुसार राजस्थान में लैण्ड मैनेजमेन्ट एण्ड डवलपमेन्ट योजना लागू करने के विषय पर चर्चा के लिये।

261. ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण सहकारी समितियों की आवासीय भूखण्ड आवंटन व रूपान्तरण न किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

262. बाड़मेर जिले में पटवारियों द्वारा कृषक की मृत्यु पर उसकी पुत्रियों के नाम नामान्तरण करने की धमकी देने से जनता में फैले असन्तोष पर चर्चा के लिये।

263. भूमि रूपान्तरण की दरें बाड़मेर व जैसलमेर नगर के निकट के क्षेत्रों की समान होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

264. बाड़मेर नगर के सटे हुई राजस्व भूमि पर बसी, बस्तियों की भूमि का रूपान्तरण न करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

265. बाड़मेर जिले में कुछ पटवारियों ने उपरोक्त झूठी रिपोर्ट कर धारा 63 (1) (8) राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत कृषकों की भूमि सीलिंग करवाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

266. तहसील चौहटन में अनाधिकृत अतिक्रमण के नियमन हेतु पूर्व के धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट में किये गये जुर्माने व असेसमेंट वसूल करवाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

267. ग्राम ढूंढा तहसील बाड़मेर के गांव की बस्ती व कृषि भूमि वायु सेना अधिकारियों द्वारा अवाप्त की जाने की योजना पर चर्चा के लिये।

268. ग्राम खेतोलाई व चाचा के कृषकों की भूमि फील्ड फायरिंग एरिया में जाने से प्रभावित व्यक्तियों को पोकरण जोड़ में आवंटन करने के विषय पर चर्चा के लिये।

269. तहसील बाड़मेर के ग्राम जलीपा गेहूं, लूणू हापों की ढाणी चूली आदि की भूमि केन्द्र सरकार द्वारा अवाप्त करने की कार्यवाही से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

(श्री गंगाराम चौधरी)

270. ग्राम नोखड़ा (तहसील गुड़ामालानी) में गांव के निकट की चारागाह भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा सामुहिक रूप से गत माह एक साथ अतिक्रमण कर बाड़े व भूपे बनाने के विषय पर चर्चा के लिये।

271. बाड़मेर जिले में केवल पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट में निर्दोष व्यक्तियों को दण्डित करने के विषय पर चर्चा के लिये।

272. सिंधरी फर्टीलाइजर एवं फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया द्वारा कृषकों के जोत खुदाई के बाद लौटाने पर भी राजस्व विभाग द्वारा कब्जा कृषकों को न देने के विषय पर चर्चा के लिये।

**श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) :

273. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में 250 के ऊपर जनसंख्या वाले राजस्व ढ़ाणियों को ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) :

274. सीलिंग की सीमा से कम जमीन के खातेदारों को इस सीमा तक सरकारी बिलानाम जमीन के खातेदारी अधिकार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

275. टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा के कर्मचारियों द्वारा डुप्लीकेट पट्टे लोगों को वितरित कर सरकारी बिलानाम जमीन खाते में कराने हेतु अदालतों में प्रस्तुत नकली पट्टे उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति की सी.बी.आई. द्वारा जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

276. नाथद्वारा की नगरपालिका, नाथद्वारा में स्थित टेम्पल बोर्ड की जमीन में से बस स्टेण्ड, अस्पताल तथा औद्योगिक बस्ती विकसित करने के लिये जमीन उपलब्ध कराने हेतु सरकारी निर्देश जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. 15 बीघा से कम जमीन के खातेदार काश्तकारों को अतिक्रमित बिलानाम जमीन के इस सीमा तक खातेदारी अधिकार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

278. राजस्व जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

279. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के सैकड़ों काश्तकारों को लम्बे समय से अतिक्रमण में मिलने वाले नोटिसों का निर्णय शीघ्र नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

280. नगरपालिका क्षेत्र नाथद्वारा की बिलानाम जमीन तथा विवादग्रस्त जमीन नगरपालिका को नहीं सौंपने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री बिहारीलाल पारीक** (माण्डल) :

281. भूतपूर्व जमींदारी सम्पदाओं के उचित रख रखाव पर चर्चा के लिये।

**श्री उम्मेद सिंह** (शिव) :

282. बाड़मेर के ग्राम जालीया, गेहूं, लूणू चूली, हार्पो की ढ़ाणी की भूमि मय

(श्री उम्मेद सिंह)

आबादी, तालाब व पत्थर की खानों के से द्वारा अवाप्त करने सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ की जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

283. तहसील शिव के राजस्व गांव विभाजित कर आवश्यक नये गांव बनाने के विषय पर चर्चा के लिये।

**श्री गंगाराम चौधरी** (बाड़मेर) :

284. तहसील गुडामालानी के नये ग्राम मॉडेल पनची व नोखड़ा जगराम की ढाणी के नामान्तरकरण पर चर्चा के लिये।

**श्री सुन्दर लाल** (सूरजगढ़):

285. सातवें वित्त आयोग द्वारा की सिफारिशों के अनुरूप राजस्व विभाग में आवश्यक सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये।

286. भू-अभिलेख सुधार योजना की समुचित क्रियान्विति न किये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

287. राजस्व अभिलेख के उचित रख रखाव पर चर्चा के लिये।

288. राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय टोंक की प्रशासनिक ढिलाई पर चर्चा के लिये।

289. जयपुर शहर में भूमि रूपान्तरण के मामलों में बरती जा रही अनियमितता पर चर्चा के लिये।

290. अकाल के बावजूद झुंझुनु जिले में लगान की जबरन वसूली पर चर्चा के लिये।

291. झुंझुनु जिले में राजस्व भूमि पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

292. झुंझुनु जिले में राजस्व वसूलियों में अनियमितता पर चर्चा के लिये।

293. सूरजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में भूमि बन्दोबस्त में हो रही अनियमितता पर चर्चा के लिये।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) :

294. सीमा स्तम्भों का निर्माण एवं जीर्णोधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

295. बस्सी निर्वाचन क्षेत्र में पटवार प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री बिहारी लाल पारीक** (माण्डल):

296. माण्डल क्षेत्र में भूमि आवन्टन में पक्षपात किये जाने पर चर्चा के लिये।

297. भूमि की पैमाइश किये जाने वाले यन्त्रों का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

298. माण्डल क्षेत्र में फसल कटाई सर्वेक्षण योजना की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

**श्री ग्यारसीलाल परिङवाल** (निवाई) :

299. निवाई क्षेत्र में जो एस. डी. ओ. द्वारा गत वर्ष भूमि आवन्टन के आदेश करने पर भी आज तक भी राजस्व विभाग द्वारा कब्जे नहीं दिए जाने से उत्पन्न अविश्वास पर चर्चा के लिये ।

**श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) :

300. अनुसूचित जाति, जन जाति के व्यक्तियों की भूमि को उद्योग हेतु खरीद कर बेचने के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

301. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में खातेदारी की जमीन पर वन विभाग द्वारा बनाई गई चार दीवारी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

**श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) :

302. राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

303. वर्षों से सवाई चक चरागाह की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को खातेदारी अधिकार न देने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

304. बस्सी तहसील में ग्राम मोहनपुरा में अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा राजस्व भूमि पर अतिक्रमण पर चर्चा के लिये ।

305. बस्सी तहसील के ग्राम मोहनपुरा में अनुसूचित जाति के लोगों को आवन्टित भूमि पर अनधिकृत निर्माण पर चर्चा के लिये ।

306. बस्सी तहसील के ग्राम मोहनपुरा में अनुसूचित जाति के नाम पर लगान नहीं चुकाने पर चर्चा के लिये ।

**श्री सम्पतसिंह** (नगर) :

307. नीची कीमत पर रजिस्ट्री कराने में पनप रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

308. खेतों की चकबन्दी के अभाव में किसान को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये ।

309. खरीफ में किसानों द्वारा सिंचाई नहीं करने पर भी लिये जा रहे आबियाना पर चर्चा के लिये ।

**श्री चुन्नी लाल इन्दलिया** (नोरवा) :

310. राजस्व विभाग द्वारा जोड़ पायतन गोचर भूमि आदि पंचायतों के सुपुर्द किये जाने के बाद भी राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा ग्राम पंचायतों के अधिकारों में दखल अन्दाजी करने पर चर्चा के लिये ।

311. ग्राम सियाना की चारागाह भूमि वन विभाग को दिये जाने से जनता में उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

312. उपनिवेशन क्षेत्र वन विभाग को उपजाऊ भूमि, भूमिहीन किसानों को अच्छी कृषि हेतु उपलब्ध कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

(श्री चुन्नी लाल इन्दलिया)

313. ग्राम लालासर तहसील नोखा हनुमान पुत्र नारायण जाति रायका के खातेदारी खेत की सही ढंग से सीमा नहीं माप कर गलत ढंग से कागज बनाकर उस किसान के खिलाफ झूठा केस बनाया, यह सरकार की नीति के खिलाफ है इस पर चर्चा के लिये।

314. ग्राम सूरपुरा के रेवेन्यू रिकार्ड के मुताबिक पक्का रास्ता होते हुए भी रेल्वे विभाग ने उन रास्तों को बन्द कर रखा है जिससे ग्राम, सूरपुरा, रासीसर, सलोन्डिया, घटू, रोड़ा, नोखा मण्डी, रासीसर, चरकड़ा, कवलीसर, नोखा गांव, बीकासर आदि गांवों की ग्रामीण जनता के ग्राम रास्ता बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

315. ग्राम कुचोर अगुनी/बनिया आदि गावों के पक्के रास्ते रोक देने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

316. विभाग द्वारा छोटे काश्तकारों को राजस्व सुविधाओं से वंचित रखने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

317. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना आर-डी 550 से 682 के बीच जो काश्तकारों को पुख्ता एलाट की गई भूमि राजस्व विभाग के पटवारियों व सिंचाई विभाग के पटवारियों की आपसी मतभेदों से खारिज कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) :**

318. पटवारियों के क्षेत्र को सीमित करने हेतु चर्चा के लिये।

319. राजस्व विभाग में सुधार हेतु चर्चा के लिये।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):**

320. आबादी भूमि परिवर्तित करने में अनावश्यक विलम्ब से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):**

**श्री प्रभुदयाल मीना (सिकराय) :**

321. तहसील बस्सी एवं चाकसू के कृषकों की खातेदारी भूमि में से होकर अकाल राहत कृषी उपज मण्डी अथवा सार्वजनिक निर्माण एवं आर. ई. पी. में सड़के निकाली गई उसका लगान माफ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

322. आबादी भूमि की अवाप्ति कार्यवाही में विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये।

323. तहसील बस्सी में वन विकास हेतु आवन्टित भूमि का आवन्टियों को पट्टा व कब्जा नहीं दिये जाने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

324. ग्राम रामनिवास तहसील चाकसू में वर्ष 1981 में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों की आबादी भूमि जिसमें शाला भवन भी बना हुआ है को राज्य सरकार द्वारा विशेष व्यक्ति की खातेदारी में दे देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

## मांग संख्या 8 पर विचार

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर रेंज कर रहे हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर पेश कर रहा हूं। व्यवस्था का प्रश्न है। ग्राज राजस्व पर बहस है ग्रौर बार-बार यह होता है ग्रौर मैं यह पूछता जा रहा हूं कि ग्राज कालोनाइजेशन पर भी बहस है क्या ?

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं समझा नहीं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : ग्रगर नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, दो बार हो चुका है, ग्राज जितने कट मोशन स्वीकार किये हैं वे कालोनाइजेशन के कटमोशन स्वीकार किये गये है ग्रौर राजस्व के भी स्वीकार किये गये हैं। या ग्राप तो राजस्व पर ग्रौर कालोनाइजेशन पर, दोनों पर बहस की ग्रनुमति दे दीजिये या फिर सस्पेण्ड करिये कार्यवाही।

**श्री उपाध्यक्ष** : ग्राज राजस्व पर है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : कट मोशन कैसे प्राप्त हो गये फिर ? कट मोशन ग्रापने स्वीकार किये मैंने नहीं किए।

**श्री उपाध्यक्ष** : राजस्व के कट मोशन ग्रा चुके हैं :

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : कालोनाइजेशन राजस्व के ग्रन्तर्गत ही ग्राता है।

**श्री पंकज पंचोली** (बेगूं) : उपनिवेशन राजस्व का ही भाग है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : कालोनाइजेशन के कट मोशन पर भी बहस होगी ?

**श्री उपाध्यक्ष** : यह मांग संख्या 8 राजस्व पर सही है, राजस्व की....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : राजस्व तो है, लेकिन कालोनाइजेशन के कट मोशन भी ग्रापने स्वीकार किये हैं, उन पर बहस होगी सदन में ?

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : मांगें पेश करने में कोई ग्रापत्ति नहीं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : कालोनाइजेशन के बारे में कट मोशन है देवीसिंहजी भाटी का, "इन्दिरा गांधी नहर के ग्रधीन तहसील कोलायत व जिला जैसलमेर के गैर खातेदार किसानों को खातेदारी ग्रधिकार नहीं दिये जाने से किसानों में व्याप्त ग्रसन्तोष पर चर्चा के लिये"। सदन में इस पर भी बहस होगी ?

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : सूची पढ़ लो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैं पढ़कर सुना दूं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : मांग संख्या 8 तो राजस्व की है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : उपाध्यक्ष महोदय, जो कट मोशन कालोनाइजेशन के बारे में हैं उन पर भी चर्चा होगी क्या ? उनको स्वीकार क्यों किया गया ?

**श्री उपाध्यक्ष** : किसने स्वीकार किया?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : यह लिस्ट आपने भी पढ़ी है।

(व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, उपनिवेशन राजस्व का ही एक भाग है।

**श्री पंकज पंचोली** : उपाध्यक्ष महोदय, यह उपनिवेशन राजस्व का ही भाग है।

(व्यवधान)

**श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर)** : राजस्व के और कालोनाइजेशन के मिनिस्टर अलग-अलग हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह मांग जो पेश की है, वह ठीक है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मांग भरी हुई ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ---

(व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें कोई जानकारी की बात नहीं है। कालोनाइजेशन राजस्व का ही एक भाग है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री थानसिंह

(अनुपस्थित)

श्री नरपतराम बरबड़

(अनुपस्थित)

श्री पंकज पंचोली

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री देवीसिंह भाटी।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आज राजस्व की मांगों के ऊपर चर्चा हो रही है। सबसे पहले....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री देवीसिंहजी भाटी।

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सदन में सातवीं विधान सभा के जितने भी सत्र हुए और आठवीं विधान सभा के जितने भी सत्र हुए, यह दूसरा सत्र चल रहा है, बार-बार 15एएए के तहत जो कि खातेदारी अधिकार भूतपूर्व रियासत जैसलमेर....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, किस पर चर्चा हो रही है?

**श्री देवीसिंह भाटी** : मैं रेवेन्यू से शुरू कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं बोलूंगा तभी तो करेंगे आप, अपने आप....

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, उजला अरोड़ा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, लेडीज फर्स्ट।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के भूमि सुधार के नियम हैं, उसमें क्रियान्विति की जानी थी। लेकिन खेद का विषय है सरकार ने क्रियान्विति नहीं की और नहीं करने के बाद भू-राजस्व वसूली, भू आवंटन, भू अभिलेख का संधारण और सीलिंग के कार्यक्रमों में, मेरा मानना है दिक्कतें बराबर बढ़ती जा रही हैं। आप देखेंगे कि राजस्व के क्रियान्वयन के अनेक मामले पिछले वर्षों से फैले पड़े हैं, लेकिन उन पर कोई भी न्याय नहीं किया जा रहा है। लगातार न्याय में देरी और इसी तरह से एक बहुत बड़े अधिकारियों का तामझाम होने पर भी, हर जिले का जिलाधीश होने पर भी जिलों के मामलों में भी निपटारा नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि भूमि सीलिंग के मामलों में यहां पर यह कहा गया है कि जिनके पास भी सीलिंग से अधिक भूमि है उसको वसूल कर लेंगे, लेकिन आप देखिये कि बार-बार उत्तर आरहा है कि हम वसूली नहीं कर पाये और इसमें सरकार असफल रही है।

अभी पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने विज्ञापन निकाला कि जितने भूमि नियमन के मामले हैं, यदि वहां सीलिंग मे भी किसी ने मकान बना लिये और सीलिंग की भूमि अवाप्त की हुई है तो उन मामलों का निपटारा किया जायगा। आप देखेंगे कि जयपुर नगर में 28 करोड़ सरकार ने वसूल कर लिये और उन मामलों का निपटारा आज तक नहीं किया। जयपुर में जहां पर खेती होती थी वहां मकान बन गये, सरकार ने पैसा वसूल कर लिया। उन नियमों में सरलीकरण किया जाना था, जिससे कि नियमन हो सके। सरकार ने 90 दिन का टाइम दिया, केवल यही कहकर के 90 दिन में सारा मामला सुलटा दिया जायगा, क्या मन्त्री महोदय ने उस समय यह नहीं सोचा था कि इन नियमों में सरलीकरण किये जाने के बाद ही नियमन हो सकता है ? इस तरह से उन्होंने जनता के साथ धोखा किया, नियमन के पैसे की वसूली की और नियमन नहीं किया। अभी भी नियमन के बारे में बात करते हैं तो कानून के सरलीकरण की आड़ ली जाती है। लगातार इस मामले को तीन साल हो गये लेकिन इन मामलों का निपटारा अभी तक नहीं किया। जितने मामले थे, वे सारे ऐसा लगता है सीलिंग की जितनी भूमि थी, उन्होंने भूमि बेच दी, खुर्द बर्द कर दी, सरकार लगातार देर करती रही और उन लोगों को फायदा पहुंचाया जिनके पास सीलिंग से अधिक भूमि थी, जो भूमिहीन थे उन्हें भूमि सरकार ने आवंटित नहीं की, यह मेरा आरोप है।

मेरा निवेदन करना है कि इस तरह के पंचायतों के अन्दर जो भूमियां हैं और उसमें जो झगड़े चल रहे हैं, उन मामलों को निपटाया जाय। इसके अलावा गांवों के क्षेत्र में जहां पर रास्ते हैं, पर खुले हुए नहीं है या जहां पर रास्ते खुलने चाहिये, उनके लिये झगड़े हो रहे हैं जगह-जगह पर हत्या तक करदी जाती है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि कानून में सुधार किया जाय और सरकार इस बारे में ध्यान नहीं दे रही है इसके लिये मेरा कहना है कि मन्त्री महोदय इन मामलों को देखें और जल्दी ही निपटायें और देखें कि क्या कारण है कि इतने दिनों तक यह मामले नहीं निपट सके। अब जल्दी से उनको निपटा कर सुधार किया जाय।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की जमीन वनों के लिये, सड़कों के लिये और अन्य राजकीय योजनाओं के लिये सरकार ले तो लेती है, पर उनको मुआवजा देने में सभी तरह की अड़चन और सभी तरह की ढील, अनावश्यक कारण से विलम्ब करती है। ऐसे लोगों के पास अगर कम जमीन है तो उन लोगों को दूसरी जगह पर जमीन दी जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार आज उन लोगों से जमीन तो ले लेती है, पर उनको समय पर मुआवजा नहीं देती। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन लोगों को मुआवजा समय पर मिलना चाहिये। आज स्थिति यह है कि गांवों में ऐसे कई मामले, कई प्रस्ताव पंचायतों के पास पड़े हैं और ऐसे प्रस्ताव इतनी अधिक मात्रा में पड़े है कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है। आज आबादी के विस्तार के लिये भूमि बढ़ाने की बात की जाती है, कहा जाता है कि लोगों को परेशानी हो रही है फिर भी सरकार उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचती है।

आज जहां पर चारागाह बनाये जाते थे, वहां पर कितनी जमीन पर चारागाह बनाये गये हैं? आज जितने पशु हैं, उनकी गिनती के अनुसार चारागाह की जमीन भी नहीं है और जो जमीन चारागाह के लिये इयरमार्क की गयी थी, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। आज पशुओं के लिये चारा नहीं है। आज पशु कहां से चारा चरें, चारागाह नहीं है? इसके अलावा आज बाहरी लोगों को वहां पर भूमि का आवंटन किया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय को यह बताना चाहूंगी, वह अगर लिख रहे हैं या ध्यान से सुन रही हैं तो, कि जमवारामगढ़ तहसील की पंचायत बासन गांव में भी जयपुर शहर के लोगों को चारागाह की भूमि, जोकि खसरा नम्बर दो में है, का आवंटन किया गया है। सरकार को इसके लिये बार-बार कहा गया, पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों को नाजायज भूमि का आवंटन किया जा रहा है, पर उस पर आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

सूखा सम्भावित क्षेत्रों के लिये सरकार कुछ सोचती ही नहीं। वहां पर आवंटन पर रोक लगी हुई है, वहां पर पट्टे नहीं दिये गये हैं, और ऐसे मामलों में सरकार कुछ भी करने नहीं जा रही है, मैं समझती हूं कि भू-प्रबन्ध के लक्ष्य भी अभी तक सरकार ने पूरे नहीं किये हैं। खेद का विषय है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। आज किसानों के मामलों में जो किसान 80 प्रतिशत गांवों में रहते हैं, उनको कितना दुःख और परेशानी उठानी पड़ती है, पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

इसके अलावा आज सेटलमेंट के मामले जो कि तहसील स्तर पर नये रूप से सेटलमेंट हो जाने चाहिये, दस वर्ष बाद भी वह नहीं हुए हैं। आज जहां पर सेटलमेंट का काम पूरा हो गया है, वहां पर लोग खाली बैठे हैं पर दूसरी तरफ सेटलमेंट नहीं होने के कारण गांवों में झगड़े हो रहे हैं, पर मेरे ख्याल से अभी तक मन्त्री महोदय कुछ करने वाले नहीं है।

अभी कुछ दिनों पहले पिछले दिनों, जयपुर में भूमि आवंटन जब राजस्व अभियान के तहत हो रहा था तो हम जब पहुंचे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तो वहां पर एस. डी. ओ. आमेर भी थे, पर उन्होंने गांव हीरापुरा में कोई भूमि का आवंटन नहीं किया। यह कह कर यह आवंटन नहीं किया गया कि जयपुर का विस्तार होने वाला है, इसलिये जे.डी.ए. को भूमि आवंटित की जायेगी, इसलिये किसी को भी भूमि आवंटन नहीं किया गया। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि आज गांव मे भूमि का आवटन नहीं किया जा रहा है, यह कह कर कि जे.डी.ए. के लिये है पर वह अनावश्यक रूप से रोकी हुई है, क्योंकि न तो वहां पर जे.डी.ए. का कोई विस्तार का कार्यक्रम ही है, न ही कोई कार्यक्रम वहां विकास करने के लिये ही है। तो इस तरह किस तरह से अधिकृत भूमि को लिया गया है, आप वहां क्या कुछ काम करने वाले हैं या नहीं? अगर नहीं तो आप उस जमीन को फ्री कर दीजिये? जिससे कि वह भूमि टेम्परेरी तौर पर किसानों को आवंटित करके उनको लाभ पहुंचाया जा सके। लेकिन वहां सरकार द्वारा या विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो मेरा आग्रह है कि सरकार सूची लेकर यहां पर देखे कि वहां पर जे.डी.ए. का कोई कार्यक्रम है या नहीं, नहीं, तो उनको स्वतन्त्र करें। जब तक कोई कार्यक्रम नहीं हो, तब तक वह जमीन छोटे किसानों को मिल सके। यह मेरा कहना है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इतना ही समय है मेरे लिए, तो यह बहुत गलत हो जायेगा। आप बोलने नहीं देते हैं तो यह बात बहुत गलत होगी।

**एक माननीय सदस्य** : काफी हो गया।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : यहां पर मन्दिरों की भूमि के बारे में कहा गया है, मैं माननीय मन्त्री जी को कहना चाहूंगी कि आमेर रोड पर एक मन्दिर है रघुनाथजी का, जिस पर एक भूतपूर्व एस.डी.ओ. ने कब्जा कर रखा है और उसकी जमीन को खुर्द-बुर्द करदी। वहां पर कब्जा करके दुकानें बना ली हैं, मकान बना लिया है। इसके लिये कई बार वहां गया और बार-बार विभाग को चिट्ठी भी लिखी गयी पर कोई कार्यवाही विभाग द्वारा या सरकार द्वारा नहीं की गयी। उस मन्दिर की भूमि को स्वतन्त्र कराया जाय, वरना मैं यह आरोप लगाती हूं कि सरकार की मिली-भगत के कारण यह गलत काम किया जाता है और मैं समझती हूं कि नीचे से ऊपर तक वसूली पहुंचती होगी। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगी कि यह इस तरह के जो गलत काम हो रहे हैं, उन्हें रोका जाय और दोषी लोगों के खिलाफ में कार्यवाही की जाय।

इसके अलावा राजस्व अभियान आबकारी अधिनियम, उपनिवेशन अधिनियम, राजस्व भूमि अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत जो आज सुनवाई हो हो रही है, उसमें कई तरह के विलम्ब हो रहे हैं और आपको उसमें उपलब्धि नहीं हो रही है। तो इसके लिये आप क्या काम करने वाले हैं? अगर आपके पास न्यायालय की संख्या कम है तो आपको उनकी संख्या बढ़ानी चाहिये। मेरा यह सुझाव है राज्य सरकार को कि जयपुर में एक बैन्च कायम की जाय ताकि मामलों का निस्तारण जल्दी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

और सही रूप से हो सके। नहीं तो लोगों को यहां से अजमेर जाना पड़ता है और लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है। मेरी यह मांग है, मांग तो इस तरह की मांग संख्या में भी है, तो इसके लिये जयपुर जिले के बारे में सरकार क्या सोचती है? सरकार के पास कोई काम इस बारे में करने की योजना है या नहीं है? किस तरह से सरकार इन मामलों को निपटायेगी?

इसके अलावा आज लोग भारी मेहनत करके अपने खेतों को सींचते है। आप उन गरीब लोगों को सिंचाई की सुविधा दो वह तो कुछ नहीं है, पर आप गंगानगर से भी ज्यादा वसूलियां यहां के किसानों से करते हैं। मैं समझती हूं कि यह लगान लगाना बहुत ही गलत है. क्योंकि एक तरफ तो आप उनको बिजली नहीं देते हैं उनको बिजल कम मिलती है, और दूसरी तरफ आप उन लोगों से जबरन वसूलियां करते है मैं आपको उदाहरण दूं कि गांव नान्दली तहसील जमवारामगढ़ में एक सोहन सिंह हैं जिसको कि हम प्रधान जो कहते है उनके घर पर आपके वसूलियां करने वाले पहुंचे तो प्रधानजी घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी थी। ? उनकी पत्नी के पैर में कड़े पड़े हुए थे। तो जो आपके कर्मचारी वसूल करने गये थे जो आपके अधिकारी वसूल करने गये थे. उन्होंने उनको कहा कि क्या तुमने कड़े बनवा लिये हैं। अबकी बार आवो, जब इन कड़ों को लेकर आना। यह कितनी शर्म की बात है इस तरह की बातें, आपके जो वसूलियां करने जाने वाले करते हैं, इस तरह की नाजायज हरकतें करते है, किस तरह से लोगों को सताते और लोगों को अपमानित करते है मैं समझती हूं कि अभी सुबह बातचीत हो रही थी, जिसमें बिजली के बारे में कहा गया था कि करोड़ों रुपये लोगों में बकाया है और वसूलियां नहीं करते हैं और दूसरी तरफ यहा जहां पर अकाल की छाया पड़ी हुई है, वहां पर वसूली करते हैं। आपके विभाग के द्वारा इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। लोगों का अपमान करते हैं एक तो थकान के भरे लोग होते हैं दूसरे इस तरह से अपमान किया जाता है इस तरह से जहां अकाल छाया हुआ है, अकाल के समय में सरकार वसूली स्थगित करती है। सरकार के द्वारा वसूलियां स्थगित की जानी चाहिये, पर इसके बजाय वसूल की जाती है। जब गिरदावरी हो, तब ही मालूम पड़ जाना चाहिये कि आपके यहां पर इस साल 75 प्रतिशत अकाल है या 50 प्रतिशत अकाल है, और अगर अकाल की छाया हो तो इस तरह की वसूलियां स्थगित की जानी चाहिये।

मेरा यह भी कहना है कि अभी प्रशासन गावों की ओर जो राजस्व अभियान चलाया गया था, उसके आंकड़े आप उठाकर देखें और जनता सरकार के समय के जो आकड़े है, उनको आप देखें कि जब राजस्व अभियान चला तब जनता सरकार की उपलब्धि क्या थी और आज की उपलब्धि क्या है और आप उसमें देखें कि आपकी उपलब्धि कम क्यों है क्या कारण है, आपके कर्मचारी क्यों नहीं काम कर रहे हैं, काम में देरी क्यों हो रही है। मेरे यहां पर जब राजस्व अभियान चला था तब हमने कहा और गांवों वालों ने कहा कि अमुक व्यक्ति को भूमि का आवंटन किया जाना चाहिये, पर उसको आवंटन नहीं किया गया और उसके बजाय ऐसे व्यक्ति को भूमि आवंटित की गयी जिसके पास अधिक भूमि थी तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मेरा निवेदन यह है कि इसमें सुधार किया जावे और अभी लागड़ीवाल के इलाके में लोगों को भूमि आवंटित क्यों नहीं की गयी ? इस तरह से राजस्व अभियान में आपको असफलता मिली। इसलिये मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसको देखें और इसमें किस तरह से सुधार हो सके, वह करें।

उपाध्यक्ष महोदय हम कहां से शुरू करें, पटवारी शुरू करें, या गिरदावर से शुरू करे या तहसीलदार से शुरु करें कहा से करें? जहां भी देखें मामलों की लम्बी लिस्ट पड़ी हैं, पेन्डिग मामले हैं। उनका निस्तारण नहीं होना है। मैं आपको मेरे ही इलाके में एक मामला नरपतियावास में एक रास्ते को लेकर, जिसमें आम दरफत है, वहां पर जमीन नहीं मिल रही है। वहां पर आये दिन लड़ाई होती है ऊटपटांग बातें हो रही हैं वहां पर रास्ता है और वह खुलना चाहिये मैंने इसके लिये इन चार पांच साल में 20 यों बार एस. डी. एम. को लिखकर दिया, मैं खुद भी वहां पर गयी और जाकर इस मामले को निपटारा कराने के लिये कहा तो उन्होंने बताया कि वह रास्ता नक्शे में नहीं है वहां पर रास्ता नक्शे में किया जाय, क्योंकि उसके सिवाय कहां पर रास्ता नहीं हो सकता है इसलिये जल्दी से जल्दी आप इसका निपटारा करें, मैं यह कहना चाहती हूं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तो दो चार विषय हैं और उन पर मैं बोलूंगी। मेरे तो पाईन्टस है। मैं तो अपने कटौती प्रस्ताव पर ही बोलूंगी, इससे ज्यादा नहीं बोल रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जमवा रामगढ़ में....

**श्री उपाध्यक्ष** : सूक्ष्म करें।

**श्री मोहन प्रकाश** (राजाखेड़ा) : महिलाओं को अवसर दिया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : किस को नहीं दिया गया ?

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं पहली बार बोली हूं।

**श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : यह रेवेन्यू में एक्सपर्ट हैं, इसलिए उनको मौका दें बोलने का इस मामले में।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : कमला जो नहीं हैं यहां मेरे इलाके में चार हजार पट्टे बांट कर आई। उस फंक्शन में कम से कम पचास हजार रुपया खर्च हुआ चार हजार लोगों को पट्टे बांटने में। हरिजनों को पट्टे बाटे और यह कह कर बांटे कि नये 20 सूत्री कार्यक्रम में, दिये गये। शायद यह तो पुराना है 1975 वाला जिसके अन्तर्गत हम जेल में घरे गये थे, उसके अन्दर चार हजार पट्टे बांटे। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने तहसील में इंद्राज नहीं कराया कि कहां आपको जमीन आवंटित की गई है यह आपका रकबा है। उनको आज तक कब्जा नहीं दिलाया उन जमीनों पर यह लोग कब्जा लेने गये तो इनके अधिकारियों ने मारपीट करके भगा दिया। उन जगहों पर जो बड़े-बड़े मालदार और प्रभावशाली आदमी हैं वह कब्जा कर रहे हैं। इनका महकमा और तहसीलदार कोई काम नहीं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कर रहा। मेरा यह कहना है कि इस प्रकार गांव के लोग जो सीधे-सादे और सच्चे लोग हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। उनको आप सतायें नहीं। उन मामलों में जल्दी से जल्दी फैसला करें और जो चार हजार आदमी जमवारामगढ़ तहसील में है उनको अगला बजट सत्र आने से पहले कब्जा दिला दें। आप यह आश्वासन अपने उत्तर में देंगे, मुझे ऐसी आशा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : एक बात और कह देती हूं। अभी पिछले दिनों यह तय किया गया था कि जो गांव अपनी जगह से हटकर किसी भी कारणवश दूसरी जगह पर आ गये हैं चाहे गड्ढे पड़ जाने के कारण, चाहे जमीन नहीं रह जाने के कारण, कुछ हटकर आगे बढ़ गये हैं उनको अलग नाम देकर घोषित किया जायेगा, रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज किया जायेगा। मैंने बसाना गांव के बारे में आपको लिखकर दिया था, बाढ़ के कारण बसाना डेढ़ किलोमीटर अपने स्थान से आगे आकर आगरा रोड पर बस गया। मैं आपको बताऊं कब बसा। जब इस विधान सभा में पैदा भी नहीं हुई थी तब से यह बसा है और जिन्होंने बसाया था वह सब के सब कांग्रेस के विधायक थे। जो बस गये उन पर आये-दिन तोड़-फोड़ करना, मैं समझती हूं गलत है। उनको पट्टे दिये जाने चाहिए। उनको पट्टे दे दिये जाने से उनका मालिकाना हक होगा। पुराने कब्जे के मकान हैं और सारे मकान रैगर जाति के हैं। उनको आये-दिन परेशान किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि जो आगरा रोड पर बस गये हैं उनको नये नामकरण करके रेवेन्यू में घोषित किया जाए इस तरह के राजस्थान में जहां-जहां भी गांव हैं उसको रेवेन्यू लिस्ट में आप घोषित करेंगे और आज जब अपना उत्तर दें तो इस बात को शामिल करेंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं हालांकि मुझे एक दो पाइंट पर और बोलना है मगर मैं क्षमा चाहती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : धन्यवाद। श्री पंकज पंचोली।

**श्री पंकज पंचोली** (वेगूं) : आज जिस मांग पर बहस हो रही है वह एक ऐसा विषय है जिसमें राजस्थान की अस्सी प्रतिशत जनता, जो गांवों में रहती है, प्रभावित होती है। चौंतीस हजार नौ सौ अड़सठ गांव और दो सौ एक कस्बे, इन सबमें मिलाकर बत्तीस लाख और साठ हजार होल्डिंग हैं उन सबके मालिक इससे प्रभावित होते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि जो कानून हमने बनाये हैं चाहे राजस्थान टेनेन्सी एक्ट हो, चाहे राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट हो, चाहे अन्य कानून इससे सम्बन्धित हैं, वह बहुत अच्छे कानून हैं, प्रगतिशील कानून हैं। यही नहीं 1949 में जो सबसे पहला कानून बना था राजस्थान प्रोटेक्शन आफ टिनेन्सी एक्ट उसमें लाखों लाख लोगों को (टैनेन्सी) खातेदारी हक मिला, लाभ मिला। सीलिंग एक्ट की बात लीजिये। सीलिंग एक्ट से करीब छ लाख हैक्टेयर भूमि सीलिंग में आई और डिस्ट्रिब्यूट हुई गरीब लोगों में। परन्तु इन सबके बावजूद कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता

(श्री पंकज पंचोली)

हूं। वह लैंड रेवेन्यू एक्ट से सम्बन्धित हैं, कुछ टेनेन्सी एक्ट से सम्बन्धित है, कुछ प्रक्रियाओं से सम्बन्धित है। मैं सबसे पहले पुरजोर शब्दों में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर भू-आवंटन के लिये जो नियम बने है 1957 के अन्दर बने उन नियमों के तहत हजारों, लाखों किसानों को आपने जमीन आवंटित की। उस नियम में लिखा हुआ था कि दस साल में वह खातेदार हो जायेंगे। उसके बाद 1970 में आपने नियम बनाये नये नियम लागू किया उनमें फिर लिख दिया कि वह दस साल में खातेदार हो जायेंगे। पहले नियमों में यह नहीं था कि खातेदारी कौन देगा- खातेदार हो जायेंगे पर अबकी यह लिख दिया असिसटेंट कलेक्टर खातेदारी अधिकार देगा। मेरा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि इस कानून में पहले प्रावधान किया गया था कि इस साल में खातेदार बन जायेंगे, बाद वाले नियम में लिखा है कि अपील पेश की जाये, उसमें फर्क है, लेकिन दोनों को एक साथ रखा जा रहा है। राजस्थान के लाखों लाख किसान, जिनको यह खातेदारी राइट नहीं मिलेगा, असुरक्षित महसूस कर रहे है, उनके लिए सरकार को घोषणा करनी चाहिए इसी सत्र में कि दस साल का समय हो गया है वह खातेदार घोषित किये जाते हैं। इससे लाखों लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसका कारण है कि वह असुरक्षित महसूस क्यों कर रहे हैं। 1957 के नियमों के तहत जो आवंटन किया गया था उसमें साफ लिखा हुआ था कि कोई जमीन किसी किसान को आवंटित होती है, किसी लैंडलेस टिनेन्ट आवंटित होती है अगर वह गलत आवंटित हो गई है तो एक महीने में अपील हो जायेगी और एक महीने में अपील के बाद वह आवंटन निरस्त किया जा सकता है। श्रीमन्, 1970 में जो नियम बना वह किसी भी दल की सरकार ने बनाया हो, उसमें यह प्रावधान कर दिया गया था। अभी वाला प्रावधान नहीं रखा था जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान कर दिया गया नियम 14(4) के तहत कि कोई भी आवंटन जो गये सालों में हुआ है, अगर वह गलत है तो खारिज किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 1964 में, 65में, 66 में, 67 में, 68 में, 69 में, 70 से पहले जिन किसानों ने आवंटन इन नियमों के तहत करा लिया और एक महीने की मियाद निकल गई, मेरे हिसाब से इसमें स्टे लागू हो जाता है उसमें, कोई अपील बाद में नहीं हो सकती, कोई 14 (4) का नियम लागू नहीं होता। परन्तु श्रीमन् 14 (4) छोटी भाषा में बोलते हैं, नियम 14 की धारा4....

**श्री नत्थी सिंह** : वकील लोग जानते हैं।

**श्री पंकज पंचोली** : वकील आप भी हैं, आप भी जानते हैं। जो वकील नहीं हैं वह भी जानते हैं। वह तलवार उस किसान के माथे पर लटका दी यह नया नियम बताकर। पता नहीं सरकार ने क्या समझ कर काम लिया, 1970 के अन्दर स्थाई रूप से लाखों किसानों के माथे तलवार लटका दी गई। और उसमें क्या लिखा कि कभी भी आवंटन खारिज कर सकते हैं। कुएं खोद लिये पच्चीस हजार रुपये लगाकर, बाउण्ड्री वाल बना ली बीस हजार रुपये लगाकर, जमीन डवलप कर ली, सिंचित कर ली और खातेदारी अधिकार उसको नही दिया गया है, कभी भी 14 (4) के

(श्री पंकज पंचोली)

तहत उस किसान के ऊपर वह तलवार गिर सकती है। कोई भी गांव का दूसरा व्यक्ति जो उसे नराज है जिससे उसकी पटती नहीं है, राजनीतिक-सामाजिक विद्वेष है वह आकर सिर्फ एक रुपये के टिकट के उपर जिलाधीश महोदय के यहां 14 (4) में दरख्वास्त कर दे और वह किसान मारा-मारा फिरता रहे आज में सरकार को पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि 1957 के नियमों के तहत जो आवंटन हुआ है आप इसी सत्र में घोषणा करें उन किसानों को अधिकार दिया जायेगा ताकि वह किसान के ऊपर तलवार न लटकी रहे।

इसके बाद मेरा एक और निवेदन है, यह बात हो गई 1970 के जो नियम बने हैं उन नियमों के तहत मुझे एक बात कहनी है। उन नियमों के तहत भी आपने लम्बा प्रोसेस दिया है, किसी भी किसान को किसी भी स्टेट में चैलेंज करने की पावर है। आखिर क्या किसान ही आपको नजर आया? शहरों में भी तो आदमी रहते हैं, उनको पट्टे देते हैं, दो साल में मकान बना लेते हैं। और उस जमीन के मालिक हो जाते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले का प्रोवेशन 6 महीने और 6 महीने के बाद पक्का हो जाता है और 35 साल तक मौज करता है, नौकरी करता है। लेकिन इस किसान ने क्या गलती की कि आपने उसके आवंटन के खिलाफ कोई मियाद नहीं रखी। अब मियाद क्यों नहीं रखी, पता नहीं यह तो सोचने की बात है सरकार की लेकिन मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह जो प्रावधान है नियम 14 वाला उसको हटाया जाना चाहिए, निश्चित हटाना चाहिए। अगर वह नहीं हटाया जायेगा तो किसान कभी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। अपील का प्रावधान भी होना चाहिए नियमों में। आप उसकी मियाद बढ़ा सकते हैं। वह यह कह सकता है कि आवंटन 7 महीने में हुआ है और लोगों को पता नहीं पड़ा जो एग्रीव्ड लोग हैं उनको इसलिए एक महीने में अपील नहीं कर सकता था, दो महीने में नहीं कर सकता था, 4 महीने में नहीं कर सकता था। आप टाइम बढ़ा दीजिए, मैं नहीं कहता, निगरानी का समय बढ़ा दीजिए, 6 महीने कर दीजिए लेकिन आप उसको अनलिमिटेड समय के लिए मत रखिये। उसमें आप निश्चित अवधि दीजिए ताकि वह किसान यह महसूस नहीं करे कि वह असुरक्षित है। वह जमीन का विकास करता है, उस जमीन पर लोन लेता है बैंक से, उसके कई सपने देखता है कि वह क्या क्या करेगा और जिस दिन उसके खिलाफ दरख्वास्त लगती है वह हमेशा हमेशा के लिए इस डर से प्रभावित हो जाता है कि न मालूम मेरी जमीन कब चली जायेगी। आखिर क्या दिया है आपने उसको 5-10 बीघा जमीन जो कि आपने नियमों में बता रखी है। इतना ही दे सकते हैं। 5 बीघा मिलती है, 10 बीघा मिलती है। मैं मुरब्बे की बात नहीं करता गंगानगर जिले की। यह तो मैं उस इलाके की बात कर रहा हूं जो कि कालोनाइजेशन का एरिया नहीं है। मेवाड़ का एरिया है, पूर्व का इलाका है, इस्टर्न पार्ट है, नीचे वाला दक्षिण का पार्ट है। मैं गंगानगर की बात नहीं करता, बीकानेर की बात नहीं करता। मैं उन लोगों की बात करता हूं जिनको

(श्री पंकज पंचोली)

होल्डिंग कितने की है 5 बीघा की है, 7 बीघा की है, 10 बीघा की है और फिर टुकड़े हो गए तो दो दो बीघा के । अतः मेरा निवेदन है, श्रीमन्. कि इसके बारे में विचार किया जाये ।

एक मेरा और निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय । आज से 10 साल पहले या सन् 70 में नियम बने थे तब किसान के पास कोई खाली जमीन पड़ी है 1 बीघा या 1॥ बीघा जिसको अन्य नहीं ले सकते क्योंकि वह तो अनइकानामिक होल्डिंग है तो वह उसी किसान को दे दी जाती थी स्ट्रिप आफ लैण्ड के नाम से, पेच आफ लैण्ड के नाम से । तो, श्रीमन् उस वक्त की समझदार सरकार ने उसकी सीमा 5 बीघा रखी बाद में जब जमीन की कमी महसूस हुई तो उसको कम करके 3 बीघा कर दी । 1979 में जनता सरकार के टाइम पर....

**श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : 82 कहां आ गया ?

**श्री पंकज पंचोली** : 79 बोल रहा हूं आपने गलत सुना, आदरणीय तत्कालीन मंत्री महोदय मैं गलत बात नहीं कहूंगा । मैं बात वही कहूंगा जो तथ्यों पर आधारित होगी । सही बात कहने में दिक्कत नहीं है । मैंने यह कहा है कि सरकार ने बहुत अच्छे नियम बनाये है । मैंने कहा कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किये हैं ।

**श्री नत्थीसिंह** : हम आपके नम्बर नहीं काट रहे हैं ।

**श्री पंकज पंचोली** : आप सुनें । सही बात आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं । जब गलत बात आप करते हैं तो हमें एतराज होता है ।

तो मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि उस पेच आफ लैण्ड, स्ट्रिप आफ लैण्ड की कितनी सीमा कर दी उस वक्त जनता सरकार ने । मैंने कहा था कि पहले 5 बीघा थी फिर 3 बीघा पर बात आई । उस वक्त की सरकार ने स्टेण्डर्ड एरिया का 1/25वां भाग कर दिया । अब, श्रीमन मान लें कि 30 एकड़ जमीन किसी जिले के अन्दर मैक्जीमम लैण्ड है तो उसका 1/5वां भाग हुआ 6 एकड़ और 6 एकड़ 10 बीघा के आसपास जमीन बनती है । 10 बीघा का 1/25 वां भाग यह पेच आफ लैण्ड या स्ट्रिप आफ लैण्ड, छोटी पट्टी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि छोटी पट्टी की जो परिभाषा इन्होंने छोटी कर दी, छोटे दिमाग से छोटी कर दी जनता राज के जमाने में, उसको बदला जाये । और क्यों बदला जाये कि वह 8-9 बिस्वा जमीन भी नहीं होती है पेच आफ लैण्ड की सीमा 8-9 बिस्वा हो यह बहुत कम है ।

**श्री दिग्विजय सिंह** : आप सजेस्ट कर दें कि कितनी होनी चाहिए ।

**श्री पंकज पंचोली** : यह शायद उस वक्त की सरकार का 1/4 करने का इरादा होगा । 0.25 होगा शायद पर हो सकता है कि इनकी फाइल में गलती हो गयी हो नोटिंग में । इस गलती को यह तो दुरुस्त नहीं कर सकेंगे न तो इस सैशन में कर सकते हैं और न मुझे लगता है कि अगले 5 साल बाद ही कर सकते हैं । इसलिए यह समझदार सरकार, यह अच्छी सरकार, यह सही काम करने वाली सरकार, यह सही सोचने वाली सरकार उसको 1/4 हिस्सा कर दे ।

**श्री दिग्विजय सिंह** : अब तो नम्बर आ जायेगा।

**श्री पंकज पंचोली** : नम्बर की बात नहीं है। नम्बर तो किसी का भी आ जायेगा। तो मेरा निवेदन यह है कि उसको 1/4 कर दिया जाये। 0.25 यानी 25 परसेन्ट कर दिया जाये स्टेण्डर्ड मिनिमम एरिया का। तो जहां 10 बीघा स्टेण्डर्ड होगा वहां 2।। बीघा हो जायेगा। क्योंकि यह ग्र आउट राजस्थान एक नहीं है, कहीं मैक्जीमम क्षेत्र रखा है 50 एकड़ का, तो 50 एकड़ का 1/5 होता है 10 एकड़ और हमारे मेवाड़ में 6 एकड़ होता है। तो वहां 8-9 बिस्वा ही बनता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि यह अमेन्डमेन्ट जरूर किया जाना चाहिए आवंटन नियमों के अन्दर।

यह बात तो, श्रीमन् मैंने कही आवंटन नियमों के बारे में क्योंकि किसान इनसे सीधे प्रभावित होते हैं। आगे मुझे निवेदन करना यह है, श्रीमन्, कि किसान, जो असहाय महसूस करता है गांवों के अन्दर, किस की कृपा पर निर्भर है। गांव में उनका राजा है पटवारी। हमने तो राजा बनाया सरपंच को पर उसके मन में राजा बैठा है पटवारी। मुझे एक किस्सा याद आ गया, आज से 10-15 साल पहले का जोधपुर जिले का। किसी बुढ़िया विधवा को शिकायत थी कि मेरी यह समस्या है जमीन के बारे में। उसने एप्लीकेशन लिखी, दरख्वास्त लिखी; प्रार्थना पत्र भेजा डाक से तो जिलाधीश को मिल गया। जिलाधीश महोदय मौके पर गये और उन्होंने घंटे भर में उस समस्या को निपटा दिया। तो वह बुढ़िया बहुत खुश हुई। किसान की बेवा थी। उसका कोई सहारा नहीं था। उसने जिलाधीश महोदय को जाते-जाते कहा "थारे भलो होज्यो भगवान थाने पटवारी बनावे"। यह कहा। इसके पीछे जो मेरा कन्सेप्ट है, भावना है वह सुन लीजिए कि गांव में आज भी सबसे बड़ा आदमी उस किसान के लिए वह पटवारी है, वह जिलाधीश नहीं है। 27 जिलों में बैठे हुए जिलाधीश उनकी निगाह में मालिक नहीं हैं गांव के। उनकी निगाह में एस.डी.ओ. नहीं है। 302 तहसीलों में बैठे हुए तहसीलदार मालिक नहीं हैं। किसान के दिमाग में यही बैठा हुआ है कि मालिक वह पटवारी है। तो उपाध्यक्ष महोदय, पटवारी को संवेदनशील बनाने के लिए सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए।

नकल लेने जाता है किसान। नकल उसको 25 दिन में नहीं मिलती, 20 दिन में नहीं मिलती, महीने में नहीं मिलती जबकि नियम बने हुए हैं, अदालतों में नियम है कि 7 दिन में नकल मिल जायेगी। अगर आगे बढ़ेगा तो तारीख नोट करा देगा, उपाध्यक्ष महोदय। कोर्ट्स में भी टाइम फिक्स किया हुआ है कि 7 दिन में मिल जाती है, 10 दिन में मिल जाती है और अर्जेन्ट फीस के ऊपर तो 24 आवर्स में मिल जाती है। तो मेरा निवेदन यह है उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से कि किसान को रेवेन्यू रिकार्ड की नकल जल्दी दिलाई जाए। नकल बहुत बड़ी चीज है उसके लिए चाहे वह जिन्सवार गिरदावरी की हो, चाहे खसरे की हो, चाहे खाते की हो। लोन लेता है तो नकल चाहिए, पत्थरगढ़ी करानी है तो नकल चाहिए। किसी से एन्क्रोचमेन्ट कर लिया तो नकल चाहिए दावा पेश करने के लिए। नकल लेने के लिए कोई सुविधा भरा

(श्री पंकज पंचौली)

रास्ता, सुगम रास्ता, कोई ऐसा रास्ता बनाना चाहिए जिसमें किसान के प्रति पटवारी के काम की, कर्त्तव्य की अकाउन्टेबिलिटी होनी चाहिए कि नियत समय में वह नकल दे दे ताकि किसान को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

श्रीमन्, एक दो बातें छोटी-छोटी और कहूंगा। यह नीतिगत बातें हैं। मेरा यह व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है कि फलां पटवारी ने रिश्वत ले ली, तहसीलदार ने फलां ने रिश्वत ले ली, कई मित्र यह भी कहते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि नीतिगत बातों की ओर तवज्जोह दें, ध्यान दें। धारा 175 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में एक ऐसा प्रावधान है जिस प्रावधान के तहत अगर किसी ने ट्रान्सफर, बिल, रिक्वेस्ट, जमीन को एक दूसरे के नाम हस्तान्तरित करने में कोई गलती की है तो राजस्थान सरकार उस जमीन को ले लेती है, वापिस ले लेती है असिस्टेन्ट कलैक्टर की अदालत में एक दावा पेश करके एक दरख्वास्त पेश करके। मैं यह निवेदन कर रहा था, श्रीमन् कि धारा 175 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की बहुत महत्वपूर्ण धारा है उसमें अमेन्डमेन्ट होना चाहिए कि सैक्शन 42 के कान्ट्रावेन्शन के तहत अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने, किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ने वह जमीन किसी सवर्ण को बेच दी है तो धारा 175 के तहत वह जमीन सरकार को वापिस नहीं लेकर उसी किसान को वापिस करनी चाहिए। मैं यह बात क्यों कह रहा हूं, श्रीमन्। मान लें कि इस प्रकार जमीन निकल भी जाती है तो जो पर्चेजर होता है सवर्ण, वह अपने हाली के नाम से, अपने नौकर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उस जमीन को वापस लेने की चेष्टा करता है। आखिर हमने कानून किसलिए बनाये हैं इसलिए बनाये हैं कि वह जो गरीब है वह जो पीड़ित है, वह जो शोषित है, वह जो ट्राइब का व्यक्ति है, वह जो कास्ट का व्यक्ति है जिसकी जमीन चली गयी है गलती से, उसको पैसे की आवश्यकता होने के कारण उसने बेच दी है, हस्तान्तरित कर दी है-अगर यह जमीन वापिस आये तो सरकार में नहीं आये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि संशोधन यह होना चाहिए कि जमीन वापस उसी को मिले। ट्राइब्स के आदमी को मिले, कास्ट के आदमी को मिले विक्रय सवर्ण को गलती से कर दी है। ट्राइब या कास्ट के आदमी ने तो वापस ट्राइब के आदमी को मिले। दो नीतिगत प्रश्न कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

राजस्थान सरकार ने डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स को मजबूत बनाने के लिये, उनको काम करने के लिये, उनको अधिकार देने के लिए कुछ अधिकार दिये हैं लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और टिनेन्सी एक्ट के तहत। धारा 251 रास्ते में झगड़ा होता है आपस में, फैसला पंचायत करेगी टिनेन्सी एक्ट में दिया है। यह अधिकार डलिगेट किया हुआ है, बेशक अधिकार तो तहसीलदार का है। पत्थरगढ़ी का अधिकार तहसीलदार का है उसको भी दे दिया गया है ग्राम पंचायत को श्रीमान् म्यूटेशन खोलने का अधिकार भी कानून में तहसीलदार को दिया है, यह भी डेलीगेट कर दिया है पंचायत को। पर पता नहीं किस कारण से इसमें एक अड़चन डाल दी सर-

(श्री पंकज पचोली)

कार ने। पहले वाली सरकार, जो काम रही थी, ने यह नियम बनाया, मैं यह नहीं कहता कौन मुख्य मंत्री थे या कौन राजस्व मंत्री थे, इसमें नहीं जाना चाहता, मैं तो इस बात पर जाना चाहता हू कि सर्वप्रथम जब यह अधिकार दिया गया सन् 56 में कानून बना, 57 में प्रक्रिया शुरू हो गई पावर डेलीगेट करने की, श्रीमन अकस्मात 4-9-82 को तत्कालीन सरकार ने यह तीन आदेश निकाले तीनों सेक्शन्स में धारा 251 में जो था पचायत को उसके बारे में, धारा 135 में जो म्यूटेशन अधिकार थे उसके बारे में और, श्रीमन, धारा 128 जिसमें पत्थरगढ़ी होती है भू-राजस्व अधिनियम के तहत, उसमें क्या लिखा है? उसमें यह लिखा है, श्रीमन, कि अगर 45 दिन के अन्दर पचायत निर्णय नहीं कर सके तो, विशेष रूप से राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता है वह ध्यान दें, 45 दिन में पचायत फैसला नहीं करती तो स्वयं उसका जुरिस्डिक्शन सीज्ड हो जायेगा वह पत्रावली या फाइल या दरख्वास्त या विषय, जो वहां पर मवजडिस है, आटोमैटिकली तहसीलदार के पास पहुंच जायेगा। श्रीमन् यह गलत है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हू क्या धारा 183 के जो दावे हैं टिनेन्सी एक्ट में कब्जे आदि के सूट्स है या दावे हैं, असिसटेंट कलेक्टर की अदालत में 5-5 साल तक नहीं चलते, 7-7 साल तक नहीं चलते। दो दो साल तक उनकी चालान नहीं होता। होता है कि नहीं होता है? मैं निवेदन करना चाहता हू श्रीमन् की 45 दिन में पचायतों के पास कोई बड़ी ऐजेन्सी नहीं है कोई बड़ी मशीनरी नहीं है तामिल कराने की, क्या नोटिस दे देगी पार्टियों को? मान लो अपोजिट पार्टि में। 5-7 आदमी है तो नोटिस ही सर्व नहीं हो पायेगें 45 दिन में तो। तो मेरा यह निवेदन है कि पंचायतों को अधिकार....

**श्री दिग्विजय सिंह** : एक जानकारी के लिये पूछना चाहता हूं। जिस रेफरेन्स की बात आपने कही नोटिफिकेशन निकाल दिया, आदेश निकाल दिया कि पत्थरगढ़ी का अधिकार पंचायतों को दे दिया। पंचायतों को यह अधिकार है कि मौके पर जाकर देखें।

**श्री पंकज पचोली** : यही तो मैं अपनी बात कर रहा हूं।

**श्री दिग्विजय सिंह** : मैं तो मेरी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं।

**श्री पंकज पंचोली** : तो मैं निवेदन यह कर रहा हू यह अधिकार पंचायतों को दिये हुए हैं। मैं निवेदन यह कर रहा था कि पचायतों को आपने अधिकार दे रखे हैं वह विथड्रा नहीं हुए इस नोटिफिकेशन से। आपने इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सरकार को इस ओर सोचना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हू....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटा)

कि 45 दिन की आपने जो मियाद रखी है, आखिर आपने पचायतों को अधिकार दिये हैं उन अधिकारों का उपयोग करने दीजिये। मेरा निवेदन यह है श्रीमन् यह जो अधिकार 45 दिन का बन्धन लगाया है, यह रस्ट्रिक्शन लगाई है इसको खतम किया

(श्री पंकज पचोली)

जाये। यह हो सकता है 6 महीने में निर्णय न करे, 12 महीने में निर्णय न करे तो यह अलग बात हो सकती है लेकिन 45 दिन का समय बहुत शोर्ट है, बहुत छोटा है। इसलिए मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इस बारे में सरकार विचार करे।

मैं अपनी बात समाप्त करूंगा एक छोटी सी बात और कहकर। श्रीमन्, कई सारी जगहों पर तहसीलें और पंचायत समितियां को एक्सटेन्सिव नहीं हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया....

**श्री पंकज पंचोली** : मैं दो मिनट में आपकी आज्ञा की तामील करूंगा। को एक्सटेन्सिव नहीं हैं, इससे क्या होता है काम में बाधा भी आती है। वैसे तो सामुदायिक का जब विषय आयेगा तब मैं कहूंगा पंचायत समितियों की समान्तर तहसीलें कायम की जायें। चूंकि यह मसला तहसील क्रियेशन का है मैं सरकार विशेष रूप से से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय बैठें हैं वे माननीय राजस्व मंत्री महोदया को कन्वे करेंगे कि बेगूं विधान सभा क्षेत्र है जहां से मैं आता हूं उस सारे इलाके की एक तहसील है, एक सब डिवीजन है। मैं समझता हूं अमूमन दो पंचायत समितियां दो तहसीलों में हुआ ही हुआ ही करती है। वह इतना बड़ा क्षेत्र है, जहां रावतभाटा नाम का स्थान है, जहां पर अणुशक्ति जैसा प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय महत्व का, जहां हैवी वाटर का भारी प्रोजेक्ट है, जहां आर. पी. एस. डैम है जिसका बहुत क्षेत्र फल है। इस एरिया की डन्सिटी आफ पापूलेशन आप देखें तो ज्यादा है। इस सारे क्षेत्र के लिये पहले मैं निवेदन कर रहा हूं तहसील थी, सन् 62 में कई तहसीलों को समाप्त किया उसमें भैंसरोड़गढ़ तहसील भी समाप्त हो गई। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा रावतभाटा जैसे महत्वपूर्ण स्थान के लिये अणु शक्ति जैसे महत्वपूर्ण स्थान के लिये इस क्षेत्र के लिये एक तहसील कायम की जाये जो भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति के को एक्सटेन्सिव में हो। मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको धन्यवाद दूंगा आपने दो मिनट समय अधिक दिया और सरकार से निवेदन करूंगा कि जो कुछ बिन्दु मैंने उठाये हैं, नीतिगत हैं, राजस्थान में बसने वाले 2 करोड़ 70 लाख किसानों की पापूलेशन प्रभावित होने वाली है अतः उन पर गम्भीरता से विचार करें, शीघ्र से शीघ्र इसके बारे में निर्णय लें।

धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री देवीसिंह भाटी।

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व की मांग के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 15 का इतना बुरा हाल हुआ है कि उसका पता नहीं। काश्तकार के हित में धारा जा रही है या उसका अहित करने जा रही है इसका कोई पता नहीं लग रहा है। पहले धारा 15 थी, फिर 15 ए किया, फिर 15 ए ए किया फिर 15 ए ए ए किया लेकिन आज तक, उपाध्यक्ष महोदय, उस धारा के तहत किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। इस

(श्री देवीसिंह भाटी)

धारा के तहत कालोनाइजेशन क्षेत्र में काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिलने चाहिये थे लेकिन पूर्व में, जब जनता रेजिम में यह अमेंडमेंट हुआ, यह खामी रख दी गई ट्रांसफरेबल एण्ड इनहैरिटेबल, यह दोनों राइट्स हो उस को ही खातेदारी अधिकार मिलेंगे। अब उसके अन्दर फिर 15 एएए लागू करके एक नया प्रोविजन कर दिया है कि जिनका सन् 55 में खाते में नाम था उसी को एक खाता मानकर एक मुरब्बा यानि 25 बीघा मुफ्त दी जायेगी और बाकी की भूमि की पूरी कीमत वसूल की जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा अन्याय हो रहा है भूतपूर्व जैसलमेर रियासत के किसानों के साथ।

(3.28 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

यह उन किसानों की गलती नहीं थी। जैसे कि पूर्व में सातवीं विधान सभा और इस आठवीं विधान सभा में अलग-अलग सत्रों में इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, कई बार आश्वासन भी मिले। जब केबिनेट की मीटिंग हुई मुख्य मन्त्री ने आश्वसान दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर ने आश्वासन दिया लेकिन उस क्षेत्र के किसानों का आज तक कोई भला नहीं हो रहा है। उन किसानों की उसमें कोई गलती नहीं है। भूतपूर्व जैसलमेर रियासत का कोई रिकार्ड नहीं है। जब स्टेट्स मर्ज हो गई, स्टेट्स मर्ज होने के बाद 45 गांव जैसलमेर से बीकानेर डिस्ट्रिक्ट को दे दिये गये। 45 गांव जो कालोनाइजेशन क्षेत्र में पड़ते हैं उनको खातेदारी नहीं दी। उसी क्षेत्र के जैसलमेर रियासत के 26 गांव जो जोधपुर में चले गये, उनको खातेदारी दे दी। यह हमारी समझ में नहीं आता। न राज्य सरकार, न अधिकारी कन्विन्स करने के लिये तैयार हैं। यह जो अलग-अलग किसानों से दो तरह का व्यवहार किया गया, जो जोधपुर जिले में चले गये उस रेवेन्यू क्षेत्र से उनको तो खातेदारी दे दी लेकिन जो कालोनाइजेशन क्षेत्र में आ गये उनके ऊपर तलवार लटका कर छोड़ दी गई। उनके बारे में न तो अभी तय करने जा रहे हैं, इस क्षेत्र के किसानों को इसमें कोई कसूर नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों ने खारा पानी पीया, अकाल भुगते और जब नहर आई तो उनको कह दिया कि आपको जो जमीन दी जायेगी उसकी पूरी कीमत वसूल की जायेगी, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा। राज्य सरकार स्वय जानती है और विभाग की उसके बारे में रिपोर्ट की है, इस क्षेत्र के किसान राज्य सरकार को एक भी धेला देने वाले नहीं हैं फिर यह राज्य सरकार क्यों अड़ी हुई है, यह जिद किस बात की। जब उसको यह पता है कि काश्तकारों की कोई गलती नहीं है, काश्तकार वहां पुराने कदीमी काश्तकार हैं, पीढ़ियों से वहां रहते हैं, खारा पानी पीया है, अकाल में रहे हैं और लगातार काश्त की है, कब्जे किये हुए बैठे हैं। लेकिन खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं, यह जुल्मी सरकार क्या चाहती है? आज जो कालोनाइजेशन क्षेत्र में 50 हजार एकड़ से अधिक पर नाजायज कब्जे किये हुए बैठे हैं उन पर तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। माननीय मन्त्री महोदय, राज्य सरकार को आप रिप्रजेन्ट कर रहे है, इस हाउस के

(श्री देवीसिंह भाटी)

अन्दर। मैं आपके ध्यान में लाऊं कि सूरतगढ़ तहसील के अन्दर उपनिवेशन तहसील रायसिंहनगर में मानेवाला चक है उसके अन्दर पूरे के पूरे चक मे आज नहीं वर्षों से, कम से कम 20-25 साल हो गये, कब्जा किये हुए बैठे हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं है 55 का। उनके पास राजस्थानी होने का कोई सबूत नहीं फिर भी वे जबरदस्ती कब्जा किये हुए बैठे हैं। राज्य सरकार ने जोर लगा दिया, पुलिस फोर्स भेज दी, आर.ए.सी. भेज दी लेकिन एक बीघा वह खाली नहीं करवा सकी। इस प्रकार जो जबरदस्ती करते हैं उनसे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं और जो किसान अनपढ़ है, भोला-भाला है वह कहता है कि मेरा हक है, पीढ़ियों से हम यहा रहते आये हैं, पीढ़ियों से जो हमारे पूर्वज हैं वे यहां मरे हैं, कटे हैं और अकाल भुगता है उसका अधिकार नहीं। जो जबरदस्ती करता है उसमें इनकी पुलिस फोर्स भी नाकामयाब हुई। एक बीघा तक उन्होंने मानेवाला चक में नहीं छोड़ा। एक मानेवाला नहीं, सभापति महोदया, ऐसे बीसियों मानेवाला हैं जहां कालोनाइजेशन की भूमि पर, हजारों एकड़ भूमि पर नाजायज कब्जा किये हुए बैठे हैं। एक धेला सरकार को नहीं देते है। और जो अपना हक मांगते हैं, वाजिब हक मांगते हैं कि हम पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं हमें खातेदारी अधिकार मिलने चाहिये उनके लिये बार-बार संशोधन करके, अलग-अलग तरीके से घुमा फिरा कर आश्वासन देंगे लेकिन उसको खातेदारी अधिकार नहीं देंगे। क्या बिगाड़ा है उस काश्तकार ने, यह हमारी समझ में नहीं आता है। पूर्व मे भी मैं कह चुका हूं, सभापति महोदया, कि यह मसला एक बार नहीं बीसों बार इस हाउस में उठ चुका है और बीसियों बार ही सरकार से आश्वासन मिल चुका है लेकिन उस काश्तकार की ओर कोई देखने वाला नहीं है। जब उस क्षेत्र के अन्दर कोई मन्त्री या मुख्य मन्त्री जाता है तो जनता स डरते हुए वहां आश्वासन जरूर दे देते हैं यहां आकर कोई कार्यवाही नहीं होती। तो मैं चाहूंगा, सभापति महोदया, कि उस क्षेत्र में, भूतपूर्व रियासत जैसलमेर के जो आज बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में 45 गांव आ गये हैं और जैसलमेर क्षेत्र का अभी भी अन्धकार में है विषय क्योंकि उस काश्तकार का भी पता नहीं कि वह क्षेत्र अनकमान्ड होने जा रहा है या कमान्ड होने जा रहा है। उसके लिये जो भी राज्य सरकार सोचें वह उसका अलग विषय है लेकिन मैं चाहूंगा कि भूतपूर्व रियासत जैसलमेर के काश्तकार को निश्चित तौर से खातेदारी अधिकार मिलने चाहिये या उसका कसूर बताया जाय कि किसान की यह गलती है। किसान की कोई गलती भी नहीं मानते और राज्य सरकार उसका हित भी नहीं करना चाहती है, यह कोई समझ में नहीं आता है।

सभापति महोदया, उपनिवेशन पर भी मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा। उपनिवेशन क्षेत्र में अलग-अलग केटेगरी की अलग-अलग जमीन है। समतल जमीन है, कुछ छोटे टीबे वाली जमीन है और कुछ ऊंची टीले वाली जमीन है लेकिन इस विभाग के अन्दर जैसे भी नक्शे पास हो गये जैसा भी सर्वे हुआ जो मर्जी आये उसको कमाण्ड घोषित कर दिया। चाहे मौके पर पानी लगे या न लगे। जो अनकमाण्ड है उसको कमाण्ड बता दिया और जो कमाण्ड है उसको अनकमाण्ड बता दिया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

तो मैं यह चाहूंगा कि जिस प्रकार पूर्व में काश्तकारों से विभाग को शिकायतें मिली हैं उसके लिये तत्परता से आप कैम्प लगा-कर निर्णय करें और पुन: सर्वे करें कि वास्तव में उस जमीन को पानी लग रहा है या नहीं लग रहा है, अाकमाण्ड है या कमाण्ड है। उसकी केटेगरीज दुबारा रिवाइज की जाय।

सभापति महोदया, मैं राज्य सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि सी.ए.डी., आर.सी.पी. और कालोनाइजेशन के अधिकारियों की बार-बार उपनिवेशन मन्त्री की अध्यक्षता में और सी.ए.डी. कमिश्नर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई कि यह तय किया जाय कि वास्तव में यह भूमि कमाण्ड है या अाकमाण्ड है, मौके पर आपका कनाल का सिस्टम बन गया है या नहीं बना है। लेकिन बार-बार कालोनाइ-जेशन डिपार्टमेंट के रिमाइन्डर जाने के उपरान्त भी, मीटिंगें होने के उपरान्त भी आर.सी.पी. डिपार्टमेंट आज तक उसके बारे में न तो कोई जानकारी दे रहा है और न कोई स्थिति क्लियर कर रहा है जिससे उस काश्तकार पर तलवार लटकी हुई है। आज जो उसकी जमीन अाकमाण्ड है सिंचित बता दी, मौके पर सिंचित नहीं है और कीमत उससे सिंचित वाली ली जा रही है। वास्तव में वह मौके पर असिंचित है। इसी प्रकार, सभापति महोदया, गंगानगर जिले से लेकर बीकानेर जिले और जैसलमेर जिले में अलग-अलग तरह की केटेगरी है—नालों की लैण्ड अलग है, सैण्डलूम अलग है और लाइट लूम अलग है। लेकिन यह पता नहीं किसने सर्वे किया, किस आधार पर सर्वे किया? हमने सारी सर्वे रिपोर्ट देख ली लेकिन इन विभागों का कोई पता नहीं मर्जी आये जो लिख दिया। मोस्टली आपकी सूरतगढ़ ब्रान्च, नोरंगदेसर ले लीजिये। आप आगे आइये सिर्फ अनूपगढ़ शाखा को छोड़कर बाकी आप सारे सिस्टम को ले लीजिये चाहे गोखल ब्रान्च है, चाहे बिरसलपुर है, चाहे नाचना है और जो उस तरफ डिस्ट्रब्यूटरीज निकलने वाली है, यह जो सारा सिस्टम है उसकी जमीन सैण्डलूम है और इन्होंने एक ही तरह से, एक ही लाइन में उसको खींच दिया कि यह तो लाइट लूम है जब कि उसके अन्दर बड़े बड़े टीबे हैं। वह जमीन बिल्कुल सैण्डलूम की केटेगरी में आती है लेकिन आपने उसको लाइट लूम की केटेगरी में लगा कर उस किसान के साथ ज्यादती कर दी। उससे ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं। मौके पर जाकर कोई भी देख लें। चाहे कोई भी अधिकारी जाय और चाहे पुन: सर्वे किया जाय, मौके पर वह सैण्ड लूम है। यह मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा राज्य सरकार से कि किसान के यह ज्यादती न की जाय और यह एक तल-वार लटका कर न छोड़ी जाय। वास्तव में यह आज नहीं तो कल होगा लेकिन....

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मन्त्री) : लाइट लूम बैटर है या सैण्ड लूम बैटर है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : लाइट लूम निश्चित रूप बैटर है लेकिन उसके साथ यह ज्यादती हुई है कि मौके पर सैण्ड लूम है और उसको लाइट लूम करार दे रखा है और लाइट लूम वाले चार्जेज उससे वसूल कर रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसका

(श्री देवीसिंह भाटी)

पुनः सर्वे किया जाय । सभापति महोदया, यह पूर्व में भी कालोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट के ध्यान में लाया गया था कि 'आपने जो आवन्टन किये वह टुकड़ों में कर दिये । एक काश्तकार को मान लीजिये आपने 25 बीघा अलाट की तो 25 बीघा के तीन टुकड़े कर दिये और तीन अलग अलग चकों में कर दिये । अब जिसकी जमीन तीन चकों में है-एक की पानी की बारी आयेगी सुबह, एक की आयेगी दोपहर में और एक की पानी की बारी आयेगी परसों । अब एक काश्तकार तीन होल्डिंग कैसे सम्भाल सकता है एक समय पर । यह हमारी समझ में नहीं आता है लेकिन विभाग ने कई बार आश्वासन भी दिये, प्रोग्राम भी दिये, लोगों से एप्लीकेशन्स भी मांगी लेकिन उन पर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया तो मैं यह चाहूंगा कि जो अलग अलग टुकड़ों में आपने भूमिहीन काश्तकार या अन्य काश्तकार, किसी भी केटेगरी को जो टुकड़ों में जमीन दे रखी है उसको आप इकजाई करें जिससे उसको सुविधा हो चाहे पानी लगायें या सम्भालें ।

सभापति महोदया, इसी प्रकार की काश्तकार के साथ एक बड़ी ज्यादती करते हैं । एक तरफ तो कहते हैं कि हम भूमिहीन काश्तकार को बसाना चाहते हैं । शुरू में लैण्ड लेस मानकर आवन्टन करते हैं उसे टेम्प्रेरी अलाटमेन्ट का समय दिया, सारी जांच करते हैं, सारी शर्तें आप पूर्व में मांगते हैं-राजस्थान का निवासी हो 55 से पहले का, उसके पास सबूत है, काश्त का सबूत है, या सारे परिवार से अलग हो । इस प्रकार की अलग अलग सारी शर्तें आप पूर्व में रखते हैं और वह सम्पूर्ण करके आपके अधिकारी को पेश करता है, उसकी जांच होती है, पटवारी से उसकी जांच होती है, गिरदावर से उसकी जांच होती है, तहसीलदार उसकी जांच करता है । जांच करने के उपरान्त उस काश्तकार को जमीन का अलाटमेन्ट होता है । फिर आज पांच साल बाद में उसको यह कहते हैं कि आपने यह सबूत पूरा नहीं दिया, यह खामी रख दी । अब पांच साल बाद में जिस काश्तकार की जमीन काटी जायगी, जैसा कि पूर्व में अभी यहां बेगू से आने वाले माननीय सदस्य भी फरमा रहे थे वहां भी उनके यही प्राबलम है कि अलाटमेन्ट होने के बाद आप 5 साल बाद जागते हैं कि इसमें यह गलती रह गई इसमें यह खामी रह गई इसलिये आपका आवन्टन निरस्त किया जाता है । और आप यह तो कभी मानेंगे, यह मैं भी जानता हूं कि ब्यूरोक्रेट किस प्रकार हावी हैं वे कभी भी अपने अधिकारियों की गलती नहीं मानेंगे । जिस तहसीलदार ने जांच की जिस पटवारी ने जांच की. जिस गिरदावर ने जांच की उसकी गलती आप मानेंगे नहीं । गलती आप उस काश्तकार की मानेंगे कि आपने फलां समय सबूत नहीं दिया, उस वक्त सबूत में यह खामी थी । इसलिये मैं यह चाहूंगा कि आप उन अधिकारियों को पाबन्द कीजिये, उन पर अंकुश लगाइये कि जिस वक्त वे स्क्रूटनी करते हैं सारे सबूत अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करके अलाटमेन्ट करें न कि यह करें कि अलाटमेन्ट को 10 साल, 5 साल बाद में खारिज करें ।

सभापति महोदया, यह तो होता नहीं । इसके लिये कोई सजग काश्तकार, सजग नागरिक यह आपको सूचना देता है और

(श्री देवीसिंह भाटी)

पूरा सबूत ला करके देता है कि फलां पंजाब का रहने वाला काश्तकार है जिसकी जमीन हरियाणा में है, पंजाब में है, गंगानगर में फलां जगह उसकी जमीन है और उसने गलत तथ्य आपके सामने पेश करके अलॉटमेन्ट करवा लिया उसको आप केन्सिल नहीं करते। उसके साथ में वह सबूत देता है कि हरियाणा में, पंजाब में वोटर लिस्ट में फलां संख्या पर उसका नाम है लेकिन उसके उपरान्त भी ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। इसलिये मैं चाहूंगा ऐसे काश्तकार के साथ ज्यादती न की जाय और और ऐसे जो गलत आवन्टन हुए हैं उन पर आप जरूर कार्यवाही कीजियेगा।

सभापति महोदय, पीढ़ियों से बैठे हैं काश्तकार, जिनका पहले खसरा में रकबा था और खसरा कोई 100 बीघा का होता है, कोई 400 बीघा का होता है उस खसरे में उसकी जमीन उसके कब्जे में थी, काश्त की थी गैर खातेदारी में वर्षों से वह करता आया है लेकिन जिस समय कालानोइजेशन में वह क्षेत्र आया, रेवेन्यू से उस वक्त तो जिस पटवारी ने, जिस अधिकारी ने जहां चाहा उसकी फिटिंग कर दी। मौके पर समतल जमीन थी, खेत काटकर चढ़ा दिया सौ फीट ऊंचा टीबे पर। सभापति महोदया, ऐसी ऐसी जिनकी टीबो के ऊपर जमीन है उनकी फिटिंग दुरुस्ती में आयी जहां ऊंट हल लेकर चल नहीं सकता लेकिन इन्होंने यह कह दिया कि हमने तो जो फिटिंग दुरुस्ती की है, बिल्कुल सही की है जो काश्तकार मौके के ऊपर बैठा है, काबिज है, वर्षों से काश्त कर रहा है जिसका झोपड़ा बना हुआ है, जिसके कुण्ड बना हुए हैं, सब कुछ उसका वहां पर है, ऐसे जो काश्तकार जिनके साथ ज्यादती हुई है अगर यह समय पर नहीं होगा तो दूसरे ग्रान्टी आयेंगे जिसे लेकर आपस में लिटिगेशन होगा, झगड़ा होगा, मनमुटाव होगा इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसी फिटिंग दुरुस्ती के लिए भी शीघ्र कार्यवाही की जाय।

सभापति महोदय, एक काश्तकार के साथ यह भी बड़ी ज्यादती होती है राज्य सरकार की ओर से, जब भी यहां मसला उठा है हम पंजाब से अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं ले पाते, राजस्थान केनाल में पूरा पानी हमारे हिस्से का मिलता नहीं है, ब्रान्च में सिस्टम में आपका पूरा पानी आता नहीं है। आपने जिसको भूमि आवन्टन कर दिया अब उसको जब समय पर पूरा पानी नहीं मिलेगा तो वह काश्त कैसे कर लेगा? अगर उसकी काश्त होगी, पूरी फसल उठायेगा तभी वह आपकी किश्त भर पायेगा। नहर से तो आप पानी देते नहीं, पीने को आप पानी देते नहीं। अगर एक किश्त ही समय पर नहीं भरी फिर आपका

(समय घण्टी)

नोटिस जाता है कि क्यों नहीं आपकी जमीन रद्द कर दी जाय। अब उस चक्कर में उसको वकील करना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं, पटवारी और दूसरे अहलकारों को पैसा देना पड़ता है, हालांकि वह जमीन तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसको आप ऐसे चक्कर में फंसा देते है इसलिए वास्तविकता की ओर ध्यान दीजिए कि एक किस्त क्योंकि आपकी फसल इस साल नहीं हुई है आप अगले साल भरिये। उसके बार

(श्री देवीसिंह भाटी)

टुकड़े कीजिये जिससे उनको किश्त की सुविधा हो और आपको भी पैसा मिल सके। इसलिए मैं चाहूंगा कि किश्तों के अभाव में पानी जब नहीं आता हो तो आप इस प्रकार के नोटिस जारी नहीं करें और यह जमीनों का आवन्टन रद्द करने की कार्यवाही रोकने की कार्यवाही करें।

सभापति महोदया, आखिर में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मन्त्री तो हाऊस में बैठने में कोई इन्ट्रेस्टेड नहीं है. उन्हें तो कोई लगाव ही नहीं है भले ही वह मुख्य मन्त्री बन गये हों, मैं वह चाहूंगा कि जैसा पूर्व में राजस्थान कैनाल....

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : आपका एक एक शब्द सुन रहे हैं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : वह सुन रहे हैं तो मुझे उनकी परवाह नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं और उसके ऊपर कार्यवाही कर लें तो ज्यादा बेहतर है और काबलियत तो हमने आपकी पूर्व में हाऊस में यहां बता दी है। खैर! जब भी मौका मिले उस चेयर पर बैठने का। सभापति महोदया, मैं यह चाहता हूं कि राजस्थान केनाल, सी.ए.डी., कालोनाइजेशन यह एक दूसरे से बिल्कुल सम्बन्धित हों जो काश्तकार से सम्बन्धित हैं। यह जो विभागों का अलग-अलग पोर्टफोलियो है, अलग-अलग मिनिस्टर बनाये गये हैं यह नहीं होना चाहिए। जैसा पूर्व में इन तीनों विभागों को एक मन्त्री के तहत रखा गया था; मैं चाहूंगा कि आर.सी.पी., सी.ए.डी. और कालोनाइजेशन एक ही मन्त्री के पास रहें। आखिर में मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोलायत में, लूणकरणसर निर्वाचन क्षेत्र में और नोखा में ऐसे पुराने गांव हैं जो कोई सौ वर्ष से बसा हुआ है कोई 50 वर्ष से आबाद है लेकिन उसको आज तक रेवेन्यू विलेज घोषित नहीं किया गया जब कि अलग-अलग कोई गैर आबाद टाइप के गांव हैं जिनकी जनसंख्या किसी की 20 नहीं, किसी की 50 नहीं उनको तो आपने रेवेन्यू विलेज घोषित कर रखा है। ऐसे गांव जिसकी जनसंख्या किसी की 700 है किसी की 1000 है, किसी की 500 है उसको आपने रेवेन्यू विलेज घोषित नहीं कर रखा। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि अनपढ़ सरपंच या उस गांव के रहने वाले यदि यह नहीं करें कि वह अपनी तरफ से कार्यवाही करें तो कलेक्टर कार्यवाही करे, राज्य सरकार स्वयं यह देखे कि ऐसे जो बड़े गांव हैं उनको राजस्व गांव घोषित किया जाय जिससे उन काश्तकारों को लाभ मिल सके।

आखिर में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो मैंने पूर्व में 15 एएए के ऊपर अपनी बात कही है, राज्य सरकार की ओर से निश्चित तौर पर उसका उत्तर आना चाहिए, आश्वासन मिलना चाहिए।

धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री बिहारी लाल पारीक।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल मीणा।

**श्री भैरूंलाल मीणा** (सराड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 8 पर मैंने कुछ कटोती प्रस्ताव दिये हैं जो उदयपुर

(श्री भैरूलाल मीणा)

से सम्बन्धित हैं जो किसानों को अनियमितताओं के कारण परेशानी हो रही है, मैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कराऊंगा सरकार का। राजस्व अभियान के तहत उस क्षेत्र के काफी लोगों को भूमि का अलाटमेंट किया गया। अलाटमेंट करने के बाद यह नहीं देखा गया कि कौन सी जमीन किस जगह है और कौन सी आराजी में किस किसको अलाटमेंट किया गया। यह नहीं देखकर केवल जहां कमेटी बैठी वहीं बैठकर उन्होंने उनको अलाटमेंट कर दिया गया। बाद में जब किसान उस भूमि पर कब्जा करने गये, एक ही पर जगह पर 2-2 किसानों को अलाट कर दिया गया तो वहां झगड़े हो गये। एक पाइन्ट तो यह है जिसका सुधार किया जाय। मौके पर जाकर देख करके फिर से उनको अलाटमेंट किया जाय जिससे कि आपस में किसान नहीं लड़ें।

दूसरा पाइन्ट यह था कि बहुत से किसानों ने 10-12 वर्ष तक जिस जमीन पर अलाटमेंट करने के पहले कब्जा कर रखा था राज्य सरकार ने उसको अलाट करने का एक प्रावधान बनाया था और उसी को लेकर राजस्व अभियान चलाया था। उनको काफी लोगों को भूमि अलाट कर दी गयी। जिनका उसी दिन नामांकन कर दिया उनको तो फायदा हो गया। कुछ लोग ऐसे रह गये जिनका नामांकन उसी वक्त नहीं किया गया। बाद में जब नामांकन कराने के लिए वह किसान पटवारी के पास पहुंचते हैं तो पटवारी या तहसीलदार साहब या कई तरह के लोगों ने छोटी-मोटी गलतियां निकालकर अभी तक उनका नामांकन नहीं किया है। तो ऐसे केसों को मैं चाहूंगा कि जांच करके जो किसान गरीब हैं और दूर जाकर अपना कार्य करा ही नहीं सकते हैं ऐसे लोगों को अलाटमेंट किया जाय और सुधार किया जाय।

तीसरा पाइन्ट चरनोट का झगड़ा उस क्षेत्र में काफी है। जिन किसानों के पास मवेशी हैं उनको चराने के लिए चरनोट की भूमि नहीं है। जो कुछ चरनोट की भूमि थी उस भूमि पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। गांव की मवेशी जहां जाती है चरने के लिए तो वहां से वह उनको भगा देता है। तो ऐसी हालत में जो साधारण व्यक्ति होता है या गरीब होता है उसकी मवेशी को तो गांव वाले भी जाकर लाठी लेकर खड़े होकर भगा देते हैं लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति होता है वह किसी की बात नहीं सुनता है, न पटवारी जाकर उसकी कार्यवाही करता है, न तहसीलदार साहब कार्यवाही करते हैं। कई जगह मुझे ऐसे लोगों ने लिखित में रिपोर्ट दी कि इस प्रकार जो चरनोट की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर रखा है उसको हटाया जाय, वहां की मवेशी बड़ी परेशानी में है।

यह भी मैंने कट मोशन दिया था, कुछ हम लोगों ने जो अलाटमेंट कर दिया, भूमि अलाट कर दी उसका वह लगान भी देते हैं और लगान देते हुए उनको 10-12-15 साल भी हो गये लेकिन उन किसानों को जो पास बुक दी जाती है कब्जे की, उस पास बुक में ट्रेस नक्शा नहीं दिया गया और न ही यह दर्ज किया उनके पास कितनी भूमि ऐसी है। अन्दाज निकाल दिया बैठे-बैठे ही कि तुमको 5 बीघा जमीन अलाट की जाती है और अलाटमेंट कर दिया। उसका लगान

(श्री भैरूलाल मीणा)

भी देते है। लेकिन वास्तव में देखा जाय कि उसके कब्जे में 5 बीघा है या 10 बीघा है या 4 बीघा है। उसकी कोई बाउण्ड्री वाल है ही नहीं। तो यह भी सरकार उसकी तरफ ध्यान दे कितनी भूमि उसको अलाट की और उसका ट्रेस नक्शा उसको मिलना चाहिए।

दूसरा, अकाल पड़ता रहता है और उदयपुर क्षेत्र में तो एक पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते हमेशा अकाल बराबर बना रहता है। लोगों को लगान भरने में बड़ी परेशानी रहती है। कभी-कभी हम लोग भी कह देते हैं कि भई, इस साल अकाल हो गया है लोगों से लगान वसूल नहीं किया जाय। सरकार भी रहम दिल रख कर कह देती है कि इस साल लगान वसूल नहीं किया जाय, स्थगित कर दिया जाय। कागजों में तो वह स्थगित हो जाता है, किसानों को यह मालूम पड़ता है कि लगान माफ कर दिया गया इस भरोसे में किसान दो साल तक तीन साल तक लगान जमा भी नहीं कराते हैं किन्तु दूसरी तरफ उनके जमा नहीं कराने से ब्याज से वापस वसूल किया जाता है तो वह बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं कि हमको एक तरफ कहा गया कि लगान माफ कर दिया गया, लगान स्थगित कर दिया गया, दूसरी तरफ सरकारी घोषणा करने के बाद हमसे ब्याज से वसूल करते हैं, अगर ब्याज से वसूल करने की भावना थी तो पहले ही कहते ताकि हम ब्याज देने मे तो वंचित रहते। हम उसी वक्त जैसे कैसे करके लगान जमा करा देते। तो यह इस तरह की जो धोखाबाजी हो जाती है किसानों के साथ, मैं चाहूंगा कि जो इस तरह सरकार की तरफ से कोई घोषणा होती है कि लगान माफ किया जाता है तो उसको माफ ही कर दिया जाय।

एक पाइन्ट मेरा और है कि सरकार ने जो यह निर्धारित किया है, चयनित किसानों, जिसकी भूमि सीमा से नीचे हैं, से लगान नहीं लिया जायेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लघु सीमान्त कृषक में आते हैं। उस क्षेत्र में पथरीली भूमि है। कहने को तो जरूर किसी के पास 15 बीघा जमीन होगी, किसी के पास बीस बीघा जमीन होगी लेकिन नाम मात्र की काश्त उसमें होती है। घास होती है और काश्त की भूमि बहुत कम है। ऐसी हालत में मैं चाहूंगा कि ऐसे आदिवासी क्षेत्र में जहां पर किसानों को खाने को पूरा अनाज नहीं मिलता है, ऐसी भूमि का पूरा लगान माफ किया जाय जिससे उनको कुछ राहत मिल सके।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह नामांतरकरण के मामले हैं, किसी के पिताजी मर जाते हैं उसके बेटे के नाम पर नामान्तरकरण किया जाता है तो नाम बदलने में, नामान्तरण करने में भी काफी लोग, मैं यह नहीं कहूंगा लेकिन कहना भी चाहिए, कहते हैं कि पैसा दो उसका काम हो जाएगा। पटवारी अकेला खाता है या ऊपर के अधिकारी भी मिले होते हैं। जब तक उनको चार सौ, पांच सौ रुपया नहीं दो तब तक नामान्तरण नहीं होता और यह पक्की, सही बात है। अब कौन खाता है, इसका तो हम पक्का अन्दाज नहीं लगा सकते, कह नहीं सकते। एक तरफ तो सरकार कहती है कि गरीबों को राहत पहुंचाओ सरकार की तरफ से पैरवी करो। यह सारी बातें होने के बावजूद भी जो नीचे के लोग हैं, जो सरकार के कर्मचारी हैं, वे

(श्री भैरू लाल मीणा)

इस प्रकार से किसानों से पैसा बराबर बटोरना जारी रखते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार को वास्तव में गरीबों की तरह ध्यान देना है, उसकी पैरवी करनी है तो ऐसे छोटे-छोटे मसले हैं जो सरकार के हाथ में है उनको ठीक करे।

जनप्रतिनिधि कहते हैं अभी कुछ साथी कह रहे थे कि हमने पटवारी को सारे अधिकारी दे रखे हैं। पंचायतों के अधिकार हैं वे नाम मात्र को हैं। लोग जा करके सरपंच को पकड़ लेते हैं कि आपने हमारी जमीन का अलाटमेंट कराया, हमको ये चीजें आपने दी लेकिन उसका पूर्ण रूप से फायदा नहीं मिला तो आप क्या कहते हैं। तो फिर वह सरपंच पटवारियों के पीछे-पीछे घूमते रहते हैं, तहसीलदारों के पीछे-पीछे घूमते रहते हैं। जनता हमको परेशान करती है। आपने यह कमी रख दी इसके कारण हमको बीच में परेशानी में क्यों डाल रखा है? कभी-कभी हमको भी कह देते हैं क्योंकि उस कमेटी में हम भी सदस्य हैं। तो हम तो उस आधार पर दस्तखत कर देते हैं, बाद में यह कहते हैं कि गलतियां रह जाती हैं। बाद में किसी तरह से सुधार पट्टी बनाते हैं पर हमको परेशानी में डाल देते हैं। तो मैं इस मौके पर यह निवेदन करूंगा कि जो मैंने सुझाव दिये हैं और जो परेशानी किसानों के सामने हैं उनको मद्दे नजर रखते हुए सरकार उन पर पूरा ध्यान दे।

मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि बहुत से लोगों के पास वर्षों से जगलात की भूमि या रेवेन्यू की भूमि है, उस पर कब्जा है। कई लोगों को अलाटमेंट भी कर दिया, कई लोग आज भी काबिज हैं। जैसा अभी सदस्य बता रहे थे कोलायत से आने वाले कि बहुत से लोगों ने जहां पर मकान बना रखे हैं, झोपड़े बना रखे हैं, उनके कब्जे में जमीन भी है और वहां पर अलाटमेंट कमेटी जाती है तो रिकार्ड में उनका नाम नहीं है। अलाटमेंट कमेटी में हम भी उस पर दस्तखत कर देते हैं। अलाटमेंट कमेटी जा करके यह देखे कि जगह खाली पड़ी हुई है या पहले से बैठा हुआ व्यक्ति है। वर्षों से जो बैठा हुआ है, जिसने कुआ खोद रखा है जिसका मकान बना हुआ है उसी जमीन को नाजायज समझ करके दूसरे को अलाटमेंट कर देते हैं। दूसरा व्यक्ति, जो नया व्यक्ति है, जाकर बोलेगा कि यह तो हमारे नाम पर अलाट है, तुम यहां से भागो। ऐसा क्यों होता है भलाई करने के बजाय में झगड़े होते हैं। ऐसी सूरत में मौके पर जाकर वास्तविकता देख कर ऐसी जमीन किसानों को अलाट की जाय। मेरे क्षेत्र में एक गांव है उस गांव में एक गरीब किसान था। उसने कुआ खोदा, मकान बनाया, अच्छी जमीन भी बनाई। चार पांच बीघा बढ़िया जमीन बनाई और पीवल करके उस जमीन में खेती करता था। लेकिन खाते में उसके नहीं चढ़ने के कारण दूसरे के नाम पर अलाट कर दी। जिसके नाम पर अलाट हुई वह व्यक्ति ताकतवर था उसने उसको भगा दिया। तुम हटो, यह नाजायज है और मैं इस पर कब्जा करता हूं। उस गरीब व्यक्ति को वहां से हटना पड़ा। तो ऐसी कई तरह की चीजें हैं। बिना देखे अलाटमेंट कर देते हैं, मौके पर जाते नहीं हैं। नक्शे नहीं देखने के कारण ये सब झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि उस क्षेत्र के लोगों की जो ऐसी कमजोर भूमि है उस भूमि का जो लगान लेते हैं वह माफ कर दिया जाय।

(श्री मैरूंलाल मीणा)

मैं इसलिए कह रहा था कि जो अधिकारी वहां जाते हैं उनका टी ए. डी. ए. तीन-चार हजार रुपया हो जाता है। लगान किसी गांव का दो हजार बनता है, किसी का तीन हजार लगान वसूल होता है और अधिकारी का टी ए.डी.ड. तीन चार हजार रुपया हो जाता है। तो ऐसे टी.ए., डी.ए. देने की बनिस्बत उसको माफ कर दिया जावे तो गरीबों को फायदा होगा। मैं चाहूंगा कि ऐसे किसानों, जो उदयपुर क्षेत्र के किसान हैं, लगान माफ कर दिया जावे और ऐसी कई अलाटमेंट में कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जावे।

इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री शास्त्री।

**श्री महेन्द्र शास्त्री** (मुन्डावर) : माननीय सभापति महोदया, सदन में एक बात स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई कि राजस्व विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और राजस्व विभाग जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही सारे राजस्थान की खुशहाली उस पर निर्भर करती है। इस राजस्व विभाग से किसान जुडा हुआ है, कारखाना जुड़ा हुआ है, खान जुड़ी हुई है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इस राजस्व विभाग के सम्बन्ध में मुख्य रूप से जो बात कही जाती है वह है किसान की। किसान को यह सरकार किस स्थान पर रखना चाहती है उसके सम्बन्ध में मैं सरकार की नीयत पर अपना संदेह व्यक्त करता हूं। मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि आज इस विज्ञान के युग में, प्रजातन्त्र के वातावरण में जो नियम और कानून सरकार ने बनाऐ हैं उनसे एक बात स्पष्ट रूप से नहीं, अपरोक्ष रूप से साफ होती है कि हमारी यह सरकार गांव में रहने वाले किसान को आज भी आजादी की सांस नहीं लेने देना चाहती। इस किसान के चारों हाथ पैर बांध कर इसको शेर के सामने डाला हुआ है।

पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार, तीनों को त्रिमूर्ति के नाम से मैं एक स्थान पर स्थापित करता हूं और इसको एक इकाई के रूप में मान कर मैं अपनी बात आपसे आगे अर्ज करना चाहूंगा। आखिर यह व्यवस्था की हुई है, यह नियम और अधिनियम बनाये हुए हैं, यह राजा टोडरमल के जमाने की व्यवस्था है। टोडरमल के जमाने की व्यवस्था को ठोक पीट कर कानून के नाम पर, अधिनियम के नाम पर प्रजातंत्र के ढांचे में फिट करने की कोशिश की गई है। आज किसान के बारे में एक ओर तो यह कहा जाता है कि गांव में बिजली चली गई, सड़क चली गई, नहरें चली गई, शिक्षा का प्रसार हो गया, माध्यम विद्यालय खोल दिये गये। इस देश का प्रजातंत्र परिपक्व होकर 38 वर्ष का हो गया है। पर चिंतन क्या है किसान के बारे में? चिंतन किसान के बारे में यह है कि उसके स्तत्व अधिकारों के सारे कागज, उसके राइट के सारे अभिलेख, उसकी सारी चीजें उसका सारा लेखा जोखा कौन रखेगा? गांव का पटवारी। वह स्वयं इस बात के लिए सक्षम नहीं माना जाता, उसको पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता। उसके बारे में यह भी धारणा नहीं है कि वह अपने अधिकारों की स्वयं रक्षा कर सकता है। इसलिए मैं संदेह करता हूं सरकार पर।

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

किसानों को उलझन में डालने के लिए, किसान को सुव्यवस्थित व्यवस्था देने के नाम पर आज कितनी अदालतें दर अदालतें बन गई है। एस. डी. ओ., ए. डी. एम., राजस्व अपील अधिकारी, रेवेन्यू बोर्ड। कितने मुकदमें पेंडिंग है? किसने क्रियेट किये हैं? कौन फंसा हुआ है इनमें? कौन इस सारे भोग को भोग रहा है? किस के कान में पीड़ा है और किसने पैदा किया है इन सारे मुकदमों को? मैं फिर उस त्रिमूर्ति का नाम लूंगा। अगर इनमें से नब्बे प्रतिशत मुकदमे किसी ने पैदा किये हैं तो वह पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार ने पैदा किये हैं। पैदा किसने कराऐ? सरकार ने। सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है। यदि सरकार की नीयत स्पष्ट होती तो एक मात्र ऐसा प्रमाण पत्र, एक मात्र ऐसी पास बुक और एक मात्र दस्तावेज इस गांव के किसान का तैयार किया जा सकता था। आज 38 साल बाद भी वह गांव के किसान का दस्तावेज तैयार नहीं हो सका कि यह तेरी जमीन है, यह तेरा अधिकार है, यह तेरी जमीन का नक्शा है। यह प्रमाणित रूप में दे दिया जाता और कानून में इसको राइट आफ पजेशन मान लिया जाता तो आज यह विवाद, झगड़े खड़े नहीं होते।

इस सदन में लोग यह नहीं कहते, माननीय सदस्य आकर नहीं कहते कि पटवारी नकल नहीं देता। इस सदन में यह बात नहीं कही जाती कि पटवारी ने रिकार्ड में हेराफेरी कर दी। इस सदन में यह बात नहीं कही जाती कि तहसीलदार ने, कानूनगो ने फलां फलां गड़बड़ कर दी। मैं पूछना चाहता हूं यह बात आपके माध्यम से सरकार से कि कौन सी ऐसी विवशता थी इस सरकार के सामने कि इस देश के किसान, जो जमीन का पेट फाड़ कर सारे देश का अन्नदाता है, को आज तक इस बात से मुक्त क्यों नहीं किया गया और उसको यह बात क्यों नहीं कही गई कि वह अपने राइट्स को, अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करे। आज करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति, अरबों रुपयों की सम्पत्ति का शहर का आदमी, दूसरा पढ़ा लिखा आदमी अपने पास सारा रिकार्ड और टाइटिल रख सकता है लेकिन किसान की जमाबन्दी, उसकी खसरा गिरदावरी, उसको नकल देने का अधिकार एक मात्र गांव के पटवारी के पास होगा। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में इससे बड़ी कोई दयनीय हालत किसान की और हो नहीं सकती कि गांव के पटवारी के पीछे पीछे आज भी चक्कर लगाना पड़ता है।

मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, सभापति महोदया, कि पटवारी को कलेक्टर से भी बड़ा माना जाता है। हमारे मेवाड़ में एक बार राजाजी ने लड्डू बंटवायें। जब लड्डू बंटवायें तो मेवों ने भी उनको खाया और महाराजा को आशीर्वाद दिया कि ईश्वर, खुदा तुम को पटवारी बनाये। क्यों इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है पटवारी? किसलिए इतना महत्व है पटवारी का? मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं, पटवारी पहला काम करता है खसरा गिरदावरी का। खसरा गिरदावरी लगातार चार दिनों तक होगी, उसके बाद तैयार करेगा जमाबन्दी। यह किस जमाने की व्यवस्था है? जमाबन्दी के मायने हैं जमा से बन्दना, जमा देना। तक की व्यवस्था जब किसान के पास पैसा नहीं था, जमा दे नहीं पाया करता था उस समय खसरा गिरदावरी चार साल में होती थी तब जमाबन्दी

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

होती थी। आज आपने खसरा गिरदावरी बंद कर दी। सरकार उसमें किसी काश्त करने वाले का नाम नहीं लिखतो तो फिर जमाबन्दी क्यों करावे? फिर जमाबन्दी को राइट ग्राफ रिकार्ड क्यों माना जाता है? इस जमाबन्दी के बाद वह क्या करता है? तीसरा काम करता है इन्तकाल चढ़ाने का, चौथा लगान बसूल करने का। इस पटवारी की सिर्फ इतनी सी बात है। कितना महत्व पूर्ण व्यक्ति है?

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, यह गांधीजी के पद चिन्हों पर चलने वाली सरकार है। मुझे एक बात याद आती है, एक बार स्वर्ग में एक शेर चला गया। स्वर्ग में जब शेर चला गया तो बड़ी चिन्ता खड़ी हुई। चिन्ता इस बात की खड़ी हुई कि इतना हिंसक शेर स्वर्ग में कैसे आ गया? स्वर्ग के लोगों ने जब चिन्ता प्रकट की तो उसका रिकार्ड देखा गया। रिकार्ड देखने से पता चला कि शेर किसी पटवारी को खा गया। एक पटवारी को खाने से उसको स्वर्ग नसीब हो गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर इन पटवारियों को सरकार खा लें तो यह जो अहिंसक सरकार है, अगर हिंसक भी है और इसके सारे आचरण गड़बड़ भी हैं तो स्वर्ग की सम्भावनाएं हो सकती हैं। कैसे हो सकती है स्वर्ग की सम्भावनाएं? पटवारी से किसान को कैसे मुक्त किया जा सकता है, इसका बहुत सीधा सा एक रास्ता है, आप एक बार बात को प्रमाणित बनाकर के किसान दे दें। असल प्रति किसान के पास हो उसकी नकल सरकार के पास हो। किसान को अपना लोन लेने के लिये जब भी कहीं नकल पेश करनी हो तो उसकी फोटोस्टेट कापी दे दे। जब तक उसके असल रिकार्ड में कोई परिवर्तन न हो जाय तब तक राज्य सरकार के मार्फत उसके रिकार्ड में किया हुआ परिवर्तन परिवर्तन माना जाय और इसको प्रिजम्पशन आफ राइट, राइट आफ रिकार्ड के रूप में स्वीकार किया जाय। यह व्यवस्था किसी भी तरह से की जाय। सरकार अगर एक बार इसको कर दे तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी मुक्ति मिल सकती है।

आज पटवारी, तहसीलदार कैसे कैसे करिश्में दिखाते हैं। जो तंत्र विद्या में सम्भव नहीं है, ज्योतिष विद्या में सम्भव नहीं है, योग से सम्भव नहीं है, विज्ञान से भी सम्भव नहीं है वह पटवारी कर दें। पत्नी को मां बना कर रिकार्ड में चढ़ा दें और देखते रह जाय सब लोग। सारा समाज सारा धर्म, सारा कानून, व्यवस्था जिसको नहीं कर सके उसको पटवारी आनन फानन में कर दें। जिसने कभी फौज का मुंह नहीं देखा उसको सूबेदार बना कर जमीन अलाट कर दे और कभी जिसका जमीन से गांव से ताल्लुक नहीं रहा हो उसको सम्वत् 2003 से लिखकर दे दे आप इस पर काबिज हो, आप इस पर काश्त कर रहे हो। यह सारी व्यवस्था जो आज पैदा की है, मैं उसके सम्बन्ध में इसलिये कहना चाहता हूं सरकार को अगर नीयत साफ है, सरकार यह बात चाहती है कि किसान को लाभ मिले तो उसको एक बार उसकी जमीन का सतत् अधिकार दे दे, पटवारी की आवश्कता जमाबंदी से सफल हो जायगी।

इंतकाल का राइट दे दिया पंचायत को और सिर्फ प्रविष्टि करने का अधिकार

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

पटवारी को। आज आप ऐसा प्रमाण नहीं ला सकते पूरे राजस्थान में, सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी इंतकाल किसी पटवारी ने बिना पैसा लिये आज तक चढ़ाया हो, यह सार्वभौम-जनक बात है, इसे सब लोग जानते हैं। क्यों नहीं मुक्त कराना चाहते हैं हम इनसे? मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेता, क्यों नहीं मुक्त करना चाहते हैं? पता नहीं कहां, किस जगह, किस जाल में, ब्यूरोक्रेसी के किस प्रपंच में यह सारी की सारी व्यवस्था हो रही है। इंतकाल का राइट इस तरह का है उसका अपना, खुद का राइट आप, रिकार्ड होगा, पंचायत को वह पेश कर देगा। इंतकाल चढ़ाने के लिये और लगान वसूली के लिये पटवारी रखने की क्या जरूरत है? अब तो हम अपने बिजली और पानी के बिल दूसरे दिन खुद जमा कराते हैं, हमारा किसान उनको भी जमा करा जायगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, यह परम्परा टोडरमल के जमाने से चली आ रही है, इस गुण्डागिर्दी को खतम करने के लिये, इस शेर के मुंह से किसान को बचाने के लिये आप पटवारी से मुक्त करा दो। गांव का आदमी कहता है, काले के काटे का इलाज है, पटवारी के काटे हुए का इलाज नहीं है, जिसको पटवरी खा जाता है। मुझे याद है, दिवंगत प्रधान मंत्री पाकिस्तान के, जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बात कही थी, मैं ननकाना साहिब अपने गांव जब जाता हूं तो पटवारी को कोई न कोई सफाई वफाई भेजनी पड़ती है उसकी व्यवस्था के लिये। जितने लोग हैं जिनके पास भूमि है, माननीय सदस्य सदन में भी ऐसे हैं जो सीधे जमीन से जुड़े हुए हैं अगर उनके पास खेती है तो पटवरी की करामात पर उनको भरोसा करना पड़ता होगा। अकेला पटवारी उस करामात को नहीं कर सकता है उसमें तहसीलदार और कानूनगो जुड़े हुए होते हैं। मेरा यह अनुरोध है इस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया जाना चाहिये। इसके लिये यह आवश्यक है, यह व्यवस्था की जाय, कुल मिला कर हमारे अधिकार क्या क्या हैं यह एक बार तय हो जाय तब किसान का स्वत्व क्या है, यह तय हो जायगा।

एक और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह बात तो मैंने नीतिगत कही। आज भी बार-बार अलाटमेंट होते जा रहे हैं। पिछले 20-25 साल में हर बार कमेटी बैठती है, हर साल अलाटमेंट होता है। हमने पूछा भी लोगों से कि कैसे होता है? तो गांव के लोग जो कभी जमीन की बात कहते थे तो हम उनको समझाते थे, जमीन रबड़ नहीं है जो बढ़ जाय। लेकिन करामात है पटवारी और तहसीलदार की, वह जमीन हर साल कहीं न कहीं से निकल आती है। हर बार अभियान होता है, हर बार बीस सूत्री कार्यक्रम में जमीन बंटती है। वह जमीन कहां से आती है? कौन इस विवाद को पैदा करता है? फिर निष्क्रांत सम्पत्ति की समस्या है? शायद और कहीं नहीं हो, मेरे यहां पर है। अलवर, भरतपुर में खास तौर पर है। उस निष्काम सम्पत्ति को आप सोने-चांदी की खान समझिये। जिस जगह, जिस क्षेत्र में जिस तहसीलदार और पटवारी के पास वह है, पिछले बीस साल से कोई सोने की ईंट निकाल रहा है, कोई चांदी की ईंट

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

निकाल रहा है, कोई किसी को सूबेदार बताकर अलाटमेंट कर रहा है। उसका नियम क्या है ? तहसीलदार उसका मैनेजिंग आफिसर है। वह मैनेजिंग आफिसर जो है, उनको सिर्फ एक सबूत चाहिये कि जमीन पर काबिज कौन है। उसके साथ वह अफसर लिख देता है, रकम जमा कर ली जाय और भूमि दे दी जाय। यह सबूत कौन देता है ? सभापति महोदय, पटवारी लिख देता है कि फलां नाम का फलां आदमी काबिज है। और वह उस की कीमत जमा करा देता है। यह जो बात चल रही है भूमि की, आज तक 38 साल में इसका समाधान नहीं कर पाये, इसकी स्थिति क्या हो रही है ?

एक काम होता है रजिस्ट्री का। तहसीलदार, पटवारी और कानूनगो की मुख्य रूप से कमाई किस चीज में है ? इतकाल में। इंतकाल चढ़ाओ तो कमाई आयेगी, अतिक्रमण की रिपोर्ट करेगा तो माल खायेगा, अतिक्रमण हटाने की बात करेगा तो माल खायेगा आवटन की बात करेगा तो माल खायेगा, सीलिंग की रिपोर्ट करेगा तो माल खायेगा। अब आप कैसे मुक्त करा सकते हैं इस आदमी को ? यह कोई न कोई टांग किसान की किसी तरह से खींच लेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इस आमूल-चूल परिवर्तन की ओर इस सरकार को आज 38 साल के बाद तो कम से कम कोई क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कुछ ऐसी बातें बताऊं, गांव में खाते बने हुए हैं। बात कुछ इर्रेलेवेन्ट हो जायगी फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे गांव में एक बड़ी चर्चा होती है, किसी ने एक नम्बरदार से पूछ लिया तुमको तोला, रत्ती और मासा का पता है इनमें से कौनसा बड़ा होता है। वह बड़ा चिन्ता में पड़ गया कि तोला बड़ा है, मासा बड़ा है या रत्ती बड़ा है। तो उसने कहा, रत्ता ही बड़ा होता होगा रत्ते को बड़ा बता दिया। आज अगर किसी जमाबन्दी की नकल मैं आपके सामने पेश कर दूं ऐसे गांव की जिसमें सिर्फ चार खाते हैं न जाने किस पीढ़ी का नाम लिखा है उसमें। खेत को जोत कौन रहा है, बो कौन रहा है, न जाने किस पीढ़ी का नाम लिखा है। मेरी तहसील में कालूरा गांव है, उस गांव में चार हो खाते हैं। खाते में यह नहीं है कि पड़दादा, दादा के दादा का क्या नाम था। उसका पीढ़ी दर पीढ़ी नाम लिखा हुआ नहीं है। कोई नहीं सोचता इसका हम किसी तरह से निपटारा कर दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से, एक बार इस भूमि के संबंध में जितने खाते बने हुए हैं जहां जहां इन खातों का विभाजन करना है, आप अभियान चलाइये, इन्तकाल चढ़ाने के लिये नहीं, इस बात के लिये कि कौन किसान जमीन की अदला बदली करके चक बनाना चाहता है। आप अभियान चलाइये इस बात के लिये कि किस भाई ने अपनी जमीन बांट दी उसके खाते अलग अलग हो जाने चाहिये। आप अभियान चलाइये, 'कहां कहां जमीन पर किसने अतिक्रमण किया हुआ है इसका कैसे निपटारा करें। आप इस बीस सूत्री प्रोग्राम के 'नाम पर, दिवगत नेता इन्दिराजी के नाम पर अगर कोई बात कर सकते है, आपकी अहिंसक सरकार कुछ कर सकती है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, गांव में जो गोचर है, जो जोहड़ है, जो आपने रास्ते अतिक्रमण करके तोड़ दिये हैं, जो आवटन की जमीन

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

नित दिन रबड़ की तरह बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो खातों का आप विस्तार नहीं कर रहे हैं, इन प्रारम्भिक समस्याओं को जब तक मेरी उस बात को नहीं मानें कि शेर से मुक्त कराइये या जब तक इस बात को नहीं मानें कि परमानेंटली उनको कोई पास बुक दे दें तब तक ये तीन चार बातें अभियान चला कर करा ही देनी चाहिये ताकि आम किसान का इससे निपटारा हो जाय। स्थिति यह हो गई है, पटवारी महाशय ने न पशु खड़ होने की जमीन छोड़ी। कुछ तो हम और हमारे सरपच ने और कुछ हमारे पटवारी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, बारिश हो जाय तो गांव में रास्ते नहीं हैं, बारिश हो जाय तो पशु खड़े होने की स्थिति में नहीं है। अगर आप कर सकते हैं और चला सकते हैं कोई अभियान तो यह अभियान चला कर गांव के लोगों को राहत दिलावें।

एक मैं और निवेदन करना चाहता हूं सैटलमेंट के बारे में। कोई बुनियादी फर्क नहीं, सैटलमेंट में 306 के मुकदमों में ए की जमीन बी के नाम और बी की जमीन सी के नाम। राजस्थान के साथ में हो सकता है यह बात सदर्भ में न हो, मैं मेरे जिले की बात कहता हूं अलवर, भरतपुर पूर्वी राजस्थान की एक एक जमीन नापी हुई है, सभापति महोदय, एक एक जमीन की किस्म की नाप है लेकिन एक एक फीट जमीन पर, सिर काटने की स्थिति पैदा कर रहे है आप किसका सैटलमेंट करेंगे, किसको बरबाद करना चाहते हैं? एक जमीन एक लाख रुपये से कम में काम नहीं करता। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में अपने सारे प्रोविजन स्थापित किये हुए हैं जमीन नपवाइऐ, खेती के लिए जांचिये, फिर आप हर बीस साल बाद ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं। अगर आज आपके पास आंकड़े हों और सरकार उन आंकड़ों को देखे तो रेवेन्यू बोर्ड में, राजस्व अपील अधिकारी के यहां और एस. डी. ओ. के यहां जितने मुकदमें हैं उनमें 90% मुकदमें जहां री-सैटलमेंट हो गया है वहां श्रीमान अमीन की करामात का फल है और उसने वह सारे दन्द फन्द कराऐ हैं। इसलिए एक दृष्टिकोण सरकार का किसान के बारे में और किसान की जमीन के बारे में स्पष्ट होना चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा था।

एक रजिस्ट्रयों के सम्बन्ध में भी आपसे निवेदन करूंगा। रजिस्ट्रियां दो-तीन तरह की हैं, वंशानुगत भी हैं जिसमें इन्तकाल के बारे में बहुत लोगों ने चर्चा की। मैं भी दो लाइन बात कहना चाहता हूं कि इन्तकाल के बारे में सीधे अधिकार आपने पचायत को दिये हुए हैं वे अधिकार पंचायतों के पास ही रहने चाहिये। पटवारी को मजबूर करना चाहिये कि वह पचायत की बात माने और अगर नहीं माने तो सीधे सरकार के आदेश होने चाहिए इन्तकाल करने वाले आदमी अपने रिकार्ड निकाल कर पंचायत के सामने पेश कर दे और अपना इन्तकाल पटवारी से करवा ले। वंशानुगत इन्तकाल चढ़ाने का, सक्सेशन का इन्तकाल चढ़ाने का गांव की पचायत से ज्यादा कोई नहीं जानता। उस सब को तहसीलदार क्यों चढ़ाते हैं? उस सब को पटवारी क्यों इग्नोर करके तहसीलदार से दर्ज कराते हैं? इस व्यवस्था का सख्ती से पालन होना चाहिये।

इसके साथ ही जो इन्तकाल इस तरह के चढ़ाते हैं इसके साथ रजिस्ट्रयां होती

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

है खरीद फरोख्त की, तहसीलदार के पास आज की तारीख में बड़ा कोई काम है तो रजिस्ट्रियों में माल खाना है और वह चाहे जहां खाते है। मैं मेरी ही तहसील की बात कह रहा हूं, मेरे खूब सजग रहते रहते तहसीलदार साहब आ गये। खूब मैंने प्रयास किया, पहले भी करामात दिखा चुके थे एक बार हमने मजमा-ए-आम में उनसे रुपये वापस लिये, फिर सरकार ने वहीं भेज दिया। पता नहीं क्या लाभ हमको देना चाहते हैं वह तहसील मण्डावर में स्थापित कर दी। उन्होंने आते ही, लोग गये कि रजिस्ट्री करानी है, कि कराइये लिख दिया रीडर को। रीडर के पास गये उसने कहा 500 चाहिये वापिस तहसीलदार के पास गए। उन्होंने उसको काटा लिखे को, रजिस्ट्री पकड़ा दी, घर जाओ, मैं नहीं करता। दूसरे लोगों ने कहा कि आप कलक्टर के पास जाइये तहसीलदार कैसे कह सकता है कि घर जाओ। यह स्थिति पैदा की हुई है। एक गांव भिरेडिया है जिसमें 131 बीघा जमीन 8 परिवारों की निष्कांत संपति है। जिलाधीश ने 40 बीघा जमीन अन्त्योदयी परिवार के लोगों को 1978 में अलाट कर दी और कब्जा दे दिया उसको कब्जा दिलाने के बाद स्थिति क्या रही, सभापति महोदय ? फिर पटवारी ने रिपोर्ट की कि काबिज कौन है। कुछ लोगों के नाम लिख दिये, जो 40 बीघा अन्त्योदयी परिवारों को दी गई थी उनके भी नाम लिख दिये कि ये भी काबिज है। अब तहसीलदार महोदय ने 50 लाख की जमीन 10 हजार रुपये सरकार में जमा करा कर उन लोगों को जमीन दे दी। पिछले 15 साल से हम चिल्लाते रहे, बताते रहे कि यह स्थिति है। पटवारी की करामात, कानूनगो की के दस्तखत तहसीलदारजी की कृपा, इस त्रिमूर्ति ने ऐसी मूर्ति स्थापित की कि वे 20 अन्त्योदयी परिवार वहां दर दर मारे मारे फिरे। यह व्यवस्था है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं सीलिंग के मामले में। भरतपुर में एक भैंसा गांव है तहसील रूपा का भैंसा गांव तारीख 6-9-79 को सरकार ने 281 बीघा जमीन....

**श्री सी. पी. जोशी** : अलवर में नहीं होता।

**श्री महेन्द्र शास्त्री** : होते हैं भरतपुर में, हां अलवर में नहीं होता।

उस भैंसा गांव में 381 बीघा जमीन सीलिंग में निकाल दी और कब्जा दे दिया। काबिज भी हो गये 6-9-79 को। कब्जा देने के बाद आज तक वह जमीन जिसके पास थी, जो उसका मालिक था वह ही जोत रहा है, वह ही बो रहा है, वह ही पेड़ काट रहा है और वह ही उसकी कमाई खा रहा है। अब मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को कि कितनी दुर्व्यवस्था का आपने निर्माण किया आपने कब्जे में ली कब्जे में लेने के बाद भी वह आदमी आज तक कैसे जोत बो रहा है बदस्तूर ? मैं आपके माध्यम से....

**श्री शोपत सिंह** : किसको कह रहे हैं ?

**श्री महेन्द्र शास्त्री** : सरकार का कोई अस्तित्व होगा सदन में।

**श्री नरेन्द्र सिंह भाटी** : मैं अलर्ट बैठा हूं।

**श्री शोपत सिंह** : हमने देखा जेण्डर बदल गया।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

**श्री शोपत सिंह** : मैं देख रहा था कि राजस्व मंत्री नहीं हैं, आज बदल गऐ क्या?

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य!

**श्री महेन्द्र शास्त्री** : सरकार अस्तित्व में है और उसका कोई न कोई स्वरूप हमारे सामने अवश्य है इसलिए हम अपनी बात कह रहे हैं मैं कुछ उदाहरण आपके सामने इस राजस्व व्यवस्था के रख रहा हूं, इस नियत से रख रहा हूं पीड़ा के साथ कि कुछ बात सरकार के समझ में आ जाय। अजमेर जिले की एक और अद्भुत कहानी है, अजमेर जिले की स्थिति यह हुई कि वहां खालसा और इस्तमरारदार दो तरह के किसान हैं उनको कोई राइट नहीं मिला। किसान बड़े चीखे-चिल्लाऐ, बड़ी बात की। 1969 में मोहनलालजी सुखाड़िया तत्कालीन मुख्य मंत्री जी वहां पधारे उन्होंने किसानों की बात को सुना, सुन कर बड़ी कृपा की और कृपा करके आदेश दिया कि धारा 106 और 107 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत इस सारी स्थिति का जायजा लिया जाय और सारे का सारा सैटलमेंट किया जाय, स्टाफ भी एक्स्ट्रा लगाया जाय, पूरे जिले की बात है। उसके बाद 1971 में वह सैटलमेंट हो गया। सैटलमेंट होने से सारी स्थिति भूमि की निखर कर आ गई। पता नहीं कहां कब क्या स्थिति बनी कि वह लोग जो सन् 41 में बन्दोबस्त हुए, खालसा हो गये सन् 1951 में, फिर इस्तमरारदार हुए इस विवाद में किसानों को कोई राइट मिल ही नहीं पा रहे हैं। 69 में आदेश दिया गया और 71 में जो स्थिति कागजात की बनी उसके आधार पर आज वहां के किसानों को लोन मिल रहा है। किसानों का नाम दर्ज है। और किसानों को सारी सुविधाऐ भूमि की मिल रही है। लेकिन एक आदेश 83 में राजस्व सचिव महोदय ने निकाल दिया। आदेश यह निकाल दिया। कि वह जो रिकार्ड 71 में तैयार किया गया था उसको राइट आफ रिकार्ड नहीं माना जाय। उससे पहले जो व्यवस्था थी 69 में, जिसको तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने बदलने के लिये किसानों की दरख्वास्त पर बड़े प्रयास किऐ थे उसको वापस मान लिया जाय। परिणाम यह हुआ कि जमीन सिवाय चक हो गई, खातेदारी के अधिकार खतम हो गये, किसानों को कोई राइट, हक नहीं मिला और चीखे चिल्लाये तो कहा, आपके खेतों का नाम सिवाय चक में दर्ज कर देते हैं। सभापति महोदय, मैं इस विडम्बना को सरकार के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं पुश्त दर पुश्त जमीनों की काश्त करने वालों के लिये सरकार का आदेश, निर्णय, फैसला होने के बाद रिकार्ड आपका तैयार होने के बाद सरकार ने जो स्थिति पैदा की वह बहुत शोचनीय है। मैं आपके माध्यम से अजमेर जिले के काश्तकारों के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार इनको फिर पूरी तरह से देखे। पूरी तरह से इसकी जांच कराये और देखें कि किस तरह से किसानों के हक-हकूक सुरक्षित रह सकते हैं। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार नीतिगत....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, अब कन्क्लूड करें।

**श्री महेन्द्र शास्त्री** : सरकार की नीतिगत स्थिति को देखते हुए मैं आपकी मार्फत कहना चाहूंगा कि किसानों को निश्चित रूप से यह समझ कर कि आज वह प्रौढ़ हैं, समझदार हैं और वे अपने हक हकूक को समझते हैं, राहत दिलाई जावे ताकि वह महसूस करे कि इस देश में आजादी आई है 38 साल के प्रौढ़ प्रजातंत्र में वह स्वयं को सुरक्षित और आरक्षित महसूस कर सके । रोज लटकने वाली रेवेन्यू बोर्ड की तलवार उसके सिर से हटा ली जाय ।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि तहसीलों में आज काम बहुत बढ़ गया है इसलिए तहसीलदार को अधिक से अधिक दौड़ भाग करनी है । उसके लिए कोई परिवहन की व्यवस्था आम तौर पर हमारे सामने मुश्किल है । हम जाकर तहसीलदार से कहते हैं तो बड़ी मुश्किल से कभी कभी कोई भला आदमी मिलता है तो कहते हैं चलिये, मौका देखिये किसान को खेत, जो आवटित किया गया है अनुसूचित जाति के को, का कब्जा नहीं मिला । तो वह मजबूरी दिखाते हैं कि कैसे जाऊं । कभी कभी ऐसी आवश्यकता आ जाती है कि उसको तुरन्त मौके पर पहुंचना चाहिए पर उसके पास कोई रास्ता नहीं है । इसलिए सरकार उनके आवागमन को त्वरित, गतिमय करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था करे, यही मैं निवेदन करना चाहता था ।

धन्यवाद ।

**श्री सभापति** : श्री जय कृष्ण तोसावाड़ा ।

**श्री जय कृष्ण तोसावाड़ा** (टूडू) : माननीय सभापति महोदय, आज जो सदन में रेवेन्यू की मांग पर चर्चा हो रही । है ।

**श्री सभापति** : श्री जय कृष्ण तोसवाड़ा

**श्री बिहारीलाल पारीक** (माण्डल) : माननीय सभापति महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि आप अपनी बात कह सकेंगे । लेकिन मेरा एक निवेदन है बीच में, शायद नाम बोले हों, ऐसा माननीय सदस्य ने कहा है, मैं चला गया था ।

**श्री सभापति** : जी हां, तब आप थे ही नहीं सदन में ।

**श्री बिहारीलाल पारीक** : मैं अध्यक्ष जी के कमरे में गया था । मैं अध्यक्ष के वहां गया था ।

**श्री सभापति** : आपकी टर्न पर । आप स्थान ग्रहण करें । आर्डर प्लीज ।

**श्री जयकृष्ण तोसवाड़ा** : माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग इतना बड़ा विभाग है, केवल किसान ही नहीं बल्कि समाज का हर व्यक्ति इसमे सबंधित है, वह चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे मजदूर वर्ग का हो । इसके पीछे ही सब निर्भर रहते है । माननीय सभापति महोदय, मैं साधारण रूप में विशेषता इसके अन्दर क्या है वहीं बता देना चाहता हूं । आज हर गांव के अन्दर कोई न कोई व्यक्ति, जो शक्तिशाली है, चरागाह के ऊपर अतिक्रमण करके बैठा हुआ है । एक तरफ हम यह कह देना चाहते हैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारी सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि एक तरफ हम पशु का पालन कर रहे हैं, पशुओं को दवाइयां देकर उसकी वृद्धि करने के लिए हमारी सरकार विधान सभा के अन्दर कई प्रकार की मांग रखती है और उनका विकास करना चाहती है । माननीय सभापति महोदय, दूसरी और

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

राजस्व विभाग के अन्दर यदि हम कहते हैं कि बड़े-बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हर वर्ष, हर समय चरागाह के ऊपर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, उनकी हर साल रिपोर्ट तहसील में एस.डी.ओ. साहब के यहां, कलेक्टर साहब के यहां होती है लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इसलिए मान्नीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर किस गाव में, किस चरागाह के ऊपर, किस खसरा नम्बर के ऊपर, कितनी जमीन के ऊपर अतिक्रमण है उसके लिये एक विशेष अभियान चलायें। हमारी सरकार से मेरा निवेदन है कि जिन लोगों का उन चरागाह के ऊपर अतिक्रमण है उनसे तुरन्त ही खाली करा देना चाहिए। जिससे यह होगा कि हमारे पशुधन को विशेष रूप से लाभ मिलेगा और पशु जब चरागाह में चर कर आयेंगे तो साधारण जनता के लोग चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहें किसी भी प्रकार का वर्ग हो उसका बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा यह निवेदन है कि हमारे राजस्थान के अन्दर कई प्रकार की जमीन को अलाट कर दिया गया। अलाटमेंट तो कर दिया, माननीय सदस्य पंचोली जी कह रहे थे, उनके विचारों से मैं पूर्णतया सहमत हूं, अलाट तो कर दिया लेकिन अलाट करने के बावजूद उन अलाटीज को जमीन नहीं सम्भालयी गयी। जिन व्यक्तियों के पास जमीन है वे ही व्यक्ति उसके ऊपर अतिक्रमी हैं। जब तक उन गरीबों को जमीन नहीं सम्भला दी जायेगी तब तक अलाट करना बेकार है, उल्टा रेवेन्यू रूकी हुई है। वह इसलिए रूकी हुई है कि साधारण गरीब जिसको कि जमीन अलाट की गयी थी, यदि उसको बोता तो आराम से अपनी पैदा भी कर सकता था, उसमें हमारी सरकार को कुछ फायदा मिल सकता था लेकिन वह जमीन उन लोगों के अधिकारों में है। सीलिंग की जमीन देख लीजिये, सिवाय चक की जमीन देख लीजिए सीलिंग की जमीन अलाट तो कर दी गयी लेकिन माननीय सभापति महोदय, अभी भी उसके उपर अतिक्रमण हटा नहीं है। जिस व्यक्ति की जमीन सीलिंग में ली गयी थी वह जमीन उसी व्यक्ति के अधिकार में है। यदि वह जमीन दूसरे अलाटी के यहां चली जाती तो गवर्नमेन्ट को रेवेन्यू मिलती। उसका मुआवजा उस अलाटी से लेकर हम गवर्नमेन्ट को देते। जिस व्यक्ति की जो खातेदारी की जमीन सीलिंग में ली गयी थी वह उसको मिल सकती थी। वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। इस कारणवश सरकार को रेवेन्यू मिल सकती थी, जो लगान मिल सकता था, उस जमीन को बोकर पैदा करके एक साधारण गरीब अपना जीवन यापन कर सकता था, अपने परिवार का पालन कर सकता था, वह रूका हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि विशेष रूप से हमारी सरकार को, एक आन्दोलन चलाये, जैसा पहले रेवेन्यू अभियान चलाकर पास-बुक वितरित की जाती थी, अलाटमेंट किया जाता था। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार का एक विशेष अभियान चला कर इस प्रकार की सारी समस्या को दूर किया जाय तो इससे गरीबों का भला होगा ही होगा और साथ ही साथ हमारी सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिल सकती है और जितने भी उलझे काम हैं दूर हो सकते हैं।

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा):

मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, कि कई प्रकार के मुकदमे अलाटीज कोर्ट्स के अन्दर चल रहे हैं । वे इसलिए चल रहे हैं कि जमीन के ऊपर किसी दूसरे का अतिक्रमण है पर अलाट किसी दूसरे को कर दिया । केवल मात्र इतनी सी ढिलाई से कोर्ट में जाकर स्टे मिल गया । किसी का स्टे केन्सल हो गया फिर उसको स्टे मिल गया । इस प्रकार से उलझन के अन्दर ऐसे मामले पड़े हुए हैं जिससे सरकार रेवेन्यू से वंचित है । इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि इस प्रकार का अभियान चलाया जाये ।

दूसरा निवेदन मेरा एक और है, सन् 1975 के अन्दर एक ऐसा अभियान चलाया गया जब इमरजेन्सी थी कि जो जमीन सिवाय चक पड़ी हुई है या चरागाह की जमीन है, हरिजन व्यक्तियों को, घुमक्कड़ जातियों या आदिवासी जातियों के लोगों को अलाट कर दी जाये । अलाट तो कर दिया उस जमीन को लेकिन अभी तक उन हरिजनों को सम्भालयी नहीं गयी है, आदिवासियों को दी नहीं गयी है, घुमक्कड़ जातियों को दी नहीं गयी है । इसलिए इसका एक अभियान सुचारु रूप से चलाया जाये तो वह जमीन छुड़वाई जा सकती है । छुड़वाकर उन गरबों को दे दी जाये जो बेचारे तरस रहे हैं, वह परेशान हैं । हम एक तरफ तो यह कहते हैं कि हमने इतनी जमीन अलाट कर दी । हमारे रेवेन्यू के जो आफिसर्स है उनसे यदि जनता के नुमाइन्दे पूछते हैं तो, माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न रखने से, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने से या विरोधी दल के नेता को अधिकार है स्थगन प्रस्ताव रखने से वे पूछ तो लेते हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, वह केवल मात्र पूछने तक ही सीमित हैं । रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से केवल मात्र आंकड़े बन कर हमारे समक्ष आ जाते हैं लेकिन मौके पर कार्यवाही क्या की गयी उसका मालूम ही नहीं पड़ता । यहां सदन के अन्दर डिपार्टमेंट के जो आफिसर्स हैं वे केवल मात्र आंकड़े बना कर माननीय मंत्री महोदय के पास भेज देते हैं और माननीय मंत्री महोदय हमको उत्तर दे देते हैं हम उससे सन्तुष्ट हो जाते हैं लेकिन वास्तव में गांवों के अन्दर क्या परिस्थिति है उसका कोई अवलोकन ही नहीं करता । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि वास्तविकता को देखते हुए गांवों के अन्दर सारे प्रकार के अभियान चलाये जाय तो रीयलिटी क्या है, गांव की वास्तविकता क्या है, कौन गरीब किस प्रकार से वहां परेशान हो रहा है वह तब सामने आयेगी जब मौके पर जाकर देखा जाय ।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह भी है कि जमीन अलाट करने के 10 वर्ष के बाद गैर खातेदार को हम खातेदारी में घोषित कर देते हैं । लेकिन उसमें भी अभी कुछ नही हो रहा है । 15-15, 20-20 वर्ष हो गये । जिनको अलाट हो गयी वह गैर खातेदारी में है । न उनके पास पास बुक में नोट लगा हुआ है, न उनकी जमाबंदी के अन्दर नोट लगा हुआ है, न उनके रिकार्ड के अन्दर किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है । सारे का सारा यदि रेवेन्यू डिपार्टमेंट सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से लेना चाहता है जिसका हर प्राणी से, पशुओं से, मनुष्य से सीधे रूप में संबंध है, इस प्रकार से उसको लेना चाहा है तो

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

वास्तव में यह चीज अभियंयन चलाकर हमको करनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह भी है कि कई रजिस्ट्रियां हो जाती हैं और रजिस्ट्रियां तहसीलदार आराम से कर देता है क्योंकि उसको कमिशन मिलता है। पटवारी को कमिशन मिलता है, गिरदावर को भी कमिशन मिलता है, हो सकता है उच्च अधिकारियों को भी कमिशन मिलता हो। ऐसी रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। रजिस्ट्रियां होने के पश्चात उनमें उसका तुरन्त ही नामांकन हो जाना चाहिए लेकिन नामांकन के अन्दर ढिलाई इसलिए दी जाती है कि रजिस्टरी जिस व्यक्ति की होती है वह तुरन्त ही जाकर कोर्ट में जाकर दावा कर सके। इसलिए उसका नामांकन नहीं खोला जाता। नामांकन नहीं खोल सकते तब तक किसी खातेदार को खातेदारी के अधिकार नहीं मिल सकते। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हमारी सरकार को इस प्रकार का एक नियम बनाना चाहिए कि जैसे ही रजिस्ट्री हो उसका नामांकन खोला जाना चाहिये। उसके अन्दर 40 रोज का अधिकार दे रखा है कि रजिस्ट्री की नकल हो 40 रोज के बाद मिलेगी। 40 रोज के अन्दर तो पता नहीं कितने दावे कितने स्टे आ सकते हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि ऐसे नियम बनाये जायं हमारी सरकार की तरफ से कि जैसे ही उसकी रजिस्ट्री हो, 5 दिन या एक हफ्ते के अन्दर जो रजिस्ट्री करवाने वाला व्यक्ति है उसका तुरन्त ही नामांकन खोला जाना चाहिए, खातेदारी उसकी घोषित हो जानी चाहिए। तब जाकर सरकार गरीबों को लाभ पहुंचा सकती है। तब जाकर साधारण गरीब को लाभ मिल सकता है अन्यथा नहीं मिल सकता है।

मेरा निवेदन यह भी है, माननीय सभापति महोदय, कि जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट हैं इनके अन्दर कई प्रकार की कमियां हैं। मैं साधारण जनता को खोलकर बताऊंगा तो, सभापति महोदया, घंटी बजा देंगी। इसलिए मेरा निवेदन आपसे यह है कि पांच मिनट और दे दें, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर कई प्रकार की कमियां हैं। उनका विस्तृत रूप से यदि हम अध्ययन करें तो इसमें जितना फायदा साधारण गरीब को मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है बल्कि बड़े-बड़े जागीरदार, खातेदार और जमींदारों को लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और टिनेन्सी एक्ट का फायदा मिलता है। एक फायदा जरूर है कि हरिजन जाति या आदिवासी जाति के व्यक्ति को जमीन दूसरा सवर्ण व्यक्ति अलाट नहीं करवा सकता है या खरीद नहीं सकता है या रजिस्ट्री नहीं करवा सकता है। यह प्रोविजन अवश्य है। हमारी सरकार ने सन् 1955 से रखा हुआ है। लेकिन मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदया, कि आज भी हरिजन और आदिवासियों के व्यक्तियों की यह हालत है कि उनके नाम से अलाट तो करवा दी गयी है लेकिन दूसरा जो सक्षम व्यक्ति है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जिसके पास जन-धन-मन की कमी नहीं है वे लोग ऐसे गरीब व्यक्ति को बरगला कर बैठा करके ऊपरी तौर पर एक एग्रीमेंट करवा लेते हैं और एग्रीमेंट करने के पश्चात् उसको छोड़ते नहीं। उसको कुछ पैसा दे देते हैं।

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

बेचारे साधारण जाति के लोग, गरीब जाति के लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अपनी जमीन पर अधिकार नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन माननीय सरकार से है आपके माध्यम से कि एस डी.ओ. और कलेक्टर, एस. पी. टूयर प्रोग्राम बनाकर जावें और अगर इस प्रकार के डाकूमेंट्स किसी ने लिखवा रखे हैं उनको दिखाकर उस अलाटी को जमीन के ऊपर जाने नहीं दिया जाता हो उसके लिये ऐसे अधिकार उन आफिसरों को दें, जो मौके पर जाकर गरीब लोगों की जमीन छुड़ा दें। हमारी सरकार को गांव में साधारण गरीब जनता के लोगों को क्या कमी है, हमारे क्या काम हैं वह बताना चाहता हूं। यदि इसकी गहराई में पहुंच कर सारी चीजों को किया जाये तो वास्तव में साधारण गरीब का भी भला हो सकता है, किसान का भला हो सकता है। इतने रेवेन्यू के झगड़े हैं कोर्ट में जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं जैसे ही बरसात आती है इस आधार पर कई मर्डर हो जाते हैं कि मेरी जमीन नहीं है, तेरी जमीन नहीं है, तूने एग्रीमेंट लिख दिया अब तेरी जमीन नहीं हो सकती, मैं जमीन नहीं खरीद सकता। इसके आधार पर हर साल मर्डर हो जाते हैं। हमारी थोड़ी सी तकनीकी गलती के कारण यदि सरकार इस प्रकार के हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए योजना बना ले तो सारी डिफिकल्टीज जितनी भी हमारे समाज के अन्दर फैली हुई है साधारण गरीब किसान वर्ग, गरीब हरिजन वर्ग आदि के अन्दर, सम्पूर्ण रूप से दूर हो सकती है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आयेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह भी है, कि किसान के सामने बड़ी भारी दिक्कत यह है कि पुराने समय से किसानों की खातेदारी में खेत के अन्दर कुए हैं, इस बारे में मैंने प्रश्न भी रखा है शायद आ जावेगा परन्तु मैं पहले ही कह देता हूं कि कई किसानों के खेतों के अन्दर कुए हैं जिनको किसान नाले के नाम से पुकारा जाता है, वह नाला जिसके खेत में है वह तो सिवाय चक में है जो कुआ खुदा हुआ है खेत में वह तो सिवाय चक में है। बाकी जो जमीन उसकी है वह खातेदारी की है।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

दो मिनट में मैं इधर-उधर की बात नहीं करूंगा।

**श्री सभापति** : यह तो आपको कन्क्लूड करने के लिये ही बजायी है।

**श्री जय कृष्ण तोसावड़ा** : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

मेरा निवेदन यह भी है कि उस खातेदारी की जमीन के बीच में जो कुआ है पुरानी सरकार के समय से या जागीरदार के कुआ है जिसको नाला कहा जाता है वह खातेदारी में नहीं है, वह सिवाय चक में घोषित है। अब किसान उस खेत को तो काम में लेता है उस नाले को काम में नहीं ले सकता है। हमारी सरकार का यह नियम है कि 15-25 रुपये दे कर के, गवर्नमेन्ट में जमा कराके उस नाले को अपनी खातेदारी में घोषित करा सकता है किसान। लेकिन आज हजारों कुए ऐसे ही पड़े हुए है जिसका बहाना, लेकर कुए का नाम लेकर रेवेन्यू के जितने कर्मचारी हैं उनके द्वारा उस किसान को लूटा जा रहा है, उस किसान को ठगा जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि तुरन्त राज्य सरकार, माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार का एक सर्वे कराये।

(4.35 म. प.)

(श्री गिरीराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

और सर्वे करा कर के आदेश भेजा जाय इन पटवारियों और गिरदावरों और तहसीलदारों को कि जिस जिस के खेत में पुराने ऐसे कुए हैं उनको तुरन्त ही सिवाय चक में से परिवर्तन करके खातेदारी में घोषित कर दिया जाय तो कई प्रकार की दिक्कत जो हमारे सामने है वह मिट सकती है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार की योजना बनायें तो साधारण गरीबों के सामने जो दिक्कतें हैं उनको आसानी से मिटा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट में ही।

मेरा निवेदन यह भी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सीलींग की जमीन को अलाट तो किया: अलाट तो हमने कर दी और किस को कर दी? जो साधारण गरीब आदमी है, चाहे वह किसी भी जाति का हो साधारण गरीब जो भूमिहीन है उसको अलाट कर दी लेकिन अलाटमेंट करने के पश्चात् सरकार ने या कर्मचारियों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। और इसलिए नहीं दिया कि आप एक आदमी के ऊपर तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपये जोड़ते हैं। जिस प्रकार की जमीन है, बारानी है तो उसके हिसाब से और यदि जमीन सिंचाई की है तो उसके हिसाब से जोड़ते है। ऐसे पैसे सरकार ने उनके ऊपर घोषित कर दिये। लेकिन उन गरीबों के पास इतने पैसे नहीं हैं। वे दे नहीं सकते है और नही देने के कारण बड़ी भारी अड़चन हो गयी है। जो अलाट की हुई जमीन सीलींग से आयी हैं उनसे पटवारी एकड़ के हिसाब से पैसे मांगता है किसी प्रकार का विचार नहीं किया है और पैसा गवनमेंट ने बांध दिया है। मेरा निवेदन उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह भी है कि इसके अन्दर थोड़ा रिलेक्सेशन दे दिया जाय। थोड़ी कमी करें। कमी करने के पश्चात उनसे बाद में पैसा लिया जाय तो हर गरीब व्यक्ति, हर साधारण व्यक्ति उसको अलाट की गयी जमीन को कब्जे में लेकर पैसे चुका सकता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से जिन जिन चीजों के बारे में निवेदन किया, मैं पुनः निवेदन कर देना चाहता हू इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का अभियान चलाकर के सारी दिक्कतों को मिटाया जा सकता है। साधारण गरीब किसान, चाहे वह सीमांत किसान हो, कोर्ट में इधर उधर धक्के नहीं खाते फिरें। पटवारी, अभी पचोली साहब यह कह रहे थे तेरे को भगवान पटवारी बना दे। हमारे यहां तो यह कहावत है कि ऊपर तो करतार, नीचे किसान और बीच में पटवार। इसलिए दोनों को ले करके पटवारी चलता है। मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार की यदि अड़चन आती है, कहीं कहीं दिक्कत आती है मालदार तो 100 के बदले 200 दे दे तो उसके क्या फर्क पड़ता है लेकिन मैं गरीब हू और मेरे पास 100 रुपये देने को नहीं हैं, खाने के लिए नहीं है तो या तो मैं औरत के गहने बेचूंगा या कपड़े बेचूंगा और उसके बाद जाकर के लगान चुकाऊंगा। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से कर बद्ध निवेदन है कि इन दिक्कतों को मिटाने के लिये विशेष रूप से अभियान चलाया जाय। अभियान के साथ साथ नियम और कानून मे परिवर्तन किया जाय तो आसानी से दिक-

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

कत मिट सकती है। यह मेरा आपसे निवेदन है।

जयहिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हीरालाल आर्य।

**श्री शोभत सिंह** : मेरा दल का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई नहीं बोला है।

**श्री देवीलाल** (शाहपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म्हारो भी नम्बर है।

**श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दल की तरफ भी देखें।

**श्री उपाध्यक्ष** : पार्टी का नेता तो अन्त में बोलता है। श्री हीरालाल।

**श्री देवीलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे तरफ भी ध्यान दो।

**एक माननीय सदस्य** : गरीब किसान की ओर ध्यान दें।

**श्री देवीलाल** : म्हारा नम्बर है या नहीं ? नाम है या नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आयेगा आपका नाम।

**श्री देवीलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों की समस्या है और मैं खुद किसान हूं आज तो मने दे द्यो।

(व्यवधान)

**श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : राजस्थान कृषि प्रधान प्रान्त है और कृषि ही यहां के नागरिकों की जीविका का साधन है। कृषि यहां के नागरिकों की जीविका का मुख्य साधन है और भूमि संबंधी मामलों से किसान सीधा-सीधा जुड़ा हुआ है लेकिन मेरी मान्यता है कि किसानों के जो भूमि संबंधी मामले हैं उनको निबटाने में यह सरकार एकदम असफल रही है। आज किसान अपने भूमि संबंधी मामलों को निबटाने के लिये इधर उधर मारा-मारा फिर रहा है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं। यदि वह दफ्तर में अपनी समस्या लेकर जाता है तो उसे कोई सुनता नहीं है। वहां पर भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि किसान संगठित नहीं है और शिक्षित भी नहीं है, शिक्षित नहीं होने की वजह से उसमें अंडरस्टैंडिंग, उसमें समझ और कोई बुद्धि नहीं होने की वजह से सरकार ने उसी के ऊपर और ज्यादा जुल्म ढाया है। कहने के नाम पर ये सरकार अपने समाजवादी होने का ढिंढोरा पीटती है और जिसके पास अधिक सम्पत्ति है उससे उसको लेकर गरीबों में बांटने का ढोंग रचती है इस सरकार में इतना दम तो है नहीं कि बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े-बड़े उद्योग धन्धे वालों की सम्पत्ति को छीने। सीधा सादा गांव में रहने वाला किसान, जो संगठित नहीं है, की ही सम्पत्ति को छीनने का सरकार ने तय किया है। मैं समझता हूं कि किसानों के साथ सीलिंग के नाम पर खास करके हमारे हड़ौती क्षेत्र में सीलिंग के नाम पर किसानों के साथ सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हाड़ौती क्षेत्र में जो प्रति यूनिट स्टैंडर्ड एकड़ तय की गयी है राजस्थान में गंगानगर जैसे दूसरे जिलों की बनिस्बत हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। वह भी बाद में नये और पुराने कानूनों के नाम पर और बाद

(श्री हीरालाल आर्य)

में उसके उसको शोषण करने के नाम पर हमारे हाड़ौती क्षेत्र के किसानों की दम ही निकाल दी है और आज सैंकड़ों किसान अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। वकील अपनी जेब भर रहे हैं और किसान परेशान हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि किसानों की सीलिंग के नाम पर जो सम्पति छीनी है उससे किसानों का जो....

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री बी. डी कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांगें पारित हो तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की राय से सदन का समय आज की मांग परित होने तक बढ़ाया जाता है।

### मांग संख्या 8 पर विचार

**श्री हीरालाल आर्य** : किसानों के पुत्र जो कल तक नाबालिग थे आज बालिग हुए हैं, आज जवान हुए हैं लेकिन उनकी सम्पत्ति छिन गयी है गांव में खेती के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है उनके सामने बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गयी है, बेरोजगार होकर आज उनको रोटी के लिये मोहताज होना पड़ रहा है और गांव छोड़कर उनको शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। इससे एक तरफ तो किसानों के बच्चे बेरोजगार हुए हैं वहीं दूसरी तरफ रोजगार की तलाश में शहरों को पलायन कर रहे हैं तो शहरों में कई प्रकार की समस्यायें वे लोग पैदा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन किसानों से सीलिंग के नाम पर जमीन छीनी है, अवाप्त की है उन किसानों को यदि मुआवजा दे दिया जाता है तो उसके नौजवान बच्चे उस पैसे से कोई भी धन्धा कर सकते हैं। एक तरफ तो सरकार इस बात का ढोंग रचती है कि इस जमीन को लेकर हम गरीबों में बांट रहे हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह जमीन गरीबों में नहीं बाटी जा रही है क्योंकि अक्सर ये मामले कहीं न कहीं अदालतों में जाकर अटके पड़े हैं और विवादास्पद जमीन सीलिंग के नाम पर किसानों को अलाट की जा रही है वह खासतौर से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के भूमिहीन लोगों को उनको आज तक भी कब्जे नहीं मिले हैं। कब्जा प्राप्त करने के लिये एक तरफ छोटे और अनुसूचित जाति के लोग तहसील और थानों के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारा फलां अलाटमेंट हुआ है हमें अभी तक कब्जे नहीं मिले है हमें कब्जा दिलाया जाये दूसरी तरफ चूंकि उनको पैसा नहीं मिला है इसलिये वे किसान परेशान हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अलाटमेंट के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें पहले देखा जाय कि जो जमीन अलाट की जा रही है वह विवादास्पद है या नहीं? मेरे इलाके के कई किसान, सैंकड़ों किसान इससे परेशान है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा दौलतपुरा गांव के बैरवा अनुसूचित जाति के लोगों को जमीन अलाटमेंट हुई थी लेकिन आज तक उनको कब्जा नहीं मिला है और वे परेशान हैं इसी तरह के कई मामले हैं। अमानी गांव के बैरवाओं के मामले हैं,

(श्री हीरालाल आर्य)

हतौली के मामले हैं उनको अभी तक कब्जा नहीं मिलने की वजह से वे लोग परेशान हो रहे हैं मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अलाटमेंट के जो कार्यक्रम बनते हैं उसमें जो जमीन अलाट की जानी है, जिसकी इन्फार्मेशन जारी हुई वह एलाटमेंट कमेटी के पास पहले से ही भेज दी जाय तो अलाटमेंट कमेटी के सदस्यों को यह पता पड़ जाय कि कौन कौन सी जमीन है जिसका अलाटमेंट किया जाना है। हमारे यहां पर एक ही दिन में तीन तीन चार चार स्थानों पर पंचायतों में अलाटमेंट कार्यक्रम रखे जाते हैं तो सरकारी अधिकारियों के पास साधन होते हैं वे तो पहुंच जाते हैं लेकिन अलाटमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं उनके सामने बड़ी दिक्कत होती है। वे एक स्थान के अलावा दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं। कई कई बार अधिकारी खुद भी तीन-तीन, चार-चार स्थान पर अलाटमेंट कार्यक्रम रखते हैं वहां पहुंच नहीं पाते। किसान इकठ्ठा होते हैं और उनको निराश होकर वापिस लौटना पड़ता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि अलाटमेंट का जो कार्यक्रम हो, उसकी अलाटमेंट कमेटी के सदस्यों को पूर्व में सूचना दी जाय, इनको कौनसी जमीन अलाट की जानी है, जिनकी अधिसूचना जारी हुई है उनकी प्रतियां पूर्व में पहुंचायी जांय और एक दिन में केवल एक ही पंचायत पर, एक ही स्थान पर अलाटमेंट कार्यक्रम रखा जाय। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि अलाटमेंट तो कर दिया जाता है उनको कब्जे नहीं मिलते है। तो अलाटमेंट कार्यक्रम के बाद एक इस तरह का कार्यक्रम बनाया जाय जिसमे यह देखें कि जिन लोगों को जमीन अलाट हुई है उन लोगों को कब्जा मिला भी है कि नहीं। यदि इस तरह का प्रोग्राम बना कर रखा जाय तो इस तरह के तथ्य उजागर होंगे कि वास्तव में अलाटमेंट केवल सरकार आंकड़े दिखाने के नाम पर करती है और गरीब लोगों को कब्जे नहीं मिल पाते हैं।

इसी प्रकार से मेरे इलाके में पीपल्दा क्षेत्र में खास तौर से जिन किसानों के सीलिंग के मामले, केसेज चल रहे है उन किसानों को वहां का तहसीलदार नाजायज रूप से नोटिस देकर परेशान कर रहा हैं कि बताइये कहां केसेज चल रहे हैं, कब तक का स्टे है कहां है, कब वेकेट होने वाला है, कब फाइनल होने वाला है? इस प्रकार से नोटिस देकर उनको तहसील में बुलाया जा रहा है, परेशान किया रहा है। उनसे अनापशनाप पैसों की मांग भी जाती है। मैं चाहता हू कि किसानों को इस प्रकार से नाजायज रूप से नोटिस देकर परेशान न किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मेरे क्षेत्र में मांगरोल कस्बा, शहरी क्षेत्र में है। सरकार का एक नियम था कि शहरी क्षेत्र में जहां आबादी 15 हजार है उसमें 12 किलोमीटर दूर तक जो शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते है उनको डबल रेट पर और दूसरे लोगों को चौगुने रेट पर जमीन अलाट की जाएगी। बाद में हमारे द्वारा इस बात की मांग करने पर इस सीमा को घटाकर 12 किलोमीटर की बजाय 8 किलोमीटर कर दिया लेकिन आबादी जो 15 हजार की थी उसको बढ़ाकर 20-25 हजार कर दिया इस आबादी में क्योंकि हमारा मांगरोल कस्बा नहीं आता है, उस सर्टेन पीरियड में वहां के शिड्यूल्ड

(श्री हीरालाल आर्य)

कास्ट के लोगों को जमीन का अलाटमेंट हो चुका है वे दुगुनी रेट चुका नहीं पाते इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा जो वास्तविक रेट है उसी के आधार पर उनसे रेट वसूल की जाय।

धारा 91 एक इस तरह की धारा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसके नाम पर किसानों पर सबसे अधिक जुल्म ढाया जा रहा है। मेरे इलाके में बालूपुरा, ककरादा, नियामा, अटवी पंचायत आती है और इधर नारायणपुरा, जो कि रनोदिया पंचायत का गांव है, उसमें सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिनके पास 20-20, 15-15 साल से और कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने होश संभाला है तब से उस जमीन पर कब्जा है लेकिन उनका अभी भी नियमन नहीं किया गया है। अब वे जमीन क्योंकि नदियों के किनारे हैं, नदियों के किनारे होने की वजह से उनका नियमन तो किया नहीं, कुछ लोगों का नियमन भी है तो वह चला गया वन विभाग के कर्मचारी उनको परेशान कर रहे हैं क्योंकि वह असिंचित क्षेत्र है। उनके पास जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है, वर्षों से खेती करते आ रहे हैं इसलिये उस जमीन का उनके नाम से नियमन किया जाय। उनको जो खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको वहां से खदेड़ा न जाय। तथा जिन किसानों के मकान आदि वर्षों से बने हैं उन्हें नियमित किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अभी जो सरकार ने लगान वृद्धि की है, एक तो किसान पहले ही जो लगान था उसको चुकाने में असमर्थ था अब जो 95-96 पैसा लगान में बढ़ाया है, वह भी छः साल का एक साथ वसूल किया जा रहा है और वह भी ब्याज मिलाकर यह इतनी भारी रकम हो जाती है, उपाध्यक्ष महोदय, कि किसान इस लगान को चुका नहीं सकता। अतः आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसान से भारी लगान जो एक साथ वसूल किया जा रहा है ब्याज लगाकर, इसको कम किया जाय। इस ब्याज की दर से हमारे हाड़ौती का किसान इतना आंदोलित है कि सुल्तानपुर में दस हजार किसानों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया था। मेरे पीपल्दा क्षेत्र में भी आठ तारीख को हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने तय किया है कि जब तक सरकार इस लगान को कम नहीं करती है हम एक भी पैसा सरकार को लगान का देने वाले नहीं हैं।

सैटलमेंट का मेरे इलाके में भी काम हुआ है लेकिन अभी इस वक्त वहां पर्चे बांटने का काम किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पर्चे किसानों के सामने आये तो किसानों को पता पड़ा कि उसमें किसानों को बहुत कम जमीन दी गयी है। मैंने, जहां पर अभी पर्चे बंट रहे हैं, मैं किसानों ने जब देखा कि उनकी जमीन को 3-3, 4-4, 5-5 बीघा कम कर दिया गया है. कई मामले ऐसे हैं जिनमें नाम बदल दिया गया है, इस से वहां पर त्राहि-त्राहि मची हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सैटलमेंट में जो इस प्रकार की अनियमिततायें और भ्रष्टाचार हो रहा है, वह मांग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सैटलमेंट अफसर के वहां भी लोग जाते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार व्याप्त है, पैसे की सीधे-सीधे दफ्तर में बैठकर मांग करते हैं। मैं आपके

(श्री हीरालाल आर्य)

माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि इस तरह से सैटलमेंट में जो अनियमिततायें और भ्रष्टाचार है उसकी निष्पक्ष और ईमानदार अधिकारी से जांच कराई जाय। वहां जो अनियमिततायें हैं उनको समाप्त किया जाय।

मेरे इलाके में नहरें, ड्रेनें और कैचमेंट का काम हुआ था। इसमें किसानों की बहुत सारी जमीन अवाप्त की गयी है लेकिन उस जमीन को खाते में से निकाला नहीं है। अभी तक उस किसान से सैंकड़ों बीघा का लगान वसूल किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो जमीन नहरे, ड्रेन और कैचमेंट के काम के लिए अवाप्त की गयी है किसान के खाते में से उस जमीन को मायनस किया जाय और वास्तव में उनके पास जो जमीन बची है उसी का लगान किसान से वसूल किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

**श्री हीरालाल आर्य** : नायब तहसील इन्द्रगढ़, जो पहले कोटा जिले में थी, को अब बून्दी में मिला दिया गया है। जब बून्दी में मिलाने लगे तब तत्कालीन वित्ति मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि नायब तहसील को पूरी तहसील कर देंगे। तत्कालीन वित्त मन्त्री पर तो कई आरोप थे उनका तो पत्ता साफ हो गया पर हमारी नायब तहसील के किसान अब भी परेशान हैं। उनको न्याय प्राप्त करने के लिए दूर से तहसील हैडक्वार्टर आना पड़ता है। पिछली बार मांग की थी तब कहा था आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर विचार करेंगे। आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गयी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस इलाके के लोगों को जो आश्वासन दिया गया था उसको सरकार पूरा करे। वहां उनको खुश करने के नाम पर जो एडिशनल तहसील बना दी है उसको पूरी तहसील बनाया जाय। नायब तहसील में जमीन के अलाटमेंट के वक्त आड़ी-टेढ़ी कार्यवाही हुई। वहां पर नम्बर बदलने के लिए किसानों ने निवेदन किया था और सरकार ने इस तरह का आदेश दिया था कि नायब तहसील इन्द्रगढ़ और बाबई पंचायत के किसानों का जो नम्बर बदलने का काम है वह पूरा कर दिया जाय लेकिन अभी तक नम्बर बदलने का काम नहीं किया है। नबम्बर नहीं बदले जाने से किसान को नाजायज रूप से परेशान किया जा रहा है। उनके ऊपर 91 के केसेज चलाये जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी बाबई पंचायत के गाव में जब 1975 में जमीन अलाट हुई थी तो वहां अनकमाण्ड जमीन होने से किसानों से कोई राशि वसूल नहीं की गयी थी लेकिन अब 200 रुपये पर बीघा के वसूली के नोटिस मिल रहे हैं। वह कहते हैं कि नायब तहसील को कमाण्ड एरिया घोषित कर दिया है। वहां पर दूर दूर तक कहीं नहर नजर आती नहीं। नोटिस मिले हैं कि 200–200 रुपये पर बीघा जमा कराओ, जिससे पूरी पंचायत में त्राहि त्राहि मची हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बाबई पंचायत, जिसमें सिंचाई साधन दूर दूर तक भी नजर नहीं आते हैं, की जमीन के वहां के गरीब किसानों को सिंचित क्षेत्र मानकर नोटिस दिये जा रहे हैं, उन से पैसा वसूली की कार्यवाही की जा

(श्री हीरालाल आर्य)

रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि यह कार्यवाही समाप्त की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

हमारा पीपल्दा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से सब तरफ नदियों से घिरा हुआ है। हमारे यहां का एस डी. ग्रो. हैडक्वाटर कोटा में लगता है। हमारे यहां पर, जैसा मैंने निवेदन किया कि सीलिंग से सम्बन्धित और दूसरे भी राजस्व के कई मामले हैं। सैंकड़ों मामले हैं, उनको निपटाने के लिए किसानों को सीधे सीधे कोटा आना पड़ता है जो बहुत दूर है। बारिश के दिनों में नदियों के भरे होने की वजह से किसान आ नहीं सकता। मैंने इस समस्या को दूर करने के लिए इटावा में ही सहायक जिलाधीश कार्यालय खोले जाने की मांग की थी। उस वक्त के जिलाधीश महोदय ने इस मांग को वाजिब बताकर रिकमण्ड किया था राज्य सरकार को कि निश्चित रूप से इटावा में यहां की भौगोलिक परिस्थिति और केसेज की संख्या को देखते हुए सहायक जिलाधीश कार्यालय का खोला जाना उचित है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वहां पर शीघ्र ही सहायक जिलाधीश कार्यालय स्थापित किया जाय। पिछले दिनों कुछ तहसीलों को सहायक जिलाधीश कार्यालय में परिवर्तित किया गया है। वहां पर सहायक जिलाधीश कार्यालय नहीं खोलने से हमारे क्षेत्र में बड़ा असन्तोष है। मैं मांग करूंगा कि इटावा में सहायक जिलाधीश का कार्यालय खोला जाय।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रघुनाथ परिहार। आप बोलिए, माननीय सदस्य।

**श्री देवीलाल** (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों की समस्या है, रेवेन्यू का मामला चल रहा है, किसानों की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, खेती करने वाला छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो, किसी भी जाति का हो हर किसान की समस्या है वह उस खेती करने वाले के ऊपर ही है। किसानों की समस्या-अलाटमेंट और नाजायज कब्जों की आज जो चर्चा चल रही है उसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय यह मेरा निवेदन है

(4.58 म.प)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन).

कि काश्तकार की अलाटमैंण्ट की जो जमीन है उसके बारे में एस. डी. एम. साहब, तहसीलदार साहब, विधायक, प्रधान जी और सरपंच – यह सब मिलकर पंचायत मुख्यालय पर अलाटमैण्ट की मीटिंग करते हैं। अलाटमैण्ट की उस मीटिंग में किसान का कोई नाजायज कब्जा है तो उस नाजायज कब्जे के बारे में तो पटवारी ही जानता है। न तो जिला सरपंच जानता, न एम. एल. ए. जानता, न प्रधान जी जानते हैं और न तहसीलदार जानता। वह नम्बर नाजायज कब्जे का तो पटवरी ही जानता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, उस नम्बर के बारे में जब काश्तकार फार्म भरता है तो अलाटमैण्ट का नम्बर मांगता है कमेटी में। पटवारी साहब कहता है कि जमीन का कब्जा तो है 1223 और पटवारी नम्बर दे देता है 1224 का कि तुम्हारी जमीन 1224 में है। जमीन का नम्बर तो है दो

(श्री देवीलाल)

बटा दो और पटवारी नम्बर दे देता है दो बटा तीन । जमीन का नम्बर है 1646 और पटवारी नम्बर दे देता है 1647। जब इस के अन्दर कमेटी जमीन अलाटमैण्ट करती है तो उसका जमीन नम्बर तो अलग और उसका अलाटमैण्ट दूसरे नम्बर पर हो जाता है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, अलाटमैण्ट जो कमेटी कर देती है उसमें एक का फर्क है। पटवारी फिर उसको नाजायज बता देता है । तो, उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकारों की यह समस्या बड़ी भारी है अलाटमैण्ट गलत होने से गलत आदमी की फसल कुर्क हो जाती है और उसका जुर्माना और पैनल्टी भी आती है। इसके बारे में मैं सबको यह निवेदन करना चाहता हूं कि पटवारी गलत रिपोर्ट देकर जो गलत नम्बर बताता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और कलक्टर साहब के होना चाहिए वह कमेटी को धोखा देता है, काश्तकार को धोखा देता है तो एक ही पटवारी सब जनों को धोखा दे देता है और उसके बाद शेर हो जाता है। जो पटवारी गलत सलत नम्बर दे उस बारे में पटवारी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और पटवारी पर जुर्माना होना चाहिए । काश्तकार दुःखी हुवे, काश्तकारों को धोखा देवे, कमेटी को धोखा देवे उस पटवारी के खिलाफ कार्यवाही की जाये, उस बारे में पटवारी के ऊपर एक्शन होना चाहिये।

सभापति महोदय, जो काश्तकार है और नाजायज कब्जा कर रख्या है, तो नाजायज कब्जा में असी बात है, हुकुम, जो आदमी अगर सत्ताधारी होवे शक्तिमान आदमी होवे वह तो कब्जा नाजायज जमीन कर करके असी जमीन अलॉट करवा लेवे है और जिन आदमी को अलाटमेंट हुई है, वह गरीब आदमी को अलाटमेंट हो जावे तो वह सत्ताधारी आदमी हासिल कर लेवे है और ऊ बेचारा ने जमीन हासिल न होवे। ई के ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिये। जिन को अलाटमेंट हो गिया अर वह आदमी नाजायज कब्जा न छोड़े तो सरकार की तरफ से पुलिस के आदेश सूं वह जमीन छुड़ा कर ऊं गरीब आदमी को कब्जा मिलन चाहिये।

सभापति महोदय, एक निवेदन और है जिस आदमी की कमाण्ड एरिया में जमीन है, कमाण्ड एरिया के बारे में मैं निवेदन कर दूं कि हमारे यहां पर अरबड़ बांध है उसके कमाण्ड एरिया में जमीन घोषित कर रखी है। पानी जमीन को मिलता नहीं है और कमाण्ड एरिया घोषित कर रखा है। जिन आदमियों को वह जमीन अलाट होती है उन आदमियों को नजराना देना होता है। कमाण्ड एरिया घोषित है और पानी नहीं मिला उस जमीन को तो उसको कमाण्ड एरिया से निकालना चाहिये ताकि उन आदमियों के नजराना न लगे। नजराने के पैसे बन्द हो जाने चाहिये क्योंकि नजराना नहीं देता है तो उसकी कुर्कियां होती हैं। वह आदमी नजराना चुका नहीं सकता क्योंकि पानी तो मिला नहीं । इसलिये कमाण्ड एरिया में पानी नहीं मिला तो उस जमीन को कमाण्ड एरिया से निकाल देनी चाहिये। 15 हजार बीघा जमीन है उसमें आधे को तो पानी मिलता है और आधे को नहीं मिलता है लेकिन कमाण्ड एरिया घोषित है, उसको भी कमाण्ड एरिया से निकालना चाहिये।

(श्री देवीलाल)

सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो रजिस्ट्री खातों की करवाते हैं, खाते खुलवाने के लिये जाते है, रजिस्ट्रयों के बारे में कई माननीय सदस्य बोले और विरोधी दल के नेता महोदय ने भी कहा है, रजिस्ट्रीयों के बारे में वास्तव में भ्रष्टाचार होता है। जो रजिस्ट्री हिसाब से खरीद ली, 700 रुपये के स्टाम्प खरीद लिये, तहसीलदार साहब और बाबूजी को उसके भरने के पैसे नहीं देवे तो मियाद पूरी हो जावे, 700 रुपये के स्टाम्प खराब हो जावें। 700 रुपये का स्टाम्प और लाने पड़ते हैं. नहीं तो पैसा पहले देना पड़े। एक ही रजिस्ट्री में 2-2 सौ, 4-4 सौ, 5-5 सौ रुपया ले लेते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है, सभापति महोदय, तहसीलदार और बाबू की तनख्वाह और बढ़ा दें लेकिन हमारी रजिस्ट्रीयों पर तो कम से कम ये भार न पड़े। काश्तकारों को कितना पैसा तो लिखाई के लिये देने पड़ते हैं, दूसरी जिससे जमीन ली है उसको पैसे देने पड़ते है और फिर इनको पैसे देने पड़ते हैं और यदि नहीं देवे तो रजिस्ट्री यों ही लटक जावे। इसमें भी बर्बादी हो रही है। इसलिये मेरा यह आपसे निवेदन है कि ऐसे आदेश निकाले जावें कि उसकी मियाद निकल कर तहसीलदार साहब बाबू स्टाम्प कर देवें, जितने के भी स्टाम्प्स है उनमे पैसे लिये जावें। यह कानून में प्रावधान होना चाहिये।

**श्री सभापति** : थोड़ा छोटा करो।

**श्री देवीलाल** : सभापति महोदय, मेरा यह ही निवेदन है कि 15 दिन हो गया....

**श्री सभापति** : झट, झट कह दो।

**श्री देवीलाल** : झट झट कह रहया हूं। सभापति महोदय, जो आदमी खेती करता है फसल खड़ी करता है उसकी देख-रेख करता है और कोई आदमी खड़ी फसल को लाठी देकर भेड़ देवें और बुवाई मांगों तो बुवाई तो कांकर में मिलें न कोनि और जो कोई आदमी बुवाई देवे है वह आदमी हर न देवे, है, न देवे तो मार पीट करे है। इसके बारे में एक निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कानून में सुधार करना चाहिये किसान के धन है वह तो खेत और बाड़ी है, घर में तो कुछ नहीं, छोटा-मोटा समान थाली-गाबड़ा धन तो हमारे सब खेत ही है। इसलिये सभापति महोदय, कानून में यह सुधार होना चाहिये कि जो आदमी अगर किसी के खेत में घुस कर फसल को भेड़े, जिस प्रकार से घर में घुसकर डकैती करने का मुकदमा लगता है वही मुकदमा खड़ी फसल को भेड़ने भेड़ने वाले पर लगना चाहिये।

**श्री सभापति** : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य घणो हो गियो।

**श्री देवीलाल** : एक निवेदन और है, सत्ता पक्ष और विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज ही मौका मिला है क्योंकि यह महकमा खेती करने वालों का और काश्तकारों का है....

**श्री सभापति** : आच्छा बोल्या। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप।

**श्री देवीलाल** : इसलिये मुझे बोलने की इजाजत मिलनी चाहिये। सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं

**श्री सभापति** : एक बात और कहदो बस।

**श्री देवीलाल** : किसानों पर जो मुकदमें चल रहे है, चाहे थाने के मुकदमें हों, चाहे तहसील के मुकद्में हों या पंचायत के मुकद्में हों, यह मुकद्में चाहे कहीं जमीन अलाटमेन्ट के हों या और कुछ के हों लेकिन इनके सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही हो। किसी को 10 साल हो गये, किसी को 15 साल हो गये। इसके बारे में एक ही निवेदन है कि इनके लिये चलती फिरती कोर्ट लागू करनी चाहिये। एक ही अधिकारी बनाया जाय, एक ही अधिकारी भेज दें, तहसील का मामला हो तो तहसीलदार साहब, थाने का मामला हो तो डी. एस. पी. और थानेदार ये सब हर पंचायत में जाकर फैसला करें ताकि काश्तकारों के दुख: मिट जायं। यदि जनरल के लिये नहीं कर सकें तो हमारे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये तो इस प्रकार की व्यवस्था जरूर होनी चाहिये। उनके लिये कर ही दें।

**श्री सभापति** : घणो हो गियो।

**श्री देवीलाल** : एक निवेदन और कर दूं, कृषि विभाग की जमीन जो काश्तकारों के नाम अलाट हो गई 15 साल हो गये, उनके खाते खुल गये, पट्टे दे दिये गये अब 15 साल बाद में नोटिस दिये गये हैं, कृषि विभाग उनके ऊपर कार्यवाही कर रहा है। इस सम्बन्ध में आदमी मेरे पास आये, मैं रेंजर साहब के पास गया, तो रेंजर साहब ने कहा कि डी. एफ. श्रो. साहब भीलवाड़ा जायेंगे। यह तो पुरानी बात है। इसलिये मेरा निवेदन है कि 15 वर्ष हो गये अलाटमेन्ट की जमीन है, खाते खुल गये और पट्टे हो गये उस जमीन को कृषि विभाग नोटिस नहीं दे।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि तहसीलदार साहब, एस डी ओ. साहब, पूरा कमेटी ने उनको जमीन अलाट की 15 वर्ष पहले और अब उन आदमियों को पेशियों पर बार-बार बुला रहे हैं। वह गरीब आदमी हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी हैं। उनको तंग कर रहे हैं। इसलिए अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि रेवेन्यू विभाग वाले इसकी जांच करें। 15 वर्ष पहले अलाट की हुई जमीन उन्हीं की रहनी चाहिये और उनकी पेशियां बन्द होनी चाहिये

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य अब घणो, काफी बोल गिया।

**श्री देवीलाल** : एक निवेदन और, आखिरी बात कह दूं कि सभी लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत है।

**श्री सभापति** : हां, आखिरी कह दो।

**श्री देवीलाल** : सभी लोग भ्रष्टाचार करते हैं परन्तु कई आदमी ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करते। वह आदमी दुखी है। जो आदमी लूट-खसोट करे वह बहुत सुखी है। सारे महकमों में और सभी पोस्टों पर थाना हो, रेवेन्यू हो, पंचायत हो पूरे स्टाफ के पास वह आदमी बैठ जाय तो ऐसा लगता है कि बाहर का आदमी आ गया। दूसरा निवेदन है कि सबसे ज्यादा काम वह करे और तबादला होगा तो उसी का होगा। टाइम पर भी वह आवे, चार्ज शीट देंगे तो उसी को देंगे और जो पैसे लूटे उन्हीं का प्रमोशन होगा। मैं खुद जानता हूं, पांच साल का अनुभव है मुझे, सभापति महोदय,

(श्री देवीलाल)

सही आदमी घरवालों से भी दुखी है और अधिकारियों से भी दुखी। घरवाली भी कहे कि पहले के मामान के पैसे भी बाकी हैं, तनख्वाह का पूरा पैसा नहीं दिया और जो नोट लाकर देवे उनमें लुगाई भी खुश। इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिये। मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार तो बुरी चीज को कहते हैं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, समाप्त करो।

**श्री देवीलाल** : मैं निवेदन करूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिये। यह मेरी बात कहकर समाप्त करता हूं।

आपने टाइम दिया, धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री दिग्विजय सिंह।

(व्यवधान)

एक हां पक्ष का, एक ना पक्ष का।

**श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : सभापति महोदय राजस्व की मांग के ऊपर सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखते हुए इस बात के लिए कहा कि इस विभाग में सब माध्यम से भ्रष्टाचार है कानून के अन्दर जो टिनेन्सी एक्ट है उसमें भी कई खामियां हैं। आज हमें पहले इस बात के लिए भी सोचना होगा कि यह भू राजस्व जो लगा हुआ है, जिसे कि हम बिगोडी कहते हैं, क्या इस सिस्टम को अभी तक कायम रखना उपयुक्त रहेगा। यह जो सिस्टम था, सभापति महोदय, इसका प्रचलन क्यों हुआ ? आज से अगर आप बहुत पहले देखें तो मुगल जमाने से लागू हुआ टोडरमल सिस्टम यहां लागू किया। आज भी उस टोडरमल सिस्टम के आधार पर, यह भू राजस्व का सिस्टम चल रहा है। उसी के आधार पर वहां पैटर्न है हमारा पुराना। एक तरफ तो पुराने रूढ़िवाद को समाप्त करने की बात करते हैं इसकी तरफ अभी भी हम उस रूढ़िवाद पर चलना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आखिर में इसको इम्पोज करने के पीछे उद्देश्य क्या था। उस वक्त जब ब्रिटिश शासन था, जो उन्होंने इसको कण्टीन्यू रखा उसका उद्देश्य एक ही था कि यह फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल जो वे उस वक्त, जिसे सामन्तशाह कहते थे, सामन्तशाहों के लिए एक सबसे अच्छा, सस्ता और सीधा माध्यम पैसा इकट्ठा करने का था। उस समय कोई इस प्रकार का सिस्टम या बिजनेस, जो कहा जाय, ऐसा नहीं था जिससे उनको आमदनी प्राप्त हो सके। एक तरफ तो उस सिस्टम के माध्यम से इन फ्यूडल को पैसा मिलता था इसलिये यह फ्यूडल सिस्टम कन्टीन्यू रहा। इसको ब्रिटिशर्स ने भी कायम रखा। कायम रख करके एक एजेन्सी इन्होंने इस प्रकार की बनाई, टिनेन्सी एक्ट बनाया और कलक्टोरेट कायम किये, कलक्टर के पद बनाये और बोर्ड आफ रेवेन्यू बनाया। सारी प्रक्रिया जो टिनेन्सी एक्ट के तहत लागू करनी थी वह कायम कर दी।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा और माननीय सदस्य से भी निवेदन करूंगा कि यदि यह सिस्टम इतना फुल प्रूफ है, यह सिस्टम इतना अच्छा है तो ब्रिटिशर्स ने अपने खुद की कन्ट्री में इंग्लैण्ड में क्यों नहीं लागू रखा ? आज इंग्लैण्ड के अन्दर कोई रेवेन्यू सिस्टम

(श्री दिग्विजयसिंह)

नहीं है। वहां भू राजस्व जैसी कोई चीज नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में नहीं है। यह सिस्टम अगर है तो हमारे यहां पर लागू है। कहने का अभिप्राय यह है फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है वहां पर जो भी राजस्व है वह इस प्रकार से नहीं है, कि जमीन की बिगोड़ी ली जाय। वहां पैदावार के ऊपर है, अगर आप कामर्शियल क्रॉप पैदा करते हैं तो उसके ऊपर उसके टर्न ओवर के ऊपर सरटेन पर्सेन्टेज वहां का जो डिपार्टमेंट है वह वसूल कर लेता है पर भू-राजस्व जैसी चीज उन दोनों कन्ट्रीज में नहीं है। तो सभापति महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन कि यह सिस्टम अब बिल्कुल आउट डेटेड सिस्टम हो गया और इतना आउट डेटेड हो गया कि आप अगर हमारी इन्कम और एक्सपेण्डीचर को देखें तो आज इससे जितनी हमको इन्कम आती है करीब-करीब उतना ही हम इसके ऊपर एक्सपेण्डीचर कर देते हैं। इससे करीब 9 करोड़ रुपये की हमें आमदनी है और एक्सपेण्डीचर साइड अगर देखें तो हम लोग उसी के आस-पास पहुंचते हैं। दूसरी साइड को अगर हम सम्मिलित कर सकें तो हम उससे भी करीब हो जाते हैं। करीब हमारा 18 करोड़ एक्सपेण्डीचर हो जाता है। अब मेरी समझ में नहीं आता, सभापति महोदय, हमारी इससे इन्कम, भू-राजस्व से इन्कम 9 करोड़ और इसके ऊपर खर्चा हमारा दुगुना, तो क्या तुक है कि हम इसको लागू रखें। इसलिए मेरा तो सुझाव है और मैं राज्य सरकार से इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि इस सारे सिस्टम और इस सारे प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से विचार करें कि इस रेवेन्यू जो लागू कर रखी है, से जो हमारी आमदनी होती है क्या इसको लागू रखना, कायम रखना उचित है कि नहीं जब कि हम इसकी वसूली करें 9 करोड़ और खर्च करें अधिक। तो मेरा सुझाव है इस रेवेन्यू सिस्टम, इस बिगोडी सिस्टम, जो लगा हुआ है, को तुरन्त अबोलिश करें। इसको समाप्त करके इतने सारे जो झंझट उत्पन्न हो जाते हैं उससे भी हम बचेंगे और इसके साथ अपनी आमदनी और बढ़ानी है तो आप सैल्स टेक्स के ऊपर तीन पर्सेन्ट से लेकर पांच पर्सेन्ट और बढ़ा दें तो इससे जो घाटा होगा उसकी भी पूर्ति हो जायगी। इधर जो रेवेन्यू वाला डिफेक्ट है और इससे जो खास आपकी आमदनी नहीं होती इसको कायम रखने का मैं नहीं समझता कि कोई औचित्य है। इसके ऊपर गम्भीरता से राज्य सरकार सोचेगी। मैं तो सुझाव दूंगा कि अभी राजस्व मन्त्रीजी ने एक गोष्ठी बुलाई थी, इसके ऊपर भी एक गोष्ठी का आयोजन करें और जो इस सम्बन्ध में ज्ञान रखते हों उनके भी विचार सुनें कि आज के सन्दर्भ में जो रेवेन्यू, लेवी रख रखी है उसको कायम रखना उचित है कि नहीं।

इसके साथ-साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। आज सारा इसका जो अमला है, आपके करीब 1200 पटवारी, 1500 गिरदावर, 300 नायब तहसीलदार और 300 ही तहसीलदार, एस. डी. ओ., कलेक्टर, ए.सी.एम. वगैरह को हम सामान्य प्रशासन में ले जायं इधर से हटा करके डाइरेक्टर अगर रेवेन्यू का अमला देखें तो यह भी अपने पास में लम्बी-चौड़ी फौज, है। तो इस प्रकार का हमारा सारा जो ढांचा है इस सारे को भी आपको दुबारा देखना होगा। इसके साथ-साथ इसको भी देखें कि किस प्रकार इस सिस्टम को हम फुल प्रूफ करके

(श्री दिग्विजयसिंह)

चलें ताकि हमारे सामने आये दिन जो दिक्कत, जो परेशानियां काश्तकारों को अनुभव करनी पड़ती हैं वह हम कैसे दूर करें।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज से, यह मैंने जो सुझाव दिया है, लैण्ड रेवेन्यू को अबालिश किया जाय। सभापति महोदय, अब प्रश्न यह आ सकता है कि अब जो लैण्ड रेवेन्यू के केसेज हैं उनका डिसीजन लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत या टिनेन्सी एक्ट के तहत कौन करेगा? इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि रेवेन्यू एक्ट उसकी जगह पर काम कर सकता है। आप उसे कायम रख सकते हैं। जिस प्रकार सिविल के मुकदमें प्रापर्टी राइट के लिये होते हैं उसी के तहत काश्तकारों के केसेज के राइट सम्बन्धी फैसला यह रेवेन्यू कोर्ट्स कर सकते हैं। आज, सभापति महोदय, आप देखेंगे कि प्रोविजन कर दिया टिनेन्सी एक्ट और दूसरे एक्ट में लीव टू अपील का जो राइट है उसमें इतनी ज्यादा परेशानी है कि काश्तकारों के केसेज का फैसला होता ही नहीं है। लोअर कोर्ट की अपील फर्स्ट अपील, सैकण्ड अपील, और थर्ड अपील और फिर बाद में यह अपील रेवेन्यू बोर्ड तक जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया अपील की है हमारे यहां पर कि इसको कम करने की जरूरत है। इसको किस प्रकार से रिड्यूस किया जावे जिससे कि काश्तकार को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और काश्तकार कोर्ट से मुक्त हो सके। ऐसी व्यवस्था कानून में आप करायेंगे तो काश्तकार को अधिक लाभ मिलेगा।

आज, सभापति महोदय, रेवेन्यू बोर्ड में पेण्डिंग मुकदमों की संख्या 19 हजार है। 19 हजार मुकदमें रेवेन्यू बोर्ड में पेण्डिंग हैं और करीब 10 हजार मुकदमें मैं मानकर चलता हूं कि एवरी डे कोर्ट में इन्स्टीट्यूट होते हैं और करीब तीन हजार मुकदमें मैच्यार होते हैं। अगर इस सारी प्रक्रिया को देखा जाय तो रेवेन्यू बोर्ड पर बहुत भारी लोड है। 19 हजार मुकदमें हैं जो कि कम होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आज रेवेन्यू बोर्ड की सूची मैंने देखी तो कोई भी सदस्य रेवेन्यू बोर्ड में दो साल से अधिक नहीं रहता है। मैं ऐसा समझता हूं, सभापति महोदय, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जिस अधिकारी को रेवेन्यू बोर्ड में पोस्ट किया जाता है वह अधिकारी यह समझता है कि मेरे लिये तो काला पानी हो गया। आज रेवेन्यू बोर्ड में कोई जाना नहीं चाहता सभापति महोदय, आज जो यह पुस्तिका आपने हमें दी है उसमें लिखा है कि मण्डल का एक अध्यक्ष और दस माननीय सदस्य हैं। जो सूची दी है उसमें आपने 14 सदस्य बताये हैं अब वह 11 हैं या 14 हैं यह अलग बात है, आज की स्थिति में वहां पर 6 सदस्य तो हैं नहीं 14 में से और आठ सदस्य हैं वह मौजूद हैं अब उसके पास काम इतना है। तो मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है राज्य सरकार द्वारा किसी अधिकारी को जब सीनियर स्केल से सुपर टाइम स्केल दिया जाता है तो रेवेन्यू बोर्ड में नियुक्त किया जाता है अगर किसी अधिकारी को सुपर टाइम स्केल मिलता तो और वह रेवेन्यू बोर्ड जाना पसन्द नहीं करे तो उसके लिये कुछ न कुछ सजा जरूर होनी चाहिये। जब तक इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं रखा जायेगा तो जहां तक मेरी जानकारी है,

(श्री दिग्विजयसिंह)

सभापति महोदय, रेवेन्यू बोर्ड में कोई जाना नहीं चाहता। जैसे आई. ए. एस. आफिसर सेन्टर में आन डेपूटेशन जाना चाहता है, अगर वह किसी कारण से नहीं जाना पसन्द करे तो उसके लिये ऐसी व्यवस्था है कि दो साल तक उसको फिर कोई चान्स वहां जाने को नहीं मिलता है कि वह केन्द्र में जावे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था हमारे राज्य सरकार के नियमों में भी होनी चाहिये जिससे कोई भी अधिकारी अगर रेवेन्यू बोर्ड में जाने से इन्कार करता है तो उसको सुपर टाइम स्केल का प्रमोशन नहीं दिया जाये, सुपर टाइम स्केल नहीं दी जावे। ऐसी प्रक्रिया हमारे यहां भी होनी चाहिये कि जो व्यक्ति जाना पसन्द नहीं करता है तो उसके लिये यह नियम है। आज यह स्थिति है कि रेवेन्यू बोर्ड उनके लिये काला पानी हो गया है। वहां पर कोई अधिकारी जाना पसन्द ही नहीं करता है। अगर उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो वह किसी एम. एल. ए. के माध्यम से या मन्त्री से मिलकर अपना स्थानान्तरण रद्द करवा लेता है और जयपुर में ही रहना चाहता है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में राज्य सरकार को बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये ताकि रेवेन्यू बोर्ड, जो हमारा हाइएस्ट कोर्ट फार रेवेन्यू ला है, रेवेन्यू मेटर्स जहां पर हैं, इस प्रकार जो व्यक्ति जाने में टालमटोल करता है वह नहीं हो। नहीं तो आज आपने संख्या 14 बतायी है या 11 है इसमें भी कम हो जाते हैं तो हमारे केसेज का निपटारा कैसे होगा?

सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि टिनेन्सी एक्ट के बारे में भी मेरा प्रस्ताव है इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य श्री देवीसिंह जो भाटी ने कहा कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में आपने धारा 15 में 15 ए जोड़ दिया है उसके बारे में आपने धारा 15 डबल ए जोड़ दिया और बाद में आपने 15 ट्रिपल ए जोड़ दिया। अब यह मूल रहा है। आज उसके अनुसार काश्तकार, जो रिकार्डेड सब-टिनेन्ट था, को आपने खातेदारी राइट एक्रू कर दिये अब वह ऐसी भूमि बेच सकेगा और खातेदारी राइट मिलने से वह उसका मालिक बन गया। उसके साथ साथ अधिक भूमि, जो उसके पास है, को आपने अलाऊ कर दिया अपने क्षेत्र की सीलिंग लिमिट से ज्यादा वह रख सकता है। सभापति महोदय, यह 15 ट्रिपल ए आपने एड करके जब आपने ऐसे काश्तकार को खातेदारी राइट दे दिये जो कि रिकार्डेड सब टिनेन्ट था, तो मेरे समझ में यह नहीं आता कि जब सेक्शन 19 के अन्तर्गत लाभ मिल सकता है, टिनेन्सी एक्ट का सेक्शन 19 यह कहता है कि जो काश्तकार टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के समय रिकार्डेड सब टिनेन्ट था उसका फ्राम दी एप्लीकेशन आफ दी डेट से आपने सुओ मोटो राइट मान लिया है और तहसीलदार भी खातेदारी राइट उसको दे देता है। तो सभापति महोदय, आप खुद भी परिचित हैं। कानून आप और हम जैसे भूल जाते हैं। तो टिनेन्सी एक्ट 1955 में क्या राइट उसको मिलेंगे जो कि रिकार्डेड सब टिनेन्ट था? खातेदारी राइट एक्रू हो गये वह उसको मिल जाना चाहिये। आज कई हजारों काश्तकार इसको नहीं जानते हैं तो मेरा यह निवेदन है कि टिनेन्सी एक्ट की धारा 19 में जिन को राइट नहीं मिला और जब सीलिंग का कानून लागू हुआ तो

(श्री दिग्विजयसिंह)

ऐसे लैण्ड प्रानर जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन थी सरेन्डर कर दी प्रौर वह लैण्ड उनकी चली गयी इसमें सरकार का कोई दोष नहीं प्रौर उनका ही दोष है। तो ऐसे रिकार्डेड सब टिनेन्ट जिन को खातेदारी राइट नहीं मिला, मेरा यह कहना है, सभापति महोदय, कि जो रिकार्डेड सब टिनेन्ट था उसको प्राप टिनेन्सी एक्ट में संशोधन कर के राइट दें। सभापति महोदय, प्राप जानते हैं सन् 1979 में सेक्शन 19 में संशोधन करके प्रोविजो ऐड कर दिया था उस प्रोविजो के लागू होने से जिन्होंने सरप्लस लैण्ड घोषित करदी थी उसको उसका लाभ नहीं मिला, उसका कोई प्रर्थ ही नहीं रहा तो ऐसे सब टिनेन्ट के लिये जो 1955 में रिकार्डेड सब टिनेन्ट था, सभापति महोदय, सरकार इस सेक्शन को गम्भीरता से देखे। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को ही इससे लाभ है प्रौर ऐसा करके देखें तो प्राप ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हैं कि सन् 1955 के बाद सन् 69 में सीलिंग एक्ट की लिमिट तक, 31-12-72 तक जो रिकार्डेड सब टिनेन्ट था उसको प्राप खातेदारी राइट देंगे तो सरकार को लाभ होगा कि उसको जो मुप्रावजा सरकार को देना पड़ेगा वह नहीं देना पड़ेगा। वह मुप्रावजा सरकार प्रपने पास से थोड़ी ही देती है वह तो गरीब काश्तकार से ही लेती है पर उस की कीमत इतनी है कि उसको काश्तकार बेचारा गरीब दे नहीं सकता है। उसके लिये तो उसकी कीमत देने की छुट्टी मिलेगी प्रौर उसको खातेदारी राइट मिल जायेंगे। इसलिये मैं, सभापति महोदय, प्रापकी मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार को कि कम से कम प्राप ऐसे मामलों को दुबारा देखें। यह जो सेक्शन 19 है इसके लिये जैसा मैंने निवेदन किया प्राप इसमें प्रमेंडमेन्ट करें ताकि काश्तकार को लाभ मिल सके जो कि रिकार्डेड सब टिनेन्ट है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

**श्री दिग्विजय सिंह** : सभापति महोदय, मैं तो पहले ही बहुत संक्षेप में कह रहा हूं प्रब, सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रलाटमेन्ट के लिये प्रापने राइट दिये हैं उस प्रलाटमेन्ट का जो तरीका है वह एक तरीका ही रखा जाय। दस साल के बाद जाकर उनको खातेदारी प्रधिकार मिलते हैं। दस साल तक वह प्रलाटी बिलकुल इनसिक्योर फील करता है। वह सिक्योर्ड नहीं है दो तरीके से, उसको लोन नहीं मिलता, वह उस पर डवलपमेंट कोई नहीं कर सकता। जब तक उसके पास खातेदारी प्रधिकार या डाकूमेंट नहीं हो बैंक वाले लोन नहीं देते, प्रौर कोई भी लोन नहीं देता कोई काम करने के लिए। यह जो दस साल वाला प्रावधान है इसको प्रापको संशोधित करना पड़ेगा। इस प्रवधि को प्राप पांच साल की कर दें। मैं तो यह सुझाव देना चाहूंगा कि पांच साल के करने के साथ-साथ प्राप यह प्रोविजन डाल दें कि यदि वह प्रलाटी प्रापका स्टेंडर्ड रेट का पचास-साठ टाइम जमा कराते हैं तो प्राप उसको फौरन खातेदारी प्रधिकार दे दें। कम से कम वह प्रादमी सिक्योर फील करेगा। प्राप दस साल तक इन्तजार करते हैं; रिकार्ड बना रखा है, पटवारी परेशान करता रहता है। प्रापने कर दी पन्द्रह बीघा बाद में जब रिकार्ड होता है

(श्री दिग्विजय सिंह)

तो पटवारी बता देता है कि पन्द्रह में से तीन बीघा पर जमनालाल का कब्जा हो गया। इस प्रकार की जो स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं उससे भी आपको राहत मिलेगी। इस प्रकार भी आप ध्यान देंगे कि अलाटमेंट का समय दस साल के बाद खातेदारी अधिकार देना है उसको कम करके एक्रूड राइट उसको जल्दी से जल्दी मिले। इस पर ध्यान देंगे तो ज्यादा लाभ होगा।

**श्री सभापति** : संक्षेप में।

**श्री दिग्विजय सिंह** : सभापति महोदय, इसी प्रकार से मन्दिरों की भूमि के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मन्दिरों की भूमि है, सरकार ने और हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिये हैं, ठाकुरजी को परपेक्चुअल माइनर माना है। माइनर इज परपेक्चुअलिटी है। आज उनकी जमीनों को पुजारियों ने अपने नाम इन्द्राज करा लिया है खातेदार बन गये और जमीन बेच डाली। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जब सैटलमेंट आपरेशन चल रहे हैं उस दौरान भी यह चीज सैटलमेंट विभाग के सामने लाई जाती हैं, अमीन के सामने लाई जाती है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पुजारियों के नाम पर पर्चे बना रहे हैं, एन्ट्री कर रहे हैं और खातेदारी अधिकार की तैयारियां कर रहे हैं। इस प्रकार का आपका सक्यूंलर होते हुए भी कोई मान्यता नहीं है इस सबंध में कई दफा विधान सभा में भी सवाल आया है, जहां तक मेरी जानकारी है एक में सरकार ने उत्तर भी दिया और जहां तक मैं समझता हूं सरकार की ओर से एक परिपत्र जारी हुआ कि इस प्रकार की समस्त भूमियों का जल्दी ही कलेक्टर से रिकार्ड मंगाया जा रहा है और कलेक्टर रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर अपील करेंगे ताकि अण्डर दी ला। वापिस लेकर रेस्टोर करके मन्दिरों के नाम लग जाये। मैं मन्त्री महोदया से उत्तर के समय जानना चाहूंगा कि आज दिन तक ऐसी कितनी भूमियां रेस्टोर करवा दीं और जो बिक गई उनके लिए क्या कर रहे हैं।

**श्री सभापति** : थोड़ा संक्षेप में, माननीय सदस्य।

**श्री दिग्विजय सिंह** : इसी सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी प्रापर्टीज का प्रश्न है। आज देवस्थान की प्रापर्टीज राजस्थान में अगर सुचारु रूप से काम में लें और देवस्थान की व्यवस्था ठीक ढंग से चलायें तो देवस्थान विभाग ही राजस्थान का बजट आपको पूरा कर सकता है। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है चल और अचल, पर उसका खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, देवस्थान की जो सम्पत्ति है उसमें किराये पर रह रहे हैं लोग-बाग और उस मकान में किराये पर रहते हुए भी उसकी रजिस्ट्री करवा दी, सम्पत्ति बेच दी, विभाग को कोई ध्यान नहीं। इस प्रकार से जो दुरुपयोग आज देवस्थान की सम्पत्ति का हो रहा है उस पर सरकार ध्यान दे और इस सारी व्यवस्था को आप ठीक करें।

**श्री सभापति** : कृपया संक्षेप में, काफी लम्बा हो गया है।

**श्री दिग्विजय सिंह** : अगर आप टोकेंगे नहीं तो जल्दी खत्म कर दूंगा।

**श्री सभापति** : आपकी अगर यही

(श्री सभापति)

कण्डीशन है तो कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री दिग्विजय सिंह** : यह विषय काफी पुराना है सीलिंग का। मैंने इसके सम्बन्ध में कई रिप्रजेंटेशन दिये। स्वर्गीय प्रधान मन्त्री जब अजमेर आई थीं उस समय मेयो कालेज का फंक्शन था, उस समय मैंने मेमोरेंडम दिया था और निवेदन किया था कि राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर दो सीलिंग कानून लागू है, एक तो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्दर चेप्टर बी में संशोधन करके उसको लागू किया, उसके बाद 1973 का कानून बनाया और उस एक्ट को लागू किया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी में चर्चा हुई। उसके बाद में कांग्रेस के सीएमस की कांफ्रेंस में यह निर्णय हुआ कि सारे प्रदेशों में जो कानून है वह अलग-अलग ढंग से बनाये गये है. इन कानूनों का सब स्टेट्स के अन्दर इम्पलीमेंटेशन हो इसलिए इस प्रकार का कानून बनायें कि वह एक ढांचे में लगे। उसे स्वरूप देने के लिए 1973 में फिर नया एक्ट बनाया गया। उस समय के राजस्व मन्त्री रामचन्द्र चौधरी साहब थे उन्होने स्पष्ट फाइल में नोट किया कि दो नहीं एक कानून लागू रहेगा। लेकिन हमारी नौकरशाही इतनी होशियार है कि जब कानून बनने लगे तब कानून बने दो। सैक्शन 40 हो गया एक्ट 1973 के अन्दर, वह रिपीलिंग क्लाज में रख दिया। सैक्शन-15 के अलावा जैसे जनरल क्लाज 6 के अन्तर्गत उसको प्रोटेक्शन देते हुए रेस्ट आफ दी सीलिंग एक्ट रिपीलिंग करते हैं, रिप्रोपन का क्लाज और रख दिया। इस रिप्रोपन की वजह से।

**श्री शोपत सिंह** : आपके समय में हुआ था।

**श्री दिग्विजय सिंह** : हमारे समय में यह नहीं हुआ, हमारे समय में तो समय बढ़ाया गया था।

**श्री सभापति** : कृपया आपस में बात नहीं करें।

**श्री दिग्विजय सिंह** : उससे इतनी परेशानी हो रही है. मैं जानता हूं राजस्व मन्त्री उत्तर देंगी तो अपने उत्तर में कह देंगी कि अब तो 99 प्रतिशत केस तय हो चुके और रिओपन का कोई मामला नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया को निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सैक्रेटरिएट से 99 प्रतिशत डिस्पोज आफ हो गये। वह आपके यहां से डिसपोज आफ होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पड़े हुए हैं। वहां पर आज हजारों की तादाद में ए.डी.एम. और एस.डी.ओ. के पास पड़े हुए हैं और इसलिए उन पर निर्णय नहीं हो रहा कि वहां लीगल ऐड से आपकी पैरवी करने के लिए कोई आदमी नियुक्त नहीं हुआ। वहां पर जो ट्रांसफरी है और जिसको ट्रांसफर हो गई है दोनों चक्कर खाते हैं। इतनी अस्पष्टता हो गई है इस कानून से, इसलिए कम से कम व्यवस्था इस प्रकार की करें कि जो हो गया वह ठीक है अब हम किस प्रकार से इस मामले को निपटायें इस सम्बन्ध में विचार करें। इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अब यह जो रूल्स के अन्दर सीलिंग कानून के अन्दर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें

(श्री दिग्विजय सिंह)

प्रोटेक्शन मिला हुआ है, रूल्स में प्रोविजन ऐसा करें जो आपकी गाइड लाइन है, जो डेट ग्राफ अपाइन्टमेंट 1.4.66 मानी है इसके पहले के जो ट्रांजेक्शन हैं या इसके पहले जो कब्जा दिला चुके हैं ट्रांसफर कर दिया, जमीन मिल गई, जिसको मिल गई वह जमीन और उसकी अपनी जमीन मिलाकर जो डिस्ट्रिक्ट की सीलिंग सीमा से अधिक नहीं है, रेगुलर कर दें तो आपको भी मुआवजा देने से मुक्ति मिल जायेगी और काश्तकार को भी मुक्ति मिलेगी।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री दिग्विजय सिंह** : एक छोटा-सा निवेदन और करूंगा आपकी आज्ञा से, मेरी खास शिकायत है जो रह गई है।

**श्री सभापति** : हां, शिकायत कह दीजिए।

**श्री दिग्विजय सिंह** : सीलिंग लैंड का अलाटमेंट हुआ मेरे क्षेत्र में 25.5.82 को। मन्त्री महोदया नोटकर लें यह सीलिंग लैंड है और होना चाहिए था आपकी डायरेक्शन के अनुसार अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पहले। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो सीलिंग लैंड का अलाटमेंट हुआ टोटल अलाटीज हैं करीब 84, 84 अलाटीज में से 42 अलाटीज ऐसे हैं जो पेशे से काश्तकार नहीं हैं। या तो कलेक्टरी के बाबू हैं, कोई तहसील के बाबू हैं, कोई एस. डी. ओ. के बाबू हैं, कोई सरपंच के लड़के हैं, कोई सरपंच के जवाई हैं, कोई भूतपूर्व एम. एल. ए. की पदचम्पी करने वाले है। इस प्रकार का जो अलाटमेंट सीलिंग एक्ट के बाद हुआ, सभापति महोदय, लम्बी सूची है आप चाहें तो सदन की मेज पर रख दूं।

**श्री सभापति** : सूची को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, आप रख दीजिए।

**श्री दिग्विजय सिंह** : मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि सूची मैंने पहले दी थी। मैंने स्वयं 1982 में खुद शिकायत की थी और तत्कालीन राजस्व सचिव ने तत्परता से जांच कराई थी, इसमें कोई शक नहीं। वह जांच सितम्बर, 1984 में हुई। जांच पूरी होने के बाद जो तत्कालीन एस.डी.ओ. थे उनके खिलाफ जांच अधिकारी ने सारी बात रखी है पर वह कलेक्टर साहब की अलमारी के अन्दर बन्द है। उसकी आगे सचिवालय में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर उसमें आपने एक्शन क्या लिया और हुआ क्या। तो सभापति महोदय, मैं अधिक नहीं कहते हुए एक निवेदन और करना चाहूंगा....

**श्री सभापति** : बाकी रह गया क्या ?

**श्री दिग्विजय सिंह** : रजिस्ट्री के सम्बन्ध में कमाण्ड एरियाज के अन्दर गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाल रखा है कि कमांड एरिया के अन्दर सब रजिस्टार को राइट नहीं है कि जमीन का कोई ट्रान्जेक्शन है तो वह रजिस्ट्री कर सकता है। अब, सभापति महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि उसकी इजाजत के लिए कलेक्टर के पास जाये। वह काश्तकार कलेक्टर से इजाजत लेकर आये उसके बाद में वह रजिस्ट्री कर सकता है। सभापति महोदय, आप भी काश्तकार के हितैषी हैं। काश्तकार का भला चाहते हैं और जैसा मैं भी आपको सुन रहा था कि काश्तकारों के लिए आपने भी इतनी ओर

(श्री दिग्विजय सिंह)

जोर से पैरवी की तो कम से कम इस बात की तो व्यवस्था करायें कि कमाण्ड एरिया के अन्दर जो प्रतिबन्ध लगा दिया....

श्री सभापति : यह तो नये आवंटियों के लिए है। पुराने आवंटियों के लिए थोड़े ही है।

श्री दिग्विजय सिंह : जहां तक मेरी जानकारी है सरकार की नीयत इतनी सी ही थी कि गंगानगर एरिया में रोक लगे और जो पंजाब वाले हैं उनको जमीन नहीं दें। लेकिन यह सारे राजस्थान के ऊपर रोक कर दी एक साथ कि कमाण्ड एरिया की भूमि होगी वह ट्रान्सफर नहीं कर सकते। तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है। कलेक्टर के पास से इजाजत लेकर आओ और फिर करो।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया हालांकि दो तीन इसमें बातें और हैं मैं माननीय मन्त्री महोदया को बता दूंगा।

श्री सभापति : हां बता दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा जो तहसील हैडक्वार्टर है, अलीगढ़ में है और उनियारा के नाम से जाना जाता है। महरबानी करके इस बजट के अन्दर वहां बिल्डिंग का प्रावधान करा दें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद और टोकाटाकी की उसके लिए तो....

श्री सभापति : That is part of my duty.

श्री रघुनाथ परिहार।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) : सभापति महोदय, मांग संख्या 8 राजस्व पर मुझे चर्चा के लिए जो अनुमति दी गयी है मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये उसके अनुसार निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व कृषि भूमियों पर जो अतिक्रमण का मामला है वह काफी हद तक बहुत बड़ी समस्या है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 14-4-77 को 1-7-75 तक जो अतिक्रमण के मामले थे उनका नियमन करने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की थी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, वर्ष 1984 में लोक सभा के चुनाव हुए और हमारी गांव के छोटे-छोटे किसानों ने केन्द्र की मजबूत सरकार स्थापित करने के लिए बहुत अच्छे मतों से कांग्रेस को जिताया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे टुकड़ों पर जो किसानों ने अतिक्रमण कर रखा है वर्ष 84 तक के ऐसे मामले, ऐसे लोग जिनके पास ऐसी छोटी छोटी जमीनें कब्जे में हैं, जिनके पास भूमिहीन की सीमा से कम भूमि है सारी अतिक्रमण की हुई भूमि 2 बीघा, 4 बीघा 5 बीघा और 7 बीघा तक है ऐसे अतिक्रमणों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार आदेश जारी करे और उन्हें लाभान्वित किया जाये।

साथ ही, निवेदन करना चाहूंगा कि अतिक्रमण के मामलों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 और

(श्री रघुनाथ परिहार)

उसके अन्तर्गत बने उप नियमों के अधीन कार्यवाही की जाती है। कुछ दिनों पूर्व जब आदरणीय राजस्व मन्त्री महोदया ने राजस्व कानूनों में संशोधन के लिए एक सेमीनार, एक गोष्ठी का आयोजन किया तो कई भूमि सुधार कानूनों के बारे में चर्चा की गयी और ऐसा भी बताया गया कि अतिक्रमण के मामलों में अतिक्रमियों के साथ सख्ती से निपटने के लिए जेल भेजने के कानून की भी सख्ती से पालना की जाये। मैं इस मामले में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में ऐसे व्यक्ति जो गावों में बड़े भूमिधारी हैं सरकारी भूमि पर अथवा गोचर भूमि पर भी अतिक्रमण करते रहते हैं और अतिक्रमण के आदी हैं उनसे सख्ती से निपटा जाये और उनके ऊपर भारी पेनल्टी लगाकर उन्हें दण्डित किया जाना आवश्यक है ताकि उनसे भूमि छुड़ाई जाकर ऐसे भूमिहीन किसानों और निर्धन परिवार के लोगों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवन्टित की जा सके।

साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि अतिक्रमणों के मामलों में पटवारी लोग मौके पर जाकर अपना खसरा टीप में इन्द्राज नहीं करते हैं। वह घर बैठे इन्द्राज करते हैं। तो ऐसा भी पाया गया है कि आज से पांच साल पहले किसी व्यक्ति के नाम खसरा परिवर्तन बना, इन्द्राज से तो वही के वही आगे चले आ रहे हैं। उसमें क्षेत्र बढ़ाया है या क्षेत्र कम किया है, अतिक्रमण भूमि को छोड़ा है उसका वास्तव में सही मूल्यांकन नहीं हो पाता और हमारे गिरदावर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी उसी पटवारी की बनाई गई रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार इस समस्या का सही तौर से समाधान नहीं हो पाता।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 133 से 135 और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत जो नामान्तरण सम्बन्धी दाखिल खारिज के नियम बने हुए हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कई माननीय सदस्यों ने नामान्तरण के मामले में सदन में बहुत चर्चा की है। मैं तो एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने नामान्तरण खोलने का अधिकार जो पटवारी को दिया हुआ है वह अधिकार उससे ले लिया जाना चाहिए। शुरू में बहुत बड़ी गलती नामांतरण खोलने के समय होती है। मसलन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक पटवारी चाहे वह भूमि 10 हजार की हो, चाहे 20 हजार की हो, चाहे 15 बीघा हो और चाहे 20 बीघा हो, काश्तकार से तीन रुपये के स्टाम्प पर और एक कच्चे लिखत के आधार पर उसका म्यूटेशन खोल देता है। और एक व्यक्ति मर जाता है उसके 5 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं और 2 पुत्र गांव से बाहर रहते हैं उनका अधिकार भी मारकर वह गलत तौर से सही इन्द्राज नहीं करता है और गलत म्यूटेशन खोल देता है। अदालतों में जो निर्णय होते हैं और डिक्रियां पारित होती हैं उनका भी इन्द्राज सही तौर से नहीं होता है और म्यूटेशन खोल देता है। सन् 57 से नामांतरण के अधिकार ग्राम पंचायत को दिये गये हैं फिर भी पटवारी गिरदावर से तस्दीक कराकर गलत तौर से वह पंचायत की बैठकों में संकल्प द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं कराके केवल सरपंच के घर जाकर उसके हस्ताक्षर करवाकर म्यूटेशन के इन्द्राज खतौनी में कर देते हैं। तो

(श्री रघुनाथ परिहार)

ऐसे गलत इन्द्राजों से, सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि गांवों में बड़े बड़े जघन्य अपराध और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। यहां तक कि गलत म्यूटेशन के आधार पर खाते में जो गलत इन्द्राज होते हैं उसके आधार पर कतल तक हो जाते हैं। खून तक हो जाते हैं। आज फौजदारी मुकदमें जमीन से सम्बन्धित अदालतों के विचाराधीन हैं उनमें आप देखेंगे कि 50 प्रतिशत से अधिक मामले म्यूटेशन से सम्बन्धित होते हैं। म्यूटेशन गलत होते हैं और उसको मान्यता थानेदार, तहसीलदार और बड़े बड़े न्यायिक अधिकारी भी देते हैं। म्यूटेशन का अधिकार कब्जे के आधार पर तय किया जाता है, जबकि वास्तविक कब्जा किसी और के पास होता है। तो यह जो पटवारी का हथियार है मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि म्यूटेशन खोलने का अधिकार गिरदावर और कम से कम नायक तहसीलदार को दिया जाना चाहिए। म्यूटेशन की स्वीकृति की कार्यवाही जब ग्राम पंचायत में होती है उस समय नायक तहसीलदार और गिरदावर वहां उपस्थित हों और म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स में किसी प्रकार की कानून की अवहेलना नहीं हो, ऐसी प्रक्रिया सख्ती से अपनाई जानी चाहिए। क्योंकि ऐसे मामलों में हमारे अधिकारों का हस्तान्तरण होता है और सरकार को वित्तीय मामलों में स्टाम्पों एवं पंजियन पर बड़ी भारी आय होती है। आज रजिस्ट्री के आधार पर ही म्यूटेशन नहीं खोलने से सरकार की आय मारी जाकर सरकार की रेवेन्यू का लिकेज किया जाकर नामांतरण जो गलत तौर पर किये जाते हैं उनको भी हम रोक सकें, ऐसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

मैं साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भू-प्रबन्ध विभाग और राजस्व विभाग में नामान्तरण के मामलों में समन्वय नहीं होता है। मेरे क्षेत्र में बाली तहसील में वर्ष 1975 में भू-प्रबन्ध की कार्यवाही शुरू की गयी और अब तक वह कार्यवाही समाप्त नहीं की गयी है। दस साल हो गए हैं। इस अवधि में राजस्व अभियान में, सन् 81 में सन् 83 में हजारों नामांतरण खोले गए। अब वह नामांतरण खुले हुए बोरियों में भरकर भू-प्रबन्ध विभाग को भेजे गये उन पर आज दिन तक अमल नहीं किया गया। भू-प्रबन्ध विभाग ने मनमाने ढंग से जो चाहा जैसा इन्द्राज किया और वह यों के यों पड़े हैं। नामान्तरण की कार्यवाही जो स्वीकृत की गयी वह फाइलें यों की यों पड़ी हैं और हमारे किसानों को जो पर्चे वितरण किये गये हैं वह पुराने रिकार्ड के आधार पर किये गये हैं। तो इस प्रकार से नामांतरण की कार्यवाही जो राजस्व विभाग करता है। उससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम राहत देना चाहते हैं परन्तु भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारीगण इस प्रकार से हमारे रिकार्ड को अच्छी तरह मैन्टेन नहीं करते हैं न उनको आखिरी तौर पर दाखिल खारिज करके इन्द्राज करके हमें लाभान्वित करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भू-प्रबन्ध विभाग ने इस नामांतरण के मामलों में विशेष तौर से तवज्जोह नहीं दी। एक खसरा नम्बर जिस का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, 100 बीघा जमीन है उसमें से 5-5 बीघा जमीन अगर 20 आदमियों को आवन्टित की गयी तो भू-प्रबन्ध विभाग ने उसे तरमीम नहीं किया। कब्जे के अनुसार रिकार्ड में इन्द्राज नहीं किया और आज यह कहते हैं।

(श्री रघुनाथ परिहार)

मैं तो यह कहना चाहूंगा माननीय मांगीलाल जी आर्य, जो कि पूर्व में मन्त्री मण्डल के सदस्य भी रह चुके हैं, और आज विधायक की हैसियत से सदन में बैठे हैं, के समाज के हरिजन भाइयों को भी दस साल पहले भूमि आवन्टित हुई परन्तु आज तक उनको पर्चा लगान नहीं मिला। केवल इसलिये कि वह भूमि तरमीम नहीं की गयी। भू-प्रबन्ध विभाग कहता है कि तरमीम हम नहीं करेंगे और राजस्व विभाग तरमीम करता नहीं। मेरे क्षेत्र में अगर ऐसे सैकड़ों मामले हो सकते हैं तो राजस्थान में हजारों की संख्या मे ऐसे मामले होंगे। रिकार्ड में इन्द्राज कभी भी न होकर काश्तकारों को इस तरह से सही रिकार्ड उपलब्ध नहीं होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धारा 251 के अन्तर्गत रास्तों एवं सुखा चार के बारे में अधिकार दिये गये हैं वह एगजिस्टिंग राइट्स के बारे में हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने राजस्थान के टिनेन्सी कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई काश्तकार अपने खेत से दूसरे खेत को नाली से पानी पहुंचा सके, सीमेंट की पाइप की नाली से ढाई या तीन फीट नीचे से पानी अपने खेत से दूसरे खेत को पहुंचा सके जब कि गुजरात के टिनेन्सी एक्ट में ऐसा प्रावधान है। इस प्रकार कई ऐसे मामले बनते हैं काश्तकार का एक खेत यहां है और दूसरा खेत चार टुकड़े छोड़ कर है। ऐसा कानून होना चाहिये. टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों में ऐसा संशोधन होना चाहिये कि किसान एक खेत की जमीन को पिलाने के लिये ढाई या तीन फीट नीचे गहरी पाइप लाइन डाल कर दूसरे खेतों को पार कर भी पानी को पहुंचा सके। कई जगह खारा पानी है। मीठा पानी कम उपलब्ध होता है। तो ऐसी असिंचित भूमि है उसको भी सिंचित बना सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे गांवों में मुद्दे ऐसे हैं....

**श्री सभापति** : संक्षेप में कृपया जल्दी करें।

**श्री रघुनाथ परिहार** : सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पीने के कुएं जिनमें एक काश्तकार पीढ़ियों से काश्त करता है व गांव को पानी पिलाता हैं और पूरे गांव की सेवा करता है, पशु वहां पानी पीते थे ऐसे कुओं को पेयजल स्कीम में ले लिया। उन कुओं को सार्वजनिक मान-कर उस काश्तकार को वहां से भगाना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 15-10-55 से जब राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ सरकारी जमीन पर जो लोग काबिज थे उन्हें खातेदार बनाया गया उनको खातेदारी अधिकारी दे दिये, उन जागीरदारी के समय जो लोग काबिज थे मगर ऐसे जो ग्रामीण कुएं चलाते थे उन कुओं भूमियों को गांव वाले या पंचायत वाले जबरदस्ती कब्जा करके उसको भूमिहीन करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उस आदमी को भूमि से वंचित रखना नहीं चाहिये। धारा 16 टिनेन्सी एक्ट और पंचायतों के प्रावधान में....

**श्री हीरालाल आर्य** : सरकार बातों में लग रही है।

**श्री सभापति** : सरकार सदन में मौजूद है। आप कृपया बोलें।

**श्री रघुनाथ परिहार** : ऐसे कुओं की

(श्री रघुनाथ परिहार)

कृषि भूमि, जिनको पीढ़ियों से वे व्यक्ति जोतते रहे हैं, टिनेन्सी एक्ट लागू होने के समय में भी जोतते रहे हैं, का अधिकार उससे छीना नहीं जाना चाहिये। अगर कोई सार्वजनिक कुआ है तो गांव का कुआ रहना चाहिये। उस कुए का अधिकार सार्वजनिक अथवा पंचायत के पास रहना चाहिये, भूमि, जिससे वह कमाई करता आ रहा है, का अधिकार उसको दिया जाना चाहिये।

साथ में निवेदन करना चाहूंगा कई ऐसे हजारों मामले मन्दिर, मस्जिद और देव-स्थान की भूमि के हैं जिनके बारे में केसेज हाई कोर्ट तक लटके हुए हैं। राज्य सरकार ने ऐसा परिपत्र भी जारी किया है कि सन् 1971 तक जो भूमि है चाहे पुजारी हो, चाहे व्यवस्थापक हो, चाहे ट्रस्ट हो उन्होंने किसी व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी हो ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये। ऐसे लोगों से बाजार मूल्य जो जिलाधीश तय करे। लेकर उनके अधि-कारों की सुरक्षा की जानी चाहिये। मान-नीय सभापति महोदय, उस परिपत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि बाजार मूल्य किस समय का लिया जाये, जिस समय कलक्टर तय करे वह या जिस समय वह काबिज हो या हस्तान्तरण हो। किस समय का लिया जाये। मगर ऐसे मामले जिलाधीश स्तर पर अटके हुए पड़े हैं। उन पर निर्णय नहीं लिया जाता इस कारण वे काश्तकार दबते हैं। ऐसे मामलों को सरकारी कार्यक्रम बना कर निपटायें ताकि उनको लाभ मिल सकें।

**श्री सभापति** : समाप्त करें।

**श्री रघुनाथ परिहार** : माननीय सभापतिजी, हर किसान के ऊपर चाहे नगर के पास या किसी गांव के पास कृषि भूमि है भूमि अवाप्ति का कानून एक तेज धार वाली तलवार की तरह लटका हुआ है। हम देखते हैं कि अगर नगर पालिका के किसी सदस्य के दिमाग में यह आये या चेयरमैन के दिमाग में यह अच्छी भूमि किसी काश्तकार की है, बेरा है, उसमें बाग-बगीचा लगा हुआ है उसको परेशान करना है तो उसका खसरा नं. प्रस्तावके राज्य सरकार के पास भेज देंगे और विज्ञप्ति धारा 4 में अवाप्ति एक्ट में जारी हो जायेगी। इसी तरह से कृषि मण्डियों के लिये या आवासन मण्डल के लिये मनमाने ढग से काश्तकार की भूमि, जिस पर वह पीढ़ियों से काबिज है जिसके चले जाने से वह भूमिहीन हो जाता है, के लिये बिना सोचे समझे विज्ञप्ति जारी कराई जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस कानून में संशोधन करने के लिये निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि कई मामलों में व्यक्तिगत विरोध के कारण काश्तकार को परेशान करने की नीयत से अथवा उसको बेरोजगार अथवा भूमिहीन करने की नीयत से विज्ञप्ति जारी की जाती है और वह काश्तकार वर्षों तक हाई कोर्ट में मुकदमों में उलझता है। अगर वास्तव में नगरपालिका को नगर परिषद् को, कृषि मण्डी को अथवा आवासन मण्डल को भूमि की आवश्यकता है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिलाधीश महोदय सम्बन्धित जिले का इस बात का प्रमाण पत्र जारी करें कि जो भूमि नगर पालिका अथवा आवासन मण्डल अथवा कृषि मण्डी प्रस्ता-वित करती है अवाप्ति के लिये उस जमीन के अतिरिक्त कोई भी जमीन नहीं है जो

(श्री रघुनाथ परिहार)

सरकारी पड़त हो, बंजर हो अथवा गैर मुमकिन हो कृषि योग्य न हो। ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं है और जिलाधीश इस बात का सत्यापन करे तभी भूमि अवाप्ति विज्ञप्ति जारी की जाये। आज एक-एक नगरपालिका 10-10 बेरों की विज्ञप्ति जारी कर रही है जब कि उस नगर पालिका की एक कुए का भी मुआवजा देने की आर्थिक स्थिति नहीं है न उनके पास इतने साधन हैं। मैं मेरे क्षेत्र की सादड़ी नगर-पालिका, बाली नगर पालिका और सुमेरपुर नगर पालिका, जो बाली तहसील में आई हुई है, आपसे निवेदन करूंगा कि एक ही प्रस्ताव से 100 बीघा जमीन अवाप्ति करने का निर्णय कर दिया है उससे 10 से 20 काश्तकार लपेट में आ गये। 10 साल हो गये वह मुकदमें अभी तक एस. डी. ओ., लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर तक ही पड़े हुए हैं। हाई कोर्ट में लोग उन नोटिसेस को चेलेन्ज करने के लिये जाते हैं। तो इस प्रकार चूंकि ऐसा लूज कानून है, ढीला कानून है जब तक सख्ती से काम नहीं लेंगे, बढ़ती हुई आबादी के लिये भूमि अवाप्त हो सकती है मगर जब तक हम किसानों को राहत नहीं पहुंचायेंगे, जो अच्छी भूमि है, जहां मीठा पानी है सिंचित भूमि है उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो कृषि भूमियां हम बचा नहीं पायेंगे। हमारे नगरों के पास बड़े गांवों के पास जो छोटे-छोटे उद्योग लगते है। उनसे वायु प्रदूषण भी फैलता है अगर हमारे नगर के पास सिंचित भूमि रहती है तो वायु प्रदूषण भी कम करने में सहायता मिलती है। ऐसा नहीं है....

**श्री सभापति** : शार्ट प्लीज।

**श्री रघुनाथ परिहार** : मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा साथ ही, गोचर की समस्या हमारे बाली नगर में है बाली एक चतुर्थ श्रेणी की नगर-पालिका है जहां जोधपुर दरबार के समय 7 हजार बीघा भूमि उनके स्वयं के खाते में दर्ज रही है। 7 हजार बीघा भूमि में 100 वर्ष से अधिक समय से बाली नगर के मवेशी, जो 10 हजार मवेशी हैं, चराया करते थे। टिनेन्सी एक्ट 55 में लागू हुआ उससे पूर्व वे लोग वहां चराते रहे है मगर नगर पालिका में गोचर भूमि घोषित करने का प्रावधान नहीं है टिनेन्सी एक्ट के नियम 6/7 के अन्तर्गत। केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही गोचर भूमि घोषित करने का कानून है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो पीढ़ियों से गोचर भूमि रही है वह भूमि हमारी गोचर भूमि रखी जाये।

**श्री सभापति** : समाप्त करें।

**श्री रघुनाथ परिहार** : एक मुद्दे का विषय है राज्य सरकार ने सन् 81-82 में अपने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के समय जब अकाल की स्थिति थी राजस्थान भूमि रूपान्तरण के नियम बनाये और सर-कार को करीब साढ़े सत्ताइस करोड़ रुपये की आय हुई। हजारों फाइलें भूमि रूपा-न्तरण पट्टों हेतु जमा करायीं। आज भी एक लाख पत्रावलियां विभिन्न न्यायालयों में पेंडिंग हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने पट्टे प्राप्त करने के लिये अपने पशु, अपने गहने आदि गिरवी रख कर वैसे जमा कराये आज एक लाख पत्रावलियां अटकी हुई हैं। सरकार ने एक आदेश भी जारी किया था कि 50 हजार तक की

(श्री रघुनाथ परिहार)

आबादी के नगर में मास्टर प्लान का नियम लागू नहीं होगा। अब जिन नगरों में नये मास्टर प्लान बनाये जा रहे हैं उन्हें लागू न मान कर लोगों को जल्दी से जल्दी पट्टे जारी करने के आदेश जारी किये जायें। फिर भी एक लाख पत्रावलियां आज पेण्डिंग हैं। सरकार के कानून के अनुसार 80 प्रतिशत राशि जमा हुई है और आज 20 प्रतिशत बकाया है। एक पत्रावली में 100 रुपये भी बाकी मानें तो आज एक करोड़ रुपये की राशि सरकार की उन फाईलों में अटकी हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, फरमेंट कानून के सरलीकरण से भी....

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री रघुनाथ परिहार** : ऐसी पत्रावलियां जल्दी निपटाई जा सकती है।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री रघुनाथ परिहार** : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी वाली तहसील में जवाई प्रोजेक्ट है।

**श्री सभापति** : समाप्त करें। लम्बा समय नहीं है और कई सदस्य बोलने वाले हैं।

**श्री रघुनाथ परिहार** : जवाई प्रोजेक्ट का पानी 10 से 12% ही जोधपुर जाता है। 20 या 25 वर्षों तक हमारी भूमि को इससे पानी मिला होगा। कई भूमियों तक पानी भी नहीं पहुंचा। यह एक मध्यम सिंचाई योजना है सभी दृष्टिकोण से कालोनाइजेशन एक्ट के प्रावधान इस क्षेत्र में लागू करने का महत्व नहीं रहता है। उसे निरस्त करायें। मौलिक कानून हेतु मैं निवेदन करना चाहता हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ परिहार** : सैकड़ों पत्रावलियां नीचे की अदालतों में ही पेंडिंग हैं उन्हें शीघ्र निपटाया जाय और निर्णय के पश्चात् जो अपील होती हैं उसमें स्टे लाया जाता है इसलिये उस भूमि पर स्टे आसानी से नहीं दें, ऐसा प्रावधान बनाया जाय। इसमें ऐसे प्रतिक्रमण के मामले में पचास गुणा तावान लगाते हैं। उसी प्रकार से स्टे के साथ साथ सालाना लगान के रूप में प्रति वर्ष वह कैश सिक्योरिटी दें, सरकार में जमा करायें तभी भूमि को वह जोतेगा। इस प्रकार का कानून होना चाहिये। इस प्रकार से हमारे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की भूमियों हेतु धारा 42 टिनेन्सी एक्ट में जो प्रावधान है....

**श्री सभापति** : समाप्त करें, बहुत लम्बा हो गया है बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ परिहार** : शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हमारे भाई हैं। यह कानून 20-9-56 को लागू हुआ उसके पश्चात् 64 में और सख्ती की गई। कास्ट टू कास्ट और ट्राइब टू ट्राइब उनको बेचने के अधिकार कायम रहे। मैं चाहूंगा गांव के पास जो कीमती भूमि होती है उसको अगर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का भाई रेजीडेन्सियल, कामर्शियल और इण्ड.

(श्री रघुनाथ परिहार)

स्ट्रियल, कारणों के लिये बेचता है तो उसको छूट दी जानी चाहिये। एक सवर्ण जाति का व्यक्ति अपनी एक बीघा भूमि, जो गाव और नगर के पास है, 50 हजार रुपया बीघा, 40 हजार रुपया बीघा में बेचता है जब कि अनुसूचित जाति का भाई लाभ कोई लेना चाहता है नहीं ले सकता है इन तीन कारणों के लिये चाहे वह आवासीय हो, चाहे वाणिज्यिक हो और चाहे औद्योगिक हो, हस्तान्तरण की उसे छूट दी जानी चाहिये ऐसा मैं निवेदन करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति** : बहुत लम्बा हो गया। कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। बहुत सदस्य बोलने वाले हैं। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कर दें।

(व्यवधान)

श्री गंगाराम चौधरी।

**श्री शोपत सिंह** : सभापति महोदय, मेरे खयाल में.....

(व्यवधान)

सभी दल बोल लिये। हां पक्ष के भी, ना पक्ष के भी।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : सबके नाम आ रहे हैं। मैं गंगाराम चौधरी का नाम पुकार चुका हूं।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** (दूदू) : सभापति महोदय, हां पक्ष और ना पक्ष सब बोल चुके हैं। अब तो मेरा नम्बर है।

**श्री सभापति** : श्री गंगाराम चौधरी।

**श्री गंगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मेरे कट मोशन नम्बर 259 से 273 तक हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा कुछ मुख्य मुद्दों पर अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान रेवेन्यू लाज कमीशन कायम हुआ था, 1962 में और उसने रिपोर्ट पेश की थी 66 में। रेवेन्यू लाज कमीशन ने एक योजना रखी थी राजस्थान में कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू मैनेजमेंट और डवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की जाय। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कई बार विचार तो किया था लेकिन राज्य सरकार ने इस स्कीम को उस वक्त में स्वीकृति नहीं दी थी। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा चाहे आप लैण्ड मैनेजमेंट एण्ड डवलपमेंट बोर्ड कायम न करें लेकिन रेवेन्यू से सम्बन्धित जुडिशियल व एक्जीक्यूटिव वर्क का आप अवश्य सेपरेशन कर दें। आर्टिकल 50 कान्स्टीट्यूशन का जो कहता है वह सब जगह लागू होता है चाहे जुडिशियरी हो, चाहे रेवेन्यू बोर्ड हो और चाहे और किसी जगह हो। रेवेन्यू बोर्ड में आज जो मुकदमें विचाराधीन है वे 18 हजार के करीब हैं। जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे कि इसके जितने भी मैम्बर हैं वे जनता के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा बर्डन उन के पास में है, उसके साथ प्रशासन का कार्य भी वे ही देखते हैं। तो तजवीज यह होनी चाहिये कि रेवेन्यू बोर्ड के पास में केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल मैटर्स हों और आप लैण्ड मैनेजमेंट बोर्ड अलग बना कर जो भूमि से सम्बन्धित प्रशासन का कार्य है लैण्ड रिकार्ड्स का या दूसरा जो एडमि-

(श्री मगाराम चोधरी)

निस्ट्रेशन का काम है वह उस बोर्ड को दीजिये चाहे जयपुर में स्थान रख लें और चाहे अजमेर में स्थान रख लें लेकिन यह सेपरेशन अब वक्त आ गया है कि बहुत जरूरी है। आज हजारों, लाखों की तादाद में मुकदमें विचाराधीन हैं रेवेन्यू बोर्ड के पास में, इधर तहसीलदार और नायब तहसीलदार, पटवारी की सीनियरिटी लिस्ट और उनके प्रमोशन्स और उनका प्रशासन का जिला स्तर का निरीक्षण, यह सारा रेवेन्यू बोर्ड नहीं कर पाता है। यही कारण है कि आज ये सारी शिकायतें आती हैं। पटवार स्तर से तहसीलदार और एस. डी. ओ. स्तर तक, एस. डी. ओ. पर केवल प्रशासन और मैनेजमेंट ड्यूटी रखिये और असिस्टेन्ट कलक्टर के पास जुडिशियल वर्क रखिये। एस-डी.ओ. के पास जो मुकदमें सुनवाई के होते हैं वे पूरा समय नहीं दे पाते हैं। दौरों पर चले जाते हैं, गवाह लौट जाते हैं, वकील परेशान होते हैं, जनता परेशान होती है इसलिये रेवेन्यू के मामले में अलग ही अधिकारी हो और वे ही केवल उसको देख पायें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इस महकमें का नाम अब आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट मत रखियेगा। बहुत अर्सा हो गया, अंग्रेजों का राज खतम हुआ, जागीरदारी खतम हुई और अब भी आप रेवेन्यू रेवेन्यू करते जा रहे हैं जब कि रेवेन्यू इसको कुछ है ही नहीं। रेवेन्यू का मतलब तो आमदनी से होता है। लगान से आमदनी केवल आपको 9 करोड़ या 10 करोड़ हो रही है और सारे राज्य का जो खर्चा है वह 24 अरब से भी आप ऊपर ले जा रहे है। इसमें यह क्या वकत रखता है। इस शब्द से कुछ फूडलिज्म की बू आती है। आज पटवारी के नाम से आदमी घबराता है तहसील के नाम से आदमी घबराता है और उसे रेवेन्यू शब्द से चिढ़ हो गई है। इतने वर्ष होने के बाद, आजादी के वर्षों बाद भी यह शब्द छोड़ नहीं पा रहे हैं जब कि सलाह आपको रेवेन्यू लाज कमीशन ने पहले ही दे दी थी कि लैण्ड मेनेजमेंट एण्ड डवलपमेंट बोर्ड बनाया जाय। उनकी सलाह तो यहां तक थी कि एग्रीकल्चर, और एनीमल हस्बेन्डरी और किसान से सम्बन्धित लैण्ड डवलपमेंट और मैनेजमेंट से सम्बन्धित सारा काम एक मैनेजमेंट एण्ड डवलपमेंट बोर्ड के पास हो तो मेरी राय यह है कि रेवेन्यू शब्द इस महकमें से हटाइयेगा। इसको लैण्ड मैनेजमेंट एण्ड डवलपमेंट बोर्ड कहियेगा। इसका बोर्ड अलग बना करके उसमें लैण्ड रिकार्ड्स वगैरह यह सब रखियेगा।

इसके बाद मैं दूसरी प्राबलम पर आता हूं जो कि सक्सेशन या इनहेरिटेन्स से सम्बन्ध रखती है। सेक्शन (40) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का जो है उसको जब 55 में बना दिया तब एक प्रावधान रखा था कि पर्सनल ला एक खातेदारी और एक टिनेन्ट पर अप्लाई होगा। इस सक्सेशन और इनहेरिटेन्स के लिये उसके बाद 1956 में दूसरा कानून भारत सरकार का हिन्दू सक्सेशन एक्ट लागू हुआ और उसमें सक्सेशन का क्रम बदल दिया गया। हालांकि उस कानून के तहत सेक्शन (4) में हमारी कृषि भूमियों को उन्होंने अलग रखने के प्रावधान रखे लेकिन उसके बाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में हम कुछ प्रावधान नहीं कर पाये और हमनें पर्सनल ला लागू किया जिसका मतलब यह हुआ सक्सेशन लागू होने के बाद महिलायें, चाहे पुत्रियां

(श्री गंगाराम चौधरी)

हो विडोज हो वे भी उसके साथ उसमें हकदार हो गई और उनके हकदार होने से जो हमारे रीति-रिवाज हैं, जो यूसेज हैं, जो कस्टम्स हैं जिन्होंने वर्षों से ला का कोर्स हासिल किया है उसका नाजायज फायदा आज पटवारी उठाकर एक धमकी देता है एक किसान की मृत्यु के बाद उसके भाई और उसकी बहिनों के नाम लिखूंगा, जो मर गई हैं पुत्रियां उनके नाम लिखूंगा जो कि यूसेज या कस्टम्स के हिसाब से उचित नहीं है। वह उससे घबराता है और घबरा कर उस पटवारी को किसी तरह राजी करने की कोशिश करता है। इस तरह से भ्रष्टाचार को आपने एक तरह से बढ़ावा दिया है। इस पर पुर्नविचार करना चाहिये। हिन्दू सक्सेशन एक्ट के सेक्सन (4) में यह बात साफ तौर से लिखी है....

"For removal of doubts it is hereby declared that nothing contained in this Act shall be deemed to affect the provisons in this law for the time being in force providing for the protection of fragmentation of agricultural holding or for the fixation of ceilings or for devolution of tenency rights in respect of holdings."

इसका मतलब यही है कि उस सरकार की या ला बनाने वालों की मन्शा यही थी कि यह कानून जो है इस तरह से एग्रीकल्चर होल्डिंग पर, कृषि भूमि पर लागू नहीं किया जाय। लेकिन हमने इस एक्ट के लागू होने के बाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्दर किसी तरह का संशोधन या ऐसा प्रावधान नहीं रखा जिसके कारण आज यह परेशानी किसान के सामने आ खड़ी हुई है। रेवेन्यू लाज कमीशन, 1962 के अन्दर बैठा था उसकी भी यही राय थी, यह टिनेन्सी का डिवोल्यूशन इनहैरिटेन्स जो है इसमें पर्सनल ला जहां तक हो सके लागू होना जरूरी है। उसको लागू करने में फ्रेग्मेन्टेशन बढ़ेगा, कई परेशानियां हो सकती हैं इसमें, तो उन्होंने अपनी राय भी दी थी, उन्होंने एक उदाहरण दिया था उस उदाहरण में यह रखा है कि अगर कोई किसान खातेदार, टिनेन्ट की डैथ होती है उसके दो लड़के हों और दो लड़कियां हों और उसकी विडो हो तो सक्सेशन एक्ट के लागू होने पर किस तरह से बटवारा होगा। पांचों हिस्से बराबर होंगे। उसके लड़कों के दो हिस्से लड़कियों के दो हिस्से और विडो का एक हिस्सा। वरना टिनेन्सी डिवोल्यूशन का जो हमारा कस्टम है यूसेज के हिसाब से दो ही लड़कों के हिस्से होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा अपनी जिन्दगी तक उसकी विडो को या लड़कों की मां का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी तरफ मोहम्मडन ला को देखिये, अगर मोहम्मडन पर्सनल ला के डिवोल्यूशन के हिसाब से हो इसी तरह का बटवारा तो, दो लड़के हों, दो लड़कियां हो और एक उसकी विडो हो तो क्या आयेगा ? 6/48वां हिस्सा तो विडो का आयेगा और 14/48वां हरेक लड़के का होगा। दोनों लड़कों को 28/48वां और 7/48वां हर पुत्री का आयेगा। दो पुत्रियों को मिला कर 14/48वां तो इस तरह से बटवारा होगा। यह तो ठीक है कि आज के दिन कानून के बारे में ज्यादा जानकारी न तो जनता को है, न ज्यादा जानकारी राजस्व अधिकारियों को है वरना अगर इस हिसाब से म्यूटेशन करने लगे तो किस तरह के डिवीजन होल्डिंग के हो जायेंगे इसलिए

(श्री गंगाराम चौधरी)

आज सरकार को सोचना चाहिए कि सक्सेशन इनहैरिटेन्स के बारे में पर्सनल ला चाहे आप लागू करें लेकिन हिन्दू सक्सेशन एक्ट की मन्शा को देखते हुए इसमें कुछ आपको संशोधन इस प्रकार के करने चाहिए जिससे कि पटवारी को उस तरह पूरा डिस्क्रिशन नहीं मिले कि वह परेशानी में डाले उन लोगों को।

इसके आगे मैं बोर्डर के जिले की कुछ कठिनाइयों के मामले में अर्ज करूंगा। बाड़मेर जिले में खास तौर से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के सेक्शन 63(1) ए के प्रोविजन्स के मुताबिक यह प्रावधान आपने रखा है एक्सटेन्शन आफ टिनेन्सीज। खातेदारी हक या काश्तकारी हक जिनके खत्म हो जाते हैं उस में एक प्रोविजन जोड़ा था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी टिनेन्ट यदि बिना पासपोर्ट फारेन कन्ट्री भारत को छोड़कर चला जाता है तो उसके टिनेन्सी राइट्स खत्म हो जायेंगे। इस प्रावधान के तहत आगे इसका प्रोसीजर कुछ भी कानून के अन्दर रखा नहीं। अगर कोई भी आदमी पाकिस्तान, मान लीजिए, चला गया बिना पासपोर्ट के, पटवारी एक रिपोर्ट करेगा तहसीलदार को। अब टिनेन्सी एक्ट के अन्दर कहीं भी प्रावधान नहीं है कि तहसीलदार को क्या करना चाहिए। एक्सटेन्शन अगर एवेडन कर देता है तो एक नोटिस निकलता है, तहसीलदार आवश्यक तौर पर उसी एवेडनमेंट के लिये सेक्शन 60 के तहत एक नोटिस जरूर निकलता है। वह नोटिस न तो उसकी जमीन पर चिपका होता है, न उस आदमी के घर पर जाता है, न उसकी तामील होती है, अगर वह हो मौजूद, न कहीं और जगह किसी को पता लगता। पटवारी की एक रिपोर्ट पर उसकी खातेदारी खत्म हो जाती है। जब उसको मालूम पड़ता है, ऐसा मामला आया है नजर में, मैं मन्त्री महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि गांव विजयार के अन्दर एक आदमी किसी मामले में जेल चला गया था और जेल में रहा और पटवारी ने रिपोर्ट की कि वह बिना पासपोर्ट भारत छोड़कर चला गया और उसकी खातेदारी खत्म हो गयी। जब वह जेल से वापस आया, वह काश्त करने लगा। उसे किसी तरह की कोई इत्तला नहीं। 2-3 साल बाद उसको 91 में नोटिस मिल गया कि आपकी खातेदारी खत्म हो गयी है, आप इस पर रहे हैं। वह काश्त करता रहा, उस का परिवार वहीं पर, उसके टांके वहीं पर, उसके खेत के अन्दर, उसका खुद का एक कुआं पानी पीने का इस सारे के बावजूद बेचारे को इतनी परेशानी हुई कि 91 के अन्दर उसके ऊपर जुर्माना होता गया, होता गया और आखिर 10 साल बाद में 22 हजार रुपये उस पर जुर्माना हुआ। कलक्टर के पास भी कहने गया कि मुझे तो मालूम नहीं, मेरी जमीन किस प्रकार खालसा हुई। वह दावा भी नहीं कर सकता, उसके पास में कोई रेमेडी नहीं है। अभी राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड ने एक फैसला किया है कि एक्सटेन्शन अगर हो जाता है किसी का टिनेन्सी राइट्स का तो उसको उसके बाद में किसी प्रकार का रेवेन्यू सूट सेक्शन 88 या किसी के अन्दर लाने का अधिकार नहीं है। अब बताइये उसको क्या रेमेडी है। कानून के अन्दर इस प्रकार के प्रावधान मन्त्री महोदय नहीं होने चाहिए, जिसमें आदमी को किसी प्रकार की रेमेडी नहीं है और डिस्क्रिशन पटवारी के हाथ में इतना बड़ा दे दिया कि

(श्री गंगाराम चौधरी)

उसकी एक साधारण रिपोर्ट पर एक आदमी की खातेदारी खत्म कर दी। इस प्रकार का डिस्क्रिशन तहसीलदार स्तर पर हो। खातेदारी एक्सटेन्शन, खातेदारी देने का अधिकार तो एस. डी. ओ. या असिस्टेन्ट कलक्टर को हो लेकिन खातेदारी खत्म करने का अधिकार तहसीलदार को हो। और वह करे किसके आधार पर? उसके पास एविडेन्स एक पटवारी की रिपोर्ट है। तो यह सारी बात है। इस कानून के अन्दर एक प्रावधान रखना चाहिये कि एस. डी. ओ. को यह अधिकार दिया जाय 63(1)8 के अन्दर या 63 पूरे के अन्दर, एक्सटेन्शन जब हो तो एस. डी. ओ. के पास में प्रोसीडिंग्स चले, उस आदमी को नोटिस हो, उस आदमी को सुनवाई का अवसर मिले।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज, आर्डर। आपसी बातचीत नहीं। प्लीज कन्टीन्यू।

**श्री गंगाराम चौधरी** : और यह सब नहीं होने से एक अन्याय वहां पर होने लग गया और पटवारियों ने तरीका अपना लिया किसी भी आदमी से नाराज हो जब यह कर देता है। यह मैं जो बता रहा हूं। इसमें मामूली सी नाराजगी थी। एक घोड़ा मांगा था उस पटवारी ने उस व्यक्ति से और घोड़ा मांगने पर उसको इन्कार किया जिसका नतीजा यह हुआ कि खातेदारी उस बेचारे की खत्म कर दी। हालांकि मैं जानता हूं सैक्शन 63(1)8 किसी नीति के अन्तर्गत सही प्रोविजन है लेकिन उसमें कुछ रेमेडी तो रखिये। अगर किसी के प्रति अन्याय हो वह कहां जाय, कहां रोये? हाईकोर्ट के अन्दर भी नहीं, रेवेन्यू बोर्ड के पास भी नहीं कहीं भी उसको रिलीफ नहीं मिल सकती है। आज वह आदमी बैठा है 91 के अन्दर उसके खिलाफ बनता जा रहा है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया संक्षिप्त ही करें।

**श्री गंगाराम चौधरी** : जी हां। भारत सरकार ने हाल ही में पिछले सितम्बर, 1984 में केन्द्रीय लैंड एक्वीजिशन एक्ट को अमेण्ड करके कुछ प्रावधान रखे हैं। उसके अनुसार खातेदारी की जमीन अगर सरकार अवाप्त करे तो पहले के बनिस्बत कुछ अधिक मुआवजा देने के प्रावधान हैं। सिर्फ मुआवजा ही नहीं कुछ और भी चीजें इक्विटी भी और सोलेसियम भी, ब्याज भी देने का उसमें प्रावधान रखा है। केन्द्रीय एक्ट में कुछ समय का भी प्रावधान है अगर दो साल तक एक्वायर की हुई जमीन का कब्जा नहीं ले तो वापस दे। कुछ अच्छे प्रोविजन्स हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने सितम्बर, 1984 के बाद आज तक उसको एडाप्ट नहीं किया है। इस सम्बन्ध में न कोई बिल सदन में पेश हुआ है, न कोई आर्डिनेन्स आपने निकाला है और इस सम्बन्ध में क्या नीति है सरकार अभी स्पष्ट नहीं कर पायी है क्या चाहते हैं इस सिलसिले में। कई बार साधारण मामलों में कोई पब्लिक इम्पार्टेन्स का नहीं होते हुए भी आप आर्डिनेन्स निकाल देते हैं। इन्हीं दिनों में कई आर्डिनेन्स निकले। उन आर्डिनेन्स में कहा यह जाता है कि जनहित में आवश्यक था, विधान सभा की बैठक नहीं थी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर जनहित में कहीं भी कोई आवश्यकता थी तो इससे बढ़कर कहीं नहीं थी, लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के प्रावधान लागू करने के अलावा कहीं नहीं थी। अगर आप आर्डिनेन्स के जरिये भी लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के वह प्रावधान राजस्थान में लागू कर देते हुबहू

(श्री गंगाराम चौधरी)

या आप अमेण्ड करके भी कर देते तो मैं समझता हूं आपकी उसमें तारीफ़ होती और जनता को एक बहुत बड़ी राहत मिलती अब 10-12 महीने होने को आये हैं, प्रोसीडिंग्स लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट की राजस्थान के अन्दर चल रही हैं लेकिन उनका निर्णय उनके मुताबिक नहीं होता। न आप उसको रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से लागू करेंगे। आप उसको उसी दिन से लागू करेंगे जिस दिन राज्यपाल की असेन्ट मिलती हो। तो क्या लाभ मिला हमें ? क्यों आप लाभ से वंचित कर रहे हैं ? और अब भी बिल सदन के अन्दर आया नहीं है। आपने विषय सूची, जो विधान सभा को दी है, में कहीं मेंशन किया है। उसके बाद मैं यह निवेदन करूंगा कि....

**श्री सभापति** : थोड़ा संक्षेप में रखिये।

**श्री गंगाराम चौधरी** : सभापति महोदय, फिल्ड फायरिंग एरिया में ग्राम खेतोलाई और ग्राम चाचा के किसानों की जमीन चली गई थीं 1965 में।

**श्री सभापति** : संक्षेप में।

**श्री गंगाराम चौधरी** : मैं कोशिश यही कर रहा हूं। 1967 से लेकर 1969 तक वह सारी एक्वीजिशन प्रोसीडिंग्स कम्प्लीट हुई। कई वायदे हुये, लोग बेदखल हो गये, उन्हें कहा था कि जमीन अलाट की जायेगी। उनकी जमीन के अलाटमेंट के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज 12-13 साल हो गये। पोकरण जोड एक मशहूर जोड़ वहां पर पड़ा है। पोकरण राजस्व गांव की सरहद में एक जोड़ उसका आवटन अभी तक बाकी है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि मंत्री महोदय नोट करें और कर सकें इस बात को तो कहें कि खेतोलाई और चाचा के जो लोग फील्ड फायरिंग ऐरिया में बेदखल हुये थे उनको पोकरण जोड़ के अन्दर जमीन दे दी जायेगी। भोपालगढ़ तहसील में लोहेड़ा गांव में मेघवालों के श्मशान को आवंटित कर दिया गया था और ऐसा भी मामला आया था 1983 के अन्दर, अभी तीन साल पहले 4-10-83 को एक लाश तीन दिन पड़ी रही उसको जलाने नहीं दिया। जिलाधीश महोदय ने भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये कहा था लेकिन अभी तक वह जमीन अलाटमेंट से खारिज नहीं की। हालांकि नियम 14 के अन्दर कई इस तरह के प्रावधान हैं लेकिन जरूरी होता है तो भी जिलाधीश महोदय इन प्रावधानों को काम में नहीं लेते हैं।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री गंगाराम चौधरी** : वक्फ प्रोपर्टी के बारे में दो शब्द निवेदन करूंगा। जयपुर शहर के अन्दर एम. एल. एज क्वाटर्स के पास में वक्फ की जमीन है उस पर नाजायज कब्जे हैं मंत्री महोदय। वक्फ प्रोपर्टी पर, मंदिरों की जमीन पर नाजायज कब्जों को छुड़ाने के लिये कई बार इस सदन में चर्चा हुई हैं लेकिन सख्ती से कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। इन कब्जों के लिये मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी हटा कर उन्हें बेदखल करें।

हमारे बाड़मेर के पास सेना ने और एयर फोर्स ने कई कई जमीनों के एक्वीजिशन के नोटिस दिये हैं। इन नोटीसेज से किसानों

(श्री गंगाराम चौधरी)

को बड़ी परेशानी है। मैं यह चाहूंगा सरकार इस मामले में कुछ नीति निर्धारित करे। बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर में आम तौर पर इस तरह से परेशानी में आना पड़ता है। आप चाहें तो इस सम्बन्ध में कमेटी बैठा करके सेना के लिये अलग से जमीन आप डिमार्क कर सकते हैं और वहां पर उन्हें अलाटमेंट किया जाये तो ये गांव उजड़ने से बच जायेंगे। जलीया, लूणु, गेंहू, हापों को ढाणी, चूली आदि कई गांव हैं उनको बचा सकते हैं।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री गंगाराम चौधरी** : इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री हीरालाल इन्दौरा।

**श्री हीरालाल इन्दौरा** (केशरीसिंहपुर) : माननीय सभापति महोदय, लगभग पांच घण्टे से राजस्व के सम्बन्ध में इस सदन में विराजे माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। माननीय सदस्यों के विचारों से यह स्पष्ट जाहिर है कि राजस्व विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है जिसका कि इस देश की सत्तर प्रतिशत जनता से सीधा सम्बन्ध है। इस देश में जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे उद्यमियों की और आवसीय समस्या भी इस राजस्व विभाग से जुड़ी रहेगी। चूंकि आज राजस्थान में जिस तरह के कई हिस्से बने हुए हैं टोडर मल के जमाने से लेकर आज तक जो परम्परा चल रही है राजस्व कानून की उसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। मैं मानता हूं कि आज प्रत्येक न्यायालय में राजस्व के मामले विचाराधीन हैं। चाहे हाइकोर्ट हो चाहे रेवेन्यू बोर्डकी अदालतें हों, चाहे मंत्री महोदय की अदालत हो उनमें सभी ओर से राजस्थान के मामले अटके हुए हैं। वे सिर्फ इसलिये अटके हुए हैं कि कानूनी पेचीदगियां इतनी हैं कि वे जल्दी से सुलझ नहीं पाती हैं। मैं राजस्व के सम्बन्ध में अपने कुछ मुद्दे आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक पेड़ों का सवाल है आज से काफी अरसे पहले जो किसान पेड़ बोता था उसको अपने घरेलू काम के लिए या काश्त के लिये वह कटाई करके उपयोग में ले लेता था। लेकिन जब से राजस्थान सरकार ने यह कानून बनाया है कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति अपने खेतों से तो क्या, कहीं से भी कोई पेड़ काट कर निजी काम के लिये भी उपयोग नहीं कर पाता इससे पेड़ों के उगाने में कमी आई है। किसान लगातार पेड़ इसलिए उगाता था कि पेड उगाने के बाद में वह उस पेड़ जब वह बड़ा हो जाता था को नित्य प्रतिदिन के काम में, अपने हल के काम में, अपने गाड़े के काम में और दूसरे जो नित्य प्रतिदिन के काम में आने वाली लकड़ी को उपयोग में लेता था। इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि यह जो बैन है, जो पाबन्दी पेड़ काटने की अपने निजी काम के लिए है, किसान पर से हटाई जावे।

माननीय सभापति महोदय, पिछले वक्त प्रशासन गांव की तरफ गया उस समय काफी मामले सामने आये, सड़क और रास्तों के मामले। कुछ रास्ते तो ऐसे हैं जो काफी अरसे से लगातार चल रहे हैं लेकिन

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो प्राइवेट खेतों में से होकर निकलते हैं, काफी आबादी को वे रास्ते टच करते हैं। उन रास्तों में गुजरने के लिये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, प्राइवेट मालिक, किसान यदि उन के खेत से निकलने दें तो निकलने दें यदि रोक दें तो रोक दें। इसलिए यह अड़चन पैदा होती है। जो प्राइवेट काश्तकार हैं वह उस गांव के लोगों से पैसों की मांग करते हैं कि उस रास्ते में जो एक बीघा दो बीघा जमीन आती है उसका मुआवजा उस गांव के लोग दें। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि वह रास्ता, जो है, सरकारी रास्ता है। इसलिए सरकार उस रास्ते को अपनी तरफ से एक्वायर करे और इसके लिए जो मुआवजा बने वह उस प्राइवेट काश्तकार को देकर वह रास्ता सार्वजनिक क्षेत्र के लिए खोल दे। इस प्रकार रास्ते की समस्याओं के हल के लिये रास्ते सरकार अपनी तरफ से खरीदे और उसका मुआवजा किसान को देकर वह का वह सार्वजनिक रास्ता बनाये।

माननीय सभापति महोदय, भूमिहीन काश्तकारों का सवाल है। चाहे जमीन, सीलिंग के अन्तर्गत आई हुई हो, चाहे पहले से सिवाय चक की पड़ी हो लेकिन ज्यादा-तर, यह देखा गया है कि जो जमीन अनुसूचित जाति के लोगों को मिलनी चाहिए, भूमिहीन काश्तकारों को मिलनी चाहिए, ऐसे काश्तकारों को मिलनी चाहिए, एग्रीकल्चर लेबर है उनको पूरी न मिलकर बहुत कम परसेन्ट मिलती है और ज्यादा परसेंटेज बड़े बड़े काश्तकारों, जिनके पास पहले से जमीनें हैं को मिल जाती है। ऐसे एक दो उदाहरण मेरे क्षेत्र के भी हैं जहां गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को जमीन दे दी लेकिन प्रभावशाली लोगों के प्रभाव से वह जमीन एस डी एम. के द्वारा भूमिहीन लोगों को बेदखल करके बड़े काश्तकारों को दे दी गई जिससे आज भी वे मामले, रेवेन्यू अपीलेट अथारिटी और रेवेन्यू बोर्ड में चल रहे हैं। इस तरह की जो बातें हैं उनको सरकार को देखना चाहिए।

जहां तक अनुसूचित जाति की जमिनों का सवाल है बेचान का और क्रय करने का, यह साफ प्रावधान है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी सवर्ण व्यक्ति को बेच नहीं सकता। लेकिन मैं इसमें थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से राज्य सरकार को कि जो जमीन शहरी क्षेत्र के आसपास अनुसूचित जाति के लोगों की पड़ती है उस जमीन को बेचान करने के लिये ऐसा प्रावधान राजस्व कानून में रखना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उस जमीन का सही पैसा मिल जाय। अन्यथा शहर के पास में आने वाली जमीन को लोग खरीदते हैं, बेनामी तरीके से खरीदते हैं और आवास की समस्या हल करने के लिए अपना एक तरीका अपनाते हैं। इसका सीधा फायदा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हो, इसलिए आसपास की जमीन जो शहरी क्षेत्र की परिधि में आती है, के लिये उनको छूट देनी चाहिए जिससे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को डायरेक्ट, सीधा फायदा होगा न कि बिचौलियों को फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फसल के लिए बीमा योजना शुरू की है। लेकिन मैं इसमें और निवेदन कर देना चाहता हूं कि फसल

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

खराबी के टाइम या तो बरसात नहीं होती है या ओले पड़ जाते हैं या किसी देवी प्रकोप से फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसके लिए राज्य सरकार को ऐसा कोई प्रोवीजन रखना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान रखना चाहिए ताकि उस फसल का मुआवजा मिल जाय। इतना नहीं हो सके तो इतना तो लाजिमी तौर पर कर दिया जावे कि उसी समय उस क्षेत्र, जहां भी दैवी प्रकोप से फसल नष्ट हुई हो जहां भी ओले पड़े हों, के लिये ऐसे डायरेक्शन्स कलक्टर और जिलाधीश को होने चाहिए राज्य सरकार की तरफ से कि जहां ओले से नुकसान देखें वहां तो कम से कम उनका मामला माफ कर दिया जावे। इस प्रकार से किसानों को एक राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। चूंकि मैं गंगानगर क्षेत्र का रहने वाला हूं, मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी एक तिहाई सीमा से लगी हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, पंजाब और हरियाणा की तरह से पांच बीघा जमीन तक फ्री मामला होना चाहिये और पांच बीघा से ऊपर की जमीन पर 50 पर्सेन्ट मामला होना चाहिये। ताकि सीमावर्ती क्षेत्र के किसान राहत महसूस कर सकें और उसके विकास में आगे कोई अड़चन न आये।

माननीय सभापति महोदय, फ्रेग्मेंटेशन का मामला काफी माननीय सदस्यों ने आपके सामने उठाया। यह मामला बड़ा गम्भीर है। जिसके पास जमीन का छोटा टुकड़ा है न तो उसका फायदा है, न खरीदने वाले को इससे नुकसान है। माननीय सभापति महोदय, उदाहरण के तौर पर कह देना चाहता हूं। मान लीजिये, एक किसान के पास पांच बीघा जमीन है और दूसरे के पास तीन बीघा जमीन है। तीन बीघा वाला पांच बीघा वाले को जमीन बेचना चाहता है तो पांच बीघा वाले को आठ बीघा रखने से फायदा होगा जबकि तीन बीघा वाला उसमें काश्त नहीं कर सकेगा। दूसरा, रेवेन्यू ड्यूटी लगेगी उससे सरकार को फायदा होगा। इसलिये मेरा निवेदन है, फ्रेग्मेंटेशन का जो सिस्टम है उसमें राज्य सरकार ढील दे, उसको खोल देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन रजिस्ट्री के बारे में है खास तौर पर गंगानगर जिले में रजिस्ट्रियों पर पाबन्दी है। पाबन्दी ही नहीं है बल्कि इनडायरेक्टली छूट भी है। इनडायरेक्टली छूट है और डायरेक्टली पाबन्दी है। इनडायरेक्टली छूट का मतलब यह है, कलक्टर यदि परमिशन दे देता है तो उसके लिये इजाजत मिल जाती है और कलक्टर परमिशन नहीं देता है तो इजाजत नहीं मिलती है। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार जिस व्यक्ति को अपनी रजिस्ट्री करवानी है वह इन डायरेक्ट रूप से रुपया देकर रजिस्ट्री करवा लेता है। इसलिये जो रुपया डायरेक्ट किसान को मिलना चाहिये या डायरेक्ट फायदा होना चाहिये वह अधिकारियों के हाथ में चला जाता है और रजिस्ट्री हो जाती है। या तो राजस्व कानून में यह स्पष्ट प्रावधान हो कि न तो परमिशन से, न स्वीकृति से रजिस्ट्री होगी होगी तो फिर क्या दिक्कत है, रजिस्ट्री खोल देनी चाहिये। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से गंगानगर प्रवास के दौरान निवेदन किया था,

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रजिस्ट्री खोल देने से पंजाब के लोग यहां आकर रहने लगेंगे। माननीय सभापति महोदय, उसके लिये कोई ऐसा प्रोविजन या मापदण्ड रख देना चाहिये जिससे कि पंजाब के लोग आकर जमीन नहीं खरीदें। लेकिन जमीन बेचने और खरीदने पर रोक लगाना किसान के हित में नहीं है। क्योंकि एक किसान अपनी बुरी जमीन बेच कर अच्छी जमीन खरीदना चाहता है, एक किसान कम जमीन को खरीद कर ज्यादा जमीन रखना चाहता है, इस प्रकार किसान को यदि यह छूट मिल जाती है तो राजस्व कानून के तहत न तो सरकार को नुकसान है न किसान को नुकसान है। जितनी बार किसान जमीन बेचेगा और खरीदेगा उससे उतनी बार किसान ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू सरकार को देगा, स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा सरकार को देनी पड़ेगी। इससे मैं समझता हूं न तो किसान को नुकसान है, न सरकार को नुकसान है इसलिये रजिस्ट्री में ढील दे दी जानी चाहिये।

**श्री सभापति** : कृपया संक्षिप्त में कहें।

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : माननीय सभापति महोदय, एक मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट के लिये निवेदन करना चाहूंगा। आप जानते हैं गंगानगर जिला राजस्थान का मूलभूत रेवेन्यू जिला है। आज से नहीं, आजादी से पहले जब महाराजा गंगासिंह ने गंग कैनाल की शुरुआत की तब से है। आज हो सकता है रेवेन्यू के हिसाब से आपके बहुत से जिले आगे हों, चाहे माही डैम की वजह से हो चाहे चम्बल बांध की वजह से हो लेकिन सबसे पहले इरिगेशन सिस्टम गंगानगर में लागू हुआ। उस इरिगेशन सिस्टम की वजह से उसी समय से गंगानगर रेवेन्यू के मामले में सबसे आगे है। मैं मानता हूं कि एशिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला है तो गंगानगर जिला है। फिर भी वहां के रेवेन्यू के जो मामले हैं वह या तो बीकानेर जाते हैं या रेवेन्यू बोर्ड में जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है रेवेन्यू बोर्ड की एक ब्रांच या एक कैम्प गंगानगर में एक महीने में होना चाहिये। रेवेन्यू बोर्ड में जितने मामले हैं, 90 परसेन्ट, 95 परसेन्ट गंगानगर के हैं, आप आंकड़ों के हिसाब से देख लीजिये। इसी प्रकार बीकानेर की जो आर. ए. कोर्ट है, सात दिन गंगानगर लगती है और बाकी 22-23 दिन बीकानेर में लगती है। बीकानेर में एक परसेन्ट केस है और गंगानगर में 99 परसेन्ट केस है। तो आप इसको देखिये और सोचिये गंगानगर में रेवेन्यू बोर्ड का कैम्प होना कितना जरूरी है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है, गंगानगर को रेवेन्यू जिला मानते हुए, सबसे महत्त्वपूर्ण जिला मानते हुए और केसेज को देखते हुए रेवेन्यू बोर्ड की एक ब्रांच या एक कैम्प हो और आर. ए की जो कोर्ट है वह बीकानेर से गंगानगर शिफ्ट होनी चाहिये। यह गंगानगर के किसानों के हित में है और किसानों के फायदे में है।

(व्यवधान)

वर्ष सिख कहें, तो अपने आप मांग कर लेना आप। वह सिख हो जायेंगे फिर अपने आप मांग करेंगे।

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

माननीय सभापति महोदय, जहां तक लैण्ड कन्वर्सन का सवाल है, काफी समय से लैण्ड कन्वर्सन का मामला लोगों के सामने है, चाहे वह उद्योग के लिये हो, चाहे आवासीय समस्या के लिये हो। एक बड़ी जटिल समस्या है। जिस प्रकार आवासीय समस्या बढ़ रही है, जिस प्रकार औद्योगीकरण हो रहा है उसके लिये एग्रीकल्चर लैण्ड के सिवाय कोई चारा नहीं है। जब एग्रीकल्चर लैण्ड लेने की बात कोई उद्यमी करता है या आवासीय समस्या को सुलझाने के लिये कोई आवासीय समिति करती है तो उसके सामने बड़ी दिक्कत आती है। 1982 में राज्य सरकार ने लैण्ड कन्वर्सन के लिये जितनी सोसायटी थी उनसे पैसा भरवा लिया लेकिन आज तक वह मामला पैंडिंग है। न सरकार उसमें कोई निर्णय ले पा रही है, न कुछ कर रही है। इसमें मेरा निवेदन यह है, पंजाब और हरियाणा की तरह से इतनी छूट होनी चाहिये कि जितनी जमीन उद्यमी को उद्यम के लिये चाहिये तो वह एक पर्टीकूलर फीस दफ्तर में जमा कराये और एक रोटेशन से एक सिस्टम से उसकी जमीन अपने आप कन्वर्ट हो जाय। इसी प्रकार आवास के लिये जिस व्यक्ति को एग्रीकल्चर जमीन चाहिये, अगर वह खरीदता है तो.....

**श्री सभापति** : संक्षिप्त करें, कृपया।

**श्री हीरालाल इन्दोरा** : कन्वर्सन उसकी भूमि का करने के बाद उसको आवासीय जमीन मिल जानी चाहिये। कन्वर्सन का मामला इतना जटिल बना रखा है इसको आसान करना चाहिये। उद्यमियों की ओर आवास की समस्या इससे काफी हल हो सकती है।

**श्री सभापति** : समाप्त करें, कृपया।

**श्री हीरालाल इन्दोरा** : माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर जिले में जहां तक फ्रेगमेंटेशन का सवाल है, हजारों रजिस्ट्रियां सब रजिस्ट्रार द्वारा कर दी गई हैं। लेकिन 175 की कार्यवाही के अन्तर्गत उनको नोटिस दिये जा रहे हैं, उनकी जमीन सरकार में ली जा रही है इस प्रकार की गलती अधिकारियों द्वारा की गई है। जब सरकार द्वारा सर्कुलर है इस बात की कि फ्रेगमेंट की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है तो सरकार को यह देखना होगा जमीन की रजिस्ट्री क्यों हुई। अगर हुई तो 175 की कार्यवाही क्यों चले? हजारों किसान बाड़मेर जिले में इससे परेशान हैं। इसको देखना चाहिये राज्य सरकार को और ऐसी समस्याओं को तुरन्त हल करने की कोशिश करनी चाहिये।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

**श्री हीरालाल इन्दोरा** : एक मिनट।

माननीय सभापति महोदय, 1975 में इमरजेंसी के दौरान आवासीय समस्या को हल करने के लिये राज्य सरकार ने आवासीय लोगों को भूमि के पट्टे दिये। 1975 में पट्टे दे दिये लेकिन आज भी उनको वह जमीन नहीं मिली। मैं मेरे केशरीसिंहपुर क्षेत्र के गांव 8जी का उदाहरण देना चाहता हूं। 1975 में उसमें 150 बाजीगरों को पट्टे दिये गये लेकिन आज भी उनको रहने के लिये वह जमीन नहीं मिली जिसका पट्टा मिला है। इसलिये मैं राजस्व मंत्री

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

महोदय से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामले जिनमें 1975 में पट्टे दिये गये हैं, राजस्व विभाग द्वारा उन्हें रहने के लिये जमीन उपलब्ध नहीं करवाई है उनकी जांच करें और देखें और देख कर उनको जमीन दिलाने की कोशिश करें।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें, काफी लम्बा हो गया।

**श्री हीरालाल इन्दौरा** : माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार राजस्व कानून में काफी तरमीम करने की जरूरत है। यदि यह हम नहीं करेंगे तो यह समस्या ऐसी की ऐसी बनी रहेगी और इसी प्रकार से कोर्ट में मामले उलझे रहेंगे और किसान को राहत नहीं मिलेगी।

धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति** : श्री रमजान खां।

(व्यवधान)

मोदी जी आपका नाम कटमोशन में नहीं है। मैंने नाम पुकार दिया है। श्री रमजान खां।

**श्री शोपत सिंह** : माननीय सभापति महोदय, हम तो विश्राम करें, ऐसा ही लगता है।

**श्री सभापति** : अबके हां पक्ष का नम्बर है, वापस आप बोलें।

**श्री शोपत सिंह** : हमको ऐसी बात नही है। अगर आसन यह समझता है कि छोटे दल के लोगों को या किसी दल को टाइम न देकर बाकी लोगों को....

**श्री सभापति** : नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बोलेंगे। आप बहुत विद्वान हैं, आखिरी उपसहार आपका अच्छा है।

रमजान खां कृपया बोलें।

(व्यवधान)

हां पक्ष की तरफ से नाम आयेगा जब आपका नाम आ जायेगा।

**श्री रमजान खां** (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने विभिन्न जिलों की समस्याएं यहां पर रखी हैं, जिस जिले का मैं रहने वाला हूं, अजमेर जिले की समस्याएं अन्य जिलों से कुछ भिन्न हैं। सन् 71 में, सभापति महोदय, जब भू संशोधन अजमेर जिले में हुआ सन् 1971 से लेकर आज 1980 तक अजमेर जिले के काश्तकारों के ऊपर जो इतनी भारी मांग भू संशोधन में की है इसका विवरण यहां सदन में पेश नहीं कर सकता। सन् 1971 से लेकर 80 तक लाखों करोड़ों रुपयों की रजिस्ट्रियां हुई, बैंक से उन खसरा नम्बर पर लोन उठाया गया और सन् 81 में राज्य सरकार ने एक आदेश दिया कि भू संशोधन मान्यता में नहीं है इसलिए यह तमाम का तमाम रिकार्ड निरस्त किया जाता। उसके बाद, माननीय सभापति महोदय, 3-4 बार गांवों के अन्दर राजस्व कैम्प आयोजित किये गये, मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से कि उन राजस्व कैम्प में कोई जैसे खास मकसद हासिल होता हो वह हुआ नहीं। सभापति महोदय, इसका एक मुख्य कारण यह रहा है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी और पटवारियों की गलती से जो जमीन

(श्री रमजान खां)

गलती से दूसरे काश्तकारों के नाम चढ़ गयी उस राजस्व अभियान के दौरान जब एस. डी. ओ. साहब को तहसीलदार साहब को कहा गया था कि इनकी दुरस्ती करो तो उन्होंने उस कैम्प के अन्दर उसकी दुरस्ती नही की और कहा गया कि आप लोग अदालत के अन्दर जाओ तो उसकी वजह से काश्तकारों को अदालत मे जाना पड़ा। अगर चार आदमियों के नाम इन्द्राज हो गयी तो उसके अन्दर एक आदमी भी अदालत में जाने से गैर हाजिर हो तो एस. डी. ओ. साहब ने उस बात को माना नहीं और उस तरफ काश्तकार अपना इन्द्राज सही करवाने के लिए आज अदालत के दरवाजे खटाखटा रहा है।

सभापति महोदय, दूसरी बात अर्ज मैं आपसे करना चाहता हूं कि जिसके खातेदारी अधिकारी थे उसके अन्दर अगर किसी का बाप मर जाता उसके चार बेटे हैं तो उनको खातेदारी अधिकार उसको देने होते हैं। तो खातेदारी अधिकार उसको नहीं दिये जब तक नया सैटलमेंट नहीं होता इसके ऊपर सोचने की बात है। सभापति महोदय, या तो उसको अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और अगर अदालत के दरवाजे नहीं खटखटाये, उस काश्तकार के पास पैसा नहीं है, तो आने वाले सैटलमेंट तक उसको इन्तजार करना पड़ेगा तब उसके खाते अलग-अलग होगे और तब बैंक से कोई लोन ले सकता है वरना बैंक से लोन लेने का हकदार नहीं है।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जिले के करीबन 39 गांवों को आज से 10 साल पहले अजमेर जिला नगर परिषद् की सीमा में मिला लिया गया था। मुझे जब भी मोका मिलता है इस सदन में बोलने के लिये तो मुझे मजबूरन इन 39 गांवों के लिये, सभापति महोदय बोलना पड़ता है, क्योंकि 39 गांवों की आबादी करीबन 20 25 हजार है और करीबन यह सभी मेरे निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर में आती है। इन 39 गांवों के अन्दर इनके चरागाह को अजमेर की यू. आई. टी. ने बेच दिया। इसकी सिवाय चक भूमि पर जानवर चरा करते थे। उसको अजमेर की यू. आई. टी. ने लाखों करोड़ों रुपये में बेच दिया और तमाम का तमाम पैसा तारागढ़ की सम्पर्क सड़क मे लगा दिया, सभापति महोदय, परन्तु इन गांवों के अन्दर एक भी पैसा नहीं लगा और न ही विकास का सवाल है, पिछले 10-11 साल के अन्दर। माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने इस चीज को माना है कि ऐसे गांवों को बिल्कुल नजरन्दाज कर दिया जाता है तो वहां पर विकास का कोई काम नहीं होगा। जब अजमेर जिले के अन्दर राजस्व कैम्प आयोजित किया गया था....

**श्री यदुनाथ सिंह** : इस सदन में मैं देख रहा हू कि चिटों का बड़ा प्रचलन है, पता नही क्यों ? इस चिट को बन्द कराइये।

**श्री सभापति** : व्हिप भेजते हैं, कांग्रेस पार्टी के व्हिप ने भेजा है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : पहले क्यों नहीं सोच लेते।

**श्री सभापति** : नहीं आप सही कह रहे हैं। व्हिप लोग बैठते नहीं हैं व्हिप लोग

(श्री सभापति)

ही भेजते हैं तो लेते हैं। आप खुद ही भेजते हैं। आप भी भेजेंगे तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे।

**श्री रमजान खां** : मैं अर्ज कर रहा था, सभापति महोदय, कि यह राजस्व कैम्प मे संशोधन करने के लिए अजमेर जिले में कायम किये गये तो मैंने जिलाधीश महोदय को निवेदन किया कि इन 39 गांवों के अन्दर भी राजस्व कैम्प रख कर वहां काश्तकारों की समस्या को हल किया जाय। मगर मेरी बात सुनी नहीं गयी। हमारे अजमेर जिले में प्रभारी मन्त्रीजी श्रीमान् शीशराम ओला पिछले माह आये थे उस वक्त मैंने इस बात को उठाया मगर मेरी बात को नजरअन्दाज कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह 39 गांव, जो नगर परिषद अजमेर की सीमा में मिला लिये गये, काश्त के दर्जे में नहीं आते, क्या इनके पास कृषि की भूमियां नहीं हैं, क्या इनके रिकार्ड दुरुस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है? इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरन्त इन 39 गांवों के अन्दर भी राजस्व के कैम्प आयोजित किये जायें ताकि इन 39 गांवों को राहत मिले।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं सभापति महोदय, एक चीज के अन्दर और गड़बड़ी हुई है। जैसे सिवाय चक के ऊपर कई वर्षों से काश्तकार का कब्जा है, उन कैम्पस के अन्दर यह हुआ कि उस पर चार भाई काबिज हैं तो चार भाइयों में बड़े भाई के नाम अलाटमेंट कर दिया गया। अब आप सोचिये, चार भाई उसके हिस्सेदार हैं चार हिस्से होंगे तो वह कभी बड़ा भाई अपने राजी खुशी मन से देने वाला नहीं है। अगर उसके हिस्से करो तो अदालत में जाकर रजिस्ट्री के माध्यम से वे हिस्सेदार बन सकते हैं वरना उसके हिस्सेदार नहीं बन सकते। दूसरी अर्ज मेरी यह है, सभापति महोदय, कृषि काबिल जमीन में 4-4 फसलें होती हैं। सभापति महोदय, किसी पर बगीचे लगे हुए हैं और किसी पर खेती 12 महीने लगी रहती है और काश्तकारों का जीवन यापन उसी पर चलता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर खानपुरा और दोराई के अन्दर उस जमीन को आवासन मण्डल जबरदस्ती अवाप्त करना चाहता है, जबरदस्ती उस जमीन को चाहता है। उन बगीचों को लेकर, उजाड़ कर वहां मकान बनाना चाहता है तो यह बात वाजिब नहीं है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 4-4 फसलें जिस खेत के अन्दर हो उसको किसी भी तरह से अवाप्त नहीं किया जाये, मकान के लिये उसको लेने से रोका जाये वरना इसके लिये आन्दोलन खड़ा करना पड़ेगा। सभापति महोदय, यह तो काश्तकार के लिये जीवन का, रोटी का सवाल है।

दूसरी बात, गिरदावरी के मामले में अमूमन यह देखा गया है कि पटवारी लोग घरों के अन्दर बैठ कर या गांवों के अन्दर पंचायत कोर्ट के अन्दर बैठ कर, सभापति महोदय, गिरदावरी करते हैं। अब की यह हुआ कि हमारे अजमेर जिले के अन्दर मेरे क्षेत्र में करीब 200 गांवों में अकाल पड़ा हुआ है जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबा है मगर पटवारियों की गलती की वजह से वह खराबा दर्ज नहीं किया गया, अकाल में

(श्री रमजान खां)

वे गांव घोषित नही किये गये इसलिए वहां पर इस साल कोई काम नही हुए। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य मे जब भी गिरदावरी हो तो पटवारी को खेत-खेत पर जाकर सही ढंग से गिरदावरी करनी चाहिए वरना यह तमाशा घर में बैठकर, गाव में चटाई के ऊपर बैठ कर गिरदावरी करना तो काश्तकार के साथ, सभापति महोदय, मखौल है।

जहां तक रजिस्ट्रियों का मामला है एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। छोटी सी बात है, सभापति महोदय।

**श्री सभापति** : कृपया कह दे जल्दी से।

**श्री रमजान खां** : जमीनों के वहां पर भाव तय कर दिये कि बारानी जमीन के 5 हजार रुपये बीघा, सिंचित जमीन के 10 हजार रुपये बीघा, सड़क के किनारे-किनारे जमीन आयेगी उसके 15 हजार रुपये बीघा, इस तरह के भाव रजिस्ट्रार आफिस के अन्दर तय हो गये हैं। जब वहां पर काश्तकार रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं उस भाव से अगर रजिस्ट्री नहीं कराता तो उसकी रजिस्ट्री होती नही है। अगर रजिस्ट्रार महोदय को पैसे दे दिये 100, 200, 500 रुपये उनकी फीस दे दी जाय तो वे जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। उसी के उदाहरण मैं आपके सामने, सभापति महोदय, प्रस्तुत करना चाहूंगा जहां तक एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं....

**श्री सभापति** : फीस के लिये रसीद जारी करते है।

**श्री रमजान खां** : हां साहब रसीद कम भाव की दे देते हैं। जैसे 40 हजार की जमीन है अगर आप उनको, रजिस्ट्रार महोदय को कुछ पैसे नहीं देवो तो 40 हजार के बगैर रजिस्ट्रार महोदय नहीं करेंगे। अगर पैसे उनको दे दिये तो वह जमीन 10 हजार, 15 हजार रुपये की रजिस्ट्री कर देगा, इस तरह के कई उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं।

**एक माननीय सदस्य** : आपका भी वास्ता पड़ा होगा ?

**श्री सभापति** : वास्ता तो हमारा और आपका साथ ही पड़ता है ऐसी क्या बात है। माननीय सदस्य, कृपया बोलें।

**श्री रमजान खां** : रिश्वत लेकर कम कर देते हैं। सभापति महोदय, मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं।

आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

**एक माननीय सदस्य** : माननीय सभापति महोदय, जरा मुझे पांच मिनट दें।

**श्री सभापति** : आपका नाम है। पहले इनका नाम लिया है, पहले ये बोलेंगे। श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

अपनी पुरानी मांग को राजस्व मण्डल में विचाराधीन मुकदमों को देखते हुए दोहराना चाहता हूं कि राजस्व मण्डल की बैंच जयपुर में स्थापित की जाय। सभापति महोदय, राजस्व मण्डल में 18 हजार मामले विचाराधीन हैं। और हर साल राजस्व मण्डल में विचाराधीन मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। जयपुर डिवीजन के लोगों को दूर जाकर न्याय प्राप्त करना पड़े और मुकदमों की सुनवाई में तारीख बदलवाने के अलावा और कोई काम नहीं हो ऐसी स्थिति में जयपुर, भरतपुर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए और धौलपुर, टौंक के लिए जयपुर में राजस्व मण्डल की बैंच स्थापित की जानी चाहिये ताकि लोगों को सस्ता न्याय प्राप्त हो सके। माननीय सभापति जी, जयपुर विकास प्राधिकरण के समीपस्थ ग्रामों में हजारों बीघा जमीन बेकार पड़ी हुई है सिवाय चक और गैर मुमकिन सिवाय चक जमीन जो किसानों को आवंटित कर दी जाती तो उससे किसानों की आजीविका का साधन बन जाता, साथ ही साथ उस जमीन से उत्पादन लिया जा सकता था। यह दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार का कई बार ध्यान आकर्षित किया गया इस बारे में लेकिन इस सम्बन्ध में आज तक गम्भीरता से निर्णय नहीं लिया गया, मैं राज्य सरकार का आपकी माफत से जवाब चाहता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण की परिधि में जो जमीन सिवाय चक और गैर मुमकिन सिवाय चक बेकार पड़ी हुई है और उस जमीन का बड़े-बड़े काश्तकार सम्पन्न व्यक्ति नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ऐसी जमीन है जिसकी आबादी के लिए आवश्यकता भी नहीं होगी उस जमीन को क्या राज्य सरकार भूमिहीन लोगों को, बेरोजगार लोगों को आवंटित करने का विचार रखती है? और नहीं रखती, तो क्यों नही रखती? माननीय सभापति महोदय, जयपुर जिले की तहसील बस्सी में बढ़वा और पडासोली ग्राम फार्म जयपुर राजघराने का था वह जमीन सीलिंग में प्राप्त कर ली गई। सीलिंग में प्राप्त करने के बाद आज उस जमीन में बड़े बड़े काश्तकार नाजायज खेती करके लाभ उठा रहे हैं सरकार उन लोगों को काश्त करने से रोकने में विफल रही है और नतीजा यह है कि गांव के लोगों को, गरीब लोगों को उस काश्त को देख कर अपने मन में दुःख होता है। मैं नही कहता यदि उस सीलिंग में ली हुई जमीन की कोई अपील विचाराधीन है तो उसका निर्णय शीघ्र किया जाना चाहिये और जब तक निर्णय नहीं हो तब तक जो सम्पन्न व्यक्ति काश्त करते हैं उनको रोका जाना चाहिये। जब वह सरकार की जमीन है तो उस पर नाजायज खेती किस प्रकार से हो रही है इस बात को देखा जाना चाहिए। मन्दिरों की भूमि काश्तकारों के नाम लिख दी गई और खातेदारी व्यक्तिगत नाम पर दे दी गई इस पर राज्य सरकार ने फैसला किया था कि वापस वह जमीन मन्दिरों के नाम लगेगी। अभी राजस्व अभियान के दौरान इस प्रकार का प्रस्ताव दिया गया कि यह भूमि वापिस मन्दिरों के नाम लगाई जानी चाहिये लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि आज तक इस जमीन का परिवर्तन और इस जमीन की खातेदारी का हक मन्दिरों के नाम नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, आबादी भूमि के प्रस्ताव पंचायतों द्वारा समय समय पर दिये

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

जाते हैं। आबादी भूमि के प्रस्ताव जो दिये गये हैं उसमें इतना विलम्ब होता है कि पंचायतें इसके लिए गृहविहीन लोगों को जो पट्टे देना चाहती है वह नही दे पाती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कृषि यार्ड मण्डी के लिए हमारे यहां से प्रस्ताव दिया गया राज्य सरकार ने दो साल तक उसकी स्वीकृति नहीं दी और एक अचम्भे की बात है कि सिकराय तहसील से एक व्यक्ति विशेष ने आबादी भूमि कन्वर्ट करवानी चाही उसके दो माह के अन्दर-अन्दर जमीन कन्वर्ट करने के आदेश दे दिये, उससे कृषि रूपान्तरण की कोई राशि प्राप्त करने के आदेश भी राज्य सरकार ने नहीं दिये। सरकारी काम के लिए और पंचायतों की आबादी भूमि दिये जाने के बारे में अनावश्यक विलम्ब होता है और व्यक्ति विशेष के नाम पर जल्दी हो जाता है इससे जनता में संदेह होता है। इसको विशेष रूप से देखा जाना चाहिये।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आपस में बात नहीं, माननीय सदस्य। बोलने दें कृपया। आप अलग से पूछ लें उनसे। कृपया बोलने दें।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** : माननीय सभापति महोदय, जयपुर जिले की चाही जमीन की लगान की दरें गंगानगर की नहरी जमीन के बराबर है। हमारे जिले के किसानों ने राज्य सरकार को एक मेमोरेण्डम दिया था लेकिन आज तक उस मेमोरेण्डम पर विचार नहीं हुआ। सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया था उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी उसके बारे में भी जयपुर जिले के किसानों को नहीं बताया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जयपुर जिले के किसान जो लाव और चड़स चला कर खेती करते हैं और उनकी सिंचाई इतनी महंगी पड़ती है वे गंगानगर के किसानों के बराबर लगान नहीं दे सकते इसलिए सभी दृष्टिकोणों को मद्देनजर रखते हुये जयपुर जिले के किसानों की चाही जमीन की लगान की दरें कम कर के न्याय दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर तहसील में संयुक्त कृषि सहकारी समिति को भूमि आवंटित की गई थी राज्य की तरफ से। मुझे यह मालूम नहीं कि उस समिति को किन शर्तों पर राज्य सरकार ने जमीन आवंटित की लेकिन यह बात सच है कि उस संयुक्त कृषि सहकारी समिति को जमीन आवंटित की गई उसके खातेदारी हक बड़े सम्पन्न लोगों को दे दिये गये जबकि इसी प्रकार की संयुक्त कृषि सहकारी समिति हरिजनों की, अनुसूचित जाति के लोगों की फागी में बनी थी और फागी के अनुसूचित जाति के लोग संयुक्त कृषि सहकारी समिति से अलग होकर खातेदारी अपने-अपने सदस्यों के नाम पर लेना चाहते हैं लेकिन उनके नाम आज तक खातेदारी नहीं लगाई गई। मैं सरकार से जानकारी चाहूंगा। कि किन शर्तों पर इस संयुक्त कृषि सहकारी समिति को भूमि का आवंटन किया गया और इसमें किन-किन लोगों को खातेदारी राइट दे दिये गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बात पर आपकी मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे यहां बैठसी में एक किसान था अनुसूचित जाति का, 45

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

बीगा जमीन उसकी खातेदारी में थी वहां के सरपंच और कुछ लोगों ने मिल कर उसको मृत घोषित करके राजस्व अभिलेख में उस जमीन का नामांतरण एक गोद आये दत्तक पुत्र के नाम से खोल दिया। आज भी वह आदमी जिन्दा है और कलक्टरी के और सरकार के चक्कर लगाते लगाते आज उसको पांच साल हो गये। जो आदमी जिन्दा है वह स्वयं कह रहा है कि मेरी खातेदारी की जमीन जिसके नाम लगाई गई और जिन अधिकारियों ने लगाई उनको सजा दी जाय और मेरी जमीन वापिस लौटाई जाय। यह दुर्भाग्य की बात है कि जो नामधारी कृषक है आज वह भूमिहीन की श्रेणी में दर दर भटकता फिर रहा है और सरकार आज तक निर्णय नहीं कर पा रही है। इसलिए जो आदमी जिन्दा है उसको वापस जमीन लौटा दी जाय। जिन अधिकारियों ने जान बूझकर उसको मृत घोषित किया और नामांतरण दूसरे के नाम खोल दिया उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये थी वह भी नहीं की गई।

**श्री शोपत सिंह** : उनको तरक्की को जाय।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** : तरक्की भी हो गई उसकी, आज वह एस. डी. एम. है।

सभापति महोदय, अकाल राहत में एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत और सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो सड़कें गांवों में बनी हैं जहां से होकर सड़कें निकाली हैं जिन काश्तकारों की जमीन सड़कों में आ गई आज भी उन काश्तकारों से लगान लिया जा रहा है। जब उनकी जमीन सड़क में ले ली गई काम में आ चुकी अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत या एन.आर.ई.पी. के अन्तर्गत या सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जो सड़कें बनी हैं उन सड़कों में जिस किसान की खातेदारी की जमीन काम में आई है उसका लगान माफ किया जाना चाहिये। उसमें अनावश्यक विलम्ब करने में, मैं समझता हूं, काश्तकारों के साथ अन्याय है।

**श्री सभापति** : थोड़ा संक्षेप में।

**श्री बी. डी. कल्ला (मुख्य सचेतक)** : सभापति महोदय, साढ़े सात बजे सरकार की ओर से बहस का उत्तर दिलवा दिया जाय।

**श्री सभापति** : प्रयास यही किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य 5–5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** : एक रामनिवास गाव चाकसू तहसील में है, आपको स्मरण होगा जब 81 में बाढ़ आई थी तो सर्वाधिक क्षति इसी गांव में हुई थी। बाढ़ से प्रभावित लोग चरागाह की जमीन में बस गये। स्कूल भवन वहां बन गया। आज भी कम से कम 40 परिवार वहां रहते हैं। वह जमीन दूसरे की खातेदारी की थी उसकी जमीन कृषि योग्य नहीं थी बेकार थी, उसकी खातेदारी की उस जमीन को राज्य सरकार ने कन्वर्ट कर लिया, यह भी नहीं देखा कि इस भूमि पर 40 परिवार अनुसूचित जाति के रहते हैं स्कूल भवन बना हुआ था। इस प्रकार की जो कार्यवाहियां हुयी हैं, उन पर, मैं समझता हूं, कि राज्य सरकार गौर करेगी और जो गलत निर्णय लिये हैं उस निर्णय में वापस संशोधन करके इन गरीब

(208)



(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

लोगों के हितों पर कुठाराघात नहीं करेंगे। यह मेरी मांग है।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** : अब माननीय सभापति महोदय, सीलिंग जमीन जो सिवाय चक की हो और जो आवंटित की गयी है, खास तौर से अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित की गयी है, उस पर अनुसूचित जाति के लोगों को काबिज नहीं होने दिया जाता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं दूदू तहसील का। दूदू तहसील में अनुसूचित जाति के लोगों को 1976 में भूमि आवंटित की गयी थी। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो आज भी काबिज नहीं हैं लेकिन लगान दे रहे हैं और सम्पन्न व्यक्ति या पहले जिन की जमीन थी और सीलिंग में प्राप्त की गयी थी, आज भी उस पर काबिज हैं। उनके बारे में मेरा एक ही निवेदन है कि राज्य सरकार इसके बारे में गम्भीरता से सोचे और राजस्व अधिकारियों और पुलिस की टीम बनाकर इन....

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** : और मौके पर जाकर इन लोगों को काबिज करायें। जयहिन्द

**श्री सभापति** : श्री रामचन्द्र जाट।

(व्यवधान)

ना पक्ष का है, इसके बाद हां पक्ष का आयेगा सबका नम्बर आयेगा। कृपया, बैठें।

श्री रामचन्द्र जाट।

**श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान है, कोई पार्टी या दल भी है ?

**श्री सभापति** : आप बहुत विद्वान आदमी हैं, आप तो उपसंहार करते हैं हर भाषण का।

**एक माननीय सदस्य** : माननीय सभापति महोदय, मुझे पांच मिनट का समय दिया जाय। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका।

**श्री सभापति** : कृपया बैठें।

**श्री शोपत सिंह** : माननीय सभापति महोदय, अगर हमारे विचारों को आप ऐसा समझते हैं....

**श्री सभापति** : काफी कीमत है आपके विचारों की।

**श्री शोपत सिंह** : कोई महत्व नहीं समझते हैं तो बात समझ में आ सकती है

**श्री सभापति** : आप जरूर बोलेंगे माननीय सदस्य।

**श्री शोपत सिंह** : नहीं, नहीं। बोलने का कोई शौक नहीं हम को। आसन यह समझता है

**श्री सभापति** : नहीं, माननीय सदस्य

**श्री शोपत सिंह** : × × ×*

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री सभापति** : सबसे मूल्यवान विचार आपके होते हैं । कृपया, आपकी बारी आयेगी तब आप बोल लेना ।

**श्री शोपत सिंह** : नहीं, बोलने से ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी ।

**श्री सभापति** : नाम पुकार दिया है । कृपया । एक हां पक्ष और एक ना पक्ष । आसन की ओर से कोई व्यवस्था में गड़बड़ नहीं है ।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था दी गयी थी आसन की ओर से । हम लोगों ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था तो आसन की ओर से व्यवस्था दी गयी थी कि माननीय सदस्यों को राजस्व की डिमान्ड पर बोलने का मौका दिया जायेगा । क्या हम को आज की तारीख में मौका दिया जायेगा ?

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य बोल रहे हैं । उसके बाद सब का नम्बर आयेगा ।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं ।

**श्री सभापति** : जिनको बोलना है, सबका नम्बर आयेगा ।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : आसन की दी हुई व्यवस्था पर आसन कायम है क्या ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** (मुख्य सचेतक) आपके दल ने नाम दिया है क्या आपका ?

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : प्रश्न दल का नहीं है, प्रश्न आसन की व्यवस्था का है ।

**श्री सभापति** : मैं निवेदन कर रहा था कि आपके दल की जो सूची आयी है, उसके क्रम में मैं नाम पुकार रहा हूं । दो सदस्य बोल चुके हैं । आगे श्री लालचन्द जी का नम्बर आयेगा । सब का नम्बर आयेगा ।

**श्री मानिक चन्द सुराणा** (लूणकरनसर) : माननीय सभापति महोदय, ये आसन की व्यवस्था के अनुसार बोलना चाहते हैं । दल ने नाम दिया या नहीं दिया, यह प्रश्न नहीं है ।

**श्री सभापति** : मैं समझ गया आपकी बात । आसन ने जो व्यवस्था दी है, उसकी पालना होगी ।

**श्री मानिक चन्द सुराणा** : स्थगन प्रस्ताव दिया है, उस पर बोलना है ।

**श्री सभापति** : जिनको बोलना है, बोलेंगे । आप चाहते हैं कि हाउस लम्बा चले मुझे कोई दिक्कत नहीं है ।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : नहीं, हमारा उस सूची में नाम है क्या ?

**श्री सभापति** : एडजोर्नमेंट मोशन दिया हुआ है तो आपका नाम होगा । सब का नम्बर आयेगा । क्रमशः इधर के भी साथी हैं ।

श्री रामचन्द्र जाट ।

**श्री रामचन्द्र जाट** (बनेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से के सदन सामने उसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करना चाहूंगा जो मैंने बजट की सामान्य चर्चा के समय उठाया था । माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम मेरी बात को सुनने के लिए

(श्री रामचन्द्र जाट)

माननीय राजस्व मंत्री महोदय उपस्थित रहें।

**श्री शोपत सिंह** : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। मुझे ग्रापको कहना पड़ेगा शासन के व्यवहार के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करते हुए....

**श्री सभापति** : नहीं, माननीय सदस्य। ग्रापका हम बहुत सम्मान करते हैं। ग्रापकी विद्वता का बहुत सम्मान करते है।

**श्री शोपत सिंह** : बहुत दुख की बात है कि ×××

**श्री सभापति** : हम ग्रापका बहुत सम्मान करते हैं।

**श्री शोपत सिंह** : सदन से बहिर्गमन करते हैं। (बहिर्गमन)

**श्री सभापति** : श्री रामचन्द्र जाट। Please Continue.

**श्री रामचन्द्र जाट** : माननीय सभापति महोदय, मैं यह अपेक्षा करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर माननीय राजस्व मंत्री जी जरूर उपस्थित रहें ग्रौर उनकी ग्रनुपस्थित में श्री बकोलिया जी ...

**श्री सभापति** : ग्राप बोलें वे उनको कन्वे कर देंगे। Please Continue

**श्री रामचन्द्र जाट** : माननीय सभापति महोदय, यह सीलिंग का जो प्रकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रौर मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि 31-3-1985 तक सीलिंग प्रकरण के जरिये 86 हजार 50 मुकदमें निर्णित हुए हैं। इन मुकदमों के ग्रन्तर्गत 31-3-85 तक 5 लाख 88 हजार 693 एकड़ जमीन सरप्लस घोषित की गयी है ग्रौर इन सीलिंग के मुकदमों में जो भूमि ग्रवाप्त की गयी इसमें 5 लाख 48 हजार 565 एकड़ भूमि पर कब्जा दिया गया ग्रौर ग्रकृषि कार्यों के लिए 36 हजार 405 एकड़ भूमि ग्रावटित की गयी। माननीय सभापति महोदय, एक बहुत ही बड़ा षडयंत्र रचा जा रहा है इस सीलिंग की भूमि के मुग्रावजे के निर्धारण के संबंध में। मैं मंत्री महोदय का ध्यान राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला किया ए ग्राई ग्रार 1977 के पेज 46 पर उस महत्वपूर्ण फैसले की तरफ सदन का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा।

(7.09 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बंशीधर बनाम स्टेट, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के पांच माननीय जज ग्रौर स्पेशल फुल बैंच ने सर्वसम्मत निर्णय दिया है। जिसके द्वारा यह मत प्रतिपादित किया है कि पुराने सीलिंग की जमीन के मुग्रावजे के लिये पुराने सीलिंग ला का चैप्टर 3 (डी) के सैक्शन 30 (जी) के जो प्रावधान रखा गये हैं, उसके मुताबिक उसका चुकारा किया जायेगा ग्रौर नये सीलिंग जो 1973 के एक्ट के तहत ली गयी है उसका मुग्रावजा 1973 के एक्ट का प्रावधान जो सैक्शन 19 में दिया गया है, उसके तहत दिया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण फैसले में जो

××× ग्रभिव्यक्ति माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई।

(श्री रामचन्द्र जाट)

रेलेवेन्ट अंश हैं, जो पैरा 54 में दिया हुआ है, और जिसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें भूमिधारियों की तरफ से यह उठाया गया था कि पुराने सीलिंग के तहत अवाप्त की गयी भूमि, अधिगृहित भूमि का मुआवजा सन् 1973 के प्रावधान के अन्तर्गत दिलाया जाय।

**श्री बिहारीलाल पारीक** (माण्डल) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। नम्र निवेदन है कि हमारे हक आपके हाथों में सुरक्षित हैं। मेरी प्रार्थना यही है कि यह सब दिख रहा है कोई रेवेन्यू मिनिस्टर, कोई डिप्टी स्पीकर, कोई वकील, इनको कानूनी बातों से मतलब है। मेरे क्षेत्र को दो मिनिट में बात कहना चाहता था। हमने कई-कई बार रिक्वेस्ट की, प्रार्थनायें कीं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया और वास्तव में जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ वह बात मेरे क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। यह कानून के पाइंट क्या है?

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस मांग को पास कर दिया जावे। पास शुदा मान लिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : जिसको कानून आता है, वे कानून की बात करेंगे, अनपढ़ बेचारे नहीं करेंगे। कोई बात है क्या इसमें?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, ये व्यवस्था का प्रश्न....

**श्री बिहारीलाल पारीक** : आपकी मार्फत ही कुछ कह सकते हैं, श्रीमन्।

**श्री उपाध्यक्ष** : बोलने वाले सदस्य खुद बहुत ही व्यवस्था को जानते हैं।

**श्री रामचन्द्र जाट** : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये प्रश्न केवल हम लोगों का ही नहीं है जो विरोध पक्ष में बैठे हुए हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न कांग्रेस के जो अपने आपको कांग्रेस के हितैषी लोग कहते हैं, उनके लिये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरकारी निर्णय के माध्यम से बड़े भूमिधारियों को ज्यादा बढ़ी दर पर मुआवजा देने का षड्यंत्र किया जा रहा है उसमें वे कृपया भागीदार न बनें और इस महत्वपूर्ण मामले पर निस्संकोच अपना मत व्यक्त करें। इसकी पुष्टि में माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। "Section 19 is also pressed into service by the learned counsel for the appellants to support their contention that is makes the intention of the legislature clear that the new Law will govern the pending cases. We regret that we cannot accept this proposition as this section delas with the payment compensation to the land-holders whose lands are to be transferred to the State as surplus lands. While enacting the new Law the legislature specified certain rates for determining the compensation be paid to the land-holders which

(श्री रामचन्द्र जाट)

amount would undoubtedly be different from the one provided under the old Law, but from this difference in the amount of compensation provided under the new Law and the old Law, it cannot be said that the intention of legislature was that old matters will be decided under the new Law."

तो यह जो प्रश्न रखा गया सेक्शन 19 में कि नये 1973 में सीलिंग में जो कम्पंसेशन का प्रावधान है वही पुराने सीलिंग कानून में अधिगृहित भूमि पर भी लागू होंगे। इसके बारे मे स्पष्ट राय राजस्थान हाईकोर्ट ने यह प्रतिपादित की है कि ओल्ड सीलिंग ला के तहत जो अधिगृहित भूमि है, उसका मुआवजा ओल्ड ला के तहत ही दिया जायगा और उन्होंने अपने इस मत की जो पुष्टि की है, उसके लिये जनरल कलाजेज एक्ट धारा 6 का भी सहारा लिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं आपका ध्यान आकर्षित चाहता हूं कि उदयपुर सभाग में जहां मेवाड़ राज्य का शासन था और वहां जो सेटलमेंट रेंट रेट्स फिक्स किये गये हैं, उसके अनुसार जो मुआवजा सेक्शन 30 जी. में सीलिंग केसेज में अधिगृहीत भूमि के संबध में देना है और जो नया भूमि कानून बना है 1973 में उसमें बहुत बड़ा अन्तर हो गया है। पुराने सीलिंग कानून में रेंट रेट्स का तीस गुणा लगान मुआवजा के रूप में दिलाया जाना निर्धारित किया है पूरे मेवाड़ राज्य में जो दर थी सेटलमेंट रेट्स की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो शाही जमीन है उनका जो रेंट रेट्स हैं, उसकी जो लगान है, वह 7 रुपये से 8 रुपये पर एकड़ है और उसके हिसाब से तीस गुणा उसका लगान बनता है, वह 240 रुपये तक उसका मुआवजा पुराने कानून के तहत प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन उसको नये सीलिंग ला के कानून के अनुसार अगर मुआवजा दिलाया जायेगा तो शाही जमीन का जो मुआवजा है, उसकी दर उन्होंने एक हजार रुपये रखी है, नहरी जमीन की उन्होंने नये सीलिंग कानून में जो मुआवजे की दर रखी है, वह 1600 रुपये प्रति एकड़ रखी है, जबकि नहरी जमीन का जो रेंट रेट था, लगान था, वह हमारे मेवाड़ राज्य में तीन से चार रुपये बीघा और पांच से सात रुपये पर एकड़ की है और तीस गुणी राशि बनती है 150 से 200 रुपये। उस 150 रुपये से 200 रुपये राशि की बजाय, मुआवजे की राशि की बजाय, ये बड़े भूमिधारी 1600 रुपये प्रति एकड़ प्राप्त करेंगे। जो बारानी जमीन है, जिसकी बन्दोबस्त रेट जो लगान की है, वह 50 पैसे से 70 पैसे पर बीघा है, जो कि एकड़ के हिसाब से मुश्किल से एक रुपया पर एकड़ आता है और तीस गुणा रहने के कारण होता है 30 रुपये। उस तीस रुपये पर एकड़ के मुआवजे के स्थान पर ये बड़े भूमिधारी को 500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, अहम् प्रश्न है और इस अहम् प्रश्न पर सरकार ने न तो राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को देखने का कष्ट किया, न इस ओर उन्होंने कोई रेफरेंस क्रियेट किया,

(श्री रामचन्द्र जाट)

न. राजस्थान हाईकोर्ट की ओपिनियन मांगी और इन्होंने एक विभागीय सर्कुलर इस बात का निकाल दिया कि अगर कोई भूमि अधिगृहीत की गयी है पुराने कानून के तहत चैप्टर थर्ड बी के तहत, तो उसका मुआवजा भी 1974 के कानून के अनुसार दिया जाय। इन्होंने एक विभागीय सर्कुलर लाकर के पूरे जिले में, कम से कम यह करोड़ों रुपये का मामला है, जिसके माध्यम से सरकार पर और जिन भूमिहीन काश्तकारों को भूमि एलाट की गयी है उन पर यह बहुत बड़ा भार डाला जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूमिहीन काश्तकार को कागजों में यह भूमि दी गयी है, मैं नहीं कहता कि सभी भूमिहीन काश्तकार होंगे, उनमें से बहुत बड़े जागीरदार हैं, हो सकता है इन्होंने अपने संबंधियों के नाम से भूमि आवंटित करा ली हो, सरकारी नौकर हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको ये भूमि नहीं मिलनी चाहिये थी, लेकिन फिर भी आज जो फीगर्स हैं जितनी सीलिंग में भूमि को प्राप्त किया है, इसमें से कम से कम चार लाख एकड़ भूमि पुराने सीलिंग कानून के तहत अधिगृहीत की गयी है और करीबन डेढ़ लाख एकड़ नये कानून के तहत अधिगृहीत की गयी है। इस चार लाख एकड़ भूमि के मुआवजे का प्रश्न है और इस चार लाख एकड़ भूमि का मुआवजे की बढ़ती हुई दर, बड़े भूमिधारियों को दिलाये जाने का प्रश्न उठाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल सरकार का ही यह मामला नहीं है, सरकार ने स्वयं भी जो अकृषि कार्य के लिये भूमि आवंटित की है, उसका मुआवजा राजकोष से बड़े भूमिधारों को देना पड़ेगा और जिन भूमिहीन काश्तकारों को यह करीबन चार लाख एकड़ भूमि मिली है उन भूमिहीन काश्तकारों को अपना पेट काट करके अपनी जेब से यह बढ़ी हुई दरें देनी पड़ेंगी।

मेरी एक ही गुजारिश है आपके माध्यम से, इस प्रश्न पर राज्य सरकार अपना मंतव्य स्पष्ट करे। जिस गलत व्याख्या के आधार पर राजस्व विभाग के सर्कुलर के द्वारा बड़े भूमिधारियों को यह जो मुआवजा दिया जा रहा है, इस सर्कुलर को तुरन्त निरस्त करे। जिन बड़े भूमिधारियों ने इस गलत सर्कुलर के आधार पर बढ़ी मुआवजे की दर पर मुआवजा प्राप्त कर लिया है उसको पुनः सरकार वसूल करने की प्रक्रिया अपनावें, राज्य सरकार तुरन्त आदेश दे और इस बात के लिये स्पष्ट घोषणा करे कि पुरानी भूमि सीलिंग में जो अधिगृहीत की गयी है, उसका मुआवजा नये कानून के अनुसार नहीं मिलेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य...,

**श्री रामचन्द्र जाट** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहता हूं राजस्व मण्डल के बारे में।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

**श्री रामचन्द्र जाट** : राजस्व मण्डल एक उच्च न्यायालय है राजस्व के मामले में, लेकिन एक परिपाटी चल रही है राजस्व मण्डल में और वह परिपाटी यह है कि बहुत कम कार्य का डिस्पोजल राजस्व मण्डल में होता है उसका एक बहुत बड़ा कारण है।

(श्री रामचन्द्र जाट)

रहा है कि राजस्व मण्डल के माननीय सदस्य दोपहर के भोजन के बाद न तो मुकदमें की सुनवाई करते हैं, न न्यायालय कक्ष में बैठते हैं और एक अमूमन परिपाटी यह चल रही है कि जिस तरह से हमारे विधान सभा के माननीय सदस्य किसी भी समिति में भोजन के बाद नहीं बैठते हैं, शायद वही परिपाटी राजस्व मण्डल में सदस्यगण अपनाते हैं। राजस्व मंडल के सभी माननीय सदस्यों, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं ये एक परिपाटी बना रखी है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

यह परम्परा बना रखी है कि वे भोजन के समय बाद, दोपहर के भोजन के बाद कोई मुकदमें पर न तो बहस सुनते हैं, न निर्णय करते हैं और अपने घर पर प्रस्थान कर जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां बहुत बड़ी बात करते हैं, हम यह कहते हैं कि किसानों को जल्दी से जल्दी राहत दें जब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड में 19 हजार मुकदमें जो पेंडिंग पड़े हैं, का जल्दी निपटारा किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बात का निर्देश दे राजस्व मण्डल के सदस्यों को कि वे जिस प्रकार उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के बराबर है जो समय निर्धारित है, 10 से पांच बजे तक बराबर कार्य करते हैं। उसी मापदण्ड के अनुसार, उसी समयावधि में इन्हें भी निरन्तर कार्य करना चाहिए। मेरा यही सुझाव है।

धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री सुन्दरलाल जी।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो दो ही मिनट बोलेंगे।

**श्री उम्मेदी लाल** (हिन्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय चल रहा है इस विषय के मामले में मैं आपके सामने कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सन 1975 में गरीबों को 5 बीघा भूमि अलॉट की यह एक तहसील में ही नहीं, कुल मिलाकर सारे राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में इन्दिरा जी की बदौलत गरीबों को दी गयी। मैं आप से अर्ज करूं, मेरी तहसील हिण्डौन मे जो जमीन मिली उन गरीबन को, जब उन्होंने उसको अच्छी भली बनाकर तैयार की, एक साल जोता तो दूसरी साल उन गरीबों से वह जमीन छीन ली गयी। छीनकर अपने कब्जे में ले ली। उन गरीबों ने जब थाने में, तहसील में या राज्य सरकार से प्रार्थना की कि हम से जमीन छीन ली तो राज्य सरकार ने उनकी कोई व्यवस्था नहीं की। मैं आप से अर्ज करूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे गरीबों को या तो जमीन देते ही नहीं जिस से वह बरबाद नहीं होते, मजदूरी करके खाते और जब उनको जमीन आपने दी है तो उसकी तुरन्त व्यवस्था की जाय। ऐसा करने की मैं आप से अर्ज करूं। राजस्थान में ऐसा कौनसा क्षेत्र है, हर गांव में जमीन मिली। उन से जबर्दस्ती जमीन छीन ली। मेरे क्षेत्र में गरीबों को 5-5 बीघा के 45 प्लॉट मिले। जबर्दस्ती कब्जा कर लिया लोगों ने। दूसरे, एक गांव मीना, जिसमें 20 प्लाट मिले गरीबों को। जिन पर भी जबर्दस्ती कब्जा किया। एक गणेश गांव है मेरे क्षेत्र में जिसमें 25 प्लाट मिले। 25 के 25 पर कब्जा कर लिया लाठी से। एक चटनगला,

(श्री उम्मेदीलाल)

इसमें करीबन 25-30 प्लाट मिले जिसमें बाकी प्लाट तो बदस्तूर मिल गये, एक प्लाट को रद्द कर दिया जबकि एक सरपंच के कोई रिश्तेदार को दे दी जमीन। अभी भी केस चल रहा है और बेचारा परेशान हो रहा है। दूसरा एक ढठोरा गांव है जिसमें करीब 30 प्लाट मिले। 30 प्लाट मिले गरीबों को, कागजों पर उनके नाम दर्ज हैं, उनके नाम खोले गये लेकिन आज तक कब्जा नहीं आया। मैं आप से अर्ज करना चाहूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक मुखरा गांव है जिसमें 38 प्लाट मिले सरपंच महोदय ने बर्बा किया। हरिजनों को प्लाट मिले। उन्होंने दो साल बोये। दो साल के बाद फर्जी दस्तखत हरिजनों के करके एस. डी. एम. कलक्टर करौली को एक फाइल दी और उसमें यह लिख दिया कि यह नहीं लेना चाहते। एस डी एम, कलक्टर, करौली ने क्या किया, उसको रद्द किया, उन बेचारों से जमीन छीन ली। उनका केस अभी भी चल रहा है। मैं आप से अर्ज करूं, उपाध्यक्ष महोदय, यदि उन गरीबों को जमीन नहीं देते तो वे बरबाद नहीं होते वास्तव में। उनकी जमीन अब लोगों ने जबर्दस्ती छीन ली। अब उनके केस चल रहे हैं। उनकी औरतों, मां-बहनों के जेवर बिक गये लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

हरिजनों को जो आबादी मिली। मेरे ख्याल में वास्तव में जिनके लिए परेशानी थी उनके लिए अब तक बसने नहीं दिया। जहां बसाया भी गया वहां उनके मकान फुड़वा दिये और उस पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया। इसलिए उनकी व्यवस्था ऐसी की जाय ताकि उनकी आबादी के लिए कुछ व्यवस्था हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

तीसरा जमीन थी पहले से, सैंकड़ों वर्षों से इन लोगों ने गरीबों से वह जमीन छीन ली। मन्दिरों की जमीन को उन्हीं के नाम कुछ समय के बाद किया और कुछ समय के बाद उस क्षेत्र में वह कानून रद्द कर दिया 1975-76 में। अभी वह केस चल रहे हैं, लड़ रहे हैं वे बेचारे बरबाद हो रहे हैं। इसलिए मैं आप से अर्ज करूं कि यह जो व्यवस्था सरकार ने की है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं कह सकता हूं। हरिजन, एस. सी. एस. टी. के लोग कांग्रेस को अपना मत तलवार की नोंक पर देते हैं। ऐसे लोगों की व्यवस्था अगर आपने नहीं की तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा पछताना पड़ेगा। इसलिए व्यवस्था तुरन्त की जाय और जमीन दी है आपने, उनको तुरन्त लिया जाय।

धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री लालचन्द। कृपया 5-मिनट लें। बहुत शार्ट।

**श्री लालचन्द डूडी** (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा लम्बा-चौड़ा भाषण देने की जरूरत भी नहीं है। इसमें तो बड़ी सीधी सी बात है। कुछ एक पॉइन्ट ही बतलाने हैं। उन पर अगर ध्यान दिया जाय, इस बहस के ऊपर अगर विचार किया जाय तो काफी परेशानी लोगों की मिट सकती है।

(श्री लालचन्द डूडी)

उपाध्यक्ष महोदय जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया इस राजस्व के अन्दर चल रही है उसकी वजह से गांव का किसान, अनपढ़ किसान, जमीन का मालिक या भूमिहीन जिस तरह से तंग हो रहा है मेरे ख्याल में बाकी किसी महकमे से नहीं हो रहा होगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि यह राजस्व मण्डल का ही मामला ले लो। राजस्व मण्डल के अन्दर कोई मुकदमा चला जाता है जमीन का छोटा सा, उस मुकदमे का फैसला होने में 10-10, 5-5 साल चले जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय जमीन के टुकड़े का फैसला है कि जमीन जमीन का टुकड़ा मेरा है या दूसरे का है। इसमें बहुत छोटी सी बात है जिस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं। जमीन आती है 5-6 तरीके से। उत्तराधिकार से आती है, कोई गोदीनामे से आती है, कोई वसीयतनामे से आती है, अलाटमेंट से आती है, खरीदता है या पुराना कब्जा है। यह 5-6 बिन्दु हैं जिन पर विचार करना होता है, राजस्व मण्डल के इतने पढ़े लिखे, इतने सीनियर अफसर इनका फैसला 20-20 साल तक नहीं कर सकते। मैं तो यह सुझाव दूंगा, या तो इस राजस्व मण्डल को तोड़ दिया जाय या इनकी बजाय गांव के अनपढ़ आदमियों को बैठा दिया जाय जो 6 महीने में फैसला करके किसान को अपने घर भेज देगा, यह एक सफेद हाथी ऐसा बैठा दिया जिससे किसान को बुरी तरह से लुटाया जा रहा है। कोई इसके अन्दर उनको बाकी नहीं।

इसके बाद गांवों के अन्दर क्या स्थिति है? हमारे यहां कालोनी एरिया के अन्दर, बतला रहे थे दिग्विजय सिंहजी, रजिस्ट्री की मंजूरी लेने के लिए जिलाधीश के पास पहुंचो। मैं अपनी जमीन बेच रहा हूं, यह अपनी जमीन खरीद रहा है। जिलाधीश के पास चक्कर लगाओ। फिर उसके पीछे कितनी एजेन्सियां। एक जिला हैड क्वार्टर पर पहुंचने में हमारे जैसे हल्के आदमी को तीन दिन लग जाते हैं। फिर यह दलाल बैठे हैं कि आप मत जाइये, 500 रुपए मुझे दे दो मैं अपने आप करवा लूंगा। किसी ने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो चक्कर खाते रहो। अगर सब रजिस्ट्रार गलत रजिस्ट्री करता है तो उस सब रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। वह सरकार का एजेण्ट है एक, तो फिर जिलाधीश के पास जाना कहां जरूरी है। रजिस्ट्रार को भी बतला दिया जा सकता है कि यह कण्डिशन फुल-फिल नहीं हो अगर, तो आप रजिस्ट्री मत कीजिए। लेकिन, जनाब, किसान को तंग करने के लिए जिलाधीश के पास जाओ। वहां जाकर उनकी सेवा-पूजा करो, उसके बाद रजिस्ट्री करवाने की मंजूरी लो। जनाब, स्थिति इतनी भयंकर है कि जमीन लोगों को अलाट हुई। उन जमीनों का पैसा भर दिया। पैसा भरे हुए 10-10 साल हो गये। कहते हैं, 10 साल के बाद, पैसा अगर भर दिया जाय तो उनको खातेदारी राइट्स मिल जाते हैं।

आप जाकर देख लीजिये गंगानगर जिले के लोगों की हालत। कितने लोगों ने पैसे भर रखे हैं, लेकिन पैसे भरने के बावजूद भी खातेदारी राइट्स के लिये अभी तक ढूंढ रहे हैं, हमेशा परेशान होते हैं। कितने राजस्व अभियान करेंगे? पिछली दफा सरकार ने जो राजस्व अभियान चलाया था

(श्री लालचन्द डूडी)

उसमें फैसला किया गया था कि जिन लोगों ने पैसे भर दिये हैं उन सब को खातेदारी राइट्स मिल जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे वन फोर्थ को भी नहीं। आप भी तो जाकर बात करते कहीं न कहीं। इसकी सीधी सी बात है, खातेदारी राइट्स देने के लिये जिस तहसील के अन्दर जितने केसेज पेंडिंग हैं, उनकी फाइल्स को ले जाकर तहसील हैड क्वार्टर्स पर बैठ जायें, 4-5 दिन का नोटिस दे दें, 5 दिन लोगों की समस्या सुनकर—कहीं ब्वीज का फर्क है या और कोई फर्क रह गया, उनको वहीं सुलटा कर, वहीं पर सबको खातेदारी राइट्स दे दें। लेकिन बीच की लूट कैसे खत्म हो।

तीसरी बात, एक्सचेंज ड्यूटी वाला मामला। उपाध्यक्ष महोदय, एक गांव के अन्दर 1 हजार रुपये बीघा की जमीन भी है और उसी गांव के अन्दर 10 हजार रुपये बीघा की भी जमीन है और रजिस्ट्री जब होती है, तो तहसीलदार साहब कहते हैं, हां, साहब, इस रेट पर जमीन बिकी है उसी कीमत से जमीन की कीमत पर लगेगी स्टाम्प ड्यूटी। लोगों के साथ यह बड़ा अन्याय हो रहा है; इसके लिये भी कोई व्यवहारिक हिसाब-किताब बनायें। और यदि वहीं बीच में कोई यह कह दे कि आप ले लो साहब 400-500 रुपये, तो अच्छा, तुम्हारी कम कीमत करके रजिस्ट्री करवा देंगे। और अगर किसी ने यूं कह दिया कि नहीं, साहब, हम तो नहीं होने देंगे। तब क्या करेंगे कि उस फाइल पर कोई नोट लगाकर फिर ए. डी. एम. सैल के यहां से नोटस आयेंगे और बेचारे लूटते रहेंगे। किसान की ऐसी खराब हालत हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, भादरा तहसील का एक मामला मैं आपको अर्ज करूं। हमारे 20 गांव ऐसे हैं जो फ्लो लाइन से बाहर कर दिये गये हैं और उसके साथ ऐसा हो गया है कि उनको न तो खातेदारी राइट्स मिल रहे हैं, न पानी मिल रहा है। पहले तो ये गांव कमाण्ड थे, पानी कम हो गया, डी कमाण्ड हो गये, डी कमाण्ड हो गये तो फ्लो लाइन से बाहर चले गये। फ्लो लाइन के बाहर जाने के बाद ग्राम बिरादरी के लोगों को जिस तरह से खातेदारी राइट्स मिलने चाहिये थे, कितने साल घोषित करने के बावजूद भी अभी तक उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिले हैं और उसके अन्दर कहीं न कहीं कानूनी पेचदगियां हैं, कई क्वेरीज होती हैं, कई और होता है, लेकिन कोई क्लियर बात नहीं होकर उन किसानों को अभी तक जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। मुझे उम्मीद है इसकी तरफ राजस्व मंत्रीजी ध्यान देंगी।

गांव के अन्दर जो लड़ाइयां हैं, जो झगड़े हैं, लड़ाइयों के जो कारण बनते हैं, वह जो जोड़पाइथन और गोचर....

**श्री उपाध्यक्ष** : शार्ट कर दीजिये।

**श्री लालचन्द डूडी** : हां, उपाध्यक्ष महोदय। जोड़पाइथन का तो ऐसा मामला है, जल प्रदाय आपने देख ली। आपके पास पानी का एक मात्र साधन तो तालाब ही है और उस तालाब में पीने के लिये पानी इकट्ठा होता है, वह जोड़पाइथन से इकट्ठा होकर आता है। उन जोड़पाइथन में सब में

(श्री लालचन्द डूडी)

कब्जा हो रहा है। आपका कस्टोडियन पटवारी वहां पर बैठा है, आपका तहसीलदार वहां पर बैठा है, उनके देखते देखते जोड़पाइथन और गोचर पर कब्जे हो गये। क्यूं नहीं ऐसी एग्जामिपल्स रखी जाय 1-2-4 जगह पर कि आइन्दा जोड़पाइथन या गोचर भूमि की तरफ कब्जा करने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़े ? इन बातों के लिये किसी को रेस्पोन्सिबिल ठहरायें। कहीं न कहीं तो कार्यवाही होनी चाहिये। लेकिन इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता। उन जोड़पाइथन के अन्दर जाकर लोगों ने गोबर डालना, कूड़ा-करकट डालना शुरू कर दिया। उस तरह का पानी पीने के लिये गांव के लोग मजबूर हो रहे हैं। तो इनके ऊपर आप सख्ती से और बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करके इनको खाली करवायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक और री फिटिंग का मामला है। बड़ा तमाशा हो रहा है, 3-4 कमेटियां बैठी हैं भादरा एरिया के अन्दर। जमीन वहां पर एक आदमी के नाम बोल रही है, काबिज दूसरा आदमी है और रजिस्ट्री के अन्दर कहीं तीसरा आदमी है। ईसके लिये 4 कमेटियां बैठ गई। कलक्टर साहब बैठ गये, 2-3 ए.डी.एम. बैठे और कोई और बैठे कि सही आदमी के नाम जमीन कर दें। जिस तरह से खातेदारी जिसके नाम से उस हिसाब से करवा दें या या कब्जे हैं उनके नाम जमीन करवा दें। इसके लिये कितनी दफा कह दिया-एक महीने में हो जाता है, 6 महीने में हो जाता है, साहब अब तो वसूली का टाइम हो गया, कुछ दिन काम रुक जायेगा, अब फलाना हो गया, इस प्रकार से 10 साल हो गये। तो आपका यह कस्टोडियन क्या है ? क्या कर रहा है वहां पर जमीन के अन्दर ? मैं आपको थोड़ा बतला दूं। हमारे भादरा में मंसूरी गांव के अन्दर एक फर्जी बेनामी को-आपरेटिव सोसाइटी, पता नहीं नाम है कि नहीं है, कुछ अता-पता नहीं, को-आपरेटिव डिपार्टमेंट में देखते हैं तो उस नाम की कोई रजिस्टर्ड को आपरेटिव सोसाइटी नहीं, वहां पर बनी हुई है और 20 साल से 165 बीघा जमीन पर कब्जा किये बैठे हैं। आपके तहसीलदार और पटवारी से बात करते हैं कि यह जमीन किसकी है, कौनसी को-आपरेटिव सोसाइटी है तो वह कहते हैं कि हमें मालूम नहीं, आदमी है या नहीं है। एक आदमी पंजाब से कोई आता है और आकर दे दिवाकर ठेके से पैसे लेकर चला जाता है। 165 बीघा जमीन यूं की यूं पड़ी है।

दूसरा अलाटमेंट के मामलों में बड़ा तमाशा हुआ। एक बेचारे गरीब हरिजन के नाम एक मुरब्बा जमीन कमाण्ड की, उससे किश्त नहीं भरी गई। बाकी के लोगों से, जिनसे किश्त नहीं भरी गई, उनको तो चांस दे दे दिया गया कि आइन्दा भर देना लेकिन यहां पर इसको चांस नहीं दिया गया खाली करवाया गया और खाली करवा कर अलाट किसको करवाई गई, हमारे भूतपूर्व एम.एल.ए. के भाई के एक लड़के को। किस बहाने से कि उस भाई को फर्जी कागज पर भूमिहीन के गोदनामा लिखवा कर कुछ उसके बाप के नाम की और कुछ उसके नाम कर दी और कीमत उसकी क्या रखी, 1 हजार रुपये। 6-7-10 हजार रुपये की

(श्री रघुनाथ परिहार)

जमीन को 1 हजार, कुछ पैसे लेकर यह कमाण्ड जमीन, नहरी जमीन उस गरीब हरिजन से कैंसिल करवा कर यह षडयन्त्र किया। इस तरह के ये मामले हैं। ये अलॉटमेंट के मामले मैंने आपके माध्यम से बता दिये....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री लालचन्द** : और जमीन के एक्सचेन्ज ड्यूटी के किस तरह से लोगों से मिलकर रफा-दफा करवाते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिये, जोड़पाईथन और गोचर मामले मैंने आपको बता दिये। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्व मंत्री महोदया इनके ऊपर ध्यान देकर उचित कार्यवाही करेंगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सुन्दरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री पोकरणलाल परिहार।

(अनुपस्थित)

**श्री मूलचन्द मीणा** : मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सूरजाराम मीणा।

(अनुपस्थित)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री अरूकअली।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द मीणा।

**श्री मूलचन्द मीणा** (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मांग संख्या 8 राजस्व विभाग की मांग की चर्चा पर मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने अतिक्रमण वाली बात कही है। कहीं चरागाह का अतिक्रमण हो रहा है, कहीं रास्तों का अतिक्रमण हो रहा, राजस्व मंत्रीजी की ओर से निर्देश दिये जाते हैं कि अतिक्रमण हटायें लेकिन उस आदेश की पालना नहीं की जाती है। इसके सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी को एक सुझाव देना चाहता हूं। चाहे चरागाह का अतिक्रमण हो या रास्तों का अतिक्रमण हो, आप उस गांव के पटवारी और उस तहसील के तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दीजिये। यदि पटवारी उस अतिक्रमण की शिकायत नहीं करता, या अतिक्रमण नहीं हटते तो उस पटवारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय। इन अतिक्रमण के सम्बन्ध में बार बार चर्चायें होती हैं और हर साल विधान सभा में चर्चा चलती है लेकिन अतिक्रमण की समस्या अब तक दूर नहीं हुई।

दूसरी बात, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को जो भूमि आवंटित की गई थी उस भूमि का सर्वप्रथम तो कब्जा दिया ही नहीं गया और यदि कब्जा कभी दे दिया गया तो उसका नामान्तरकरण अभी तक नहीं कराया गया। उन लोगों को खातेदारी के अधिकार ही प्राप्त नहीं हुए ऐसी भूमि जो आज से 10 वर्ष पूर्व आवंटित की गई थी। ऐसे कई गांव तहसील गंगापुर सिटी, तहसील नादोती, तहसील टोडाभीम के अन्दर आज से 10 वर्ष पहले आवंटित की गई थी, रेगुलराइज की गई थी लेकिन आज तक नामान्तरकरण नहीं किया गया। नामान्तरकरण की व्यवस्था भी पटवारी के हाथ में होने के कारण

(श्री मूलचन्द मीणा)

भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा रास्ता पटवारी का यह है। जो लोग उसे रिश्वत देते हैं उनका नामान्तरकरण कर देते हैं। इसके सम्बन्ध में कोई नियम बना दें, पंचायत को अधिकार दें दे तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार, पटवारी जो कार्यवाही करता है, उस भ्रष्टाचार को पटवारी नहीं करने देंगे। दूसरा, आज गिरदावरी महत्वपूर्ण चीज है राजस्व के अन्दर। क्योंकि किसान किसी खेत के अन्दर तिलहन बोता है, किसी के अन्दर बाजरा बोता है लेकिन गांव का पटवारी, क्योंकि पटवारी इस राजस्व के लिए गांव में सर्वेसर्वा होता है, किसान को धमकाता भी है कि हो सकता है तेरे खेत में मैं गिरदावरी उल्टी सीधी लिख देता हूं और सब देखते हैं कि गांव में बैठा रहता है और पूरे गांव का जो भी रकबा है, जमीन है, उसकी गिरदावरी घर बैठे कर लेता है। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि पटवारी पर कण्ट्रोल करना है तो गिरदावरी के लिए उस पटवारी को गांव के किसान से प्रमाण पत्र लेना चाहिए कि मैंने आपके खेत देखकर, जो फसल बोई है इसकी सही गिरदावरी की है। नहीं तो पटवारी द्वारा आज वही ढर्रे से गिरदावरी हो रही है और लोगों को बाजरा बोया है खेत में लेकिन तिलहन का लगान देना पड़ता है, ऐसी समस्या सामने आई है।

दूसरा किसानों को पास बुकें वितरित की गई हैं लेकिन वह पास बुकें कानूनी व्यवस्था के अनुसार नहीं है इसलिए रद्द हो गई हैं। तो मैं चाहूंगा कि कानूनी व्यवस्था के अनुसार किसानों को पास बुकें दी जायं। यह भी प्रावधान हो कि किसान जो भी फसल खेत में बोता है उसका इन्द्राज उसी पास बुक के अन्दर हो। आज किसान अपनी खेती के विकास के लिए किसी बैंक से ऋण लेना चाहे तो वही पास बुक दिखा करके वह ऋण प्राप्त कर सके। यह नहीं हो कि एक किसान अपनी खेती के विकास के लिए, इंजन लगाने के लिए कुए के लिए पटवारी के पास चक्कर काटे। पटवारी 1 रुपये 26 पैसे में आने वाली नकल के लिये सौ या चार सौ रुपया लेता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि किसानों को आने वाले समय में इसी साल नई पास बुकें जारी की जाय जिससे किसानों को पटवारी द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार से बचत हो सके।

साथ ही, जो सैटलमेन्ट चल रहा है मैं जिस जिले से चुनकर आता हूं उस जिले के अन्दर सैटलमेन्ट चार तहसीलों के अन्दर हो चुका है लेकिन दुर्भाग्य उस जिले का सबसे बड़ा यह है राजस्थान के प्रत्येक जिले के अन्दर सैटलमेन्ट का आफिस है परन्तु सवाई माधोपुर जिलों के हैडक्वाटर पर सैटलमेन्ट का आफिस नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि सैटलमेन्ट का आफिस सवाई माधोपुर का अलवर के अन्दर हैं वह हैडक्वाटर सवाई माधोपुर में करने का कष्ट करें। साथ ही, मेरे क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर एन. आर. ई. पी. में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कई सड़कें बनाई गईं लेकिन उन सड़कों के अन्दर आने वाली जो जमीन है, जिन किसानों की जमीन आई उन्हें न तो उस जमीन का मुआवजा दिया गया है और न उन लोगों को अब तक जो लगान लगता था उस जमीन

(श्री मूलचन्द मीणा)

का, उस लगान की छूट दी गई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि टोडाभीम क्षेत्र के अन्दर जितने भी किसान की जमीन सड़कों के अन्दर आई है उसका उनको मुआवजा दिया जाय और उनका लगान भी माफ किया जाय।

साथ ही मैं एक जनता पार्टी के राज का किस्सा और सुनाना चाहता हूं। जनता पार्टी के राज में एक तहसीलदार हुआ करते थे नादौती के अन्दर। 24 अप्रेल, 1978 की बात है। वह तहसीलदार महोदय, दिन के अन्दर फैसले करते थे, 91 के जो फैसले हुआ करते थे दिन के अन्दर किसानों को जेल बोल देते थे लेकिन रात के अन्दर किसानों से रिश्वत लेकर दूसरे दिन बरी कर देते थे। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री महोदय को सलाह देना चाहता हूं कि ऐसे भी भ्रष्टचारी कोई तहसीलदार हो तो तुरन्त उनको बर्खास्त किया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं मेरे दिये हुए सुझावों के ऊपर राजस्व मन्त्री सहानुभूति से विचार करेंगे।

जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री जगजीत सिंह।

**श्री जगजीतसिंह** (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले के किसानों को राजस्व अधिकारियों ने इस तरह लूटा कि लूटने के अन्दर इन्होंने डाकुओं को भी पीछे छोड़ दिया। कहने को तो राजस्थान के किसान या हमारे देश के किसान अन्नदाता कहलाते हैं मगर यहां पर तो उल्टा हो रहा है। किसान हाथ जोड़कर अपना अन्नदाता तहसीलदार को मानते हैं। आपसे निवेदन करना चाहूंगा 2019 के अन्दर हमारे यहां भूमि एकीकरण हुआ, उस भूमि एकीकरण के बाद 1971 में भू-संशोधन का कार्य शुरू हुआ। उस भू-संशोधन के अन्दर किसानों को खातेदारी राइट दिये गये और उनको खातेदार घोषित किया गया। वह किसान अपने आपको खातेदार नहीं मान रहा था। खातेदार घोषित करने के बाद उसने अपनी जमीन के ऊपर लोन लेकर पम्पिंग सेट लगाया और कई किसानों ने तो अपनी जमीनें तक बेच दीं। सन् 80 के अन्दर इसी सरकार ने उस किसान को खातेदार की मान्यता नहीं देकर अतिक्रमी घोषित कर दिया। अब किसान के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को किसी तरह की सहूलियत नहीं है। आज किसान अपने खेत के तीन पेड़ भी नहीं काट सकता। किसान को हल बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, मेज लगाने के लिए पावटा बनाना चाहता है मगर वह अपनी लकड़ी काट नहीं सकता है, उसको तहसीलदारजी से परमिशन लेनी पड़ती है। एक आदमी जो तहसील से चालीस किलोमीटर दूर रहता है अपने तीन पेड़ काटने की परमिशन लेने के लिए अगर तहसील मुख्यालय पर जायगा तो उसको कितना खर्चा उठाना पड़ेगा? इसलिए मैं मेरी तरफ से यह सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम किसान को तीन पेड़ काटने की इजाजत तो राज्य सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए।

दूसरा मेरा सुझाव है.....

(व्यवधान)

**श्री अब्दुल अजीज** : कितने समय में ?

**एक माननीय सदस्य** : पांच काट ले तो ?

**श्री उपाध्यक्ष** : उन्होंने अपने हिसाब से बताये हैं।

(व्यवधान)

उन्होंने बड़े सोच-समझ कर बतलायें हैं।

**श्री अब्दुल अजीज** : आप समझ गये, उपाध्यक्ष महोदय ?

**श्री जगजीत सिंह** : मैं इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार के बारे में यह निवेदन चाहता हूं कि अपनी जेबें गर्म करने के लिए इन्होंने न मन्दिरों को छोड़ा है, न मस्जिदों को छोड़ा है। इन्होंने मन्दिरों की जमीन की भी लोगों के नाम खातेदारी की। जो पेड़ शहर के अन्दर छोड़े गये हैं, नगर परिषद सीमा में आये हैं संवत् 2008 से जिन लोगों के कब्जे में हैं उनको भी पेनल्टी देनी पड़ी। अगर उनका जायजा लिया जाय तो उन्होंने धारा 91 के तहत बतौर जुर्माने इतनी राशि जमा करादी कि उस जमीन का मूल्य तक उन्होंने चुका दिया फिर भी उनके नाम खातेदारी नहीं खोली जा रही है। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि कैम्प के माध्यम से नगर परिषद् सीमा के अन्दर जो गांव जोड़े गये हैं उनमें किसान खेती कर रहे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी खातेदारी दिलवाने के आदेश फरमावें।

मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि यह पटवारी की आवश्यकता क्या है। पटवारी करता क्या है सिवाय लगान लेने के यह एक काश्तकार का खाता दूसरे काश्तकार के यहां लगा देगा। इसके अलावा पटवारी कुछ करता नहीं है। सिवाय लगान वसूल करता है। अगर उसको जमीन भी नपवानी पड़ी तो तहसीलदारजी के यहां एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और तहसीलदारजी के आदेश के बाद ही पटवारी जमीन नाप सकता है उससे पहले पटवारी अपनी मर्जी से जमीन भी नहीं नाप सकता। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है जहां तक लगान जमा करने का सवाल है तो हम जिस तरह से रेडियो लाइसेन्स, टी. वी. लाइसेन्स की फीस जमा करवाते हैं उसी तरह से सालों साल जो भी हमारा कोई लगान होगा, किसानों का लगान होगा वह स्वयं किसान अपने आप जमा करायेगा। पटवारी की तो आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि पटवारी एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

जैसे खेत का बंटवारा है, एक पिता के चार पुत्र हैं वह अपने खेत का बंटवारा करना चाहते हैं। अभी भू-राजस्व कम्पेन के दौरान मैं हर कैम्प के अन्दर गया। क्या कैम्पों के नियम अलग हैं और एस. डी. एम. कोर्ट के अलग हैं ? अगर वह कैम्प में जाता है तो पांच रुपये के स्टाम्प पेपर पर अपने बयान देकर अपनी राजी खुशी से अपने खेत का बंटवारा करा सकता है स्पाट पर। मगर आज वह कोर्ट में जाता है तो वकील करना पड़ेगा और धारा 54 के तहत उसको एस. डी. एम. कोर्ट की अदालत के अन्दर दावा पेश करना पड़ेगा। क्यों नहीं एस. डी. एम. कोर्ट के यहां वह अपनी राय देकर अलग अलग अपनी खातेदारी बांट लें ? कहां का नियम है ? कैम्प के नियम अलग हैं, कचहरी के नियम अलग हैं। जब वहां

(श्री जगजीतसिंह)

खाता पांच रुपये के स्टाम्प पेपर पर खोल सकता है तो वहां भी यह खोल देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन में ढाई हैक्टेयर बारानी भूमि पर लगान माफ कर दिया गया था। क्योंकि बारानी जमीन तो, उपाध्यक्ष महोदय, ईश्वर के भरोसे ही चलती है जो-जो ईश्वर के भरोसे पैदा होता है उस बारानी जमीन पर तो कम से कम राज्य सरकार को लगान माफ कर देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय आपने मुझे दिया समय उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

जयहिन्द

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मांगीलाल आर्य।

**श्री मांगीलाल आर्य** (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय आज राजस्व की मांग संख्या 8 पर सूची संख्या दो में कटमोशन नम्बर 158, 159 और 160 पर चर्चा करने के लिये। मैंने रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं भूमि आवंटन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जो भूमि आवंटियों को दी जाती है उस भूमि के लिये जो नियमों में प्रावधान है उसमें तीन महीने पहले पटवारी उस भूमि की जांच करेगा और उसमें यह देखेगा कि वह भूमि कहां पर है, किस-किस खसरा नम्बर पर है और किस किस्म की भूमि है। सरकारी रिकार्ड में जो भूमि दर्ज होती है वह किस्म और दर्ज होती है और मौके पर स्थिति भिन्न होती है। इसके नियम की पटवारी उसकी पालना नहीं करता है, न ही पटवारी मौके पर जाकर पता लगाता है कि जमीन किस किस्म की है और कौनसा खसरा नम्बर है। वह इसकी जांच ही नहीं करता है और जो सरकारी रिकार्ड में दर्ज होती है उन्हीं आंकड़ों के मुताबिक आंकड़े, खसरा नम्बर और किस्म लिख कर उसको अलाट करा देता है। जिसका परिणाम यह होता है कि गरीब आवंटी को नुकसान भुगतना पड़ता है। कागज में जमीन की जो किस्म होती है वह मौके पर कुछ और होती है। मौके पर वह जमीन उबड़-खाबड़ और पथरीली तथा रेतीली होती है। वहां पर खेती हो ही नहीं सकती है व इस प्रकार की भूमि बेकार भूमि होती है। मैं समझता हूं कि हजारों आवन्टी ऐसे होंगे जिनको ऐसी जमीन का लाभ नहीं मिल रहा। उपाध्यक्ष महोदय, या तो वह जमीन काबिल काश्त ही नहीं होती है या फिर इस जमीन पर ऐसे लोगों का कब्जा होता है जो कि अतिक्रमण करने वाले हैं वह ऐसे शक्तिशाली लोग काबिज होते हैं कि अगर वह जमीन उसको अलाट हो भी जाती है तो वह काश्तकार उस जमीन पर कब्जा ही नहीं कर पाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह गलती सम्बन्धित पटवारी के स्तर पर होती है क्योंकि उस जमीन पर कब्जा ही पहले किसी और का होता है और वह उसका कब्जा खाली करवाने का कोई कार्यवाही पहले नहीं करता है। पटवारी को यह पता ही नहीं होता है कि वह जमीन कहां पर और किस किस्म की है और वह उस जमीन को अलाट करवा देता है। बाद में उस गलत अलाटमेंट के कारण उन आवंटियों को अपीलों में चक्कर काटना पड़ता है और वह अपीलों में इस तरह से परेशान होते हैं।

(श्री मांगीलाल आर्य)

वह गरीब काश्तकार बजाय उस जमीन से उसको लाभ मिले, मुकदमों में फस कर बरबाद हो जाता है। इस तरह आज हजारों आवन्टी ऐसे इस राजस्थान में होंगे जो कि बेचारे मुकदमों में फंस कर बरबाद हो रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जो जमीने दूसरों के कब्जे में हैं उनका जब तक मौके पर जाकर आवन्टियों को कब्जा नहीं मिलता तब तक आवन्टी को कोई लाभ नहीं होगा। जिस पटवारी ने ऐसी जमीन को बगैर जांच किये है आवन्टित करवा दी है ऐसे पटवारी को दण्डित किया जाना चाहिये ताकि अगली बार वह सावधानी बरते।

उपाध्यक्ष महोदय, पाली के अन्दर एक जवाई बांध है। उस जवाई बांध के कमाण्ड एरिया में ऐसी जमीन भी है जो कि बांध बनने के बाद कमाण्ड में तो आई लेकिन उस जमीन में आज दिन तक सिंचाई नहीं हुई वह फिर भी कमाण्ड एरिया में घोषित कर दी गयी है और उनसे सिंचित भूमि का जो लगान होता है वह लिया जाता है। वह जमीन, उपाध्यक्ष महोदय, विशेष तौर से पाली जिले में रहने वाले शिड्यूल्ट कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को आवंटित की गयी थी। आज उसका नुकसान उन गरीब काश्तकारों को हो रहा है। क्योंकि वहां पर वह जमीन पीवल है ही नहीं और पानी आज दिन तक वहां पहुंचा ही नहीं और न ही ऐसी स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां पर कभी पानी पहुंचेगा। जो ऐसा एरिया है उस एरिया को कमाण्ड एरिया से अलग किया जाय जिससे उन गरीब लोगों को उसका लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि साण्डेराव में जो जमीन भूतपूर्व जागीरदारो से सीलिंग में ली गई थी जिसका खसरा नम्बर 4 है उसमें करीब चार-पांच हजार बीघा जमीन है वह भी आज दिन तक अलाट होने के बाद तरमीम नहीं की गई है उसकी वजह से आज दिन तक गरीब लोगों को उस जमीन के ना ही पट्टे मिले हैं और ना ही उनको सैटलमेंट के पर्चे मिले हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें आगे चल कर उस जमीन का उन गरीब लोगों के लिये बहुत बड़ा संकट पैदा हो जायेगा और उनको नुकसान होगा इसलिये उनको तरमीम कराकर इस जमीन का लगान पर्चा शीघ्र मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, भूमि के बख्शीस और उसके बेचान के लिये वहां के अधिकारी मनमाने ढग से कार्यवाही करते हैं और बेचान की दरें ठीक नहीं लगाते हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, 1957 और उसके बाद में इस तरह की योजना बनायी थी उसमें यह किया गया था कि जो भूमिहीन काश्तकार हैं उनको सामूहिक काश्तकारी करने के किये कृषि भूमि दी जाय ताकि सामूहिक रूप से कृषि भूमि पर सहकारी समिति बना कर खेती कर सकें। सरकार ने इस प्रकार की भूमि कृषि सहकारी समितियां बनाकर उन सहकारी समितियों को आवंटित की थी। आज राजस्थान में ऐसी हजारों सहकारी समितियों को कृषि भूमि आवंटित की हुई है। वह जमीन विशेष कर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को सदस्य बनाकर दी गयी थी। उसमें ऐसा प्रावधान था कि उस जमीन में ज्यादा

(श्री मांगीलाल आर्य)

शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग होंगे और 25 वर्ष की अवधि के लिये सामूहिक काश्त करेंगे। लेकिन उनमें जो दूसरे सदस्य थे उन्होंने अब कई जगह पर कृषि सहकारी समिति में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को हटा दिया है या किसी न किसी कारण से उन लोगों को उसमें से हटना पड़ा। उन लोगों को उसमें पुन: कब्जा मिले और इसमें कौन दोषी है इसके लिये ऐसी कृषि सहकारी समितियों की विशेष रूप से जाँच की जाय। ऐसी जमीन कब्जे में लेकर गरीब भूमिहीन काश्तकारों को, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लोगों को अलाट की जावे।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य।

**श्री मांगीलाल आर्य** : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं उसके बाद मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। वह यह है कि रेवेन्यू बोर्ड में भूमि की अपील होती है। आज हजारों मुकदमें चल रहे हैं। जहां तक मेरा अनुभव है जोधपुर में आर. ए. ए. है, उसमें आज कम से कम चार-पांच साल से कोई अधिकारी नहीं रहता है और न ही वहां पर मुकदमों के फैसले होते हैं। गत पांच-सात साल यह हालत है कि लोग चक्कर काट कर आ जाते हैं वहां पर बाबू पेशी बदल कर भेज देता है। इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा और सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वह एक तरफ तो गरीब लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की बात करता है दूसरी तरफ इस तरह के मुकदमों में गरीब काश्तकार फंसा रहता है तो यह उचित बात नहीं है। गरीब काश्तकारों को न्याय सुलभ एवं सस्ता मिलना चाहिये, सरकार ऐसी व्यवस्था करे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

**श्री सभापति** : श्री मानिकचन्द सुराना।

**श्री मानिकचन्द सुराना** (लूनकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान एक विशेष मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और वह मुद्दा यह है कि भूतपूर्व नरेशों की कृषि भूमियों की अवाप्ति के सम्बन्ध में सन् 63 में हमने एक कानून बनाया था इसी विधान सभा में, उस कानून का नाम राजस्थान लैण्ड रिफार्मस एण्ड एक्वीजिशन आफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट (अमेण्डमेंट) एक्ट, 1963 रखा गया। उस कानून बनने के बाद आज 22 वर्ष हो गये है। इस 22 वर्ष की अवधि में वह कानून स्टेट्यूट बुक पर है आज भी डेड लेटर है। वह डेड लेटर होने का कारण यह है कि या तो करने की इच्छा नहीं या करने की क्षमता नहीं या मन नहीं है। यह मन क्यों नहीं है? मैं निवेदन करना चाहता हूं इस एक्ट में सन् 1975 में एक संशोधन लाया गया। 1975 के अन्दर जो संशोधन आया उस संशोधन का कुल मतलब यह हुआ कि धारा 10 में कह दिया गया, उपाध्यक्ष महोदय, All open enclosures in the possession of the land owner used for agricultural or domestic purpose. इसका क्या होगा जो आल ओपन इन्क्लोजर जितने भी हैं, धारा 8 बताया कि अवाप्ति में क्या होगा। धारा 10 में कहा तब तक यह चीज अवाप्त नहीं होगी यदि आल

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ओपन क्लोजर्स कृषि भूमि में दर्ज हैं और उनके डोमेस्टिक पर्पज में दर्ज हैं। यदि वह अवाप्त नहीं होंगी तो क्या अवाप्त होगा? क्या अवाप्त करना चाहते हैं, उस धारा 10 को लाकर? इस सारे एक्ट की मंशा को बिल्कुल निरस्त कर दिया गया है। यह एक रोग है, यह एक जड़ है जिसके कारण से राज्य सरकार आज तक भूतपूर्व नरेशों की कृषि भूमि में हाथ लगाने को बिलकुल अक्षम है। यह प्रश्न मैंने उठाया जब राजकीय उपनिवेशन क्षेत्र के लिये कांफ्रेंस राजस्व मंत्री ने की, तब मैंने वहां यह सवाल उठाया। इस सवाल पर एडवोकेट जनरल से भी ओपिनियन मांगी। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी ओपिनियन उस कांफ्रेंस में....

**श्री उपाध्यक्ष** : यह सेक्शन 10 कौनसे एक्ट का है?

**श्री मानिक चन्द सुराना** : Rajasthan Land Reforms Acauisition of land owners estate (Amendment) Act 1963. यह 1975 में हमने संशोधन कर दिया। धारा 8 में जो कुछ अवाप्त करने को लिखा था, धारा 10 के द्वारा। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं कानूनवेत्ता हैं, उसमें लिखा है Not twith standing anything contained in section 8, all open enclosures in the pocsession of the land owner used for agricultural or domestic purpose; shall continue to belong to, or be held by, such land owner or other person, subject in the case of tanks, to the terms & condistions, if any mentioned in the Covenant. मेरा निवेदन यह है कि एक हाथ से जो आप अवाप्त करना चाहते थे दूसरे हाथ से आपने उस अवाप्ति को निरस्त कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के उच्च न्यायालय ने सन् 1981 में एक निर्णय दिया और निर्णय यह दिया कि बावजूद इस एक्ट के राजस्थान टिनेंसी एक्ट के चेप्टर 3 बी भूतपूर्व नरेशों की भूमि को अवाप्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को उन्होंने यह ग्रीन सिग्नल दिया कि आप इस भूमि को अवाप्त करें। सन् 1976 में जो अरबन लैंड सीलिंग एक्ट बना था उस कानून के तहत, उपाध्यक्ष महोदय, यह रामबाग पैलेस के इर्द गिर्द की सारी जमीन यह लम्बा-चौड़ा इलाका जहां से मुख्य मंत्री रोज निकलते हैं, जहां से शिवचरण जी माथुर रोज निकलते थे, जहां से आज श्री हरिदेव जोशी निकलते हैं, मौजूद है। अरबन सीलिंग एक्ट कहता है कि 1500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि जयपुर शहर में किसी के पास नहीं रह सकती, ओपन लैंड में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भवानी सिंह जी के पास कितने लाख मीटर जमीन है? उनके अडल्ट मेल मैम्बर को भी 1500 मीटर दे दें तो इसके बावजूद लाखों मीटर जमीन आज जयपुर शहर में है। आज जोधपुर शहर में, बीकानेर में, कोटा में बड़े-बड़े शहरों में जहां भी भूतपूर्व नरेश थे और जहां भी राजधानियां थी उनकी, उनके इर्द-गिर्द सबसे महत्वपूर्ण इलाका आज भी इनके कब्जे मे है। बड़े शहरों में अरबन लैण्ड सीलिंग एक्ट लगाया गया। जो कृषि भूमि है, जो अरबन लैंड सीलिंग एक्ट की परिधि के बाहर है वहां पर यह चेप्टर 3 बी में राजस्थान टिनेंसी एक्ट को प्रभावित करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सरकार को संसाधनों की बड़ी चिन्ता है, मुझे भी बड़ी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चिन्ता है, मुझे भी बड़ी चिन्ता है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन भूतपूर्व नरेशों की भूमि को अवाप्त करने के लिए आपने एक्ट संशोधित करके भेजा राष्ट्रपति के पास, उस एक्ट को राष्ट्रपति की सैंक्शन मिली ? भूतपूर्व नरेशों का मामला है इसलिए आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। आपने जब संशोधन भेजा है राष्ट्रपति ने यानी भारत सरकार ने उस संशोधन को दबा कर रख लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में क्या रही है ? कब भारत सरकार से अनुमति लेंगे आप। क्या भारत सरकार को इन भूतपूर्व नरेशों के बारे में कोई सोचने की आवश्यकता है कि इनकी भूमि अवाप्त होनी चाहिए या नहीं ? इस पर कोई विवाद नहीं है क्या लेजिसटी दी जाने की आवश्यकता है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला ऐसा है जिस पर मंत्री मण्डल विचार करे। इस पर मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री से बात करें और जो भी संशोधन लाना है उस एक्ट के अन्दर वह संशोधन तत्काल लाया जाये आर्डिनेंस के द्वारा। राष्ट्रपति की सहमति लेकर आर्डिनेंस जारी किया जाए। यह मामला ऐसा नहीं है कि अगली विधान सभा में लायें और तब तक यह मामला पैंडिंग रहे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था यदि राज्य सरकार की मंशा लैंड रिफार्म्स को एक्जीक्यूट करने की है तो जो निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण सवाल राजस्थान में राजस्थान अरबन लैंड सीलिंग का है जैसा बनेड़ा से आने वाले हमारे उपनेता कह रहे थे पन्द्रह लाख पिचहत्तर हजार एकड़ भूमि अवाप्त की गई अगर बड़े बड़े खातेदारों से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यदि भूतपूर्व नरेशों पर आप आज भी हाथ डालेंगे तो मेरा एस्टीमेट यह है कि कम से कम पांच लाख एकड़ जमीन आपको और मिलेगी। सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि राजाओं ने अपने लिए सुरक्षित की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में गम्भीरता से लैंड रिफार्म्स की नीति को क्रियान्वित करे 200 बीघा जमीन वाले पर तो लैंड रिफार्म की नीति को कार्यान्वित कर दिया लेकिन जिनके पास पचास हजार एकड़ जमीन है उन पर लैंड रिफार्म की नीति कार्यान्वित नहीं हुई। 1963 में कानून लाई, 1975 में संशोधन करके सारा मामला निरस्त कर दिया। सैक्शन 10 को इंट्रोड्यूस किया और, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रोविजन किया, इस सैक्शन 10 में कहा कि यदि यह मुद्दा अदालत में उठा तो इसका फैसला कौन करेगी ? कलक्टर नहीं कर सकता। इसका फैसला कमिश्नर करेगा। चैप्टर 10 में सम्पत्ति लेना या नहीं इस मामले का फैसला कम्पेन्सेशन कमिश्नर करेगा। और वह कौन है ? राज्य सरकार ने बोर्ड आफ रेवेन्यू के मैम्बर को कम्पेन्सेशन कमिश्नर बना दिया। मैंने जानकारी की, आज तक राजस्थान में कम्पेन्सेशन कमिश्नर को सिर्फ दो मामले रेफर हुए हैं एक बीकानेर के महाराजा का मामला और एक जयपुर नरेश का मामला। कम्पेन्सेशन कमिश्नर महोदय के यहां आज तक दोनों मामले लटके हुए हैं क्योंकि कई रिटें पैंडिंग हैं हाई कोर्ट में कई मामलों में हाई कोर्ट में स्टे प्रोसीडिंग,

(श्री मानिकचन्द सुराना)

चल रही है। राज्य सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। किसी को फुरसत नहीं है। इस प्रकार के जब स्थगन प्रादेश हों जो लाखों एकड़ जमीन से सम्बन्धित हों तो उन पर लैंड रिफार्म्स करने की दृष्टि से सक्रिय रूप से कुछ कार्यवाही की जाये। इस मामले में इस एक्ट के संशोधन से काम नहीं चलेगा। आगे चलकर फिर यह सवाल आ जायेगा कि इसका प्रोटेक्शन था और यह भी स्पेशल ला है और स्पेशल ला का जहां प्रोटेक्शन है वहां आर्डिनेरी कानून लागू नहीं होता है। इसलिये सारी कानूनी बहस को समाप्त करने के लिए आवश्यक होगा कि स्पेशल ला में जो भी रिट्रास्पे-क्टिवली संशोधन करना हो हम सब तैयार हैं। आपकी पार्टी तैयार है, हमारी पार्टी तैयार है, लोक दल तैयार है, भारतीय जनता पार्टी को भी एतराज नहीं होगा। इसलिये जो संशोधन-आप लाना चाहते हैं वह रिट्रास्पेक्टिव डेट से लायें। रिट्रास्पेक्टिव डेट से लाकर विधान सभा की सर्वानुमति से भूतपूर्व नरेशों की जमीन को अवाप्त करने के लिए कारगर कार्यवाही की मांग करता हूं कि आर्डिनेंस लाया जाये राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति की सहमति लेकर। आवश्यकता हो तो यहां के मुख्य मन्त्री प्रधान मन्त्री से बात करें इसमें जो संशोधन प्रपोज किया है उसकी स्वीकृति लेकर इस अमेंडमेंट का प्रपोजल बनायें। इसी विशेष मुद्दे पर मैं निवेदन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ था और मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार इस मामले में कोई कारगर कार्यवाही करेगी। बाकी बातें मेरी पार्टी के माननीय सदस्यों, विधायकों ने कही हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही करेगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रतनलाल ताम्बी।

(अनुपस्थित)

श्री बिहारीलाल पारीक।

**श्री बिहारीलाल पारीक** (माण्डल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़ी खुशी है कि आपने देरी से समय दिया। आज सदन पूरे टाइम बड़े नियमानुसार, बड़ी शांति से चला और अच्छे सुझाव आये। माननीय माणिकचन्द जी सुराणा के सुझाव बहुत सराहनीय रहे। मैं एक प्रार्थना आपकी मार्फत कर रहा हूं :-

"सबै भूमि गोपाल की या में अटक कहा।
जिनके मन में अटक है सो अटक रहा।।"

सुरानाजी ने कहा कि 65 में राजा-महाराजाओं के लिए हम सब ने मिलकर कानून बनाया और आज तक हम उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। बड़ी तकलीफ की बात है। 6 वर्ष हमको भी हो गए। हर समय जब भी राजस्व का बजट पेश करते हैं हर बात हम अपने क्षेत्र की करते हैं। आज कई माननीय सदस्यों ने अच्छी बातें कही। कोई राज्य मन्त्री थे, कोई डिप्टी स्पीकर थे और माणिकचन्दजी सुराणा थे इन्होने बड़ी अच्छी बातें कही। मैं समझता हूं कि राजस्थानव्यापी बात कही, राजस्थान के हित में बात कही। मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि वास्तव में आज पटवारी को शीर्षक बना दिया। कहीं कलेक्टर आया ही नहीं, पटवारी ही आ गया। समझना चाहिए कि

(श्री बिहारीलाल पारीक)

आज 36 साल की आजादी के बाद पटवारी राज्य कर रहा है। हम कहां हैं? हम जन-प्रतिनिधि कहीं हैं ही नहीं। प्रधान, एम.एल.ए., एम.पी. कहीं हैं ही नहीं। आज की जो सारी बहस सुनी उसमें पटवारी की ही बात सुनी। जिस धरती पर हम बैठे हैं यह राजस्व की है। हिन्दुस्तान की सारी धरती राजस्व की है। आज 38 साल के बाद कह सकते हैं कि यह हमारी धरती है? यह तो राजा-महाराजाओं की धरती थी और फिर बटी हुई थी। कई लोग अपना अलग-अलग कब्जा किये हुए थे। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि जो भी खेती बोता है उसका नाम दर्ज कर देना चाहिए। पहले वह नाम राजा का दर्ज होता था सब को कई तरह की तकलीफ थी। बड़ी मुश्किल से मिटी। और वह कैसे मिटी? आजादी के बाद महात्मा गांधी की कृपा हुई देश आजाद हुआ। फिर नेहरू जी आये और नेहरू जी के वक्त में कितनी अच्छी स्थिति देश की बनी। उन्होंने अच्छे-अच्छे कानून बनाये।

**श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी): आप किस पर बोल रहे हैं?

**श्री बिहारीलाल पारीक**: मैं राजस्व पर बोल रहा हूं। तो यह सही है कि लालबहादुर शास्त्री आये और उन्होंने "जय जवान जय किसान" का नारा दिया। "जय जवान जय किसान का नारा" बनाया तो हमारी छाती फूली। वास्तव में इसलिए फूली कि हम आजाद हैं और जय जवान जय किसान—एक तो हमारी धरती की रक्षा करता है हमारा जवान और एक हमारा खाद्यान्न पैदा करता है। लेकिन अब तकलीफ क्या है? पटवारी की। कितनी जोरदार बात है। एक पटवारी की तकलीफ है। बाकी कलक्टर तो हमारा बहुत दूर है। हालत यह है कि आपका सारा शीर्षक क्या है? "पटवारी"। आपने बताया तो मुझे याद आया "नीचे पटवार ऊपर करतार"। और उद्योग कैसे लगे? चाहे हम कितने ही होशियार हों, सारे उद्योगों में, रेवेन्यू में पहले मामला आता है तो पटवारी पहले आ जाता है। उद्योग लगाने जायेंगे पटवारी को पहले सम्पर्क करो और पटवारी एक महीने पहले दिखता नहीं है। किसी का नामांतरण करना है, जमीन बेचनी है पहले खाते का नम्बर उससे लाओ। वह पटवारी नहीं है। यह बात सही है कि मैंने भी कटौती प्रस्ताव पटवारी पर दिया है, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैंने यह कहा कि एक पटवारी ने सरपंच को जेल भिजवा दिया। कलक्टर उसके साथ हो गया, सारे अधिकारी भी उसके हो गए। तो यह बात सही है कि पटवारी की हालत बड़ी जबर-दस्त है।

दूसरा मैंने बताया कि "रूपचन्द आने जाने पटवारी को तीन लोक माने" पटवारी को दिया दान मामला साफ उसमें कहीं तकलीफ नहीं है। न कलक्टर चाहिए न कुछ चाहिए। उद्योग लगाना है तो पटवारी को दो दान हो जायेगा। तो रूपचन्द आने जाने पटवारी को तीन लोक माने। मगर कानून थाने को जाये, 'म्हाने म्हाने न', मतलब कोई तकलीफ आती ही नहीं है। कहीं कानून की जरूरत ही नहीं है। सारे कानून आपने बनाये और सारे कानून आप सब ने यहां बताये कितनी आपने तकलीफ की। हमारे डिप्टी स्पीकर भूतपूर्व जनता

(श्री बिहारीलाल पारीक)

पार्टी के बोल रहे थे कितनी दर्द भरी बात कह रहे थे। सुराणाजी ने बहुत अच्छी बात कही। परन्तु जहां कानूनी बात है, जरूरत नहीं, पटवारी को दान दिया आपके सब कानून 65 के बने हुए रह गये। मैंने खुद भी एक उद्योग लगाने की कोशिश की चार साल तक लेकिन नहीं लगा सका। क्योंकि उसमें जो प्रक्रिया शुरू करो तो घण्टा भर लग जायेगा। तो यह हालत बड़ी खराब है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पटवारी के मामले को कैसे बन्द किया जाये। आज के सुझाव तो बहुत आये। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहिबा से प्रार्थना करूंगा, यह कहती हैं कि हमारी आफत मिटी। मैं भी सरपंच रहा, इन्होंने कहा कि पंचायतों को अधिकार दे दिये नामांतरण खोलने के। यह कहती हैं आपको अधिकार हैं। अधिकार कहां हैं? उस पर कितना नियंत्रण है? कहां पूरे अधिकार हैं? आप देखिये कहां खामी है इसको कैसे पूरा करना चाहिए ताकि पंचायत को पूरे अधिकार मिलें। मैं जब नामांतरण खोल रहा था तो लोगबाग धीरे-धीरे पटवारी के पास जाने लगे। मैंने पूछा कि कहां चले गए तो सब ने कहा कि पटवारी के यहां चले गए। मैंने तुम्हारे लिए मिठाई मंगा रखी है। मैंने सोचा आज पहली बार सरपंच बना, अच्छा मौका है। किसानों से कहा कि हमारा राज्य है और तुमको आज अधिकार हैं और तुम्हारे चुने हुए आदमी तुम्हारा नामांतरण खोलेंगे। मैं तो वहां रो रहा था और वह चले गए पटवारी के पास। पटवारी भागा हुआ आया कि सरपंच साहब यह सब मेरे पास क्यों? कि सब यह दस-दस रुपये देना चाहते हैं। यह कह रहे हैं कि हमारे सरपंच साहब तो अक्षर अच्छे नहीं लिखेंगे आप दस रुपये लेकर अक्षर अच्छे लिख दो, नामांतरण पूरा लिख दो। कितनी कूट-कूट कर भरी हुई बात है।

सरकार ने प्रशासन गांव की ओर चलाया। मैं कहता हूं कि इतना अच्छा मिशन था, इतना अच्छा काम था कि जो जन प्रतिनिधि जागरुक रहे, मैं भी लगा रहा कि इसमें वोट भी ज्यादा मिलेंगे, सही बात भी है कि पहले 320 से जीता और अब मैं 16 हजार से जीता। यह सही बात है इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि लगे रहे हम कि जितना काम हो जाये तरकीब से, हम लगाते रहे मगर दरअसल बिना पटवारी के नहीं हो सकता था। सही है। अगर पटवारी ने किसी का खाता भर दिया उसको जमीन भी मिल गयी और हम रोते ही रह गये। हम और प्रधान सब लगे रहे कि इसको मिलनी चाहिए पर उसने कह दिया कि उसके नाम से जमीन है। हमने पूछा कि नहीं साहब इसके नाम से 25 बीघा एक और 12।। बीघा जमीन आती है उसका नाम लिख दिया कि भूमिहीन है। तो जमीन मिल गयी। तो दरअसल पटवारी का मामला बड़ा जोरदार रहा। आप सब ने भी पटवारी के लिए कहा, मैंने भी कहा।

एक बात छोटी सी कहना चाहता हूं,

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

एक एस. डी. ओ भीलवाड़ा का और पटवारी दोनों मिल गये। मेरा क्षेत्र है उसकी बात कह रहा हूं। जोरदार बात है। एक जमीन बता दी खुद की। जमीन में खड़ा और बता दी अपने नाम की। उसके कैस

(श्री बिहारीलाल पारीक)

दर्ज करा दिया। क्यों कराया कि वह पटवारी रोज रिश्वत लेता था, दारू पीकर खूब खेलता था और सरपंच ने विरोध किया। थाने में सरपंच ने कहा कि तुम्हें मैं सस्पेण्ड कराऊंगा। सस्पेण्ड किस से करायें? किस को जाकर कहें? बेचारा वह कहता रह गया इतने में उसने जाकर थाने में केस दर्ज करा दिया। केस दर्ज हो गया उस पर। हमने जाकर पैरवी की। हमने कहा यह बिल्कुल गलत है यह जम [illegible] की है लेकिन पटवारी ने लिख दिया कि जमीन बिना नाम की है। तो बिना नाम की थानेदार ने रजिस्टर करली। एस.डी.एम. ने कहा कि यह जमीन सरकारी नहीं है, यह जमीन खुद की है और उस पर खेजड़ी भी काट लिया। एक ने कहा 3 काटने का अधिकार दे दो, एक ने कहा कि एक का दे दो। मैं तो कह रहा हूं कि कुछ भी मत दो लेकिन अन्याय क्या हुआ उसकी सुन लो कि पटवारी क्या अन्याय कर रहा है और रेवेन्यू विभाग उसको कैसे देखता है। एक पटवारी ने लिख दिया कि जमीन सरकारी थी, केस दर्ज हो गया, अन्दर चला गया। हमने कहा कि यह नहीं जाना चाहिए। गलत हो रहा है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। इन्सपेक्टर को मालूम नहीं, तहसीलदार को मालूम नहीं क्योंकि पटवारी है नीचे पटवार है और ऊपर करतार है। बड़ी सुन्दर बात है। जन प्रतिनिधि है दो हजार आदमियों ने उसको चुना है लेकिन एक पटवारी जो हमारा नौकर है जिसको हम दो तारीख को तनख्वाह देते हैं वह हमें जैल भिजवा देता है। इसके अलावा रेवेन्यू मिनिस्टर साहिबा यह बतायें कि यह कानून आपका 65 का कहां गया? क्या स्थिति है हमारी? अब तक हम क्या कर रहे हैं। अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इस पटवारी के लिये सोचना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरी सुन लीजिए प्रभु।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बहुत टाइम ले लिया।

**श्री बिहारी लाल पारीक** : यह माथुर साहब भी जानते हैं अकाल के लिये गिरदावरी में लिख दिया कि 40 पर्सेन्ट ठीक है लेकिन है 80 पर्सेन्ट खराबा। सही बात नहीं लिखी। नहीं लिखने से क्या हुआ उपाध्यक्ष महोदय? मैं आपको हालात बताऊं कि जिस गांव में भयंकर खराबा है उसका नहीं लिखा और जिसमें अकाल ही नहीं उसमें भयंकर खराब बताया। आप हिसाब लगा लीजिए। इनके हाथ में है चाहे काल पटक दें और इनके हाथ में है चाहे तो सूखा पटक दें। बड़ा अन्याय है इसलिए मैंने मेरी बात कही है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : कुछ समझ में नहीं आया साहब।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामेश्वरदयाल यादव।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

**श्री चन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज भूमि सुधार पर सदन में विचार हो रहा है। इस सम्बन्ध में मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं और मेरे स्थगन प्रस्तावों पर भी मैं मेरे विचार रखूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्व के साथ-साथ उपनिवेशन विभाग भी माननीय मन्त्रीजी के पास है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बीकानेर, गंगानगर जिले का कुछ भाग और जैसलमेर उपनिवेशन क्षेत्र में है। इस विभाग ने हमारे इलाके में इतनी लम्बी सीमा का एरिया होते हुए भी जोहड़ जो हमारे जोहड़ नाड़ी हैं उनके लिए उस इलाके में न तो पीने के पानी की व्यवस्था की, न ही कहीं विज्ञान के जरिये ईजाद कोई ट्यूबवैल की व्यवस्था की। हजारों वर्षों से सदियों से वहां के आदमी उस जोहड़ नाड़ी और तलाई के पानी पर जिन्दा थे, बरसात के पानी पर जिन्दा थे। उपनिवेशन विभाग ने, माननीय उपाध्यक्ष जी, एक ऐसी व्यवस्था की है कि सबसे पहले जोहड़ नाड़ी की जो भूमि है जिसमें बरसात का पानी अधिक आता है वहां का पशुधन और वहां का इन्सान नाड़ी, तलाई पर पीने के पानी के लिये निर्भर करता है उन तमाम जोहड़ नाड़ी की नीलामी के द्वारा ढाई लाख कीमत करके जिसको पूंजीपति लोग ही ले सकते हैं, इस पीने के पानी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आप जानते हैं आज विज्ञान का युग है यह जो सरकार है विज्ञान की बात करती है लेकिन सदियों से जो हमारे इनसान हैं उस बोर्डर पर रहने वाले अधिकतर जोहड़ नाड़ी और तलाई पर ही पीने के पानी के लिए निर्भर करते थे। इस साल की बात है राजस्थान नहर में किन्हीं लोगों की वजह से तरेड़ हुई, पीने का पानी सारा बन्द हो गया। उपाध्यक्ष जी, अगर इसी तरह से बिजली में कमी आ जाती है। यह सारा जो बोर्डर इलाका है बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर भगवान के भरोसे पर है। मेरी समझ में नहीं आता सरकार उन पुरानी व्यवस्थाओं को कैसे भूल गई। हमारी पुरानी संस्कृति कैसे भूल गई? जो छोटी-छोटी तलाइया हैं उनमें नाड़ी में बरसात का पानी आता था इस सरकार ने यह व्यवस्था कर दी पहले उनको नीलाम करो, अलाटमेंट नहीं। अलाटमेंट से तो गरीब आदमी को भूमि मिलती है लेकिन उसको नीलाम करो विशेष दर से। ढाई लाख दो लाख कीमत इस तरह बढ़ा दी। मैं चाहता हूं राज्य सरकार से जितनी भी उपनिवेशन क्षेत्र में जोहड़ तलाई की भूमि है उस भूमि को पीने के पानी के लिये, इस बरसात के पानी के लिये रिजर्व रखा जाये ताकि पशुधन और वहां का इनसान मुसीबत में पानी पी सके। उपाध्यक्ष जी, यह हमारा भूमि सुधार है, यह हमारा उपनिवेशन विभाग है। जिसके दिमाग में इतना भी नहीं है जोहड़ और तलाई में बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं। आज वहां ट्यूबवैल भी हो सकता है, राजस्थान नहर का पानी आ सकता है, आप विज्ञान के समय में ऊपर से पानी ला सकते हैं नीचे से भी ला सकते हैं लेकिन यह हमारी पुरानी संस्कृति है उसको भूल नहीं सकते। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार को जोहड़ की, नाड़ी की और तलाई की भूमि को नीलाम नहीं करना चाहिये, यह मेरी मांग है।

उपाध्यक्ष जी, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भी दिया था छोटा सा। नोखा में लालासर गांव है। वहां के एक खातेदार किसान ने पिछले दिनों में भयकर अकाल होने के कारण

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

अपनी खातेदारी के खेत में से एक सुखी खेजड़ी काटकर दूसरे किसान नानूराम को बेच दिया। गरीब था राई की जाति हल्की पटवारी, पटवारी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ने रिपोर्ट की कि यह गोचर भूमि से है। तहसीलदार ने उस रिपोर्ट के आधार पर थाना पुलिस नोखा में केस दायर कर दिया। रिपोर्ट चौकी पुलिस जसरासर को भेज दी। जब जसरासर चौकी में गया तो जिस काश्तकार का खेत था उससे कहा 200 रुपया दो वरना तुम्हें नंगा कर हथकड़ी लगा दूंगा। जिसने 300 में मोल ली थी उससे कहा तुम 300 मेरे को दो नहीं तो तेरे को भी साथ में लटका दूंगा। उपाध्यक्ष जी, गरीब खातेदार, घर में आया, उसके पास पैसा नहीं। आज हमारे तहसीलदार, पटवारी की यह हालत है। लेकिन उनका दोष नहीं है, उपाध्यक्ष जी, दोष इस राज की व्यवस्था का है। पटवारी को क्या देती है सरकार ? ढाई क्विंटल कागज का बस्ता। दिन भर पूरे बस्ते को लेकर फिरता है। सरकार ने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। पूरा हक न मिले तो भूखा होगा। राजस्थान के पटवारी को सरकार ने क्या दिया ? इतने बड़े कागजात धरती माता के सारे रिकार्ड की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार ने न तो कागज रखने की व्यवस्था की और न कोई दूसरी व्यवस्था की इस लिये मैं चाहता हूं कि राजस्थान के पटवारी के रिहायश की व्यवस्था करे। साथ ही रिकार्ड सुरक्षित रख सकें, रिकार्ड रखने के लिए और मौके पर जाने के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करे। व्यवस्था है नहीं और दोष सरकार छोटे कर्मचारियों पर देती है। दोष अगर है, उपाध्यक्ष जी, तो यह राज्य सरकार का है।

इसी तरह से उपनिवेशन विभाग ने उम्मेदराम सन् आफ मन्नाराम को अलाटमेंट किया चक एक आर. डी. में इन्दिरा गांधी नहर के पास भूमि थी। उस परिवार के खाते में नहीं है। उस भूमि को सरकार ने उस गरीब आदमी को दिया। थोड़े दिन बाद वहां के अधिकारियों ने उसको खदेड़ करके एक दूसरे आदमी को, परबतसर के किसान को वह भूमि अलाट कर दी। आपस में झगड़ा हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से छोटे छोटे मुकदमों में किसान बरबाद हो जाते हैं। एक नहीं दोनों किसान प्रभावित होते हैं। मैं चाहूंगा जो राजनैतिक भूल हुई है, मानवीय भूल हुई है सरकारी अधिकारियों को उस भूल को सुधारना चाहिये ताकि किसान बरबाद न हों, आपस में लड़े नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इन्दिरा गांधी मुख्य नहर आर. डी. से लेकर 682 के बीच में आज से लगभग दस साल पहले बीकानेर, नागौर, चूरू जिलों के इलाकों में भूमिहीन काश्तकारों को भूमि अलाट हुई। गरीब हरिजन हैं, गरीब किसान हैं इसलिए राजस्थान नहर के पास जमीन दी। उपाध्यक्ष जी, इन्दिरा गांधी नहर के पास में जमीन दी। सरकार की जो व्यवस्था है वह बता रहा हूं। अच्छा है हम गरीब को ऊपर उठायें लेकिन ढाल की जमीन में पानी ठहर नहीं सकता। पानी जहां समतल भूमि है वहां ठहरता है। जो जमीन कीमती है तालाब की जमीन है वह थोड़ा आगे है

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

लेकिन ढाल की जमीन, जहां पानी लग नहीं सकता, गरीब हरिजन को ऊपर उठाने के लिए आज से लगभग 10 साल पहले अलाट की गई। लगभग 900 ऐसे किसानों को भूमि अलाट कर दी। आज तक खेत में पानी देना तो दूर रहा, उन किसानों को नहर से पीने का पानी तक नहीं दिया गया है। आज दस साल हो चुके हैं, किसान बरबाद हो चुके हैं। किसान खेत में जा नहीं सकते, पीने का पानी है नहीं। मुझे खेद है, उपाध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से जानकारी चाहता हूं कि इस तरह भूमि अलाट होगी पानी नहीं मिलेगा और वे लोग प्यासे मरेंगे तो उसके लिए आपकी सरकार में क्या व्यवस्था है ? क्या आप उसको पानी दे सकेंगे ? सिंचाई विभाग ने अपना रिकार्ड तैयार किया है कि चक नम्बर फलां फलां कमाण्ड है, पानी हम आपको हैण्ड ओवर कर रहे हैं फिर भी जमीन अलाट नहीं की। उपनिवेशन विभाग को सिंचाई विभाग ने 10 साल पहले हैण्ड ओवर किया लेकिन आज तक पानी नहीं है। मैं चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, कि हमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने किसानों को बरबाद कर दिया। या तो उनकी रिपोर्ट देनी चाहिए इस प्रकार की कि इस भूमि में पानी नहीं मिलेगा कमाण्ड भले ही हो। आज उस धरती में पानी नहीं लग रहा है, लोग बरबाद हो चुके हैं इसलिए मैं चाहूंगा या तो उस धरती में पानी दो या सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि वे आइन्दा ऐसी भूल नहीं करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत थोड़ा समय लूंगा। यह गोचर भूमि जो हमारे बीकानेर इलाके में है, ग्राम पंचायतों के अधीन है। ग्राम पंचायतों में उनकी देख-रेख नहीं होती है लेकिन राजस्व विभाग चाहता है कि हमारा हक रहे, हमारा नाम मंडा रहे। उपाध्यक्ष जी, एक छोटा सा मामला है–रेलवे विभाग और राजस्व विभाग में झगड़ा है। जहां भी भारत सरकार की रेलवे लाइनें हैं उन रेलवे लाइनों पर राजस्थान के राजस्व विभाग के रास्ते पक्के कटान हुए हैं लेकिन एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए फाटक नहीं है, रास्ते पर जाने के लिए फाटक नहीं है। एक छोटी सी सूची है उसमें सुरपुरा गांव है, उस गांव से रेलवे लाइन पार करने के लिए किसान खेत में नहीं जा सकता है। किसान एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा सकता है आज कई जगह खाइयां खोद दी हैं, गड्ढे कर दिये है। आजादी मिलने के बाद यह घटना पहली बार हुई है इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे जो फाटक हैं वे पक्के बनने चाहियें ताकि किसानों की बरबादी नहीं हो। ये फाटक है, मैं आपकी मार्फत बताऊं सुरपुरा गांव, रानीसर गांव, सलूंडिया, घटू, रोडा, नोखा मण्डी, रायसर, चरकंडा, कवलीसर, नोखाम गांव और बीकानेर में तेजासर। इस तरह के हजारों गांव हैं जहां रेलवे विभाग और राजस्व विभाग के कटान के रास्ते हैं, उनमें झगड़ा चल रहा है। उन लोगों ने खाइयां खोदकर बन्द कर दिये। इसलिये मैं लम्बा भाषण नहीं देकर आपकी मार्फत यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज किसान बरबाद हो रहा है। आज हमारे इलाके में, माननीय राजस्व मन्त्री जी,

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

बरसात हो चुकी है आपको खुशी होनी चाहिये लेकिन खेती करने के लिये रेलवे लाइन को पार करके अपने खेत में नहीं जा सकता हैं आज इस बात की बड़ी भारी मुसीबत है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं चाहूंगा कि जोधपुर रेलवे मण्डल से या रेलवे मन्त्रीजी से इस सम्बन्ध में आप अपना सम्पर्क रखें और इन रास्तों को जितना हो सके जल्दी से जल्दी खुलाने की व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक मिनट। राजस्व विभाग की हालत यह है कि जिसकी खातेदारी की भूमि है उसमें लठ्ठधारी लोग बढ़ रहे हैं। एक बुढ़ी बेवा है 70 साल की, राजस्व मन्त्रीजी एक महिला है, उसकी भी आप कोई पुकार सुनें। मैं चाहूंगा जो 70 साल की बेवा औरत है उसकी भी बात मेहरबानी करके राजस्व मन्त्रीजी सुनेंगी. यह जो पत्र है मैं भेज दूंगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं और जो कुछ मैंने कहा है राज्य सरकार इसका जवाब दे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सुन्दर लाल।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : अब जवाब हो जाय साहब।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : उपाध्यक्ष महोदय, अब जवाब शुरू करवा दिया जाय।

(व्यवधान)

**श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा टाइम है।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी कटौती प्रस्ताव दे रखा है।

(व्यवधान)

यह मेरी तो गलती नहीं है। आसन की व्यवस्था है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था है।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : एक सैकण्ड, माननीय सदस्य। हां, आपका है। दो मिनट आप ले लीजिये।

(व्यवधान)

है. आपका दो मिनट बोल लें।

**श्री नवरंग सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं वह सदन में प्रस्तुत करता हूं और कुछ बिन्दुओं पर बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। पहला बिन्दु तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह है कि झुंझुनू जिले का भू-प्रबन्ध का कार्यालय है वह बीकानेर में है जो झुंझुनू से 300 किलोमीटर दूर पड़ता है। जब सीकर में भू-प्रबन्ध का कार्यालय आलरेडी है, इस सम्बन्ध में मैंने सरकार को कई बार चिट्ठी भी लिखी है, माननीय

(श्री नवरंगसिंह)

राजस्व मन्त्री जी को भी लिखी है लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी चिट्ठी का दूसरे मन्त्री जरूर जवाब दे रहे हैं, राजस्व मन्त्री जी का जवाब नहीं आया इसलिये मैं चाहूंगा कि जो सुझाव मैंने रखे हैं, आपकी सुविधा से रखे हैं। मैं यह भी जानता हूं कि आपका विभाग यह भी कहेगा कि झुंझुनू जिले में भूमि का बहुत सा भू-प्रबन्ध का काम समाप्त हो गया है। फिर भी बहुत काम बाकी है इसलिये मैं चाहता हूं कि 300 किलोमीटर से तो हमारा पिण्ड छुड़वा या और सीकर, जो हमारे से 30 किलोमीटर दूर है, में वह दफ्तर कायम करें। इसकी तो कम से कम महरबानी करें।

एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि रेवेन्यू अपीलेट अथारिटी का जो कार्यालय है वह जयपुर में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं या तो उसकी बेन्च सीकर में कायम हो और अगर सीकर में नहीं हो सकती हो तो सीकर और झुंझुनूं में बारी बारी से कैम्प लगायें। दूसरे मामलों में भी लगते हैं, ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके।

इसी के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, 91 के मामले में मैं बहुत ही संक्षेप में कहना चाहता हूं किसानों को परेशान करने के लिये बार बार जुर्माना करते हैं। 91 के मामले हैं उसमें कानून कायदे के अनुसार जिन किसानों का पजेशन है, उनको किस प्रकार से आप नियमित कर सकते हैं उसका बाकायदा आपके पास कानून होना चाहिये। इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, आज कुछ गांवों में बरसात हुई है और अब केस चलेंगे रास्तों के। जो भी आपके कानून के अनुसार हैं, मेडबन्दी के अनुसार जो रास्ते हैं वे डिफेक्टिव हैं जिसके कारण हर मामले में किसानों में जिसके यहां से पगडण्डी जाती है आपस में झंझट चलते हैं। रास्तों में कटाव है और उनमें आपस में बहुत झगड़े चलते हैं इसलिये मैं राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके वर्तमान कानून में प्रावधान करना पड़ेगा। एक बार जो आप व्यवस्था करना चाहते है वह व्यवस्था निश्चित रूप से सही करनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्ष में राजस्थान के जो आडिटर है उन्होंने किसानों के नाम से करीब 10 करोड़ का सरचार्ज निकाला है। किसान की गलती नहीं थी, किसान से लगान लेते तो वह देने को तैयार था। पहले आपके तसीलदार ने, एस. डी. ओ. ने लगान नहीं लिया। अब आपका जो आडिट विभाग है वह बकाया निकाल रहा है, सरचार्ज की वसूली कर रहा है। इस तरह से सरचार्ज की जो वसूली की जा रही है उसको स्थगित किया जाना चाहिये।

एक, उपाध्यक्ष महोदय आपके मार्फत तब्दीली के बारे में कहना चाहता हूं। यह बात बहुत लम्बे समय से चल रही है भू-संसशोधन का। मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं 69 से नियमित करने की बात की जा रही है, 1971 में आपने कमेटी बनाई है संशोधन हो गया। 1971 को छोड़ें 1969 से सारा रिकार्ड अजमेर में कायम हुआ है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि अजमेर के किसानों की 1971 से जो जमाबन्दी है उसको माना जाय। यह जो तब्दीली हुई है उसके बाद जो नियमन किये

(श्री नवरंगसिंह)

जाने चाहिये वह किये जाय। 1969 से नियमित करने का आपका कतई गलत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो कट मोशन दिये है, खास तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमि संशोधन में राजस्थान में बहुत सी अनियमितताएें रही हैं। विस्तार में जाना चाहता था लेकिन टाईम नहीं है, भूमि संशोधन के लिऐ मेरे से पूर्व माननीय सुगना जी ने नरेशों की भूमि को लेने के सम्बन्ध में बहुत सी बातें बतायी है, मैं भी यह चाहता हूं कि सरकार के पास अगर कोई साधन है तो वह किसान की बिजली पर टैक्स नहीं लगाये, इन बड़े राजा महाराजाओं के पास जो अनाप-शनाप प्रापर्टी पड़ी है, जमीन पड़ी है उस पर कब्जा करके, सरकार उसको हाथ में लेकर साधन पनपाये तो हमारे बजट में घाटे की पूर्ति हो सकती है। किसान पर बिजली का जो टैक्स है वह आपको माफ करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत आभारी हूं।

धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : मांग पर विवाद समाप्त हुआ। माननीय राजस्व मन्त्री जी इस वाद विवाद का जवाब देंगी।

**श्रीमती कमला** (राजस्व मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभी सदस्यों, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है, का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूं कि जितना महत्व का यह महकमा है उसी के अनुरूप माननीय सदस्यों ने बहुत गम्भीरता से और रूचि ले करके इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा की है। राजस्व का महकमा शासन का मूल महकमा रहा है। जन जन तक इसका सम्पर्क है और जन जन से यह जुड़ा हुआ है। साथ ही किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति का एक बहुत बड़ा आधार भी यह महकमा रहा है उसी दृष्टि से जो बहस आज सदन में हुई उसमें अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे, सुझाव, समस्याऐ, निराकरण माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के इस आधुनिक युग में प्रवेश करने के लिए, अपना स्थान बनाने के लिए और प्रगति से कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए राजस्थान ने बहुत लम्बा सफर तय किया और इस लम्बे सफर में सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रोमांचकारी अगर कोई मील के पत्थर रहे हैं तो राजस्थान में भूमि सुधार के कदम हैं। राजस्थान भूमि सुधारों के देश में सबसे अग्रणी राज्य रहा है और आज भी अनेक राज्यों के मुकाबले में राजस्थान भूमि सुधार के मामले में अग्रणी है। जैसा कि राष्ट्र स्तर के ऊपर जो सम्मेलन किये गये उन सम्मेलनों की जितनी भी पत्रावलियां हैं, जितने भी उनके आइटम्स हैं उनमें जो चर्चाए, जो उल्लेख है उनमें बहुत से बिन्दु आज भी ऐसे है जो राजस्थान कर चुका है लेकिन बहुत से राज्यों को अभी करने बाकी हैं। इसलिए इस दिशा में राजस्थान अपने आप में अपना एक स्थान रखता है। आजादी के बाद में आजाद सरकार ने, कांग्रेस की हुकूमत ने, कांग्रेस के संगठन ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने इस राज्य को आगे

(श्रीमती कमला)

बढ़ाने के लिए जो मूल ग्राधार खेती है, किसान है, उसका विकास है ग्रौर उसके ग्रधिकार हैं उसको देने के लिए जितने क्रान्तिकारी ढंग से जितनी तत्परता से, जितने ठोस ग्रधिनियम, नियम ग्रौर व्यवस्थाग्रों में सुधार करने का काम किया वह ग्रपने ग्राप में उल्लेखनीय रहा है। ग्राज भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझती हूं कि राजस्थान उन कदमों पर चल रहा है ग्रौर जितने भी ग्रावश्यक भूमि सुधार कानून हैं उनमें जो कमी भी है उन्हें भी हम तत्परता से दूर करने में लगे हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजाग्रों की देशी रियासतों के एकीकरण के बाद में राजस्थान ग्रकेला मेरी समझ में एक राज्य है जिसने जब जागीरदारी उन्मूलन किया, 2,98,896 जागीरें ग्रहण की तो उसका 33,79,83000 रुपये का जो भुगतान है वह राज्य की तरफ से किया, किसानों से वसूल नहीं किया गया जब कि बहुत से राज्यों के ग्रन्दर यह सारा पैसा किसानों से वसूल करके देना पड़ा। इस मामले में राजस्थान ने ग्रपने ग्राप में एक बहुत बड़ी पहल की। इसके बाद में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खातेदारी देने के लिए भी एक कलम की नोंक से राज्य में एक कानून बनाया गया, 15-10-55 को जो भी काश्तकार जमीन पर काबिज था उसको निःशुल्क खातेदारी दे दी गयी ग्रौर तमाम के तमाम किसान....

(व्यवधान)

बीच में काहे के लिए बोल रहे है, बाद में बोल लीजिएगा।

सभी किसानों को खातेदारी दी गयी ग्रौर उसके बाद भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खातेदारी प्रदान करने में ग्रौर किसानों को यह बहुत बड़ा ग्रधिकार देने में राजस्थान बहुत ग्रगुग्रा है सिवाय कुछ ऐसे मामलों में जो कि बाद में ग्रलाटमेंट की गयी जमीन है ग्रौर जिनका किसान को यह ग्रख्तियार है कि 10 वर्ष में उसको निःशुल्क खातेदारी मिलती है लेकिन ग्रगर पहले लेना चाहें तो उस लगान का ढाई गुणा देकर वह ले सकता है। जिन किसानों ने वह देना मना नहीं किया सिवाय उनके राजस्थान में किसी भी किसान, जो कि भूमि का हकदार है को बिना खातेदारी के नहीं रखा गया है। ग्राज राज्य में 55 लाख खातेदार हैं जिनको कि पूर्ण रूप से खातेदारी दी जा चुकी है ग्रौर जो हैं, खातेदार, जैसे-जैसे भी ग्रपना ग्रावेदन करते हैं उनको दे दी जाती है। इसलिए कुछ माननीय सदस्यों ने जो यह कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खातेदारी नहीं दी गयी, ऐसा कोई मामला नहीं है।

जो एक ग्रौर बड़ा मामला राजस्थान में ग्राया कि किसान को खातेदारी देने के बाद में किस प्रकार से उस जमीन को इस कृषि प्रधान राज्य के ग्रन्दर खड़ा किया जाय, उसको खेती करने के लिए समुचित साधन मुहैया कराये जायें ग्रौर जो भी उसके सामने बाधाएं हैं उन सब का निराकरण किया जाय। यह हालांकि सब कृषि से सम्बन्धित है लेकिन ग्राप ग्रौर हम सब जानते है कि किस प्रकार से करोड़ों ग्ररबों रुपये ऋण के रुप में, किस प्रकार ग्रौर साधन सुविधायें जुटा कर के इनको ग्रागे बढ़ाने की कोशिश की गयी है। इसी राजस्थान की धरती में बहुत बड़े पैमाने पर

(श्रीमती कमला)

रिकार्ड कृषि उत्पादन भी हो रहा है और बहुत सी फसल, जो इस प्रदेश के किसानों ने कभी सोची भी नहीं थीं, को भी लाने की चेष्टा की गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय की गति के साथ में एक प्रगतिशील कदम जो उठाया सीलिंग कानून लाकर एक ओर भूमि सुधार कानून इस प्रदेश में लाया गया। उसके तहत में जितने भी मामले पंजीकृत हुए, 87,889 मामले पंजीकृत हुए थे उनमें से 86,324 मामलों जो सीलिंग कानून के थे, को हम निपटा चुके हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जिनको वापस खोला गया। जिनकी जमीनों के बाबत में नीचे के अधिकारियों या राज्य सरकार की निगाह में कुछ शंका पैदा हुई उनको खोला गया। यह बात सही है कि बहुत से मामले उसमें ऐसे भी है कि जिनको सिर्फ इस आधार पर खोला कि कुछ उनको शंकाए थी लेकिन शंका का निराकरण भी आवश्यक था कोशिश हम यह कर रहे हैं कि उनका निपटारा भी जल्दी कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादातर यह बात कही जाती है कि सीलिंग की जितनी जमीन सरप्लस लैण्ड डिक्लेयर की गई और उसके मुकाबले जितनी बांटी गई उसमें काफी बड़ा गैप है। अगर हम वस्तुस्थिति को देखें तो व्यावहारिक तौर से और प्रशासनिक तौर से वह अपने आप में कोई गैप नहीं है। उदाहरण के तौर पर जो सीलिंग सरप्लस लैण्ड डिक्लेयर की गई वह 588,912 एकड़ जमीन सीलिंग सरप्लस डिक्लेयर की गई उसके पेटे जो वह 5,49,256 एकड़ जमीन कब्जे में ली गई अवाप्त की गई 4,26,365 एकड़ जमीन, शेष रही 1,22,891 एकड़ इसमें से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 54,326 एकड़ वह जमीन है जो रेगिस्तान इलाकों की है और जिनपर अभी अलाटमेन्ट की पाबन्दी लगी हुई है या कुछ ऐसे इलाके हैं या जो नहर के अन्दर आने वाली है और जिनकी चकबन्दी होनी बाकी है। 43,180 एकड़ जमीन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह है जिसका लिटिगेशन चल रहा है और उसके आर्डर्स आये हुए हैं। इतने यह जो सीलिंग के मामले हैं इसमें सरकार अपने आप में इतनी सतर्क है कि राज्य स्तर पर इसकी सारी मानीटरिंग की जाती है और हर वक्त में जिले में कितनी सरप्लस जमीन अवाप्त की जानी थी, कितनी की जानी है उसके ऊपर जिले की बराबर पाबन्दी के साथ मानीटरिंग की जाती है।

मैं आपसे इस मामले में निवेदन करना चाहती हूं, हाउस को सूचित करना चाहती हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसने कि लक्ष्यों से कहीं अधिक इसकी उपलब्धि की है और उसकी भारत सरकार ने भी प्रशंसा की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर यह कहा जाता है कि सीलिंग के दो कानून बना कर आपने लोगों को बहुत दुविधा में डाल रखा है। सीलिंग के दो कानून नहीं है। कानून जो नया बना है वही कानून के तौर पर है। पुराना कानून सिर्फ उन केसेज के लिये कायम है जो पुराने सीलिंग कानून के तहत खुले है और जिनका डिस्पोजल भी पुराने कानून के तहत होना है। सिवाय इतनी सी बात के पुराना कानून किसी भी सीमा पर लागू नहीं है। इसलिये इसमें इतनी चिन्ता करना कि दो-दो कानून

(श्रीमती कमला)

क्यों लागू हैं. जैसे ही पुराने कानून के तहत आये हुए मुकदमें फैसल हो जायेंगे, पुराना सीलिंग कानून अपने आप हट जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से उठा, भूमि अवाप्ति कानून से संशोधन का। उसमें भारत सरकार की यह मंशा रही है कि किसान जिस जमीन को इतनी मेहनत करके, खर्चा करके डवलप करता है, उसकी अवाप्त की जाती है उसका बहुत कम पैसा मिलता है। इसलिये संशोधन किया गया कि उसका जो कुछ भी मूल्य है वह मार्केट रेट से दिया जाय। दो साल के अन्दर उसका फैसला हो जाय। और जितना भी कब्जा लेने और अवार्ड देने के बीच का समय है उस पीरियड का उसको 12 पर्सेन्ट लगातार दिया जाता रहे। उसका सांत्वना का जो मुआवजा हैं वह 30 पर्सेन्ट दिया जायगा। जब उसका डिक्लेयर हो जायगा उसका अगर सीमा के अन्तर्गत डिले होता है, एक साल के अन्दर 9 पर्सेन्ट उसका ब्याज दिया जायगा एक साल से अधिक समय हो जाता है तो 15 पर्सेन्ट तक ब्याज दिया जायगा और कोर्ट का एडीशनल रकम के लिये अवार्ड दिया जाता है तो एक साल की सीमा के अन्दर है तो 9 पर्सेन्ट और वह एक साल से ज्यादा है तो 15 पर्सेन्ट तक मुआवजा दिया जायगा। यह सारा जैसा का तैसा भारत सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है उसको हमने एडाप्ट कर लिया है, सिवाय इसके कि इसका 82 से भुगतान होगा। उस एक क्लाज के अलावा ज्यों का त्यों राजस्थान सरकार ने उसको एडाप्ट किया है। केबिनेट से उसकी अप्रूवल हो चुकी है। उसको भारत सरकार ने अपनी अप्रूवल के लिये मंगाया है, जैसे ही वहां से आ जायगी हम उसको पारित कर देंगे। तो किसान को राहत देने के लिये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम हमारी तरफ से होगा।

जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, अभी जो संगोष्ठी हुई थी उसमें भी यह बात आई थी, आम तौर पर जन-प्रतिनिधियों की तरफ से भी यह बात उठती है, माननीय अकाल और बाढ़ राहत मन्त्रीजी से भी मैं कहना चाहती हूं कि इस काम के लिये जितनी जमीन अवाप्त की जाती है, किसान अपने गांव की तरक्की के लिये अकाल राहत कार्य चलाने के लिये राजी खुशी जमीन देता है लेकिन कभी उसके लिये मुआवजा नहीं दिया जाता है और कितने ही बीघा जमीन उसकी अवाप्त कर ली जाती है। इसलिये उस क्षेत्र में मुआवजा का प्रावधान रखा जाय, इस बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है उस बारे में विचार किया जाना आवश्यक है।

(व्यवधान)

**श्री दिग्विजय सिंह** : रेवेन्यू का जो चार्ज करते हो उसका क्या है।

**श्रीमती कमला** : बीच में मत बोलिये, बाद में पूछ लीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत जो आज चली आती थी वह यह थी कि जब कभी उसको ऋण चाहिये, जब कभी उसको ट्रेक्टर चाहिये, जब कभी और जरूरत उसको अपने खेत के लिये चाहिये उसे बराबर दस जगह से सर्टिफिकेट लाना पड़ता है कि इसके खिलाफ कोई ड्यू

(श्रीमती कमला)

नहीं है. वह जमीन का मालिक है, इसके नाम पर जमीन है। इसको बार-बार करना पड़ता है। राज्य सरकार ने पास बुक नियम और अधिनियम पास करके उसको रिकार्ड आफ राइट बना कर एक लीगल डाकूमेंट का शेप दे दिया, उसमें जितनी एन्ट्री है चाहे वह बैंक में जावे, चाहे तहसील मे जावे, चाहे कहीं भी जावे, वह अपने उस रिकार्ड आफ राइट के आधार पर जो भी सुविधाएं चाहता है वह उसको मिलेंगी। आज हमने तमाम 55 लाख काश्तकारों, जो खातेदार हैं, को पास बुक जारी करने का निर्णय किया है। वह छप रही हैं और लगभग दो लाख उन्नीस हजार पास बुक वितरित भी की जा चुकी हैं। इसकी लीगल वेलिडिटी हम लोगों ने तमाम जगह पर स्थापित करने का जो काम किया है, वह किसान के लिये एक बहुत बड़ी राहत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बिन्दु ऐसे हैं जो आम तौर पर पूरे स्टेट के सारे किसानों को परेशान करते हैं। चाहे नामान्तरकरण का मामला हो, चाहे कब्जे का मामला हो, चाहें आवटन का मामला हो, चाहे अतिक्रमण का मामला हो, चाहे आपसी जमीन की अदला-बदली का मामला हो, चाहे पारिवारिक जमीन के बंटवारे का मामला हो, चाहें खेतों में जागीरदार जो है, खेत तो है किसान का लेकिन उसकी नाल जागीरदार की हैं, तालाब गांव का है लेकिन उसकी डोल जागीरदारी की है, इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन का मामला है, उसी तरह से नदी खातली और पेटा काश्त के अलाटमेंट का मामला है, साल दर साल उसका अलाटमेंट नहीं होता है और 91 की कार्यवाही और पेनल्टी लग जाती है और फिर एक पटवारी का मामला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत छोटे मामले हैं लेकिन इतने महत्वपूर्ण और दुखदायी हैं। अच्छी तरह से हो जायं तो इतने उपयोगी मामले हैं कि सब माननीय सदस्यों ने किसी न किसी मुद्दे पर बहुत ही ज्यादा चिन्ता प्रकट की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवंटन का जहां तक सवाल है, अभी जो एक संगोष्ठी हमने राजस्व विभाग की रखी थी उसमें इस सारे मामले पर बड़े विस्तार से चर्चा की। आवंटन के मामले में जो सबसे दुखदायी पहलू है वह यह है कि पटवारी जमीन खाली बता देता है और आवंटन कर देता है और जब मौके पर आते हैं तो जमीन खाली नहीं मिलती है और तीन किसान आपस में लड़ते रहते है। जब कि आवंटन करने वाले की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि उसने आवंटन किया है तो उसको कब्जा दिलाये। लेकिन उसको जमीन मिली नहीं और मुकदमें का उसके गले में हार और डल गया। हम लोगों ने अभी जो चर्चा की उसके मुताबिक यह तय किया है, अगर पटवारी इस तरह की रिपोर्ट देगा कि जमीन खाली नहीं है फिर भी खाली बताकर उसको आवटित किया है तो पटवारी को तुरन्त सस्पेन्ड करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी।

इसी तरह आवंटन में एक दिक्कत और है। आवटन की जो कमेटी बनी हुई है उसमें सदस्यगण पूरे नहीं पहुंचते। कभी तहसीलदार ही अकेला जाकर आवटन कर आता है, कभी दो मेम्बर ही जाकर आवंटन कर देते हैं। उसमें कोरम का प्रावधान कितना कम है या ज्यादा है, मुझे अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, इसलिये उस कोरम के अभाव में अगर कोई अधिकारी अपने स्तर

(श्रीमती कमला)

पर इस तरह का आवंटन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय क्योंकि अकेले एक अधिकारी को कहीं पर जमीन आवंटन का कोई अधिकार नहीं है। कई अधिकारियों के ऐसे मसले आते है, अकेले ए. सी. एम. ने आजर आवंटन कर दिया, अकेला तहसीलदार आकर आवंटन कर देता हैं अकेले एस. डी. ओ. ने आवटन कर दिया जब कि उनको कोई अधिकार ही नहीं होता। तो इस तरह के कुछ केसेज जो नोटिस में आये उसमें इन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही करने का सरकार का पूरा इरादा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कब्जे का मामला उससे भी गम्भीर है। कागज पर कब्जा बता देते है लेकिन एक्चुअली मौके पर कब्जा नहीं होता। हमने यह तय किया है पटवारी, उस हल्के का गिरदावर और सरपंच या वार्ड पंच, तीनों मौके पर जाकर उसका कब्जा करवायेंगे, पत्थरगढ़ी करवायेंगे। अगर वह पत्थरगढ़ी और मौके पर जाकर कब्जा नहीं करवायेंगे और कागजों पर ही करेंगे तो उसके बाबत तहसीलदार और एस डी. ओ. को यह अख्तियार दे रहे हैं कि वह तुरन्त अपने लेवल पर इसकी जांच करके उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है और उसको कब्जा दिला सकता है।

नामान्तरकरण के मामले में आप लोगों ने कहा कि 45 दिन तक पंचायत के पास यह मामला रहता है। 45 दिन के बाद तसीलदार को अख्तियार है। इसमें इतना तरमीम किया है सुझाव के तौर पर कि पटवारी, जो रिपोर्ट नहीं देता 45 दिन तक, को कहा है कि सात दिन के अन्दर अन्दर रिपोर्ट दे दे, अगले सात दिन में गिरदावर उसको वेरिफाई करके पंचायत को दे दे और पंचायत अपनी सीमा 45 दिन के अन्दर उसका नामान्तरकरण या तो कर दे या नामान्तरकरण किये हुए की सूची और जिनका नामान्तरकरण नहीं किया उनकी कारण सहित एक सूची तहसील को भेज दे जैसे ही 45 दिन खतम हो पंचायत की यह पाबन्दी होगी कि वह तुरन्त उस मामले को भेजे और तहसीलदार उसके ऊपर तुरन्त एक्शन लेवें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसी अदला-बदली का जो मामला है उसमें बड़ा भारी कन्फ्यूजन चल रहा था, उसमें इजाजत हमने दे रखी है लेकिन यह इन्टरप्रिटेशन लगाया जा रहा था कि एक किस्म की जमीन हो तो आप अदला-बदली कर सकते हो, अगर बारानी और एक चाही है तो आप अदला-बदली नहीं कर सकते। अब यह समझ में नहीं आता, काश्तकार इतना नादान नहीं है कि जो अपनी पांच बीघा चाही जमीन के पेटे पांच बीघा बारानी लेगा। वह भी हिसाब जानता है। इसलिये हमने कहा कि इस बारे में कोई पाबन्दी लगाने की जरूरत नहीं है। किसान आपस में जमीन अदल-बदल करना चाहता है तो बिना किसी कण्डीशन के उसको इजाजत हो जानी चाहिये।

इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पारिवारिक बटवारा है उसके अन्दर भी कई पाबन्दियां लगाई गई थी उसको भी हमने कहा है कि अगर पांच भाइयों के पास में एक दादा या बाप के नाम खातेदारी चली आ रही है आज वे लोन लेना चाहते हैं या बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो वे

(श्रीमती कमला)

बंटवारा करना चाहते हैं तो उसमें बहुत बड़ी स्टांप ड्यूटी लगाने का बीच में प्रावधान कर दिया जा उसको भी हम हटा रहे हैं। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, नदी खातली और तालाब के पेटे की जमीनें साल दर साल जिनका अलाटमेंट कर देना चाहिए लेकिन अधिकारी नहीं करते हैं 3-3 साल तक चलाते जाते हैं किसानों की कोई गलती नहीं लेकिन इन कारणों से उसकी पेनल्टी लगा देते हैं उस को बेदखल करने की कार्यवाही शुरू कर देते हैं इसलिए फैसला लिया है कि या तो आने वाले साल में री-अलाटमेंट हो जाय या नहीं होता है तो मान लिया जाय कि री-अलाटमेंट हो चुका है, न कोई पेनल्टी होगी, न कोई 91 का मामला चलेगा।

पटवारी का जहां तक मामला है, उपाध्यक्ष महोदय, पटवारी बहुत ही चर्चा का आदमी है। वैसे बहुत कुशल कारीगर भी हैं, बहुत मेहनती आदमी भी है और बहुत ज्यादा कार्यभार से दबा हुआ इन्सान है। उसमें तीनों बातें हैं। जहां तक कुशलता का सवाल है, उसकी कलम में, हुनर में कोई कमी नहीं और छोटे छोटे लोग कलम के दबाव से बहुत दुखी होते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने उदाहरण दिये। हम इस बात की चेष्टा भी करते हैं कि कहीं उसकी कलम को जितना चलना चाहिए उससे आगे रोकने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करें फिर भी आप जानते हैं कि एक किस्सा है, जिसको संसार में कुछ कुछ ढूंढ निकालना है तो समुद्र की लहरों से भी न मालूम क्या क्या आंकड़े निकाल लेते हैं। लेकिन एक बात सही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज पटवारी ऐसा प्राणी है जिसको सारे राज का काम सौंप दिया जाता है। आज वन विभाग का आदमी चुनाव का काम नहीं करता, आज शिक्षा विभाग का आदमी सेंसस का काम नहीं करता, हमारे दूसरे चिकित्सा विभाग के अधिकारी कोई वोटर लिस्ट बनाने का काम नहीं करते, जितनी भी सेंसस रिपोर्ट होगी पशुओं की हो, आदमियों की हो- खेती की हो, जितने चुनाव के मामले, मतदाता सूचियां बनाने की ड्यूटी, जितने आग के, बाढ़ के जितने भी और अतिरिक्त काम है दुनियां भर के वे सारे काम अन्ततोगत्वा पटवारी पर जाकर पड़ते हैं। इसलिए हम इस बात को सोच रहे हैं कि जो आज काम उस पर पड़ता है उन कामों की विभाग की तरफ से अतिरिक्त व्यवस्था की जाय या इस प्रकार की व्यवस्था हो कि कुछ पटवारी इन अतिरिक्त कामों के लिए और कुछ पटवारी सिर्फ राजस्व के कामों के लिए हों। वरना हालत यह होती है कि अपना मुख्य काम तो कर नहीं पाता और दूसरे कामों में उलझा रहता है और वे दूसरे काम इतने आकस्मिक, इमरजेन्सी के होते हैं कि उसमें भी जरूरी होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत सी जगह पटवार घर नहीं है, बस्ता रखने को जगह नहीं है, नक्शा फैलाने को जगह नहीं है, टेबल भी नहीं है। इन सारे मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। साथ में यह भी विचार कर रहे हैं कि उसकी कलम पर नकेल लगाई जाय जिससे लोग कम से कम दुखी हों।

सभापति महोदय, एक और बड़ा दुख जो आम तौर पर किसानों को रहता है वह है मुकदमे। इन मुकदमों का निपटारा किस ढंग से हो रहा है आप और हम सभी जानते हैं इसमें कई मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो यह है कि बहुत से राजस्व अधिकारी चाहे एस. डी.

(श्रीमती कमला)

ओ, तहसीलदार, ए. डी. एम. जिनके और भी प्रशासन के रेवेन्यू के बहुत से काम हैं के पेटे जितने मुकदमे डाले हुए हैं यह फिजिकली इम्पासिबल है कि वह इन सभी मुकदमों का निस्तारण कर सकें। इसलिए हमने उस गोष्ठी में यह भी चर्चा की है कि ग्राम तौर पर ला एण्ड आर्डर की ड्यूटीज को, प्रशासकीय ड्यूटीजको विकास की ड्यूटीज को और दूसरी ड्यूटीज को, इमरजेंसी ड्यूटीज को निपटाने के बाद वास्तव में उसके पास जुडिशियल काम के लिये कितना समय बचता है उसमें उसको इतना ही जुडिशियल वर्क दिया जाय और उसके हिसाब से इतने अधिकारी और बनाये जांय। आज स्थिति यह है कि एक-एक अधिकारी के पास 800-800, 900-900, 700-700 मुकदमे हैं और जितने वक्त में मुकदमे निपटाने की कोशिश करते हैं उस वक्त तक और कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कभी अकाल आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ला एण्ड आर्डर आ जाता है, कभी किसी वी. आई. पी. का विजिट हो जाता है। कुल मिला कर मौका ही नहीं मिल पाता कि इसको करें। इसलिये एक तरफ इस बात को सोच रहे हैं दूसरी तरफ यह भी सोच रहे हैं कुछ ऐसे मुद्दे जिनमें सैकण्ड अपील की जरूरत नहीं, यह सैकण्ड अपील एस. डी. ओ तक ही खतम हो जानी चाहिए। यह चीज जैसे अलाटमेंट का मामला है, कब्जे का मामला है और चीज है उनको रेवेन्यू बोर्ड पर ले जाते हैं उसकी बजाय कुछ जगह पर सैकण्ड अपील ठहर जाय और कुछ जगह पर सैकण्ड अपील की जरूरत नहीं हो यह सारा भी एग्जामिन करें। यह भी है कि यह जो मुकदमे दैनिक लगायें। वह इतने ही लगायें जितना कि दैनिक निपटारा कर सकें। साथ में पेशियों को आगे बढ़ाने का काम है उसमें भी डायरेक्शन देने का है कि अब इस हिसाब से पेशियां होंगी। आगे सरकाने का भी जिसमें ओबवियसली वेलिड रीजन हो और डेट देना जरूरी हो तो दें वरना यों ही आंख मींच कर पेशी सरकाने वाला काम नहीं होना चाहिये जिससे सैकड़ों काश्तकार जो पेशियों के लिए आते हैं उन लोगों का समय जाया होता है और खेती, फसल के वक्त में यह सारा चलता रहता है तो इस मामले मे भी कुछ सोच विचार करके कार्यवाही करने का है।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड में बहुत से केसेज हैं। आज लगभग 18 हजार केसेज हैं और हर साल लगभग 8 हजार नये इन्स्टीट्यूट हो जाते हैं। रेवेन्यू बोर्ड की तकलीफें 2-3 हैं जिन पर चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। एक तो यह कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जोब है उसके लिए अलग विंग होना चाहिये और जो जुडिशियल जोब है उसके लिये अलग व्यवस्था हो। उनके जितने भी मैम्बरान हैं वे पूरा समय रेवेन्यू अपील केसेज में अपना देकर डिस्पोज नहीं करते, दूसरे आज 78-79 तक के केसेज पेन्डिंग हैं हम चाहते हैं कि कुछ समय के लिये कुछ अतिरिक्त सदस्य उसमें लगें तो हम इसमें कम से कम 82-83 तक ले आवें और उसके बाद में चाहें नार्मल संख्या सदस्यों की हो जाय।

दूसरे, रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर सदस्य नियुक्त किये जाते हैं उनमें बहुत से अनविलिंग सदस्य होते हैं जो कई कई महीने तक छुट्टी लेकर समय निकाल देते हैं। उससे बहुत सारा मुकदमों का काम पैंडिंग रहता है। जब तक इसका क्या सोचा जाय

(श्रमती कमला)

किस तरह से व्यवस्था की जाय जिससे जगह खाली नहीं रहे साल में बहुत सी जगह कई महीनों तक खाली पड़ी रहती है और मेम्बर साहबान पद ग्रहण नहीं करते इसके बारे में भी हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं।

इसी तरह कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है....

**श्री मानिक चन्द सुराना** : अध्यक्ष महोदय, बोर्ड ग्राफ रेवेन्यू के मैम्बर साहबान का टैस्ट चैक तो करे कभी तीन बजे जाकर और देखें कि कितने मैम्बरान वहां उपस्थित हैं। हाई कोर्ट की तरह साढ़े दस से चार बजे तक नियमित रूप से उनको बैठने की हिदायत है कम से कम उसका कड़ाई से पालन करें इसको देखें।

**श्रीमती कमला** : ऐसा है इसको तो आपने पहले भी कहा था। यह तो बहुत माइनर डिटेल की बात है जिसको हम कर सकते हैं। यह एग्जीक्यूटिव पाइन्ट है लेकिन जो....

**श्री मानिक चन्द सुराना** : उसको मेजर समझिये।

**श्रीमती कमला** : मेजर समझेंगे लेकिन हाउस में कहने के लिए मेजर नहीं है Otherwise it is a very mayor point. आप मुझे कहने दीजिये।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : आप तो कह ही रहे हैं लेकिन व्यवस्था भी करें। कहने से काम नहीं चलेगा।

**श्रीमती कमला** : व्यवस्था तो यहां खड़े खड़े थोड़े ही करूंगी।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : डेढ़ महीने तो हो रहा है, अब तक क्या व्यवस्था की आपने ?

**श्री उपाध्यक्ष** : इसको ध्यान में ला दिया है, माननीय सदस्य।

**श्रीमती कमला** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल के पास में नेशनल ट्रिब्यूनल का भी काम पहले था और तीन साढ़े तीन हजार मुकदमे उसके भी थे। उस ट्रिब्यूनल को अलग बनाने से कुछ मुकदमे उधर ट्रांसफर हुए हैं लेकिन फिर भी मैं मानती हूं कि बहुत बड़ा काम राजस्व मण्डल के ऊपर है और उसके हिसाब से निपटाने के लिए कुछ व्यवस्था सोची जानी है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि राजस्व मण्डल की बैंच उन स्थानों पर भी भेजी जानी चाहिये या लगाई जानी चाहिये जहां काफी मुकदमे हैं क्षेत्र के। इस बारे में अभी कोई विचार नहीं किया गया है लेकिन कहां कहां के, किस किस जगह के कितने कितने मुकदमे राजस्व मण्डल में चल रहे हैं और किस प्रकार से आम आदमी को रिलीफ दी जा सकती है उसके बारे में सरसरी तौर पर डाटा जरूर इकट्ठे किये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय एक बहुत बड़ी समस्या है राजस्व ग्रामों के नाम से विद्युतीकरण होता है, हैण्ड पम्प लगते हैं स्कूल खुलते हैं। बहुत सी चीजें राजस्व ग्राम के नाम से होती हैं और कई ऐसी ढाणियां हैं जो मूल गांव से बड़ी हो गई। इसलिये राज्य सरकार ने यह निर्देश दिया है कि जितनी भी 250 की आबादी की ढाणी या गांव हैं उन सब को सरकार राजस्व ग्राम घोषित करेगी। उसके लिये प्रस्ताव भी मांगे गये हैं और बहुत से

(श्रीमती कमला)

जिलों से प्रस्ताव आ भी चुके हैं। 500-600 ढाणियों को हमने राजस्व ग्राम घोषित किया है। जिन जिलों की रफ्तार थोड़ी धीमी है उनकी जरूर थोड़ी ढिलाई है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि आप अपने-अपने क्षेत्र के जिला कलेक्टर को तकाजा करें कि वे अपने इस तरह के गांवों को प्रस्ताव जल्दी से भेजें जिससे कि तमाम ढाइ सौ की आबादी के गांव और ढाणियों को हम राजस्व ग्राम घोषित कर सकें और गांव वालों को जो सुविधायें इस सन्दर्भ में मिलती हैं उसका लाभ वे भरपूर ढंग से उठा सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस. सी. और एस. टी. की जमीनों के बाबत काफी विवाद चलता है और वह विवाद अभी चालू ही है। बहुत से लोगों की राय है कि नगरीय क्षेत्र में इनको इजाजत दे देनी चाहिये कि वे अपनी जमीन बेच सकें और कुछ जगह ग्रामीण क्षेत्र में भी दे देनी चाहिये। बहुत से लोगों का यह कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो नहीं देनी चाहिये, नगरीय में सिर्फ दे देनी चाहिये। यह मुद्दा अभी विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्यों से, खास तौर से जो इससे सम्बन्धित हैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि वे अपनी राय इस बारे में दें जिससे कि हम इसके बारे में निर्णय करके आदेश जारी कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा मुद्दा माननीय सदस्यों ने उठाया, खास तौर से जयपुर से आने वालों ने कि नगरीय भूमि के रूपान्तरण और नियमन के लिए काफी बड़ा कार्य किया गया, काफी उसकी पब्लिसिटी की गयी लेकिन अभी तक बहुत कुछ काम बाकी पड़ा हुआ है, लोग काफी परेशान हैं और उनको निपटाना बहुत जरूरी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सबंध में सारे स्टेट भर में जो इस तरह के आवेदन आये वे लगभग 1,35,650 थे जिनमें से 90,000 के करीब निपटाये गये हैं बाकी अभी शेष हैं। जयपुर शहर में 74 574 केसेज आये उसमें से 40,012 निर्णीत हुए, 28,562 अनिर्णीत थे उनमें से 17 608 रूपान्तरित कर दिये और 28,404 खारिज किये गये। इस खारिज किये गये वाले मुद्दे के ऊपर बहुत सी सोसायटीज भी, बहुत से इण्डिविजुअल भी परेशान हैं। पहले इस मामले को रेवेन्यू बोर्ड को ट्रांसफर किया जाता था, जितने भी डिविजन के केसेज हैं, अपील के केसेज हैं सब वहां पर जायें लेकिन रेवेन्यू बोर्ड के पास दूसरे भी और इतने मामले है कि वे शायद ही 10 वर्ष 20 वर्ष में देखें। इसलिये हमने इस बात की व्यवस्था की है वे रेवेन्यू बोर्ड विदड्रा करके स्टेट लेवल की एक एडवाइजरी कमेटी बनायी है। रेवेन्यू मिनिस्टर की अध्यक्षता में रेवेन्यू सचिव और ला सचिव, तीनों की एक कमेटी बनायी है। जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें इस तरह के जो मामले हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है या जिनको कोइ अपील करनी है उसके लिए व्यवस्था की गयी है जिससे कि यदि कोई ऐसे जेनवीन मुद्दे हों तो उनको राहत मिल सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि भूमि के रूपान्तरण का मामला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सबसे ज्यादा गम्भीर मामला है। इसके कानून बने हुए हैं, व्यवस्था कायम है, लेकिन अभी तक सारे राज्य के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के

(श्रीमती कमला)

रूपान्तरण, नियमन के मामले पड़े हुए हैं कि उनका कोई रूपान्तरण नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस नियम के तहत में सभी अधिकारियों, जो कमिश्नर हैं, को तकाजा किया गया कि यह नियम और यह कानून बना हुआ है इसके तहत आपके क्षेत्र में जितने भी मामले बनते हों उनका आप जल्दी से जल्दी नियमन और रूपान्तरण करें। बस्तियां की बस्तियां बस गयी हैं, बस स्टेण्ड बन गये हैं, बाजार बन गये हैं, दफ्तर बन गये हैं लेकिन किसी का भी रूपान्तरण और नियमन नहीं हुआ है। एक तरफ यह तकाजा किया गया है, दूसरी तरफ कुछ मुद्दे ग्रामीण क्षेत्र के भी आये हैं कि बहुत सारी सहकारी समितियां बन गई, उन सहकारी समितियों का इस कानून के अन्दर कोई प्रावधान नहीं है इसलिये वे अफरझूल में लटकी हुई हैं। अभी इसके अन्दर अमेण्डमेंट हमने प्रस्तावित किये है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिये जो नियम है या कानून है उसके अन्दर भी जिस प्रकार से सहकारी समितियां नगरीय क्षेत्र में हैं उनका प्रावधान रखें। जिस तरह से यहां प्रावधान है उसी तरह से किया जाय। कुछ जो खातेदार हैं ग्रामीण क्षेत्रों को जिनकी जमीनें कन्वर्ट होंगी उनको हमने विशेष राहत देने के प्रस्ताव किये हैं कि अगर खुद उसकी अपनी जमीन किसी रोड पर आ गयी है, किसी बाजार के नजदीक आ गयी है, किसी नये डवलपमेंट एरिया में आ गयी है, तो उसको अपने और अपने मेजर बच्चों के मकान के लिए या कामर्शियल एरिया के लिए, अपने किसी वर्कशाप या शाप के लिए हम फ्री आफ कास्ट दे सकेंगे। इस तरह की उनको कुछ सुविधा देने का हमने प्रस्ताव रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक उपनिवेशन क्षेत्रों की जो दिक्कत है कि कलेक्टर की परमिशन के बिना जमीन का बेचान नहीं हो सकता। माननीय सदस्यों ने सही कहा है कि उसके अभाव में रजिस्ट्रियां बन्द हैं सरकार की आमदनी खतम और दूसरी तरफ जो किसान हैं वे भी परेशान हैं। इसलिए हमने इस बारे में सगोष्ठी में भी सोचा था और उसके आदेश भी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं जल्दी कि एक महीने के अन्दर अगर कलक्टर उसकी स्वीकृति दे देता है या रिजेक्ट कर देता है तो उसको यथावत् मान लिया जाय और एक महीने के अन्दर वह नहीं स्वीकृत करता है, न रिजेक्ट करता है तो उसकी स्वीकृति मानने के लिए विचार कर रहे हैं जिससे कि यह सारी परेशानी हमारी जो है, उसका निराकरण हो जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने जे. डी. ए. में जयपुर के गावों का, जयपुर जिले में लगान की दरों का और सड़कों में आयी भूमि के लगान को माफ न करने का, दो तीन मुद्दे उठाये। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जयपुर के अन्दर जे. डी. ए. के तहत जो सैकड़ों गांव लगा कर डाल दिये हैं उसके लिये उस वक्त में हमने आपत्ति की थी। आज भी उनकी यह दुर्गति है कि न तो जे. डी. ए. वाले ट्यूबलाइट ले जाकर लगाते हैं और न उनको दूसरी तरफ से कोई राहत मिल रही है। दूसरी तरफ जो कुछ भी उनका विकास होना चाहिए वह न जाने कितने वर्षों से टला हुआ है। इसलिए सभी गांव के लोग इस बात के लिऐ तकाजा करते हैं। जैसा माननीय सदस्य बस्सी से आने वालों ने कहा कि यह बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है।

(श्रीमती कमला)

इस बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन कर सकती हूं कि इस बारे में पुनर्विचार करें। अगर जे. डी. ए. की इतनी क्षमता है कि अगले 3 वर्ष, 4 वर्ष में कोई योजना उनके लिये हो तो उनको सीमा में रखें लेकिन आने वाले 50 वर्ष तक, 25 वर्ष तक कोई योजना नहीं हो तो फिर उनको और दूसरे साधनों से क्यों वंचित किया जाये।

जहां तक लगान का मामला है यह कई बार जयपुर जिले के लोगों ने उठाया है कि गंगानगर के लगान और जयपुर जिले के लगान में 5-6 गुणा का फर्क है। जबकि उनको पेरीनियल वाटर मिलता है और यहां कुए से अपने खुद का खर्चा करके सिचाई के लिये जमीन बनाते हैं। अब इस बारे में नेशनलाइजेशन कभी हो तब जाकर इस पर कुछ विचार हो सकता है।

जहां तक सड़कों में आयी हुई भूमि का लगान जा रहा है उसके लिए मैं माननीय सदस्यों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि वे स्पेसिफिक मुद्दे जो हैं, वह बता दें तो उनके लगान की तुरन्त वसूली बन्द कर दी जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शायद गैर जानकारी के अन्दर एक बात कही कि रामनिवास गांव के अन्दर गोचर भूमि किसी काश्तकार के नाम पर कर दी। बाढ़ में आये हुए लोग उसके अन्दर बसे हुए थे इस तरह का उन्होंने सन्दर्भ दिया। मैं उनको सिर्फ इतना ही अवगत कराना चाहती हूं कि यह जो विनिमय हुआ है, 80 में हुआ है जबकि बाढ़ 81 में आयी है। गोचर भूमि जिसमें विनिमय हुआ है उसका कुल रकबा 47 बीघा से कुछ थोड़ा ज्यादा है और जो विनिमय हुआ है वह 17 बीघा का हुआ है। विनिमय के लिए आवेदन दिया है पंचायत ने। ग्राम पंचायत ने उसको तस्दीक किया, प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया। तहसीलदार ने रिपोर्ट दी एस.डी.ओ. को, कलक्टर को और कलक्टर ने उसको फारवर्ड किया गवर्नमेन्ट को और गवर्नमेन्ट ने तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उसके पक्ष में विनिमय करायी। उसके खिलाफ पंचायत ने अभी तक कोई आपत्ति नहीं की न कोई केस चलाया। इन्डिविजुअल आदमियों ने इसके बारे में आपत्ति की। इसलिए मैं उनको इतना ही संशोधित करना चाहती हूं कि यह जो अलाटमेंट हुई 79 में प्रस्तावित होकर 80 में हुई है और बाढ़ में जो आये हैं वे 81 में आये हैं। इस भूमि के अन्दर 47 बीघा का टोटल रकबा है, उसमें से 17 बीघा के अलावा और भी भूमि है जिसके ऊपर लोग बसे हुए हैं। खातेदारी की जमीन में तो कोई बसने ही नहीं देता इसलिए इसको थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है।

माननीय सदस्य एक ने कहा कि इस विभाग का नाम बदलना चाहिए, राजस्व विभाग के बजाय लैण्ड मैनेजमेंट एण्ड डवलपमेन्ट के नाम से रखा जाय। इस पर विचार कर सकते हैं, यह सुझाव अच्छा है।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हिन्दु उत्तराधिकार कानून लाया गया है इसमें लड़की को भी अपने मां-बाप की जायदाद में अधिकार है इससे बहुत भारी परेशानियां इलाकों में हो रही हैं। वैसे यह

(श्रीमती कमला)

हमसे संबंधित नहीं है लेकिन यह बात जरूर है कि इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही कि लड़की को उसमें बराबर देने का अधिकार दिया। लड़की को उसमें कोई फायदा नहीं है और जिसके लिए किया गया है वह उसका लाभ भी नहीं ले पाती और जिनको कराना पड़ता है उनके लिए बहुत सी मुसीबत हैं। लड़की ससुराल में चली जाती है. फिजिकली पजेशन उस जमीन का होता नहीं। खेती तो करा नहीं सकती है। उसका लाभ वह कभी ले नहीं सकती है। इसलिए देना चाहे तो ससुराल में उसके पति का जो हिस्सा बनता है उसको जोइंट हिस्सा और जोइंट खातेदारी बनावे प्रापर्टी में तो उसका लाभ उसको मिल सकता है। लेकिन पिता के घर में बनाया है जिसको कभी जा करके वह देख भी नहीं सकती है और जावे तो भाई के प्यार को क्यों ठुकराये इसलिए उसको लेना भी नहीं चाहती है। इसलिए इसमें उसको कोई लाभ नहीं होता है। यह दर असल में उचित लाभ नहीं है। लेकिन हमारे अख्तियार की बात नहीं है इसलिए हम कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नरेशों की जो जमीन है खेती की या अरबन सीलिंग में आयी हुयी जो जमीन है उसके लिए माननीय सुराना साहब ने कई बार मामला उठाया। उन मामलों को जैसा मैंने उनसे कहा था, सारा विवरण उनका तैयार करके किस किस में कितना है क्या क्या मुकदमें कितनी कितनी प्रापर्टी के हैं और इसमें कहां कहां ढिलाई बरती गयी है और किस प्रकार से तकाजा करके इन मामलों को हमें आगे करना चाहिए क्योंकि यह एक मामला ऐसा है जो हमारे ऊपर एक आपत्ति का मामला है। और सब लैण्ड रिफार्म्स में आप आगे हो इसके अन्दर आप क्या कर रहे हो यह हमारे लिए सचमुच सोचनीय है। इसके लिए मैंने विभाग से कहा है कि विशेष तौर से कुछ दिन के लिए एक अधिकारी इसके ऊपर ही लग करके इन सारे मामलों को तैयार करके किस जगह पर किस तकाजे से सरकार काम करे जिससे कि हमारे ऊपर जो यह आपत्ति है इसको हम मिटा सकें।

अन्त में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नयी उप तहसीलें, तहसीलें नये ए.सी.एम. आफिसेज, आर.ए.ए. के आफिसेज और जो सैटलमेंट के आफिसेज, रिआर्गेनाइजेशन एरियाज का, इसके बारे में माननीय सदस्य, प्रस्ताव भी भेजते रहते हैं और आज भी कई माननीय सदस्यों ने कहा यह वास्तव में वास्तविक मांग है और जो तकलीफ है नजदीक से लोग काम करना चाहते हैं दूर-दराज नहीं जाना हो, इस तरह की कोशिशें राज ने की भी है। मैंने विभाग को यह निर्देश दिये हैं कि जितने प्रस्ताव माननीय सदस्यों के, जन-प्रतिनिधियों के आम आदमी के, पंचायतों के, जिन किन्हीं के भी आयें उन प्रस्तावों के लिये खुद अपनी तरफ से कलक्टर को चिटठी जारी करें। जो उन्होंने कर भी रखी है कि आपके क्षेत्र में उप तहसील, तहसील, ए.सी.एम. आफिस कायम करने काम या दूसरे रेवेन्यू के मैटर्स में आपका क्या सुझाव है वह हम को भेजिये। उनको मंगाने के बाद में हम मैरिट्स डी-मैरिट्स के आधार पर या किन्हीं चन्द फार्मूलों के तहत में डालकर के देखेंगे कहां कहां पर उप तहसीलें आवश्यक हैं, किस क्राइटेरिया में आता है, कहां तहसीलें आव-

(श्रीमती कमला)

श्यक हैं। जहां एस.डी.ओ. ग्राफिस है वहीं पर ए.सी.एम. ग्राफिस है उसके लिये तो निर्णय है कि ए.सी.एम. ग्राफिस को उस सब डिवीजन के हैडक्वार्टर पर भेज दिया जाय जहां पर न एस.डी.ओ. न ए.सी.एम. है। तो इस तरह की जितने भी मुद्दे की बातें हैं ग्रौर ग्रापकी मशा है, ग्रापकी मांगें हैं उनके लिये हम प्रयास कर रहे हैं ग्रौर उनको तैयार करने के बाद सरकार के सामने एक मसविदा प्रस्तुत करेंगे। राज्य सरकार की क्षमता, वित्तीय सीमायें ग्रौर ग्रौर उसकी राजनैतिक तैयारी के हिसाब से हम कितना कर पायेंगे, यह जब हम मुद्दा प्रस्तुत करेंगे तभी मैं कह सकूंगी।

**श्री सी पी. जोशी** : चारागाह के अतिक्रमण के बारे में।

**श्रीमती कमला** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रन्त में निवेदन करना चाहूंगी बहुत से मुद्दे माननीय सदस्यों ने ग्रपने इलाके के रखे उन सभी का मैं यहां पर जवाब देने की स्थिति में भी नहीं हूं ग्रौर देऊं तो समय भी बहुत ग्रधिक लगेगा इसलिए उन सब के बारे में मैं इस वक्त उल्लेख न करके इतना ही ग्रापसे निवेदन करना चाहती हूं कि जितने ग्रौर मुद्दे ग्रापने उठाये हैं....

**श्री सी. पी. जोशी** : अतिक्रमण के बारे में।

**श्रीमती कमला** : ठीक है, वह रह गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्रीमती कमला** : अतिक्रमण का मामला मैंने लिख रखा था लेकिन वह बीच में छूट गया। अतिक्रमण का मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला इसलिए भी है कि सरकारी जमीनों पर भी अतिक्रमण हैं, रास्तों पर भी अतिक्रमण हैं, पंचायत की जमीनों पर भी अतिक्रमण हैं सरकारी प्रापर्टीज पर भी अतिक्रमण हैं। यह अतिक्रमण नगरीय क्षेत्रों में भी हैं ग्रौर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : चारागाह की जमीन पर हैं।

**श्रीमती कमला** : वह पंचायत की जमीन है। ग्रा गयी ना।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : चारागाह की जमीन ग्रलग है।

**श्रीमती कमला** : ग्ररे पंचायत की ही होती है, पचायत की। किसी व्यक्ति की नहीं होती है। ग्रब शांति रखिये ग्राप।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : मालूम नहीं है ग्रापको।

**श्रीमती कमला** : मालूम नहीं है तो कर लेना। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अतिक्रमण का मामला है इसको जिस

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्रीमती कमला** : ग्रातुरता से माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया उतनी ही गम्भीरता से हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। संगोष्ठी के ग्रन्दर भी हमने तय

(श्रीमती कमला)

किया कि अगर तुरन्त किसी ने अतिक्रमण किया है और अधिकारी की निगाह में आया है या किसी ने निगाह में डाला है उसके ऊपर व कार्यवाही नहीं करता है यदि ऐसा हमारे नोटिस में आयेगा तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जो अतिक्रमण हो चुका है उसको तुरन्त हटवाने के लिए अगर तत्परता से कार्यवाही करनी है उसको भी करने के लिए उसे किस प्रकार से पाबन्द किया जाय वह भी उसके अन्दर एक्सरसाइज हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अभी 17 और 18 तारीख को जो हमने संगोष्ठी की उसमें बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत से प्रधानों ने, बहुत से प्रमुखों ने, बहुत से अधिकारीगणों ने, वकील साहबान ने, आर. ए. एस. ने, रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य साहबान ने और कलक्टर्स ने बहुत गम्भीरता से और तबीयत से उसमें भाग लिया। दो दिन तक डेढ़ सौ पौने दो सौ व्यक्तियों ने उसमें भाग लिया और हरेक मुद्दे पर गम्भीरता से चर्चा में भाग लिया गया। अब जो सारे मुद्दे सामने आये हैं वह और इसके पहले अनेक रेवेन्यू कमीशन हुए उसमें जो मुद्दे उभर कर आये वह और कुछ एक्ट्स और रूल्स में तरमीम करने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से पहले कुछ एक्सरसाइज की गई है वह, इन सभी को इकट्ठा करके अधिनियमों के अन्दर संशोधन करना है, तो किस किस धारा में क्या क्या संशोधन करना है किस नियम के अन्दर क्या संशोधन करना है, किन व्यवस्थाओं में क्या क्या संशोधन करने हैं। इसके लिए केटेगिरी वाइज सैल हमने डिपार्टमेंट में बनाया है। उस सैल के लिए अलग अधिकारी लगाये हैं और उनसे यह उम्मीद की गई है और यह तकाजा किया जा रहा है कि तीन महीने के अन्दर, अन्दर यह तमाम जितने भी हमारे पास विषय हैं, उनको इकट्ठा करके विश्लेषण करके अलग अलग सब्जेक्टवाइज तैयार करके सरकार के सामने प्रस्तुत कर दें। प्रस्तुत करने के बाद में अगर केबिनेट से उसकी एप्रूवल लेनी है किसी विधेयक में संशोधन के लिए, वह ले। रूल्स में संशोधन के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत करना है तो वह करें और विभाग की तरफ से निर्देश और परिपत्र जारी करने हैं तो वह करें। यह अपने आप में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा काम होगा जैसा हमने पहले रेवेन्यू रिफार्म्स के अन्दर एक बहुत ही अनुकरणीय कदम उठाया था। मैं समझती हूं कि आज जितने रेवेन्यू लॉज और जितनी रेवेन्यू की व्यवस्थाएं हैं उन में आमूलचूल परिवर्तन आम आदमी को रिलीफ देने की दृष्टि से, व्यवस्था को सही करने की दृष्टि से और जितना हो सके उतना फुल प्रूफ सिस्टम इस हिसाब से बनायें कि गलती करने वाले को हम आइडेन्टीफाई कर सकें, उसको सजा दे सकें और जितने भी इस तरह से काम हुए हैं जिनसे आज पब्लिक को दुःख हो रहा उसका हम निराकरण कर सकें इस दृष्टि से यह व्यापक काम हो रहा है। मैं समझती हूं कि आने वाले तीन महीने में हम इसको तैयार करके राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा काम कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर से माननीय सदस्यों का धन्यवाद और आपसे निवेदन करूंगी कि मांग को पारित किया जाय।

(व्यवधान)

**श्री अब्दुल अजीज** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं वक्फ....

**श्री उपाध्यक्ष** : अब क्या शंकायें रह जाती हैं ?

**श्री देवीसिंह भाटी** : और जोर से। और जोर से।

(व्यवधान)

**श्री रामचन्द्र जाट** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हू सीलिंग के मुआवजे के सम्बन्ध में मैंने जो चर्चा की थी....

**श्री उपाध्यक्ष** : एक एक करके।

**श्री रामचन्द्र जाट** : उसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार का क्या यह मन्तव्य है कि पुराने सीलिंग कानून के तहत अधिगृहीत की गयी भूमि का मुआवजा....

**श्रीमती हमीदा बेगम** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मांगें पारित की जायें....

**श्री रामचन्द्र जाट** : पुराने कानून के अन्तर्गत न दे करके नये कानून के अन्तर्गत दिया जाय ? कृपया इसका समाधान किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

**श्रीमती हमीदा बेगम** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांगें पारित की जाय।

**श्री देवीसिंह भाटी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मूल समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

**श्रीमती कमला** : ये जवाब के समय कहां थे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, लघु शंका कर रहे थे।

**श्री देवीसिंह भाटी** : 15 एएए के तहत हजारों काश्तकारों के खातेदारी का मामला काफी अरसे से विचाराधीन हैं और लटके हुए है उसके लिए राज्य सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। कालोनाइजेशन क्षेत्र की भी हमने ऐसी खास समस्यायें यहां रखी हैं उसके लिए भी उत्तर नहीं आया है।

**श्रीमती कमला** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मददें जरूर इनके रह गये है एक तो 15 एएए का और एक अजमेर के भू-प्रबन्ध का।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्लीज, तशरीफ रखिये आप।

**श्री अब्दुल अजीज** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया की याददाश्त के लिये एक और बात निवेदन कर रहा हूं। आपकी याददाश्त के लिये जोड़ा जाय इसलिये निवेदन कर रहा हूं There is one land which is 'no-man' land. जो कब्रिस्तान की जमीने हैं, वक्फ की जमीनें है जिनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता और बड़े सेंसेटिव मामले होते हैं उसके, उसकी बाउंड्रीज के लिये मैं आपकी तवज्जोह चाहता हूं। ऐसे मामलात हैं जिनसे कभी राइट्स भी हो जाते हैं। पिछली बार मेड़ता में भी ऐसा ही मामला हुआ। तो ऐसे नामिनल एरियाज की आप कृपया बाउंड्रीज बनाने के लिये घोषणा करने की कृपा करें।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय रमजान खां

**श्रीमति कमला :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन मुद्दे रह गये हैं वे छूट गये हैं। एक तो उपनिवेशन का जो 15एएए का मामला है उसमें बहुत से एरियाज के मामले तो निपटाये जा चुके हैं लेकिन जैसलमेर क्षेत्र के और बीकानेर के....

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य ।

**श्रीमति कमला :** कुछ मामले अभी पेंडिंग हैं। वे पेंडिंग इसलिये रहे हैं कि उसमें जो हेरीडेटरी और ट्रांसफरेबल राइट्स का मामला था वह वहां पर लागू नहीं हुआ था। इसलिये राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि अगर इनके पास में कोई डाकूमेंट ऐसा नहीं है जिससे ये राइट्स साबित कर सकें तो विधान सभा के जरिये से या किन्हीं और सबूतों के जरिये से यह तय किया जाय कि यह दरअसल कदीमी काबिज रहे हैं इसलिये इनको फिर से उसी रूप से अलाटमेंट किया जाय और खातेदारी अधिकार उनको दिया जाय। यह मामला सारा वर्क आउट करके मुख्य मंत्रीजी के साथ में चर्चा के लिये रखा हुआ है और मैं समझती हूं जल्दी ही इसके ऊपर चर्चा होकर इसका निपटारा किया जा सकेगा।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर के भू-प्रबन्धक के बारे में हमने बहुत ईच्छा की है पिछले वक्त में जिलाधीश अजमेर को, सेटलमेंट कमिश्नर को, कलक्टर को, रेवेन्यू सेक्रेटरी को, सबको बैठा करके यह तय किया कि जो कदीमी काबिज है जिनके नाम खातेदारीयां नहीं है और जिन पर पैनल्टी लग रही है, वसूलियां हो रही है, सेटलमेंट का काम हो रहा है उनके नाम अलाटमेंट जारी करके उन केसों को निपटाया जाय।

दूसरा मुख्य मुद्दा यह था कि जो तालाब हैं वे गांव वालों के तालाब हैं उसमें से बहुतों से सिचाई होती है, सिचाई की दर कायम न करके और सिंचित जमीन की किस्म कायम न करके उनके ऊपर पैनल्टी लग रही है। उनकी जमीन की किस्म कायम नहीं की जा रही है। इसलिए नहीं की गई आप इस अभियान के दौरान में जितने भी गांव वाले तालाब हैं या सिचाई के तालाब हैं उनको उस तरह से कायम करके उनसे जो सिंचित जमीन है उनकी किस्म जमीन की सिंचित करके उनसे जो आपको राशि लेनी है, लें और उनके खिलाफ जो 91 की कार्यवाही कर रहे हैं वह ड्राप करें। इसी तरह से जितने 5–7 मुद्दे आये थे, हमने कलक्टर को पाबंद करके अभियान चलवाया है फिर भी कुछ मुद्दे रह गये हैं। मैंने यह कहा है काश्तकारों को कि जिन-जिन के रह गये हैं वे अगल से आपना प्रतिवेदन और दें जिसमें कि उनका भी हम निराकरण कर सकें और हम यह करना चाहते हैं। पूरे राजस्थान में एक अकेला अजमेर ऐसा है जिसके काश्तकार एक अजीब दुनिया में रह रहे हैं जिनकी जमीनों का, खातेदारी का, नियमन का, तालाबों का एक अलग ही सिस्टम बना हुआ है। इसको हम राजस्थान के साथ कायम करना चाहते हैं।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देवस्थान और वक्फ की बाबत में सवालों के जरिये से भी जन-प्रतिनिधियों के आवेदनों के जरिये से भी यह बराबर बात आती रही है कि इनकी जमीने, इनकी प्रापर्टी बहुत खुर्द-बुर्द हो रही है। इसका

(श्रीमती कमला)

मैनेजमेंट सही नहीं है और डिपार्टमेंट की देखरेख भी होती नही है जितनी होनी चाहिये। इस संबंध में हमने दोनों ही विभाग की कहां-कहां कितनी प्रापर्टी है, कहां कमेटीज बनी हुई हैं, कब से बनी हुई है, कब उनको हट जाना चाहिये यह पूरा विवरण ले करके इस विभाग को थोड़ा स्ट्रीम लाईन करने की चेष्ट कर रहे हैं। देवस्थान में जो प्रमुख समस्या है वह यह है कि किसी जमाने जो डी.टी. के नाम पर जमीनें थीं खेती की वह धीरे-धीरे पुजारी ने अपने नाम करायी और अपने नाम करायी और अपने नाम कराके को दूसरे बेचान कर दिया और पैसा ले लिया। अब आज गवर्नमेंट के कानून के तहत में जिस तरह से नाबालिग व्यक्ति की जमीन की कोई भी दूसरा खातेदारी करा नहीं सकता, चाहे काबिज में कर रखा हो, में कर रखा हो, उसी तरह से इसका भी कानून है कि चाहे कोई भी खातेदारी करा ले लेकिन डी. टी. की जमीन किसी की खातेदारी में नहीं हो सकती। इसलिये सरकार ने यह निर्देश दिया कि वापस डी. टी. के नाम पर की जाय। लेकिन आज स्थिति यह भी है कि कई बार नाथूराम साहब ने और कई माननीय सदस्यों ने मामला उठाया कि वर्षो से काश्तकारों ने जो जमीनें खरीदी हैं जिनको जोत रहे हैं, जिनकी खातेदारी हो गयी है, बीच में कुछ ऐसा भी निर्देश आ गया कि इतनी रकम ले करके उनको खातेदारी दे दी जाय। तो आज उन्होंने खातेदारी करा ली है, पुजारी ने बेच दी है, सरकार ने डी. टी. के नाम कराने के आदेश दे दिये हैं इन सारी समस्याओं को हम इस तरह से हल करना चाहते है कि मन्दिर को पैसा भी आता रहे, जमीन की देख रेख भी होती रहे और किसी प्रकार से हम कानून का भी पूरा पालन, करें। तो इस तरह इसको एग्जामिन करने में कुछ समय लगेगा और कुछ सुसाइड भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सम्पत्ति है, जमीनें है, किस किस ने कैसे खुर्द बुर्द कर रखी हैं, एक माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि देवस्थान की प्रापर्टी जो किराये पर दे रखी है दो दो रुपये में युगों पहले से आज उन प्रापर्टीज की यदि हम ढंग से मरम्मत करके किराया लें तो उसका बहुत पैसा आ सकता है। जमीनें दे रखी हैं बहुत मामूली किराये पर, उसका अगर हम देखें तो बहुत कुछ हो सकता है। देवस्थान के कार्यक्रम में हम दे सकते हैं किस तरह से उसको डवलप करें, बहुत से टूरिस्ट प्लेसेज डवलप हो सकते हैं। तो इस सब की बाबत से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम काफी देखरेख कर रहे हैं और इसके बारे में कार्यवाही करने का भी मन रखते हैं। मैं समझती हूं कि काफी हमने अपनी मन्शा आपके सामने जाहिर की है और तैयारी की है। आप इस बिल को पास करें।

**श्री रामचन्द्र जाट** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अजमेर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखा था, माननीय राजस्व मंत्री महोदया, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

सीलिंग भूमि के बारे में राज्य सरकार की क्या मन्शा है, क्या मतलब है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री नवरंग सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर के बारे में मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरा सवाल यह है कि आप जो कार्यवाही कर रही हैं वह 1969 के रिकार्ड के आधार पर कर रही हैं....

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन सा तरीका हुआ ? यहां तो आप अलाऊ कर रहे हैं और उस तरफ से तालियां पीटी जा रही हैं। आपकी जो भी व्यवस्था होगी हम मानेंगे उसको। यह कोई तरीका नहीं हुआ।

**श्री उपाध्यक्ष** : जरा शान्ति रखें।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : जिस गम्भीरता से बहस हुई है मैं समझता हूं....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, भाटीजी।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : इस संबंध में....

**श्री सी. पी. जोशी** : मुझे भी मौका दिया जाय। चलती बार भी उन्हें ही मौका दे रहे हे आप ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप नहीं बोलिये।

**श्रीमति हमीदा बेगम** : आप भी गजब करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के भूमि अवाप्ति कानून में सशोधन करने की मन्शा राज्य सरकार ने केबीनेट स्तर पर तय की है मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि भारत सरकार को उस कानून को भेजने में और उस कानून को लागू करने में जो समय लगेगा क्या राज्य सरकार इस पर विचार करेगी कि जिस दिन आपके मन्त्रिमण्डल ने उस प्रस्ताव को पारित कर लिया है उस तारीख से वह भूमि....

**श्रीमती कमला** : नहीं नहीं, उससे भी पहले से। जिस दिन भारत सरकार ने सशोधन किया उस दिन से हमने लागू किया है।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : नहीं, आपने तो पहले ही कह दिया कि हम सन् 82 से लागू नहीं करेंगे।

**श्रीमती कमला** : उन्होंने एक धारा यह रखी है कि उनका जो संशोधन है वह सन् 82 से लागू होगा। हमने यह रखा है कि जिस दिन से भारत सरकार ने संशोधन कर लिया उसी दिन से हमारे यहां लागू हो जायेगा। इसलिये उस दूर तक हम गये है।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : उसी दिन से लागू होगा ? इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग कानूनों के संबंध में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने गांव मैसा, तहसील रुपवास का जिक्र किया, माननीय....

**श्रीमती कमला** : देखिये, आप इस तरह से पूछेंगे तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकूंगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य यह अलग से बोल लीजियेगा।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मन्त्री ने ....

(व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** : कि जिन जमीनों का गलत आवटन हुआ है अनुसूचित जाति और....

**श्रीमती कमला** : माननीय सुराना जी, कोई हाउस के फ्लोर पर खड़ा हुआ यह आश्वासन दे सकता है क्या, यह आप भी जानते हैं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जहां आवंटन नहीं हुआ, प्राथमिकताओं को तोड़कर जहां आवंटन हुआ है उसको राज्य सरकार दुबारा देखे और जहां पर इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं.....

**श्रीमती कमला** : हरेक की अलग-अलग मेरिट्स-डीमेरिट्स को देखा जा सकता है, कोई भी....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्रीमती कमला** : कोई भी एश्योरेन्स यहां नहीं दिया जा सकता।

**श्री रामचन्द्र जाट** : माननीय राजस्व मंत्री महोदया, मैंने एक प्रश्न पूछा था....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इसका कोई अन्त नहीं है। माननीय सदस्य।

**श्री रामचन्द्र जाट** : मैंने एक प्रश्न रखा था इस सदन के माध्यम से कि राज्य सरकार का क्या मंतव्य है? क्या पुराने सीलिंग कानून के मुआवजे की राशि....

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, सब शंकाओं का समाधान हो गया। कृपया....

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

आर्डर प्लीज' माननीय सदस्य, जवाब बहुत आ गया है। आर्डर-आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बहुत हो गया।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

**श्री देवीसिंह भाटी** : हाऊस में कभी एक वाक्य बोलते नहीं। सिर्फ तालियां पीटना चाहते हो। अगर नहीं बैठना चाहते तो घर क्यों नही जाते।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आॅर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, जवाब बहुत विस्तृत आ गया।

(व्यवधान)

**श्री रामचन्द्र जाट** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नही आया सीलिंग कानून के बारे में।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, जवाब बहुत विस्तार में आ गया है। समय समय बहुत हो गया है, कृपया।

**श्री रामचन्द्र जाट** : इस पर कोई जवाब नहीं आया कि पुराने कानून के तहत अधिगृहीत भूमि का मुआवजा पुराने के तहत देंगे या नये कानून के तहत। इस के बारे में राज्य सरकार का कोई मतव्य नहीं आया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

मांग संख्या 8 का पारण (स्वीकृत)

मांग संख्या 8 मतदान के लिए प्रस्तुत की जाती है।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8–राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,20,04-000 रुपये (पचीस करोड़, बीस लाख, चार हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 16 जुलाई, 1985 के मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 9·42 बजे मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 1985 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

# परिशिष्ट–1

## (तारांकित प्रश्न संख्या 270 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र दूदू में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 31.3.85 तक ऋण वितरित बेरोजगार युवकों की सूची।

| क्रमांक | नाम | गांव का नाम | ऋण स्वीकृत राशि | ऋण वितरित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री कृष्ण कुमार ज्योषिती | नरायना | 12,000/- | 12,000/- |
| 2. | श्री सुनील महेश्वरी | नरायना | 10,000/- | 10,000/- |
| 3. | श्री श्याजीराम | श्रीरामपुरा | 6,000/- | 6,000/- |
| 4. | श्री मोहनलाल गूर्जर | मोखमपुरा | 10,000/- | 10,000/- |
| 5. | श्री बद्रीलाल वर्मा | बोराज | 10,000/- | 10,000/- |
| 6. | श्री सीताराम अग्रवाल | फाग | 25,000/- | 25,000/- |
| 7. | श्री रामलाल | गंगोतीकला | 5,000/- | 5,000/- |
| 8. | श्री आशनदास | नरायना | 22,000/- | 19,000/- |
| 9. | श्री मदनलाल काकर | टीकेल (दूदू) | 15,000/- | 15,000/- |
| 10. | श्री राजकुमार जैन | हरसूली (दूदू) | 25,000/- | 20,000/- |
| 11. | श्री दिनेश चन्द जैन | मौजमाबाद | 18,000/- | 18,000/- |
| 12. | श्री कृष्ण गोपाल बंसल | दूदू | 22,000/- | 22,000/- |

## विधान सभा क्षेत्र दूदू में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्नातक युवाओं को सूची जो 31-3-85 तक विचाराधीन है

| क्र. सं. | नाम | स्थान | योग्यता |
|---|---|---|---|
| 1- | श्री महाबीर सिंह/सोहन सिंह | मु. पो. सुनाड़िया वाया दूदू | एम. ए. |
| 2- | श्री शंकरलाल सैन/सोहनलाल सैन | ग्रा. पो. गिहानी वाया दूदू | एम. ए. |
| 3- | श्री हरकचन्द/सोभारमल | मु. पो. दूदू | बी. काम. |
| 4- | श्री लालचन्द/चुन्नीलाल कुमावत | नरेना रोड, दूदू | बी. काम. |
| 5- | श्री प्रदीप कुमार/सीताराम | मु. पो. सेवा वाया-दूदू | बी. ए. |
| 6- | श्रीमती स्नेहलता शर्मा पत्नि श्री प्रदीप कुमार शर्मा | मु. पो. सेवा वाया-दूदू | बी. ए. |
| 7- | श्री अशोक कुमार शर्मा/गणेशनारायण | आजाद चौक नरायणा पं. स. दूदू | बी. ए. |
| 8- | श्री सत्यनारायण/रघुनन्दन शर्मा | आजद चौक नरायणा | बी. काम. |
| 9- | श्री रमेशचन्द/जगदीश प्रसाद शर्मा | मु. पो. चैनपुरा वाया-नरायणा | बी. काम. |
| 10- | श्री दालकृष्ण अग्रवाल/रामगोपाल | कटला बाजार, मु. पो. नरायणा प. सं. दूदू | बी. काम. |
| 11- | श्री धरमचन्द जैन/ताराचन्द | मु. पो. सालून वाया-नरेना प. स. दूदू | एम. काम. |
| 12- | श्री बनवारीलाल शर्मा/नन्दकिशोर | ग्रा. मगलवाड़ा वाया-दूदू पो. सेवा | बी. काम. |
| 13- | श्री ओमप्रकाश शमा/कल्याण दत्त | मु. पो. सेवा वाया-दूदू | बी. काम. |
| 14- | श्री रामअवतार शर्मा/रामेश्वर प्रसाद | पो. मोजमाबाद | बी. ए. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15–श्री बृजमोहन शर्मा/घासीलाल | | ग्रा. ढेजरी पो. रसीली वाया–दूदू | बी. एस. सी. |
| 16–श्री हरिशंकर चौधरी/कन्हैयालाल | | जयसिंहपुरा पो. कासेल वाया–मोजमाबाद | एम. ए. |
| 17–श्री रूपचन्द जैन/शान्तीलाल | | मु. पो. मोजमाबाद | स्नातक |
| 18–श्री बालकिशन सोमानी/मंगलचन्द | | मोदानी मोहल्ला, नरायणा | बी. काम. |
| 19–कु. प्रेम पारीक/रामानन्द | | आजाद चौक, नरायणा | बी. ए. |

# परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 271 की सूची एवं विवरण)

कोटा स्थित उद्योगों में 31–3–85 को बिक्री कर बकाया की सूचना एवं उसे वसूल न करने के कारण

| क. स | उद्योग का नाम | वर्ष | बकाया राशि | वसूल न करने के कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मै. जे. के, सिन्थेटिक्स, कोटा | 80–85 | 2,36,14,322 | उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में स्थगन |
| 2. | मै. इण्डो इन्जी. प्रा लि. कोटा | 78–81 | 88,583 | राजस्व मण्डल से स्थगन |
| 3. | मै. कोटा बोक्स सेन्यू. कं. | 83–84 | 2,83,832 | राजस्व मण्डल, हाईकोर्ट व प्रति. आयुक्त द्वारा स्थगन |
| 4. | मै. कोटा स्टील रीरोलिंग मिल्स | 84 | 1,01,816 | प्रति. आयुक्त द्वारा स्थगन |
| 5. | मै. रामानी आयल इण्ड. कोटा | 84 | 7,000 | प्रति. आयुक्त द्वारा स्थगन |
| 6. | मै. मंगलम सीमेण्ट लि. कोटा | 80 | 29,355 | राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन |
| 7. | मै. जीवन-इण्ड. प्रा. लि. | 82 | 28,898 | " |
| 8. | मै. जीवन उद्योग कोटा | 78–84 | 6,203 | " |
| 9. | मै. पोद्दार इण्ड. कोटा | 70 | 2,638 | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | मै. पैक प्लास्ट इण्ड. कोटा | 82 | 12,889 | वसूली कार्यवाही में |
| 11. | मै. कोटा मैटस इण्ड. कोटा | 82 | 6,039 | ,, |
| 12. | मै. विरेन्द्रा प्लास्टो पैक इण्ड. | 82 | 838 | ,, |
| 13. | मै. स्टेन्डर्ड स्पाइसेज कं. कोटा | 82 | 1,000 | — |
| 14. | मै. बी. एल. एग्रो इण्ड. | 82 | 12,866 | राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन |
| 15. | मै. प्लास्टो पैक इण्ड. कोटा | 82–84 | 12,889 | कुर्की स्वीकृति |
| 16. | मै. स्वास्तीक ट्रेडर्स एण्ड इन्जी. | 82 | 148 | वसूली कार्यवाही जारी |
| 17. | मै. राजस्थान केमिकल छावनी | 84 | 900 | — |
| 18. | मै. मिल्को इण्ड. कोटा | 84 | 9,608 | कुर्की स्वीकृति |
| 19. | मै. कमल एण्ड कमल वायर प्रोड. कोटा | 84 | 11,365 | — |
| 20. | मै. लक्ष्मी इन्जी. ट्रोसी वर्क्स | 84–85 | 74,531 | भू-राजस्व की कार्यवाही |
| 21. | मै. मल्होत्रा इन्जि. कार्पो. कोटा | 84 | 6,425 | फर्म बन्द वसूली कार्यवाही जारी |
| 22. | मै. शक्ति मैटल्स इण्ड. एरिया | 84 | 20,121 | वसूली कार्यवाही जारी |
| 23. | मै. मैथुल इण्ड. कोटा | 84 | 7,588 | व्यापार बन्द है। वसूली कार्यवाही |
| 24. | मै. माणक चन्द ठेकेदार | 84 | 24,272 | ,, ,, |
| 25. | मै. सी पी. इन्जि. वर्क्स | 84 | 3,628 | व्यापारी लापता, ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 26. | मै. भगवती टेक्नो प्रीमीयर्स | 83-84 | 29,000 | कुर्की वारन्ट |
| 27. | मै. भारत मैटल्स | 84 | 3,200 | व्यापार बन्द वसूली कार्यवाही |
| 28. | मै. अमर मैटल इण्डे. | 85 | 1,081 | — |
| 29. | मै. श्रीस्टार ईयर कंडीशनर्स | 83-84 | 6017 | — |
| 30. | मै. कमल वुड वर्क्स कोटा | 83-84 | 15,101 | वसूली कार्यवाही |
| 31. | मै. जयश्री मिल्स प्रोड. | 84-85 | 6,497 | कुर्की वारन्ट |
| 32. | मै. कोटा दाल मिल्स | 84 | 3,986 | व्यापार बन्द |
| 33. | मै. आदर्श ढलाई घर कोटा | 82-85 | 18,112 | वसूली कार्यवाही |
| 34. | मै. कार्बोहहाइड्रेट केमि. एण्ड रिसर्च | 83-85 | 4,284 | व्यापार बन्द वसूली कार्यवाही |
| 35. | मै. राज इण्ड. कोटा | 84 | 3,329 | " " |
| 36. | मै. भारत एसबेसटोस सीमेंट | 84 | 5,007 | किश्तों में वसूली |
| 37. | मै. हाइवो लेबोरेटरीज कोटा | 84-85 | 8,506 | व्यापार बन्द वसूली कार्यवाही |
| 38. | मै. कोटा फेसीमेंट कोटा | 82-83 | 1,714 | - |
| 39 | मै. जोशी सेल्स एजेन्सी कोटा | 84 | 3,000 | - |
| 40. | मैं. मिनी ह्यूम पाइप | 84 | 2,400 | - |

263

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 41. | मै. हरीश फाइन कैंप कोटा | 83–84 | 7,000 | – |
| 42. | मै. ईंट उत्पादक संघ समिति | 83 | 24,033 | – |
| 43. | मै. सुभाष केमिकल्स, कोटा | 81 | 2,886 | व्यापार बन्द वसूली कार्यवाही |
| 44. | मै. मुरारका एण्टरप्राई. कोटा | 74–75 | 20,374 | स्थगन राजस्व मण्डल द्वारा |
| 45. | मै. एवन इण्ड. कोटा | 77 | 7,060 | प्रति. प्रायुक्त द्वारा स्थगन |
| 46. | मै. मेटल इण्डिया कोटा | 77 | 14,000 | राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन |
| 47. | मै. जायसवाल इण्ड. | 81 | 743 | " " " |
| 48. | मै. प्रभात स्टील लि. | 84 | 5,006 | उपायुक्त, कोटा द्वारा स्थगन |
| 49. | मै. जयश्री राइस मिल्स | 85 | 23,561 | वसूली कार्यवाही जारी |
| 50. | मै. काबरा इण्ड. कोटा | 85 | 25,659 | " " " |
| 51. | मै. हिमालय सेल्स प्रा. लि. | 74–77 | 19,771 | राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन |
| 52. | मै. डी. सी. एम. लि. | 82–85 | 11,18,860-26 | उच्च न्यायालय से स्थगन |

उद्योगों के नाम, मुकदमे किये गये न्यायालय व सक्षम अधिकारियों के नाम, बकाया राशि तथा मुकदमों में विभाग की ओर से पैरवी करने वाले अधिकारी/एडवोकेट के नाम निम्नांकित हैं :—

| क्र. सं. | उद्योग का नाम | न्यायालय एवं सक्षम अधिकारी का नाम | राशि (लाखों में) | पैरवी कर रहे विभागीय प्रतिनिधि एवं एडवोकेट का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | जे. के. सिन्थेटिक्स कोटा | उच्च एवं उच्चतम न्यायालय | 236.14 | श्री बी. डी. शर्मा एडवोकेट<br>श्री जी. एस. बाफना एडवोकेट |
| 2. | इण्डो इन्जीनियरिंग प्रा. लि. | राजस्व मण्डल | 0.89 | श्री जी. एन. मोहल्ले, उपा (रिवी)<br>श्री के. एल. तुलवाल, वा. क. अ.<br>श्री एन. एल. पोखरना एडवोकेट |
| 3. | कोटा बाक्स मैन्यू. कं. | राजस्व मण्डल, उच्च न्यायालय व प्रति. आयुक्त | 2.84 | श्री जी. एस. बाफना एडवोकेट<br>श्री एन. एल. पोखरना एडवोकेट<br>श्री जे. पी. मीना स. वा. क. अ. |
| 4, | कोटा स्टील री रोलिंग मिल्स | प्रति. आयुक्त व उपा. (अपील्स) | 1.02 | " " |
| 5. | राजानी आयल इण्ड. | प्रति. आयुक्त | 0.07 | श्री जे. पी. मीना, स. वा. क. अ. |
| 6. | मंगलम सीमेंट लि. मोडक | राजस्व मण्डल | 0.29 | श्री जी. एन. मोहल्ले, उपा. (रिवी)<br>श्री एन. एल. पोखरना एडवोकेट व<br>श्री के. एल. तुनवाल, वा. क. अ. (रिवी) अजमेर |
| 7. | मै. डी. सी. एम. लि. | उच्च न्यायालय | 11-19 | श्री लक्ष्मीमल सिंघवी व श्री कमलाकर शर्मा |

266



# परिशिष्ट-3

परिशिष्ट—I

(तारांकित प्रश्न संख्या 272 की सूचियां)
जिलेवार निर्मित दुकानों की सूची

| क सं. | जिले का नाम | पूर्ण दुकानें | निर्माणाधीन | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 58 | 4 | 62 |
| 2. | अलवर | 73 | 27 | 100 |
| 3. | बांसवाड़ा | 22 | – | 22 |
| 4. | भरतपुर | 44 | – | 44 |
| 5. | भीलवाड़ा | 75 | 3 | 78 |
| 6. | बीकानेर | 48 | – | 48 |
| 7. | बाड़मेर | 38 | 10 | 48 |
| 8. | बून्दी | 46 | 10 | 56 |
| 9. | चित्तोड़गढ़ | 67 | 33 | 100 |
| 10. | चुरू | 33 | 10 | 43 |
| 11. | डूंगरपुर | 10 | – | 10 |
| 12. | झालावाड़ | 10 | 40 | 50 |
| 13. | झुन्झुनु | 21 | 2 | 23 |
| 14. | कोटा | 91 | – | 91 |
| 15. | श्री गंगानगर | 164 | 311 | 475 |
| 16. | सीकर | 10 | 8 | 18 |
| 17. | पाली | 39 | 11 | 50 |
| 18. | सिरोही | 2 | – | 2 |
| 19. | जालौर | – | – | – |
| 20. | जैसलमेर | – | 20 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | नागौर | 75 | – | 75 |
| 22. | जोधपुर | 82 | 28 | 110 |
| 23. | उदयपुर | 33 | 17 | 50 |
| 24. | सवाई माधोपुर | 67 | 33 | 100 |
| 25. | टौंक | 50 | 25 | 75 |
| 26. | जयपुर | 93 | 18 | 111 |
| 27. | धौलपुर | 10 | 30 | 40 |
| | योग | 1261 | 640 | 1901 |

परिशिष्ट—II

निर्मित दुकानों में से ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों सूची जिन्हें दुकानों का कब्जा दिलाया जा चुका है।

| क्र. सं | जिला | लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 24 |
| 2. | अलवर | – |
| 3. | बाड़मेर | – |
| 4. | बांसवाड़ा | 22 |
| 5. | भरतपुर | – |

(268)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | भीलवाड़ा | 56 |
| 7. | बीकानेर | 17 |
| 8. | बून्दी | 4 |
| 9. | चुरू | – |
| 10. | चित्तोड़गढ़ | 22 |
| 11. | डूंगरपुर | – |
| 12. | जयपुर | – |
| 13. | जालौर | – |
| 14. | झालावाड़ | 10 |
| 15. | जैसलमेर | – |
| 16. | झुन्झुनु | 17 |
| 17. | जोधपुर | – |
| 18. | कोटा | 25 |
| 19. | पाली | 25 |
| 20. | सवाई माधोपुर | 28 |
| 21. | सीकर | 8 |
| 22. | सिरोही | 40 |
| 23. | टोंक | 15 |
| 24. | नागौर | – |
| 25. | श्री गंगानगर | – |
| 26. | उदयपुर | – |
| 27. | धौलपुर | – |
| | | 313 |

269
[526



## अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित दुकानों की सख्या

नगर परिषद ब्यावर जिला-अजमेर

| क्र सं. | नाम/पिता का नाम | जाति |
|---|---|---|
| 1. | श्री मदन मोहन/बालू दादा | खटीक 35 मजदूर कोलोनी |
| 2. | ,, रामरतन/भाणू | ,, मेवाड़ी गेट बाहर |
| 3. | ,, बाबूलाल/मुकना | ,, रामनगर |
| 4. | ,, रामलाल/मूरालाल | धोबी किशनगढ़ |
| 5. | ,, बंशीलाल/रामपाल | हरिजन हरिजन बस्ती |
| 6. | ,, दीपचन्द/अन्ना | ,, ,, |
| 7. | ,, कल्याण/लूम्बा | रैगर लाकाशाह नगर |
| 8 | ,, ज्ञानचन्द/ब्रह्मदास | हरिजन हरिजन बस्ती |
| 9. | ,, गुलाबचन्द/मंगलाराम | भट्ट रैगर प्रेम नगर |
| 10. | ,, रामसुख/तिलोकचन्द | रैगर रैगरान मोहल्ला |
| 11. | ,, रामेश्वर/खेताराम | बैरवा कस्साबान मोहल्ला |
| 12. | ,, शंकरलाल/जे. आर. नागौर | खटीक मेवाड़ी गेट |
| 13. | ,, दिलीपकुमार/छोगालाल | धोबी अोडान चौक |
| 14. | ,, गोविन्द प्रसाद/रामचन्द्र | रैगर रैगरान का बास |
| 15. | ,, मिश्रीलाल/ऊमा रैगर | रैगर नेहरू गेट के पास |
| 16. | ,, जयन्तिलाल/अम्बालाल | सांसी छावनी |
| 17. | ,, डूंगाराम/सांवलराम | ,, ,, |
| 18. | ,, धनराज/शिवलाल | रैगर सूरजपोल गेट बाहर |
| 19. | ,, भीखाराम/रामदीन | रैगर जमालपुरा |
| 20. | ,, कालादास/दुलीचन्द | हरिजन गिरजाघर के पास |
| 21. | ,, रामचन्द्र/मांगीलाल | रैगर रैगरान बड़ा बास |
| 22. | ,, डूंगाराम/दल्लाराम | भांड |
| 23. | ,, रमेश/भवरलाल | रैगर |
| 24. | ,, देवीलाल/बिरदाराम | सांसी मेवाड़ी गेट |

## अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित दुकानों की सूची

### जिला-बांसवाड़ा

| क्र. सं. | नाम दुकान आवंटित व्यक्ति | जाति | दुकान नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री रूपा हुकरिया | सरगड़ा | 1 |
| 2. | ,, अशोक नाथूलाल | मेहतर | 2 |
| 3. | ,, लीला पत्नि मगन | धोबी | 3 |
| 4. | ,, मांगीलाल मोगजी | चमार | 4 |
| 5. | ,, देवा रामा | | 5 |
| 6. | ,, शंकर कारूलाल | मेहतर | 6 |
| 7. | ,, रूपा गोतिया | सरगड़ा | 7 |
| 8. | ,, देवा हुवरू | मेहतर | 8 |
| 9. | ,, तुलसी पत्नि | चमार | 9 |
| 10. | ,, कचरू नानजी | मेहतर | 10 |

## अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित दुकानों की सूची

### जिला-बांसवाड़ा नगरपालिका कुशलगढ़

| क्र. सं. | नाम/पिता का नाम | जाति | पता |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री मासूम/मुलतान | मेहतर | कुशलगढ़ |
| 2. | ,, हीरालाल/नन्दलाल | धोबी | ,, |
| 3. | ,, भैरू/रामचन्द्र | चमंकार | ,, |
| 4. | ,, लूणा/पन्नालाल | ,, | ,, |
| 5. | ,, पन्ना/सनैया | मेहतर | ,, |
| 6. | ,, छगन/हीरालाल | चमंकार | ,, |
| 7. | ,, मांगीलाल/हेमचन्द्र | ,, | ,, |
| 8. | ,, मोहनलाल/गाछा | हरिजन | ,, |
| 9. | ,, प्रकाश/रूपा | ,, | ,, |
| 10. | ,, नन्दू/पन्ना | चमार | ,, |
| 11. | ,, शान्तिलाल/भग्गूजी | ,, | ,, |
| 12. | ,, महिपाल/भीखा | हरिजन | ,, |

(271)



## अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित दुकानों की सूची

### नगरपरिषद/नगरपालिका भीलवाड़ा

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | जाति |
|---|---|---|
| 1. | श्री मेघराज/हमीरमल | भाम्बी |
| 2. | ,, प्रेमा/भागु | चमार |
| 3. | ,, रतनलाल/मोहनलाल | खटीक |
| 4. | ,, बालु/दल्ला | ,, |
| 5. | ,, भैरूलाल/मगनीराम | ,, |
| 6. | ,, रमेशचन्द्र/नारायणलाल | रैगर |
| 7. | ,, लादुराम/लक्ष्मण | खटीक |
| 8. | ,, श्यामलाल/गोविन्दराम | सांसी |
| 9. | ,, जगन्नाथ/प्रताप | खोइवाल |
| 10. | ,, केशरीमल/घीसुराम | खटीक |
| 11. | ,, शंकरलाल/कजोड़मल | ढोली |
| 12. | ,, दुर्गालाल/नगजीराम | कोली |
| 13. | ,, राजूलाल/उदयराम | बोबी |
| 14. | ,, गोपीलाल/रामलाल | बैरवा |
| 15. | ,, रामपाल/नानुराम | हरिजन |

### नगरपालिका गुलाबपुरा

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | जाति |
|---|---|---|
| 1. | श्री गोपाल/रूपाराम | बैरवा |
| 2. | ,, सोहन/मिश्री | हरिजन |
| 3. | ,, शिवदयाल/बर्तना | चमार |
| 4. | ,, बसन्ती/रामा | मोची |
| 5. | ,, परमानन्द/शकरलाल | चमार |
| 6. | ,, शंकरलाल/उदा | चमार |
| 7. | ,, जवरीलाल/रामा | मोची |

### नगरपालिका जहाजपुर

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | जाति |
|---|---|---|
| 1. | श्री नन्दलाल/मांगीलाल | रैगर |
| 2. | ,, आसुराम/रामलाल | मोची |
| 3. | ,, मोहनलाल/हजारी | रैगर |
| 4. | ,, देवीलाल/खाना | रैगर |
| 5. | ,, दुर्गालाल/रामजी | खटीक |
| 6. | ,, कन्हैयालाल/गोपीराम | हरिजन |
| 7. | ,, बन्शीलाल/हजारी | खटीक |
| 8. | ,, मांगीलाल/माधु | खटीक |

२७२



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | **नगरपालिका मांडल** | |
| 1. | छगनलाल/कल्याण | मोची |
| 2. | धन्ना/दूदा | भाम्बी |
| 3. | भैरूलाल/जसराज | मोची |
| 4. | आनन्दीलाल/छगनलाल | मोची |
| 5. | मूलचन्द/खेमराज | मोची |
| 6. | रतनलाल/मिश्रीलाल | मोची |
| 7. | जमनालाल/मोडीराम | मोची |
| | **नगरपालिका आसीन्द** | |
| 1. | राजू/सोहनलाल | हरिजन |
| 2. | भंवरलाल/घीसुलाल | हरिजन |
| 3. | चांदमल/चतुर्भुज | मोची |
| 4. | गजानन्द/मोडा | मोची |
| 5. | मोतीलाल/कजोड़ | मोची |
| 6. | घनश्याम/नन्दलाल | मोची |
| | **नगरपालिका मांडलगढ़** | |
| 1. | पूरणमल/नन्दलाल | मोची |
| 2. | गिरधारी/खेमराज | खटीक |
| 3. | पृथ्वीराज/बन्शीलाल | मोची |
| 4. | शंकरलाल/रामा | मोची |
| 5. | किशनलाल/देवा | मेघवाल |
| 6. | जगन्नाथ/जड़ावचन्द | मोची |
| 7. | देबीलाल/गोदूलाल | बारेठ |
| | **नगरपालिका शाहपुरा** | |
| 1. | श्रीमती सीतादेवी/घीसुलाल | मोची |
| 2. | कल्याण/प्रताप | खटीक |
| 3. | गणपत/कन्हैयालाल | कन्डारा |
| 4. | ओंकारलाल/मगनीराम | खटीक |
| 5. | उदयलाल/गिरधारी | रैगर |
| 6. | सूरज/किशना | चमार |

## अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित दुकानों की सूची

जिला—बीकानेर

| क्र.सं. | नाम दुकान आवंटी व्यक्ति | दुकान नम्बर |
|---|---|---|
| 1. | कमला देवी | 2 |
| 2. | तारा चन्द | 3 |
| 3. | दुली चन्द | 5 |
| 4. | पाना देवी | 11 |
| 5. | मीरा देवी | 12 |
| 6. | मांगी लाल | 14 |
| 7. | बुलाकीदास | 15 |
| 8. | नाथी देवी | 17 |
| 9. | तेजमान | 21 |
| 10. | ओमप्रकाश | 22 |
| 11. | कैलाश | 23 |
| 12. | श्रीकिशन | 24 |
| 13. | गणेशलाल | 25 |
| 14. | हरी राम | 29 |
| 15. | चेतनराम | 31 |
| 16. | तेजाराम | 34 |
| 17. | जगजीवन राम | 33 |

## अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित दुकानों की सूची

नगरपालिका इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | जाति | वार्ड नं. |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री रेखराज/छोटूलाल | बैरवा | 9 |
| 2. | श्री हरिशचन्द/केसरीलाल | बैरवा | 9 |
| 3. | श्री रमेशचन्द्र/बजरंगलाल | बैरवा | 32 |
| 4. | श्री ताराचन्द/केसरा | मेहतर | 5 |

(274)



## अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित दुकानों की सूची

नगरपालिका चित्तौड़गढ़ जिला–चित्तौड़गढ़

| क्र. सं. | नाम/पिता का नाम | जाति | दुकान नं. |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री हीरालाल/पूनमचन्द | मोची | बी-2 |
| 2. | „ नारायणलाल/मोहनलाल | मोची | डी-4 |
| 3. | „ भंवरलाल/मोहनलाल | भाम्ब | ए-5 |
| 4. | „ ओंकारलाल/मांगीलाल | चमार | ए-6 |
| 5. | „ ओमप्रकाश/नाथू जी | रैगर | बी-9 |
| 6. | „ रतनलाल/हीरालाल | चमार | ए-2 |
| 7. | „ मदनलाल/नाथू जी | खटीक | ए-14 |
| 8. | „ बाबूलाल/छोगी जी | रैगर | बी-12 |
| 9. | „ बरदीचन्द/मोडीराम | मोची | बी-4 |
| 10. | „ सुरेशचन्द/रामचन्द जी | मोची | बी-3 |
| 11. | „ मोहनलाल/रूपाजी | मोची | बी-11 |
| 12. | „ मांगीलाल/देवाजी | हरिजन | ए-17 |
| 13. | „ रूपलाल/बुद्धाजी | चमार | ए-4 |
| 14. | „ परमानन्द/भुवानीराम | भांबी | ए-10 |
| 15. | „ मदनलाल/मोहनलाल | खटीक | डी-5 |
| 16. | „ मांगीलाल/बख्तावर जी | चमार | डी-1 |
| 17. | „ राजेन्द्रप्रसाद/घीसूलाल | खटीक | बी-1 |
| 18. | „ रामकरण/रोशनलाल | हरिजन | बी-8 |
| 19. | „ देवाराम/मूलचन्द | हरिजन | बी-7 |
| 20. | „ बन्शीलाल/छीगाजी | चमार | ए-12 |
| 21. | „ अम्बालाल/नगजीराम | रैगर | बी-10 |
| 22. | „ दिनेश चन्द/रामपाल | हरिजन | ए-1 |

275

## अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित दुकानों की सूची

### नगरपालिका झालावाड़

| क्र.सं. | नाम व पिता का नाम | वा. न. | जाति | दुकान नं./स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री हरिराम/सोहनलाल | 8 | बैरवा | 1 नाका पचपहाड़ |
| 2. | ,, कैलाशचन्द/रामलाल | 11 | खटीक | 2 ,, |
| 3. | ,, रामेश्वर/ताराचन्द | 13 | खटीक | 3 ,, |
| 4. | श्रीमती लक्ष्मीबाई/जगन्नाथ | 9 | मोची | 4 ,, |
| 5. | श्री दरियासीलाल/कन्हैयालाल | 3 | मोची | 5 ,, |
| 6. | ,, गिरीराज/मांगीलाल | 12 | मेहतर | 1 नाका रामनगर |
| 7. | ,, चन्द्रशेखर/धन्नालाल | 4 | बैरवा | 2 ,, |
| 8. | ,, भंवरलाल/प्याराजी | 10 | चमार | 3 ,, |
| 9. | ,, राधाकिशन/भोलीराम | 13 | खटीक | 4 ,, |
| 10. | ,, मांगीलाल/रोडूजी | 12 | मेहतर | 5 ,, |

### जिला-झुन्झुनूं

| क्र. सं. | नाम नगरपालिका | दुकान आवंटी का नाम | जाति |
|---|---|---|---|
| 1. | मण्डावा | निवासराम/लालाराम | मोची |
| 2. | ,, | शिशपाल/पोकरमल | नायक |
| 3. | ,, | मंगलचन्द/शंकरलाल | नायक |
| 4. | ,, | मालीराम/कुन्जराम | मेहतर |
| 5. | ,, | आशाराम/जालूराम | रैगर |
| 6. | ,, | चम्पालाल/रामनिवास | खटीक |
| 7. | ,, | ओंकारमल/जगनाराम | चमार |
| **नगरपालिका झुन्झुनूं** | | | |
| 1. | झुन्झुनूं | विश्वनाथ/दुर्गाराम | खटीक |
| 2. | ,, | प्रभातीलाल/ओंकारमल | खटीक |
| 3. | ,, | महावीरप्रसाद/चिरंजीलाल | नायक |
| 4. | ,, | फतेहचन्द/सागरराम | नायक |
| 5. | ,, | रामपाल/चौथूराम | हरिजन |
| 6. | ,, | रामस्वरूप/मोटाराम | नायक |
| 7. | ,, | किशनलाल/महावीरप्रसाद | लाहोरा |
| 8. | ,, | नरसाराम/पेमाराम | रैगर |
| 9. | ,, | दुर्गाराम/लिखूराम | खटीक |
| 10. | ,, | भंवरराम/पूर्णाराम | नायक |

276



## अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित दुकानों की सूची

जिला कोटा

| क्र. सं. | नाम नगर पालिका | प्रत्याशी का नाम | चयनित संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | कैथून | 1. श्रीमति बचनबाई/रामकरण | 34 |
| | | 2. दौलतराम/श्री किशनलाल | 52 |
| | | 3. मंगनलाल/रामप्रताप | 71 |
| | | 4. छीतरलाल/नन्दलाल | 66 |
| | | 5. लक्ष्मीनारायण/मोतीलाल | 28 |
| | | 6. पुष्पचन्द/देवीलाल | 85 |
| | | 7. छीतरलाल/लक्ष्मणजी दुकान लेने से मना | 6 |
| 2. | सांगोद | 1. कवरलाल/रतीराम रेगर | 13 |
| | | 2. जगन्नाथ/ओंकार रेगर | 14 |
| | | 3. अमरलाल/गोपाल खटीक | 117 |
| | | 4. प्रभुलाल/कालूलाल नायक | 130 |
| | | 5. नन्दलाल/श्रीकृष्ण खटीक | 126 |
| 3. | मांगरोल | 1. बाला/सुखचन्द | |
| | | 2. रमेश/बन्नालाल | |
| | | 3. मोहनलाल/बन्नालाल | |
| | | 4. सूरजमल/श्रवणदास | |
| | | 5. रामदेव/गणेशराम | |
| | | 6. केशरीलाल/हीरालाल | |
| | | 7. शंकरलाल/कंवरलाल | |
| 4. | छबड़ा | 1. चुन्या/खुशहाल कोली | |
| | | 2. मदनलाल/गणेश चमार | |
| | | 3. चुन्नीलाल/मंसूरी जाटव | |
| | | 4. लटूर/लक्खा हरिजन | |
| | | 5. रामा/नाथूलाल कोली | |
| | | 6. रामलाल/ओंकार जाटव | |

277



## अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित दुकानों की सूची

### नगरपालिका रायपुर जिला पाली

| क्र. सं. | नाम पिता का नाम | जाति | दुकान आवंटित संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री ओमप्रकाश/शिवजी | सरगरा | 8 (ए. एम) |
| 2. | ,, जवानाराम/हरीराम | खटीक | 7 (जी) |
| 3. | ,, कचराराम/भवरलाल | मेघवाल | 4 (डी) |
| 4. | ,, सोहनलाल/पूराराम | सरगरा | 3 (सी) |
| 5. | ,, गोमाराम/बीजाराम | रेंगर | 1 (सी) |
| 6. | ,, श्रवणलाल/नैनाराम | ,, | 9 (आई) |
| 7. | ,, भगवान/बीजाराम | ,, | 10 (जे) |
| 8. | ,, डगलाराम/बिरदाराम | सरगरा | 2 (बी) |
| 9. | ,, पुखराज/रामा | मोची | 6 (एफ) |
| 10. | ,, मिश्रीलाल/मुराराम | ढोली | 5 (आई) |

### नगरपालिका पाली जिला-पाली

| क्र. सं. | नाम पिता का नाम | जाति | दुकान आवंटित संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री रामचन्द्र/लालाराम | बलाई | - (1) |
| 2. | ,, सांभरी/मोहनलाल | हीरावार | - (2) |
| 3. | ,, गणेश/भग्गाजी | खटीक | - (3) |
| 4. | ,, लक्ष्मीनारायण/भादूजी | मोची | - (4) |
| 5. | ,, पूनमचन्द/बालूजी | नायक | - (5) |
| 6. | ,, गुलाब/भोलाजी | खटीक | - (6) |
| 7. | ,, लक्ष्मीनारायण/हजारी | खटीक | - (7) |
| 8. | ,, रमेश/भवरलाल | ,, | 8 |
| 9. | ,, गणेश/तेजराज | मेहतर | 9 |
| 10. | ,, गंगाविशन/भादूजी | मोची | 10 |
| 11. | ,, किशन/मांगीलाल | मेघवाल | 11 |
| 12. | ,, जगदीश/मांगीलाल | ,, | 12 |
| 13. | ,, लक्ष्मीनारायण/नेनूराम | ढोली | 13 |
| 14. | ,, भवरलाल/अगरूप | ,, | 14 |
| 15. | ,, ग्यारसा राम/जेठाराम | मेहतर | 15 |

278



## अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित दुकानों की सूची

नगरपरिषद स. माधोपुर जिला-स. माधोपुर

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | जाति | पता/वार्ड न. |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती सूरजदेवी/गोपीलाल | खटीक | आलनपुर वार्ड नं. 8 |
| 2. | श्री गोपीलाल/किशनलाल | रैगर | ,, जाट.न 10 |
| 3. | ,, कनीराम/भंवरलाल | ,, | ,, 19 |
| 4. | ,, रामदयाल/जयलाल | ,, | ठिगला वार्ड नं. 4 |
| 5. | ,, रामस्वरूप/पूरनमल | ,, | ,, ,, |
| 6. | ,, चिरंजीलाल/नाथूलाल | खटीक | आलनपुर वार्ड नं. 8 |
| 7. | ,, नेमीचन्द/सुन्दरलाल | बैरवा | चकचेनपुरा वार्ड नं. 1 |
| 8. | ,, सोहनलाल/गुल्लाराम | खटीक | जटवाड़ा खुर्द 5 |
| 9. | ,, गोकुल/ग्यारसी | खटीक | आदर्श नगर बी |
| 10. | ,, हंसा/मूरा | बैरवा | खेरदा |
| 11. | ,, जवाहर/ओंकार | कोली | आदर्श नगर बी |
| 12. | श्रीमती भगवती/केशरलाल | बैरवा | खेरदा |
| 13. | श्री राजेन्द्र/चोथ्या | हरिजन | आलनपुर |
| 14. | ,, अर्जुनलाल/गंगाधर | रैगर | रैगर मोहल्ला |
| 15. | ,, रामदेवा/गंगाराम | रैगर | ,, |
| 16. | ,, मथुरा/रूगनाथ | ,, | ,, |
| 17. | श्रीमती बरजी/श्योराम | ,, | कुतलपुरा जाटान |
| 18. | श्री मुरारी/रामनाथ | ,, | वार्ड नं. 6 |
| 19. | ,, ओमप्रकाश/प्रभू | हरिजन | आलनपुर हरिजन बस्ती |
| 20. | ,, रामगोपाल/पूनीराम | बैरवा | आदर्श नगर बी |
| 21. | ,, रमेशचन्द | रैगर | वार्ड नं. 29 |
| 22. | ,, फूलचन्द/मूरा | बैरवा | खेरदा |
| 23. | ,, कल्याणमल/सुखदेवा | रैगर | वार्ड नं. 29 |
| 24. | ,, ब्रजमोहन/बन्नालाल | बैरवा | आदर्श नगर ए |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 25. | श्री कैलाशचन्द/परमानन्द | महावर | आदर्श नगर बी |
| 26. | ,, नानकराम/सूरजमल | खगार | रैगर मोहल्ला |
| 27. | ,, घनश्याम/लक्ष्मीनारायण | बैरवा | आदर्श नगर |
| 28. | ,, रामप्रसाद/घन्नालाल | खगार | खगार मोहल्ला |

**जिला सीकर**
**नगर परिषद-सीकर**

| क्र सं. | नाम नगर परिषद | नाम लाभान्वित व्यक्ति | जाति | वार्ड नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सीकर | नाथूलाल/गणपतराम | बलाई | 11 |
| 2. | ,, | ताराचन्द/रेखाराम | बलाई | 11 |
| 3. | ,, | मक्खनलाल/उमाराम | नायक | |
| 4. | ,, | केशरराम/लक्ष्मणराम | बलाई | 11 |
| 5. | ,, | चौथमल/बोदूराम | खटीक | 27 |
| 6. | ,, | मदनलाल/जगदेव | नायक | |
| 7. | ,, | भंवरलाल/भूराराम | नायक | |
| 8. | ,, | श्रीमती रामजानकी/हीरालाल | नायक | |

## अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित दुकानों की सूची
## जिला सिरोही

### नगरपालिका शिवगंज

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | जाति | स्थान/पता |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री परताराम/बरदाजी | मोची | वार्ड नं. 7 |
| 2. | ,, मनरलाल/मिश्राजी | मोची | 7 |
| 3. | ,, बालूराम/पूनमाजी | ढोली | 4 |
| 4 | ,, हमाराम/हीराजी | मेघवाल | 5 |
| 5. | ,, मूराराम/समाजी | हीरानगर | 5 |
| 6. | ,, मांगीलाल/मदनलाल | ढोली | 2 |
| 7. | ,, बग्साराम/भबुताजी | सरगड़ा | 4 |
| 8 | ,, हुकुमाराम/रंगाजी | मेघवाल | 3 |
| 9. | ,, मूलाराम/मगाजी | ,, | 3 |
| 10. | ,, छगनलाल/हरिरामजी | ढोली | 5 |

### नगरपालिका आबू पर्वत

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री शंकरलाल/पूनमचन्द्रजी | | सदर बाजार |
| 2. | ,, पूराराम/दलाजी | | मांचगांव |
| 3. | ,, पूरनचन्द्र/हीरालाल | | निर्मला स्कूल के सामने |
| 4. | ,, इन्द्रजीत | धोबी | मांचगांव |
| 5, | ,, लीलाराम/हिन्दूजी | मेघवाल | खलासी लाइन |
| 6. | ,, बजाराम/राऊजी | | भील कालोनी देलवाड़ा |
| 7. | ,, राकेशकुमार/लालाराम | | सोनी गांव |
| 8. | ,, चुन्नीलाल/टीकाराम | | इन्द्र कालोनी |
| 9. | ,, कुन्दनमल/कन्हैयालाल | | बापू ग्रामोद्योग |
| 10. | ,, कैलाशनारायण/कन्हैयालाल | | खलासी लाइन |
| 11. | ,, राजकुमार/छोगालाल | | गोरापरा |
| 12. | ,, शंकरलाल/मानाराम | | स्प्रिंग फिल्ड |

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | जाति | स्थान/पता |
|---|---|---|---|
| 13. | श्री बिहारीलाल/हीरालाल | | अशोक होटल के पास |
| 14. | ,, पूनमचन्द/हीरालाल | | सी. पी. डब्लू. डी. |
| 15. | ,, बाबूलाल/पूनवाराम | | रैतिराम क्वार्टर्स |
| 16. | ,, दयालचन्द/खुशालराम | | शिवाजी मार्ग |
| 17. | ,, मुकेश/रामाजी | | राजपूताना होटल |
| 18. | ,, जोधाराम/केसाजी | | मांचगांव |

**नगरपालिका आबूरोड**

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | जाति | स्थान/पता |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती गजीबाई/पूराजी | सरगड़ा | आबूरोड |
| 2. | ,, तीजा पत्नी कालूजी | रैगर | ,, |
| 3. | ,, अचीबाई/हरिजी | मेघवाल | ,, |
| 4. | ,, टपूबाई/पामाजी | ,, | ,, |
| 5. | ,, पीजाबाई/तेजाजी | कोली | ,, |
| 6. | ,, बरदी बेवा पीरूजी | बैरवा | ,, |
| 7. | ,, किशनी बेवा बीरा | बावरी | ,, |
| 8, | ,, किशनी/चन्द्रभान | कंजर | ,, |
| 9. | श्री अमृतलाल/किशनलाल | बागरी | वार्ड नं. 9 |
| 10. | श्रीमती चंपू/नाथा | मेघवाल | ,, 10 |
| 11, | श्री मूराजी/नगाजी | सरगड़ा | ,, 14 |
| 12. | ,, मोहनलाल/पूना राम | रैगर | ,, 17 |

**नगरपालिका देवली जिला टोंक**

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | जाति | स्थान/पता |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री कालू/नन्दलाल | रैगर | फोर मोहल्ला 8 |
| 2. | ,, गिरधारीलाल/रतनलाल | बैरवा | बैरवा मोहल्ला 8 |
| 3. | ,, भीमालाल/ओंकारराम | ,, | एजन्सी ऐरिया |
| 4. | ,, छगनलाल/नन्दराम | खटीक | खटीक मोहल्ला 7 |
| 5. | ,, जगदीश/छोगाराम | बैरवा | एजन्सी ऐरिया 10 |
| 6. | ,, दुर्गालाल/देवीलाल | रैगर | बैरवा मोहल्ला 8 |
| 7. | ,, प्रहलाद/सुखदेव | ठोली | ऊंचा रोड 4 |

२८२



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 8. | श्री भंवरलाल/गंगाराम | कोली | ऐजेन्सी ऐरिया 10 |
| 9. | ,, रामपाल/श्योलाल | खटीक | खटीक मोहल्ला 7 |
| 10, | ,, बाबूलाल/देवीलाल | बैरवा | ,, ,, |
| 11. | ,, बाबूराम/जवाहरलाल | खटीक | ,, ,, |
| 12. | ,, विजयकुमार/सूरजमल | बैरवा | बैरवा मोहल्ला 8 |
| 13. | ,, सूरजमल/लक्ष्मण | ढोली | ऊंचा रोड 4 |
| 14. | ,, शंकरलाल/रामलाल | बैरवा | बैरवा मोहल्ला 8 |
| 15. | ,, होतमचन्द/रामस्वरूप | मोची | भिश्ती मो. 2 |

# परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या 277 की सूची)

परिशिष्ट—"अ"

## विगत 5 वर्षों में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कार्यरत बिजली के करन्ट से मृत/अपंग हुए व्यक्तियों की सूची वृतवार

| क्र. सं. | दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी/अधिकारी का नाम | कार्य | मृत/अपंग | क्षतीपूर्ती/राहत | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **जयपुर नगर वृत** | | | | | |
| वर्ष 1980-81 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| वर्ष 1981-82 | | | | | |
| 1. | श्री कमल | लाइनमैन | मृत | ई. एस. आई द्वारा की गई | — |
| वर्ष 1982-83 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| वर्ष 1983-84 | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| वर्ष 1984-85 | | | | | |
| 2. | श्री छीतर | लाइनमैन | मृत | ई.एस.आई. द्वारा की गई | रु. 5000 अनुग्रह राशि मृतक के आश्रितों को दी |
| **जयपुर जिला वृत** | | | | | |
| वर्ष 1980-81 | | | | | |
| 1. | श्री जगदीश/गुल्ला | सहायक | मृत | क्षतिपूर्ति राशि रु. 13500 दी | — |
| 2. | श्री प्रभूलाल/मांगीलाल | ,, | ,, | ,, ,, रु. 13500 ,, | — |
| 3. | श्री रघुवीरसिंह/पुष्प सिंह | ,, | ,, | ,, ,, रु. 21000 दी | — |
| 4. | सूर्यप्रकाश/रामगोपाल | ,, | ,, | ,, ,, रु. 19200 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | श्री कालू/भौरी लाल | ,, | ,, | ,, ,, रु. 19200 | — |
| 6. | श्री सुवालाला/ईश्वर | ,, | ,, | ,, ,, रु. 19200 | — |
| वर्ष 1981-82 | | | | | |
| 1. | श्री अजीतसिंह/हुकमसिंह | सहायक | अपग | विचाराधीन | — |
| 2. | श्री रामचन्द्र/उमा | ,, | ,, | ,, | — |
| 3. | श्री बाबूलाल/जोरुराप | ,, | ,, | ,, | — |
| वर्ष 1982-83 | | | | | |
| 1. | श्री शंकर/ | सहायक | मृत | 21,000/- दी गई | — |
| 2. | श्री गणेश/नैरु | ,, | ,, | 21,000/- ,, | — |
| 3. | श्री कालू/भौरीलाल | ,, | ,, | 19,200/- ,, | — |
| वर्ष 1983-84 | | | | | |
| 1. | श्री महादेव/कालू | सहायक | मृत | 21,600/- दी गई | — |
| 2. | श्री हनुमान/मूरा | ,, | अपंग | विचाराधीन | — |
| 3. | श्री मोतीराम/भोमा | ,, | ,, | ,, | — |
| 4. | श्री रामचन्द्र/केशाराम | ,, | मृत | 23,100/- दी गई | — |
| 5. | श्री कानाराम/भंवरलाल | ,, | अपंग | विचाराधीन | — |
| वर्ष 1984-85 | | | | | |
| 1. | श्री नारायण/घासी | सहायक | मृत | 24,000/- दी गई | |
| 2. | ,, रामधन/अर्जुन | ,, | ,, | विचाराधीन | |
| 3. | ,, श्यामलाल/जयनारायण | ,, | ,, | 24,000/- दी गई | |
| 4. | ,, प्रहलाद/बोदू | ,, | अपंग | विचाराधीन | |
| 5. | ,, हरीशंकर/रामसहाय | ,, | मृत | ,, | |
| 6. | ,, गणेश/जमना | ,, | ,, | ,, | |
| 7. | ,, रामजीवन/कल्याण | ,, | अपग | ,, | |
| 8. | ,, काना/गोविन्दराम | ,, | ,, | ,, | |
| 9. | ,, हनुमान/देवा | ,, | मृत | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **भीलवाड़ा वृत** | | | | | |
| वर्ष 1980-81 | | | | | |
| 1. | श्री हरदेव/जोरा | सहायक | मृत | 16,800/- दी गई | |
| 2. | ,, छोगा/टेका | ,, | ,, | विचाराधीन | |
| 3. | ,, निशिकान्त शर्मा | दैनिक वेतन भोगी | ,, | 5000/- अनुग्रह राशि स्वीकृत | |
| 4. | ,, नन्दा/घीसा | सहायक | ,, | 16,800/- दी गई | |
| वर्ष 1981-82 | | | | | |
| 1. | श्री माधोसिह/कजोड़सिंह | सहायक | मृत | 21,000/- दी गई | |
| 2. | ,, कालू/हुक्मा | ,, | ,, | ई.एस.आई. द्वारा दी गई | |
| 3. | ,, मांगीलाल/गोर्धनलाल | ,, | ,, | 21,000/- दी गई | |
| 4. | ,, लादू/जीवन | ,, | ,, | 21,000/- दी गई | |
| वर्ष 1982-83 | | | | | |
| 1. | श्री शिवराज/देवीलाल | ,, | ,, | 18,000/- दी गई<br>5000/- अनुग्रह राशि | |
| 2. | ,, मोहनलाल | ,, | ,, | ई.एस.आई. द्वारा | |
| 3. | ,, मदनलाल/भाना जी | ,, | ,, | 21,000/-रु. दी गई | |
| 4. | ,, राधेश्याम | ,, | ,, | 21,000/- ,, | |
| 5. | ,, कालू/गोपी | ,, | ,, | 18,000/- ,, | |
| 6. | ,, कान्ह/नानजी | ,, | ,, | 21,000/- ,, | |
| वर्ष 1983-84 | | | | | |
| 1. | श्री ग्योपालसिंह | सहायक | मृत | 21,600/- ,, | |
| वर्ष 1984-85 | | | | | |
| 1. | श्री सोहनलाल | सहायक | मृत | 23,100/- रु. दी गई | |
| 2. | ,, गपी/पन्ना | ,, | ,, | 23,100/- ,, | |
| 3. | ,, नारायण/उदा | ,, | ,, | विचाराधीन है | |

(286)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **बीकानेर वृत** | | | | |
| | वर्ष 1980-81 | | | | |
| 1. | श्री खेताराम | सहायक | मृत | 13,500/- | – |
| 2. | ,, निरंजनकुमार | ,, | ,, | 13,500/- | – |
| 3. | ,, निरजन लाल | ,, | ,, | 18,000/- | – |
| 4. | ,, धर्म पाल | ,, | ,, | विचाराधीन | – |
| 5. | ,, सुरेश चन्द | ,, | ,, | 19,200/- | – |
| 6. | ,, नानग राम | ,, | ,, | 23,100/- | – |
| 7. | ,, अब्बास अली. | ,, | ,, | 18,000/- | – |
| | वर्ष 1981-82 | | | | |
| 1 | श्री हरी गोपाल | सहायक | मृत | ई.एस आई.द्वारा दी गई | – |
| | वर्ष 1982-83 | | | | |
| 1. | श्री रामस्वरूप | सहायक | मृत | विचाराधीन | – |
| | वर्ष 1983-84 | | | | |
| 1. | श्री हर विलास | सहायक | मृत | विचाराधीन | |
| | वर्ष 1984-85 | | | | |
| 1. | श्री जय राम | सहायक | मृत | विचाराधीन | – |
| 2. | ,, रामत सिंह | ,, | ,, | ,, | – |
| | **अजमेर वृत** | | | | |
| | वर्ष 1980-81 | | | | |
| 1. | श्री आजम अली | सहायक | मृत | 16800/- | |
| 2. | ,, सुखाराम | ,, | ,, | राज. कर्मचारी बीमा | |
| 3. | ,, भवर पुत्र भोमा | ,, | ,, | 18000/- | |
| 4. | ,, प्रतापराम | ,, | ,, | 16800/- | |
| ५. | ,, भंवर नाथा | ,, | ,, | 13500/- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | श्री गजानन्द | सहायक | मृत | 21000/- | |
| 7. | ,, मदन लाल | ,, | ,, | 18000/- | |
| 8. | ,, इंदर चन्द | ,, | ,, | 19200/- | |
| 9. | ,, जोगाराम | ,, | ,, | 21000/- | |
| 10. | ,, बसन्त बल्लभ पाण्डे | ,, | ,, | 21000/- | |
| | वर्ष 1981-82 | | | | |
| | श्री सुवा लाल/हुकमा | सहायक | अपंग | 25200/- | |
| 2. | ,, मोहन राम/मैंरूराम | ,, | ,, | 25500/- | |
| | वर्ष 1981-82 | | | | |
| 1. | राधारमण शर्मा | सहायक | मृत | 21600/- | |
| 2. | छीगनाराम | ,, | ,, | 18000/- | |
| 3. | उगमा | ,, | ,, | 21000/- | |
| 4. | श्री राम रतन यादव | ,, | ,, | राज. कर्मचारी बीमा | |
| | वर्ष 1982-83 | | | | |
| 1. | श्री बोदूराम | सहायक | मृत | 21600/- | |
| 2. | ,, हरसुखराम | ,, | ,, | 21600/- | |
| 3. | ,, बन्ना नाथा | लाइन मैन | ,, | 24000/- | |
| 4. | ,, गुलाम नबी | सहायक | ,, | 23100/- | |
| 5. | ,, सीताराम | ,, | ,, | 21600/- | |
| | वर्ष 1983-84 | | | | |
| 1. | श्री बक्साराम | सहायक | मृत | 21600/- | |
| 2. | ,, कन्हैया लाल | ,, | ,, | 23100/- | |
| 3. | ,, जगमाल | ,, | ,, | 23000/- | |
| | वर्ष 1984-85 | | | | |
| 1. | श्री पन्नालाल | सहायक | मृत | राज. कर्मचारी बीमा | |
| 2. | ,, हरजी राम | लाइन मैन | ,, | जांच चल रही है | |
| 3. | ,, भागू /लक्ष्मण | सहायक | ,, | राज. कर्मचारी बीमा | |

२८८



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| अलवर वृत | | | | | |
| वर्ष 1980-81 | | | | | |
| 1. | श्री रमेशचन्द | सहायक | मृत | 21,000/- | मृत की पत्नी को विभाग में नोकरी |
| 2. | " रामसुख | " | " | 21 000/- | " |
| 3. | " रघुवीरसिंह | " | " | 19,200/- | - |
| 4. | " हजारीलाल | " | " | 19,200/- | मृत की पत्नी को विभाग में नोकरी |
| 5. | योगेशकुमार | " | " | 18,000/- | - |
| वर्ष 1981-82 | | | | | |
| 1. | श्री ग्यारसी | सहायक | अपंग | 29,400/- | - |
| 2. | " किशनलाल | " | मृत | 21,000/- | - |
| 3. | " रामसिंह | लाइन मैन | " | 24,000/- | मृतक की पत्नी को विभाग में नोकरी |
| 4. | " राजेशकुमार | सहायक | " | 16,800/- | मृतक के भाई को विभाग में नोकरी |
| 5. | " जगदीश प्रसाद | " | " | 21,000/- | मृतक की पत्नी को विभाग में नोकरी |
| 1982-83 | | | | | |
| 1. | श्री प्रेमसिंह | सहायक | मृत | 21,000/- | मृतक की पत्नी को विभाग में नोकरी |
| 2. | " हीरालाल | " | अपंग | 7,560/- | - |
| 3. | " किशनलाल | " | मृत | 21,100/- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | श्री हजारीलाल | सहायक | मृत | 12,000/- | — |
| 5. | ,, योगेन्द्रसिंह | ,, | ,, | ई.एस.आई. द्वारा भुगतान किया गया | मृतक के पुत्र को विभाग में नौकरी दी |
| 6. | ,, किशनलाल | ,, | ,, | 21,000/- | — |
| वर्ष 1983-84 | | | | | |
| 1. | श्री पूरणमल | सहायक | मृत | ई.एस.आई. द्वारा | मृतक की पत्नी को विभाग में नौकरी |
| 2. | ,, रहमान | ,, | ,, | 21,000/- | — |
| 3. | ,, बनवारीलाल | ,, | ,, | 21,600/- | — |
| वर्ष 1984-85 | | | | | |
| 1. | श्री जगदीश प्रसाद | सहायक | मृत | विचाराधीन | — |
| 2. | ,, श्यामलाल | ,, | ,, | 24,000/- | मृतक की पत्नी को विभाग में नौकरी |

विगत पांच वर्षों में राज. राज्य विद्युत मण्डल में कार्यरत बिजली के करेन्ट मृत/अपंग हुए अधिकारी/कर्मचारियों की सूची

| क्र.सं. | दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी का नाम | अधिकारी/स्तर | मृत/अपंग | क्षतिपूर्ति/राहत स्वीकृत | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **उदयपुर वृत** | | | | | |
| **वर्ष 1980-81** | | | | | |
| 1. | श्री लक्ष्मण सिंह | सहायक | अपंग | क्षतिपूर्ति का मामला लम्बित है। | |
| 2. | ,, सीताराम | ,, | मृत | क्षतिपूर्ति राशि 21,000/- रु. | |
| 3. | ,, जैता | ,, | अपंग | क्षतिपूर्ति राशि 5322/- रु. | |
| 4. | ,, सोहनलाल | ,, | मृत | क्षतिपूर्ति राशि 21000/- रु. | |
| **वर्ष 1981-82** | | | | | |
| 1. | श्री रामलाल | ,, | ,, | क्षतिपूर्ति राशि 18000/- रु. | |
| 2. | ,, लालू | ,, | ,, | क्षतिपूर्ति राशि ई.एस.आई. द्वारा देय। | |
| **वर्ष 1982-83** | | | | | |
| 1. | श्री कनजी | ,, | ,, | अनुग्रह राशि 5000/- दी गई | |
| 2. | ,, गोवर्धन | ,, | ,, | क्षतिपूर्ति राशि 19200/- रु. | |
| 3. | ,, पूरा | ,, | ,, | क्षतिपूर्ति लम्बित है। | |
| 4. | ,, भग्गा | ,, | ,, | क्षतिपूर्ति ई.एस. आई. द्वारा देय। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | श्री माना | सहायक | अपंग | क्षतिपूर्ति लम्बित है। | |
| 6. | ,, बख्शी | ,, | मृत | मुआवजा पाने का अधिकारी नहीं | वर्ष 1982 की हड़ताल पर था अनाधिकृत रूप से कार्य करते वक्त विद्युत झटका लगने से दुर्घटना हुई। |

वर्ष 1983-84

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री दीलिप सिंह | ,, | मृत | क्षतिपूर्ति का मामला ई.एस.आई द्वारा देय। | |

वर्ष 1984-85

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री रावजी | ,, | ,, | क्षतिपूर्ति का मामला विचाराधीन है। | |

सीकर वृत

वर्ष 1980-81

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री सावंरमल कालूराम | ,, | ,, | क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। | |
| 2. | ,, हरलाल मुकना राम | ,, | ,, | क्षतिपूर्ति स्वीकृति की गई। | |
| 3. | ,, हरलाल टीकूराम | ,, | ,, | क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। | |
| 4. | ,, चौथमल भोलाराम | ,, | ,, | ,, ,, | |
| 5. | ,, मुगनाराम मोटाराम | ,, | ,, | ,, ,, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | ,, सेडूराम नानूराम | सहायक | अपंग | क्षतिपूर्ति विचाराधीन। | |
| 7. | ,, शिशपाल | ,, | मृत | ,, ,, भुगतान किया गया। | |
| वर्ष 1981–82 | | | | | |
| 1. | श्री ज्ञानचन्द शर्मा | ,, | ,, | ,, ,, स्वीकृत की गई। | |
| 2. | मालीराम कानाराम | ,, | अपंग | ,, ,, | |
| 3. | ,, कालूराम उदाराम | ,, | ,, | ,, ,, विचाराधीन। | |
| 4. | ,, निजामुद्दीन /हनीफ | ,, | मृत | ,, ,, का भुगतान किया गया। | |
| 5. | ,, बिरदूराम हुकमाराम | ,, | ,, | ,, ,, ,, | |
| वर्ष 1982–83 | | | | | |
| 1. | श्री नानूराम टीकूराम | ,, | ,, | ,, ,, ,, | |
| 2. | ,, रिदमल चन्द्रा | ,, | अपंग | ,, ,, विचाराधीन। | |
| वर्ष 1983–84 | | | | | |
| 1. | श्री भगवानाराम /भागीरथ | ,, | मृत | ,, ,, का भुगतान किया | |
| 2. | ,, शेर सिंह | ,, | ,, | ,, ,, ,, | |
| वर्ष 1984–85 | | | | | |
| 1. | श्री केदार नाथ | ,, | ,, | ,, ,, ,, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **कोटा वृत** | | | | | |
| **वर्ष 1980-81** | | | | | |
| 1. | श्री रामस्वरूप | सहायक | मृत | क्षतिपूर्ति राशि 19200/- | |
| 2. | ,, घनश्याम | ,, | ,, | ,, ,, ई.एस.आई. द्वारा देय। | |
| **वर्ष 1981-82** | | | | | |
| 1. | श्री धन्नालाल | ,, | मृत | ,, ,, 21000/- | |
| 2. | नफीस अहमद | ,, | ,, | ,, ,, ,, | |
| 3. | श्री बाबूलाल | ,, | ,, | ,, ,, ,, | |
| 4. | बद्रीलाल | ,, | ,, | ,, ,, ,, | |
| 5. | अमरलाल | ,, | ,, | ,, ,, ,, | |
| **वर्ष 1982-83** | | | | | |
| 1. | लालचन्द | ,, | मृत | ,, ,, ,, | |
| 2. | देवीशंकर | ,, | ,, | ,, ,, राशि 19200/- | |
| 3. | राजेन्द्र प्रसाद | ,, | ,, | ,, ,, राशि विचाराधीन | |
| **वर्ष 1983-84** | | | | | |
| 1. | श्री जगन्नाथ | ,, | ,, | ,, ,, ,, | |
| 2. | ,, जमील अहमद | ,, | अपंग | प्रकरण विचाराधीन | |
| 3. | ,, हजारीलाल | ,, | मृत | क्ष.पू. राशि 21600/- | |
| 4. | ,, रामचन्द्र | ,, | ,, | ,, ,, विचाराधीन | |
| **वर्ष 1984-85** | | | | | |
| 1. | श्री शहाबुद्दिन | ,, | मृत | ,, ,, ,, | |
| 2. | ,, लड्डूगोपाल | ,, | ,, | ,, ,, ,, | |
| 3. | ,, हजारी लाल | ,, | ,, | ,, ,, ,, | |
| 4. | ,, रामलक्ष्मण | ,, | ,, | ,, ,, ,, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जोधपुर वृत** | | | | | |
| **वर्ष 1980-81** | | | | | |
| 1. | श्री कल्याण शर्मा | सहायक | ,, | ई.एस.आई. द्वारा भुगतान | |
| 2. | ,, पुखराज | सहायक | मृत | क्ष.पू. राशि 21600/- | |
| 3. | ,, जगनाराम | ,, | ,, | ,, ,, 1800/- | |
| 4. | ,, मोहनलाल | ,, | अपंग | ,, ,, 25000/- | |
| **वर्ष 1981-82** | | | | | |
| 1. | श्री डूंगर सिंह | ,, | मृत | ,, ,, 21000/- | |
| 2. | ,, प्रताप राम | ,, | ,, | ई.एस.आई. द्वारा देय | |
| 3. | ,, गोकुल राम | ,, | अपंग | क्ष.पू. राशि 10878/- | |
| 4. | ,, मनोहर राम | ,, | मृत | ,, ,, 18000/- | |
| 5. | ,, जेठाराम | ,, | ,, | ,, ,, 21000/- | |
| 6. | ,, बन्शीलाल | ,, | ,, | ,, ,, ,, | |
| **वर्ष 1982-83** | | | | | |
| 1. | श्री करनाराम जाखड़ | क.अभि. | ,, | ,, ,, 35000/- | मृत्यु पर तत्काल 10000/- रु. की आर्थिक सहायता एवं 5000/- रु. की अनुग्रह राशि |
| 2. | ,, कैलाश चन्द्र | सहायक | मृत | क्ष.पू. राशि 21000/- | |
| 3. | ,, रहमतुल्ला | ,, | ,, | ,, ,, 18000/- | |
| 4. | ,, शंकर सिंह | ,, | अपंग | ,, ,, 29400/- | |
| 5. | ,, घन्नाराम | ,, | मृत | ,, ,, 21000/- | |
| **वर्ष 1983-84** | | | | | |
| 1. | श्री मनोहरसिंह | ,, | ,, | ,, ,, ,, | |
| 2. | ,, उम्मेदसिंह | ,, | ,, | ,, ,, 18000/- | |
| 3. | ,, हीरसिंह | ,, | ,, | ,, ,, 24000/- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष 1984-85 | | | | | |
| 1. | श्री रूप सिंह | सहायक | मृत | प्रकरण विचाराधीन | |
| पाली वृत | | | | | |
| वर्ष 1980-81 | | | | | |
| 1. | श्री सिताराम | ,, | ,, | स.पू. राशि 19200/- | |
| 2. | ,, सत्यनारायण | ,, | अपंग | ,, ,, 2520%/- | |
| 3. | ,, उम्मेदसिंह | ,, | मृत | ,, ,, 19200/- | |
| 4 | ,, हीरा दास | ,, | अपंग | ,, ,, 12348/- | |
| 5. | ,, भूपेन्द्रपालसिंह | ,, | मृत | ,, ,, 21000/- | |
| 6. | ,, बेना राम | ,, | ,, | ,, ,, 19000/- | |
| 7. | ,, दीपाराम | ,, | ,, | ,, ,, 16000/- | |
| 8. | ,, नथ्थूराम | ,, | ,, | ,, ,, 18000/- | |
| 9. | ,, जोरा राम | ,, | अपंग | ,, ,, 26680/- | |
| 10. | ,, भेरला राम | ,, | ,, | ,, ,, 18816/- | |
| 11. | ,, भीमा राम | ,, | ,, | ,, ,, 20000/- | |
| वर्ष 1981-82 | | | | | |
| 1. | श्री हीरा राम | ,, | मृत | ,, ,, ई.एस.आई. द्वारा देय | |
| 2. | ,, सूखाराम | ,, | ,, | ,, ,, 19200/- | |
| 3. | ,, नैनमल | ,, | ,, | ,, ,, 18000/- | |
| 4. | ,, सुरेश पुरी | ,, | ,, | ,, ,, 21600/- | |
| 5. | ,, किशोर सिंह | ,, | अपंग | ,, ,, 11707/- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **पाली वृत** | | | | | |
| वर्ष 1982-83 | | | | | |
| 1-श्री मांगीलाल | सहायक | मृत | क्ष. पू. राशि | 16800/- | |
| 2-श्री शंकर सिंह | " | अपंग | " " | 29400/- | |
| 3-श्री शंकर लाल | " | " | " " | 1470/- | |
| वर्ष 1983-84 | | | | | |
| 1-श्री सीताराम | " | मृत | " " | 21600/- | |
| 2-श्री उम्मेद सिंह | " | " | " " | 23200/- | |
| 3-श्री अमरा राम | " | " | " " | 18000/- | |
| 4-श्री हरता राम | " | " | " " | 21000/- | |
| 5-श्री भगवाना राम | " | अपंग | " " | 6724.57 | |
| 6-श्री विरमा राम | " | मृत | " " | 21000/- | |
| 7-श्री इन्दर सिंह | " | " | " " | 23100/- | |
| 8-श्री बिजा राम | " | " | " " | 21000/- | |
| वर्ष 1984-85 | | | | | |
| 1-श्री शंकर लाल | " | मृत | " विचाराधीन | | |
| 2-श्री केसा राम | " | " | " " | | |
| **प्रसारण एवं निर्माण शाखा—** | | | | | |
| वर्ष 1980-81 | | | | | |
| 1-श्री प्रभात | " | मृत | " " | 19200/- | |
| 2-मूल चन्द्र शर्मा | " | " | " " | 21000/- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष 1983-84 | | | | | |
| 1-श्री विरधाराम | सहायक | मृत | क्ष. पू. | ईएस आई से देय | |
| 2-श्री एम. सी. बंसल | स. अभि. | ,, | ,, | विचाराधीन | मृतक का मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण चालू ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया। और मर गया। |
| 3-श्री नरेन्द्र सिंह | सहायक | मृत | ,, | राशि 21600/- | |
| वर्ष 1984-85 | | | | | |
| 1-श्री अल्लाह बक्श | ,, | अपंग | ,, | उपचाराधीन | |
| 2-श्री हीरालाल | ,, | मृत | ,, | विचाराधीन | |
| 3-श्री गंगाराम | ,, | ,, | अनुग्रह क्ष. पू. | राशि 5000/- दी गई। विचाराधीन। | |
| 4-श्री लाल | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, |
| 5-श्री रोडीलाल | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, |

**कोटका तापीय परियोजना**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष 1984-85 | | | | | |
| 1-श्री गोविन्द सिंह | ,, | मृत | क्ष. पू. | राशि 19200/- | |

298



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

झुंझुनूं–वृत (प्रशिक्षण अभियन्ता से दूरभाष पर प्राप्त विवरण के अनुसार)

वर्ष 1980–81

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. मोहनलाल/नत्थू | सहायक | मृत | 19,200/– |
| 2. बंशीधर/नन्दराम | „ –II | मृत | 16;800/– |
| 3. देवकरण सिंह/गुल्लाराम | „ | „ | 18,000/– |
| 4. बिरदीचन्द/भोलाराम व. | | मृत | 18,000/– |

वर्ष 1981–82

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. जैत सिंह/सरदार सिंह | सहायक–II | मृत | 21,000/– |
| 2. प्रभुदयाल/सावरमल | „ | „ | 21,000/– |

वर्ष 1982–83

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. मेवाराम/जेताराम | „ | अपंग | 19,1110/– |
| 2. दशरथ सिंह/हनुमान सिंह | सहायक–II | मृत | 21,000/– |
| 3. गोरधन/शिवनाथ | „ | „ | 21,000/– |

वर्ष 1983–84

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. जगदीश/बीरबल | „ | „ | 21,6000/– |
| 2. जगदीश/रामदेव | „ | „ | 21,6000/– |
| 3. मोहनलाल/मानाराम | „ | „ | 23,100/– |

वर्ष 1984–85

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. मदनलाल/रामुराम | सहायक–II | मृत | 18,000/– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 सवाई माधोपुर वृत | | | | | |
| | वर्ष 1980-81 | | | | |
| 1- | श्री जमनालाल | सहायक-II | मृत | 21,600 | |
| 2- | ,, हरिनारायण | ,, | ,, | 19,200 | |
| | वर्ष 1981-82 | | | | |
| 1- | ,, बक्सी | ,, | ,, | — | जांच पेण्डिंग |
| 2- | ,, सत्यनारायण | ,, | ,, | 21,000 | |
| 3- | ,, लेखराज | ,, | ,, | 18,000 | |
| 4- | ,, रामफूल | ,, | ,, | 21,600 | |
| | वर्ष 1982-83 | | | | |
| 1- | ,, बंसीलाल | ,, | ,, | 21600 | |
| 2- | ,, उम्मेदी | ,, | ,, | 41600 | |
| 3- | ,, शिवलाल | ,, | ,, | — | |
| | वर्ष 1983-84 | | | | |
| 1- | ,, लाखन लाल | ,, | ,, | — | |
| 2- | ,, रामप्रसाद | ,, | ,, | 23,100 | |
| 3- | ,, रामनाथ | ,, | ,, | | |
| 4- | ,, लड्डू | ,, | ,, | 12,000 | |
| | वर्ष 1984-85 | | | | |
| 1- | ,, बत्तूलाल | ,, | ,, | — | ,, |
| 2- | ,, कालू | ,, | ,, | — | ,, |
| 3- | ,, जोगेन्द्रपाल सिंह | ,, | ,, | — | ,, |
| 4- | ,, प्रभातीलाल | ,, | ,, | 21,600 | |
| 5- | ,, जगदीश प्रसाद | ,, | ,, | — | ,, |

परिशिष्ट "ब"

## तहसील सांगानेर एवं चाकसू में गत 5 वर्षों में बिजली पर कार्य करते हुए चिपक कर मृत/अपंग–विकलांग हुए कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण

| क्र. सं. | कर्मचारी का नाम | पद | दुर्घटना की तारीख | कार्यालय उपखण्ड | मृत/ अपंग | दुर्घटना का कारण | क्षतिपूर्ति/ राहत | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| तहसील–सांगानेर | | | | | | | | |
| 1. | श्री जगदीश पुत्र गुल्ला | सहायक | 29-4-80 | सांगानेर | मृत | काम करते समय करन्ट लगने से खम्बे से गिरना | रु. 13,500 भुगतान किया | — |
| 2. | श्री कालू पुत्र भौंरीलाल | ,, | 3-1-81 | भांकरोटा | ,, | बिना लाइन काटे कार्य किए जाने से करन्ट लगना | रु. 19,200 भुगतान किया | — |
| 3. | श्री ईश्वर पुत्र भौंरीलाल | ,, | 3-6-82 | सांगानेर | — | जम्पर टाइट करते समय करन्ट लगने से। | इसकी तर्जनी अंगुली क्षतिग्रस्त हुई है। अस्वस्था के कारण अनुपस्थिति के समय का मुआवजे के रूप में पूर्ण वेतन | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | दे दिया गया—बकाया क्षतिपूर्ति का मुगतान श्रमिक द्वारा उसको पहुंची क्षति का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय है। | |
| 4. | श्री गणेश पुत्र मैरू | सहायक | 1-11-82 | सांगानेर | मृत | खम्बे पर काम करते समय करन्ट लग कर गिरने से | रु. 21,000 भुगतान किया | — |
| 5. | कालू पुत्र भौरीलाल | " | 4-12-82 | सांगानेर | मृत | खम्बे पर कार्य करते समय करन्ट लगना | रु. 19,200 भुगतान किया | — |
| 6. | महादेव पुत्र कालू | " | 26-5-83 | सांगानेर | मृत | बगर स्विच काटे पोल पर कार्य करने से चिपका | रु. 21,000 भुगतान किया | — |
| 7. | हनुमान पुत्र मूरा | " | 16-6-83 | भांकरोटा | अपंग | श्रमिक द्वारा बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित किए काम करते समय तारों से | शारिरिक अयोग्यता के कारण अनुपस्थिती के समय का पूर्ण वेतन/क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जा रहा है और अब तक रु. 16,000/- दिया जा | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | छू जाने से दोनों हाथ क्षतिग्रस्त हो गए। | चुका है। स्थाई अंगहानि की क्षतिपूर्ति श्रमिक द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर सम्भव है। | |
| 8. | श्री नारायण पुत्र घासी | सहायक | 24-5-84 | सांगानेर | मृत | चालू लाइन पर काम करते समय करन्ट लगने से | रु. 24,000/- भुगतान किया। | — |
| 9. | श्री रामजीवण पुत्र कल्याण | " | 4-12-84 | सांगानेर | अपंग | कार्य करते समय चालू लाइन से छू जाने से एक हाथ क्षतिग्रस्त हो गया। | शारीरिक अयोग्यता के कारण अनुपस्थिति के समय का पूर्ण वेतन क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जा रहा है और अब तक रु. 2,525/- दिया जा चुका है। स्थाई अंगहानि की क्षतिपूर्ति श्रमिक द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर सम्भव है। | |
| 10. | कामा पुत्र गोबिन्दराम | " | 17-2-85 | झोकरोटा | — | स्वयं की लापरवाही से बिना स्विच काटे कार्य करते समय करन्ट लगा एवं | इलाज के दौरान अनुपस्थिति के समय का पूर्ण वेतन रु. 687-40 क्षतिपूर्ति हेतु भुगतान किया। स्थाई अंगहानि की क्षतिपूर्ति श्रमिक द्वारा चिकित्सा प्रमाण | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | दोनों हाथ की बीच की अंगुली क्षतिग्रस्त हुई। | पत्र प्रस्तुत किए जाने पर सम्भव है। | |
| तहसील–चाकसू | | | | | | | | |
| 1. | श्री गणेश पुत्र जमनालाल | सहायक | 9-10-84 | चाकसू | मृत | स्वयं की लापरवाही से लाइन मेन्टीनेन्स करते समय बिजली के झटके से। | कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में हाल ही में संशोधन हो जाने के कारण संशोधित दरों पर मुआवजा स्वीकृत करने की कार्यवाही अतिशीघ्र की जा रही है। | |

# परिशिष्ट–5

## (समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

### पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

278. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) :

**श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत राज व्यवस्था को प्रभावित एवं सुदृढ़ बनाने को दिनांक 30-1-1982 को बीकानेर में पंचायती राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्मेलन में पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु उनके अधिकारों एवं कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के बारे में कई प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिये गये थे ? कृपया इस सम्मेलन में की गई घोषणाओं, पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों का ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(3) इनमें से अब तक किन किन की क्रियान्विति कर दी गई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ वर्ष पूर्व भीलवाड़ा में प्रधानों व प्रमुखों का एक राज्य स्तर का सम्मेलन आयोजन किया गया था, और उस सम्मेलन में माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि विकलांग पेन्शन की स्वीकृति का अधिकार भी पंचायत समितियों को दिया जायेगा ?

(5) यदि हां, तो अब तक अधिकार हस्तांतरित क्यों नहीं किये गये, और अब कब तक हस्तांतरित करने का सरकार विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) सदन के पटल पर रखी गई सूची में इसका विवरण अंकित कर दिया गया है।

(4) जी हां।

(5) इस सम्बन्ध में आदेश क्रमांक प. 1(22) वित्त/नियम/73 दि. 2-6-82 को जारी किये जा चुके हैं। जिसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखदी गई है।

## दिनांक 30-1-1982 को बीकानेर में हुए पंचायती राज सम्मेलन में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति

| क्र. सं. | नाम विभाग एवं योजना | घोषणायें/निर्णय | क्रियान्विति (आदेश क्रमांक आदि) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किये जाने वाले समस्त कल्याण एवं विस्तार कार्यक्रम जिनकी प्रभावी देख-रेख उन तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जा सकती है जो पचायत समिति स्तर पर उपलब्ध है या उपलब्ध कराये जा सकते हैं, पचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिये जायेंगे। | | |
| | **हस्तान्तरित की जाने वाली योजना। कार्यक्रम :—** | | |
| | **1. विशिष्ठ योजना संगठन** | | |
| | (1) एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम— | पंचायत समिति द्वारा गरीब परिवारों का चयन, उनके आर्थिक लाभ के व्यवसाय का अन्तिम चयन, शिविर लगाकर अथवा अन्य प्रकार से ऋण | एफ-13(7) कृषि-12/82 |

305

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | प्रावेदन-पत्र तैयार करवाना, ग्राथिक व्यवसाय के लिये पशु अथवा अन्य सम्पति खरीद करवाना, पशुओं का बीमा करवाना, लाभान्वित परिवारों की बाद की देख-भाल करना, बैंकों को ऋण वसूली में मदद करना इत्यादि कार्य किये जावेंगे। यदि पचायतें या पचायत समितियां यह पायें कि निर्धनता की रेखा से नीचे के व्यक्तियों का चयन गलत हुआ है (चयनित परिवारों की सूची विशेष प्रायोजना संगठन से प्राप्त की जा सकती है) तो वे निर्धारित प्रणाली के द्वारा इन सूचियों को सही करें। उन्हें यह भी देखना चाहिये कि जो सहायता निर्धन परिवारों ने इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त की हैं, उसका वे सही उपयोग करें और उन निर्धन परिवारों को सब प्रकार का सहयोग प्राप्त हो। | दिनांक 1-5-82 |
| | (2) स्वनियोजन हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण (ट्राईसम) योजना :— | पंचायत समितियों द्वारा इस योजना हेतु ग्रामीण युवकों का चयन करना, उनके लिये उपयोगी प्रशिक्षण का चयन करना स्वयं प्रशिक्षण केन्द्र चलाना संबधी कार्य किये जावेंगे। इसके अलावा पंचायत समितियां अपने क्षेत्र के मास्टर क्राफ्टसमैन का पता लगाकर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को उनकी नियुक्ति अथवा मान्यता के प्रस्ताव भेजेगी। स्वयं पंचायत समिति द्वारा चलाये जाने वाले केन्द्रों तथा मास्टर क्राफ्टसमैन के लिये आवश्यक धन राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायत समिति को हस्तान्तरित कर देगा। प्रशिक्षित युवकों को स्वयं का रोजगार दिलाने एव उसके माल की बिक्री की व्यवस्था करने के लिये पंचायत समिति योजना बना कर अपने सुझाव ग्रामीण विकास अभिकरण को भेजेगी और अभिकरण के निर्देशानुसार कार्यवाही करेगी। | एफ.13(7) कृषि-12/82 दिनांक 1-5-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (3)<br>(4) | समग्र ग्राम विकास एवं<br>ग्रामीण विकास केन्द्र परियोजनाऐं । | पंचायत समिति भारत सरकार या राज्य सरकार से जारी मार्गदर्शन बिन्दुओं के अनुसार इन योजनाओं को बनायेगी । इस हेतु राशि ग्रामीण जिला विकास अभिकरण पंचायत समिति को हस्तान्तरित करेंगे । परियोजनायें स्वीकार होने के बाद पंचायत समिति द्वारा ही क्रियान्वित की जावेगी । उक्त चारों प्रकार की योजनाओं के हिसाब का लेखा-जोखा ग्रामीण विकास अभिकरण को भेजा जावेगा । | प. (13) (7) कृषि/ग्रु.प-12/82. ग्रु.प-5 दिनांक 29-5-82 |
| (5) | कृषि पुनर्वित एवं विकास निगम द्वारा पुनर्वित प्राप्त लघु सिंचाई, कृषिएवं सम्बन्ध परियोजनाऐं जो कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र से संबधित है । | यद्यपि यह योजना पंचायत समितियों को स्थानान्तरित नहीं की गई है, परियोजनाओं के क्षेत्र के विकास अधिकारियों के पदेन अतिरिक्त परियोजना अधिकारी नियुक्त किया गया है । कृषि पुनर्वित एवं विकास निगम द्वारा पुनर्वित प्राप्त कतिपय लघु सिंचाई, कृषि एवं संबधित योजनाओं की क्रियान्विति परियोजना अधिकारी के माध्यम से की जाती है । यह परियोजना अधिकारी प्राथमिक भूमि विकास बैंक का सचिव भी होता है । इन योजनाओं की क्रियान्विति को सुगम बनाने के लिये एवं असुविधाओं को कम करने के लिये विकास अधिकारी को पदेन अतिरिक्त परियोजना अधिकारी नियुक्त किया गया है । पंचायत समिति के मार्गदर्शन में विकास अधिकारी आवेदकों के चयन, उनके आवेदन-पत्र तैयार कराने एवं उन्हें ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराने में सहायता करने तथा राशि से निर्माण आदि कार्य कराने में मदद करने के लिये मुख्यतौर पर उत्तरदायी होंगे । वे इन सब कार्यों से प्रधान एवं पंचायत समिति को समय समय पर अवगत कराते रहेंगे । | प. 13 (7) कृषि/ग्रु.प-12/82 ग्रु.प-5, दिनाक 29-5-82 |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| | (6) गोबर गैस कार्यक्रम- | पंचायत समितियां गोबर गैस संयत्र लगाने वाले व्यक्तियों का चयन करके इनके ऋण । अनुदान प्रार्थना पत्र तैयार करायेगी व वित्तीय संस्थाओं से उन्हें ऋण उपलब्ध करायेगी । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इस कार्य में पंचायत समिति को समुचित मदद देगा । इस योजना के अन्तर्गत अनुदान लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को देय होगा । उसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायत समितियों को त्रैमासिक किश्तों में उपलब्ध करायेगा । योजना के क्रियान्वयन की तकनीकी देख-रेख जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में उपलब्ध तकनीकी कर्मचारियों द्वारा की जावेगी । प्रोत्साहन राशि का वितरण पंचायत समितियां करेगी । | एफ-13(7) कृषि-12/82, दिनांक 9-6-82 |
| 2. कृषि विभाग | | | |
| | (1) कृषि विस्तार कार्यक्रम- | यह कार्यक्रम पंचायत समितियों को हस्तान्तरित नहीं किया गया है । इस कार्यक्रम की क्रियान्वित में जिला परिषदों के साथ समन्वय किया जावेगा । इसके क्रियान्वयन की समीक्षा पंचायत समिति एव जिला परिषद द्वारा की जायेगी । | केवल समन्वय के लिये आदेश प्रसारित: एफ-12(12) कृषि/ग्रुप-2/एम. सी./81, दि. 7-6-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | (2) ग्रामीण हाट योजना | इस योजना का पूर्ण हस्तान्तरण पंचायत समितियों को नहीं किया गया है। ग्रामीण हाटों की प्रबन्ध व्यवस्था की देखभाल ग्राम पंचायतों द्वारा की जावेगी। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्रामीण हाटों के निर्माण का कार्य कुछ समय से चल रहा है। जो ग्रामीण हाटें निर्मित होकर तैयार हो जावेंगे उन्हें कृषि विपणन बोर्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करेगा। ग्राम पंचायतें ऐसी हाट को सम्भाल कर प्रबन्ध व्यवस्था की देखभाल स्वयं करती रहेगी। हाट के प्रबन्ध पर सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत का होगा। प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायत को जो आमदनी होगी, उसका 75 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत स्वयं रखेगी तथा शेष 25 प्रतिशत भाग निर्माणकर्ता संस्था को भेज देगी। पंचायत समिति ग्राम पंचायत को इस सम्बन्ध में समुचित सहायता एवं मार्ग दर्शन देती रहेगी। पंचायतों का यह दायित्व होगा कि वे इन ग्रामीण हाटों को इस तरह से चलाये कि उनमें दिनों दिन प्रगति हो। ध्यान रहे कि हाटों का ठेका पंचायतें अन्य किसी एजेन्सी या व्यक्ति को नहीं दे सकेंगी। ऐसा करने की दशा में इस कार्य को पंचायत से ले लिया जावेगा। जो पंचायत भविष्य में ग्रामीण हाट का निर्माण कराना चाहेगी वह अपने प्रस्ताव पंचायत समिति को भेजेगी तथा पंचायत समिति विचार कर अपनी अभिशंषा कृषि विपणन बोर्ड को भेजेगी। | एफ-12 (12) कृषि ग्रुप-2 (एम सी) 81 दिनांक 1-5-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | (3) कृषि आदानों पर राजकीय अनुदान | राज्य सरकार की उर्वरक, बीज, एवं पौध संरक्षण औषधियों के लिए अनुदान की यदि ऐसी योजना हो कि अनुदान स्त्रोत पर न देकर कास्तकारों को सीधा देय होगा, तो ऐसा अनुदान पंचायत समिति के माध्यम से दिया जावेगा एवं इसके लिये जो वित्तीय प्रावधान वर्तमान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं वह पंचायत समिति के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। | एफ-12 (12) कृषि ग्रुप-2 (एम. सी) 81, दिनांक 1-5-1982 |
| | **3–पशु पालन विभाग**<br>(1) ग्रामीण पशु औषधालय– | राज्य के समस्त ग्रामीण पशु चिकित्सालय पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिये गये है तथा इन पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धित पंचायत समिति का रहेगा और स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर माना जावेगा। पशु पालन विभाग इस हेतु राशि भी पंचायत समितियों को हस्तान्तरित करेगा। स्टाफ के वेतन आदि के बिल पंचायत समिति के अन्य स्टाफ की तरह ही पारित किये जावेंगे। औषधालय के लिए दवा आदि की व्यवस्था अन्य व्यय, बजट प्रावधान इत्यादि पंचायत समिति के निर्णय अनुसार किये जावेंगे। औषधालय का चार्ज लेते समय सम्पत्ति व स्टाक रजिस्टर, भवन व अन्य सामान का ब्यौरा पूर्णतया अंकित किया जाना चाहिए। | एफ-2 (173) कृषि 6/81, दिनांक 30-4-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | (2) चारा विकास योजना | चारा विकास सम्बन्धी प्रदर्शन कार्यक्रम, चारा बीज वितरण एवं चारागाह विकास क्षेत्र योजनायें पंचायत समितियों को हस्तान्तरित की जा चुकी है, जिनकी क्रियान्विति आदि पशु पालन विभाग के निर्देशानुसार की जावेगी। | एफ- 2(173) कृषि 6/81, दिनांक 30-4-82 |
| | (3) प्रत्येक ग्राम पंचायत में उन्नत नस्ल का एक सांड उपलब्ध कराना— | प्रत्ये ग्राम पंचायत में उन्नत नस्ल का एक साण्ड उपलब्ध कराने के लक्ष्य की दिशा में वर्ष 82-83 में 10 लाख रुपयों का अनुदान पंचायत समितियों को उपलब्ध कराया जावेगा। पंचायत समिति द्वारा खरीदे जाने वाले ऐसे सांडों पर क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा 3000 रुपया प्रति सांड, जो भी कम हो अनुदान देय होगा। पंचायत समितियों। पंचायतों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति में आवश्यक योगदान देंगी। | वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में सांडों के क्रय पर अनुदान का प्रावधान किया गया था। इस योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित किया जा रहा है। |
| **4–शिक्षा विभाग** | | | |
| 1 | (1) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम— | यह कार्य-क्रम पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किया जा चुका है। वर्तमान अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, प्रबन्ध व व्यवस्था पंचायत समितियां करेगी तथा नये केन्द्रों की स्थापना, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा | प 7(13) शिक्षा ग्रुप-1/81, दि. 12-5-82 |

311

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | निदेशालय से स्वीकृति प्राप्त करने पश्चात् कर सकेगी। अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी बजट एवं जिला स्तरीय स्टाफ भी हस्तान्तरित किया जा रहा है। | |
| | (2) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा— | ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा पहले से ही पंचायत समितियों के पास है। पंचायत समितियों की प्राथमिक शालाओं में वर्तमान में 5,482 अध्यापकों की कमी है। दो वर्षों में क्रमबद्ध कार्य क्रमानुसार पूरा किया जायगा ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा एवं इसके गुणात्मक स्तर की देख-रेख हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में एक प्रथक इकाई बनाई जायेगी व ग्रामीण शालाओं (पंचायत समिति शालाओं सहित) हेतु अलग बजट-हैड का सृजन किया जायगा। | पहले से ही पचायत समितियों को हस्तान्तरित है। |
| 5-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | | | |
| | (1) हैल्थ गाइड योजना— | हैल्थ गाइडों का प्रारम्भिक चयन पंचायत द्वारा किया जायेगा और तत्पश्चात् पंचायत समिति विचार करेगी और विभाग द्वारा जारी आदेशों व प्रक्रिया के अनुसार अन्तिम चयन होगा। इस योजना हेतु विभाग द्वारा राशि पंचायत समिति को हस्तान्तरित की जावेगी और पचायत समिति ही भत्तों आदि का भुगतान करेगी। हैल्थ गाइडों से कार्य आदि विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार लिये जायेंगे। | प. 14(11) चि. स्वा. । 82, दिनांक 5-6-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | (2) स्थानीय दाइयों के साथ समन्वय तथा प्रशिक्षण | स्थानीय दाइयों को प्रशिक्षण में भेजने के लिए पंचायत एवं पंचायत समिति प्रयास करेगी। इन्हें प्रशिक्षण की अवधि में भत्ता सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था द्वारा देय होगा। प्रशिक्षण दाइयों का जन्म का रजिस्ट्रेशन कराने एवं बच्चे के जन्म तक की कार्यवाही में मदद करने पर 3) रु. प्रति मामला से राशि देय होगी। इस हेतु विभाग पंचायत समिति को राशि हस्तान्तरित करेगा तथा पंचायत समिति इसका भुगतान करेगी। | प. 14(11) चि. स्वा. । 82, दिनांक 5-6-1982 |
| 6-वन विभाग | | | |
| | (1) मिश्रित वृक्षारोपण योजना—<br>(2) पौध उगाने की योजना—<br>(3) कृषि वानिकी योजना— | ये योजनायें क्रियान्विति हेतु पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दी गई हैं। इनकी क्रियान्विति राजस्व (वन) विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार की जावेगी। | एफ-17(11) राज/8/82 दि. 5-6-81 |
| | (4) वृक्षों की अवैध कटाई व वन्य जीवों की क्षति की सूचना व रोकथाम— | ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों की अवैध कटाई व वन्य जीवों का शिकार तथा उन्हें हानि पहुंचाने के सम्बन्ध में ध्यान रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ग्राम पंचायत की होगी। इस प्रकार की घटना होने पर सरपंचों, पंचों, प्रधान एवं | एफ-एल. जे./82/305 दि. 7-6-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | पंचायत समिति के सदस्यों का कर्तव्य होगा कि वह इन घटनाओं की तुरन्त रिपोर्ट सम्बन्धित उप वन संरक्षक को करें। | |
| | (5) आरक्षित वन स्थापित करने हेतु क्षेत्र के चयन तथा आरक्षित वन क्षेत्रों में पौध रोपित किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से परामर्श— | भविष्य में जब कभी आरक्षित वन स्थापित करने हेतु क्षेत्र का चयन किया जावेगा तो उसे अन्तिम रूप देने से पहले सम्बन्धि ग्राम पंचायत से अनिवार्य रूप से परामर्श किया जावेगा। आरक्षित वन क्षेत्रों में किन प्रजातियों के पौध रोपित किये जाने चाहिये, इस सम्बन्ध में भी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से परामर्श किया जावेगा। | एफ-134 पी. एस. आर. एस. 82 दि. 2-6-82 |
| **7-सार्वजनिक निर्माण विभाग** | | | |
| | (1) 2.0 लाख रुपये तक की लागत के सभी नागरिक निर्माण कार्य अग्रलिखित कार्यों के निर्माण पचायत समितियों के सुपुर्द होंगे— | दो लाख रुपयों तक की लागत के सभी सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा योजना में उल्लेखित अन्य कार्यों का निर्माण अब पंचायत समितियों द्वारा किया जावेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत मार्गदर्शक निर्देश अलग से जारी किये जा रहे हैं। | एफ.प. 14(2) सा. नि/82 दि. 1-5-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| | (क) नई प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के भवन व कमरें। | | |
| | (ख) पटवार भवन | | |
| | (ग) पंचायत भवन | | |
| | (घ) उप केन्द्र | | |
| | (ङ) पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली छोटी सड़कें व पुलियां | | |
| | **8-सिंचाई विभाग** | | |
| | (1) 50 एकड़ से कम सिंचाई की क्षमता वाले अथवा सिंचाई करने वाले तालाबों एवं एनीकट्स की मरम्मत- | 50 एकड़ से कम सिंचाई की क्षमता वाले तालाबों व एनीकट की मरम्मत अकाल राहत एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति करायेगी। यह कार्य उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में जारी की गई हिदायतों के अनुसार होगा। पंचायत समिति इस हेतु सिंचाई विभाग का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगी। इस कार्य के लिये सिंचाई विभाग के अधिकारी आवश्यक तकनीकी मार्ग दर्शन देंगे। | एफ-1 (10)सा‍विग्र नवजीन। प्रशासन। 82/120 दिनांक 1-5-1982 |
| | **9 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-** | | |
| | (1) हैण्ड पंपों का संधारण | यह योजनायें ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की गयी है। दिनांक 1-6-82 तक लगाये गये सभी हैण्ड पंपों | प. 14 (11) सि. स्वा/प्र.प-4/82- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | (2) परम्परागत पेयजल साधनों का संधारण एवं परिचालन– | को तथा परम्परागत स्त्रोत योजनाओं को चालू हालत में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। पंचायतों को उप योजनाओं के संधारण हेतु आवश्यक धनराशि, स्टाफ तथा साज सामान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रसंग से आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं। | दिनांक 8–6–82 |
| 10 उद्योग विभाग | | | |
| | (1) औद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण एवं कार्यकारी योजना का निर्माण– | जिला उद्योग केन्द्र पंचायत समिति के सुझाव एवं मार्ग दर्शन के अनुसार सर्वेक्षण करवा कर योजनायें बनायेगा और पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात् ही जिला उद्योग केन्द्र उसकी क्रियान्विति करेंगे। | एफ–प. 20 (23) उद्योग 1/82 दिनांक 1–5–82 |
| | (2) लघु उद्योग क्षेत्रों का विकास | पंचायत समिति ऐसे क्षेत्रों का विकास कर सकती है। इस हेतु उद्योग विभाग के आदेशों के अनुरूप कार्यवाही की जानी चाहिए। | ,, ,, |
| | (3) ग्रामीण विपणन– | यह योजना पंचायत समिति को हस्तान्तरित कर दी गई है। इस हेतु उद्योग विभाग के आदेशों के अनुरूप कार्यवाही की जानी चाहिए। | |
| | (4) ग्रामीण दस्तकारों को दो हजार रुपये तक के ऋण की स्वीकृति– | ग्रामीण दस्तकारों को 2,000 रुपये तक के ऋणों की स्वीकृति पंचायत समिति करेगी। इस हेतु राजस्थान स्टेट ऐड टू इण्डस्ट्रीज (लोन) रूल्स, 1962 में संशोधन कर दिया गया | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | है । इसके लिये पंचायत समितियों को आवश्यक धनराशि उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी जावेगी । | |
| | (5) खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल के माध्यम से उनकी स्वीकृति अनुदान प्रणाली के आधार पर 5,000/- रुपए तक ऋण एवं सहायता की स्वीकृति- | राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल द्वारा रुपये 5,000/- तक के ऋण व अनुदान स्वीकृत करने के अधिकार पंचायत समितियों को दिये जा चुके हैं । यह ऋण एवं अनुदान अब पंचायत समितियों के माध्यम से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व शर्तों के अनुसार स्वीकृत एवं वितरित किया जावेगा तथा इसकी वसूली एवं सदुपयोग की जिम्मेदारी भी पंचायत समितियों की होगी । इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि पंचायत समितियों को उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी । | |
| | (6) लघु उद्योग इकाइयों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति इकाई 1,000/- तक का विद्युत अनुदान- | राजस्थान लघु स्तर के उद्योगों की (बिजली के संबंध में) आर्थिक सहायता देने के निर्देश व प्रक्रिया में संशोधन कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योगों को प्रत्येक मामले में 1,000/- रुपये तक का अनुदान स्वीकृत करने के लिए पंचायत समितियों को अधिकृत किया जा चुका है । इस सम्बन्ध में पंचायत समितियों द्वारा उक्त निर्देश व प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जावेगी । इस योजना के लिए पंचायत समितियों को | |

317

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | आवश्यक धनराशि उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी । | |
| | (7) डी. आई. सी. की कार्य प्रणाली पंचायत समिति में आकर कार्य करने की योजना– | उद्योग विभाग उक्त योजनायें अभी तक जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर चलाई जा रही थी । इन योजनाओं के पंचायत समितियों के हस्तान्तरण के बाद इनको पंचायत समिति के स्तर पर सही ढंग से चलाने के लिये जिला उद्योग केन्द्र इस तरह का कार्यक्रम बनायेंगे, जिससे जिला उद्योग केन्द्रों से सम्बन्धित अधिकारी समय समय पर प्रत्येक पंचायत समिति के मुख्यालय पर जाकर कार्य पद्धति की प्रक्रिया से अवगत करायेंगे एवं प्रकरणों के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण करायेंगे । | |
| 11–जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग | | | |
| (क) कृषि:– (1) फसल उगाना (2) प्रदर्शन | | जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की इन योजनाओं की क्रियान्विति अभी तक संबंधित विभागों के माध्यम से जन जाति उप योजना क्षेत्र, माडा क्षेत्र एवं सहरिया विकास क्षेत्र में की जाती थी । अब इन योजनाओं की क्रियान्विति संबंधित पंचायत समितियों द्वारा की जावेगी । इन योजनाओं की क्रियान्विति | एफ–4(25) (88) टी. ए. डी. 1 81–82 दि. 6–5–82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | (3) खाद व बीज का वितरण | के संबंध में आवश्यक निर्देश, मार्ग-दर्शन एवं धनराशि संबंधित विभागों द्वारा पंचायत समितियों को उपलब्ध करवायी जावेगी। | |
| (ख) शिक्षा:- | | | |
| | (1) प्राथमिक स्तर तक छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण | | |
| | (2) पुस्तकों एवं यूनिफार्म का वितरण प्राथमिक शालाओं में | | |
| (ग) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | | | |
| | (1) हैण्ड पम्पस और ग्रामीण पम्प एवं टैंक योजनाओं का संधारण। | | |
| (घ) सार्वजनिक निर्माण विभाग- | | | |
| | (1) आश्रम स्कूल एवं छात्रावासों का निर्माण (2.0 लाख रु. तक) | | |
| (ङ) खादी एवं घरेलू उद्योग और उनके लिए प्रोत्साहन राशि | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | (च) छोटे सिंचाई तालाबों संधारण | | |
| | (छ) एकीकरण ग्राम विकास | | |
| | (ज) पशुपालन विभाग :– | | |
| | (1) चारा विकास योजना | | |
| | (2) भेड़ पालकों को प्रशिक्षण | | |
| | (3) भेड़ विकास के लिए भेड़ों का वितरण । | | |
| | (झ) समाज कल्याण :– | | |
| | विकलांग कल्याण कार्यक्रम तथा वृद्धावस्था व विधवा पेन्शन | | |
| | 12. समाज कल्याण विभाग | | |
| | (1) पंचायत समिति द्वारा नियंत्रित शालाओं में विकलांग छात्रों में छात्रवृति का वितरण | पंचायत समितियों द्वारा इन योजनाओं की क्रियान्विति राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार की जायेगी । | एफ-9(4) एस.सी.एफ. पी.एन. ।स्चेटा 81-82 दिनांक 16-1-82 |
| 1 | (2) ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे छात्रावासों का प्रबन्ध एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों की देखभाल । | | एफ-7 (1) (7) अनु. ।स क. वि. ।81-82। 24255 दिनांक 4-5-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (3) | ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आश्रम स्कूल और निराश्रित बालगृह | | एफ-7 (1)(7) अनुं । स. क. वि. । 81-82 । 24265-67 (आश्रम-स्कूल) दि. 4-5-82 |
| (4) | ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान स्थानीय आवासगृह एवं संस्था की देखभाल । | | एफ-2 (6) (14) (.) 23369 दि. 30-4-82 |
| (5) | विधवा व वृद्धावस्था पेन्शन । | | एफ-1 (22) । वित्त नियम 73 दि. 8-6-82 |
| (6) | केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा बनायी जा रही ग्रामीण परियोजनायें (भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर) | केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल द्वारा बनायी जा रही ग्रामीण परियोजनाओं के संबंध में आवश्यक आदेश केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् जारी किये जावेंगे। | विचाराधीन (केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित है) । |
| (7) | ग्रामीण क्षेत्रों में सिविल राइट्स एक्ट के अन्तर्गत संरक्षक कार्य में वृद्धि का कार्यक्रम | यह योजना अभी तक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् उसके अनुसार इस योजना को पंचायत समितियों को हस्तान्तरित करने संबंधी आवश्यक राज्य आदेश जारी किये जावेंगे। | विचाराधीन है। |

321

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | कल्याण एवं विस्तार के ऐसे कार्यक्रम जिनका पर्यवेक्षण पंचायत समिति स्तर से ऊपर का हो अथवा जिनकी क्रियान्विति का क्षेत्र एक से अधिक पंचायत समिति में होने के कारण जिसका दायित्व एक पंचायत समिति क्षेत्र के लिये निर्धारित करना संभव न हो अथवा जिनमें जटिल प्रौद्योगिक (टेक्नोलोजी) निहित हो या जिनका निष्पादन अन्य स्वायत्तशासी अभिकरणों द्वारा किया जाना हो उनकी समीक्षा उपयुक्त समितियों द्वारा पंचायत समिति स्तर पर प्रभावी रूप से की जावेगी, ऐसे मामलों में कार्यक्रमों का बजट या कर्मचारी पंचायत समितियों को स्थानान्तरित नहीं होंगे और कार्यक्रम का क्रियान्वयन विभाग। अभिकरण यथावत करते रहेंगे। ऐसे मामलों में पंचायत समितियों तथा क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों के बीच समन्वय स्थापित किया जायेगा। ऐसे कार्यक्रम निम्नांकित हैं :— | |
| | (1) सहकारी ऋण वितरण एवं विपणन | प. 6(3) सह./कृषि-4/82 दि. 4-6-82 |
| | (2) ग्रामीण विद्युतिकरण | प. 15(2) ऊर्जा/82 दि. 5-6-82 |
| | (3) पंचायत समिति क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा लिये जा रहे कार्यक्रम | प. 143/पी.एस.आर.एस./82 दि. 8-6-82 |
| | (4) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनायें | |
| | (5) पंचायत समिति क्षेत्रों में बनाई जाने वाली सड़कें एवं भवन अथवा पहले से बनी हुई सड़कें एवं भवन | प. 14(2) सा. नि./82 दि. 2-6-82 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| (6) | भूजल विभाग द्वारा कुओं को गहरा करवाये जाने अथवा नल कूप लगाये जाने का कार्यक्रम | एफ. 15(3) कृषि/5/82 दि. 1-5-82 |
| (7) | भू-जल विभाग द्वारा बोरिंग, अनुसंधान एवं अन्य विभागीय नलकूपों का संचालन | एफ-15(3) कृषि/5/82 दि. 1-5-82 |
| (8) | ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल स्त्रोतों का अर्द्ध विस्तृत एवं विस्तृत सर्वेक्षण | " " |
| (9) | डेयरी विकास विभाग द्वारा नये दुग्ध मार्गों का खोलना तथा सहकारी समितियों की सदस्यता में वृद्धि तथा समग्र ग्रामीण विकास के अन्तर्गत कमजोर वर्ग के लोगों को दुधारू पशु के लिये ऋण देने के साथ समन्वय | एफ-2(173) कृषि/6/81 दि. 1-5-82 |
| (10) | दुग्ध सहकारी समिति के माध्यम से ग्रामीण विकास केन्द्रों का निर्माण | " " |
| (11) | सहकारी गोदामों का निर्माण एवं प्रबन्ध | प. 6(3) सह./कृषि-4/82 दि. 4-6-82 |
| (12) | ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ कर्घा । हस्तशिल्प कार्यक्रम का आयोजन एवं क्रियान्वयन | प. 2(23) उद्योग/ग्रुप-1/82 दि. 1-5-82 |
| (13) | ग्रामीण क्षेत्रों में सभी महिलाओं एवं बच्चों के पोषाहार का कार्यक्रम | एफ-13(83) पी.वी.-82-83/26930 दि. 13-5-83 |
| (14) | पंचायत समिति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम | प. 7(13) शिक्षा/ग्रुप-1/81 दि. 4-6-82 |

323

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | (15) अनिवार्य वस्तु अधिनियम । अनिवार्य वस्तुओं के राशन और मूल्य वृद्धि नियंत्रण पर निगाह । | एफ-68(8) खा.वि.व्य.प./82 दि. 7-6-82 |
| | (16) ग्रामीण सूचना एवं जन सम्पर्क | सं. क्षेत्र प्रचार/10864-94 दि 7-6-82 |
| 3. | **प्रधानों तथा सरपंचों का प्रशिक्षण**<br>नव निर्वाचित प्रधानों तथा सरपंचों को विभिन्न विभागों के विकास कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी कराना आवश्यक है। ऐसे कार्य सम्पादन करने के लिए उन्हें किन किन संस्थाओं के साथ सामन्जस्य करना होगा, क्या प्रक्रियाएँ काम में लेनी होंगी और कार्यक्रमों की मूलभूत भावना एवं रूपरेखा क्या है, इसके बारे में प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा। इस प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अलग से कराई जा रही है। | प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था कर अधिकांश प्रधानों एवं सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 179 प्रधान, 7187 सरपंचों तथा 55,978 पंचों को नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिलवा दिया गया है। प्रधानों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर एवं उदयपुर के माध्यम से उपलब्ध कराया गया एवं सरपंचों को प्रशिक्षण 7 भ्रमणशील प्रशिक्षण इकाइयों द्वारा विभिन्न जिलों में भेजकर करवाया गया है। |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4. | **विकास अधिकारियों के पदों का क्रमोन्यन** | |
| | पंचायत समिति स्तर पर बड़े कार्यक्रमों के हस्तान्तरण और निधियों के आवंटन के साथ यह आवश्यक हो गया है कि विकास अधिकारियों के पदों को क्रमोन्नत किया जावे। वर्तमान में जो विकास अधिकारी कार्यरत हैं वे सम्भवत: इस कार्य के निष्पादन हेतु सक्षम सिद्ध नहीं हो पावेंगे, क्योंकि इनमें से कई तो तदर्थ आधार पर नियुक्त है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित की गई है कि विकास अधिकारियों से 50 प्रतिशत पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भरे जावे और शेष को तकनीकी सेवा में से परियोजना अधिकारी पदोन्नति से चयनित किये जावे। इन विकास अधिकारियों के लिये भी प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। | राजस्थान सिविल सेवा (विशेष चयन) विकास अधिकारी नियम, 1982 के अन्तर्गत 197 चयनित अधिकारियों को लगाया गया है। 118 पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए सुरक्षित रखे गये हैं। परन्तु राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की उपलब्धता न होने के कारण अभी 45 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कार्यरत हैं विकास अधिकारी के विशेष प्रशिक्षण की सुविधायें हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान। जयपुर/उदयपुर में उपलब्ध है। अब तक 182 विकास अधिकारी प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। |
| 5. | **आधारभूत कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति** | |
| | इस सारी प्रक्रिया को पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने से कार्य सम्पादन के लिए कुछ आधारभूत कर्मचारियों की व्यवस्था आवश्यक होगी। विकास अधिकारियों के अलावा | निम्नांकित अनुसार पद उपलब्ध कराये जा चुके हैं :— |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | कृषि प्रसार कार्यक्रम के लिये कम से कम एक और काम अधिक होने पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार और अधिक कृषि प्रसार अधिकारी, एक पशुपालन प्रसार अधिकारी, एक सहकारिता प्रसार अधिकारी, एक पंचायत प्रसार अधिकारी, दो शिक्षा प्रसार अधिकारी, एक उद्योग प्रसार अधिकारी, एक ओवरसियर तथा एक प्रमति (सांख्यिकी) प्रसार अधिकारी का नियोजन आवश्यक होगा। यह इसलिये आवश्यक है कि उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित कार्यक्रम पंचायत समिति स्तर पर या तो पंचायत समिति की सीधी देख-रेख में होगा या जिनमें पंचायत समिति स्तर पर समीक्षा आवश्यक होगी। चूंकि इतने बड़े व्यापक कार्यक्रम को चलाने के लिये पंचायत समिति स्तर पर निधियों का आवंटन बड़े पैमाने पर होगा और उसके हिसाब भी व्यवस्थित रखने होंगे। अत: विकास अधिकारी के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण भी आवश्यक है। इसके लिये एक लेखाकार, एक कनिष्ट लेखाकार, तीन वरिष्ठ लिपिक, पांच कनिष्ठ लिपिक, चार चतुर्थ श्रेणी | |

| पद | पूर्व में स्वीकृत | अतिरिक्त सृजित |
|---|---|---|
| कृषि प्र. अधिकारी | 115 | 60 |
| | | 50 |
| पशुपालन प्र. अधिकारी | 55 | 60 |
| | | 60 |
| सहकारिता प्र. अधिकारी | — | 236 |
| पंचायत प्रसार अधिकारी | 118 | 59 |
| | | 59 |
| उद्योग प्रसार अधिकारी | — | 236 |
| प्रगति प्रसार अधिकारी | — | 236 |
| कनिष्ठ अभियन्ता | 112 | 124 |
| खादी पर्यवेक्षक | — | 236 |

| 1 | 2 | 3 | | |
|---|---|---|---|---|
| | कर्मचारी, एक वाहन चालक और एक चौकीदार देने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार कार्य करने के लिये ग्रामसेवक भी पंचायत समिति स्तर पर बढ़ाये जायेंगे। | लेखाकार | — | 118 क्रमोन्नति |
| | | कनिष्ठ लेखाकार | 236 | — |
| | | | | 236 (वि.यो. सं. द्वारा) |
| | | ग्राम सेवक | 3,943 | — |
| | | हैण्ड पम्प फिल्टर | — | 120 |
| | | वाहन चालक | 232 | 4 |
| | | लिपिक वर्गीय कर्मचारी बढ़ाने का मामला विचाराधीन है। | | |

**आदेश की प्रति**

**तारांकित प्रश्न संख्या 193/इ.न.मं. एवं 131/इ.न.मं. के भाग (5) से सम्बन्धित आदेश की प्रतिलिपि**

संख्या-प. 1 (22) वित्त/नियम/73 जयपुर, दिनांक 2-7-82

विषय:—निराश्रितों को वार्धक्य पेंशन की स्वीकृति एवं उसके भुगतान के विनियमन हेतु नियम।

राज्यपाल, निराश्रितों को वार्धक्य पेन्शन की स्वीकृति एवं उसके भुगतान का विनियमन करने वाले नियमों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

1. नियम 2 विद्यमान खण्ड (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

(6) "स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी से पंचायत समिति अभिप्रेत है जिसमें कि आवेदन, रह रहा है अथवा उन निराश्रितों के मामले में जो जिला मुख्यालयों तथा ऐसे कस्बों अथवा स्थानों में रह रहे हैं और पंचायत समिति की अधिकारिता में नहीं आते, उसमें उप खण्ड अधिकारी अभिप्रेत है"।

2. विद्यमान नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

"8. (1) पंचायत समिति के क्षेत्र के भीतर रह रहे निराश्रितों के बारे में इन नियमों के अधीन पेन्शन स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित पंचायत समिति होगी। स्वीकृति प्रपत्र ओ.ए.पी 3 में जारी की जायेगी जिसकी कि एक प्रति कोषागार, जिले के कलेक्टर और जिला परिषद् के प्रमुख को पृष्ठांकित की जायेगी।

(2) जिला मुख्यालयों तथा ऐसे कस्बों और स्थानों पर रह निराश्रितों के बारे में, जो पंचायत समिति की अधिकारिता में नहीं आते हैं, पेन्शन स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी होगा। स्वीकृति प्रपत्र ओ.ए.पी.3 में जारी की जावेगी

जिसकी कि एक प्रति कोषागार, जिले के कलेक्टर तथा जिला परिषद् के प्रमुख को पृष्ठांकित की जायेगी।

3. इन नियमों के साथ लगे प्रपत्र ओ. ए. पी. 1 के भाग 3 तथा प्रपत्र ओ. ए. पी. 3 में क्रमशः शब्दों "सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर तथा उप खण्ड अधिकारी" के स्थान पर शब्द "पंचायत समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/उप खण्ड अधिकारी" के हस्ताक्षर रखे जायेंगे। यह आदेश इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5-6-82 के अधिक्रमण में जारी किये जाते हैं।

## राजस्थान उर्दू अकादमी

279. डॉ. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)।

**श्री प्रताप सिंह (छबड़ा)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में उर्दू एकेडेमी का गठन सर्व प्रथम कब हुआ और तब से अब तक एकेडेमी के अध्यक्ष कौन-कौन रहे हैं? कृपया एकेडेमी की नियमावली व विधान की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) एकेडेमी के अध्यक्ष का पद कितने दिन से रिक्त है, तथा क्यों? यह पद अब कब तक भर दिया जावेगा?

### उत्तर

(1) राज्य में उर्दू अकादमी का विधिवत गठन दिनांक 12.2.79 को हुआ।

इसके अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित महानुभाव रहे हैं:—

1. श्री हाफिज मोहम्मद अयूम कमरू शहीद, दिनांक 30.3.78 से 5.5.81 तक।

2. डा. एम. ए. जेदी, रीडर, उर्दू विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय दिनांक 9.5.81 से 22.2.85 तक।

अकादमी के विधान की प्रति सदन के पटल पर रखे दी गई है।

(2) अकादमी में अध्यक्ष का पद दिनांक 23.2.85 से रिक्त है। उक्त पद पर मनोयन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राजस्थान उर्दू अकेडेमी

का

## दस्तूरुल-अमल

## शराकत-नामा

चूंकि उर्दू जबानोंअदब के दायरे से वाबस्ता सरगर्मियों को बढ़ाने उनमें राबता कायम करने और उनके जरिये मुल्क की सखाफती यकजहती को फरोग देने के लिये एक सूबाई तनजीम का कायम किया जाना जरूरी समझा गया है लिहाजा इस जरूरत के तहत तै किया गया है के उर्दू का एक सूबाई इदारा कायम किया जाये।

**1—इदारे का नाम :—**

इस इदारे का नाम (राजस्थान उर्दू अकेडेमी) है और रहेगा।

**2—सदर मुकाम :—**

अकेडेमी का रजिस्टर्ड दफ्तर जयपुर में होगा।

**3—तशकील :—**

(I) अकेडेमी एक कारपोरेट बाडी होगी, वह अपनी एक मुस्तकिल मोहर रक्खेगी। अपने इजतेमाक हैसियत के नाम से वह मुकदमा दायर कर सकेगी और इस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा।

(II) अकेडेमी का ताअल्लुक किसी सियासी का फिरका परस्त जमात से नहीं होगा और राजस्थान में उर्दू जबानों अदब की तामीर व तरक्की नीज अदबी इदारों के फरोग के लिये काम करेगी।

**4—अगराजो मकासिद और इखतेयारात :—**

इसके अगराजो मकासिद और इखतेयारात हस्ब जेल होंगे :—

(i) उर्दू जुबानों अदब की तरवीज, बका और तहफ्फुज।

(ii) रियासत में उर्दू अन्जुमनों में राबता पैदा करना।

(iii) दायराये अदब से वाबस्ता राजस्थान के उर्दू उदबों नीज अदबी अन्जुमनों में बनहमी तावव्वुन को फरोग देना और अदबी अन्जुमनों के क्याम और तरक्की को तकवियत देना।

(iv) सूबाई नीज कौमी सतह पर इजतेमाआत और सेमिनारों वगैराह के जरिये उर्दू अदब के मुखतलिफ मकातिबे फिक्र के दरमियान अदबी रूजहानात पर तबादलाए खयालात को फरोग देना।

(v) उर्दू अदबी तसानीफ जिनमें रसाइलो, जरायद भी शामिल है शाय करना और इशाआत को फरोग देना।

(vi) अकेडेमी का एक मरकजी कुतुबखाना और शोबये तहकीक कायम करना नीज कुतुबखानों में उर्दू किताबें फराहम कराना और कितबों की फराहमी के लिये माली इमदाद देना।

(vii) उर्दू जबानों अदब के दायरे में पांच साल से काम करने वाले मुसल्लमा इदारों की हैसियत का ऐतराफ करना और मुखतलिफ तरीकों से इनकी मदद करना।

(viii) किताबों की नुमाइस, मुशायरें और अदबी प्रोग्रामों की विसातत से मुल्क में सखाफती ताअल्लुकात को फरोग देना।

(ix) उर्दू के काबिल अदीबों को वजाइफ और इनामात देना।

(x) बेहतरीन तखलीकात पर उर्दू अदीबों की खिदमात का एतराफ करना और इनाम देना।

(xi) उर्दू अदब के मुताअले को फरोग देना नीज ऐसे मन्सूबों का आगाज करना और उनको तरक्की देना जिससे उर्दू जबानों अदब को तकवियत पहुंचे।

(xii) अपने अगराजो मकासिद की तकमील के लिये सरकार की मन्जूरी हासिल करके जमीन खरीदना। हर तरह की मिलकियत पर

काबिज रहना, इसकी देख-भाल करना, इसे मकफूल करना या किसी और तरीके से फरोक्त करना।

(xiii) किसी रिजर्व फण्ड, डिपाजिट फण्ड, बीमा फण्ड या किसी दूसरी खुसुमी फण्ड का राजस्थान सरकार के महकमये तामील के ग्रान्ट-इन-एड रूल्स के मुताबिक कायम करना, ख्वाह वह फण्ड टूट-फूट के लिए हो या मरम्मत के लिये, या अकेडेमी की किसी जायदाद या इसी के मुकुक में बेहतरी या इजाफों के लिये हो या उन्हें बनाये रखने के लिए हो या किसी नुकसान का मोआवजा अदा करने या किसी ऐसे दीगर मकसद के लिये हों जिसके लिये अकेडेमी ऐसे फण्ड या फण्डों का कायम करना या बनाये रखना जरूरी या मुनासिब समझती हो लेकिन राजस्थान सरकार से मिलने वाली ग्रान्ट का कोई हिस्सा या राजस्थान सरकार की ग्रान्ट के मसरफ से होने वाली आमदनी का कोई हिस्सा राजस्थान सरकार की मन्जूरी के बगैर ऐसे फण्ड में मुन्तकिल नहीं किया जावेगा।

(xiv) उर्दू पढ़ाने और इसके इस्तेमाल की बाबत उर्दू बोलने वालों के मतालबात जिनमें सरकारी महकमात पर अमल दरआमद में मुश्किलात भी शामिल है हुकुमत के इल्म में लाना।

(xv) उर्दू तहकीक और मुताले के लिये वजाइफ देना।

(xvi) तरजुमा और मुखतलिफ अदबी सरगर्मीयों के जरिये उर्दू और दीगर जबानों बिल खुसुस राजस्थानी जबानों अदब के दरमियान तखलीकी राबता कायम करना नीज इसको फरोग देना।

(xvii) उर्दू जबानों अदब से मुतातिलक किताबों को फरोक्त का मुनासिब इन्तेजाम करना।

(xviii) उर्दू में हवालाजाती किताबें तैयार करना और उनको शाये करना।

(xix) जईफ और माली एतबार से कमजोर उर्दू अदीबों, नीज मरहूम काबिल अदीबों के माली एतबार से कमजोर अफरादेखानदान को माली इमदाद देना। और

(xx) मुन्दजीबाला अगराजो मकासिद की तकमील के लिये मुनासिब

कार्यवाही करना नीज रियासती हकूमत की मनजूरी से मुनासिब कवानीनों जवाबित मरतब करना और इनमें हस्ब जरूरत तरमीम, इजाफा या तनसीख वगैरह करना।

## कवाइनों आईक

### 5—अकेडेमी के ओहदेदारान :—

अकेडेमी के ओहदेदारान हस्बेजल होंगे :—

(1) चेयरमैन

(2) वाइस चेयरमैन

(3) सेक्रेटरी

(4) खाजिन

### 6—चेयरमैन :—

हकुमत के जरिये तीन साल के लिये किसी ऐसे शख्स को चेयरमैन मुकर्रर किया जावेगा जिनकी उर्दू जबानों अदब के लिये खिदमत काबिले एतराफ हो। वह दुबारा मुकर्रर किये जाने के लिये अहल होगा। मजलिसे आमला बजरिये रेजूलेशन एकेडेमी के इन्तेजामी और माली कारोबार को अन्जाम देने के लिये अपने कुछ ऐसे इख्तेयारात जिन्हें वोह मुनासिब समझे चेयरमैन या सेक्रेटरी को इस शर्त के साथ तजवीज कर सकेगी के ऐसे तफवीज शुदा इख्तेयारात के तहत चेयरमैन और। या सेक्रेटरी जो कार्यवाही करेगा उसकी रिपोर्ट मजलिसे आमेला की आइन्दा मीटिंग में पेश की जावेगी।

### 7—वाइस चेयरमैन :—

(i) वाइस चेयरमैन का चुनाव अकेडेमी की जनरल कौंसिल अपनी पहली मीटिंग में करेगी और वह तीन साल तक अपने ओहदे पर फाइज रहेगा। मुजव्वेजा वाइस चेयरमैन इस तरह के चुनाव में वोट नहीं देगा। लेकिन वह दुबारा चुने जाने के लिये खुद को पेशकश करने का मजाज होगा।

(ii) वाइस चेयरमैन, चेयरमैन की गैर मौजूदगी में जो चाहे किसी भी वजह से हो, चेयरमैन के तमाम फराइज अन्जाम देगा और इख्ते-यारात का इस्तेमाल करेगा।

8—सेक्रेटरी :—

(i) सेक्रेटरी अकेडेमी का चीफ एक्जीक्यूटिव आफीसर होगा। इसका तकर्रर राजस्थान सरकार बिल अमूम तीन साल की मुद्दत के लिये अपनी मुकर्रर कर्दा शरायत और जवाबित के तहत करेगी। सेक्रेटरी के लिये उर्दू जबानों अदब में दस्तरस रखना जरूरी होगा नीज इन्तेजामी अमूर में तजूरबा रखने वाले को तरजीह दी जावेगी।

(ii) सेक्रेटरी जनरल कौंसिल, मजलिसे आमेला, मालयाती कमेटी और तमाम ऐसी दीगर कमेटियों का ऐक्स ओफिसियो सेक्रेटरी भी होगा जिनको चेयरमैन जनरल कौंसिल या मजलिसे आमेला ने कायम किया हो, वह इन कमेटियों में से किसी का भी मैम्बर होने का हक होगा।

(iii) सेक्रेटरी के फराऊज हस्बजैल होंगे :—

1-अकेडेमी के रिकार्ड और इसकी ऐसी दीगर मिलकियात का जो मजलिसे आमेला इसे चार्ज में सौंपे निगहबान रहना।

2-अकेडेमी की अथोरिटीज की जानिब से दफतरी मुरासलत करना।

3-अकेडेमी के तमाम अथोरीटीज और इनकी तरफ से मुकर्रर कर्दा तमाम कमेटियों की मीटिंग बुलवाने के लिये नोटिस जारी करना।

4-अकेडेमी की तमाम अथोरीटीज और उनकी तरफ से मुकर्रर कर्दा तमाम कमेटियों की मीटिंग की रुदाद कलमबन्द करना।

5-अकेडेमी के हिसाबात रखना।

6-मजलिसे आमेला की निगरानी में रहते हुऐ अकेडेमी की जाय

दाद और उसके इखराजत का इन्तेज़ाम करना। सालाना तखमीनाजात और हिसाबो किताब के गोशवारे तैयार करने और उन्हें मजलिसे मामेला और जनरल कौंसिल के सामने पेश करने के लिये जिम्मेदार होना।

7-मजलिसे मामेला के इख्तेयारात में रहते हुऐ इस बात के लिये जिम्मेदार होना कि तमाम रकम इन ही मकासिद पर खर्च की गई है जिसके लिये वह मन्जूर या मुखतस की गई हो।

8-अकेडेमी की जानिब से किये गये जायदाद के बारे में तमाम मुआहेदों और इकरारनामों पर दस्तखत करना।

9-मजलिसे मामेला या जनरल कौंसिल के जरिये सौंपे जाने वाले दीगर इख्तेयारात को इस्तेमाल करना।

(iv) अकेडेमी में जमा करवाई गई रकम की रसीद जो सेक्रेटरी या किसी ऐसे शख्स ने दी हो जिसे इस मामले में मजलिसे मामेला ने मजाज किया हो रकम की अदायगी के सबूत के लिये काफी होगा।

9—खाजिन :—

(i) खाजिन का ओहदा एजाजी होगा और इसका तकरूर चेयरमैन अकेडेमी के जरिये अकेडेमी की जनरल कौंसिल की सिफारिश पर किया जायेगा।

(ii) खाजिन आम तौर पर अकेडेमी को इन तमाम मामलात में अपनी राय देगा जो अकेडेमी की जायदाद के इन्तेजाम और उस पर किये जाने वाले खर्च, सालाना तखमीने जात और हिसाब किताब के गोशवारे बनाने और जिन मकासिद के लिए फण्ड मन्जूर व मुखतस किये गये हों उनके लिए फण्ड के खर्च के गोशवारे तैयार करने से मुताल्लिक हों।

(iii) अकेडेमी की मालियाती का बेहतर इन्तेजाम कायम रखने की गरज से खाजिन के हस्ब जेल फाराइजो इख्तेयारात होंगे :—

(1) सेक्रेटरी के जरिये तैयार कर्दा अकेडेमी के आमदो खर्च के गोशवारों की जांच पड़ताल करना।

(2) नये मसारिफ की तमाम तजावीज पर गौर करना।

(3) आडिट रिपोर्ट पर गौर करना।

(4) अकेडेमी की मालियात फवक्तन वसूल करना। और

(5) अकेडेमी को मुतास्सिर करने वाले किसी भी इकतेसदी मसले पर अजखुद सेक्रेटरी या अकेडेमी की किसी कमेटी के कहने पर सलाह देना।

**10—अकेडेमी की अथोरीटीज :—**

अकेडेमी की अथोरीटीज हस्ब जैल होंगी :—

(i) जनरल कौंसिल

(ii) मजलिसे आमेला

(iii) मालियाती कमेटी और

(iv) दीगर कोई भी स्टेंडिंग कमेटी या कमेटियां जिसे या जिन्हें जनरल कौंसिल या मजलिसे आमेला ने किसी एक या मुख्तलिफ मकासिद की तकमील के लिये कायम किया हो।

**11—जनरल कौंसिल :—**

जनरल कौंसिल हस्ब जैल अराकीन पर मुशतमिल होगी :—

(i) चेयरमैन

(ii) वाइस चेयरमैन

(iii) सेक्रेटरी

(iv) सार्जिन

(v) राजस्थान सरकार के नामजद ओहदेदारान :—

(1) एजूकेशन कमिश्नर राजस्थान या उनका कोई नुमाइन्दा जो मनसब में डिप्टी सेक्रेटरी से कम न हो।

(2) फाइनेनस कमिश्नर राजस्थान, या उनका नुमाइन्दा जो मनसब में डिप्टी सेक्रेटरी से कम न हो।

(3) डाईरेक्टर प्राईमरी एण्ड सैकण्डरी एजूकेशन राजस्थान, बीकानेर या उनका नुमाइन्दा जो मनसब में डिप्टी डाई-रेक्टर से कम न हो।

(4) डाईरेक्टर कालेज एजूकेशन, राजस्थान, जयपुर या उनका नुमाइन्दा जो मनसब में डिप्टी डाईरेक्टर से कम न हो।

(5) डाईरेक्टर अरेबिक एण्ड पर्शियन रिसर्च इन्सटीट्यूट, राजस्थान, टौंक।

(vi) चेयरमैन, तरक्की-ऐ-उर्दू बोर्ड, दिल्ली या उनका नुमाइन्दा।

(vii) राजस्थान की हर उस यूनिवर्सिटी से जहां उर्दू पढ़ाई जाती हो हुकूमत के जरिये नामजद उर्दू का एक एक मुदर्रिस।

(viii) राजस्थान साहित्य अकेडेमी उदयपुर के मेम्बरान में से दो अशखास जिन में से एक हिन्दी और एक राजस्थानी ज़ुबान का आलिम हो।

(ix) राजस्थान सिन्धी अकेडेमी का एक मेम्बर।

(x) राजस्थान संगीत नाटक अकेडेमी का एक मेम्बर। मुन्दजीबाला नम्बर viii. ix और x में मजकूरा अकेडेमी के मेम्बरान तब ही नामजद किये जायेंगे जब वह अकेडेमीज, उर्दू अकेडेमी के जरिये नामजद एक-एक रूकन को अपनी-अपनी जनरल कौंसिल में रूकन नामजद करने पर आमादा हो जायेंगे।

(xi) किसी भी सरकारी कालेज का एक मेम्बर जो शोबऐ उर्दू में तदरीस का काम करता हो।

(xii) प्राइमरी एण्ड सैकण्डरी एजूकेशन के महकमे से वावस्ता उर्दू का एक मुर्दरिस।

(xiii) 15 अराकीन राजस्थान सरकार के जरिये नामजद किये जायेंगे जिनमें से 11 मेम्बरान उर्दू के ऐसे मशहूर शायर मुसन्निफ और आलिमों में से होंगे जो राजस्थान के हों या राजस्थान में ही रह रहे हों। इन 11 अराकीन में कम से कम दो (2) ख्वातीन शामिल होंगी। इन 11 अराकीन की नामजदगी बुनियादी तौर पर उन अशखास में से की जायेगी जिन्हें अकेडेमी से कोई एजाज या इनाम दिया गया हो या अकेडेमी के जरिये उनकी खिदमात का ऐतराफ किया गया हो। लेकिन यह शर्त दस्तूरूल अमल के तहत पहली सरकारी नामजदगी के बाद आयद होगी। बाकी चार अराकीन की नामजदगी राजस्थान सरकार ऐसे अशखास में से करेगी जो बावजूद के उर्दू के मशहूर शायर, मुसन्निफ या आलिम नहीं हों फिर भी उर्दू से खुसुसी लगाव रखते हों और उनकी नामजदगी अकेडेमी के लिये दूसरे पहलूओं से मुफिद हो।

12—जनरल कौंसिल के फराइज व इख्तेयारात :—

जनरल कौंसिल के फराइज और इख्तेयारात हस्बजैल होंगे :—

(i) वाइस चेयरमैन का चुनाव करना।

(ii) पैरा 14 (vii) के मुताबिक मजलिसे आमेला के मेम्बरान का चुनाव करना और मजलिसे आमेला की कार्यवाही के वास्ते आइन मुरत्तब करना।

(iii) पैरा 16 (iii) के मुताबिक मालियाती कमेटी के मेम्बरान का चुनाव करना और मालियाती कमेटी की कार्यवाही के वास्ते आइन मुरत्तब करना।

(iv) मजलिसे आमेला के जरिये तैयार करदा अकेडेमी के सालाना बजट को मन्जूर करना।

(v) आडिटर्स का तकर्रुर करना।

(vi) मजलिसे आमेला की सिफारिश पर उर्दू अदब की मुफीद खिदमात अन्जाम देने वाले इदारों और अन्जुमनों को तसलीम करना।

(vii) मजलिसे आमेला के मुजव्विजा प्रोग्रामों पर गौर करना और उन्हें मन्जूर करना।

(viii) हुकुमत की मन्जूरी के ताबे रहते हुऐ अकेडेमी के लिये कवाइदो जवाबित मुरत्तब करना नीज अकेडेमी के तरीकेकार से मुताअल्लिक कवानीन तैयार करना।

(ix) ऐसे दूसरे काम अन्जाम देना जो अकेडेमी को मुनज्जम रखने और उसके मकासिद की तकमील के लिये जरूरी हों।

13—जनरल कौंसिल की मीटिंग :—

जनरल कौंसिल की मीटिंग अमूमन साल भर में एक बार अकेडेमी के सदर मुकाम पर चेयरमैन के जरिये मुकर्रकर्दा तारीख और वक्त पर होगी। जनरल कौंसिल की गैर मामूली मीटिंग चेयरमैन या

मजलिसे आमेला की तहरीर पर या जनरल कौंसिल के 2/3 अराकीन की तहरीरी गुजारिश पर किसी मुकर्रर वक्त और मुकाम पर बुलाई जा सकेगी।

14—मजलिसे आमेला :—

मजलिसे आमेला के मेम्बरान हस्बे जैल होंगे :—

(i) जनरल कौंसिल के चेयरमैन।

(ii) जनरल कौंसिल का वाइस चेयरमैन।

(iii) सैक्रेटरी

(vi) खाजिन

(v) एजूकेशन कमिश्नर राजस्थान या उनका नुमाइन्दा जो मनसब में डिप्टी सैक्रेटरी से कम न हो।

(vi) फाइनेन्स कमिश्नर राजस्थान या उनका नुमाइन्दा जो मनसब में डिप्टी सैकेटरी से कम न हो।

(vii) दो अशखास जिनका इन्तेखाब जनरल कौंसिल ने अपने अराकीन में से किया हो।

15—मजलिसे आमेला के फराइजो इख्तेयारात :—

मजलिसे आमेला के फराइजो इख्तेयारात हस्बजैल होंगे :—

(i) जनरल कौंसिल के मातहत रहते हुए अकेडेमी के आमेलाना इख्तेयारात का इस्तेमाल करना।

(ii) अकेडेमी के दफ्तर के जरिये जनरल कौंसिल की पालीसियों और फैसलों पर अमल दरामद के लिये जिम्मेदार होना।

(iii) जनरल कौंसिल में गौर और तौसीफ के लिये अकेडेमी के प्रोग्राम मरत्तब करना।

(iv) मालियाती कमेटी की सिफारिश के पेशेनजर जनरल कौंसिल में मन्जूरी के लिये पेश किया जाने वाला अकेडेमी का सालाना बजट तैयार करना।

(v) जनरल कौंसिल के गौर के लिये अकेडेमी की सालाना रिपोर्ट और हिसाबात तैयार करना।

(vi) अकेडेमी के जरिये तसलीम किये जाने के लायक उर्दू की अहम अन्जुमनों और इदारों के नामों पर गौर करना नीज जनरल कौंसिल को अपनी तजवीज भेजना।

(vii) जनरल कौंसिल के बजट और पालीसी के मुताल्लिक अगर कोई कवानीन हो तो इनके ताबे रहते हुए अकेडेमी के जरिये तसलीम शुदा इदारों और अन्जुमनों के लिये माली इमदाद मन्जूर करना।

**16—मालीयाती कमेटी :—**

मालियाती कमेटी हस्बजैल अराकीम पर मुशतमिल होगी :—

(i) खाजिन जो इस कमेटी का चेयरमैन होगा।

(ii) सेक्रेटरी, और

(iii) जनरल कौंसिल के दो नुमाइन्दे।

**17—मालियाती कमेटी के फराईजो इख्तेयारात :—**

मालियाती कमेटी अकेडेमी के बजट के तखमीनाजात पर गौर करेगी और इन पर मजलिसे आमेला को अपनी सिफारिश करेगी, नीज एक साल में होने वाले कुल खर्च के लिए जुमला मालियाती हदूद तजवीज करेगी।

**18—मुत्ता इख्तेयारात :—**

(i) जनरल कौंसिल, मजलिसे आमेला और मालियाती कमेटी के अराकीन की मुद्दतेकार तीन साल की होगी जो तकर्रुरी। नामजदगी। इन्तेखाबात की तारीख से शुमार की। अगर किसी वजह से अकेडेमी की जनरल कौंसिल या मजलिसे आमेला या मालियाती कमेटी के अराकीन का ओहदा इस मुद्दतेकार में खाली हो जाता है तो इसकी जगह रियासती हुकूमत इस दस्तूरूल अमल

की दफआत के तहत किसी दीगर शख्स को मुकर्रर करेगी, लेकिन इस तरह नामजद मेम्बर की मुद्दतेकार अकेडेमी की दीगर बाकी मेम्बरान की मुद्दतेकार के साथ ही खत्म हो जावेगी।

(ii) जनरल कौंसिल मजलिसे आमेला या मालियाती कमेटी के किसी फर्द के मेम्बर न रह जाने के सबब अगर कोई जगह खाली होती इसके पूरे किये जाने पर जनरल कौंसिल। मजलिसे आमेल या मालियाती कमेटी बदस्तूर काम करती रहेगी। और इसकी वजह से इसकी कार्यवाहियां किसी भी सूरत में गैर कानूनी नहीं समझी जावेगी। जनरल कौंसिल और मजलिसे आमेला की मीटिंग के लिये कम अज कम एक तेहाई मेम्बरान और मालियाती कमेटी के लिये पांच में से कम से कम तीन मेम्बरान की मौजूदी जरूरी होगी।

(iii) इस दस्तूरूल अमल में कोई भी तरमीम राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के दफा नं 12 को मद्देनजर रखते हुऐ ही की जायेगी, नीज जनरल कौंसिल मौजूद और रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले अराकीन की 3/4 वाजे इक्सीरियत से इस दस्तूरूल अमल में इस तरीके से तरमीम करने की मजाज होगी जैसा कि जनरल कौंसिल तय करे।

(iv) **हुकुमत के इख्तेयारात** :– हुकुमत राजस्थान अकेडेमी को किसी भी किये जाने वाले या किये गये काम के मुताल्लिक हिदायत दे सकेगी और अकेडेमी ऐसी किसी हिदायत के मुताबिक अमल करने के लिये पाबन्द होगी।

(v) अगर दस्तरूल अमल की किसी दफा के मफहूम में कोई उलझन या शक पैदा होता है तो इस पर अकेडेमी का चेयरमैन अपनी राय देगा लेकिन अगर इसकी राय से जनरल कौंसिल मुत्तफिक न हो तो मामला हुकुमत राजस्थान के महकमाए तालीम में भेजा जावेगा और रियासती हुकुमत का इसकी वजाहत के बारे में किया गया फैसला कतई होगा।

(vi) अकेडेमी की पहली मरतबा तशकील रियासती हुकुमत एडहाक तरीके पर 6 माह के लिये या दस्तूर के तहत तशकील किये जाने की मुद्दत जो भी पहले हो उसके लिये करेंगे, इस तरह की तशकील में जरूरी नहीं होगा कि अकेडेमी की तशकील मुताल्लिका दफात के तहत ही हो, यह शर्त 12 फरवरी, 1979 ई. से आयद होगी।

अगर इस मुद्दत के बाद भी नई तशकील न हो पावे तो 6 माह की मुद्दत को ज्यादा से ज्यादा एक साल तक हस्बे जरूरत बढ़ाया जा सकेगा।

(vii) अकेडेमी की तहलील :—

अगर किसी भी वक्त रियासती हुकुमत को इतमिनान हो जावे कि :—

1—अकेडेमी में कार करदगी की अहलियत नहीं है या दस्तूरूल अमल के तहत या इसके जरिये तकर्रर कर्दा फरायज की अन्जाम देही में बार-बार गलती कर रही है या इख्तेयारात के दायरे से तजावुज करते हुऐ काम करती है या इनका गलत इस्तेमाल करती है तो रियासती हुकुमत सरकारी गजट में इस जिम्न में जारी में जारी करदा ऐलान के जरिये ज्यादा से ज्यादा एक साल के लिये इसे तहलील कर सकेगी और अकेडेमी को चलाने और इसके कामों को पूरा करने के लिये एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करेगी लेकिन अकेडेमी इसकी तहलील की तारीख से एक साल के इख्तेताम के कबल दुबारा तशकील कर दी जायेगी।

2—ऐसी तहलील पर अकेडेमी अपने तमाम शोबों, मजलिसों और कमेटियों के साथ खत्म हो जायेगी और इसके अराकीन इस तारीख से जिस का एलान किया जाये अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जायेंगे। लेकिन इससे इनकी दुबारा नामजदगी या इन्तेखाब लिये इसकी एहलियत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

3—अकेडेमी की तनसीख राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 की दफा 13, 14 की बुनियाद पर होना जरूरी है।

## राजस्थान जल साधन विकास निगम

280. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान जल साधन विकास निगम का गठन कब किया गया ?

(2) इसका कार्य क्षेत्र क्या है ?

(3) इसके डाइरेक्टर्स कौन-कौन हैं, तथा बोर्ड की कितनी बैठकें गठन से आज तक हुई है ?

(4) निगम ने अब तक कितने ट्यूबवैल खोदे, तथा कहां-कहां ?

### उत्तर

(1) राजस्थान जल साधन विकास निगम का गठन 25-1-84 को किया गया।

(2) निगम का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान में है ।

(3) निगम के वर्तमान डायरेक्टर्स निम्नानुसार हैं:-

1. श्री गुलाबसिंह शक्तावत, सिंचाई एवं विद्युत मंत्री — अध्यक्ष
2. श्री नरेश चन्द्र, वित्त आयुक्त एवं सचिव — डायरेक्टर्स
3. श्री राजेन्द्र जैन, सचिव, विशिष्ठ योजना संगठन — डायरेक्टर्स
4. श्री बी. राम. सचिव, भूजल विभाग ,,
5. श्री परमेश चन्द्र, विशिष्ठ सचिव, आयोजना — डायरेक्टर्स
6. श्री डी. सी सामन्त, निदेशक, कृषि विभाग — डायरेक्टर्स
7. श्री एस. एल. व्यास, मुख्य अभियन्ता (ओ एण्ड एम) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल — डायरेक्टर्स
8. श्री श्री नारायणसिंह, विधायक, दाता-रामगढ़, सीकर — डायरेक्टर्स
9. श्री महेन्द्र परमार, विधायक, डूंगरपुर ,,
10. श्री विवेक प्रकाश माथुर, मुख्य अभियन्ता, भूजल-मैनेजिंग विभाग — डायरेक्टर्स
11. श्री एस. पी. मेहता एकजीक्युटिव ,,

निगम के गठन के बाद आज तक बोर्ड की चार बैठक हुई है ।

(4) निगम ने अब तक 8 कुओं को भेदन द्वारा गहरा किया है जिनमें से 6 खेतड़ी पंचायत व दो उदयपुरवाटी पंचायत समिति जिला झुन्झुनू में है ।

## बाड़मेर जिले में पेयजल के टैंकर्स

281. **श्री गंगाराम चौधरी**(बाड़मेर): क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में पीने का पानी ढोने हेतु कितने सरकारी टैंकर उपलब्ध हैं ? इनमें से कितने चालू हालत में हैं, व कितने खराब हैं ?

(2) क्या यह सही कि जिले की आवश्यकता देखते हुए सही हालात में टैंकर बहुत कम है ? यदि हां, तो भविष्य में सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि खराब टैंकर गाड़ियों के मरम्मत हेतु सरकार ने समय पर राशि स्वीकृत नहीं की, जिससे गई,

(श्री गंगाराम चौधरी)

माह से पूर्व टैंकर सेवा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में पीने का पानी ढोने हेतु 44 सरकारी टैंकर उपलब्ध हैं इनमें से 15 टैंकर चालू हालत में हैं, व 29 टैंकर खराब हैं।

(2) यह सही है कि वर्तमान विभिन्न स्थानों की संख्या, जहां पेयजल पहुंचाया जा रहा है, को ध्यान में रखते हुए 15 कार्यरत राजकीय टैंकर तथा किराये के 7 प्राइवेट टैंकर जो उपयोग में लिये जा रहे हैं, पर्याप्त हैं।

(3) जी, नहीं।

## पंचायत समिति के अध्यापकों के स्थानान्तरण

282 श्री नारायण सिंह (मालपुरा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में जो अध्यापक कार्यरत हैं उनके स्थानान्तरण का अधिकार केवल प्रधान या विकास अधिकारी को ही है, और इसकी अपील का कोई प्रावधान नहीं है? यदि अपील का प्रावधान है, तो कृपया उस नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कम वेतन भोगी अध्यापकों को एक माह में कितनी ही बार स्थानान्तरण कर दिया जाता है, और स्थानान्तरण रद्द करने हेतु रिश्वत ली जाती है ?

(3) क्या सरकार पंचायत विभाग के अधीन अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु कोई नियम बनायेगी, और इन नियमों में अपील का प्रावधान भी रखेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सेवा के किसी भी सदस्य को पंचायत समिति क्षेत्र में स्थानान्तरण करने का अधिकार विकास अधिकारी को है। स्थानान्तरण के मामले में अपील का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

## भारत निर्मित विदेशी मदिरा के भावों में उतार-चढाव

283 श्री नाथू सिंह (टोडा रायसिंह): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 15 जून, 1985 के पहले जयपुर शहर व जयपुर ग्रामीण के, भारत में बनी विदेशी मदिरा के ठेकेदारों में प्रतिस्पर्धा थी, और उपभोक्ताओं को मदिरा सस्ते दामों पर उपलब्ध होती थी ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जयपुर में दिनांक 15 जून, 1985 से

(श्री नाथूसिंह)

भारत में बनी विदेशी मदिरा के भाव अत्यधिक व अचानक बढाये गये ? यदि हां, तो कितने व क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार इस संदर्भ में कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

## उत्तर

(1) जी हां

(2) 15.6.85 से जयपुर शहर व जयपुर के समीप के ग्रामीण क्षेत्र में भारत में बनी विदेशी मदिरा के भाव एक ही हो गये थे भाव उस भाव से अधिक है जिस दर से कि मदिरा जयपुर के समीप स्थानों पर 15.6.85 से पूर्व थी। भाव की दरों की जानकारी की गई एवं प्रमुख रूप से बिक्री होने वाली मदिरा की दरें संलग्न हैं। भाव बढ़ने का एक मात्र कारण यह रहा है कि जयपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र के ठेकेदारों में प्रतिस्पर्धा थी यह समाप्त हो गई ।

(3) यद्यपि वर्तमान में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बाजार दर निर्धारित करने का प्रावधान नहीं है लेकिन राज्य सरकार ने भारत निर्मित विदेशी मदिरा के संबंध में नीति निर्धारण के लिए एक समिति गठित की है जो मनमाने बाजार दर मुकर्रर करने के विषय पर भी विचार करेगी।

विदेशी मदिरा की दरें 15-6-85 के पहले एवं 15-6-85 के पश्चात्

| नाम मदिरा | 15/6/85 तक बोतल की दरें | | | 15-6-85 के पश्चात् बोतल की दरें |
|---|---|---|---|---|
| | ग्रामेर, सांगानेर, हुरमाड़ा | कोटपुतली शाहपुरा, दूदू, दौसा | जयपुर शहर | ग्रामेर, सांगानेर हुरमाड़ा कोटपुतली, शाहपुरा, दूदू, दौसा व जयपुर शहर अर्थात् राजस्व जिला जयपुर |
| | 1. | 2 | 3. | 4. |
| 1. पीटर स्काट | 100 | 125 | 150 | 160 |
| 2. मैक डॉवल | 55 | 85 | 100 | 105 |
| 3. अरिस्टोक्रेट प्रमियम | 80 | 105 | 120 | 125 |
| 4. रेड नाईट | 60 | 80 | 72 | 105 |
| 5. बैग पाईपर | 40 | 65 | 72 | 85 |
| 6. डिप्लोमैट | 35 | 60 | 68 | 80 |
| 7. एरिस्टोक्रेट | 35 | 60 | 68 | 80 |
| 8. बोनी स्काट | 28 | 55 | 55 | 70 |
| 9. इम्पिरियल | 28 | 55 | 55 | 70 |
| 10. हुरक्यूलस रम | 40 | 65 | 60 | 80 |
| 11. ओल्ड मान्कसरम | 40 | 65 | 60 | 80 |
| 12. केरूज जीन | 28 | 55 | 55 | 70 |
| 13. एरिस्टोक्रेट जीन | 28 | 55 | 55 | 70 |
| 14. बीयर | 10 | 12 | 12 | 13 |

## नागौर में भूजल विभाग अधिशासी अभियंता का कार्यालय कायम करना

284. **श्री दामोदर दास आचार्य** (नागौर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि भू-जल विभाग का अधिशासी अभियंता का नागौर क्षेत्र का कार्यालय जोधपुर ये स्थित है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सरकार उक्त कार्यालय को कब तक नागौर स्थानांतरित करने का विचार रखती है यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी हां । अधिशासी अभियन्ता जोधपुर 2 जिलों के लिये है जोधपुर व नागौर । सहायक अभियन्ता के कार्यालय जोधपुर व नागौर दोनों जगहों पर है । मशीनरी की मरम्मत तथा अन्य सुविधाओं की महत्वता को देखते हुए अधिशासी अभियंता का कार्यालय जोधपुर रखा गया है ।

(2) जी नहीं । कारण ऊपर दर्शा दिए गये हैं ।

## ग्रामीण सड़कों के विस्तार की योजना

285 **श्री अश्क अली** (फतहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों, इस दृष्टि से ग्रामीण सड़कों के विस्तार की कोई योजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूप रेखा है ?

### उत्तर

राज्य सरकार ने 1500 से अधिक जनसंख्या (1971 की जनगणना के अनुसार) सामान्य क्षेत्र में तथा 1000 से अधिक जनसंख्या ट्राइबल क्षेत्रों में गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की एक योजना का प्रारूप तैयार किया है जिसकी अनुमानित लागत करीब 200 करोड़ रुपये है । इनकी क्रियान्विति भविष्य में योजनाओं में धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

## भीलवाड़ा जिले के उद्योग

286. **श्री रामचन्द्र** (बनेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में गत 10 वर्षों में दिनांक 1-1-1975 से 21-12-1984 तक बड़े मध्यम दर्जे के कौन-कौन से उद्योग पंजीकृत किये गये ? उनको अनुदान रूप में कब और कितनी राशि प्राप्त हुई ? इन उद्योगों में से किस-किस उद्योग ने निर्धारित अवधि में उत्पादन प्रारंभ नहीं किया, और अनुदान राशि प्राप्त करने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य सरकार ने क्या इन उद्योगों के विरुद्ध, जिन्होंने आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया कोई कार्यवाही की ? यदि की, तो, क्या-क्या कार्यवाही की गई ? राज्य सरकार ऐसे उद्योगों के विरुद्ध नियमानुसार क्या क्या कार्यवाही करने में सक्षम है ?

(3) यदि आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई तो, क्यों नहीं की गई, और भविष्य में यह कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

## उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में दिनांक 1-1-75 से 31-12-1984 तक अनुदान हेतु पंजीकृत बड़े व मध्यम दर्जे के उद्योगों तथा उनको दी गई अनुदान राशि के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सूची अंकित में अनुदान प्राप्त सभी इकाइयां उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी है तथा एक इकाई के अतिरिक्त सभी ईकाइयों द्वारा अनुदान प्राप्त करने की शर्तों की पूर्ण पालना की गई है।

(2) अनुदान राशि नियमों में स्पष्ट प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक शर्ते पूर्ण करने के पश्चात ही वितरीत की गई है। मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल के अलावा अन्य किसी भी ईकाई द्वारा आवश्यक शर्तों का उल्लंघन का मामला ध्यान में नहीं आया है मेवाड़ टैक्टाइल्स् मिल सहायता उपक्रम घोषित है तथा राज्य सरकार सम्बन्वित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं प्रवर्तकों के सहयोग से इसको यथा शीघ्र पुनः चालू करने हेतु प्रयत्नशील है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

## सूची

**भीलवाड़ा जिलें के माध्यम वर्ग के उद्योग 15% केन्द्रीय अनुदान वितरण किये गये जिसकी सूचना** (1-1-75 से 31-12-84)

| क्र. सं. | उद्योग का नाम | अनुदान पजीजरण सं. व दिनांक | वितरण की राशि | उत्पादनरत | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | मै. मिनरल डवलपमेंट सिन्डीकेट प्रा. लि. भीलवाड़ा | 217/29-1-75 | 94314.00 | उत्पादनरत | उद्योग विभाग द्वारा |
| | | 389/15-12-77 | 57208.00 | ” | ” |
| | | 1479/14-11-80 | 163030.00 | ” | ” |
| | | 1713/28-12-81 | 242500.00 | ” | ” |
| 2. | मै. महावीर इंसूलेशन प्रा. लि. | 120/30-8-72 | 133491.00 | ” | ” |
| | | 843/9-8-74 | 45077.00 | ” | ” |
| | | 457/2-7-79 | 89891.00 | ” | ” |
| 3. | मै. भीलवाड़ा वूलन मिल्स, भीलवाड़ा | 245/4-9-73 | 108198.00 | ” | ” |
| | | 304/30-4-76 | 89434.00 | ” | ” |
| | | 369/3-8-77 | 18897.00 | ” | ” |
| | | 428/17-8-77 | 204127.00 | ” | ” |
| | | 428/17-7-78 | 234219.00 | ” | ” |

351

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | मै भीलवाड़ा सिल्क मिल्स, भीलवाड़ा | 260/28-11-75 | 402883.00 | उत्पादनरत | उद्योग विभाग द्वारा |
| 5. | मै. राज. स्पनिंग एवं विविंग मिल्स, | 286/10-3-76 | 742749.00 | " | " |
| | भीलवाड़ा | 360/25-4-77 | 659246.00 | " | " |
| | | 440/25-12-78 | 157157.00 | " | " |
| 6. | मै. प्रेम मेटल्स एण्ड मिनरल प्रा. लि., | 515/1981 | 852367.00 | " | " |
| | भीलवाड़ा | 515/1981 | 553070.00 | " | " |
| 7. | मै. सुनिल टैक्सटाइल्स मिल्स लि., | — | 1390950 | " | रीको द्वारा |
| 8. | मै. भीलवाड़ा वूलटैक्स लि. | — | 972750 | " | " |
| 9. | मै. राज प्रोसेसर्स लि. | — | 1500000 | " | " |
| 10 | मै. अरुण माइका इण्ड. लि. | — | 854100 | " | " |
| 11. | मै. गौतम प्रोसेसर्स (इण्डिया) लि. | — | 843450 | " | " |
| 12. | मै. मार्डन वूलन लि. | 283/24-2-76 | 1500000 | " | राज. वित्त निगम द्वारा |
| 13. | मै. मेवाड़ टैक्सटाइल्स लि. | — | 1500000 | बन्द है | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | मै. भीलवाड़ा प्रोसेर्स लि.; | 272/13-2-76 | 1500000 | उत्पदनरत | राज. वित्त निगम द्वारा |
| 15. | मै. जगेटिया पेपर मिल्स प्रा. लि. | - | 973000 | ,, | ,, |
| 16. | मै. राज. बनस्पती प्रोडेक्ट लि. | - | 817400 | ,, | ,, |
| 17. | मै. भीलवाड़ा सिन्थेटिक्स लि. | - | 746600 | ,, | ,, |
| 18. | मै. कानोड़िया रबर्स प्रा. लि. | - | 551000 | ,, | ,, |

## अजमेर में महिला पोलीटेक्निक संस्थान खोलना

287. **श्री राजकुमार जैयपाल** (अजमेर पूर्व) : क्या तकनीकी शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या एक महिला पोलीटेक्निकल संस्थान खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या सरकार ने इस हेतु अजमेर की उपयुक्तता पर विचार किया है ?

(3) क्या यह सही है कि अजमेर में छात्रों का पोलीटेक्निक संस्थान होने से छात्राओं के पोलीटेक्निक खोलने एवं उसे चलाने में कम व्यय होगा ?

(4) क्या सरकार यह संस्थान अजमेर में खोलने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) वर्ष 1985-86 के दौरान महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(2) प्रश्न 1 के अनुसार कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी, नहीं महिला पोलीटेक्निक और छात्र पोलीटेक्निक में अलग-अलग पाठ्यक्रम है, अतः यह कहना सही नहीं है कि छात्रों का पोलीटेक्निक होने की वजह से छात्राओं के पोलीटेक्निक खोलने पर कम व्यय आयेगा।

(4) इस वर्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## विद्युत मण्डल को सिस्टम लासेज के रूप में हानि

288. **श्री मोहन छंगाणी** (फलौदी)

**श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी)

**श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा)

**सुश्री गिरजा व्यास** (उदयपुर)

**श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य विद्युत मण्डल को सिस्टम लासेज के रूप में अब तक कुल कितनी राशि की हानि हो चुकी है, तथा गत 5 वित्तीय वर्षों में कितनी-कितनी ?

(2) गत वित्तीय वर्षों में राज्य के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध हुई बिजली कितनी-कितनी थी, तथा उसमें से सिस्टम लासेज के रूप में कितनी बिजली की हानि हुई, और प्रत्येक वर्ष यह हानि कुल बिक्री के लिए उपलब्ध बिजली की कितनी प्रतिशत रही ?

(3) देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के सिस्टम लासेज का प्रतिशत गत 5 वर्षों मे कितना-कितना रहा है ? क्या यह अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) सिस्टम लासेज कम करने के लिए मण्डल ने क्या कदम उठाये हैं, और मण्डल को कहां तक सफलता मिली है ?

(5) अन्य राज्य के मुकाबले प्रति मेगावाट जनरेशन पर राजस्थान बिजली बोर्ड

(श्री मोहन छंगाणी)

में जे. ई. एन., ऐ. ई. एन. तथा अन्य उच्चाधिकारियों के कितने पद अधिक है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को विगत 10 वर्षों में सिस्टम लॉसेज से हुई कुल यूनिट हानि का वर्ष वार ब्योरा बताते हुए तालिका 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है। उक्त तालिका में गत 5 वित्तीय वर्ष (1979–80 से 1983–84) के आंकड़े भी दर्शा दिये गये हैं। सिस्टम लासेज से हुई हानि का रुपयों में सही आंकलन सम्भव नहीं है।

(2) वांछित सूचना दर्शाते हुए तालिका 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के सिस्टम लासेज का प्रतिशत बताते हुए तालिका 'स' सदन के पटल पर रख दी गई है। राज्य में सिस्टम लासेज के ज्यादा होने के मुख्य कारण निम्न हैं:–

1. अन्तर्राज्यीय विद्युत केन्द्रों से उत्पादित बिजली की लम्बी दूरी की प्रसारण प्रणाली में प्रवाहित होना एवं अपर्याप्त विद्युत प्रसारण प्रणाली का होना।
2. कृषि क्षेत्र में विद्युत उपभोग का प्रतिशत अधिक होना।
3. कृषि क्षेत्र में उपकरणों का कम पावर फेक्टर, केपेसिटर्स का स्थापित न करना।
4. राज्य में अपर्याप्त उप–प्रसारण एवं वितरण प्रणाली।
5. विद्युत की चोरी।
6. लोड स्टेगरिंग से डाइवरसिटी का कम होना।

(4) मण्डल द्वारा सिस्टम लासेज को कम करने हेतु निम्नांकित कदम उठाये गये, जिससे तन्त्र क्षति जो वर्ष 1980–81 में 26 प्रतिशत थी घट कर वर्ष 1983–84 में 23.40 प्रतिशत हो गई।

1. अतिरिक्त उच्च प्रसारण लाइनों एवं सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि।
2. उप-प्रसारण तन्त्र में वृद्धि।
3. ग्रिड सब स्टेशनों एवं 33 के. वी. सब स्टेशनों पर केपेसिटरों की स्थापना एवं पुराने बन्द पड़े केपेसिटरों को सुधार कर चालू किया गया।
4. बिजली की चोरी की रोक-थाम हेतु सतर्कता दस्तो द्वारा छापे।
5. बन्द मीटरों को बदलने के कार्य में गति।
6. ओवर लोडेड भार केन्द्रों में अधिक क्षमता एवं नये भार केन्द्र बना कर राहत।
7. औद्योगिक एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिये केपेसिटर का उपयोग अनिवार्य किया जाना।

(5) अन्य राज्यों के आंकड़ें उपलब्ध नहीं है। अतः तुलनात्मक स्थिति बताना सम्भव नहीं है।

355



तालिका "अ"

## सिस्टम लासेज से पिछले 10 वर्षों में हुई हानि

| वर्ष | प्रसारण एवं वितरण में क्षति (दस लाख यूनिट में) |
|---|---|
| 1974-75 | 666.64 |
| 1975-76 | 623.97 |
| 1976-77 | 685.36 |
| 1977-78 | 752.28 |
| 1978-79 | 818.67 |
| 1979-80 | 1001.26 |
| 1980-81 | 1143.67 |
| 1981-82 | 1145.59 |
| 1982-83 | 1234.18 |
| 1983-84 | 1518.18 |

परिशिष्ट "ब"

| | मद | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-83 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राज्य के भीतर बिक्री हेतु उपलब्ध बिजली (मि. यू. में) | 3970.252 | 3962.380 | 4162.451 | 4336.113 | 5416 004 |
| 2. | राज्य के भीतर सिस्टम लोसेज के रूप में बिजली की हानि (मि. यू. में) | 1001.257 | 1053.419 | 1031.050 | 1067.324 | 1267.294 |
| 3. | बिक्री हेतु उपलब्ध बिजली पर हानि का प्रतिशत | 25.22 | 26.06 | 24.77 | 24.61 | 23.40 |

तालिका "स"

## अन्य राज्यों में सिस्टम लासेज

| क्र. सं. | राज्य का नाम | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 22.39 | 22.00 | 23.10 | 23.10 | 21.40 |
| 2. | आसाम | 19.23 | 19.46 | 20.08 | 20.00 | 20.28 |
| 3. | बिहार | 24.53 | 22.30 | 24.08 | 23.15 | 22.19 |
| 4. | गुजरात | 16.71 | 19.79 | 20.06 | 21.06 | 21.70 |
| 5. | हरियाणा | 21.00 | 21.50 | 19.20 | 19.20 | 18.70 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 18.55 | 19.10 | 18.66 | 18.07 | 18.80 |
| 7. | जम्मू एवं काश्मीर | 47.01 | 51.14 | 44.50 | 41.40 | 40.38 |
| 8. | कर्नाटक | 20.97 | 22.43 | 21.57 | 21.27 | 21.47 |
| 9. | केरल | 15.90 | 14.24 | 5.59 | 22.81 | 20.00 |
| 10. | मध्यप्रदेश | 22.40 | 21.83 | 21.61 | 20.47 | 19.45 |
| 11. | महाराष्ट्र | 16.10 | 16.12 | 15.30 | 15.14 | 14.84 |
| 12. | मेघालय | 4.30 | 9.10 | 8.00 | 7.01 | 7.50 |
| 13. | उड़ीसा | 18.30 | 18.13 | 18.14 | 18.00 | 18.00 |
| 14. | पंजाब | 22.50 | 20.03 | 19.95 | 19.46 | 19.26 |
| 15. | राजस्थान | 25.22 | 26.06 | 24.77 | 24.61 | 23.4 |
| 16. | तमिलनाडु | 18.93 | 18.89 | 18.85 | 18.80 | 18.75 |
| 17. | उत्तर-प्रदेश | 18.93 | 15.82 | 18.90 | 18.90 | 18.08 |
| 18. | पश्चिमी बंगाल | 12.29 | 14.00 | 15.56 | 19.89 | 19.00 |
| 19. | अखिल भारतीय | 20.44 | 20.50 | 20.77 | 20.88 | 21.00 |

## इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की लिफ्ट सिंचाई योजनायें

289. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (लूणकरणसर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी मुख्य नहर से कितनी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (नहर) पर कार्य चल रहा है कृपया नहर प्रणालीवार प्रस्तावित धनराशि, नक्शे की सत्य प्रति, सिंचाई क्षेत्र क्षमता, उदघाटन स्थल और तिथि आदि का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) उपरोक्त योजनाओं में किस-किस योजना पर कितनी धन राशि के व्यय का प्राक्कलन किया गया है ?

(3) वर्ष 1984-85 में उक्त प्रणालियों पर नहरवार कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई, तथा मार्च, 1985 तक कितना-कितना कार्य सम्पन्न हुआ ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) वर्ष 1985-86 में उक्त प्रणाली पर कितनी राशि नहरवार व्यय किया जाना प्रस्तावित है ?

(5) योजनानुसार यह नहरें किस वर्ष तक पूर्ण होना प्रस्तावित हैं ?

### उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी मुख्य नहर से पांच लिफ्ट सिंचाई योजनाओं क्रमशः साहवा, गजनेर कोलायत, फलोदी व पोकरण पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान स्वरूप के अनुसार प्रणालीवार वर्ष 1985–86 में प्रस्तावित धनराशि, सिंचाई क्षेत्र, उद्घाटन स्थल की सूचना निम्नानुसार है :—

| क्र. सं. | योजना का नाम | प्रस्तावित बजट राशि 1985-86 (करोड़ रुपये) | सिंचित क्षेत्र (हेक्टर में) | उद्घाटन स्थल | उद्घाटन तिथी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | साहवा लिफ्ट | 2.16 | 97049 | | |
| 2. | गजनेर लिफ्ट | 0.40 | 49537 | | |
| 3. | कोलायत मय बागडसर लिफ्ट | 0.25 | 86256 | ग्राम मडियाला | 13-11-84 |
| 4. | फलोदी लिफ्ट | 9 94 | 56750 | | |
| 5. | पोकरण लिफ्ट | 0.25 | 22700 | | |
| | कुल | 13.00 | 3,12292 | | |

नक्शा कमाण्ड क्षेत्र की सर्वे पूर्ण हो जाने पर तैयार किया जा सकेगा.

359



(2) विभिन्न लिफ्ट योजनाओं को सन् 1984 के आधार पर अनुमानित लागत का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

| क्र. सं. | लिफ्ट योजना का नाम | अनुमानित लागत |
|---|---|---|
| 1. | साहवा लिफ्ट योजना | 97.58 करोड़ रुपये |
| 2. | गजनेर लिफ्ट योजना | 50.36 करोड़ रुपये |
| 3. | कोलायत मय बागडसर लिफ्ट योजना | 79.78 करोड़ रुपये |
| 4. | फलोदी लिफ्ट योजना | 48.42 करोड़ रुपये |
| 5. | पोकरण लिफ्ट योजना | 23.76 करोड़ रुपये |
| | कुल योग | 299.90 करोड़ रुपये |

(3) वर्ष 1984—85 में मदवार खर्च निम्नानुसार है :—

1984-85 तक वास्तविक व्यय (रुपये लाखों में)

| क्र. सं. | मद | साहवा लिफ्ट | कोलायत लिफ्ट | गजनेर लिफ्ट | फलोदी लिफ्ट | पोकरण लिफ्ट | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सर्वे कार्य एवं रेक्टेंगुलेशन | 4.39 | 0.40 | 0.65 | 1.06 | 1.00 | 7.50 |
| 2. | नहर की मिट्टी खुदाई का कार्य | 2.14 | 5.02 | 0.80 | 1.61 | 1.61 | 11.18 |
| 3. | मशीन एवं औजार | 0.53 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.90 |
| 4. | वाहनों का रख-रखाव | 1.26 | 0.90 | 0.67 | 0.20 | 0.17 | 3.20 |
| 5. | उचन्त | 10.26 | 11.23 | — | 4.00 | 3.26 | 28.72 |
| | कुल | 18.55 | 17.75 | 2.22 | 6.91 | 6.07 | 51.50 |

मिट्टी का कार्य निम्नानुसार किया गया :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष 1984-85 में किये गये कार्य का विवरण | | 52219 घनमीटर | 40757 घनमीटर | 5425 घनमीटर | 38087 घनमीटर | 12699 घनमीटर | 148187 घनमीटर मिट्टी का कार्य |

(4) वर्ष 1985-86 के लिए कुल 50 करोड़ के आवंटित धन में से पांच लिफ्ट योजनाओं हेतु 13 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान निम्नानुसार रखा गया है :—

| क्र. सं. | लिफ्ट योजना | प्रस्तावित व्यय (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 1. | साहबा | 2.16 |
| 2. | गजनेर | 0.40 |
| 3. | कोलायत | 0.25 |
| 4. | फलौदी लिफ्ट | 9.94 |
| 5. | पोकरण | 0.25 |
| | कुल | 13.00 |

(5) 1984 के प्रस्तावित प्राक्कलन के अनुसार आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर लिफ्ट नहरें 1994-95 तक पूर्ण होने का अनुमान है।

लिफ्ट योजनाओं का नया स्वरूप स्वीकृत होने पर, निर्माण कार्यक्रम का पुनावलोकन किया जावेगा ।

## जीरोसेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन

290. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रावैधिक शिक्षा मंडल, जोधपुर ने जीरो सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन दिनांक 20-5-1985 से 29-5-1985 के बीच करने की सूचना जारी की थी? यदि हां, तो क्या ये परीक्षाएं घोषित अवधि के बीच में हुई? यदि हां, तो क्यों व अब उक्त परीक्षाएं कब करवाई जावेंगी?

(2) क्या यह सही है कि राज्य के पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में चल रहा अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सरकार ने पिछले वर्ष से बंद कर दिया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं?

(3) अंशकालीन पाठ्यक्रम के जीरो सिमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन समय पर न करने से किस-किस महाविद्यालय के कितने-कितने छात्र प्रभावित हुए?

(4) अंशकालीन पाठ्यक्रमों में कितने-कितने छात्रों को किस-किस महाविद्यालय में भर्ती किया जाता है?

### उत्तर

(1) जी हां, जीरो सेमेस्टर की परीक्षायें घोषित समय पर नहीं हुई क्योंकि इस सेमेस्टर की परीक्षाओं से काफी समय से पूर्व जनवरी, 1985 में ही पार्ट टाइम पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया था अतः माह मई में कोई भी छात्र परीक्षा में बैठने के लिये उपलब्ध नहीं था।

(2) जी हां। अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम वर्ष, 1985-86 से बन्द कर दिया गया है इसके निम्न कारण हैं:-

1. अंशकालीन पाठ्यक्रम इंजिनियरिंग व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों का शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के अवसर प्रदान करने के लिये चलाया गया था।

2. पिछले वर्षों के अनुभव से यह मालूम हुआ है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में शुरू में प्रवेश पाये 15 छात्रों (एक यूनिट 15 का होता है) में से अन्तिम वर्ष तक केवल एक या दो छात्र ही रह जाते थे अतः यह पाठ्यक्रम महंगा पड़ता था और वांछनीय उपलब्धियां भी नहीं होती थी।

3. अंशकालीन पाठ्यक्रम के बन्द करने से जो कमी हुई है उसे सातवीं योजना में वर्तमान संस्थाओं में प्रवेश क्षमता बढ़ाकर पूरी करने का प्रस्ताव है।

(3) जीरो सेमेस्टर में जब प्रवेश ही नहीं हुआ तो किसी छात्र के प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) वर्तमान में यह पाठ्यक्रम बन्द कर दिया गया है।

## गंगानगर लिंक चैनल

291. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री केदारनाथ).

(1) गंगानगर लिंक चैनल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ ?

(2) गत वर्ष इस पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(3) इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ?

## उत्तर

(1) कार्य दिनांक 28-9-83 को प्रारम्भ किया गया है।

(2) गत वर्ष (वर्ष 1984-85) में कुल व्यय 428.33 लाख रुपये हुआ है।

(3) मार्च, 1988 तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

## उद्योगों के लिये जारी आशय पत्र

292. सुश्री पुष्पा जैन (पाली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 1 अप्रैल, 1980 से लेकर अब तक प्रति वर्ष किस-किस प्रकार के उद्योग के लिए कितने कितने आशय पत्र जारी किये गये ?

(2) इन आशय पत्रों के आधार पर किन-किन व्यक्तियों ने उद्योगों के लिए लाइसेन्स प्राप्त किये ?

(3) जिन-जिनने लाइसेंस प्राप्त किये उनमें से किन-किन लोगों ने कहां-कहां, कब, कितनी-कितनी पूंजी का विनियोजन कर लाइसेन्स के अनुसार उद्योग चालू किया है ?

(4) कितने उद्योगों में उत्पादन चालू हो गया ?

(5) कितने आशय पत्रों व लाइसेन्स पर अभी तक के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

## उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1980 से अब तक प्राप्त कुल 222 आशय पत्रों की स्थिति निम्न है:-

| वर्ष | आशय पत्रों की संख्या |
|---|---|
| 1980-81 | 54 |
| 1981-82 | 44 |
| 1982-83 | 50 |
| 1983-84 | 39 |
| 1984-85 | 32 |
| 1985-86 (अब तक) | 3 |

उद्योगवार एवं वर्षवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इन आशय पत्रों के आधार पर जिन जिन व्यक्तियों ने उद्योगों के लिये लाइसेन्स प्राप्त किये, उनका अंकन सूची के कॉलम संख्या 6 पर दर्शाया गया है। इसके अनुसार इस अवधि में प्राप्त आशय पत्रों में से 35 व्यक्तियों को लाइसेन्स मिला है।

(उद्योग मन्त्री)

(3) उक्त अवधि में प्राप्त आशय पत्रों के आधार पर प्राप्त लाइसेन्सधारियों द्वारा चालू किये गये उद्योगों का स्थान, उत्पादन प्रारम्भ करने का वर्ष एवं उनमें सम्भावित पूंजी विनियोजन का अंकन क्रमशः सूचि के कॉलम संख्या 3,7 व 8 में है।

(4) इस अवधि में प्राप्त आशय पत्रों में से जिन जिन ने लाइसेन्स प्राप्त किये हैं उनमें से 10 व्यक्तियों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। जिसका अंकन सूची के कॉलम संख्या 7 में कर दिया गया है।

(5) जिन जिन आशय-पत्रों पर उद्यमियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, उनको भारत सरकार ने समय समय पर निरस्त किया है, जिनका अंकन सूची के कॉलम संख्या 6 पर दर्शाया गया है। इस अवधि में रद्दशुदा आशय पत्र 48 रहे हैं।

वर्ष 1980–81

सूची

| क्र. सं. | व्यक्ति/ईकाई का नाम | स्थान | उत्पादन का नाम | आशय पत्र संख्या/दिनांक | आशय पत्र की क्रियान्विति। | लाईसेन्स की क्रियान्विति। | विनियोजन लाख रु. में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | मै. पेस्टीसाइडस इण्डिया लिमिटेड, पोष. मेवाड़ ओइल एण्ड जनरल मिल्स, | उदयपुर | 1–वेंथियोंकार्ब 2–कार्बोफुरन | 183(80) 26-5-80 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 2. | मै. ओरमिरोड्स इण्डिया (प्रा) लिमिटेड, पी.बी.नं. 410, बम्बई-1 | सवाई माधोपुर | एसबेसटोज सीमेंट शीट्स रीफाई शीट्स | 87(80) 16-4-80 | निरस्त किया गया। | | |
| 3. | मै. वेस्टर्न इण्डियन स्टेट मोटर्स लिमिटेड, जोधपुर। | जोधपुर | ओक्सीजन नाइट्रोजन डिजोल्ड ऐसेटिलिन | 109 (80) 18-4-80 | निरस्त किया गया। | | |
| 4. | मै पियोनियर लिमिटेड विधान सभा मार्ग, लखनऊ | भिवाड़ी (अलवर) | बुल्क ड्रग्स एम्पीसिलिन | 122 (80) 18-4-80 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | क्रियान्विति के चरण में। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | श्री चेला राम गुप्ता ग्रीन पार्क, नई दिल्ली | भिवाड़ी (अलवर) | इण्डस्ट्रीयल फ्लो मीटर्स व ओरिफिस प्लेट्स व फ्लो नोजल्स । | 212(80) 10-6-80 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 6. | मै एच. एम. मलहोत्रा एवं वी. के. मलहोत्रा, ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली । | भिवाड़ी (अलवर) | लीकर इम्लशन, ब्यूटी रेट सोलवेन्ट, फिलर व एक्रिलिक इम्लशन । | 260(80) 18-6-80 | निरस्त किया गया । | | |
| 7. | श्री वी. पी. गुप्ता, राजेन्द्र पेलेस, नई दिल्ली । | भिवाड़ी (अलवर) | एसबेसटोज सीमेंट सीट्स एव माउल्डेड कम्पोनेट् | 238(80) 16-10-80 | निरस्त किया गया । | | |
| 8. | श्री लक्ष्मी चेमेरिया, 2, एलीपोर पार्क पैलेस, कलकत्ता । | सीकर | कोलोटेड एवं सेमी-कोलोटेड एसबेसटोज सीमेंट शीट्स एवं कम्पोनेन्ट्स माउल्ड | 257(80) | निरस्त किया गया । | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | मै. अशोक लिलैण्ड लिमिटेड इन्नौर मद्रास। | अलवर | मिडियम ड्यूटी डीजल इन्जिन कोमरसियल वीकल्स | 303 (80) 11-7-80 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | उत्पादन वर्ष 1982 से प्रारम्भ। | 826 |
| 10. | श्री बी. पी. अग्रवाल, राजेन्द्र पेलेस, नई दिल्ली। | भिवाड़ी (अलवर) | इंजेक्शन माउल्डेड प्लास्टिक गुड्स | 327 (80) 26-7-80 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 11. | श्री प्रेमिल एन. कपाडिया, जमशेदजी टाटा रोड, बम्बई | राजस्थान | ग्वार गम स्पलिस्ट्स | 278 (80) 1-7-80 | क्रियान्विति के चरण में | | |
| 12. | श्री स्टरलिंग लेब्रोरेट्रीज़(प्रा) लि; बहादुर रोड, दिल्ली | भिवाड़ी (अलवर) | एम्पीशिलिन ट्राईहाईड्रेड | 293(80) 7-7-80 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | क्रियान्विति के चरण में। | |
| 13. | मै. देहली क्लोथ एवं जनरल मिलर्स कंपनी लि., बारा खम्बा रोड, नई दिल्ली। | लाडपुरा (कोटा) | पोर्ट लेण्ड सीमेन्ट | 302(80) 11-7-80 | क्रियान्विति के चरण में | | |
| 14. | श्री बी.आर. भाटी, डी. एल. खान रोड, कलकत्ता। | भिवाड़ी (अलवर) | एक्सरे इक्युपमेंट | 403 (80) 27-8-80 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | क्रियान्विति के चरण में | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर। | जोधपुर | गिलेटिन एवं डिकॅलसियम फोसफेट | 403(80) 27-8-80 | निरस्त किया गया। | | |
| 16. | मै. मधुवर केमिकल्स एवं फर्टीलाईजर लिमिटेड उदयपुर। | मावली (उदयपुर) | प्रोलियम, स्टेबलिशड लिक्वीड क्लोरो सल्फरिक एसिड | 415(80) 27-8-80 | क्रियान्वित के के चरण में। | | |
| 17. | मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर। | कोटा | केलसीयम कार्बाइड | 445 (80) 30-8-80 | निरस्त किया गया। | | |
| 18. | मै. एम. एस. राजपुरोहित, ईस्ट कलकत्ता। | आबू रोड (सिरोही) | पोर्ट लेण्ड सीमेंट | 393 (80) 27-8-80 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 19. | मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर। | गोटन नागौर | व्हाईट सीमेंट | 400 (80) 27-8-80 | क्रियान्विति के चरण में | | |
| 20. | मै. जे. के. सिन्थेटिक लिमिटेड, कमला टावर, कानपुर। | बिगोद (कोटा) | पार्टलेण्ड सीमेन्ट | 410 (80) 27-8-80 | क्रियान्विति के चरण में। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | श्री शुभकरण जैन, राजेन्द्र पेलेस, नई दिल्ली । | भिवाड़ी (अलवर) | रिग्ड पी. वी. सी. प्रो-फाइन्स माउल्ड प्रोडेक्टस | 505 (80) 30-9-80 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 22. | मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर । | भरतपुर | मालेसिस चनहाईड्रिड | 485 (80) 25-9-80 | निरस्त किया गया । | | |
| 23. | मै. देहली क्लोथ एवं जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली । | लाडपुरा (कोटा) | केलशियम कार्बाइड | 592 (80) 31-.0-80 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 24. | मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एव विनियोजन निगम, जयपुर । | उदयपुर | सिन्थेटिक डिटरजेन्ट्स | 652 (80) 18-11-80 | निरस्त किया गया । | | |
| 25. | श्री प्रताप सिंह भण्डारी, लाजपत नगर, नई दिल्ली । | अलवर | एच.पी./एल.पी सिलेण्डर वाल्वस रेगूलेटरर्स । | 653 (80) 18-11-80 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 2;9 | श्री रमेश जी. भाटिया, बनी पार्क, जयपुर । | भरतपुर | ओक्सीजन, नाइट्रोजन, डिजोल्ड एसीटिलीन | 632 (80) 10-11-80 | निरस्त किया गया । | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | श्री यतीन्द्र के. अग्रवाल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली । | भिवाडी (अलवर) | फोगर्ड हैण्ड टूल्स/ स्मोल टूल्स । | 642(80) 15-11-80 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 28. | श्री दिवान चन्द्र जैन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली । | भिवाडी (अलवर) | फोगर्ड हैण्ड टूल्स/ स्माल टूल्स । | 648(80) 15-11-80 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 29. | मैसर्स पैब फोर्ज इन्जिनियरिंग गनेश चन्द्र एवेन्यू, कलकता । | भिवाडी (अलवर) | स्क्रू कोपलिंग फोर रेल्वे वेगन, अनम्प्रीनड कलोज्ड डाई स्टील फोरगिग्स ओपन फोरगिग्स | 630(80) 10-11-80 | निरस्त किया गया । | | |
| 30. | श्री सी.जी. बजोरिया, मोती डूंगरी रोड, जयपुर । | जयपुर | एल डी.पी.ई. को-एक्सटूडेड पोलिथिलिन फिल्म | 748(80) 8-12-80 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 31. | मै. जे के. सिन्थेटिक लिमिटेड, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली | कोटा | पोलिस्टर फिलामेंट यार्न | 734(80) 4-12-80 | लाइसेन्स में परिवर्तित । | क्रियान्विति के चरण में । | |
| 32. | मै. हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड, नारीमन पोइन्ट, बम्बई-21 | मालवी (उदयपुर) | पोटलैण्ड सीमेन्ट | 761(76) 9-12-8– | क्रियान्वित के चरण में । | | |
| 33. | मै. राठी एलाय एवं स्टील्स मिल्स, देहली—32 | अलवर | टेनशिल वायर रोड्स (महाराष्ट्र से अलवर स्थानान्तिरित) | 411(77) 30-11-77 | क्रियान्वित के चरण में । | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | मै. श्री ए. चन्दरा, करोल बाग, देहली–5 | भिवाड़ी, (अलवर) | मल्टीलायर प्लास्टिक एक्सटूडेड शीट्स थर्मोप्लाटिक लेमिनेटस फिल्म । | 860 (80) 31-12-80 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 35. | श्री शुशील कुमार गुप्ता, बाराखम्बा रोड देहली-11 | भिवाड़ी, (अलवर) | मल्टीप्लायर प्लास्टिक शीट्स मल्टीप्लायर प्लास्टिक फिल्म वेकुम फोरमिंग प्रोडक्ट्स । | 871 (80) 31-12-80 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 36. | श्री कृष्ण गोपाल बजीरिया, मोती डूंगरी रोड, जयपुर । | बहरोड़ (अलवर) | पी.वी.सी. प्रोपअइल्स | 875 (80) 31-12-80 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 37. | श्री सुधीर कुमार जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली । | भिवाड़ी, (अलवर) | पी.वी.सी. प्रोपअइल्स | 873 (80) 31-12-80 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 38. | श्री विजय कुमार वैश्य बसन्त पार्क चेम्बर, बम्बई–71 | झालावाड़ | एसबेसटीज प्रेसर पाइस | 917 (80) 31-12-80 | निरस्त किया गया । | | |
| 39. | मै. इन्डो नेशनल लिमिटेड, माउण्ड रोड, मद्रास । | अलवर | ड्राई बेटरी सैल्स | 923 (80) 31-12-80 | निरस्त किया गया । | | |
| 40. | मै. पेस्टीसाईड्स इण्डिया, प्रोपट् मेवाड़ ओइल एवं जनरल लिमिटेड, उदयपुर । | गिरबा मिल्स (उदयपुर) | क्लेरोपिरिफोश | 850 (80) 31-12-80 | लाइसेन्स में परिवर्तित । | क्रियान्विति के चरण में । | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर। | हरमाड़ा, (जयपुर) | कण्डोम्स | 885 (80) 31.12.80 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 42. | मैं. खेतान बियरिंग कम्पनी, चर्च रोड, जयपुर। | जयपुर | बाल बियरिंग टेपर रोलिंग बियरिंग | 825 (80) 30.12.80 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 43. | श्री आर. पी. खेतान, ग्रेटर कैलाश, जयपुर। | अलवर | इलेक्ट्रोलिटिक केपेसिटर्स पोटेनशिओमीटर्स गेन्ग कन्डेनसर्स | 898 (80) 31.12.80 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 44 | श्री आर. एस. शर्मा, धरमतोल्ला रोड, ईस्ट बंगाल। | भिवाड़ी अलवर | पी. वी. सी. एक्ट्रूडेड प्रोफाइल्स | 820 (80) 29.12.80 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 45. | सतलज कोटन मिल्स लि., (मैं. राज. टेक्सटाइल्स मिल्स) झालावाड़। | झालावाड़ | कोटन यार्न | 665 (80) 28.11.80 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | उत्पादन वर्ष 1983 से प्रारम्भ। | 625 |

(371)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | श्री नरेश चन्द्र जैन, नई दिल्ली। | अलवर | फ्लोरोसेन्ट ट्यूबलाइट्स | 31 (81) 17.2.81 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 47. | श्री संजीव कुमार जैन, नेहरू पेलेस, नई दिल्ली। | अलवर | गिलेटिन एवं डिकालसियम फोसफेट | 59 (81) 26.2.81 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 48. | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर। | जयपुर | टू वे रेडियो कोम्यूनिकेशन एण्ड अलाइड इक्यूपमेंट | 172 (81) 31.3.81 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | उत्पादन वर्ष 1983 से प्रारम्भ। | 30 |
| 49. | मै. कोलगेट पालमोलिव (इण्डिया) लि. बम्बई। | उदयपुर | सिन्थेटिक डिटरजेन्ट्स | 94 (81) 17.3.81 | निरस्त किया गया। | | |
| 50. | मै. साम्भर साल्ट्स लि. अशोक मार्ग, जयपुर। | साम्भर आबू रोड | कास्टिक सोडा, लिक्वीड क्लोरिन एवं हाइड्रोकोलिक एसिड। | 154 (81) 31.3.81 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 51. | श्री जे. एन. जाजू बनी पार्क, जयपुर। | डीडवाना (नागौर) | कास्टिक सोडा, लिक्वीड क्लोरिन हाइड्रोक्लोरिन एसिड, क्लोरिन गैस एवं केलशियम हाइपोक्लोराइट | 162 (81) 31.3.81 | राज्य से बाहर स्थानान्तरित। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | मै. भोरुग्राम टेक्सटाइल एण्ड वूलन इण्डस्ट्रीज लि., सादलपुर, चुरू। | सादलपुर (चुरू) | प्रोसेसिंग ग्राफ कोटन एवं आर्ट सिल्क फैब्रिक्स | 119 (81) 25.3.81 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 53. | श्री चन्द्र प्रकाश कनोई राजेन्द्रनाथ मुखर्जी रोड, कलकत्ता। | शम्भुपुरा चित्तौड़गढ़ | पोर्ट लैण्ड सीमेन्ट | 143 (81) 31.3.81 | निरस्त किया गया। | | |
| 54. | श्री कुशाल-चन्द्र सुराना राज मन्दिर सिनेमा, जयपुर। | आबूरोड (सिरोही) | पोर्ट लैण्ड सीमेन्ट | 183 (81) 31.3.81 | निरस्त किया गया। | | |
| **वर्ष** : 1981-82 | | | | | | | |
| 1. | मै. पी. जी. फोइल्स लि., पाली मारवाड़। | रायपुर पाली मारवाड़ | एल्यूमूनियम फोइल स्टौक एवं एल्यूमूनियम शीट्स कोइल्स | 227 (81) 22.4.81 | निरस्त किया गया। | | |
| 2. | मै. जे. के. सिन्थेटिक लि. कमला टावर, कानपुर। | चित्तौड़गढ़ | पोर्टलैण्ड सीमेन्ट | 216 (81) 18.4.81 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 3. | मै टेलेट्रव इलेक्ट्रोनिक्स (प्रा.) लि. गाजियाबाद। | भिवाड़ी (अलवर) | ब्लेक एवं व्हाइट टी.वी. पिक्चर ट्यूब्स | 237 (81) 1.5.81 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | उत्पादन वर्ष 1983 से प्रारम्भ। | 474 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | मै. जे. के. सिन्थेटिक्स लि. कमला टावर, कानपुर । | निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) | ओरडीनरी पोर्टलैण्ड सीमेन्ट | 268 (81) 12.5.81 | लाइसेन्स में परिवर्तित । | उत्पादन वर्ष 1983 से प्रारम्भ । | 1350 |
| 5. | मै. राजस्थान स्पीनिंग एवं विविंग मिल्स लि., ईस्ट ग्राफ कैलाश, नई दिल्ली । | गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) | पोलिस्टर सेविंग थ्रेड | 280 (81) 13.5.81 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 6. | मै. जेनिथ स्टील पाइप्स एवं इण्डस्ट्रीज लि. चर्च गेट, बम्बई । | चित्तौड़गढ़ | पोर्ट लैण्ड सीमेन्ट | 289 (81) 14.5.81 | निरस्त किया गया । | | |
| 7. | मै. बिरला जुट मैन्यूफेक्चरिंग आर. एन. मुखर्जी रोड, कलकत्ता । | गंगरार (चित्तौड़गढ़) | पोर्ट लैण्ड सीमेन्ट | 300 (81) 21.5.81 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 8. | मि. एम. एल. गर्ग, सी-स्कीम, जयपुर । | बेकवर्ड एरिया (राजस्थान) | हाई स्पीड स्टील टूल लैंक फोर अाइटम सच एज मिलिंग कटरस, टूल्स बिट्स आदि | 303 (81) 21.5.81 | राज्य से बाहर स्थानान्तरित | | |
| 9. | मै. कादम्बरी पेपर मिल्स, बापू नगर, जयपुर । | निवाई (टोंक) | राइटिंग एव प्रिन्टिंग पेपर | 311 (81) 23.5.81 | लाइसेन्स में परिवर्तित । | क्रियान्विति के चरण में । | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | मै. केमिकल्स इन्टरनेशनल (प्रा.) लि., लाजपत नगर, नई दिल्ली। | उदयपुर | रोक रोलर बिट्स | 332 (81) 29.5.81 | निरस्त किया गया। | | |
| 11. | श्री एम. एल. गर्ग, अलवर। | टोंक | राइटिंग एवं प्रिन्टिंग पेपर | 341 (81) 30.5.81 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 12. | मै. जे. के. सिन्थेटिक लि., बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली। | कोटा | एक्रीलिक फाइबर | 394 (81) 30.6.81 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 13. | मै. जगतजीत कोटन टेक्सटाईल, जनपथ, नई दिल्ली। | श्रीगंगानगर | कोटन यार्न | 350 (81) 4.6.81 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | क्रियान्विति के चरण में। | |
| 14. | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम' जयपुर। | धौलपुर | सेनेटरी पोरसेलेन वेयर्स | 389 (81) 29.6.81 | निरस्त किया गया। | | |
| 15. | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर। | राजस्थान | एल्यूमिनियम फाइल्स | 467 (81) 17.7.81 | निरस्त किया गया। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | श्री डी. एन. जाजू, असफ अली रोड, नई दिल्ली । | हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर | कोटन शीड ओइल | 507 (81) 31.7.81 | निरस्त किया गया । | | |
| 17. | श्री रविन्द्र नारायण अजमेर रोड, जयपुर । | अलवर | टेपर रोलर बियरिंग, बाल बियरिंग, सिलेन्डर रोलर बियरिंग एवं स्पेशियल बियरिंग आदि । | 443(81) 13.7.81 | क्रियान्विति के चरण में । | - | |
| 18. | श्री एस. सी. सारन, भुलाभाई रोड, बम्बई । | अलवर | एअर ब्रेक एसेम्बली सेट | 262(81) 11.5.81 | लाइसेन्स में परिवर्तित । | क्रियान्वित के चरण में । | |
| 19. | मै. सुशील सिन्चेम लिमिटेड नेहरू पैलेस, नई दिल्ली । | अलवर | सिमेटिडिन | 554(81) 19.9.81 | निरस्त किया गया । | | |
| 20. | श्री जे. के. भगत, प्रेटोरिया स्ट्रीट, कलकत्ता । | भिवाड़ी (अलवर) | पोलीप्रोपलिन मल्टीफिलामेंट यार्न | 535(81) 9.9.81 | लाइसेन्स में परिवर्तित । | क्रियान्विति के चरण में । | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | मै. जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बाराखम्बा रोड, देहली। | कोटा | नाइलोन टायर यार्न फेबरिक्स। | 552(8) 17.9.81 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 22. | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर। | जयपुर | टेलिविजन सैट्स | 584(81) 24.9.81 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 23. | मै. राजस्थान स्ट्रीप्स (प्रा.) कीर्ति नगर, नई दिल्ली। | भिवाड़ी (अलवर) | कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रीप्स | 611(81) 6.10.81 | निरस्त किया गया। | | |
| 24. | मै. हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर इण्डस्ट्रीज, उदयपुर। | उदयपुर | सलफरिक एसिड | 615(81) 6.10.81 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 25. | मै. चेतक पेपर मिल्स, उदयपुर। | जयसमंद (उदयपुर) | राइटिंग एवं प्रिंटिंग पेपर | 663(81) 26,10.81 | निरस्त किया गया। | | |
| 26. | मै. देहली क्लोथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कोटा। | कोटा | फ्लोरोकार्बन पोलीमर्स | 748(81) 14.12.81 | निरस्त किया गया। | | |

377

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर। | अलवर | व्हील फोर ट्रैक्टरस | 884(81) 31.12.81 | निरस्त किया गया। | | |
| 28. | मै. महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर। | जयपुर | वेट प्रोसेसिंग आफ क्लोथ | 896(81) 31.12.81 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 29. | श्री यू. पी. गुप्ता राज. ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर। | हरमाड़ा (जयपुर) | टेबलेट, केप्सूल्स आदि | 826(81) 31.12.81 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | उत्पादन वर्ष 1982 से प्रारम्भ। | 95.00 |
| 30. | मै. निरा इन्टरनेशनल नेहरू पेलेस, नई दिल्ली। | भिवाड़ी (अलवर) | पोलीपोपलिन टैक्सचराइज्ड फिलामेंट यार्न | 873(81) 31.12.81 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 31. | श्री ब्रिज मोहा, परस रामपुरिया सिन्थेटिक्स नई दिल्ली। | अलवर | पोलीप्रोपलिन स्पीनिंग फिलामेंट यार्न। | 844(81) 31.12.81 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | क्रियान्विति के चरण में। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | दी जनरल इण्डस्ट्रीज सोसायटी लि., कलकत्ता । | सिरोही | व्हाइट सीमेंट | 849(81) 31.12.81 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 33. | मै. जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली । | कोटा | एक्सपेनशन फोर नाइ-लोन इण्डस्ट्रीयल यार्न टायर कोर्ड | 1(81) 4.1.82 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 34. | मै. महावीर एल्यूमिनियम लि. बारा-खम्बा रोड, नई दिल्ली । | भिवाड़ी (अलवर) | कोपर एण्ड कोपर अलोय पाइप्स एण्ड ट्यूब्स । | 4(82) 11.1.82 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 35. | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर । | अलवर | सेलिसिलिक एसिड एस-प्रिन सेलिसिलेट एवं सोडियम सेलिसिलेट । | 41(82) 29.1.82 | क्रियान्वित के चरण में । | | |
| 36. | मै. हाउस आफ पोदार इन्टर प्राइजेज कलकत्ता । | अलवर | स्टेनलेस स्टील रेजर ब्लेड्स | 102(82) 19.2.82 | लाइसेन्स में परिवर्तित । | क्रियान्विति के चरण में । | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | मै. जे. के. सिन्थेटिक्स लि. कमला टावर, कानपुर । | उदयपुर | एसबेसटोज सीमेंट शीट्स | 131(82) 26.2.82 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 38. | श्री रमेश गुप्ता, देहली । | भिवाड़ी | नेन फेरोश क्लेड मेटल्स स्ट्रीप्स शीट्स एवं प्लेट्स, | 136(82) 27.2.82 | निरस्त किया गया । | | |
| 39. | श्री एम. पी. गुप्ता, देहली । | अलवर | साइक्लस | 157(82) 5.3.82 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 40. | श्री विनोद कुमार अग्रवाल नेहरू नगर, गाजियाबाद । | उदयपुर | पोलीपापलिन फिलामेंट यार्न | 138(82) 1.3.82 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 41. | श्री इश्वार गराडिया, शध्द रोड, वाराणसी । | अलवर | सिरेमिक डिस्क केपेसिटर्स | 176(82) 12.3.82 | लाइसेंस में परिवर्तित । | क्रियान्विति के चरण में । | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | मै. राज, मेडिकल इक्यूपमेन्ट्स लि., फेन्शी लेन, कलकत्ता। | अलवर | एक्स, रे इक्वीईपमेंट विद माइक्रो प्रोसेसर्स कन्ट्रोल एक्स रे इक्यूपमेंट | 217(82) 24 3.82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 43. | श्री जी. आर. बासरी, साउथ ऐक्स-टेनशल पार्ट–II नई दिल्ली। | अलवर | कोल्ड रोल्ड फोमेड सेक्शन | 224(82) 26.3.82 | लाइसेंस में परिवर्तित। | क्रियान्विति के चरण में। | |
| 44. | मै. राज. राज्य प्रोद्योगिक विकास निगम कोटा। | कोटा | हाइड्रो जिन्टल फेटी एसिड | 746(81) 14.12.81 | निरस्त किया गया। | | |

वर्ष : 1982-83

| क्र. सं. | व्यक्ति/इकाई का नाम | स्थान | उत्पादन का नाम | आशय पत्र संख्या/दिनांक | आशय पत्र की क्रियान्विति | लाइसेन्स की क्रियान्विति | विनियोजन लाख रु. में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | मै. जनरल इन्जिनियरिंग वर्क्स बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली। | राज. | आटोमेटिक | 289 (82) 23-4-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 2. | मै. जनरल इन्जिनियरिंग वर्क्स बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली। | पिछड़ा जिला | स्टील फोर्जिग्स | 306 (82) 6-5-82 | निरस्त किया गया। | | |
| 3. | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर। | भिवाड़ी, अलवर | अल्यूमिनियम इल्केट्रोलेटिक केपेसीटर्स। | 347 (82) 13-5-82 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | क्रियान्विति के चरण में। | |
| 4. | मै. एक्स. एल. ओ. इण्डिया लि. बेसंत रोड, बम्बई। | गुजरात से अलवर। | हाइड्रोटिक एसेम्बली सेट्स। | 107 (79) 27-4-79 | निरस्त किया गया। | | |
| 5. | मै. एक्स. एल. ओ. इण्डिया लि. बेसंत रोड, बम्बई। | गुजरात से अलवर। | क्लच एसेम्बली सेट्स एवं क्लच प्लेट्स। | 108 (79) 27-4-79 | निरस्त किया गया। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | मै. देहली क्लोथ एवं जनरल मिल्स, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली। | लाडपुरा कोटा | रायन टायर फेबरिक्स | 364 (82) 27-5-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 7. | मै. आर्टिटिस्टिक ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड, बम्बई। | उदयपुर | फर्नीचर एवं अन्य हैण्डीक्राफ्ट आर्टीकल्स। | पी.ई.आर. 13 (82) 5-6-82 | निरस्त किया गया। | | |
| 8. | श्री बनवर लाल आर्य नगर, अलवर। | बांसवाड़ा | ई.आर.डब्ल्यू. स्टील पाइप्स | 373 (82) 3-6-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 9. | मै. हिन्दुस्तान एग्रो केमिकल्स लि. उदयपुर। | उदयपुर | सल्फेट आफ एल्यू-मिनियम एवं सल्फेट एसिड, ओलियम। | 386 (82) 8-6-82 | निरस्त किया गया। | | |
| 10. | श्री जे. सी. गुप्ता, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गंगानगर। | उद्योग रहित जिला | कस्टिक एवं स्टीच पॉट | 405 (82) 19-5-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | मै. राज. राज्य प्रौद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर। | भीलवाड़ा | एच. टी. इन्सूलेटर्स | 421 (82) 30-6-82 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | क्रियान्विति के चरण में। | |
| 12. | श्री एस. सी. गर्ग विजय चौक के पास, देहली–51 | सीकर | स्टील पाइप्स एवं ट्यूब्स। | 437 (82) 3-7-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 13. | श्री परविन कुमार, मोहन नगर, गाजियाबाद। | सीकर | स्टील पाइप्स एवं ट्यूब्स। | 481 (82) 12-7-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 14. | मै. कैलवीनेटर्स ग्राफ इण्डिया, लिमिटेड, टोलसटाय मार्ग, नई दिल्ली। | ग्रलवर | मोपेड हैवी इन्जिन क्यूबिक केपेसीटर्स | 491 (82) 23-7-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 15. | श्री प्रीमियर केबल्स कम्पनी जयसिंह रोड, नई दिल्ली। | उद्योग रहित जिला | जेल्ली फिल्ड केबल्स | 518 (82) 22-7-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | मै. राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स लिमिटेड, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली। | गोरला भीलवाड़ा | पोर्ट लैण्ड सीमेन्ट | 530 (82) 26-7-82 | निरस्त किया गया। | | |
| 17. | मै. जे. के. सिन्थेटिक्स लि. बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। | राजस्थान | ओटोमोबाइल्स टायर्स एवं ट्यूब्स। | 537 (82) 28-7-82 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | उत्पादन वर्ष 1984 से प्रारम्भ। | 3400 करोड़ रुपये |
| 18. | श्री सी. डी. शर्मा, बनी पार्क, जयपुर। | अलवर | सोलवेन्ट कोटेड प्लास्टिक पेपर, माइक्रो फिचा एवं रिप्रोडक्शन इक्वीइपमेन्ट। | 557 (82) 2-8-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 19. | श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, पंजाबी-बाग, नई-दिल्ली। | उद्योग रहित जिला | कोपर एवं कोपर अलोय स्ट्रीप्स एवं शीट्स | 568 (82) 2-8-82 | निरस्त किया गया। | | |
| 20. | मै. कोठारी प्लांटेशन एवं इण्डस्ट्रीज-लिमिटेड, कलकत्ता। | अलवर | एन. टी. इन्सूलेटर्स | 595 (82) 11-8-82 | निरस्त किया गया। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | श्री राज गुप्ता, डिफेन्स कोलोनी, नई दिल्ली। | भिवाड़ी (अलवर) | फोर्ज्ड हैण्ड टूल्स एवं गार्डन टूल्स। | 638 (82) 21-8-82 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | उत्पादन वर्ष 1983 से प्रारम्भ। | 139.00 |
| 22. | श्री डी. एन. गुप्ता, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली। | डिग्गी मालपुरा टोंक | गेलवानाइज्ड एवं ब्लैक स्टील पाइप्स एवं ट्यूब्स। | 646 (82) 28-8-82 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | क्रियान्विति के चरण में। | |
| 23. | श्रीराम शर्मा, सेक्टर-9, चंडीगढ़। | भिवाड़ी अलवर | बीनाइल एवं यूरेथन कास्टिंग प्रोडक्टस | 652 (82) 28-8-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 24. | मै. पेस्टीसाइड्स इण्डिया उदयपुर। | गिरवा उदयपुर। | फोरमूलेशन ग्राफ इसोप्रोटर्न | 647 (82) 28-8-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 25. | मै. स्टेनफोर्ड इन्जीनियरिंग ईस्ट आफ कैलाश, | भिवाड़ी (अलवर) | हाइड्रोलिक ड्राइव व्हील एवं मल्टीपरपज | 68 (82) 4-9-82 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | क्रियान्विति के चरण में। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नई दिल्ली । | | हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स लोडर्स । | | | | |
| 26. | मै. जे. के. सिन्थेटिक्स लि. बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली । | कांकरोली उदयपुर । | स्कूटर एवं मोटर्स साइकल मोपेड टायर्स एवं ट्यूब्स । | 778 (82) 20-10-82 | लाइसेन्स में परिवर्तित । | क्रियान्विति के चरण में । | |
| 27. | राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर । | नीमकाथाना सीकर | जिप्सम फाइबर बोर्ड | 780 (82) 21-10-82 | लाइसेन्स में परिवर्तित । | क्रियान्विति के चरण में । | |
| 28. | मै. राज. को-ओपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लि. जयपुर । | पिछड़ा जिला | क्रूड डेगुम्ड सोयाबीन ऑइल । | 822 (82) 9-11-82 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 29. | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर । | पिछड़ा जिला | प्रीटेड सर्किट बोर्ड | 860 (82) 26-11-82 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 30. | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर । | सीकर | मेगनेसीयम मेटल | 861 (82) 26-11-82 | निरस्त किया गया । | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर। | अलवर | मेगनिसियम ऑक्सीड एवं बेसिक मेगनिशियम कार्बोनेट | 863(82) 26-11-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 32. | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर। | टौंक | क्लोरो साइलेन्सेज सिलिकोन प्रोडक्ट्स | 870(82) 26-11-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 33. | मै. चैंज ब्राइट स्टील लि., कमानी मार्ग, बम्बई। | जैसलमेर | स्टील पाइप्स एवं ट्यूब्स | 875(82) 30-11-82 | निरस्त किया गया। | | |
| 34. | श्री अशोक कुमार बसन्त विहार नई दिल्ली। | टौंक | स्टील पाइप्स एवं ट्यूब्स | 877(22) 30-11-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 35. | श्री रवी कुमार बजाज गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली। | भिवाड़ी | फ्नोलिक बोबिन्स एवं पेपर ट्यूब्स/कोन्स | 887(82) 6-12-82 | निरस्त किया गया। | | |

389

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | श्री एस. राम. कोटन स्ट्रीट, कलकत्ता । | सिरोही | स्टील पाइप्स एवं ट्यूब्स | 899(82) 15-12-82 | निरस्त किया गया। | | |
| 37. | श्री ए. एन. गोयनका सफदरगंज, नई दिल्ली । | सिरोही | स्टील पाइप्स एवं ट्यूब्स | 903(82) 15-12-82 | निरस्त किया गया। | | |
| 38. | श्री रामनारायण एच. देव फरीदाबाद । | तिजारा | नाइलोन मोउलडिंग पाउडर एवं नाइलोन चिप ग्राफ वेरियस ग्रेड | 925(82) 28-12-82 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 39. | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर । | कोटा | पेटी एसिड एवं ग्लाइसिरिन | 952(82) 31-12-82 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 40. | मै. राज. ग्लाइक्सल लि. मेवाड़ इण्डस्ट्रीयल एरिया, उदयपुर । | गिरवा (उदयपुर) | ग्लाइक्सल | 975(82) | क्रियान्विति के चरण में । | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल मुलतानी धन्धा, नई दिल्ली। | जैसलमेर | इ. आर. डब्ल्यू स्टील पाइप्स एवं ट्यूब्स | 1010(82) 31-12-82 | निरस्त किया गया। | | |
| 42. | मै. जन लघु सीमेन्ट उद्योग लि., नीमकाथाना, सीकर | नीमकाथाना सीकर | पोर्टलैण्ड सीमेन्ट | 955(82) 31-12-82 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | क्रियान्विति के चरण में। | |
| 43. | श्री ए. के. दत्त: मै. जेनेरम लिमिटेड दरया गंज, नई दिल्ली। | उद्योग रहित जिला | सी. आर. फोर्मड मेटल प्रोफाइल्स सेक्सन | 668(82) 3-9-82 | क्रियान्विति के चरण। | | |
| 4 . | मै. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड न्यू फतहपुरा, उदयपुर। | देबारी | जिंक मेटल आदि | 958(82) 31-12-82 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | उत्पादन वर्ष 1984 से प्रारम्भ। | 1100.00 |
| 45. | मै. सुनिल टैक्सटाइल मिल्स (प्रा.) सांगानेरी डूंगरी रोड, जयपुर। | भीलवाड़ा | वूलन ब्लैंकेट्स | 939(82) 31-12-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर। | चूरू | ग्लेज्ड वाल टाइल्स | 498(82) 16-7-82 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 47. | श्री विनोद नागपाल कीर्ती नगर, नई दिल्ली। | भिवाडी (अलवर) | सिरेमिक कोरेस कोरकार्बन फिल्म रेजिस्टर्स | 46(83) 27-1-83 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 48 | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर। | चित्तौड़ा जिला | फुल आटोमेटिक एक्सचेंज सिस्टम आदि | 127(83) 21-2-83 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 49 | मैसर्स एच. एम. टी. लि. तुर्न ग्राम रोड, बैंगलोर। | अजमेर | सिलिन्ड्रीकल ग्राइंडिंग मशीन | 130(83) 21-2-83 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | उत्पादन वर्ष 1983 से प्रारम्भ। | 50.00 |
| 50 | श्री भगवानदास कंडोई सी. के. आई., जयपुर। | भिवाडी अलवर | आइरन एवं अलोय स्टील पाउडर कोपर एवं कोपर अलोय पाउडर | 141(83) 21-2-83 | निरस्त किया गया। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष 1983-84 | | | | | | | |
| 1. | मै. मोर्डन वूलन (प्रा.) लि., डी-22, मोतीडूंगरी रोड, जयपुर । | भीलवाड़ा | नोन वर्सटेड स्पिडल्स | 276 (83) 19.4.83 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 2. | मै. डॉ बलदेव कृष्णा, यू.के. द्वारा श्री पी एन. सहगल. बी-7, ग्रीनपार्क एक्सटेन्शन, नई दिल्ली । | भीवाड़ी (अलवर) | लेदर एक्सीलरीज एण्ड फिनिशिंग केमिकल्स | 316 (83) 6.5.83 | | | |
| 3. | मै. जे. के. सिन्थेटिक लि., अशोका एस्टेट, नई दिल्ली । | कोटा | एक्सपेनशन आफ नाइ-लोन फिलामेंट यार्न | 251 (83) 8.4.83 | लाइसेन्स में परिवर्तित | क्रियान्विति के चरण में । | |
| 4. | मै देहली क्लोथ एण्ड जनरल मिल्स, आकाशदीप, नई दिल्ली । | कोटा | विसकोज फिलामेंट यार्न | 239 (83) 8.4 83 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 5. | मै. श्रीराम फाईबर्स लि., हेमकुन्ट हाऊस, नई दिल्ली । | कोटा | फ्लोरोकार्बन पोलीमर्स | 259 (83) 8.4.83 | ,, | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | मै. ओझा वूलन मिल्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर । | बीकानेर | वूलन क्लोथ | 290 (83) 23.4.83 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 7. | मै. राजस्थान एक्सप्लोसिव एण्ड केमिकल्स लि., मेकुन्ड के पास, धौलपुर । | धौलपुर | डिटोनेटर्स | 344 (83) 23.5.83 | लाइसेन्स में परिवर्तित । | क्रियान्विति के चरण में । | |
| 8. | मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर । | अजमेर | डिजिटल इलेक्ट्रोनिक वाचेज | 455 (83) 13.7.83 | क्रियान्वित के चरण में । | | |
| 9. | मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर । | जयपुर | कलर टी. वी. सेटस | 485 (83) 23.7.83 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 10. | मै. वेस्टर्न स्टेट इण्डियन मोटर्स, रेलवे रोड, जोधपुर । | जोधपुर | ऑक्सीजन गैस—नाईट्रोजन गैस | 466 (83) 19.7.83 | ,, | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | मै. प्रीतपालसिंह, मेकर, बी–24, वेस्टेंड, नई दिल्ली । | भिवाड़ी (ग्रलवर) | ग्वारगम डिराइवेटिवस | 510 (83) 6.8.83 | „ | | |
| 12. | मै. ग्रोम मेटल्स एण्ड मिनरल, जवाहर नगर, जयपुर । | भीलवाड़ा | ग्रोक्सीजन गैस | 518 (83) 9.8.83 | „ | | |
| 13. | मै. ग्रोम स्ट्रक्चरलस, जवाहर नगर, जयपुर । | भीलवाड़ा | डिजोल्वड ऐसीटेलिन गैस | 519 (83) 9.8.83 | „ | | |
| 14. | मै. सिन्ट्रान (इण्डिया) प्रा. लि., पाटलीपुत्र कालोनी, पटना, बिहार । | गुडगांव (हरियाणा) से भिवाड़ी (ग्रलवर) | मैगनेटिक हैडस | 435 (82) 3.7.82 | „ | | |
| 15. | श्री ग्रार. एन. मारदा, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली । | चुरू | कलर टी.वी. रिसीवर सेटस | 720 (83) 3.11.83 | „ | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | मै. पी. जे. बी. इलेक्ट्रोनिक्स, सफदरगंज एनक्लेव, नई दिल्ली। | अलवर | ब्लेक एण्ड व्हाईट टी.वी, रिसीवर सेटस | 722 (83) 3.11.83 | " | | |
| 17. | मै. लेम्पस एण्ड लाईटिंग लि., बाराखम्भा रोड नई दिल्ली। | अलवर | फ्लोरोसेन्ट ट्यूब्स | 853 (83) 16.12.83 | " | | |
| 18. | श्री बी. एस. बग्गा, द्वारा मै. इलेक्ट्रोमेटिक्स, नारायण बिहार, नई दिल्ली। | अलवर | वेरीएबल केपेसिटर्स | 862 (83) 20.12.83 | " | | |
| 19. | मै. राजस्थान ग्रोक्सीजन (प्रा) लि., ग्रार. एन. मुकर्जी रोड, कलकत्ता। | सिरोही | ग्रोक्सीजन गैस डिजल्वड ऐसीटेलिन गैस | 863 (83) 20.12.83 | " | | |
| 20. | मै. देहली क्लोथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लि., आकाश दीप, नई दिल्ली। | लाडपुरा (कोटा) | कार्बन टेटरा क्लोराइड | 870 (83) 20.12.83 | क्रियान्विति के चरण में। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | मै. सेमेटल (इण्डिया) लि., भिवडी इण्डस्ट्रीयल ऐरिया अलवर। | भिवाडी (अलवर) | ब्लेक एण्ड व्हाइट टी. वी. पिक्चर ट्यूब्स | 873 (83) 20.12.83 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | क्रियान्विति के चरण में। | |
| 22. | मै. अर्नेस्ट गैसेज प्रा. लि., मेवाड़ इण्डस्ट्रीयल एरिया उदयपुर। | उदयपुर | ओक्सीजन गैस | 875 (83) 20 12.83 | क्रियान्विति के चरण मे। | | |
| 23. | मै. पेस्टीसाइड्स इण्डिया. उदयसागर रोड, उदयपुर। | गीरवा (उदयपुर) | कार्बोफ्यूरन टेक्नीकल | 875 (83) 20.12.83 | ,, | | |
| 24. | मै. अलाईड इलेक्ट्रोनिक्स मेगेनिटिक्स लि., भिवाडी, अलवर। | भिवाडी (अलवर) | मेगनेटिक स्टोरेज डिसेज | 876 (83) 22.12 82 | ,, | | |
| 25. | मै. अर्नेस्ट गैसेज प्रा. लि., मेवाड़ इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, उदयपुर। | उदयपुर | नाईट्रोजन गैस डिजोल्वड एसीटेलिन | 878 (83) 22 12.83 | ,, | | |

| 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | श्री लाल नवानी, मदन मोहन अमारी रोड वरियागंज, नई दिल्ली। | भिवाडी (अलवर) | कलर टी.वी. रिसीवर सेटस | 892 (83) 26.12 83 | निरस्त किया गया। | | |
| 27. | मै. शंकर इलैक्ट्रोनिक्स लि., जी. डी. सोमानी मार्ग, बम्बई-5। | अलवर | ,, ,, ,, | 896 (83) | लाइसेंस में परिवर्तित | क्रियान्विति के चरण में। | |
| 28. | श्री एम. एस. मिश्रा, जोरवाग, नई दिल्ली। | अलवर | डाइमण्ड इम्प्रीगनेटेड मीगमेंटम सर्कुलर सा सीगमेंटस | 902 (83) 26.12.83 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 29. | श्री वासु नवानी, सी-47, पोदार गार्डन, नई दिल्ली। | भिवाडी (अलवर) | कलर टी. वी. रिसीवर सेटस | 942(83) 29.12.83 | निरस्त किया गया। | | |
| 30. | मै. भारत जिप्सम प्रा. लि., भण्डारी हाऊस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली। | कुरू | जिप्सम बोर्डस, ब्लोक टाइल्स एक लोक. | 1024 (83) 31.12.83 | क्रियान्विति के चरण में। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | मै देहली क्लोथ एण्ड जनरल मिल्स क., बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली । | लाडपुरा (कोटा) | एन. हाईड्रस सोडियम सल्फेट | 102(83) 13.9.83 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 32 | श्री सुभाषचन्द्र, पंजाबी बाग, नई दिल्ली । | अलवर | हार्ड जिलेटिन कैपसूल्स | 19 (84) 16.1.84 | क्रियान्वित के चरण में । | | |
| 33. | मै राठी एलोय एण्ड स्टील लि., ओल्मटाग मार्ग, नई दिल्ली । | जालौर | एच. आर. स्टील स्ट्रीप्स | 46 (84) | क्रियान्वित के चरण में । | | |
| 34. | मैं प्रीमियर सिन्थेटिक्स, कुम्हरार, पटना-16 | जालौर | गैल्वेनाइज्ड प्लेन कोरोगेटेड शीट्स ग्राफ 26 गैज एण्डमिनल | 65 (84) 28-1-84 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 35 | श्री बी. एम. ग्रोवर बल्लन इन्स्योरेन्स बिल्डिंग बोम्नारा ग्रा रोड, बम्बई-27 । | पिछड़ा जिला | जिप्सम फाइबर बोर्ड | 101 (84) 8-2-84 | क्रियान्विति के चरण में । | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | मै. राजस्थान को-ग्रोपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि., नीयर गांधीनगर रेल्वे स्टेशन, जयपुर । | भीलवाडा | घी, बटर | 111(84) 17-2-85 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 37 | मै. बेस्ट एण्ड क्रोम्पटन इन्जिनियरिंग लि., 29, राजाजी सेलाई, मद्रास–1 | (अलवर) | स्टार्टम मोटर्स डायनेमो ग्रालटरनेटर्स, वोल्टेज रेगूलेटर्स इलेक्ट्रानिक्स मेगनेटिक कोइस हीट सिन्कम ग्रावि। | 127 (84) 22.2.84 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 38. | श्री सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव, मै. शुभगयावती इण्डस्ट्रीज, सेवापथ, जयपुर । | जयपुर | पोर्ट लैण्ड सीमेंट | 161 (84) 3.3.84 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 39. | मै. जय इंजिनियरिंग वर्क्स लि., कस्तूरबा मार्ग, नई दिल्ली । | शम्भुपुरा (चित्तौड़गढ़) | | 224 (84) 26.3.84 | क्रियान्विति के | | |

400

## वर्ष-1984-85

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मैसर्स राजस्थान राज्य प्रोद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर। | भीलवाड़ा | सिरेमिक फाइबर एण्ड एलाइड प्रोडक्टस | 277(84) 11-4-84 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 2. | श्री एम. एल. जैन सवाई विवेकानन्द रोड बांदरा, बम्बई-50 | बी-श्रेणी पिछड़ा जिला | आडियो मेगनेटिक टप्स | 300(84) 18-4-84 | " | | |
| 3. | श्री आर. के. शर्मा 12-ए, नेताजी सुभाष रोड कलकत्ता। | सिरोही | नाइलोन चिप्स मोल्डिंग पाउडर | 357(84) 9-5-84 | " | | |
| 4. | श्री जे. के. भालोटिया क्लाइव रो, कलकत्ता-1। | गोटन (नागौर) | व्हाइट सीमेंट | 453(84) 29-6-84 | " | | |
| 5. | मैसर्स स्नोकेम इंडिया लि. तिलक हाउस, चन्द्रगोपाल राय मार्ग, बम्बई। | गोटन (नागौर) | व्हाइट सीमेंट | 482(84) 30-6-84 | " | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | मैसर्स वाई फोर्ड लि. 6, हैलेरोड, नई दिल्ली। | गोटन (नागौर) | व्हाइट सीमेंट | 483(84) 30-6-84 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 7. | मैसर्स दी इंडियन रेयन कोरपोरेशन लिमिटेड नारीमन पोइन्ट, बम्बई-2 | गोटन (नागौर) | व्हाइट सीमेंट | 492(84) 30-6-84 | " | | |
| 8. | मैसर्स स्ट्रो प्रोडक्टस लि. नेहरू हाऊस, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-2 | बखतगढ़ (सिरोही) | पोर्टलैंड सीमेंट | 589(84) 30-7-84 | " | | |
| 9. | मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर | पिछड़ा जिला | टेलीफोन इन्स्ट्रूमेंटस | 602(84) 31-7-84 | " | | |
| 10. | मैसर्स सूर्य लीजिंग लिमिटेड बाराखम्बा रोड नई दिल्ली। | अलवर | ग्लास सैल्स जी.एल.एस. | 640(84) 9-4-84 | " | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | मै. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्टस लि. कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर। | कनकपुरा जयपुर | इलेक्ट्रॉनिक आटोमेटिक पोल्यूशन मोनिटरिंग सिस्टम | 705(84) 22-9-84 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 12. | मै. आर. एस. शर्मा, 26 सेक्टर, –9, चंडीगढ़। | भिवाड़ी (अलवर) | पोलूरोथिन प्रोडक्टस सोलवेंट एण्ड वाटर बेस्ट कम्पाउण्डस | 742(84) 29-9-84 | ,, | | |
| 13. | मै. जुआरी एग्रोकेमीकल्स लि., जयकिशन भवन, जुआरी नगर। | सवाई माधोपुर | अमोनिया यूरिया | 775(84) 16-10-84 | ,, | | |
| 14. | डा. सोमदत्त, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली। | भिवाड़ी (अलवर) | गलेज्ड वाल एण्ड फ्लोर टाइल्स | 779(84) 17-10-84 | ,, | | |
| 15. | मै. एक्स. एल. ओ. यूनाइटेड क्लेच प्रोडक्टस, वरली, बम्बई–18। | अलवर | क्लच एसेम्बल सेटस क्लच प्लेट्स | 803(84) 27-10-84 | लाइसेन्स में परिवर्तित। | क्रियान्विति के चरण में। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | श्री के. के. जाजोडिया, अशोका इस्टेट नई दिल्ली। | इन्द्रगढ़ (बूंदी) | सिरेमिक सेनीटरी वेयर | 835(84) 12-11-84 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 17. | श्री अमरजीतसिंह बक्शी, सफदरगंज इंक्लेव, नई दिल्ली-29 | भिवाड़ी (अलवर) | एल्यूमूनियक प्रेशर डाई कास्टिंग फॉर ओटोमोटिव एप्लीकेशन | 846(84) 15-11-84 | ,, | | |
| 18. | श्री संजय भास्कर, ईश्वर नगर, नई दिल्ली। | पिछड़ा जिला | फलोपी डिसेज | 941(84) 13-12-84 | ,, | | |
| 19. | मै. होम विजन सिस्टम, प्रा. लि., आसफअली रोड, नई दिल्ली। | भिवाड़ी (अलवर) | विडियो प्रोजेक्टर्स | 946(84) 13-12-84 | ,, | | |
| 20. | मैसर्स प्रताप राजस्थान स्पेशल स्टील, विश्वकर्मा इड. ऐरिया, जयपुर। | जयपुर | ओक्सीजन गैस | 969(84) 27-12-84 | क्रियान्विति के चरण में। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | श्री आर. सी. कोशल, रीगल बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली। | भिवाड़ी (अलवर) | एस. जी. अ इरन कास्टिंग | 996(84) 29-12-84 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 22. | श्री राकेश शर्मा, ए–32, फ्रेण्ड्स कोलोनी ईस्ट, नई दिल्ली। | भिवाड़ी (अलवर) | लेदर आक्जलरीज एण्ड फिनिशिंग केमिकल्स | 999(84) 27-12-84 | ,, | | |
| 23. | श्री विपिन कुमार अग्रवाल, 303, स्काई पार्क, होस्टन टेक्सेज यू. एस. ए.। | ,, | पब्लिक टेलीफोन | 1051(84) 29-12-84 | ,, | | |
| 24. | श्री एन. एन. सर्राफ, पुसा रोड, नई दिल्ली। | अलवर | कलर टी. वी. रिसीवर | 201(84) 12-3-85 | ,, | | |
| 25. | श्री बलवन्त राय गुप्ता, गुजरवाला टाउन, दिल्ली। | अलवर | कलर टी. वी. रिसीवर | 220(84) 12-3-85 | ,, | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | श्री प्रमोद गुप्ता, नारायण विहार, नई दिल्ली। | बहरोड (अलवर) | कलर टी. वी. रिसीवर | 247(85) 12-3-85 | क्रियान्विति के चरण में। | | |
| 27. | मै. श्रीराम फाइबर्स लिमिटेड, बहादुरशाह मार्ग, नई दिल्ली। | कोटा | जिप्सम, हाइड्रोक्लोराइड आदि | 292(85) 10-3-85 | " | | |
| 28. | श्री नितिन गोयल, तिलक मार्ग, नई दिल्ली। | राजस्थान | टेलीफोन्स | 336(85) 15-3-85 | " | | |
| 29. | मै श्री जयसाल केमिकल्स लि. जोहरी बाजार, जयपुर। | गुनाविपुरा (बुडा) | टेलीफोन्स | 337(85) 15-3-85 | | | |
| 30. | मै [illegible] इण्डिया लि., पश्चिमी मार्ग नई दिल्ली। | भिवाड़ी (अलवर) | मिरेमिक्स टाइल्स | 422(85) 28-3-85 | " | | |
| 31. | मै के. ई. सी. इन्टरनेशनल लि., कमानी मार्ग, बम्बई। | गोटन (नागोर) | सल्फेट रेजिस्टेन्ट सीमेंट एव पोर्टलैण्ड सीमेंट | 315(85) 15-3-85 | " | | |
| 32. | मै समतल (इण्डिया) लिमिटेड न्यू फ्रेण्ड्स कोलोनी, नई दिल्ली। | भिवाडी (अलवर) | टी. वी. ग्लास बल्ब्स | 176(85) 29-2-85 | " | | |

405

वर्ष 1985–86

| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मै. राजफंड, भवानीसिंह रोड जयपुर । | पिछड़ा जिला | कोटन यार्न | 483(85) 10-4-85 | क्रियान्विति के चरण में । | | |
| 2. | मै. राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर । | अलवर | कम्यूनिकेशन रिसीवर्स | 508(85) 12-4-85 | ,, | | |
| 3. | श्री उमराव चन्द्र, जवाहरनगर, जयपुर । | पिछड़ा जिला | एच. डी. पी.ई./पी. पी. वोवन सेक्स | 655(85) 25-5-85 | ,, | | |

## शेखावाटी से खाड़ी के देशों में जीविकोपार्जन हेतु जाने वाले व्यक्तियों को संरक्षण

293. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान से विशेषकर सीकर जिले से खाड़ी देशों में बहुत से व्यक्ति रोजगार हेतु गये हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन करते है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ये लोग नकली ऐजेन्टों के चक्कर में पड़ कर बहुत हानि उठाते हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार केरल तथा अन्य राज्य सरकारों की तरह इन व्यक्तियों के लिए यातायात (वीसा) सम्बन्धी कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां तो क्या ? नहीं तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(4) भारतीय राष्ट्रिकों को विजा सम्बन्धित देशों के दूतावासों द्वारा स्वीकृत किया जाता है। केरल तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा इस संदर्भ में क्या कदम उठा है, इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

## इटावा थाने के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

294. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) श्री बाऊदयाल जोशी (टोंक) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 5-11-1983 को थानेदार व कुछ सिपाहियों द्वारा अनुसूचित जाति के एक निर्दोष व्यक्ति की पिटाई तथा दूसरे व्यक्ति की दुकान में घुसकर पिटाई कर देने के विरुद्ध नागरिकों ने इटावा थाने पर धरना दिया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि धरना देने वाले व्यक्तियों को थाने के सिपाहियों ने थानेदार के नेतृत्व में खदेड़ दिया, तथा राइफलें तानी व पथराव किया ?

(3) क्या उक्त घटना की उच्चाधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा नागरिकों पर ही मुकदमा बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने व मुकदमा समाप्त करने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है व मुकदमा में अनुसंधान जारी है।

## नगर फोर्ट ग्राम पचायत के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध रकम के दुरुपयोग की शिकायतें

295. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत, नगर फोर्ट, पंचायत समिति, देवली का वर्ष 1974-75 व 1975-76 का आडिट हो चुका है? क्या उक्त आडिट रिपोर्ट में भूतपूर्व सरपच, श्री रतनलाल द्वारा करीब 70,000/-रुपये का दुरुपयोग व गबन करने का मामला सामने आया है? यदि हां, तो उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपच के विरुद्ध इस प्रकरण में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा?

(3) क्या भूतपूर्व सरपच के विरुद्ध अदालत में चालान पेश करने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी? यदि हां, तो कब? कृपया आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) इस वसूली के लिए विभाग द्वारा और क्या कार्यवाही की जा रही है? नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) वर्ष 75-76 व 76-77 का आडिट हो चुका है। आडिट रिपोर्ट के अनुसार भूतपूर्व सरपच श्री रतन लाल द्वारा 15283.82 पैसे की राशि का दुरुपयोग व गबन करने का मामला सामने आने पर पुलिस में एफ आई. आर. थाना नगर फोर्ट में दर्ज कराई गई।

(2) जी हां। श्री गजराज सिंह हाडा तत्कालीन विकास अधिकारी, पचायत समिति, देवली के द्वारा दिनांक 28-11-78 को पुलिस में एफ आई. आर. दर्ज कराई गई।

(3) जी नहीं। पुलिस द्वारा प्रदम सबूत में एफ. आर. लगा दिये जाने से राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने एव अदालत में चालान प्रस्तुत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) आडिट रिपोर्ट के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही के लिये जिलाधीश, टोंक को लिखा गया है।

## नये विश्वविद्यालय की स्थापना

296 **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार)

**श्री मानिक चन्द डाणी** (ब्यावर)

**श्री अश्क अली** (फतेहपुर) एव

**श्री रघवर दयाल** (रामगढ़): क्या शिक्षा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) छात्रों की सख्या और विभिन्न क्षेत्रों के शैक्षणिक विकास की दृष्टि से क्या सरकार प्रदेश में विश्वविद्यालयों की सख्या पर्याप्त मानती है?

(2) यदि नहीं तो क्या प्रदेश में नये विश्वविद्यालयों की स्थापना का सरकार विचार रखती है? नहीं तो क्यों?

(श्री रघुवर दयाल)

(3) नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित है ?

(4) क्या राज्य सरकार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के विशाल स्वरूप को देखते हुए एक अन्य विश्वविद्यालय खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कहां एवं कब तक खोलने का विचार है ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्तमान विराट स्वरूप एवं फैलाव को देखते हुये उसकी प्रशासकीय व्यवस्था ठीक ढंग से चलाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इस निर्णय की क्रियान्विति कब तक करा दी जायेगी ?

## उत्तर

(1) इस समय राज्य में 3 विश्वविद्यालय व 2 विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं (डीम्ड यूनिवर्सिटी) हैं। नये विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता का अनुमान लगाने हेतु राज्य सरकार ने श्रीमाली समिति एव प्रो. एम. वी. माथुर समिति स्थापित की थी। जिसमें नये विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था।

(2) फिलहाल कोई नया विश्वविद्यालय खोलने का विचार नहीं है।

(3) राज्य सरकार ने इस विषय में श्रीमाली समिति एवं प्रो. एम. वी. माथुर समिति गठित की थी जिसने विकास की आवश्यकताओं, छात्रों की बढ़ती हुई सख्या व प्रशासनिक कुशलता आदि के आधार पर नये विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया था। राज्य सरकार के यों विश्वविद्यालय स्थापित करने के कोई स्पष्ट मापदंड नहीं हैं।

(4) अभी ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(5) राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था व इसके बढ़ते हुए कार्यभार को देखते हुये राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ चर्चा कर सर्वप्रथम दिनांक 24-7-84 को विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 3 उप केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया था। यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

## छोटे बच्चों को दोपहर में निःशुल्क भोजन आदि की व्यवस्था

297. श्री शोपत सिह (हनुमानगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 6 से 11 वर्ष की आयु के कितने बच्चे प्राथमिक शालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ?

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि बहुत से राज्यों में बच्चों को दोपहर का भोजन तथा पुस्तकें व स्कूल वर्दी मुफ्त दी जा रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार का क्या विचार है ?

## उत्तर

(1) 6 से 11 आयुवर्ग के 41.25 लाख बच्चे प्राथमिक शालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

(पंचायत राज मंत्री)

(2) जी हाँ। राजस्थान सरकार द्वारा भी 1962 मे मध्यान्ह भोजन नाम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत "केयर" द्वारा वर्ष में एक करोड़ रुपये मूल्य का खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाता है जिसे दस जिलों की 82 पंचायत समितियों के अन्तर्गत प्राथमिक शालाओं में 2.45 लाख बच्चों को उक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में नामांकन को प्रोत्साहित करने हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति के कक्षा 2 तक के छात्र/छात्राओं को 20 रुपये व कक्षा 3 के छात्र/छात्राओं को 30 रुपये मूल्य की पुस्तकें, स्टेशनरी व पोशाक मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।

## तहसील बहरोड़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति

298. **श्री सुजान सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार तहसील बहरोड़ जिला अलवर के निम्नलिखित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भवन एवं छात्र संख्या के आधार पर इस शैक्षणिक सत्र से माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है :—

(1) गिगलाना (2) कान्हावास (3) दूधेड़ा ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्ष 1985-86 में उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

# परिशिष्ट-6

(तारांकित प्रश्न संख्या 275 से सम्बन्धित सूचना)

| क्र. सं. | नाम विद्यालय | स्वीकृत पद | | | रिक्त पद | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **उ. मा. वि.** | | | | | | | |
| 1. | रा.उ.मा.वि., मारबाड़ जक्शन | 12 | 9 | 11 | - | - | - |
| **राजकीय माध्यमिक विद्यालय** | | | | | | | |
| 1- | रा मा वि, पिलोवली | - | 5 | 8 | - | 1 | - |
| 2- | „ दांता | - | 6 | 4 | - | 1 | - |
| 3- | „ आउवा | - | 7 | 5 | - | 1 | - |
| 4- | „ धनला | - | 6 | 4 | - | - | - |
| 5- | „ जोजावत | - | 7 | 4 | - | - | - |
| 6- | „ फूलाद | - | 5 | 3 | - | - | - |
| 7- | „ सिरियारी | - | 6 | 3 | - | - | - |
| 8- | „ सारण | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 |
| 9- | „ खिवाड़ा | - | 6 | 6 | - | 1 | 1 |
| **उच्च प्राथमिक विद्यालय** | | | | | | | |
| 1- | उ प्रा वि, शिमला | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 2- | „ भाणन | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 3- | „ बाड़सा | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 4- | „ धामली | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 5- | „ भिवालिया | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 6- | „ पाचेटिया | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 7- | „ देवलिआउवा | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 8- | „ ईसाली | - | 1 | 7 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-उ प्रा वि बोगला | | – | 1 | 4 | – | – | – |
| 10– | ,, रामाबास | – | 1 | 10 | – | – | – |
| 11- | ,, गाड़ान | – | 1 | 7 | – | – | – |
| 12– | ,, चेलावास | – | 2 | 7 | – | – | – |
| 13– | ,, चिरपटिया | – | 1 | – | – | – | – |
| 14– | ,, ?डांवास | – | 1 | 6 | – | – | – |
| 15– | ,, कराडी | – | 1 | 8 | – | – | – |
| 16– | ,, विड्डाकलां | – | 1 | 9 | – | – | 1 |
| 17- | ,, खारची | – | 1 | 8 | – | – | – |
| 18– | ,, बोरडी | – | 1 | – | – | – | – |
| 19- | ,, नोपल | – | 1 | 10 | – | – | – |
| 20– | ,, घनेडी | – | 1 | 7 | – | – | 1 |
| 21 | ,, मिवास | – | 1 | 5 | – | – | – |
| 22– | ,, गाथो | – | 1 | – | – | – | – |
| 23– | ,, डायलाना | – | 1 | 9 | – | – | – |
| 24– | ,, बागोल | – | 1 | 7 | – | – | – |
| 25– | ,, वणदार | – | 1 | 2 | – | – | – |
| 26– | ,, रायपुरिया | – | 1 | 7 | – | – | – |
| 27– | ,, गुडाजैतसिह | – | 1 | 8 | – | – | – |
| 28– | ,, कोलर | – | 1 | 6 | – | – | – |
| 29– | ,, कनोता | – | 1 | 7 | – | – | – |
| 30– | ,, नीमलीमांडा | – | 1 | 9 | – | – | 1 |
| 31–बा उ प्रा वि, मा. जं. | | – | 1 | 13 | – | – | 1 |
| 32– | ,, ओजावर | – | 1 | 5 | – | – | – |
| 33– | ,, मउग्रा | – | 1 | 7 | – | – | 2 |
| 34– | ,, जाणुदा | – | 1 | 5 | – | – | 4 |
| | योग | 12 | 96 | 274 | – | 5 | 12 |

(412)



# परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 329 की सूची)

## सूची देशी मदिरा दुकानात 84—86 के लाइसेन्सी द्वारा दिये गये नोटिस

| क्र.सं. | नाम लाइसेन्सी | नाम दुकान |
|---|---|---|
| 1. | श्री किशनलाल एण्ड पार्टी | लाखेरी कापरेन ग्रुप |
| 2. | " " | डाबी, नैनवा व इन्द्रगढ ग्रुप |
| 3. | " " | नैनवा, बून्दी रोड बी ग्रुप |
| 4. | " " | चोमेहला ग्रुप |
| 5. | श्री मांगीलाल पुत्र बालाराम लुहार, नि. सुनेल | सुनेल |
| 6. | श्री नन्दलाल पुत्र देवीलाल माली | स्टेशन मोडक ग्रुप |
| 7. | श्री अशोक कुमार एण्ड पार्टी | बून्दी सिटी ग्रुप |

## सूची देशी मदिरा दुकानात 84—85 व 85—86 जिनके वाद न्यायालयों मे चल रहे

1. अशोक कुमार बनाम सरकार डी.जे बून्दी लाइसेन्सी बून्दी सिटी ग्रुप
2. अशोक कुमार बनाम सरकार एम.एम. कोटा लाइसेन्सी बून्दी सिटी ग्रुप
3. दीवानी वाद नन्दलाल बनाम सरकार स्टेशन मोडक ग्रुप एम.एम. कोटा
4. दीवानी वाद लक्ष्मीचन्द बनाम सरकार छबड़ा
5. " खानपुर
6. " इकलेरा
7. दीवानी वाद बालचन्द बनाम सरकार मनोहर थाना ग्रुप एम.एम. कोटा

# परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 338 की सूची)

गत तीन वर्षों (1982, 1983 एवं 1984) में ट्रेप के मामलों में कार्मिक विभाग द्वारा चालान की स्वीकृति नहीं दी गयी की एवं अन्तविष्ट राशि की सूची :—

| क्र.सं. | विरुद्ध | अन्तविष्ट राशि |
|---|---|---|
| 1. | श्री चन्द्रशेखर शर्मा, अतिरिक्त जिलाधीश, विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर। | 1950/- रुपये |
| 2. | डा. रमेश गुप्ता, पशु चिकित्सक राजकीय पशु चिकित्सालय, डीग, जिला–भरतपुर। | 100/- रुपये |

# परिशिष्ट-9

( अतारांकित प्रश्न संख्या 342 की सूची )

सूची "अ"

जिला पाली के मारवाड़ जंक्शन तहसील में वर्ष 1974 से 1975 तक कृषि कार्य हेतु दिये गये कनेक्शनों की सूची

| क्र.सं. | गांव का नाम | कोड नं. | विद्युतिकरण की तिथि | वर्ष 1974 से 1975 तक कृषि हेतु दिये गये कनेक्शन |
|---|---|---|---|---|
| 1. | तलका | 15/1/5 | 30-8-71 | – |
| 2. | जाडन खालसा | 15/5/2 | 31-7-75 | 2 |
| 3. | सिनला | 15/5/4 | 10-5-72 | 1 |
| 4. | खारडी | 15/5/5 | 23-7-71 | 2 |
| 5. | खारची | 15/5/14 | 8-10-72 | – |
| 6. | आकेवा | 15/5/62 | 31-10-71 | 2 |
| 7. | जाणुन्दा | 15/5/74 | 31-10-71 | 13 |
| 8. | इसाली | 15/5/75 | 31-10-71 | 2 |
| 9. | देवली | 15/5/72 | 31-10-71 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | बासनी जोजावर | 15/5/96 | 30-3-69 | – |
| 11. | घनेला | 15/5/97 | 12-2-67 | 1 |
| 12. | जोजावर | 15/5/99 | 23-6-66 | 2 |
| 13. | भगोरी | 15/5/105 | 15-5-70 | – |
| 14. | जाडन जागीर | 15/5/3 | 31-7-71 | – |
| 15. | घुंघला | 15/5/37 | 31-3-71 | – |
| | | | योग | 43 |

सूची "ब"

**जिला-पाली तहसील मारवाड़ जंक्शन के ग्राम देवली व आऊवा में 1974-75 में कृषि हेतु दिये गये विद्युत कनेक्शन की नामवार सूची**

| क्र. सं. | उपभोक्ता का नाम | खाता संख्या | संबंधित भार | मीटर नं. | विद्युत संबंध जारी करने की तिथि | कनेक्शन करने वाले का नाम | वैरीफिकेशन करने वाले का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1—ग्राम आऊवा** | | | | |
| 1. | श्री हेरीराम/सालगराम | 27/127 | 5 हार्स पावर | 331285 | 27-10-1974 | राम सिंह | हेमराज सोनी कनिष्ठ अभियन्ता |
| 2. | श्री गणपतराज/रंगराज | 27/128 | 7.5 हार्स पावर | 10017235 | 30-11-1974 | मोहन सिंह | ,, ,, |
| | | | **2—ग्राम देवली-आऊवा** | | | | |
| 1. | खंगारसिंह/शेराजी | 27/238 | 7.5 हार्स पावर | 10019286 | 24-10-1974 | पन्नाराम | हेमराज सोनी कनिष्ठ अभियन्ता |
| 2. | घीसूलाल/दलाजी | 27/237 | ,, | 10043354 | 29-12-1974 | मोहन सिंह | एच.डी. चारण सहा. अभियन्ता |
| 3. | गुलाबसिंह/अमृतसिंह | 27/224 | ,, | 10035831 | 16-1-1975 | ,, | हेमराज सोनी कनिष्ठ अभियन्ता |
| 4. | नैना/खुमाजी | 27/241 | ,, | 100358303 | 16-1-1975 | ,, | ,, ,, |
| 5. | मगाराम/तेजाजी | 27/243 | ,, | 10043489 | ,, | ,, | ,, ,, |
| 6. | अचलाराम/चेनाजी | 27/244 | ,, | 10020039 | ,, | ,, | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | हेमालाल/गेनाजी | 27/242 | 7.5 हार्स पावर | 10035837 | 16-1-1975 | पन्नाराम | हेमराज मोनी कनिष्ट अभियन्ता |
| 8. | हेमाराम/गेनाजी | 27/246 | ,, | 10035312 | 30-1-1975 | ,, | ,, ,, |
| 9. | मेघराम/टीकमजी | 27/247 | ,, | 10035061 | ,, | ,, | ,, ,, |
| 10. | लालराम/नवलजी | 27/248 | ,, | 10035427 | ,, | ,, | ,, ,, |
| 11. | नैनाराम/बुद्धाराम | 27/249 | ,, | 10034918 | ,, | ,, | ,, ,, |
| 12. | कृपाराम/रामाजी | 27/250 | ,, | 10035065 | ,, | ,, | ,, ,, |
| 13. | मघाराम/केशाजी | 27/245 | ,, | 101035305 | ,, | ,, | ,, ,, |
| 14. | रूपसिह/बरछीजी | 27/251 | ,, | 10069938 | 2-11 1975 | मोहन सिह | ,, ,, |
| 15. | छोगा/मासगजी | 27/252 | ,, | 10075620 | ,, | ,, | ,, ,, |
| 16. | हफा/खदाजी | 27/227 | ,, | 10075605 | ,, | ,, | ,, ,, |
| 17. | खेतसिह/मोटाराम | 27/228 | ,, | 5084766 | ,, | ,, | ,, ,, |
| 18. | नैना/सवाजी | 27/229 | ,, | 5084762 | ,, | ,, | ,, ,, |

417



# परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 346 की सूची)

राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि., जयपुर

| क्र. सं. | पद का नाम | वेतन श्रृंखला | 84–85 में स्वीकृत पद | 31-5-85 को कार्यरत पद | 31-5-85 को रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रबन्ध संचालक | 1920–2500 | 1 | 1 | – |
| 2. | प्रबन्धक | 1500–2250 | 2 | – | 2 |
| 3. | सचिव | 1500–2250 | 1 | 1 | – |
| 4. | प्रोफेसर हाऊस मैनेजर | 1500–2250 | 1 | 1 | – |
| 5. | उप प्रबन्धक | 1000–1860 | 4 | 3 | 1 |
| 6. | वरिष्ठ लेखाधिकारी | 1500–2250 | 1 | 1 | – |
| 7. | सहायक लेखाधिकारी | 820–1550 | 1 | 1 | – |
| 8. | सहायक प्रबन्धक | 780–1460 | 2 | 1 | 1 |
| 9. | लेखाकार | 660–1360 | 5 | 4 | 1 |
| 10. | जूनियर मैनेजर ग्रेड प्रथम | 640–1180 | 12 | 6 | 6 |
| 11. | कार्ड मास्टर | 640–1180 | 2 | 1 | 1 |
| 12. | रंगाई सहायक | 640–1180 | 3 | 2 | 1 |
| 13. | बुनाई सहायक | 640–1180 | 2 | 2 | – |
| 14. | शीघ्र लिपिक | 625–1120 | 5 | 5 | – |
| 15. | कनिष्ठ लेखाकार | 625–1120 | 7 | 7 | – |
| 16. | जूनियर मैनेजर ग्रेड द्वितीय | 520–925 | 6 | 1 | – |
| 17. | वरिष्ठ सहायक | 520–925 | 9 | 9 | – |
| 18. | जूनियर मैनेजर ग्रेड तृतीय | 490–840 | 35 | 32 | 3 |
| 19. | कनिष्ठ सहायक | 490–840 | 33 | 33 | – |
| 20. | वाहन चालक | 490–840 | 5 | 4 | 1 |
| 21. | चैकर | 490–840 | 1 | 1 | – |

(418)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | सहायक | 370-530 | 48 | 40 | 8 |
| 23. | कुशल बुनकर | 400/- समेकित | 40 | 2 | 38 |
| 24. | कुशल बुनकर | 350/- ,, | 8 | 8 | – |
| 25. | पैकर | 350/- ,, | 4 | – | 4 |
| 26. | बण्डल लिफ्टर | 250/- ,, | 2 | – | 2 |
| 27. | साइकिल सवार | 350–430 | 2 | 1 | 1 |
| 28. | मशीन मैन | 350–430 | 1 | – | 1 |
| 29. | कलीनर | 350–436 | 1 | – | 1 |
| 30. | चौकीदार | 350–430 | 7 | 5 | 2 |
| | चौकीदार | समेकित वेतन पर | 2 | – | 2 |
| 31. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 350 430 | 16 | 13 | 3 |
| | | योग | 269 | 185 | 84 |

(419)

697] परिशिष्ट-15 जुलाई, 1985-परिशिष्ट

# परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 347 की सूची)

विकास अधिकारी पद पर कार्यरत अधिकारियों की विभागवार सूची

| क्र. सं. | नाम विभाग | पदों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **विकास अधिकारी** | |
| 1. | शिक्षा विभाग | 64 |
| 2. | कृषि विभाग | 44 |
| 3. | पशुपालन विभाग | 26 |
| 4. | पंचायत एवं विकास विभाग | |
| | (क) पंचायत प्रसार अधिकारी | 30 |
| | (ख) महिला पोषाहार प्रसार अधिकारी | 1 |
| 5. | भेड़ एवं ऊन विभाग | 7 |
| 6. | राजस्व विभाग (तहसीलदार सेवा) | 2 |
| 7. | सहकारिता विभाग | 4 |
| 8. | सांख्यिकी विभाग | 3 |
| 9. | नोन केडर | 4 |
| 10. | उद्योग विभाग | 3 |
| 11. | राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी | 45 |
| | | 233 |
| 12. | कनिष्ठ अभियन्ता | 236 |
| 13. | कृषि प्रसार अधिकारी | 208 |
| 14. | पशुपालन प्रसार अधिकारी | 120 |
| 15. | सहकारिता प्रसार अधिकारी | 191 |
| 16. | शिक्षा प्रसार अधिकारी | 490 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17. | उद्योग प्रसार अधिकारी | 236 |
| 18. | खादी पर्यवेक्षक | 236 |
| 19. | अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षक | 144 (स्वीकृत) |
| 20. | लेखाकार | 96 |
| 21. | कनिष्ठ लेखाकार | 256 |
| 22. | प्रगति प्रसार अधिकारी | 210 |
| 23. | वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी | 26 |
| 24. | सहायक अभियन्ता | 27 |

(421)

# परिशिष्ट-12

## (अतारांकित प्रश्न संख्या 349 का विवरण)

माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 1984 में अतिथि नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत दी गई छूट का जिलेवार विवरण :—

| क्र. सं. | नाम जिला | नाम व्यक्ति जिसे छूट दी गई |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1- | अजमेर | 1. श्री जीतमल चोपड़ा एवं श्री मीठा सिंघी, मन्त्री, वर्धमान स्थानक वासी संघ रजिस्टर्ड |
| | | 2. श्री भगवान श्रीवास्तव, जज, लेबर कोर्ट, जयपुर |
| 2- | पाली | 1. श्री कृष्ण चन्द जोशी, धानमण्डी, पाली |
| | | 2. ,, दाऊदयाल पुत्र नथमल अग्रवाल, पानी दरवाजा, पाली |
| | | 3. ,, आशाराम डाणी, पाली |
| | | 4. ,, पवल सिंह भाटी, नि आऊवां |
| | | 5. ,, सुन्दरलाल डाणी, भैरू घाट, पाली |
| | | 6. ,, सज्जनराज कटारिया, तिलक नगर, पाली |
| 3- | चूरू | 1. श्री महावीर प्रसाद, एडवोकेट चुरू |
| | | 2. ,, मुरलीधर शर्मा, घड़ीसाज, चुरू |
| 4- | अजमेर | 1. श्री आर के. गोयल, स्वागत आश्रम, अलवर |
| | | 2. श्रीमती सत्यवती गोयल, अलवर |
| | | 3. ,, मैंदमल जैन, स्कीम नं. 1 विजय मन्दिर रोड, अलवर |
| | | 4. ,, आइशर गुड्स प्रा लि , अलवर |
| | | 5. ,, जगमाल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक अलवर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5- | कोटा | 1. श्री दयाल दास चावला पुत्र सुखराम दास नयापुरा, कोटा |
| | | 2. ,, घनश्याम मेहता/श्री बिरधीलाल मेहता, कोटड़ी गोरधनपुरा, कोटा |
| 7- | उदयपुर | 1. श्री शांतीलाल चलतोत |
| | | 2. ,, सुरेशचन्द्र |
| | | 3. ,, धर्मचन्द्र |
| | | 4. ,, पूनमचन्द बांठिया |
| | | 5. ,, के. ए. खमेसरा |
| | | 6. ,, शांतीलाल |
| | | 7. ,, एच. एल. नागदा |
| | | 8. ,, एस. एस. मारू |
| | | 9. ,, प्रतापलाल |
| | | 10. ,, लक्ष्मी शंकर |
| | | 11. ,, तेजसिंह |
| | | 12. ,, अनिल कुमार |
| | | 13. ,, जीवनलाल |
| | | 14. ,, जयमाल सिंह |
| | | 15. ,, हीरालाल |
| 7- | नागौर | 1. श्री खिवंराज/रामपाल सोनी, नागौर |
| | | 2. ,, शिवराज टांक भगतावाड़ो, नागौर |
| | | 3. ,, नन्दकिशोर, लोढ़ा का चौक, नागौर |
| | | 4. ,, बंशीलाल, माहेश्वरियों की पोल, नागौर |
| 8- | बीकानेर | 1. श्री सुरेन्द्रकुमार सेठिया/श्री नेमीचन्द सेठिया, भीनासर, बीकानेर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 2. श्री बालचन्द सांड़ पुत्र सोहनलाल सांड़ मोहल्ला मुकीम बोथरा चौक, बीकानेर |
| 9- | बाड़मेर | 1. श्री नखतूराम/कोसलाराम सुथार, देत्रका |
| | | 2. ,, जोगाराम/चेताराम जाट, नीम्बलकोट |
| | | 3. ,, मोलाराम/मेहराज जाट ,, |
| | | 4. ,, पदमाराम तोर्कोराम जाट, रामसर |
| | | 5. ,, कल्याणसिंह/भीमसिंह पुरोहित, बीसू |
| | | 6. ,, कानाराम/मूरीराम जाट, नोसर |
| | | 7. ,, मूरराम/देवाराम जाट, ,, |
| | | 8. ,, पर्ताराम/जेठाराम जाट, कोलू |
| | | 9. ,, उदाराम/मूल्याराम भील, सवाऊ |
| | | 10. ,, खेताराम/कोहलाराम भील, ,, |
| | | 11. ,, सुखा/सुजा मेघवाल, मीठे का तल |
| | | 12. ,, पुरखाराम/गोरखाराम, मेघवाल, कनोड़ |
| | | 13. ,, जेताराम/दानाराम सुथार, गागरिया |
| | | 14. ,, पासूराम/पूनमाराम जाट, सुनावड़ा |
| | | 15. ,, सदाराम/मंगाराम जाट, हीरा की ढाणी |
| | | 16. ,, घमंडाराम/चुतराराम जाट, पीपराली |
| | | 17. ,, हरखाराम/पदमाराम मेघवाल, नीम्बल कोट |
| | | 18. ,, जगाराम/सायबाराम जाट, हीरा की ढाणी |
| | | 19. ,, मेहराराम/पदमाराम मेघवाल, नीम्बलकोट |
| | | 20. ,, हरूराम/तुलसाराम जाट, काश्मेर |
| | | 21. ,, उमाराम/सोनाराम जाट, गोलिया |
| | | 22. ,, मेराराम/बगाराम होड़ |
| | | 23. ,, ताराराम/खुशालाराम मेघवाल, माहबर |
| | | 24. ,, मूलाराम/बगताराम, ढूंढा |

| 1 | 5 | 3 |
|---|---|---|
| | 25. | प्रबन्ध सचालक, बाड़मेर सहकारी को-ऑपरेटिव बैंक |
| | 26. | श्री भगवानदास विधायक, चौहटन |
| | 27. | ,, पीराराम/ चिमाजी जाट, महलू |
| | 28. | ,, पूनमाराम/ग्रमुदानराम सुथार केलनोर |
| | 29. | ,, वीराराम/कुशलाराम जाट, रावतसर |
| | 30. | ,, बंसराज मण्डोरा, सिणदरी |
| | 31. | ,, नाथूराम/जीयाराम मुम्हार, उण्डू |
| | 32. | ,, नेनाराम/मगणाराम जाट, कोलू |
| | 33. | ,, बीराराम/प्रमुराम जाट, सोजत |
| | 34. | ,, लाधा/उदा मेघवाल, नेतराड |
| | 35. | ,, चैनाराम/नवलाराम जाट बिसानिया |
| | 36. | ,, चिमनाराम/मगाराम जाट, सरणू |
| | 37. | ,, तेजाराम/नवलाराम नाई, हूडो की ढाणी |
| | 38. | ,, उपाध्यक्ष, छीपा क्षेत्रीय समाज, बाड़मेर |
| | 39 | ,, दमाराम/लूम्बाराम जाट, साजियाली |
| | 40. | ,, पदमाराम/भैराराम जाट, होडू |
| | 41. | ,, हीराराम/लाखाराम प्रजापत, सोहड़ा |
| | 42. | ,, राजूराम/किशनाराम जाट, बायतू |
| | 43. | ,, दीवाराम/सुरताराम सुथार, गुसाने का तला |
| | 44. | ,, वेराज/खेताराम जाट, होडू |
| | 45. | ,, दीपाराम/ग्राशाराम जाट उण्डू |
| | 46. | ,, नेमीचन्द/ग्राजमल जैन बाड़मेर |
| | 47. | ,, प्रेमचन्द खत्री बाड़मेर |
| | 48. | ,, खेमाराम/बगताराम जाट, जालिपा |
| | 49. | ,, दीपाराम/लद्दाराम जाट, शिव |
| | 50. | ,, हेमाराम/गोकुलराम जाट, मुरटिया |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 51. श्री हासमखां पुत्र अली खां, मालपुरा |
| | | 52. ,, दसाराम/मुकनाराम सुथार सूथला |
| | | 53. ,, मांगाराम/जवाराम भील, आरंग |
| | | 54. ,, उदाराम/दाऊराम जाट, जालियाणा |
| | | 55. ,, गिरधारी राम/दाऊराम जाट जालियाणा |
| | | 56. ,, गुणेशाराम/बिरधाराम मेघवाल, कोसारिया |
| | | 57. ,, पूराराम/पूनमाराम जाट, चोहटन |
| | | 58. ,, कुम्पाराम/बिशनाराम भील, रेडाणा |
| | | 59. ,, बंशीलाल/केसराराम माली, शिवकर |
| | | 60. ,, केसाराम/जैसाराम कुम्हार, छीतरका पार |
| | | 61. ,, तुलसीराम/हरीराम हरीजन, बाड़मेर |
| | | 62. ,, धनाराम/उमेदाराम जाट, नोखड़ा |
| | | 63. ,, भीखाराम/बालाराम जाट, सवाई पादम सिंह |
| | | 64. ,, देवाराम/प्रभुराम जाट, सारूंटा |
| | | 65 ,, गिरधारीराम/मानाराम जाट, दूदू |
| | | 66. ,, दुर्गाराम/नारायणराम सुथार, भाडीयावास |
| | | 67. ,, अचलाराम/प्रेहलादराम जाट, अवाड़ी |
| | | 68. ,, हुकमाराम/खेराजराम जाट, चौखला |
| | | 69. ,, हुकमाराम/धनाराम जाट, लगेरा |
| | | 70. ,, दुर्गाराम/पदमाराम जाट, कगारू |
| | | 71. ,, हरखाराम/धनाराम जाट, रावतसर |
| | | 72. ,, बीरमाराम जाट/कुशलाराम जाट, रावतसर |
| | | 73. ,, नीम्बाराम/दीपाराम माली कवास |
| | | 74. ,, भलाराम/कानाराम कुम्हार, नीमला |
| | | 75. ,, पीथाराम /दोताराम जाट, शिवकर |
| | | 76. ,, देवाराम/लिछमनराम जाट, गोलिया |
| | | 77. ,, जोगाराम/जैहाराम जाट, गोलिया |

426



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 78. श्री महेन्द्र कुमार रानावत, बाड़मेर |
| | | 79. ,, देराज/शेतू जाट, ग्राडेंल |
| | | 80. ,, चोखा/शेतू जाट ग्राडेंल |
| | | 81. ,, भजाराम/कमाराम, होडू |
| | | 82. ,, केसाराम/साजनाम, होडू |
| | | 83. ,, जोराराम/गोरधनराम, होडू |
| | | 84. ,, बेनाराम/चतुराराम जाट, लूंगड़ा |
| | | 85. ,, मोटाराम/सताराम सुथार, बादरा |
| | | 86. ,, नंगाराम/हरूराम मेघवाल, मुरटिया |
| | | 87. ,, दिलीप कुमार/हरीलाल जोशी, बामेड़र |
| | | 88. ,, भालाराम/नारायणराम जाट, चवा |
| | | 89. ,, पदमाराम/धरमा जाखिड़, बाड़मर |
| | | 90. ,, मेराजराम/केसाराम जाट, रामसर |
| | | 91. ,, सोनाराम/मोतीराम जाट, चवा |
| | | 92. ,, नाथूसिंह/साम्बसिंह राज, बांदरा |
| | | 93. ,, लूणाराम/पेमाराम नाई, जाणकी |
| | | 94. ,, कमलसिंह/सोहनसिंह जाट, बाड़मेर |
| | | 95. ,, मेहराराम/सान्ताराम प्रजापति, बालोतरा |
| | | 96. ,, ग्रर्जुनराम/मगलाराम दर्जी, जसाई |
| | | 97. ,, ताजाराम गोरधनराम जाट, छीतर का बास |
| | | 98. ,, महेशराम/गोबिन्दराम जाट |
| | | 99. ,, मोहनराम/डूंगाराम कुम्हार, दूदवा |
| | | 100. ,, कवंरसी/तालब मुसलमान, लाख्टोली |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 101. श्री भंवरराम पुत्र दानाराम मेघवाल, नोसर |
| | | 102. ,, मला/केसरा मेघवाल, टाकूबेरी |
| | | 103. ,, बीरमा/कुशला चौधरी, सरडू |
| 10– | डूंगरपुर | 1. श्री कुबेरसिंह सहीवाला प्र. म., डूंगपुर |
| | | 2. ,, प्रदीपकुमार बक्षी पुत्र के. एस. बक्षी डी–32, न्यू कोलोनी |
| | | 3. ,, मंगनलाल एवं सुरेन्द्र कुमार सिंघवी श्रोबरी, सागवाडा |
| | | 4. ,, गोविन्द श्रामलिया, विधायक, विधान सभा क्षेत्र चोरासी |
| 11– | सिरोही | 1. श्री बी. एल. स्याल, मण्डल वन अधिकारी, सिरोही |
| | | 2. ,, खंगारजी मृताजी माली निवासी सिंदरथ |
| 12– | जैसलमेर | 1. श्री श्रोमप्रकाश पुत्र हजारीलाल खत्री, जैसलमेर |
| | | 2. ,, किशनलाल/तोताराम खत्री |
| | | 3. ,, अक्षयसिंह/लादूसिंह राजपूत, रावला |
| | | 4. ,, बचीयखां/मुरादअली मुसलमान, सोयांवर |
| | | 5. ,, रतनाराम/चूनाराम भील, थईयाल |
| | | 6. ,, देवीसिंह/सुरतसिंह राजपूत, जावडा |
| | | 7. ,, कल्याणसिंह/पनेसिंह राजपूत। जावडा |
| | | 8. ,, हीसमखां/अलावच्चा मुसलमान, मभारा |
| | | 9. ,, बगुलखां/दीनेखां मुसलमान, मभारा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 10. श्रीमती मीरा स्त्री पजुरामसिंह राजपूत, राघवा |
| | | 11. ,, प्रयागसिंह/पूणराजसिंह राघवा |
| | | 12. ,, किशोरीलाल/चाणडुमल गांधी, मोहनगढ़ |
| | | 13. ,, जगनलाल/सूजूंमल गांधी, मोहनगढ़ |
| | | 14. ,, नेताराम/केशराम भील, सीयामर |
| | | 15. ,, हमीरसिंह/जवारसिंह राजपूत, राघवा |
| | | 16. ,, हरनारायण/गणेशदास खत्री, जैसलमेर |
| | | 17. ,, दामोदरदास/गोरधन खत्री ,, |
| | | 18. ,, अमोलकदास/शुभकरण दर्जी ,, |
| | | 19. ,, धारसीदास/सगतमल दर्जी ,, |
| | | 20. ,, गोपीकिशन/टीकमदास खत्री ,, |
| | | 21. ,, रणछोड़/सांगीदास खत्री ,, |
| | | 22. ,, लक्ष्मणदास/जवाहरमल खत्री ,, |
| | | 23. ,, जगदीशकुमार/पन्नालाल खत्री ,, |
| | | 24 ,, नखतुराम/दुरजाराम सुथार, थापसर |
| | | 25. ,, मनोहरलाल/हजारीलाल खत्री, जैसलमेर |
| | | 26. ,, अखाराम/गोविन्दराम सुथार, मोहनगढ़ |
| | | 27. ,, केशराराम/हरपालराम सुथार ,, |
| | | 28. ,, हुसनखां/अदरीसखां मुसलमान, छत्रैल |
| | | 29. ,, जुम्बारखां/अदरीसखां मुसलमान ,, |
| | | 30. ,, जलाल/अदरीमखां मुसलमान ,, |
| | | 31. ,, सत्यदेव/खेमचन्द सुथार, मोहनगढ़ |
| | | 32. ,, लूणाराम/लालमल सुथार मोहनगढ़ |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 33. श्री हुडोताराम/मंगलाराम मेघवाल, मंघा |
| | | 34. ,, मतारे खां/सभावा खां मुसलमान, तुर्कों की बस्ती |
| | | 35. ,, मुला/मंगल मुसलमान, तुर्कों की बस्ती |
| 13- | जालोर | 1. श्री हजारी/भीखाजी हरिजन, जालोर |
| | | 2. ,, मंगाराम/भेराजी व सवाराम/ मंगाजी, लोखे |
| | | 3. ,, टोडावरमल/सुमेरमल चौधरी, जालोर |
| | | 4. ,, शांतीलाल/पी. शर्मा, जालोर |
| | | 5 ,, मि ेलाल चौधरी, ,, |
| | | 6. ,, पृथ्वीराज भण्डारी ,, |
| | | 7. ,, विजयचन्द्र ओसवाल ,, |
| | | 8. ,, शांतीलाल ओसवाल, बालवाड़ा |
| | | 9. ,, गर्गजीतमल, जालोर |
| | | 10. ,, मुलीबा/मंगाजी सरगरा, पिजोपुरा |
| | | 11. ,, मूलचन्द भखाजी जैन, जालोर |
| | | 12. ,, केशाराम/नवाजो कुम्हार, साफाड़ा |
| | | 13. ,, ज्ञानचन्द/चम्पालाल मेहता, जालोर |
| | | 14. ,, हीराचन्द मन्त्री श्री तीर्थेन्द्रसूरी स्मारक संघ, बाकरा रोड । |
| 14- | जोधपुर | 1. श्री बंशीलाल/जेठाराम मेघवाल, पालडी मगलिया |
| | | 2. श्रीमती दाखु बेवा पत्नि भागुराम मेघवाल, पालडी मगलिया |
| | | 3. ,, गोबरराम/बोराराम मेघवाल, पालडी मंगलिया |
| | | 4. ,, पूनाराम/बोराराम मेघवाल ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 5. श्री डा. एस. एस. भाण्डावत रेनवा हाउस, पावटा |
| | | 6. ,, हुकमीचन्द पारख कपड़ा बाजार, जोधपुर |
| | | 7. श्रीमती मगनीदेवी बेवा पांचूराम बलाई, सूरसागर, जोधपुर |
| | | 8. श्री डा. के. बनर्जी, निहारिका 9 सी रोड, जोधपुर |
| | | 9. ,, रामचन्द/गेराराम हिंगोली, तहसील भोपालगढ़ |
| | | 10. ,, भीकाराम/पुरखाराम हिंगोली, ,, |
| | | 11. ,, गिरधारीलाल/गेराराम हिंगोली ,, |
| | | 12. ,, हजारीराम/गेराहाम बिश्नोई ,, ,, |
| | | 13. ,, नैनाराम/गेराराम बिश्नोई ,, ,, |
| | | 14. ,, रणवीरसिंह परिहार रणवीर भवन, सोपासनी |
| 15- | खाद्य विभाग (मुख्यालय) जयपुर। | मन्त्री सम्मेलन स्वागत समिति, गुजर गौड़ ब्राह्मण सभा डिग्गी (टौंक) |

431

# परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 357 की सूची)

(लाख रुपयों में)

| | | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आय पर निगम कर से भिन्न कर | 4374.94 | 4431.05 | 4944.63 | 5113.04 | 5374.00 |
| 2. | सम्पदा शुल्क | 32.92 | (—) 7.25 | 21.92 | 24.45 | 65.00 |
| 3. | रेल यात्री किराये कर के बदले में अनुदान | 89.05 | 89.10 | 202.00 | 126.70 | 126.70 |
| 4. | कृषि सम्पति | 1.96 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | — |
| 5. | मूल-केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क | | | | | |
| 6. | विक्रय कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क | 13042.03 | 15208.06 | 16393.95 | 19063.82 | 21258.00 |
| | योग :— | 17540.90 | 19721.05 | 21562.68 | 24328.20 | 26823.70 |

# परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 359 की सूची)

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | जाति | पता | कार्यग्रहण की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री बिनोद कुमार पुत्र श्री दुनी राम | | गांव हरिपुरा तहसील संगरिया जिला–गंगानगर। | 27-12-73 |
| 2. | श्री शंकर लाल पुत्र श्री राम प्रसाद | अनु–जाति | पो. नूरपुरा ढाणी, सादुलशहर, जिला–गंगानगर | 30-12-83 |
| 3. | श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह | | 62, जी ब्लाक श्रीगंगानगर | 21-12-83 |
| 4. | श्री रामपाल पुत्र श्री सोहन लाल | अनु–जाति | द्वारा संगरिया क्रय-विक्रय समिति, श्रीगंगानगर | 26-12-83 |
| 5. | श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री फूसाराम | –दू– | गांव सादूवाली श्रीगंगानगर | 30-12-83 |
| 6. | श्री गोविन्द प्रकाश पुत्र श्री मूराराम | –दू– | न्यू कॉलोनी सैक्टर हनुमानगढ़, जिला–श्रीगंगानगर | उपस्थित नहीं हुआ |

433

~~433~~

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | बहादुर सिंह पुत्र फूसा राम | -डू- | गांव फेफाना तहसील-नोहर श्रीगंगानगर | 23-12-83 |
| 8. | श्री मुन्शीराम पुत्र श्री मालूराम | | द्वारा लालसिंह नेहरी तारघर, जिला-गंगानगर | 19-12-83 |
| 9. | श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बगूराम | | सेतिया कॉलोनी संगरिया, जिला-गंगानगर | 28-12-83 |
| 10. | पूरण राम पुत्र श्री माना राम | अनु-जाति | गांव 13 क्यू, बल्लाना, वाया मिरजेवाला, श्रीगंगानगर | 30-12-83 |
| 11. | श्री गुरदयाल राम पुत्र श्री हरिराम | -डू- | द्वारा मोहनकचन्द श्री गंगानगर, केन्द्रीय सहकारी बैंक सूरतगढ़, श्रीगंगानगर | 26-12-83 |
| 12. | श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री हरिराम | -डू- | गांव मिरजेवाला, श्रीगंगानगर | 22-12-83 |
| 13. | श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोहन लाल | | गांव हिन्दूमल कोट, श्रीगंगानगर | 20-12-83 |
| 14. | श्री हेतराम पुत्र श्री रामरख विश्नोई | | गांव रिडमलसर तहसील-पदमपुर, श्रीगंगानगर | 24-12-83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 15. | श्री सुशील कुमार पुत्र श्री मनीराम | | गांव हसमाबाद तहसील-सादुलशहर, श्रीगंगानगर | 23-12-83 |
| 16. | श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री लेखराम | | गांव चक 70 एल एन.पी. पोरतनपुरा, जिला-गंगानगर | 20-12-83 |
| 17. | श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमानसिंह | | चक पी डी छोटी, पो सादुलवास श्रीगंगानगर | 19-12-83 |
| 18. | श्री रामस्वरूप पुत्र श्री ताराचन्द | | गांव-लंवरपुरा गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर | 26-12-83 |
| 19. | श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री लक्ष्मण राम | | द्वारा जयमल राम भारी चुंगी कर्मचारी श्रीगंगानगर | 26-12-83 |
| 20. | श्री गुरनामसिंह पुत्र श्री मुख्तियारसिंह | | द्वारा जगता डोडालवाला, अर्जुनसर, लूनकरणसर, बीकानेर | 19-12-83 |
| 21. | श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री बुद्धराम | | गांव सरदारपुरा सूरतगढ़, श्रीगंगानगर | 26-12-83 |
| 22. | श्री कुलविन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह | अनु-जाति | गांव महीलोराठान, श्रीगंगानगर | उपस्थित नहीं हुआ |
| 23. | श्री मुखराम पुत्र श्री चतराराम | –डू– | द्वारा गोपीराम प्रेमकुमार, कपड़ा मील, श्रीगंगानगर | 26-12-83 |
| 24. | श्री लाला राम पुत्र श्री सदासुख | –डू– | वार्ड नम्बर 5 हनुमानगढ़ जंक्शन, श्रीगंगानगर | 30-12-83 |

(436)



# परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 360 की प्रतिलिपि)

## रिपोर्ट इत्तिला अव्वल (प्रथम सूचना)

(नियम 286, राज.पुलिस)

नं. 34

(जो काबिल दस्तन्दाजी पुलिस जुर्म में हस्ब दफा 146, जा. फौ. थाने पर चाक होती है)

थाना रामगंज मंडी जिला कोटा राजस्थान

जुर्म नं. सुर्खी में) 77/85 तारीख और वक्त वकुआ 10.4.85 वक्त 1.30 पी.एम. करीब

| तारीख और वक्त जब इत्तिला हुई मय रिपोर्ट न. रोजनामचा आम | जाय वकुआ और फासला और सिम्त थाने से मय नाम हल्का अगर कोई दूसरा हो | तारीख व वक्त रवानगी थाने से |
|---|---|---|
| दिनांक 10.4.85 रपट संख्या 600 समय 7.15 पी.एम. रोजनामचा आम थाना | मौजा जुल्मी खनाग्निब दक्षिण पूर्व कोण से फासला 10 किमी. थाने से | 10.4.85 |

नाम हल्का नम्बर हल्का जुल्मी हल्के में बैकुण्ठ मन्दिर साजी नम्बर 34/85

| नाम और सकूनत इत्तिला कुनिन्दा और मुस्तगीस (सूचना देने वाले और अभियोगी का नाम और निवास स्थान | नाम और सकूनत मुलजिमान (निवास स्थान अपराधी) | मुख्तसिर हालात जुर्म मय दफा और माल अगर कोई गया हो | कार्यवाही तफसील जो अमल में लाई गई और वजह देरी जो इत्तिला करने में हुई हो | |
|---|---|---|---|---|
| मुस. लीलाबाई पत्नि घनश्याम उम्र 16 साल करीब जाति मेडतवाल महा- | रामचन्द्र सरपंच | मुलजिम ने फरि-यादि के मकान में जुल्मी दिन में प्रवेश कर फरियादी के साथ खोटा काम कर | रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर नम्बर की सूचना की गई। | उसी दिन [illegible] 0/85 30.8.85 खिलाफ मुलजिम रामचन्द्र पुत्र राम [illegible] चन चाक की गई |

437



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| जन निवासी लोयल जिला शाजापुर (म.प्र.) हाल जुल्मी | | इज्जत लूटी जुर्म धारा 354/376 आई. पी. सी. | | दिनांक 10.6.85 को एम. जे. एम., आर. एम. एम. आई में पेश किया गया। |

**दस्तखत** ह. भीमसिंह **जोहरा** ए. एस. आई,

रिपोर्ट जुमानी या तहरीरी (पुश्त पर)

## रिपोर्ट जुबानी

मेरी शादी आज से करीब एक के साल पहले घनश्याम पुत्र मागीलाल मेडतवाल महाजन निवासी लोयल जिला शाजापुर-साथ हुई कि शादी के बाद मे मैं, मेरे पति के साथ रहती आ रही हूं। मेरा पति करीब 5 साल से जावनकेडी ए. एस. आई. कम्पनी जहां रामचन्द्र सरपच जुल्मी सुपरवाईजर हैं। काम करता है। हमने ग्राम जुल्मी के नालोदिया वाले तुलसीराम दर्जी का मकान किराया ले रखा है और उसमें मेरा आदमी रामचन्द्र शर्मा सरपंच जुल्मी के साथ खान पर काम करता है। इसलिए मैं उनको जानती हूं। आज सुबह 8.00 बजे मेरा आदमी खान पर काम करने चला गया व मैं घर पर अकेली थी दिन के करीब डेढ़ बजे के करीब की बात है। मैं अपने घर पर बैठी हुई थी मेरे आदमी के फटे हुये पायजामें में टांके लगा रही थी कि रामचन्द्र सरपच बिना मेरे पूछे घर में घुस आया मैंने पूछा लाला क्या बात हैं तो उसने कहा कि जर्दा खाने आया हूं। यह कह कर उसने मुझे बैठी हुइ को बकलिया पर आडा पटक दिया और एक हाथ से मेरा मुंह वन्द कर दिया तथा एक हाथ से मेरा घाघरा ऊंचा करके उसका लिंग धोती में से निकाल कर मेरे पेशाब करने की जगह रख दिया और ऊंचा नीचा होने लगा मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह पर रखा हाथ हटाया और बाहरबाडी इतने में सरपच का वीर्य निकल गया सरपच रामचन्द्र शर्मा मेरे ऊपर पड़ा ही था कि नारायण खाती आ गया। उसने कहा कि सरपच साहब क्या हो रहा है इतने में सरपच ने मेरे ऊपर से उठ कर उसकी धोती की लाग को ठीक करने लगा और कहा कि जर्दा खाने आया था। नारायण खाती के पीछे पीछे ही राधेश्याम खाती भोपाल गूजर चौथमल तुलसी भी आ गये थे उन्होंने इस वाक्या को देखा है सरपंच रामचन्द्र ने धोती की लाग को बांध कर घर के बाहर चला गया। सरपच के वीर्य से मेरा पेटीकोट तथा कथूलिया पर वीर्य के दाग लग गये है। गाव वालों ने जाकर मेरे आदमी से बताया तो

438

परिशिष्ट–15 जुलाई, 1985–परिशिष्ट

मी घर पर आया तो मैंने सारी बात बतायी। सरपंच रामचन्द्र ने मेरे घर में
मेरे साथ जबरदस्ती खोटा काम कर मेरी इज्जत लूटी है। हम लोग सवारी
जाम कर थाने में रिपोर्ट करने जाने वाले हो थे रिपोर्ट करती हूं। कार्यवाही
।

ही /लीलाबाई

कार्यवाही पुलिस :-

तसदीक की जाती है कि मुसम्मात लीलाबाई को पत्नि श्री घनश्याम जाति
इतवाल महाजन निवासी लोधत उम्र 6 साल करीब हाल जुल्मी ने उक्त जुबानी
रिपोर्ट मुक एस. एच. ओ. के रुबरु मुबहल जुल्मी अपने मुकाम पर दी जो सही-सही
लिखी जाकर पढ़ कर सुनाई गयी व सही स्वीकार करने पर निशानी अंगूठा मजमून
रिपोर्ट से मामला हस्ब धारा 354, 376 आई.पी.सी. का होना पाया जाता
है। अतः रिपोर्ट बारतु कार्यवाही मु. जे. हेतु जरीये कानि. श्री साबिर अली नं. 63 के
थाना पर रवानगी की गयी। मैं एस. एच. ओ. मसरूफ तफतीश हुआ। एस. डी./–
भंवरलाल शर्मा दिनांक 10-4-85 वक्त 4.00 पी. एम. एस. एच. ओ. एस. डी./नि. हु.
लीलाबाई उक्त रिपोर्ट श्री साबिर अली एफ. सी. न. 563 ने लाकर पेश की जिसकी
सही-सही नकल की गयी रिपोर्ट पर हृदबल न 7/85 जुर्म उपरोक्त धारा में कायम
कर कानि. को वापस नम्बर की सूचना देने की हिदायत कर तमसत किया गया।
एस.पी./–साबिर अली, एस.डी.–भीमसिंह, ए एस.आई. थानाधिकारी थाना रामगंज मंडी
एस.पी./–साकिर अली

एस.डी./–भीमसिंह

439



# परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 362 की सूची)

बिन्दु संख्या 1 का

## जयपुर नगर में देखने योग्य व पर्यटक स्थल

1. महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम (सिटी पैलेस)
2. जन्तर-मन्तर
3. हवा महल
4. रामनिवास बाग एवं जंतु पक्षी विहार
5. राजकीय संग्रहालय (एलबर्ट हाल)
6. नाहरगढ़ किला
7. आमेर महल
8. गैटोर की छतरियां
9. गलता तीर्थ
10. सिसोदिया रानी बाग
11. विद्याधर का बाग
12. जयगढ़
13. गोविन्द देवजी का मन्दिर